दो शब्द

इस पुस्तक के पूर्व संस्करण के पश्चात् 'व्यवहार' विधि-संहिता के उपबन्धों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ और प्रतिपादना के उपबन्धों में तो परिवर्तन हुआ ही नहीं। प्रस्तुत संस्करण पुस्तक की मॉग पूरा करने के लिये निकाला जा रहा है। इसमें दिये गये प्रतिपादना सम्बन्धी रूप-पत्र इलाहाबाद उच्च-न्यायालय के प्रतिष्ठित एडवोकेट स्वर्गीय श्री पन्ना लाल, जिनको मूल वाद एवम् अपील-सम्बन्धी प्रतिपादन-कार्य का चालीस वर्ष से अधिक का अनुभव प्राप्त था, द्वारा लिखे गये थे। ये रूप-पत्र वकीलों के लिये निरन्तर उपयोगी एवम् शिक्षाप्रद सिद्ध हुये और प्रदेशों में प्रचलित हैं। वे मूल रूप में ही पुस्तक में उद्धृत किये गये हैं।

पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने के लिये उनके सुयोग्य पुत्र अन्यान्य न्याय-पुस्तकों के लेखक श्री हरीपाल वार्ष्णेय, सेशन जज, द्वारा न्याय-दृष्टान्त प्रकरण और बढ़ाया गया है। सन् १९५४ के आरम्भ तक के सभी उल्लेखनीय प्रकाशित एवम् अप्रकाशित न्याय-दृष्टान्तों का सकलन करने का पूरा पूरा प्रयास किया गया है।

प्रकाशक

१४-३-१९५४

— —

प्रतिपादना सम्बन्धी नवीनतम न्याय दृष्टान्त

Supplement to new reprint 1954 Edition

PLEADINGS GENERALLY.

प्लीडिंग

Pleadings, its Meaning (Or. VI. R. I. C. P. C)
प्रतिपादना से तात्पर्य

प्रतिपादना से तात्पर्य वाद-पत्र या प्रत्युत्तर से है। प्रतिपादना में आदेश १० (Order X) के अन्तर्गत किए गए प्रकथन भी सम्मिलित होते हैं।[1] यदि वाद पत्र या प्रत्युत्तर मे कोई त्रुटि हो तो विरोधी पक्ष को उसे दूर कराने के लिए न्यायालय की सहायता लेनी चाहिए।[2] जब विरुद्ध पक्ष को कोई हानि न पहुँचती हो तो न्यायालय केवल इस कारण से कि प्रतिपादना के लिखने मे उचित शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, दावे को खारिज नहीं कर देगा।[3]

Pleadings to State Material Facts. (Or. VI, R. 2 C. P. C.)
प्रतिपादना में केवल तात्विक घटनाएँ लिखना चाहिए

(1) Facts not Law

(१) तथ्य या विधि :—

यदि तथ्य का कोई तर्क पक्ष द्वारा न लिया जाय तो उसे न्यायालय स्वयम् नहीं उपस्थित कर सकता, परन्तु कानून या विधि का कोई तर्क विवादकता के किसी भी स्थिति पर लिया जा सकता है। यदि ऐसा कोई तर्क पक्ष द्वारा न लिया जाय तो भी न्यायालय का कर्त्तव्य है कि विधि को स्वीकृत या प्रमाणित तथ्यों पर लागू करे।[4] जहाँ प्रतिवादी ने सब आवश्यक तथ्यों को प्रमाणित कर दिया हो, न्यायालय को उससे वैधानिक फल निकालना चाहिए।[5]

प्रत्युत्तर में प्रयोजन (Motive) का तर्क करना आवश्यक नहीं है।[6] परन्तु जहाँ प्रतिवादी का कहना हो कि वाद भ्रान्तविचारित है उसको ऐसे तथ्यों का

---

1 Gyasilal v. Suraj Karan 1948 J L R. 357

2 Narsingdas v Laxminarayan, 1950 N. L. J 111.

3 Kedar Lal v Hari Lal, 1952 S. C. J. 37, A. I. R. 1952 S. C. 47.

4 G A Jafri v Govt of U P, A. I. R 1950 All 212.

5 Somnath Singh v A. P. Dube, A. I. R 1950 All. 121.

6 Per Sapru. J in F. A. No. 321 of 1941 D/. 13. 5. 1948, All.

(iii) Alternative and Inconsistent Pleas

वैकल्पिक और असंगत तर्क

वादी दो या अधिक प्रकार के कथनों का तर्क कर सकता है और उनके अन्तर्गत परितोष की स्वत्याचना वैकल्पना में कर सकता है परन्तु साधारणतः न्यायालय वादी को वह परितोष जिसके लिए प्रतिपादना में कोई स्थान ही नहीं था और जिसका उत्तर देने के लिए दूसरे पक्ष को कोई अवसर भी न मिला हो, नहीं दे सकता। परन्तु यदि प्रतिवादी ने अपने उत्तर में उस तर्क को, जो वादी वैकल्प में कर सकता था स्वीकार किया हो, तो न्यायालय वादी को प्रतिवादी के ऐसे उत्तर के आधार पर डिक्री (जयपत्र) दे सकता है।[15]

व्यवहार विधि संहिता के अन्तर्गत असंगत तर्क वर्जित नहीं है।[16] अतः कोई वादी स्वामित्व की घोषणा और आधिपत्य के पुनर्प्राप्ति के लिए याचना कर सकता है और वैकल्प में किरायादारी के संविदा की विशिष्ट कार्यपूर्ति और उसके आधार पर आधिपत्य के लिए स्वत्याचना कर सकता है।[17] असंगत तथ्यों की दशा में न्यायालय को असंगत तर्क करने वाले पक्ष से प्रतिनुकूलता हटवा देना चाहिए।[18]

किरायादारी के आधार पर दाखिल किए गए वाद में यदि किरायादारी उचित रूप से प्रमाणित न हो तो वादी के स्वामित्व के आधार पर, यदि पूर्ण साक्ष्य लिया गया हो, जयपत्र दिया जा सकता है।[19] पक्ष जो स्वामित्व के आधार पर भूमि पर स्वात्याचना करे यदि वह अपना स्वामित्व स्थापित करने में असफल हो तो तत्पश्चात् वैकल्प में उस भूमि पर भोगाधिकार की स्वत्याचना कर सकता है।[20] परन्तु वेदखली के वाद मे प्रतिवादी एक साथ यह नहीं कह सकता कि वह वादी का किरायादार नहीं था और यह कि वह किरायादार भी था परन्तु उसकी किरायादारी उचित रूप से समाप्त नहीं की गई थी।[21] इसी प्रकार सह किरायादारी और प्रतिकूल आधिपत्य के तर्क साथ ही साथ नहीं लिए जा सकते।[22] यदि पक्षों ने न्यायालय के सम्मुख वाद के किसी एक स्थिति मे कोई अमुक स्थान ले लिया है तो वे न तो उस वाद

---

[15] Firm Sriniwas Ram Kumar v. Mahabir Prasad, 1951 S C J. 261, A I R 1951 S C, 177

[16] K Vershi v R Nenshi, A I R 1952 Kutch 55

[17] Deochand v Mst Parvatibai, AIR 1952 Nag. 115

[18] A I R Ltd Bom v D. D Datar Civ Rev No 219 of 1949.

[19] P Pillai v R. K V Thevar, A I R 1947 Mad 282

[20] Ladha v. Mahi, A I R. 1947 Lah 79.

[21] Ram Palak. v B Mahton, A I R 1952 Pat. 69, I. L R. 30 Pat. 1155.

[22] Rukmina v. Rameshar, 1950 R. D. 57

के अन्य स्थितियों में, और न किसी दूसरे वाद में जो उस वाद के निर्णय की उपज हो, अन्य स्थान ले सकते हैं और यह सिद्धान्त किसी प्रकार भी रद्द नहीं किया जा सकता।[23]

(iv) Pleadings and Proof

प्रतिपादना और प्रमाण

प्रतिपादना पर्यालोचक (discussive) और तर्कयुक्त न होनी चाहिए।[24] कभी कभी परितोष उन आधारों पर भी, जिनपर स्वत्वाचित न किया गया हो दिया जा सकता है।[25] कोई पक्ष अपने कथन किए गए और प्रमाणित किए गए आधारों पर ही सफल हो सकता है। अत प्रत्येक पक्ष अपने कथित वाद को वाद हेतु के अनुसार प्रमाणित करने को बाध्य है।[26]

वादी ने सम्पत्ति के पूर्व स्वामी के दत्तक पुत्र होने के नाते सम्पत्ति के आधिपत्य के लिए स्वामित्व के आधार पर वाद चलाया जिसके प्रत्युत्तर प्रतिवादी ने पूर्व स्वामी के जीवन काल में दान-पत्र के या उसके रिक्थ-पत्र (Will) द्वारा दान-पत्र के आधार पर अपने स्वामित्व का स्वत्वाचन किया, जिसमे वादी अपना स्वामित्व प्रमाणित करने में सफल हुआ, प्रिवी काउन्सिल के सम्मुख प्रतिवादी आधिपत्य के आधार पर अपना स्वत्वाचन करने से रोके गए क्योंकि यह स्वयम् प्रतिवादी की प्रतिपादना के विरुद्ध था।[27]

वाद का निर्णय केवल तर्क किए गए तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। जहां वादी-गण वाद पत्र में कथित तथ्यों को प्रमाणित करने में सफल न हो तो न्यायालय न तो भिन्न तथ्यों के आधार पर डिक्री दे सकता है और न ऐसे आधारों को स्वयम् उपस्थित कर सकता या मान सकता है वरन न्यायिक कार्यवाहियों में अनिश्चयता बहुत बढ जायगी।[28] जहां विरुद्ध आधिपत्य का तर्क विशिष्ट रूप से प्रतिपादना में ले लिया गया हो, यह कोई विशेष महत्व की बात नहीं है कि ऐसा तर्क वाद-पत्र में नहीं लिया गया था।[29] निर्णीत विषय, (Res judicata) का तर्क केवल निर्णय द्वारा प्रतिरोध का एक तर्क है और यदि प्रतिवादी एक अमुक प्रकार का प्रतिरोध प्रमाणित करने

---

[23] Udrej Singh v R B Singh, A I R, 1946 All 436

[24] S Khetri v J H Shah, I L R 1949 Nag 561

[25] P Das v Sankar Rath, I L R 1950 Cut 322.

[26] B Singh v Chaman Singh, A.I R 1950 E P 256.

[27] N Pilla v Subbraya, A I R 1949. P C 13

[28] Johan Das v Ganga, Ram A I.R 1949 Him 7

[29] M Board Luck v Mt Kallo, 1948 O W N 224, A I R 1949 Luck. 283.

में असफल हो और अभिलेख से किसी अन्य प्रकार का प्रतिरोध होता हो, तो उसको परितोप दिया न जाने का कोई उचित कारण नही है ।[30]

(v) Construction of Pleadings.

प्रतिपादना का अन्वय

वाद पत्र को सम्पूर्णतः पढ़कर ही वाद का स्वभाव और उसका तात्पर्य निर्णय करना चाहिए। पारितोषों को पृथक पृथक करके यह विचार करना कि न्यायालय को किसी सीमित विपय पर अधिकार क्षेत्र है या नहीं उचित नहीं है। किसी परितोप का सम्मिलित करना या न करना तथा परितोषों का वाद-पत्र मे किसी विशेप प्रकार के लिखने से अधिकार क्षेत्र का निर्णय नहीं हो सकता (Per Kania C J) । प्रतिपादना में अकित तात्विक घटनाओं से वैधानिक फल निकालना और उचित परितोष देना न्यायालय का कार्य है। (Per Patanjali Shastri J) अधिकार क्षेत्र का निर्णय भी, वाद-पत्र के तथ्य और परितोप से ही निश्चय किया जाता है (Per Mahajan J) ।[31]

जब पक्षों का वाद उन तथ्यों से जिनके विपय में पक्षों में कोई मतभेद न हो मालूम किया जा सके तो प्रतिपादना के अरचनात्मकता के कारण न्याय का वलिदान न होने देना चाहिए। भारत में प्रतिपादना का तात्पर्य संकुचित दृष्टकोण से न लेना चाहिए, विशेप कर जहाँ वाद का कारण ज्ञात किया जा सकता हो ।[32]

(vi) Particulars to be given (Or. VI, R. 4 C. P. C.)

विवरण जो देना चाहिए

उचित रूप से वादहेतु (Issues) बनाए जाने के लिए वकील को दोनों पक्षों का स्वत्याचन विवरण के साथ प्रतिपादना मे देना चाहिए।[33] जब धोखा देने, विश्वास घात करने (Fraud), जान बूझकर प्रमाद (Wilful default) करने, या अनुचित प्रभाव डालने या भ्रान्त-कथन (Misrepresentation) करने के अभिकथन किए जाय तो ऐसे अवसरों में ऐसे तथ्यों का विवरण देना आवश्यक है। परन्तु जहाँ मनो भाव से संबन्धित कोई घटना हो, जैसे द्वेप भाव या धोका देने का विचार, तो ऐसी दशाओं में पूर्ण विवरण देना आवश्यक नहीं है परन्तु ऐसे भाव का केवल घटना के रूप में कथन करना पर्याप्त होगा ।[34]

---

[30] C Lal v R Kanwar, A I R. 1949 East. Punj. 26

[31] Mrs Moolji Jaitha & Co. v Khandesh Spinning Weaving Mills Co Ltd, 1949 F. C. R 849, A I R. 1950 F C 83

[32] R Sarup v. R Chandra, I L.R. 1948 E. P 365, A.I.R. 1949 E. Punj 29

[33] A G of the Colony of Fiji v. T. P. Bayly Ltd, A I. R. 1950 P C 73

[34] D. D. Petit v. Dominion of India, A. I. R. 1951 Bom. 72.

यह प्रत्येक वाद की घटनाओं (Facts) के ऊपर निर्भर होता है कि क्या विवरण देना चाहिए परन्तु वह ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रतिवादी को यह मालूम हो सके कि परीक्षण (Trial) के समय उसे किस बात का सामना करना होगा।[35] प्रथा (Custom) प्रत्येक वाद में मान नहीं ली जाती इसलिये उसका तर्क स्पष्ट रूप से अंकित करना चाहिए।[36] मान-हानि के वाद में औचित्य का तर्क (Plea of justification) सदैव विशिष्ट रूप से लेना चाहिए।[37] उपभोगाधिकार (Easement) के वाद में प्रतिपादना बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए।[38]

(vii) Further and Better Particulars. (Or. VI. R. 5 C P. C).

अधिक और श्रेष्ट विवरण

न्यायालय का कर्त्तव्य है कि वह इस बात पर ध्यान दे कि वादी और प्रतिवादी-गण अपना अपना मामला इस प्रकार स्पष्ट रूप से तर्क करें कि विपक्षी को यह ज्ञान हो जाय कि उसे किन बातों का सामना करना है।[39] परन्तु प्रतिवादी अपील में इस प्रश्न को नहीं उठा सकता उसको आदेश ६ नियम ५ के अन्तर्गत अधिक और श्रेष्ट विवरण के लिए प्रार्थना-पत्र देना चाहिए था।[40] गोद (adoption) की दशा में उस पक्ष को जो गोद लेने का तर्क करे आवश्यक नहीं है कि सब आवश्यक संस्कारों का कथन करे। गोद को अमान्य (invalid) प्रमाणित करने के लिए विरुद्ध पक्ष को ऐसी बातों का कथन करना चाहिए। ऐसी अवस्था में न्यायालय स्वयम् प्रतिवादी को प्रतिपादना संशोधित करने के लिए आज्ञा नहीं दे सकता।[41] अधिक और श्रेष्ट विवरण का यह सिद्धान्त है कि जहाँ वाद में कहे गए तथ्य के विषय में कोई कमी रह गई हो तो प्रतिवादी उस कमी को पूरा करा सकता है, वादी को साक्ष्य बतलाने की आवश्यकता नहीं है।[42]

Condition Precedent (Or VI R. 6 C. P. C)

पूर्व भावी दशा

चेक या हुन्डी के न सकरने (dishonour of cheque or Hundi) के वाद में अनादर की सूचना देना वाद-मूल का एक अंश है जिसकी पूर्ति

---

[35] K Chettyar v. A Chettiar, 1940 Bur L R 46

[36] Mt Jevan v Ramanand 7 J & K L R 10

[37] R Krishna v H S Bates, A I R 1953 All 503

[38] Surendra Singh v Ferooz Shah A I R 1950 Nag 205

[39] Trilok Chand v Kesrimal, 1947 M L R 68

[40] Kasturibai v Khilab Chand, AIR 1937 Cal 51.

[41] Narayanrao v Somba, 1951 N L J 69

[42] Allen Berry & Co v M/S Mugneeram Bangur & Co, Civil Rev. Case No 1904 of 1950 Cal

आदेश ६ नियम ६ के अन्तर्गत वाद-पत्र में गर्भित होती है और अनादर की सूचना देना कोई पूर्वभावी दशा नहीं है।[43] आदेश ६ नियम ६ से यह स्पष्ट है कि पूर्व भावी दशा की पूर्ति किसी ऐसी प्रतिपादना में गर्भित होती है प्रतिवादी का यदि यह कथन हो कि किसी पूर्वभावी दशा की पूर्ति नहीं हुई है तो उसको स्पष्ट रूप से इसपर तर्क करना चाहिए।[44]

Departure (Or. VI. R. 7 C P. C)

प्रतिपादना में विचलन

जहाँ वादी प्रत्युत्तर के सशोधन के लिए उत्तर दाखिल करने की शर्त पर सहमत हो गया हो वह ऐसे उत्तर में दिए गए वाद को अपना आधार बना सकता है।[45] परन्तु एक प्रत्युत्तर के लिए दूसरा प्रत्युतर स्थानापन्न नहीं किया जा सकता।[46] एक पक्ष न तो उसी वाद में और न उन्ही पक्षों के बीच भिन्न वादों मे दूसरे पक्ष के विरुद्ध भिन्न भिन्न दशाएं ग्रहण कर सकता है।[47] जहाँ वाद मूल की रचना प्रतिवादी द्वारा रक्खे गए वाद की पूर्ति करती हो परन्तु उसके प्रत्युत्तर में तर्क किए गए वाद से भिन्न हो, और वाद से सम्बधित सब लेख पत्र न्यायालय के सम्मुख हों, तो वादी की यह आपत्ति कि प्रतिवादी ने एक नया वाद उपस्थित किया है नहीं माना जायगा।[48]

जहाँ वादी को पूर्ण रूप से यह ज्ञात हो जाय कि प्रतिवादी क्या स्थापित करना चाहता था चाहे प्रतिवादी ने उसे विशेष रूप से तर्क में न लिया हो तो यह नहीं कहा जा सकता कि वादी को कोई हानि पहुँची।[49] प्रत्युत्तर संशोधन करने की आज्ञा न देने के विरुद्ध कोई निगरानी नही हो सकती।[50] यदि अतिरिक्त प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिये प्रार्थना-पत्र विलम्ब से दिया जाय और प्रतिवादी को तर्क की गई घटना का स्वयम ज्ञान न हो और न उसे सूचना का आधार ही ज्ञात हो, तो अतिरिक्त प्रत्युत्तर दाखिल करने का प्रार्थना-पत्र स्वीकार नही किया जा सकता।[51]

---

[43] A. Hossain v. Mt. Chembelli, 85 C. L. J. 213, A I R. 1951 Cal. 262.

[44] Q A. Uddin v Hercules Insurance Co, A I R. 1953 Bom. 61.

[45] Abasand Oils Ltd. v Boiler Inspection and Insurance Co. of Canada, A I. R. 1950 P. C. 39.

[46] Narayanappa v Suryanarayana, A I. R 1950 Mad. 46.

[47] R. K Maskara v. G. K Kanodia, 53 C W. N. 284

[48] P. N Singh v J N. Singh, A I R. 1948 Oudh 307.

[49] Panna Lal v. Chiman Prakash, A. I. R 1947 Lah 54,

[50] Dassumal v. Kundanmal, I L R. 1945 Kar. 347.

[51] Chettiar v. Chettiar, AIR. 1953 Mad. 492.

Presumption of Law (Or. VI. R. 13 C. P. C)

वैधानिक अनुमान

किसी पक्ष को यह विशिष्ट रूप से तर्क करने की आवश्यकता नहीं है कि कोई हिन्दू विवाह ग्राह्य रूप (approved form) मे हुआ था, जब तक अन्यथा प्रमाणित हो यह माना जायगा कि प्रत्येक ऐसा विवाह ग्राह्य एवम् उचित ढंग से किया गया था।[52]

Signature and Verification (Or. VI R. 14 C P C)

हस्ताक्षर और सत्याकार

यदि एक से अधिक वादी हों तो वाद-पत्र पर किसी एक का हस्ताक्षर और सत्याकार काफी है।[53] यदि हस्ताक्षर और सत्याकार (Verification) वादी के स्थान पर वादी के पुत्र द्वारा कर दिया जाय तो ऐसी त्रुटि उचित प्रार्थना-पत्र द्वारा दूर की जा सकती है।[54] इसी प्रकार यदि वाद पत्र के हस्ताक्षर आदि मे कोई भूल वादी के प्रतिनिधि पत्र धारी से हो जाय तो वह वादी के हस्ताक्षर से सुधारी जा सकती है और यदि अवधि का प्रश्न न उठता हो तो ऐसी भूल महत्वहीन है।[55] वाद पत्र पर हस्ताक्षर न करने की त्रुटि का सशोधन अपील मे भी किया जा सकता है।[56] उपरोक्त सिद्धान्त प्रार्थना-पत्रों (applications) पर भी लागू होंगे।

Striking out Pleadings (Or. VI. R. 16 C P C)

प्रतिपादना का खण्डीकरण

आदेश १ नियम १०(२)के अन्तर्गत न्यायालय को पक्षों की प्रतिपादना के खण्डीकरण की और आदेश ६ नियम १६ के अन्तर्गत अनावश्यक प्रतिपादना के खण्डीकरण की शक्ति है।[58] जहॉ प्रतिवादी ने अपने प्रत्युत्तर मे वादी की पत्नी के चरित्र के विषय मे अपवाद जनक बातें इस आधार पर लिखी हों कि वह घटना को समझने के लिए आवश्यक थीं तो किसी स्त्री के विरुद्ध जो वाद मे पक्ष न हो ऐसा करना उचित नहीं समझा गया।[59] आगान्तुक जिसके विरुद्ध वाद के प्रतिपादना मे अपवाद जनक बातें कही गई हों ऐसी बातों को निकालने के लिए अनुमति की प्रार्थना कर सकता है, यद्यपि आगान्तुक को ऐसी अनुमति मागने का कोई अधिकार नहीं है।[60]

---

[52] S Deoraji v S Ganaji, 1951 N L J 222
[53] L Lal v Mangu, A I R 1950 Ajmer 30
[54] D Girdhari v B P Kotwal, I L R 1953 Bom 188
[55] Q Hussain v Mt S Bibi, I L R 1950 All 136
[56] S Pillai v S P Pillai, A I R 1948 Mad 369
[57] A K Sharafudin v S Jagadeesan, A I R 1950 Mysore 70
[58] R K Das v B Pd, A I.R. 1951 Pat 364.
[59] Jagannath v Baliram, 1950 N L J. 151
[60] L J Pd v R Chandra, 1949 A L. J 297

घटना के कथन, कितने ही अपवाद जनक क्यों न हों, यदि वे प्रासङ्गिक (relevant) हों तो प्रतिपादना से निकाले नहीं जा सकते।[61] परन्तु प्रत्युत्तर में जहाँ वादी के एजेन्ट को "अपारा" कहा गया हो ऐसे शब्द को अपवाद जनक और अनावश्यक होने के कारण निकाल देने की आज्ञा दी गई।[62] जहाँ धोका और दवाव से प्राप्त किए गए तथा प्रतिफल न देने के कारण किसी विक्रय पत्र को रद्द करने के वाद में प्रतिवादी के विरुद्ध वाद-पत्र में ऐसे कथन हों कि प्रतिवादी राज्य के शासन में हाथ रखता है और उस स्थान का वह अनुचित लाभ उठाता है, तो ऐसे कथन अनावश्यक ही नहीं परन्तु वाद के उचित रूप से तय किए जाने में रुकावट डालने वाले माने गए।[63]

Amendment of Pleadings (Or. VI, R. 17.)

प्रतिपादना का संशोधन

(1) प्रसार (Scope).

वाद-पत्र और प्रत्युत्तर के संशोधन के कुछ आवश्यक मूल सिद्धान्त एक ही से होते हुए भी उनमें कुछ भेद हैं। जैसे वाद-पत्र के संशोधन किए जाने में यह नियम है कि सशोधन ऐसा न हो जिससे वादी वाद मूल में तात्विक परिवर्त्तन कर सके या उसे स्थानापन्न कर सके। परन्तु प्रत्युत्तर के सशोधन किए जाने में ऐसा कोई नियम नहीं है अतः प्रत्युत्तर के सशोधन करने या उसमें कोई नवीन वात वढ़ाने पर वही समस्यांए नहीं उत्पन्न होतीं जो वाद-पत्र के वाद मूल के संशोधन से होती हैं जिसके फलस्वरूप न्यायालय प्रत्युत्तर का संशोधन वाद-पत्र के संशोधन से अधिक सरलता से आज्ञापित करते हैं।[64] जहाँ प्रत्युत्तर के संशोधन के लिए वादी उत्तर दाखिल करने की आज्ञा मिलने की शर्त पर सहमत हुआ हो तो वादी ऐसे संशोधित प्रत्युत्तर के उत्तर में दाखिल किए गए पत्र पर अपने वाद को आधारित कर सकता है।[65]

वाद-पत्र के सशोधन की प्रार्थना को वादी के मंशा के आधार पर न्यायालय खारिज नहीं कर सकता। यह वादी का अधिकार है यदि उससे विरुद्ध पक्ष को उत्पन्न हुए किसी मूल्यवान अधिकार की समाप्ति न होती हो।[66] सत्याकार (Verification) का सशोधन किया जा सकता है।[67] व्यवहार विधि संहिता में अपील के आवेदन-पत्र (Memoran-

---

[61] J. Pd Vs R Chandra 1949 A.L J. 297

[62] S. Pd. Vs R. Sarup I L R. 1945 All. 685

[63] G. Ammal Vs. H. H. Simoolam A I R. 1953 T. C 524.

[64] N. Paul Vs Steel Products Ltd A I.R 1953 Cal. 15

[65] Abasand Oils Ltd Vs. Boiler Inspection and Insurance Co. of Canada, A.I R 1950 P. C. 59

[66] Moyankutty Vs. Narain Nair, 1952 M. L. J. 683.

[67] Bandu Vs. Krishni, 1948 N.L J 1.

dum of appeal) के सशोधन के लिए कोई विशेप उपवन्ध नहीं है, परन्तु धारा १०७ का प्रभाव यह है कि जहाँ तक सभव हो वाद-पत्र के सशोधन के उपवन्ध अपील पर भी लागू किए जांय।[68] 'सहिता का गात्र' (Body of the Code) अधिकार क्षेत्र उत्पन्न करता है और आदेश और नियम उसके प्रयोग किए जाने की विधि वतलाते हैं। अत पट्टे की शर्तों को भग करने के आधार पर प्रतिवादी के निष्कापन (Ejectment) के वाद में यदि न्यायालय वाद-पत्र को पट्टा की समाप्ति के आधार पर सशोधन किए जाने की आज्ञा दे देवे क्योंकि प्रतिवादी ने वाद दाखिल किए जाने के पश्चात् पट्टे की अन्य और अतिरिक्त शर्तों को भंग किया है, तो ऐसी आज्ञा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से कोई सम्वन्ध नहीं रखती और न उसके अधिकार क्षेत्र को प्रभावित ही करती है। (Per Kania A C. J) "आदेश ६ नियम १७ अधिकार क्षेत्र से कोई सम्बन्ध नहीं रखता। न्यायालय को उसके सम्मुख प्रस्तुत किसी वाद मे प्रतिपादना को सशोधित किए जाने की आज्ञा देने का अधिकार है।" Per Chagla J [69]

वाद-पत्र के सशोधन के लिए तीन आवश्यक शर्तें हैं—(१) वादी के तरफ से सद्भाव (good faith) होना चाहिए (२) सशोधन से प्रतिवादी को कोई विशेप हानि न हो (३) सशोधन से वाद का स्वभाव परिवर्तित न हो जाय।[70] साधारण नियम यही है कि सशोधन के लिए अनुमति दे देना चाहिए जब तक कि सशोधन कराने वाला पक्ष दुर्भाव से कार्य न करता रहा हो या उसने अपनी त्रुटी से विपक्ष को कोई ऐसी हानि पहुंचाई हो जिसकी हर्जाने से क्षतिपूर्ति न हो सके।[71]

(ii) Discretion of Court
न्यायालय का स्वविवेक

ऐसे सशोधन करना न्यायालय का कर्त्तव्य है जिससे सारभूत न्याय (Substantial justice) किया जा सके। कानून का मूल सिद्धान्त संशोधन के पक्ष मे है विशेप कर जहाँ सशोधन न्याय करने के लिए आवश्यक हो।[72] वाद हेतु के निर्णय के लिए आवश्यक सशोधन की आज्ञा दे देनी चाहिए।[73] पक्षों को, न कि न्यायालय को निर्णय करना चाहिए कि उनके प्रतिपादना में क्या सशोधन आवश्यक है। न्यायालय पक्षों को कोई सशोधन करने के लिए विवश नहीं कर सकता न्यायालय तो प्रतिपादना से उठने वाले प्रश्नों पर

---

[68] I Haider Vs H Husain A I.R 1948 Pat 26.
[69] Sheshgirdas Vs Sunderrao A I R 1946 Bom 756
[70] S Tejlal Vs S Motilal, M A 97/40, Nag U R 178.
[71] Union of India Vs Shaliwar Tai Products, A I R. 1953 Pat. 131
[72] A Hossain Vs Mst Chembelli, A I R 1951 Cal 262.
[73] A Rahim Vs A Jabbar, A I R 1950 Cal. 3.

निर्णय देगा।[74]

ऐसे सब संशोधन जिनसे कोई अनुचित तथा अनावश्यक भार विरुद्ध पक्ष के ऊपर न पड़े आज्ञापित कर देना चाहिए और केवल वही संशोधन जिनकी क्षतिपूर्त्ति हरजाने से न हो सके, इन्कार करना चाहिए।[75] जहाँ वादी सम्पति में कोई अमुक अंश की स्वत्याचना करता हो, इस बात का संशोधन कि वह सम्पत्ति का स्वामी था आज्ञापित कर देना चाहिए क्योंकि इससे वाद का स्वाभाव नहीं बदलता।[76]

न्यायालय को संशोधन कराने की पूर्ण शक्ति केवल कुछ ही निर्बन्धनों (Restrictions) के साथ होनी चाहिए। एक तो निबन्धन यह है कि एक वाद-मूल के लिए दूसरा वाद मूल स्थानापन्न (Substitute) न करने देना चाहिए और दूसरा यह कि जहाँ संशोधन का प्रभाव प्रतिवादी का समय काल की गति से उत्पन्न कोई कानूनी अधिकार रद्द करना हो, तो वैसा सशोधन न करने देना चाहिए।[77] जहाँ वाद-पत्र का संशोधन केवल शब्द (Limited) लिमीटेड प्रतिवादी कम्पनी के नाम से हटाने के लिए इस आशय से हो कि वाद नीति के विरुद्ध माना जाय तो ऐसा सशोधन आज्ञापित कर देना चाहिए क्योंकि वह केवल प्रतिवादी का त्रुटि वर्णन है।[78]

(iii) Amendment to set up New Case.

नवीन वाद स्थापित करने के लिए संशोधन

जहाँ पत्नी ने त्यागने के आधार पर भरण पोषण के लिए वाद चलाया हो और दौरान मुकदमा पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो पत्नी अपने वाद-पत्र को इस घटना को सम्मिलित करने के लिए संशोधन कर सकती है और न्यायालय दौरान मुकदमा मे घटित घटनाओं पर, मुकदमे में ही नहीं परन्तु अपील की दशा मे भी विचार कर सकता है।[79] कानूनी सिद्धान्त के अनुसार ही संशोधन को शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा संशोधन जो एक नवीन वाद स्थापित करने के लिए हो जिससे पक्षों के बीच झगडे का मूल रूप परिवर्तन हो जाय आज्ञापित नहीं किया जा सकता।[80]

---

[74] V. M. Ittycheria Vs. C. Ouseph 1950 T C L R 47

[75] Lakshmipathiraju Vs. Venkataswami A.I.R 1916 Mad 321.

[76] K. Singh Vs. L Mal Civ. Rev. Patna No. 473 of 1942

[77] N. Nath Vs. G Pd A I R. 1946 Pat 408.

[78] National Industries Vs Sasson Rice Mills Ltd. A I R 1953 Cal. 381.

[79] K. S Deendayalu Reddy Vs. Lalithakumari A I R 1953 Mad. 402.

[80] Kanda Vs Waghu Pak. Cases. 1950. P C 36, A I R 1950 P. C. 68.

प्रतिपादना (प्लीडिङ्गस) में वाद पत्र और प्रत्युत्तर दोनों ही शामिल हैं अतः प्रतिवादी भी परिरक्षण (defence) के लिए सशोधन द्वारा एक नया वाद स्थापित करने के लिए साधारणत आज्ञापित नहीं किया जा सकता परन्तु प्रतिवादी असगत तर्क (inconsistent Pleas) ले सकता है और प्रत्येक तर्क का विचार उसके गुणों पर किया जायगा।[81]

(iv) Amendment beyond Limitation
मियाद के वाद संशोधन

अवधि काल (मियाद) व्यतीत होने के पश्चात् केवल विशेप दशाओं में ही सशोधन करने की आज्ञा दी जा सकती है। अत. जहाँ प्रतिवादी का गलत वर्णन दिया गया हो, सशोधन द्वारा ठीक किया जा सकता है।[82] जहाँ प्रतिवादी को समय काल की गति से उत्पन्न हुआ कोई अधिकार संशोधन के प्रभाव से नष्ट होता हो साधारणतः ऐसा सशोधन आज्ञापित न करना चाहिए परन्तु विशेष दशाओं में ऐसी आज्ञा दो जा सकती है।[83] अतः जहाँ वादी अपने किसी कानूनी अधिकार का अपनी गलती से ऐसे ढग से प्रतिपादन करता है जिसको कानून आज्ञापति नहीं करता तो उसको सशोधन करने की आज्ञा मिल सकती है।[84] जहाँ प्रतिवादी का कोई अधिकार सशोधन के प्रभाव से नष्ट होता हो वहाँ सशोधन का प्रतिषेधात्मक नियम केवल ऐसे कानूनी अधिकार पर लागू होते हैं जो प्रतिवादी को उत्पन्न हुए हों न कि केवल अवधि काल (मियाद) के ऊपर तर्क करने का अधिकार। अतः जहाँ सशोधन का प्रभाव कोई नया वाद-हेतु या नया परितोप उत्पन्न करने का न हो, सशोधन आज्ञापति कर देना चाहिए।[85]

(v) Amendment to add New Reliefs
नए परितोपों को बढ़ाने के लिए संशोधन

जहाँ अवशिष्ट दयादी (Residuary legatee) द्वारा प्रशासन (administration) पूरा होने और अवशेप का निश्चय किए जाने के पूर्व बटवारे का वाद चलाया जाय तो नालिश खारिज नहीं करनी चाहिए और प्रशासन की प्रार्थना बढा कर वाद-पत्र का सशोधन काफी होना चाहिए।[86]

---

[81] K Hamiduddin & others Vs Devidas & others C R No. 480/43 Nag

[82] National Industries Vs Sassoon Rice Mills Ltd A. I R 1953 Cal 381

[83] R N Saha Vs Shree Saraswati Press Ltd 1950 A.L J. 186.

[84] S. Radhakisan Vs. Radhakisan, I L R 1948 Cal 110

[85] A I R 1953 Hyd 212 Govardhan Bang Vs Union of India.

[86] J K Das Vs J N Das. A.I R 1949 F C. 64.

हैदराबाद में मुसलिम कानून के आधार पर हक़ शफा का वाद मालगुजारी कानून के अन्तंगत परितोष बढ़ाने का संशोधन आज्ञापति किया जा सकता है।[87] जहाँ विधवा अपने और अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए वाद स्वत्याचित किया हो परन्तु प्रार्थना खण्ड में केवल विधवा ही के लिए स्वत्याचित किया गया हो, तो न्यायालय को वाद शीर्षक (Cause Title) तथा परितोष का संशोधन आज्ञापति कर देना चाहिए।[88]

न्यायालय पश्चातवर्ती घटनाओं की सूचना ले सकता है और डिक्री के तारीख पर पाई गई परिस्थितियों के अनुसार अपनी डिक्री अनुरुपित कर सकता है। ऐसे दशाओं में न्यायालय को सशोधन आज्ञापित करने की शक्तियाँ बहुत अधिक हैं।[89]

प्रतिपादना का संशोधन आज्ञापित करने का मूल सिद्धान्त यह है (१)-क्या संशोधन जो कराया जा रहा है उचित है। (२) क्या वह पर्चों के विशेष मतभेद का प्रश्न निश्चय करने के लिए आवश्यक है। मुकद्मेबाजी रोकने के लिये और उसमें उत्पन्न प्रश्नों को अन्तिम रूप से तय करने के लिए यद्यपि इस नियम का उदार ढँग से व्यवहार करना चाहिए तथापि प्रतिपादना का संशोधन एक वाद-हेतु को दूसरे से स्थानापन्न करने या वाद का मूल कारण बदल ने के लिए आज्ञापित न करना चहिए।[90]

जहाँ कानून के परिवर्त्तन के कारण प्रतिवादी परितोषों के नवीन आधारों का अधिकारी हुआ हो वहाँ नवीन आधारों को बढ़ाकर प्रत्युत्तर का संशोधन किया जा सकता है।[91] ऐसा सशोधन जिससे प्रतिवादी को कोई धोका न हो या कोई अवधि काल व्यतीय स्वत्य का पुर्नजीवन न हो, आज्ञापित किया जा सकता है।[92]

(vi) Real Questions in Controversy

झगड़े के मूल प्रश्न

आदेश ६ नियम १७ के अर्थों के अन्तंगत पर्चों में विवाद के प्रश्न केवल वही हैं जो वाद-हेतु (Issues) के समय अर्थात् जब प्रतिवादी अपना प्रत्युत्तर दाखिल करे हों। उसमें ऐसे प्रश्न सम्मिलित नहीं हैं जिनके विषय

[87] K. L. Rao Vs. B. Singh A I R 1950 Hyd 43.
[88] J. Kissen Vs. R. Rakhi A.I R. 1950 H. P. 12.
[89] S Banerji Vs. Union of India 85 C L. J. 364.
[90] Bhimudu Vs. Pitchayya A.I.R 1946 Mad. 497.
[91] Sukya Vs. M. Isaq. A I.R. 1950 Bom. 236.
[92] A. R. Das Gupta Vs. B.N. Biswas. A I.R. 1950 Cal. 472.

में पक्षों के बीच उस समय तक कोई विवाद न हो।[93]

वाद-पत्र के सशोधन की प्रार्थना न्यायालय वादी की इच्छा (मंशा) के आधार पर इन्कार नहीं कर सकता। संशोधन जहाँ तक वह वादी के अधिकारों के अन्दर हों आज्ञापित करना चाहिये यदि उससे विपक्ष का कोई उत्पन्न हुआ अधिकार नष्ट नहीं होता।[94]

जहाँ वाद स्वीकार-पत्र के आधार पर हो और वादी ने कानून के अनुसार वाद पत्र न बनाया हो तो वहाँ वादी को मूल वाद हेतु सन्नहित करने के लिए वाद-पत्र को संशोधित करने की आज्ञा प्रदान कर दी गई।[95]

(vii) At any Stage of the Proceedings.

कार्यवाही की किसी स्थिति पर

यदि वाद बकाया किराया के लिए हो और प्रयोग और कब्जे के आधार पर क्षति पूर्ति की वैकल्पिक स्वत्याचना न हो न्यायलय प्रयोग और कब्जे के लिए क्षतिपूर्ति की डिक्री नहीं दे सकता परन्तु ऐसे क्षतिपूर्ति के लिए द्वितीय अपील में वाद पत्र का सशोधन आज्ञापित किया गया क्योंकि ऐसे वैकल्पिक प्रार्थना का जिक्र निम्न न्यायालयों के निर्णय में था यद्यपि वाद-पत्र में नहीं था।[96]

जहाँ अपील में प्रत्युत्तर के सशोधन से कानून के आवश्यक प्रश्न उठते हों जिसका लाभ प्रार्थीगण पाने के अधिकारी थे और उससे मुकद्मेबाजी का अन्त होता था तो सशोधन स्वीकार किया गया।[97] परन्तु जहाँ भिम्न अदालतों में वाद-पत्र के सशोधन के लिए कोई प्रार्थना पत्र न दिया गया हो और अपील मे लिखित प्रार्थना-पत्र देने के अवसर का प्रयोग न करके द्वितीय अपील की बहस के समाप्ति पर वाद पत्र के सशोधन की केवल मौखिक प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई।[98]

अपील का न्यायालय ऐसे व्यक्तियों को, जो व्यक्तिगत रूप से मुकदमा चलाते हों, प्रतिनिधि के रूप से मुकदमा चलाने की सशोधन करने पर, आज्ञा

---

93 B P Bhargava Vs Narayan Glass Works A I R 1949 Ajm 19 G Mal Vs Gyan Chand A I R 1950 Raj 20 Chunnilal Vs Deoram A I R 1948 Nag 119

94 Moyankutty Vs Narain Nair, 1952 M L J 683.

95 H Mal Vs S Dan. A I R 1952 Raj 7.

96 J K Banerji Vs K Paruli A I R 1951 Cal. 448.

97 Rajammal Vs Kanammal A I R. 1950 Mad. 695

98 D. Singh Vs D M Lal A I R. 1948 Lah 14

दे सकता है यदि ऐसे संशोधन से वाद का स्वभाव तात्विक रूप से नहीं बदलता ।[99]

न्यायाधीश संशोधन किसी समय आज्ञापित कर सकता है अपील की सुनवाई में भी अपील का न्यायालय संशोधन आज्ञायित कर सकता है परन्तु जहाँ न्यायाधीश ने निर्णय देते समय संशोधन आज्ञापित किया हो वहाँ घटनाओं के विचार पर ऐसा करना गलत नहीं माना गया ।[100] प्रतिपादना का संशोधन उचित वादों में किसी भी दशा (Stage) में आज्ञापित किया जा सकता है। अतः संशोधन-पत्र विलम्बता के आधार पर जहाँ मुकदमा की सुनवाई अन्वीक्षा (Trial) आरम्भ भी न हो, खारिज नहीं किया जा सकता ।[101]

(viii) Amendment by Court without Jurisdiction.

बिना अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा संशोधन

जहाँ न्यायालय जिसे वाद सुनने का आर्थिक अधिकार न हो, वाद-पत्र को संशोधन करने और उसे वापस लेने का और पुनः नवीन वाद चलाने की वादी को आज्ञा दे दे, तो ऐसी आज्ञा बिना अधिकार के आज्ञा दीगई मानी जायगी ।[102]

जहाँ न्यायालय के सम्मुख संशोधन को आज्ञापित करने से ऐसी समस्या उत्पन्न होती हो कि मूल स्वत्याचना न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र से अधिक की हो जाती हो तो न्यायालय को वाद-पत्र तथा संशोधन-पत्र ऐसे अन्य न्यायालय द्वारा विचारित किये जाने के हेतु वापस कर देना चाहिए ।[103]

जहाँ वाद आधिपत्य (Possession) के लिए हो वहाँ न्यायालय को पहिले विषय-वस्तु के मूल्य का निश्चय करना चाहिए और यदि उसे यह पता चले कि विषय हेतु उसके आर्थिक अधिकार क्षेत्र से अधिक का है तो न्यायालय को वाद-पत्र वापिस कर देना चाहिए ।[104]

---

[99] M Pillai Vs. S Pillai A.I R 1947 Mad. 205.

[100] Comr. of Police Vs. R Ram A I R 1946 Cal. 399.

[101] D Chetti Vs. A M. Krishna Swami Chetti A.I.R 1949 Mad. 467.

[102] H. C. Khan Vs. P Agrawallanie, A.I R. 1953 Assam 102.

[103] Lalji Ranchoddas Vs. N.R. Das A.I R. 1953 Nag 273

[104] Mutalaroma Vs. N. Swamy A.I.R. 1949 Mad 719

वाद्-पत्र (Plaints)

Particulars to be given in Plaint (Or VII R I C P C)

वाद्-पत्र में दिए जाने वाले विवरण

जब क्रेता विक्रेता के विरुद्ध माल न देने के लिए क्षतिपूर्ति का वाद चलाए तो क्रेता को अपने वाद-पत्र मे स्पष्टत कहना चाहिए कि उसने माल की मॉग किया क्योंकि ऐसा करना वाद हेतु का अंग है।[1]

न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वाद-पत्र मे किए गए कथनों के ऊपर आधारिता होता है परन्तु वाद-पत्र मे झूठे बयानों द्वारा वादी न्यायालय को अधिकार क्षेत्र नहीं दे सकता। जहॉं तक हो सके वादी को वाद-पत्र दाखिल करने से पूर्व घटनाओं को निश्चय कर लेना चाहिए।[2]

जहॉं वादी किरायादार की बेदखली के लिए वाद चलाए उसको वाद हेतु का पूर्ण व्योरा जैसे किरायादारी के प्रारम्भ होने की तारीख, किरायादारी समाप्त करने के नोटिस का देना तथा जिस तारीख को वाद हेतु वादी को उत्पन्न हुआ हो, वाद-पत्र में लिखना चाहिए। यदि वाद हेतु स्वामित्व के इन्कारी के ऊपर आधारित हो तो स्वामित्व के इन्कारी का कथन तथा नोटिस के देने का कथन करना आवश्यक है।

In Suits for Money (Or VII. R 2 C. P. C)

धन के लिये मुकदमों में

हिसाब का वाद केवल प्रधान (Principal) और अभिकर्त्ता (Agents) के ही बीच मे नहीं होता-जहॉं भी वादी को यह निश्चय कराने की आवश्यकता हो कि उसको कितना मिलना है वह न्यायालय से हिसाब करने के लिए एक प्रारम्भिक डिक्री दिए जाने के लिए कह सकता है।[3] हिसाब के मुकादमे मे वादी को यह दिखलाना होगा कि प्रतिवादी हिसाब देने का उत्तरदाई पक्ष है।[4] जहॉं वाद ऐसे धन के लिए हो जो अनिश्चित हिसाब के करने पर निकले वादी को अनुमानित धन का कथन करना चाहिए और उस पर कोर्ट फीस देना चाहिए।[5]

---

[1] Dinkerrai Vs Sukhdayal I L R 1948 Bom. 91
[2] D N Rege Vs M Haider. A I R 1946 All, 379.
[3] R D. Jai Dev Firm Vs Seth kaku, A I R 1950 E. P. 92.
[4] Kanhaya Lal Vs Hira Lal A I R, 1947 Bom 255.
[5] Kanhaya Lal Vs Hira Lal A I. R 1947 Bom 255.

In Suits relating to Immovable property. (Or. VII R. 3 C. P. C)

अचल सम्पत्ति के वाद में

अचल सम्पत्ति के वाद में विवाद की भूमि का, चाहे नकशे द्वारा या चौहद्दी के वर्णन द्वारा, पूर्ण विवरण देना आवश्यक है नहीं तो कार्य निष्पत्ति योग्य डिक्री नहीं दी जा सकती[6] जहाँ सम्पत्ति के विषय में कोई शंका हो तो अंकित चौहद्दी को मानना चाहिए।[7]

Liability of Defandants (Or. VII R. 5 C. P. C.)

प्रतिवादियों का दायित्व

यह कि सम्मिलित हिन्दू कुटुम्ब के कर्त्ता पर प्रतिनिधि के रूप में वाद चलाया गया है लिखना आवश्यक नहीं है।[8]

Exemption from Limitation (Or. VII R 6 C. P C.)

अवधिकाल से छूट

जहाँ वादी, अवधिकाल अधि नियम के धारा २० के अन्तर्गत मूल धन में आन्शिक भुगतान करने के आधार पर मियाद की छूट मॉगता हो, वह उपरोक्त विधि के धारा १९ अथवा स्वीकृत पत्र के आधार पर छूट मॉग सकता है।[9]

यदि वादपत्र में मियाद से छूट का आधार दिखलाया गया हो तो वह संहिता के अर्थों के अनुसार ठीक वादपत्र है और वादी, उसके विपरीत और असंगत (inconsistent) आधार मियाद की कठिनाई को बचाने के लिए दिखला सकता है।[10]

इस नियम का सिद्धान्त इजराय में विक्रय को हटाने के लिए दिये गए प्रार्थना पत्र पर भी लागू हो सकता है। जहाँ प्रार्थना पत्र मियाद के पश्चात् दिया जाय और धारा १८ की छूट प्रतिपादना से प्रगट न होती हो और लेटरस् पेटेन्ट अपील (Letters Patent appeal) में प्रथमवार मियाद से छूट का तर्क उठाया जाय तो ऐसा तर्क माननीय नहीं है।[11]

Relief Sought (Or. VII R. 7 C. P. C.)

मांगा गया परितोष

यद्यपि साधारण नियम यही है कि न्यायालय वाद चलाने की तारीख से पश्चातवर्त्ती घटनाओं पर अपना निर्णय देते समय ध्यान नहीं दे सकता, परन्तु

---

[6] Ch. Bhagat v. Horee Lal A. I. R. 1950 Pat. 306.

[7] S. Namboorıpad v. ch. Varıayathu A. I R. 1950 Trav. 19.

[8] T. Raojı v. Loukaran A. I. R. 1948 Nag. 393.

[9] T. Das v. S. Ram A I. R 1949 E. P. 219.

[10] Balkrıshna V. Subbaıeddy 1949 Mys. H. C. R. 387.

[11] Bojauna v. Krıstappa A. I. R. 1947 Mad. 268.

के कारण मूल वाद हेतु पर परितोष देना अनावश्यक हो गया हो ।[20]

Return of Plaint (Or. VII R. 10 C. P. C.)

(i) वाद पत्र की वापसी (आदेश ७ नियम १० व्य० वि० सं०)

जब आदेश ७ नियम १० के अन्तर्गत कोई वाद पत्र उचित न्यायालय में दाखिल करने के लिए वापिस कर दिया जाय तो वाद समाप्त हो जाता है और उसी वाद पत्र में स्वयम् नवीन स्वत्याचना और परितोष इस ध्येय से बढ़ाकर कि वाद पत्र उसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आ जाय जिसने उसको लौटया था और उसी न्यायालय में वाद पत्र को पुनः दाखिल करके वादी यह नहीं कह सकता कि वह पुराने मुकद्मे के सिलसिले में है। अतः जहाँ वादी अकिंचन (forma pauperis) की भांति वाद चलाना चाहता हो उसको आदेश ३३ नियम ३ के उपबन्ध पलन करना पड़ेगा ।[21]

ज्योंही न्यायालय इस मत पर पहुँचे कि उसको वाद सुनने का अधिकार क्षेत्र नहीं है उसे वाद पत्र को वापिस कर देना चाहिए और वह वादी को अपने स्वत्व को विभाजित करने या परित्याग किए गए स्वत्व के लिए वाद चलाने के लिए अनुमति नहीं दे सकता ।[22] और न वाद को खारिज कर सकता है ।[23]

(ii) प्रार्थना पत्रों की वापसी

जहाँ अकिंचन (pauper) की भांति नालिश दाखिल करने की आज्ञा के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया हो और आर्थिक अधिकार क्षेत्र के आधार पर उसपर आपत्ति की गई हो तो प्रार्थना पत्र को उचित अधिकार क्षेत्र के न्यायालय में दाखिल करने के लिए वापसी की आज्ञा, बिना अधिकार क्षेत्र के है ।[24] परन्तु मद्रास उच्च न्यायालय के अनुसार आदेश ३३ नियम १ के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र भी वाद पत्र है अतः जब न्यायालय को विषय वाद उसके अर्थिक अधिकार क्षेत्र के बाहर ज्ञात हो, तो ऐसे प्रार्थना-पत्र को उचित न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में दाखिल करने के लिए वापिस करना चाहिए ।[25] जहाँ वाद पत्र आदेश ७ नियम १० के अन्तर्गत वापिस किया जाय वहाँ

---

20 Isari Tiwari V. B. Pande A. I R. 1951 Pat. 318, S. K. Dhar V. G Chandra A. I R 1951 Assam 101, L Ammal V Narayanswami A. I R 1950 Mad. 321, M M Thakkar V A. P Chhatre A. I R. 1948 Bom. 396; M. Pd V Ram Charanlal A I R 1948 Nag 1.

21 P. Ammal V. M. Ammal 1951, M L. J. 446.

22 G. Tulsiram V. Kewerilal 1949 Bom. L. R. 494.

23 D. Ammal V. Board of Commis. For Hindu Religious Endowments Madras, A I R. 1947 Mad 373.

24 G. Missir V. C. Missir A. I R. 1950 Pat. 381

25 P. Padyachi V. Ulganathan, A. I. R. 1949 Mad. 162.

न्याय के हित में ऐसे न्यायालय को न्याय शुल्क (court fees) के धन वापसी की आज्ञा देनी चाहिए।[26]

Rejection of Plaint (Or. VII R. 11 C. P. C.)

प्रार्थना पत्र की अस्वीकृति

(i) वाद पत्र जो कोई वाद हेतु प्रगट न करे :—जहाँ कुछ प्रतिवादियों के विरुद्ध कोई वाद हेतु वाद-पत्र से प्रगट न होता हो, तो वाद-पत्र को खारिज न करना चाहिए परन्तु ऐसे प्रतिवादियों को मुक्त कर देना चाहिए।[27] आदेश ७ नियम ११ के अन्तर्गत न्यायालय को वाद-पत्र के अंश को अस्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है अतः जहाँ संविदा के रद्द किए जाने के लिए वाद में घोषणा (declaration) और निषेधाज्ञा (injunction) की भी प्रार्थना हो (यदि संविदा के रद्द किए जाने का वाद हेतु वाद-पत्र से प्रगट होता हो) तो वाद-पत्र अस्वीकार नहीं किया जा सकता।[28]

जब विवाद हेतु की सब घटनाएँ जिनपर परितोष आधारित हो वाद-पत्र में दी गई हों तो केवल विवाद हेतु के उत्पन्न होने के निष्कर्ष (inference) की गलत तारीख के कारण वाद-पत्र खारिज नहीं किया जा सकता।[29]

(ii) Under Valuation.

न्यून मूल्यनिर्धारण

जहाँ वादी ने परितोष का उचित मूल्यनिर्धारण करने की चेष्टा न की हो उसको ऐसा करने का अवसर देना चाहिए।[30] जहाँ वाद पत्र का मूल्यनिर्धारण कम हो, न्यायालय वाद-पत्र को सीधे ही बिना ऐसा अवसर दिये खारिज नहीं कर सकता।[31] वाद-पत्र में सम्भावना के लेखानुसार न्याय शुल्क (court fee) देय होता है न कि उस सम्भावना पर जैसा कि उसको लिखा जाना चाहिए।[32]

जहाँ वाद-पत्र दाखिल करने के पश्चात् कम मूल्यांकित प्रतीत हो वहां न्यायालय कमी कोर्ट फीस पूरा करने के लिये समय देने के लिए बाध्य है।[33] कोर्ट फीस ऐक्ट की धारा १२ को व्यवहार विधि संहिता के आदेश ७ नियम ११ के सम्बन्ध ध्यान में रखकर पढ़ना और अर्थ करना चाहिए, क्योंकि इन

---

[26] Anglo French Drug Co. Ltd. V. State of Bombay, 1950 Bom. L. R. 808.

[27] S. Balaji V. Shambhari I. L. R. 1949 Nag. 553.

[28] Manick Lal V. Shiva Jute Baling Ltd. 1945 C. W. N. 552.

[29] S. Bindraban V. Governor General in Council, A. I. R. 1947 Nag. 224.

[30] Kashiram V. Murlimanohar 1951 N. L. J. 38.

[31] S. Chettiar V. Raja Chettiar 1950 M. W. N. 120.

[32] Ratansing V. Ram Singh, I. L. R. 1945 Nag. 975.

[33] A. S. Deshmukh V. Mt. Bhagubai A. I. R. 1949 Nag. 263.

दोनों के बीच कुछ मतभेद है जिसके फलस्वरूप न्यायिक दृष्टान्तों में भी भेद हो गए हैं।[34]

(iii) Rejection on other grounds.

अन्य आधारों पर अस्वीकृति

धारा ८० की भाषा अनिवार्य है। केवल सूचना (नोटिस) का देना ही आवश्यक नहीं है परन्तु वाद-पत्र में इस कथन का होना भी आवश्यक है कि ऐसी नोटिस दी जा चुकी है और केवल तभी नालिश दायर की जा सकती है। जहाँ नोटिस देना आवश्यक हो परन्तु दी न गई हो और वाद-पत्र में इस प्रकार का कोई कथन न हो तो न्यायालय के सम्मुख कोई न्यायोचित वाद-पत्र नहीं है और उसको वाद पत्र खारिज ही करना चाहिए।[35]

Procedure at Rejection (Or. VII R. 12)

अस्वीकृति पर कार्य्य वाही

नियुक्त समय के अन्दर कोर्ट फीस न देने से वाद-पत्र आप ही आप खारिज नहीं हो जाता, आदेश ७ नियम १२ के अन्तर्गत वाद-पत्र के खारिज करने के आदेश की आवश्यकता है। नियुक्त समय के समाप्ति के पश्चात् उसको बढ़ाने के लिए परन्तु वाद-पत्र के खारिज करने के आदेश के पूर्व समय वृद्धि के लिये प्रार्थना-पत्र धारणीय है।[36]

Production of Documents (Or. VII R. 14)

प्रलेखों की प्रस्तुति

जब वाद-पत्र में किसी संविदा का कथन किया गया हो और दोनों पक्षो द्वारा स्वीकार किया जाय तो न्यायालय में प्रलेख को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और यदि प्रस्तुत किया जाय तो न्यायालय को उसे देखने की आवश्यकता नहीं है। यह सिद्धान्त उन संविदाओं (contracts) पर लागू किए जाते हैं जो रजिस्ट्री (Registered) न होने के कारण साबित नहीं किए जा सकते और उन संविदाओं पर भी जिनका अनुवाद अंग्रेजी में न होने के कारण उच्च न्यायालय उस पर ध्यान नहीं दे सकता।[37]

जहाँ त्रुटी केवल परिभाषिक (technical) हो जैसे भ्रान्ति से वाद-पत्र में आर्थिक प्रतिज्ञा पत्र के आधार पर नालिश न की गई हो, परन्तु वह उचित समय पर प्रस्तुत और साबित किया जाय, तो वाद पत्र को खारिज न करना चाहिए।[38]

---

[34] Nemichand V. The Edward Mills Ltd. A. I. R. 1953 S. C. 28.
[35] Hira Lal V. Mangtu Lal A. I R. 1947 Cal. 221.
[36] Kumaraswamiah V. K. Reddi A. I. R. 1947 Mad. 84.
[37] B. R Janefalkar V. D. M. Deshpande A. I. R 1946 Nag. 336.
[38] Ramchandra V. Madhukar C. R. 349. 46.D —Nag

अपनी प्रतिपादना में चाहे न भी उठाए।[5] यदि किसी सम्मिलित परिवार के कुटुम्ब के कर्त्ता द्वारा किए गए संविदा के लिये, विशिष्ट पूर्त्ति के परिवार के किसी सदस्य के विरुद्ध वाद लाया जाय और (यदि वादी का यह तर्क न हो कि विवाद सम्पत्ति उसके सम्मिलित परिवार का एक भाग है) तो संविदा का वैधानिक आवश्यकता बिना तथा सम्पत्ति के लाभ के न होने के कारण रद्द न होना उसके द्वारा स्वीकृत माना जायगा।[6]

अधिपत्य के वाद में वादी अपने ही मुकदमे के बल पर सफल हो सकता है और न कि प्रतिवादी के वाद की दुर्बलता पर। प्रतिवादी वादी के स्वत्व के दोष प्रतिपादना में दिखलाए बिना उसे अन्वीक्षा (Trial) में प्रयोग कर सकता है।[7]

जहाँ मियाद के अपत्ति के लिए आधारित सब सामग्रियाँ न्यायालय के सामने न हों या वादी को उसका सामना करने के लिए उचित अवसर न मिला हो और वह उस विन्दु का उत्तर देने के लिए सब साक्ष्य प्रस्तुत न कर सके, तो न्यायालय मियाद के तर्क पर विचार करने से इन्कार कर सकता है। परन्तु यदि इस प्रकार की कोई कठिनाई वादी के सामने न उपस्थित होती हो तो प्रतिवादी को उस विन्दु पर न्यायालय सुनेगी।[8]

Denial to be Specific (Or. VIII R. 2 and 5)

इन्कार स्पष्ट होना चाहिए

जहाँ वाद के एक ही परिच्छेद (Paragraph) में कई कथन हों तो प्रतिवादी को वाद में कहे गए कथनों का स्पष्ट रूप से तर्क करना चाहिए प्रतिवादी का प्रत्युत्तर में केवल यह कथन "कि वाद-पत्र का परिच्छेद स्वीकार नहीं है" उचित्त नहीं है।[9]

संहिता के अनुसार वाद पत्र में विवाद हेतु के स्पष्ट कथन, स्पष्ट रूप से इन्कार किए जाने चाहिए।[10]

स्पष्ट रूप से इन्कार न होने पर न्यायाधीश यह अनुमान कर सकता है कि घटना स्वीकृत है।[11]

आदेश ८ नियम ५ के अन्तर्गत अनुमान केवल तभी किया जाता है जब प्रतिवादी प्रत्युत्तर दाखिल करे और उस प्रत्युत्तर में किसी घटना को स्पष्ट रूप से इन्कार न करे या यह न कहे कि वह अस्वीकृत है। यदि प्रत्युत्तर

---

[5] M. Jagannath V. K Gokul I. L. R. 1950 Nag 105.

[6] J Pd. V. K. L. Daruka, A I. R. 1950 Pat 535.

[7] R. Pheran V Shri Ram A I. R. 1947 Oudh 174.

[8] K K Bagavathi V. Kalyani Appeal No. 148 of 1940.

[9] G Pd V P. Kumar, A. I. R. 1949 All 173.

[10] Pitambar V. Lakshmidhar, A. I R. 1949 Orissa 64

[11] Dominion of India V. Firm C. Premji A. I. R. 1951 Nag. 357.

दाखिल नहीं होता तो यह नियम लागू नहीं होता।[12] जहाँ वाद-पत्र में कई घटनाओं का कथन हो और प्रतिवादी उनसे इन्कार करना चाहता हो तो उसे प्रत्येक घटना को पृथकतः इन्कार करना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो यह माना जायगा कि इन घटनाओं को उसने स्वीकार कर लिया है।[13]

बेदखली के मुकदमे मे प्रतिवादी को वादी के स्वामित्व की त्रुटियों के लिए तर्क करना आवश्यक नहीं है। केवल वादी के स्वामित्व से इन्कार काफी है और उसका लाभ प्रतिवादी उठा सकता है।[14]

Particulars of Set off (Or. VIII R 6)

प्रति-अभ्यर्थन का विवरण

(i) विस्तार (Scope)

जहाँ प्रत्युत्तर दाखिल करने के पूर्व ऋण अदा या बेबाक हो जाने का प्रतिवाद हो, वह भुगतान का तर्क माना जायगा और जहाँ वह स्वत्व को, प्रत्युत्तर दाखिल करने के पश्चात् समाप्त करने को हो, वहां वह प्रति-अभ्यर्थन (set-off) का तर्क माना जायगा।[15]

आदेश ८ नियम ६ के अनुसार प्रति-अभ्यर्थन के अधिकार को प्रतिवादी को प्रत्युत्तर में तर्क की भाँति लिखना चाहिए। यदि स्थापित हो सके तो वह वादी के स्वत्व का उत्तर है। प्रत्युत्तर मे प्रति-अभ्यर्थन का वही प्रभाव होता है जैसा कि प्रतिवाद (Cross Suit) मे वाद-पत्र का, अर्थात् न्यायालय मूल स्वत्व और प्रति-अभ्यर्थन में एक अन्तिम निर्णय एक ही डिक्री द्वारा दे सकता है। परन्तु प्रति-अभ्यर्थन को वाद पत्र न समझना चाहिए।[16]

अपकर्त्ता (wrong doer) के हक में जिसने दूसरे का धन न दिया हो कोई नीत नहीं होती। वह अपने अपव्यवहार का लाभ नहीं उठा सकता अतः यदि उस धन के लिए जिसके लिए वह पृथक वाद दाखिल कर सकता था, न दाखिल किया हो और उसका स्वत्व मियाद काल के व्यतीत होने के कारण रद्द हो गया हो तो उसकी कोई सहायता प्रति-अभ्यर्थन के तर्क पर नहीं की जा सकती।[17]

(ii) Equitable Set-off

न्याय संगत प्रति-अभ्यर्थन

प्रतिस्वत्व (counter-claim) प्रतिरक्षात्मक उपाय (defensive measure)

---

[12] Bhura'al V Kan Singh S. C No. 109 of 1950

[13] 1949, N L J 189 and A I R 1949 Nag 394.

[14] J Narain V A Khan I. L. R. 1946 Kar 24; A I. R 1946 P.C 59

[15] Muslim Bank V. H Shiraza A I R 1951 Hyd 57.

[16] Andhra Paper Mills Co Ltd. V. Anand Bros. A I. R. 1951 Mad 783.

[17] B. N. Singh V B Singh A. I. R. 1952 S. C. 201.

के रूप में प्रति-अध्यर्थन कहलाता है ।[18]

प्रति- अभ्यर्थन दो प्रकार के हो सकते हैं (१) कानूनी और (२) न्यायसंगत जहाँ रकम निश्चित हो और कानून से वसूल होने योग्य हो वह कानूनी प्रति-अभ्यर्थन होता है। जहाँ रकम अनिश्चित हो और उसको पाने का कानून से अधिकार प्रतिवादी को हो परन्तु केवल सुनीति (Equity) के आधार पर, तो वह न्यायसंगत प्रति-अभ्यर्थन कहलाता है। कानूनी प्रति-अभ्यर्थन पाने का प्रतिवादी को अधिकार होता है परन्तु न्यायसगत प्रति-अभ्यर्थन न्यायालय के स्वविवेक (discretion) पर निर्भर है। चाहे प्रति-अभ्यर्थन कानूनी हो अथवा न्यायसंगत प्रति वादी को उसके लिए डिक्री केवल आवश्यक न्याय शुल्क (Court Fees) देने ही पर मिल सकती है ।[19]

इजराय डिक्री की कार्यवाहियों मे क्षतिपूति के आधार पर प्रति-अभ्यर्थन नहीं दिलाया जा सकता और व्यवहार विधि सहिता के विरुद्ध है ।[20]

(iii) Same Character of Parties.

पक्षों का एक ही रूप हो

आदेश ८ नियम ६ के अन्तर्गत प्रतिवादी की प्रति-अभ्यर्थन की स्वत्या-चना के लिए पक्षों का दोनों वादों में एक ही रूप होना आवश्यक है। अतः सह-भागी द्वारा लम्बरदार के विरुद्ध गांव के मुनाफे के लिए वाद में लम्बरदार किसी डिक्री का प्रति-अभ्यर्थन, जो उसने वादी तथा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध सम्मिलित रूप से पाई हो, नहीं करा सकता क्योंकि ऐसे वाद में वादी और प्रतिवादी का भिन्न भिन्न रूप है ।[21]

किसी बेची हुई भूमि का न दिए गए विक्रय धन के लिए, विक्रेता के वाद पर क्रेता को पिछले मुनाफे की रकम के लिए प्रति-अभ्यर्थन दिलाया जा सकता है क्योंकि दोनों ही स्वत्व एक ही विवाद हेतु से उत्पन्न होते हैं ।[22]

(iv) न्याय शुल्क (Court fees)

प्रति-अभ्यर्थन के स्वत्वयाचना पर प्रतिवादी को न्याय शुल्क देना होगा और यदि न दिया जाय तो न्यायालय ऐसे स्वत्व पर विचार नहीं करेगा ।[23]

New Grounds of Defence (Or. VIII R. 8)

प्रतिरक्षा के नये आधार

मुकदमे बाजी को कम करने के लिए न्यायालय मुकदमा दाखिल करने के पश्चात् की घटनाओं पर विचार कर सकता है, परन्तु ऐसे करने के लिए वह

---

[18] S Pandey V M. Saran, A. I R. 1952 Pat. 73
[19] Muslim Bank V S Shiraj A I. R 1951 Hyd 57.
[20] K Rao V G. Bairagi A I R 1947 Mad. 57
[21] K Baldeo V. R. A. Prasad A I. R. 1949 Nag. 193.
[22] Perayya V. Kondayya A I R 1948 Mad 430
[23] J. Amma Vs U. Paily 1949 K. L T. 194.

बाध्य नहीं है। मुकदमा दाखिल होने की तारीख तक की घटनाओं पर निर्णय होना उचित है।[24]

अनुपूरक प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए अनुमति देने के समय न्यायालय उसके दाखिल होने के विलम्ब के कारणों पर विचार करता है और इस पर भी कि वे विवाद जो अब लिए जाते हैं पहिले क्यों नहीं लिए गए।[25]

Subsequent Pleading (Or. VIII R. 9)

पश्चातवर्ती प्रतिपादना

घटनाओं के प्रमाण के ऊपर निर्भर तर्कों को प्रतिवचन (Rejoinder) में न उठाना चाहिये।[26] यदि न्यायालय द्वारा निश्चित तारीख पर या विवाद हेतु के बनाए जाने से पूर्व तारीख पर प्रतिवादी प्रत्युत्तर दाखिल न करें तो उसका प्रत्युत्तर दाखिल करने का अधिकार नहीं रहता।

प्रत्युत्तर दाखिल होने के बाद या कुछ विवाद हेतुओं पर निर्णय दिये जाने के पश्चात् वादी प्रतिवचन (Rejoinder) दाखिल नहीं कर सकता यदि अतिरिक्त घटनाओं के तर्क करने की आवश्यकता हो तो वाद-पत्र का सशोधन करा लेना चाहिये और प्रति-वचन (Rejoinder) दाखिल न करना चाहिये।[27]

Party failing to file W. S. when called upon by Court (Or VIII R. 10 C P. C)

न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्युत्तर के दाखिल न करने पर

प्रत्युत्तर दाखिल किये जाने की मांग की जा सकती है परन्तु उसके दाखिल न होने पर बिना वादी के प्रमाण दिये ही निर्णय दिया जा सकता है।[28]

---

[24] S. K. Dhar Vs. G Chandra A. I R 1951 Asm. 101.
[25] V Bhormal Vs Poonja A I R Kutch 27
[26] R Koer Vs R. Bahadur A. I. R. 1951 All 443
[27] Gurusanthaya Vs Veerayya 1952 M W N. 354
[28] Chaganlal Vs Dwarkadas. 1948 N L G 44

पद्मा प्रिंटिंग प्रेस, इलाहाबाद।

FOREWORD TO THE SECOND EDITION

[By the Hon'ble Mr. Shyam Krishna Dar, Retired Judge, Allahabad High Court, and Chairman Linguistic Commission for India].

In the concluding portion of the introduction to the first Edition of this book the author who was my distinguished senior in Agra College and at the Allahabad Bar, had stated that it was the belief of some people that of all the competing languages of India, Hindi in Devanagari script stood the best chance of becoming *lingua franca* of the country and that he would consider his labour in writing this book amply rewarded if this book in some way could serve the cause of the Hindi language. The recent happenings in India have brought the Author's belief much nearer realisation than it ever was before, and in the all round development and enrichment which now awaits Hindi, this book is likely to prove a valuable contribution in the field of law and of legal literature.

The pleadings in this country in the mufassil are the result of the adaptation of the Mohammedan practice to the needs of the British administration of justice ; and two successive enactments of the Civil Procedure Code in 1882 and in 1908 have not yet been able to rid it completely of the influence of the Mohammedan petition writers or oriental hyperbole or indefiniteness. And it still continues to serve in some measure at least as an instrument of invective and of attacking the motive and character of one's opponent ; and it is still not merely and exclusively what it is intended to be *viz.* a concise statement of facts and law which go to make a claim or a defence.

The drafting of a satisfactory pleadings is a work of skill and of art, but the skill and art consists in close study of the case, in clear thinking, in sound knowledge and in the power of effective expression which the draftsman brings to bear on the task before he sets his pen on the paper, and not in the use of flowery language, invective or rhetoric or in the vagueness which is at once an excuse for want of clear thought and a device to spring

up a possible surprise on one's opponent. It may not be given to every legal practitioner to be a successful draftsman just as it is not given to every lawyer to be a successful advocate or a judge, but it is possible for every legal practitioner to master a few simple legal principles and a few simple technical rules which should enable him to draft pleadings which might satisfy the essential requirements of law and justice and are not disfigured by extraneous matter which has no proper place in pleadings.

The original Urdu book was written almost a generation ago by the late Mr. Panna Lal with the avowed subject of calling attention of the Mufassil practitioners to the evils which surrounded the pleadings and of furnishing them with a true and trustworthy guide in drafting pleadings The Author who was both a successful draftsman and a successful lawyer, from his own rich experience and store of knowledge succeeded in producing a book which on its first appearance was universally acclaimed by the Bench and the Bar as a valuable contribution on the subject. That the book ran through two editions in Urdu and one Edition in Hindi in the Author's life time and that the book is still in demand and the third Urdu Edition and Second Hindi edition are being issued, shows the popularity and utility of the book and how well the work was done by the Author.

This edition of the book has been prepared by the Author's son Mr. Hari Pal Varshni of the U. P Judicial service, who had cooperated with him in the preparation of the first edition, and who while retaining all essential features of his father's book, has enriched it with additional matter which materially adds to the utility of the book. That this book has a long life and utility before it I have no doubt ; and I have only to add my respectful tribute to the memory of the Author and my sincere appreciation of his son's labour in bringing out another edition of this work.

37, Canning Road,
Allahabad.

(Sd.) S. K. Dar.

द्वितीय आवृत्ति के लिये प्रा न

—:o:—

[लेखक :–माननीय श्री श्यामकृष्ण दर भूतपूर्व जज प्रयाग हाई कोर्ट तथा सभापति भारतीय लिंग्युस्टिक कमीशन]

इस पुस्तक की प्रथम आवृत्ति की भूमिका के अंतिम-भाग में ग्रंथकार ने, जो कि आगरा कालेज तथा इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेरे विख्यात अग्रज थे, यह लिखा था कि कुछ लोगों का यह विश्वास है कि इस देश की सर्वव्यापी भाशा बनने के लिये प्रतियोग करने वाली समस्त भारतीय भाषाओं में सबसे सुन्दर अवसर हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि को है और यह कि यदि यह पुस्तक किसी प्रकार से हिन्दी भाषा का पक्ष समर्थन कर सके तो ग्रंथकार उसको लिखने के अपने परिश्रम को प्रचुर मात्रा में पारितोषिक समझेंगे। निकट कालीन घटनाओं ने ग्रंथकार के इस विश्वास को पिछले समय की अपेक्षा बहुत कुछ वास्तविकता के निकट पहुँचा दिया है और सर्वतोमुखी प्रगति एव समृद्धि जो कि हिन्दी की प्रतीक्षा कर रही है, उन के लिये यह पुस्तक राजनियमिक साहित्य के क्षेत्र में एक बहुमूल्य दैन होगी।

इस देश में बाहर के स्थानों में जो वाद प्रतिवाद लेख प्रचलित हैं वह आंग्ल शासन के न्याय वितरण की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित की हुई मुसलमानी शैली का फल है और वर्ष १८८१ व तदुपरान्त १९०८ के दीवानी व्यवहार-विधि संग्रह के संस्करण अब तक उस लेखन को यावनी आवेदन पत्र लेखकों तथा पूर्वीथ आतिशयोक्ति व अनिश्चितता के प्रभाव से पूर्णतया छुटकारा नहीं दिला सके और यावनी शैली अब तक अधिक नहीं तो अंशरूप में अवश्य ही तीव्र निंदा तथा अपने विपक्षी की मनोवृत्ति व उसके चरित्र पर आक्षेप करने की एक यंत्र बनी हुई है। यह शैली अब तक वह वस्तु नहीं हो पाई जो कि उसका होना उद्दिष्ट है अर्थात् उन घटनाओं व राजनियमों का, जो कि वाद व प्रतिवाद को बनाते है, एक संक्षिप्त वर्णन।

संतोषजनक वादपत्र व प्रतिवाद पत्र का प्रकार बनाना एक कला व प्रवीणता का कार्य है परन्तु वह प्रवीणता व कला, वाद के घनिष्ठ अध्ययन, विशुद्धविवेचन, पूर्ण विद्वता तथा अपने विचारों को प्रभावकारक रीति से प्रगट करने की शक्ति में है जिनको कि निबन्धकारक निबंध के आरम्भ के पूर्व से ही प्रयोग में लाता है न कि सुशोभित या अलंकारिक भाषा, निन्दा या संदिग्धता में, जो कि विशुद्ध विचार के अभाव का केवल एक बहाना तथा अपने प्रति पक्षी पर सम्भवत आकस्मिक आक्रमण करने के लिये रखी जाती है। सफल निबन्ध लेखक होना प्रत्येक अभिभाषक के भाग्य में न हो जैसा कि प्रत्येक अभिभाषक के भाग्य में सफल एडवोकेट या राजनियमों का पंडित अथवा न्यायाधीश होना नहीं होता परन्तु इतनी बात प्रत्येक अभिभाषक के लिये संभव है कि वह राजनियम सम्बन्धी कतिपय मूल सिद्धांत

तथा इस कार्य सम्बन्धी विशेष नियमों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लें जिस से कि वह ऐसे वाद प्रतिवाद पत्रों के निबंध बना सकें जो कि राजनियमों व न्याय की सारभूत आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें और वह वाद प्रतिवाद पत्र ऐसी आवश्यक बातों के सन्निवेश के कारण बिगड़े हुए न हों जिसके लिये कि उन में कोई उचित स्थान नहीं है।

लगभग एक पीढ़ी का समय हुआ कि ग्रन्थकार ने मौलिक उर्दू पुस्तक दूरवर्ती अभिभावक गण का ध्यान प्रचलित वाद प्रतिवाद लेखन शैली से लिपटी हुई बुराइयों की ओर आकर्षित करने और उनको वाद प्रतिवाद पत्रों के लेखन में सच्चे व विश्वसनीय पथ प्रदर्शन करने के स्पष्ट उद्देश्य से लिखी थी।

ग्रन्थकार जो कि एक सफल निबन्ध लेखक तथा साथ ही एक सफल अभिभावक भी थे अपने निजी समृद्ध अनुभव तथा विद्वत्ता के भंडार से ऐसी पुस्तक लिखने में सफल हुये जिस के प्रथम प्रकाशन पर ही समस्त न्यायाधीश व अभिभावक वर्ग ने उस पुस्तक को इस विषय के लिये सर्व सम्मति से एक बहुमूल्य देन मान कर उसकी प्रशंसा की। ग्रंथकार के जीवन में इस पुस्तक की दो आवृत्ति उर्दू में और एक हिन्दी में निकलना और पुस्तक की अब भी माँग होना तथा तृतीय उर्दू संस्करण व द्वितीय हिंदी संस्करण का निकलना पुस्तक की उपयोगिता व लोक प्रियता के तथा इस बात के द्योतक हैं कि ग्रंथकार ने उक्त कार्य कितने सुचारु रूप से सम्पन्न किया था।

पुस्तक का यह संस्करण ग्रंथकार के सुपुत्र श्री हरिपाल वार्ष्णेय सिविल जज ने सम्पन्न किया है। श्री वार्ष्णेय ने पुस्तक की पहली आवृत्ति के तय्यार करने में भी ग्रंथकार को सहयोग दिया था। और अब उन्होंने अपने पिता की पुस्तक की सारभूति आकृतियों को स्थापित रखते हुये इस पुस्तक को अतिरिक्त विषयों द्वारा समृद्ध कर दिया है जिसके कारण पुस्तक की उपयोगिता में विशेष वृद्धि हो गई है। मुझे इस में कोई सन्देह नहीं है कि इस पुस्तक का जीवन व उपयोगिता बहुत विशाल है मुझे केवल ग्रंथकार की स्मृति में अपनी सम्मानयुक्त श्रद्धांजलि तथा उनके सुपुत्र के इस अतिरिक्त संस्करण के निकालने के परिश्रम पर अपनी सच्ची व हार्दिक प्रसन्नता का समावेश करना है।

१७, कैनिंगरोड
इलाहाबाद

एस० के० दर

भूमिका

इस पुस्तक की प्रथमावृत्ति ५ वर्ष हुये समाप्त हो गई परन्तु विश्वव्यापी युद्ध के कारण कागज और छपाई की अन्य सामग्री की कमी हो जाने से दूसरा संस्करण, बहुतायत से माग होने पर भी अब तक नहीं निकाला जा सका। पिछले २ वर्ष में देश में बड़े बड़े परिवर्तन हो गये हैं परन्तु पुस्तक को आधुनिक तम (up-to-date) और अभिभाषक समुदाय के लिये पूर्ण हितकारी बनाने का प्रयत्न किया गया है।

प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय श्री पन्नालाल जी ने उर्दू प्लीडिंग की पहिली आवृत्ति आज से २० वर्ष पूर्व निकाली थी। उसके प्रकाशित होते ही उसका बहुत आदर और स्वागत हुआ और न्यायसम्बन्धी समूहों में उसने विशेष सम्मान प्राप्त किया। उसके उपरान्त पुस्तक की तीन उर्दू आवृत्तियाँ और एक हिंदी संस्करण भी निकाला गया जिनकी कि सर्वश्री सर बैंजमिन लिन्डसे (जो कि उर्दू फारसी के विद्वान् और पहिले प्रयाग हाई कोर्ट के जज तथा उसके उपरान्त ओक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में न्याय के प्रोफेसर हुये), चीफ जस्टिस सर शाह मुहम्मद सुलेमान, जस्टिस सर सैयद अब्दुल रऊफ, चीफ जज सर सैयद वजीर हसन, जस्टिस कन्हैया लाल, डा० सुरेन्द्रनाथ-सेन जैसे न्यायाधीश व न्याय पडितों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की और जिसको कुछ विश्व विद्यालयो ने अपनी न्याय की पाठावली (Course) में भी रक्खा।

अभाग्य से हमारे देश में प्लीडिंग की शिक्षा, अधिकाश विश्वविद्यालयों में विशेष रूप से नहीं दी जाती और राजनियम (कानून) की परीक्षा प्राप्त कर लेने पर भी नये वकील को वाद प्रतिवाद और अनेक प्रकार के आवेदन पत्र लिखने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ वर्ष तक अनुभवी वकीलों के साथ काम सीखने की प्रणाली जो विलायत और कुछ अन्य देशो में प्रचलित है, हमारे देश में अभी तक सफल और संतोष जनक सिद्ध नहीं हुई है और अभिभाषक समुदाय में प्रविष्ट होने वाले की सहायता के लिये ऐसी पुस्तक का होना परमावश्यक है।

इस संस्करण में पुस्तक को दो भागो में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में प्लीडिंग के सिद्धान्त और नियम व्याख्या सहित दिये गये हैं और द्वितीय भाग में अनेक प्रकार के वाद पत्र, प्रतिवाद-पत्र, आवेदन-पत्र, शपथपत्र, विवादपत्र, इत्यादि के नमूने उदाहरण और अनुकरण के लिये दिये गये हैं जिनसे नये वकील को अपने काम में सहायता मिले। प्रसिद्ध-पाडुलिपि लेखक श्री पन्नालाल जी की लिपियाँ जहाँ तक हो सका है ज्यों की त्यो ही रखी गई हैं, परन्तु प्रत्येक पद की प्राथमिक टिप्पणियों में उस विषय सम्बन्धी सब सूचनायें कोर्ट-फीस, अवधि इत्यादि सहित दे दी गई हैं। प्रथम भाग के पहिले तीन अध्यायो में नियमों की व्याख्या और उनका स्पष्टीकरण विस्तार-पूर्वक कर दिया गया है और शपथपत्र, विवाद-पत्र और अन्य प्रकार के आवेदन-पत्रों के विषय में चतुर्थ अध्याय नया बढाया गया है, इस-आवृत्ति की एक विशेषता यह है कि विलायती और इस देश के पूर्व न्याय दृष्टान्त (नजीरें) निम्नाकित सकेतों से दे दिये गये हैं और अन्त में अंग्रेजी और लैटिन (Latin) के न्याय-सम्बन्धी शब्दों की एक सूची हिन्दी, उर्दू पर्यायवाची शब्दों सहित दी गई है जो कि आशा

की जाती है कि पत्र-लेखको को अत्यन्त सहायक होगी। अभिप्राय यह है कि प्रस्तुत पुस्तक को अपने विषय में अँग्रेज़ी स्वीकृत ग्रन्थो के अनुकूल बनाने का पूर्ण रूप से प्रयत्न किया गया है।

हिन्दी पुस्तक लिखने में सब से अधिक कठिनाई यह हुई कि न्याय सम्बन्धी अरबी फारसी के बहुत से शब्द, जो वाद, प्रतिवाद और आवेदन पत्रों में प्रयुक्त होते हैं उनके पर्यायवाची और समान शब्द हिन्दी बोल चाल में नहीं मिलते। बहुत से अरबी, फारसी के शब्द वर्षों से प्रयोग होते होते ऐसे हो गये हैं कि उनको अनपढ़ ग्रामीण भी भली भाँति जानने और बोलने लगे हैं, ऐसे शब्दों के स्थान में संस्कृत निकास के कठिन व प्रचलित शब्द रखना पुस्तक की उपयोगता को कम करना है। बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनके समान वाची शब्द हिन्दी में होना कठिन है जैसे शुफा, महर, तलाक़ इत्यादि। अँग्रेज़ी भाषा की शब्दावली सब भाषाओं से विशाल होने पर भी अँग्रेज़ी न्यायालयों में न्याय सम्बन्धी लैटिन (Latin) और अन्य भाषाओं के शब्द बहुतायत से प्रयोग किये जाते हैं। अतः हिन्दी भाषा को सर्वोपयोगी बनाने के लिए यह अनिवार्य है कि अन्य भाषाओं के कुछ विशेष शब्द अपनाये जावे।

सब बातों पर दृष्टि रखते हुये इस पुस्तक में यह मार्ग ग्रहण किया गया है कि अन्य भाषाओं के शब्दो की स्थान पूर्ति के लिये हिन्दी में जो सरल और बोल चाल के पर्यायवाची शब्द मिलते हैं वह प्रयोग में लेलिये गये हैं परन्तु जिन शब्दो के पर्याय वाची हिन्दी शब्द कठिन या कम बोल चाल के हैं उनको वैसा ही रहने दिया है अथवा उनको कोष्ठक में लिख दिया गया है, और प्रचार बढ़ाने के लिये समान वाची हिन्दी शब्दो को एक ही पद में प्रयोग किया गया है जैसे नाबालिग और अवयस्क (न कि अप्राप्त वयस्कता), क़ाबिज़ और अधिकृत वसीयत और निष्ठा, ज़ामिन और प्रतिभू इत्यादि, उर्दू के साधारण शब्द जैसे शर्त, शिकायत इत्यादि का भी प्रयोग किया गया है और भाषा को सरल और साधारण बोल चाल की बनाने का ध्यान रक्खा गया है।

माननीय श्रीमान् श्यामकृष्ण जी दर ने इस संस्करण का प्राक्कथन लिखने का कष्ट किया है इस कृपा के लिये मैं उनका बहुत आभारी हूँ। यदि यह पुस्तक हिन्दी भाषा को न्याय विभाग में प्रचलित करने में और अभिभाषक समुदाय के लिये हितकारी हो तो मैं अपने परिश्रम को सफल समझूँगा। भाग अधिक होने के कारण यह पुस्तक बहुत शीघ्रता में प्रकाशित की गई है और मुझको उसके प्रूफ (Proof) देखने का अवकाश नहीं मिल पाया अतः लगभग समस्त प्रूफ मेरे पुत्र चि० यतेन्द्रपाल वार्ष्णेय ने ही देखे हैं। उनके इस कार्य में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं आशा करता हूँ कि पाठक गण उसे क्षमा करेंगे।

७, एडमान्स्टन रोड
इलाहाबाद
१० जून सन् १९४९ ई०

हरीपाल वार्ष्णेय

विषय-सूची

द्वितीय अध्याय— वाद-पत्र या अर्जीदावा ३६—६०

विषय पृष्ठ

तृतीय अध्याय– प्रतिवाद-पत्र, जवाब दावा या बयान तहरीरी ६१—८४

चतुर्थ अध्याय,– आवेदन पत्र, शपथ-पत्र, और विवाद-पत्र ८५-९२

द्वितीय भाग

प्रथम अध्याय–वाद-पत्रों के नमूने ९३-४०१

१—ऋण या क़र्ज़ा

विषय पृष्ठ

२—अदायगी ज़ायद

३—माल की क़ीमत

४—मजदूरी व नौकरी

विषय पृष्ठ

२२—प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति (Specific Performance)

२३– २६—रहन सम्बन्धीवाद—

२३—जायदाद के नीलाम के लिये दावे

विषय पृष्ठ

३७—स्वत्व घोषणा (इस्तक़रार) की साधारण नालिशें

विषय पृष्ठ

विषय पृष्ठ

द्वितीय अध्याय—प्रतिवाद-पत्रों के नमूने ४२२–५०५

विषय | पृष्ठ

विषय पृष्ठ

तृतीय अध्याय— शपथपत्र, प्रार्थनापत्र इत्यादि ५०६—५६०

विषय | पृष्ठ

प्रस्तावना

प्लीडिंग से क्या जाता है

वह लेख जिससे मुद्दई (वादी) अपनी शिकायत अदालत के सामने रखता है और उसकी सहायता (दादरसी) चाहता है, वादपत्र, अर्जीदावा या अर्जी नालिश कहलाता है और मुक़द्दमा उस समय से शुरू हो जाता है जब अर्जीदावा, मुद्दई या उसका वकील अदालत में दाख़िल कर देता है। यदि वह नियमानुसार हो और उसमें कोई त्रुटि या ख़राबी न हो तो अदालत से मुद्दायलह के नाम सम्मन् जारी होता है, जिसमें मुकदमे की सुनवाई के लिये एक तारीख़ नियत होती है और मुद्दायलह को सूचना दी जाती है कि जो कुछ प्रतिउत्तर उसको करना हो, उस तारीख पर आकर करे।

सम्मन् की तामील हो जाने पर नियत तारीख पर मुद्दई के मुक़द्दमे के जवाब में मुद्दायलह अपना लिखित बयान दाख़िल करता है जिसको प्रतिवाद पत्र, जवाबदावा या बयान तहरीरी कहते हैं। अर्जीदावे और बयान तहरीरी से अदालत यह निश्चय करती है कि दोनों पक्षों में कौन सी बातों पर झगड़ा नहीं है और कौन सी बातें ऐसी हैं कि जिनके सम्बन्ध में झगड़ा है।

कभी अर्जीदावा या बयान तहरीरी में, और कभी दोनों में कुछ खोट या ख़राबी होती है और कभी ऐसा होता है कि उन दोनों से झगड़े के हालात निश्चित नहीं होते और अन्य बातें मालूम करने की आवश्यकता होती है। इन दोनो दशाओं में अदालत, मुद्दई या मुद्दायलह, या दोनों को अतिरिक्त बयान दाख़िल करने की आज्ञा देती है और दोनों पक्ष उस आज्ञा का पालन करते हैं। कभी फ़रीक़ैन अपने आप एक दूसरे के बयानों के जवाब में या किसी वार्ता की व्याख्या करने के लिये हालात लिख कर अदालत के सामने पेश करते हैं और कभी अदालत स्वयं असली हालात जानने के लिये या फरीक़ैन के मुक़द्दमा को सीमित करने के लिये उनसे या उनके वक़ीलों या पैरोकारों से सवाल करके उनके जवाब लिखती है[1]। यह सब प्लीडिंग कहलाते हैं और उनसे झगड़े वाली बातें (निज़ाई अमूरात) निश्चय की जाती हैं जो तनक़ीह कहलाती हैं और जिनका निश्चय करना मुक़द्दमे के फ़ैसले के लिये आवश्यक होता है।

परन्तु प्लीडिंग के पूरे आशय में अर्जीदावे और बयान तहरीरी के अतिरिक्त वह सब बयान भी आ जाते हैं जो फ़रीक़ैन की ओर से तनकीह नियत होने से पहिले किये जाते हैं। हिन्दी भाषा में कोई एक उपयुक्त और पूरा अर्थ

---

1 Haji Fakirbux v Thakur Pd, A I R 1941 Oudh 457

रखने वाला शब्द नहीं है जो प्लीडिंग के मतलब और मानी को उचित रूप से प्रगट कर सके। यही कारण है कि हिन्दी के संग्रह ज़ाब्ता दीवानी के अनुवाद में प्लीडिंग शब्द को ज्यों का त्यों रख दिया है और उसकी जगह में कोई अन्य हिन्दी या उर्दू का शब्द काम में लाने का प्रयत्न नहीं किया। "बयान मुक़दमा" प्लीडिंग के स्थान में, अन्य उचित शब्द न होने की दशा में काम में लाया जा सकता है। इस पुस्तक में प्लीडिंग शब्द और कहीं कहीं उसके अर्थ में "बयान मुकदमा" प्रयोग किया जावेगा। बयान मुकदमे से, साधारण रूप में, अभिप्राय मुद्दई के अर्ज़ीदावे और मुद्दायलह के बयान तहरीरी से होगा। लेकिन उसके पूरे मानी में मुकदमे के वह सब ज़बानी और तहरीरी बयान फ़रीक़ैन के शामिल होंगे जो उन्होंने तनक़ीह हो जाने से पहिले या तनक़ीह क़ायम होने के लिये किये हों[1]।

प्लीडिंग का अभिप्राय और प्रयोजन

प्लीडिंग या बयान मुक़दमे का सबसे पहिला और मुख्य अभिप्राय यह होता है कि वे बातें जिनकी बाबत दोनों पक्षों में झगड़ा होता है और जिनके फैसले की आवश्यकता होती है, निश्चय और नियत हो जाती हैं जिसके कारण से मुकदमे के निर्णय करने में समय और मेहनत दोनों की बचत होती है और दोनों पक्ष नियत की हुई झगड़े की बातों से इधर उधर जाने से रोक दिये जाते हैं[2]।

दूसरा अभिप्राय यह होता है कि प्रत्येक पक्ष को प्रत्यक्ष और ठीक प्रकार से यह ज्ञात हो जाता है कि दूसरे पक्ष का क्या मुक़दमा है जिसका उसको जवाब देना और मुकाबला करना है और किसी फ़रीक को अचानक और असावधानी की हालत में मुकदमा लड़ने का डर नहीं रहता। प्रत्येक पक्ष उचित रूप से सबूत व शहादत् इकट्ठा और पेश कर सकता है और अपने मुकदमे की पैरवी के लिये तैय्यार हो सकता है[3]।

तीसरा लाभ प्लीडिंग का यह होता है कि एक संक्षिप्त और स्पष्ट लेख हमेशा के लिये बना रहता है जिससे भविष्य में झगड़ा होने की दशा में तुरन्त मालूम हो जाता है कि कौन कौन सी बातें फ़रीक़ैन के बीच में तय हो चुकी हैं और उनकी बाबत मुकदमे बाज़ी नहीं हो सकती।

प्लीडिंग की वर्तमान दशा

प्लीडिंग की बनावट और तैय्यारी का ढंग, इस देश में कानूनी शिक्षा बहुत ऊँचे दर्जे पर पहुँच जाने और ज़ाब्ता दीवानी में प्लीडिंग के नियम सम्मिलित

[1] Md. Vahiya v Rahim Ali, A. I R. 1929 Lah 165., 1945 Cal. 218

[2] Per Jessel M R in Throp v Holdsworth, (1876) 3 Ch D. 637

[3] Per Lord Halsbury in Syed Mohd. v Fateh Mohd, 22 I A I L R. 22 Cal 324 (331) P C.

हो जाने पर भी, शोचनीय और अधूरी दशा में है। सैकड़ों मुक़दमे प्रति दिन ऐसे होते हैं जिनमें अनुचित या अधूरे प्लीडिंग से असली झगड़े का फ़ैसला नहीं होने पाता या उसका कोई विशेष भाग या भाव छूट जाता है जिससे अनावश्यक और बेकार मुकदमेबाज़ी पैदा हो जाती है। बहुत से क़ानूनी उज्र प्रगट होने से रह जाते हैं या उस समय में प्रगट किये जाते हैं जब उनके सुनने और तजवीज़ करने का समय नहीं रहता। कोई प्लीडिंग बहुत लम्बा और बहस से भरा हुआ होता है, किसी में अनावश्यक और बे मतलब का ि होता है और असली और जरूरी उज्र नहीं दिये जाते या अधूरी तरह पर उनका सङ्केत मात्र होता है और उनके सम्बन्ध में ज़रूरी बातें नहीं लिखी जातीं। लिखने का ढग और बयानात का सिलसिला भी नियमानुसार नहीं होता, यहाँ तक कि जो इनकार या स्वीकार एक दूसरे बयानों की बावत किये जाते हैं वह भी उचित प्रकार से नहीं लिखे जाते[1]।

बहुधा यह देखा गया है कि जब वकील लोग धारा ४१, सम्पति परिवर्तन विधान[2] का उज्र करते हैं तो उसके सम्बन्ध में वे बातें नहीं लिखते जो उस दफ़े का आवश्यक भाग हैं और जिनके बिना वह दफा लागू नहीं होती। इसी तरह एसटापिल (Estoppel—रोक बाद) का उज्र करते हुये दूसरे फ़रीक के उस बयान, फ़ेल (कार्य्य) या तर्क फेल (चूक) का ज़िक्र नहीं किया जाता जिसको उस फ़रीक ने सच मान कर और जिस पर भरोसा करके काम किया हो। इसी प्रकार से अँगीकारी और ढील (Acquiescence and Laches) के मसले की बाबत भी वह वाक़यात पूरी तरह से बयान नहीं किये जाते जिनसे नालिश का हक़ हुआ हो। पुरन्याय (*Res judicata*), जो मामूली और आम उज्र है, वह तक भी उचित प्रकार से नहीं लिया जाता। स्वीकृति या अंगीकारी (Ratification), निर्वाचन (Election), जुआ (Wager) इत्यादि के उज्र की बाबत भी यही हालत देखने में आती है, और यही दशा अन्य विधानों की विभिन्न धाराओं के विरोध पर होती है।

अनुभव में तो यहाँ तक आया है कि मुद्दायलह रुक्का या तमस्सुक की नालिश में सिर्फ़ झगड़े वाले व्यवहार से ही नहीं वरन् मुद्दई के साथ कोई लेन देन या सम्बन्ध होने से भी इन्कार करता है परन्तु बयान तहरीरी जो उसकी ओर से दाखिल होता है उससे यह अभिप्राय प्रगट नहीं होता, सिर्फ़ झगड़े वाले मामले से ही इनकार पाया जाता है और इस कमी से मामले की रंगत पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। एक मुद्दायलह ऐसा है जिसने मुद्दई से वह कर्ज़ा जिसका दावा है नहीं लिया मगर और कर्ज़े लिये और दिये हैं, दूसरा मुद्दायलह ऐसा है कि जिसने न झगड़े वाला कर्ज़ा लिया और न किसी और कर्ज़े के लेने का उस को मुद्दई से सरोकार पड़ा। ऐसे मुद्दायलह की तरफ़ से केवल यह बयान तहरीरी

---

1 A I R. 1938 P C 147, 1931 Cal 458

2 Transfer of Property Act

दाखिल करना कि मुद्दायलह ने झगड़े वाला कर्ज नहीं लिया और न झगड़े वाला तमस्सुक लिखा, कितना अन्तर डाल सकता है।

बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो एक फ़रीक़ के विरुद्ध जाती हैं और वह फ़रीक़ उनको जान बूझ कर अपने प्लीडिंग में नहीं लिखता और बहुत से महाशय इस प्रकार की कार्य्यवाही को एक प्रकार की बुद्धिमानी समझते हैं। परन्तु जब वे बातें दूसरे ओर के प्लीडिंग में आती हैं तो छिपाने वाले फरीक़ पर अदालत को धोका और झाँसा देने का सन्देह होता है और बहुधा करके अदालत का विश्वास उसकी ओर से हट जाता है और फिर उसका ठीक से जवाब देना असंम्भव हो जाता है और मुकदमें में दोप उत्पन्न हो जाता है। सारांश यह है कि बहुत सी कमी ऐसी हैं जिनका प्लीडिंग के ठीक और नियमानुसार तैय्यार करने के लिये दूर होना जरूरी है, और बहुत सा विस्तार और बे मतलब का बढ़ाव ऐसा है जिसका बंद करना आवश्यक है। प्लीडिंग के रूप और उसकी प्रणाली को ठीक करने की भी आवश्यकता है।

अब तक त्रुटियाँ दूर न होने के कारण

पश्चिमी प्लीडिंग के नियमों के जानने वाले बैरिस्टर, और एडवोकेट प्रायः हाईकोर्टों में काम करते हैं जहाँ पर नम्बरी (इबतदाई) मुक़द्दमे नहीं सुने जाते और न फ़ैसल होते हैं। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास के हाईकोर्टों में, जहाँ कुछ नम्बरी मुकदमें सुने जाते हैं, प्लीडिंग अंग्रेजी में दाखिल होती हैं और नियमानुसार होती हैं। इन प्रान्तों में प्रायः ९९ प्रतिशत मुक़द्दमें मुफस्सिल की अदालतों में फैसल होते हैं जो उर्दू या उस प्रान्त की भाषा में निर्माण होते हैं और उनको वह लोग तैय्यार करते हैं जिनको पुराने ढग की आदत पड़ी हुई है और जिनके लिये पुरानी आदत छोड़ना और नई जानकारी प्राप्त करके उसको काम में लाना कठिन होता है।

नये वकील महाशय जो पेशे में दाखिल होते हैं उनकी शिक्षा अंग्रेजी में होती है। उनको प्रान्त की भाषा से जिनमें प्लीडिंग दाखिल होते हैं, न अनुराग होता है और न उसमें उनको उचित योग्यता लिखने पढ़ने की और बयान मुक़द्दमा अच्छी तरह शुद्धता के साथ तैय्यार करने की होती है। शब्दों का उल्था करने और मजमून बनाने में उनको तरह तरह की कठिनाइयाँ पड़ती हैं और उनके सुभीते और सहारे के लिये कोई ऐसी पुस्तक नहीं थी जिससे वह आवश्यकता के समय सहायता ले सकें। कुछ थोड़े से नमूने जो ज़ाब्ता दीवानी की परिशिष्ट में दिये हुये हैं वे साधारण मामलों से सम्बन्ध रखते हैं, जो टेढ़े और गूढ़ मामले प्रत्यक्ष होते हैं उनके लिये उन नमूनों से प्लीडिंग तैय्यार करने में बहुत कम सहायता मिलती है।

इस किताब का प्रयोजन

नये वकीलों को वकालत आरम्भ करने पर प्लीडिंग की इस अधूरी दशा, में

बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसके सिवाय सर्वसाधारण की जानकारी और शिक्षा के लिये भी आवश्यक है कि प्लीडिंग की तैय्यारी और उसके नियमों पर कोई माननीय पुस्तक हो। यह पुस्तक इसी आवश्यकता की पूर्ति करने के विचार से लिखी गई थी। आशा है कि जिनके लिये यह परिश्रम किया गया है वह उससे लाभ उठायेंगे।

पुस्तक की स्कीम

पुस्तक दो भागों में विभाजित है—प्रथम भाग में अर्जीदावा, जवाबदावा, भिन्न भिन्न प्रकार की दरख्वास्तें इत्यादि लिखने के नियम व्याख्या सहित दिये गये हैं और द्वितीय भाग में प्रत्येक प्रकार के अर्जीदावा, बयान तहरीरी और दरख्वास्तों के नमूने दिये गये हैं।

प्रथम भाग के प्रथम अध्याय में प्लीडिंग के साधारण नियमों का, जो जाब्ता दीवानी संग्रह के आर्डर ६ में दिये हुये हैं, व्याख्या सहित उल्लेख किया गया है। द्वितीय अध्याय में अर्जीदावा के विषय में आर्डर ७ में दिये हुए विशेष नियमो को समालोचना सहित दिया गया है और अर्जीदावा लिखने के लिये आवश्यक आदेश और उनके सम्बन्ध में उपयोगी अन्य बातें लिखी गयीं हैं। इसी प्रकार तृतीय अध्याय में बयान तहरीरी या जवाबदावा लिखने के नियम (जो आर्डर ८ मे दिये हुए हैं) आवश्यक व्याख्या व समालोचना सहित लिखे गये हैं। इस भाग के चतुर्थ अध्याय में दरख्वास्त, बयान हलफी और याददाश्त अपील लिखने के नियम दिये गये हैं।

द्वितीय भाग में हर प्रकार के अर्जीदावे, बयान तहरीरी और दरख्वास्तों के भिन्न भिन्न प्रकार के नमूने दिये गये हैं। इस भाग के भिन्न भिन्न प्रकरण जाब्ता दीवानी संग्रह में दिये हुए नमूनों के विचार से नियत किये गये हैं क्योंकि साधारण नालिशें प्राय: दो प्रकार की होती हैं, (१) जो प्रतिज्ञा पर निर्भर हो (Baped on Contract) और (२) जो किसी प्रतिज्ञा पर निर्भर न हो (Baped on Tort etc)। इनके अतिरिक्त अचल सम्पति के सम्बन्धित नालिशें पृथक होती हैं। भिन्न भिन्न विषयों के प्रबन्ध में यह भी ध्यान रखा गया है कि इस कला में प्रविष्ट होने वाला भी सरलता और सुगमता से अपने कार्य्य में निपुण हो सके।

द्वितीय भाग के अन्त में साधारण प्रार्थना-पत्रों के अतिरिक्त, जो जाब्ता दीवानी सग्रह के विभिन्न धाराओं के अन्तरगत दी जाती हैं—शपथ-पत्र (बयान हलफी), अपील-पत्र (मूजबात अपील) और विशेष दरख्वास्तों के नमूने जो अन्य विधानों पर आधारित हैं जैसे, सरक्षक को नियत करने और हटाने के लिये, या अवयस्क की सम्पत्ति परिवर्तन के लिये[1] उत्तराधिकार के सार्टीफिकेट या

[1] (Under the Guardians and Wards Act, VIII of 1890)

निष्ठापत्र के प्रोबेट के लिये[1], रहन का रुपया जमा करने के लिये[2] और देवालिया क़रार दिये जाने के लिये)[3], के नमूने भी दिये गये हैं। इस भाग से नये वकील और मुहर्रिरों को विशेष रूप से और मुख्तार व कारिन्दों को साधा- रूप से सहायता मिलेगी।

---

[1] (Under the Indian Succession Act, XXXIX of 1925)
[2] (Under the Transfer of Property Act, IV of 1882)
[3] (Under the Insolvency Act, V of 1920)

प्र भाग

प्लीडिङ्ग के साधारण नियम

सन् १६०८ ई० के पहले ज़ाब्ता दीवानी में प्लीडिङ्ग के कोई नियम नहीं थे। एक्ट नं० ५ सन् १६०८ ई० की ज़ाब्ता दीवानी में, जो आजकल भी प्रचलित है, कानून बनाने वालों ने प्रथम बार ऐसे नियमों को सम्मिलित किया और उनका एक पृथक आर्डर, नम्बर ६, नियत किया। इस आर्डर में एकत्रित किये हुए नियम प्लीडिङ्ग की उस प्रणाली पर बने हुए हैं जो इङ्गलैण्ड में जूडिकेचर एक्ट (Judicature Act) से प्रचलित हुए और जो दीवानी के मुक़दमों के लिये प्लीडिङ्ग की सबसे अच्छी प्रणाली समझी जाती है।

प्लीडिङ्ग के साधारण नियम ज़ाब्ता दीवानी के आर्डर ६ नियम नं० २, ४, ६, ८ से १३ तक में दिये हुए हैं (Order VI Rules 2, 4, 6, 8 to 13 Civil Procedure Code)। इस आर्डर के दूसरे नियम भी प्लीडिङ्ग की तैयारी से ध रखते हैं इसलिये सुविधा के लिये इस अध्याय में आर्डर ६ के कुल नियमों को व्याख्या सहित दे दिया गया है जिससे अर्ज़ीदावा या बयान तहरीरी लिखने वाला प्लीडिङ्ग के सिद्धान्तों को भली भाँति सके और उसको प्लीडिङ्ग की तैयारी में उचित सहायता मिल सके।

नियम नं० १ (Order. VI. Rule 1, C. P. C)

प्लीडिङ्ग से अभिप्राय अर्ज़ीदावा या बयान तहरीरी से होगा।

प्लीडिङ्ग के के विषय में पहिले लिखा जा चुका है। प्लीडिङ्ग से प्रायः अभिप्राय अर्ज़ीदावा या बयान तहरीरी से होता है, क्योंकि जो कुछ एतराज़ या बयान फ़रीक़ैन तनक़ीह होने से पहिले करते हैं वे इन्हीं दोनों का भाग समझे जाते हैं। सिद्धान्त से मुद्दई का कुल अर्ज़ीदावा में, और मुदायलेह का कुल मुक़दमा बयान तहरीरी में होना चाहिये।

पहली प्रणाली यह थी कि मुद्दई के अर्ज़ीदावा के जवाब में मुदायलेह की ओर से बयान तहरीरी दाख़िल होती थी और मुद्दई उसका जवाब दाख़िल करता था और मुदायलेह उस जवाब का भी प्रतिउत्तर दाख़िल कर सकता था। कभी कभी इसके बाद भी फ़रीक़ैन एक दूसरे के प्लीडिङ्ग का जवाब दाख़िल करते थे और यह शृङ्खला चलती रहती थी। धीरे धीरे इसमें कमी होती गयी और वर्त्तमान संग्रह के अनुसार प्रायः मुद्दई की ओर से अर्ज़ीदावा और मुदायलेह की ओर से जवाब दावा ही दाख़िल करने की प्रथा रह गई है। परन्तु निम्नलिखित ओं में दोनों पक्ष अर्ज़ीदावा व जवाब दावा दाख़िल हो जाने के बाद भी के सामने अतिरिक्त बयान तहरीरी पेश कर सकते हैं,—

(१) नियम नं० ५ के अनुसार यदि अदालत स्वयं, एक अतिरिक्त और उत्तम बयान अर्जीदावा या जवाब दावे का या प्लीडिंग में लिखी हुई किसी विशेष घटना के निस्बत आवश्यक समझे तो किसी पक्ष को ऐसा बयान दाखिल करने की आज्ञा दे और उस पक्ष को आज्ञा का पालन करना होता है।

(२) नियम नं० १६ के अनुसार अदालत किसी फरीक़ को आज्ञा दे सकती है कि वह अपनी प्लीडिंग को बदल देवे या उसको सही कर देवे और ऐसी सब शुद्धियाँ उचित होती हैं जो कि फरीक़ैन के असली झगड़े को निपटाने के लिये आवश्यक हों।

(३) जब अदालत मुक़दमें की पहली पेशी पर अर्जीदावा और बयान तहरीरी को पढ़ती है और मुक़दमें के हालात जानने के लिये फरीक़ैन या उनके पैरोकारों से मुक़दमे के वाक़यात पूछती है और आर्डर १० नियम २ के अनुसार यह बयान लिखे जाते हैं। यह कुल बयान भी प्लीडिंग के भाग समझे जाते हैं।

वर्तमान संग्रह के अनुसार अर्जीदावा और बयान तहरीरी के दाख़िल हो जाने के बाद यही तीन परिस्थिति हैं जिनसे प्लीडिंग की वृद्धि की जा सकती है और प्रत्येक पक्ष का मुक़दमा इन पर आधारित होना है और मुक़दमे की अन्तिम अवस्था तक उन बयानों की सहायता ली जा सकती है।

ध्यान रहे कि मुफलिसी की दरख्वास्त जब तक मंजूर न हो जावे प्लीडिंग या बयान मुक़दमा नहीं कही जा सकती, मन्जूर हो जाने पर वह अर्जीदावा बन जाती है।[1] इसी तरह एक वकील का बयान[2] या दरख्वास्त इजराय डिगरी[3] प्लीडिंग का भाग नहीं होती।

नियम नं० २ (Or VI, Rule 2)

प्लीडिंग में केवल एक संक्षिप्त बयान उन वायात तत्व मुक़दमा का लिखा जावेगा जिन पर किसी फ़रीक को अपना दावा या जवाब दही करना मन्जूर है लेकिन कोई सबूत जिससे वह व घटनाएँ प्रमाणित की जावें नहीं लिखे जायेंगें। हर प्लीडिंग में नम्बरवार प्रकरण लिखे जावेंगे, और तारीख़ और रक़में और नम्बर अङ्कों में लिखे जावेंगे।

यह नियम सब से आवश्यक व महत्वपूर्ण है और इसमें प्लीडिंग के असली सिद्धान्त संक्षिप्त रूप में लिख दिये गये हैं। ध्यान से पढ़ने से पता लगता है कि इस नियम में नीचे लिखी हुई मुख्य बातें हैं।

(१) प्लीडिंग में वाक़्यात या घटनाएँ लिखी जावें।
(२) वह वाक़्यात तत्व मुकदमा या मुकदमें का आधार हो।
(३) और केवल ऐसे वाक़्यात ही लिखे जावें।

---

[1] A I R 1914 Mad 256 (258), 1932 Lah 548
[2] A I R. 1929 Oudh 204 at page 206
[3] A I R. 1916 Pat. 39 (41)

(४) उनका एक संक्षिप्त बयान हो।

(५) कोई सबूत जिससे वह वाक़यात साबित किये जावें न लिखा जावे।

(६) लिखने का ढग क्या हो।

जैसा नियम न० १ में कहा गया है मुद्दई अपनी शिकायत अर्जीदावे में लिखता है और मुद्दायलेह उसका उत्तर अपने जवाब दावे में लिखकर अदालत के सामने पेश करता है। उन दोनों को चाहिये कि जो घटनाऐं शिकायत और उसके उत्तर में आवश्यक हों उनको अपनी अपनी प्लीडिंग में लिखे जिससे अदालत जान सके कि फरीक़ैन में किन बातों पर झगड़ा है और वह कैसे पैदा हुआ। मुद्दई को चाहिये कि वह कुल बातें लिखे जिनसे उसका हक़ और क़ब्ज़ा झगड़े वाली चल या अचल सम्पति के निस्बत में प्रगट हो और वे बातें भी लिखी जावें जिनसे मुद्दायलेह का मुद्दई के स्वत्व और अधिकार में हस्तक्षेप करना प्रगट हो। क़ानूनी शब्दों में ऐसी कुल घटनाऐं मुद्दई का स्वत्व उत्पन्न करने वाले वाक्यात कहलाते हैं और उनसे मुद्दई का मुक़दमा प्रगट व स्पष्ट हो जाता है और मुद्दायलेह जान लेता है कि उसको किन किन बातों का जवाब देना है।

इसी प्रकार मुद्दायलेह को अपने जवाब में वह कुल घटनाएँ लिखनी चाहिये जो मुद्दई के लिखे हुए वाक्यात को स्वीकार करें या उनसे इनकार करती हों और वह बातें भी लिखनी चाहिये जिनके कारण मुद्दायलेह ने वह कार्य किया या नहीं किया है जिसकी मुद्दई ने शिकायत की। इसके अतिरिक्त यदि मुद्दायलेह को मुद्दई के हक़ से इनकार हो या उसका हक़ मुद्दई से प्रथम हो तो वह वाक्यात भी लिखे जावें जिनसे यह प्रगट होता हो। अभिप्राय यह है कि दोनों पक्ष वह कुल बातें अपनी अपनी प्लीडिंग में लिखें जो उनकी सफलता के लिये और अदालत की जानकारी के लिये आवश्यक हों।

(१) प्लीडिंग में वाक़यात हों

प्लीडिंग वाक़यात लिखने के लिये होती है और उस में वाक़यात ही लिखे जाना चाहिये न कि क़ानून जो उन वाक़यात से लागू हो या जो क़ानूनी अधिकार किसी फरीक़ को उन वाक़यात से पैदा होते हों। यह दोनों बातें लिखना ऐसी भूल है जो प्राय: बहुत पाई जाती हैं। साबित हुये वाक़यात पर क़ानून लगाना जज का काम है न कि फरीक़ मुक़दमा का।[1]

फरीक़ मुक़दमा का काम है कि वह झगड़ा वाले मामले के सम्बन्ध में जो कुछ वाक़यात हों, तारीख़वार और ठीक ठीक बयान करे उनसे क्या अधिकार या ज़ुम्मेदारी किसी पक्ष की पैदा होती है वह अदालत के तजवीज़ करने का काम है। बिना उन

---

[1] A. I. R 1943—Mad 190, 1930 Bom 511

घटनाएँ के बयान किये हुये कि जिनसे क़ानूनी अधिकार या ज़ुम्मेदारी पैदा होती हो, केवल अधिकार या ज़ुम्मेदारी को प्लीडिंग म बयान कर देना अनुचित होता है।[1]

उदाहरणः—रास्ता रोकने के मुक़दमे में केवल यह लिखना कि मुद्दई को अधिकार हक़ आसायश (सुगमता का अधिकार) रास्ता का मुदायलेह की ज़मीन पर, जो मकान मुद्दई के सामने पड़ी हुई है, हासिल हैं प्लीडिंग के सिद्धान्त के विरुद्ध है। मुमकिन है कि हक़ आसायश किसी (अतिया) दान से मिला हो या बटवारे ज़ायदाद से, या लगातार बीस साल तक उन दशाओं में उस अधिकार को काम में लाने से प्राप्त हुआ हो जो क़ानून हक़ आसायश एक्ट न० ५ सन् १८८१ की धारा १५ में लिखीं हैं। इसलिये जब तक वह वाक़यात न लिखे जावें जिन की वजह से क़ानूनी विचार से वह अधिकार पैदा हो गया है केवल ऐसे अधिकार का लिख देना नियम के विरुद्ध है।

इसी प्रकार विरासत (दाय) के मुक़दमों में बिना पीढी या शाखावली व मृत्यु क्रम (मरने का सिलसिला) लिखे हुये अपने को वारिस जाइज़ (शास्त्राधिकारी) बयान करना, या मन्सूखी दस्तावेज़ (पत्र को खण्डित कराने) के मुक़दमे में बिना उन घटनाओं को लिखे हुये कि जिनसे मन्सूख कराने का अधिकार पैदा होता हो, अपने आप को ऐसी मन्सूखी का अधिकारी बयान करना, या नालिश में बिना ज़रूरी वाक़यात बयान किये हुये अपने आप को दखल का अधिकारी बतलाना और मुद्दायलेह का क़ब्ज़ा अनधिकारयुक्त बतलाना, प्लीडिंग के नियमानुसार नहीं है।

यदि मुद्दायलेह अपने किसी क़ानूनी अधिकार पर भरोसा करे जो वाक़यात से पैदा होता हो तो उसको चाहिये कि वह उन वाक़यात को अपने प्लीडिंग में लिखे न कि केवल कानूनी अधिकार को।

उदाहरण—किसी प्रतिज्ञा पूरा कराने के दावे में मुद्दायलेह की ओर से केवल यह उज्र करना कि मुआहिदा मन्सूख हो चुका है या तमादी में आ गया, काफी नहीं है। उसको वह वाक़यात लिखना चाहिये कि जिनके द्वारा या जिस प्रकार से उस मुआहिदा को फरीक़ीन ने रद्द या मन्सूख कर दिया हो या क़ानूनी विचार से उस मुआहिदे का फ़िस्क़ होना समझा जावे, या उस के पूरा कराने में तमादी की रोक पैदा हो गई हो।

प्लीडिंग का यह एक प्रारम्भिक सिद्धान्त है कि कोई पक्ष उन बातों को अपनी प्लीडिंग में न लिखे जिनको क़ानून उसके हक़ में मज़ूर करता है या जिनके साबित करने का भार दूसरे पक्ष पर होता है जब तक कि उन बातों से विशेष रूप में इन्कार न किया गया हो (Order VI, Rule 13, C P C) जैसे किसी हुन्डी या रुक्के के मुआवज़ा देने का इन्दराज़ ज़रूरी नही होता (Sec 118 Negotiable Instruments Act, 26 of 1881, 1943 Nag L J p 148) या जहाँ

[1] A I R 1943, P C 147, I L R 12, Luck 279, A I R 1940, Nag 228

पर मुद्दई ज़मीन पर काबिज़ हो और किसी अन्य अधिकारयुक्त पुरुष ने उसको बेदख़ल कर दिया हो तो मुद्दई को अपनी मिल्कियत दिखाना ज़रूरी नहीं होता क्योंकि अनधिकार पुरुष के विरुद्ध क़ानून अधिकार-युक्त पुरुष का कब्ज़ा मान ही लेता है।[1]

उदाहरण :—इमारत गिरवाने के दावे में अगर मुद्दायलेह को रोक बाद (इस्टापेल Estoppel) का उज्र हो तो उसको कहना चाहिये कि वह ज़मीन जिस पर झगड़े वाली इमारत बनाई गई, वह अपनी मिलकियत समझता था, और इसी विश्वास पर वह नेकनियती से इतने समय तक इमारत बनाता रहा और इतनी लागत की इमारत बना ली, इस बीच में मुद्दई स्वयं या उसका अधिकार युक्त मुख़्तार, कभी कभी या बराबर उसको देखता रहा और कभी कोई रोक नहीं की, और अपने तर्क फेल (कार्य्य न करने) से मुद्दायलेह को विश्वास दिलाया या विश्वास करने का अवसर दिया कि वह ज़मीन जिस पर इमारत बनाई जा रही थी, उसी की मिलकियत है। यदि कोई दावा किसी विशेष या स्थानीय कानून की किसी धारा से न चल सकता हो या किसी विशेष अदालत में दायर न किया जा सकता हो तो वे सब बातें और घटनाएँ मुद्दायलेह को अपने जवाब में लिखना चाहिये जिससे वह विशेष धारा लागू होती हो।

उदाहरण :—यदि काश्तकारी से बेदख़ली का दावा अदालत दीवानी में दायर किया गया हो तो मुद्दायलेह को वह वाक़यात लिखने चाहिये जिनसे यह प्रगट हो कि फरीक़ैन में काश्तकार और ज़िमींदार का सम्बन्ध है या कि मुद्दायलेह किसी ठीका या पट्टे से मुद्दई की ओर से उस भूमि पर काबिज़ हुआ।

इस सम्बन्ध में यहाँ पर और उदाहरण देना आवश्यक नहीं हैं। इस किताब में आगे नमूने दिये जावेंगे जिनको ध्यान से पढने से पता लगेगा कि प्लीडिंग में किस तरह क़ानून लिखने से बचाव किया जाता है और कौन वाक़यात प्लीडिंग में लिखे जाते हैं। इस आदेश के विरुद्ध एक बचाव है जो नमूनों में उचित स्थान पर काम में लाया गया है वह यह है कि वाक़यता नफ़्से मुकदमा बयान करते हुये अगर वाक़यात की दुरुस्ती व संक्षेप के ध्यान से कानून का हवाला दे दिया जावे तो हर्ज नहीं है। इसका कारण यह है कि कभी ऐसा करने से सुभीता हो जाता है और उससे वाकयात का बयान समझ में अच्छी तरह आ जाता है और घटनाओं का सम्बन्ध एक दूसरे से मालूम हो जाता है। ब्रिटिश इंडिया में जहाँ करीब करीब सारा क़ानून ज़ाप्ता की शकल में है बहुधा उचित स्थान पर भिन्न भिन्न ऐक्ट का हवाला व उनकी मुख्य धारा देना भी ज़रूरी हो जाता है और उससे प्लीडिंग परमित और जल्द समझ में आ जाने योग्य हो जाती है। परन्तु उसके साथ इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि कुल वाक़यात नफ़्से मुक़दमा (तत्व के) लिखे जावे और अगर उनके साथ दुरुस्ती बयान या ऊपर लिखे किसी और अर्थ के लिए किसी ऐक्ट की मुख्य दफ़ा का हवाला दिया जावे तो अनुचित नहीं।

उदाहरण :—जायदाद के दख़ल के दावे में जो एक ऐसे खरीदार के विरुद्ध हो, जिसने उसको दूसरे से मोल लिया हो, और जायदाद बेचने वाले को मुद्दई अनाधिकारी

1 Armory v. Dilmory, I Sm L C 396

बयान करे। अगर मुद्दायलेह उस दावा में यह उत्तर करे कि उसके बेचने वाला ज़ाहरी मालिक, ज़ायदाद के असल मालिकों की रज़ामन्दी से था और मुद्दायलेह ने उस ज़ायदाद को मूल्य देकर, नेकनीयती से, उचित सावधानी के साथ, यह निश्चय करने के पीछे अपने हक़ में इन्तक़ाल कराया कि उसके इन्तक़ाल करने वाले को इन्तक़ाल करने का अधिकार था और इन घटनाओं का वर्णन करते हुये यह लिख देवे कि धारा ४१ क़ानून इन्तक़ाल ज़ायदाद (Transfer of Property Act) के अनुसार दावा क़ाबिल चलने के नहीं है, या यह धारा इस दावे को रोकती है तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि ऊपर लिखा अंतिम भाग अनावश्यक है, मगर उससे असली मतलब तुरन्त समझ में आ जाता है।

धारा ४२ क़ानून दादरसी ख़ास (Specific Relief Act) व धारा ११५ क़ानून शहादत (Evidence Act) व दफ़ा ११ ज़ाब्ता दीवानी (Civil Procedure Code) के आक्षेप भी इसी तरह के हैं जो बहुधा अनुचित प्रकार से लिखे जाते हैं। उनके सम्बन्ध में तत्व के वाक़यात ज़रूर लिखना चाहिये और उन वाक़यात में अगर क़ानून का हवाला भी लिख दिया जावे तो अनुचित नहीं है।

इसी सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने की यह है कि प्लीडिंग में क़ानून लिखना मना है, न कि क़ानून के एतराज इन दोनों का अन्तर हमेशा निगाह में रखना चाहिये। किसी फरीक़ के लिये अर्जीदावा या बयान तहरीरी के सिवा और कोई प्लीडिंग नहीं होती, जिसमें वह क़ानूनी आक्षेप दूसरे फरीक़ के दावा या जवाबदही के मद्धे पेश कर सके। और सिद्धान्त से भी हर फरीक़ का मुक़दमा उसकी प्लीडिंग में होना चाहिये। इसलिये हर एक फ़रीक़ का कर्तव्य है कि वह अपने सब क़ानूनी उज्र प्लीडिंग में लिखे।

क़ानूनी उज्र दो प्रकार के होते हैं।

(१) वह जो फ़रीक़ैन के माने हुये वाक़यात पर किये जा सकते हैं।

(२) वह जिनके लिये एक फरीक अतिरिक्त वाक़यात बयान करके उन उज़रात क़ानूनी को पैदा करता है।

उदाहरण न० १—किसी दावा में मुद्दई एक वंशावली बयान करे और उसकी रिश्तेदारी के आधार पर अपने को मुद्दायलेह के मुक़ाबले में उत्तम अधिकारी हिन्दू धर्म्म शास्त्र मिताक्षर के अनुसार बयान करे। उसके उत्तर में मुद्दायलेह पहिले यह कह सकता है कि उस धर्म्म शास्त्र के अनुसार मुद्दई मुद्दायलेह के मुकाबले में उत्तम अधिकारी नहीं है, या दोनों समान अधिकारी हैं, या मुद्दायलेह मुद्दई से उत्तम अधिकारी है। दूसरे मुद्दायलेह यह कह सकता है कि फरीक़ैन पर मिताक्षर शास्त्र माननीय नहीं है, किन्तु दायभाग धर्म्म-शास्त्र माननीय है, और उससे मुद्दई अधिकारी बिलकुल नहीं है, या उत्तम अधिकारी नहीं है, या दोनों समान अधिकारी हैं।

दूसरी दशा में मुद्दायलेह को यह नया वाक़या बयान करना पड़ा कि फरीक़ैन पर धर्म्म-शास्त्र दाय भाग माननीय है और मुद्दई के बयान को इस बारे में काट करना पड़ा।

उदाहरण नं० २—एक व्यापारी जिसने दूसरे व्यापारी को माल पहुँचाया हो, और माल के मूल्य का दावा अपने रहने की जगह की अदालत में दायर करे और मुद्दायलेह का यह उज्र हो कि उस अदालत को मुक़दमा सुनने का अधिकार नहीं है। इस दशा में मुद्दायलेह मुद्दई के बयान किये हुये वाक़यात को मानते हुये यह कह सकता है कि उन वाक़यात से मुद्दई को दावा करने का अधिकार मुद्दई के निवास स्थान पर पैदा नहीं हुआ। और दूसरी दशा में वह मुआहिदा ठहरने या कीमत देने या माल संभालने की जगह की निसबत नये वाक़यात बयान करते हुए यह उज्र कर सकता है कि अगर मुद्दई को दावा करने का अधिकार पैदा हुआ तो अन्य स्थान पर और मुद्दई के रहने की जगह पर पैदा नहीं हुआ।

पक्षों की स्वीकृत घटनाओं पर कभी यह उज़्र भी पैदा हो जाता है कि विवादास्पद कारण उत्पन्न होने का स्थान उस अदालत की अधिकार सीमा के अन्दर नहीं है।

तमादी (Limitation) का उज्र भी ऐसा क़ानूनी उज्र है कि जिसके लिये बहुधा नये वाक़यात बयान करने की कम ज़रूरत होती है और क़ानून तमादी की परिशिष्ट की धारा या किसी मुकामी या खास क़ानून के हवाले से उज़र लिख दिया जाता है कि दावा में तमादी लगती है, परन्तु कभी कभी इस बात से कि क़ब्जा किस प्रकार से था और तमादी कब से शुरू हुई और मुद्दत क्या थी और वह बढ़ी या नहीं, बहुत से झगड़े पैदा हो जाते हैं, ऐसी सूरतों में फरीक़ैन को वाक़यात बयान करना होते हैं कि जिनसे उनका दावा या अधिकार उस मियाद से बचता हो। अगर मुद्दई का दावा क़ानून मियाद की किसी धारा से तमादी में आता हो तो उसको लिखना पड़ता है, कि वह कैसे तमादी से बचता है। (आर्डर ७ क़ायदा ६ ज़ाब्ता दीवानी)।

किसी मुआहिदा का जुआ या पब्लिक पालसी (Public Policy) के खिलाफ इत्यादि होने के आधार पर व्यवहार न चलने योग्य होने का, या किसी दावा का किसी क़ानून के अनुसार साधारण या किसी खास अदालत में वर्जित होना आदि भी क़ानूनी अवरोध हैं, जो कि आवश्यकतानुसार माने हुये वाक़यात पर या नये वाक़यात बयान करके किये जाते हैं और उनको उचित रीति से प्लीडिंग में लिखना चाहिये।

अगर किसी फरीक़ को किसी कुलाचार या देशाचार या तिजारती मज़हबी या क़ौमी रिवाज़ पर भरोसा करना हो, तो वह भी प्लीडिंग में लिखना ज़रूरी है, इस कारण कि यद्यपि रिवाज क़ानून के मुकाबले में प्रचलित किया जाता है परन्तु वह क़ानून के समान नहीं होता, कि जिसका अदालत क़ानून शहादत की ५८

धारा[1] के अनुसार स्वयं नोटिस ले सके, और न अदालत से यह आशा की जा सकती है कि वह सब सब लोगों के भिन्न भिन्न रिवाजों से परिचित हो। इसलिये रीति या रिवाज वाक़यात तत्व मुक़दमा की तरह पर प्लीडिंग में लिखना चाहिये और उस के सब अंग और प्रसंग भी लिखना चाहिये।

यदि कोई फ़रीक़ क़ानून संयुक्तइंडिया के सिवाय अपने ऊपर या दूसरे फ़रीक़ के ऊपर किसी दूसरे क़ानून को माननीय बयान करता हो, और उसके कारण फ़रीक़ैन के क़ानूनी अधिकार जो संयुक्त इंडिया में विधान के अनुसार होते हो उन पर असर पड़ता हो तो उसको वह क़ानून भी अपने प्लीडिंग में लिखना चाहिये क्योंकि इस प्रकार का उज्र भी क़ानूनी उज्र के समान है, और अदालत उसको क़ानूनी उज्र के समान निर्णय व निश्चय करेगी।

संयुक्त इंडिया के बाहर की अदालतों की तजवीज़ दफ़ा १३ व १४ ज़ाब्ता दीवानी के अनुसार संयुक्त इंडिया की अदालतों में प्रायः सीमित रीति मानी जाती हैं, जो उन धाराओं में लिखी है इस लिये वह वाक़यात जिनसे वह प्रचलित होने योग्य या अयोग्य होती हो, लिखना चाहिये।[2]

२—वह घटनाऐं मुक़दमे का तत्व हों

इसका मतलब है कि प्लीडिंग में जो तत्व की बातें हों, यानी वाक़यात नफ़्से मुक़दमा लिखे जावें और जो तत्व मुक़दमा न हों न लिखे जावें। 'वाक़यात नफ़्से मुक़दमा' वह वाक़यात होते हैं जो मुद्दई या मुद्दायलेह को किसी मुक़दमा में अदालत का फ़ैसला अपने हक़ में कराने के लिये बयान व साबित करना ज़रूरी हों या कि दूसरे शब्दों में 'वाक़यात नफ़्से मुक़दमा' से उन सब आवश्यक घटनाओं से अभिप्राय है जो किसी पक्ष को अदालत की तजवीज अपने अनकूल कराने के लिये बयान और साबित करना आवश्यक हो।[3]

उदाहरण १—रुपये के सादे दावा में मुद्दई का यह बयान कि मुद्दायलेह ने अमुक तारीख़ में इतने रुपये मुद्दई से उधार लिये, जो उसने अदा नहीं किये, वाक़यात नफ़्से मुक़दमा है। परन्तु यदि इसी के साथ मुद्दई यह भी बयान करे कि मुद्दायलेह बेईमान है, और बेइमानी से मुद्दई का क़र्ज़ा अदा करना नहीं चाहता; यह बात वाक़यात नफ़्से मुक़दमा नहीं हैं और इसको न लिखना चाहिये।

२—विवाह सम्बन्धी अधिकारों की पूर्ति के मुक़दमों में दोनों पक्षों में विवाह या निकाह का होना, और स्त्री पुरुष के समान रहना और दूसरे पक्ष का उन अधिकारों को

---

[1] Sec 58, Evidence Act

[2] See Sections 13 & 14 Civil Procedure Code

[3] 1 Q B 554, A I R 1916 Cal 658, 1934 All 11, 1917 Oudh 1917, 1938 P C 121 (Sind)

पूरा करने से वचना, 'वाक़यात नफ़्से मुक़दमा' हैं।[1] बहुत से क़िस्से और कहानी जो उनके मेल के समय की हों वे बेज़रूरी होती हैं जब तक कि ऐसे वाक़यात किसी दूसरे कारण से नफ़्से मुक़दमा न हों, जैसे कि विवाह से इनकार करने की दशा में सन्तान का पैदा होना।

दख़ल के दावा में वह वाक़यात जिनसे मुद्दई के मालिक होना, या बेदख़ली का अधिकारी होना, प्रगट हो, तत्व मुक़दमा होते हैं।[2] इसी प्रकार रहन की नालिशों में जहाँ पर नीलाम या बयबात की प्रार्थना हो वहाँ, रहन की तारीख़, रहन कर्त्ता व रहन ग्रहीता का नाम, कितना रुपया रहन पर दिया गया और सूद की दर, रहन की हुई जायदाद का विवरण और वह रहन-धन जो मुद्दई को मिलना चाहिये इत्यादि वाक़यात मुक़दमा के तत्व होते हैं। रहन छुटाने के दावे में इनके अतिरिक्त दोनों पक्षों की प्रतिज्ञायें जो कब्ज़ा व इन्फकाक के बाबत नियत की गई हों और जिनसे मुद्दई को रहन छुटाने का अधिकार प्राप्त होता हो, वह भी लिखनी चाहिये।

प्रत्येक मुक़दमें में यह निश्चय करना कि कोई विशेष घटना तत्व मुक़दमा है या नहीं उस मुक़दमें के आकार-प्रकार पर निर्भर होता है, इसलिये इस विषय में कोई मुख्य नियम नियत नहीं किया जा सकता। बहुत सी घटनायें ऐसी होती हैं जिनके बारे में यह कहना कि वे इस व्यवहार की तत्व हैं या नहीं बहुधा कठिन होता है। कभी कभी प्लीडिङ्ग लिखने के समय, अनुभव में आया है, कि एक घटना अनावश्यक मालूम हुई परन्तु मुक़दमा चलने के पश्चात् उसका पूर्ण प्रभाव और उसकी आवश्यकता प्रतीत हुई यहाँ तक कि मुक़दमें का फैसला उसी घटना के रूप के अनुसार हुआ।

वाक़यात नफ़्से मुक़दमा क़ायम करने में वकील को चाहिये कि अपने क़ानूनी योग्यता और अनुभव से काम ले और जितने वाकयात उसको फरीक़ मुक़दमा और कागज़ों से मालूम हो उनसे मुक़दमा के प्रकार व झगड़े वाली बातों पर ध्यान रखते हुये, यह निश्चय करे कि कौन वाक़यात नफ़्से मुक़दमा हो सकते हैं, उनको वह प्लीडिंग में लिख दें। यदि किसी घटना की बाबत यह संदेह हो कि वह तत्व मुक़दमा है या नहीं तो उत्तम यह है कि उसको भी प्लीडिंग में लिख दिया जावे जिसमें आगे उसकी आवश्यकता प्रतीत होने पर प्लीडिंग ठीक कराने में कठिनता व कष्ट न उठाना पड़े।

जो नमूने इस पुस्तक में दिये गये हैं उनसे आशा है कि ऐसे अभ्यास करने में सहायता मिलेगी, परन्तु वकील को अधिक भरोसा अपनी क़ानूनी योग्यता, मेहनत व अनुभव पर करना चाहिये। देखने में आया है कि कुछ अनुभवी वकील भी वाक़यात तत्व मुक़दमा में और अन्य वाक़यात में जो तत्व मुक़दमा नहीं होते, बहुत कम पहिचान करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि उनके बनाये हुये प्लीडिंग, जहाँ तक कि अच्छी भाषा और क्रमानुसार वाक़यात का सम्बन्ध है, बड़े अच्छे और बोल चाल के शब्दों में होते हैं, परन्तु

[1] A I R 1921 Lah 291

[2] See Order VI, Rule 9, C P C , A I R 1916 Cal. 513

ज़रूरी और बे जरूरी सब वाक़यात मिले हुये होते हैं, और क़ानूनन जिन बातों का उनके साथ क्रम से बयान करना ज़रूरी होता है बहुधा छूट जाती है। ऐसे प्लीडिंग अदालत खारिज कर सकती है या सशोधन (तरमीम) के लिये वापिस कर सकती है। नये वकीलों को शुरू की कठिनाई और उचित भाषा न जानने की कठिनाई इसके अतिरिक्त होती हैं। इसलिये उनको चाहिये कि वह इस बारे में विशेष परिश्रम और अभ्यास करें बिना इसके सफलता प्राप्त होने में बहुत समय लगता है और तब भी पूर्ण योग्यता प्राप्त नहीं होती है।

३—केवल घटनाएँ तत्व मुक़दमा लिखी हों

प्लीडिंग में वाक़यात नफ़्से मुक़दमा के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिये। बे ज़रूरी बातें न लिखी जावे। किन्तु शोक से लिखना पड़ता पड़ता है कि इस सम्बन्ध में प्लीडिंग की वर्तमान दशा बड़ी शोचनीय है। एक फरीक़ का दूसरे फरीक़ को चालाक, बेईमान, धोका देने वाला.लिख देना साधारण बात है।[1] और उसके साथ उसके गवाहों को अपना दुश्मन व उसके मेल वाले बयान करना भी साधारण ढंग समझा जाता है। यह अनुचित और निन्दनीय है। कोई आदमी बेईमान हो, परन्तु वह अपने कानूनी अधिकार पाने से इस कारण रोका नहीं जा सकता और न उन कानूनी अधिकारो से वंचित रक्खा जा सकता है जो उसकी वर्णित घटनाओं से पैदा होते हैं। और न इस कारण से किसी दूसरे फरीक़ को कोई ऐसा क़ानूनी अधिकार पैदा हो सकता है, जो बयान किये हुये वाकयात से उसको पैदा नहीं होता।

इसी प्रकार बहुत सी कहानी प्लीडिंग में लोग लिख देते हैं जिसका फरीक़ैन के अधिकार पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, और अनावश्यक विस्तार बढ़ जाता है।

उदाहरणः १—मुकदमे में यदि यह झगड़ा हो कि मुद्दई ने किसी मकान या गाँव में रहना छोड़ा या नहीं, और मुद्दई उसकी काट के लिये यह लिखे कि वह दो वर्ष तक अमुक गाँव में रहा, और वहाँ से तीन बार आकर एक एक महीना झगड़े वाले मकान में रहता रहा, और फिर दूसरे गाँव में डेढ़साल रहा, और वहाँ से दो दफा आकर झगड़े वाले मकान में ठहरा, फिर तीसरे गाँव में रहा, और झगड़े वाले मकान में ठहरने को आया। इस सब कहानी की जगह पर मुद्दई लिख सकता है कि उसने झगड़े वाले मकान या गाँव में रहना नहीं छोड़ा, लेकिन वह रोज़गार के सम्बन्ध में इतने वर्ष बाहर रहा और समय समय पर गाँव में आता और झगड़े वाले मकान में रहता रहा।

२—मान हानि और अदावती झूठा फौजदारी मुक़दमा चलाने पर हरजे के मुकदमों में शुरू में लोग बहुधा लम्बी चौड़ी कहानी लिख देते हैं जो अनुचित होती हैं। हमेशा जरूरी और मुख्य घटनायें लिखना चाहिये।

---

[1] 8 S W R 295, 3 Ben L R 12, 3 Ch D 376, 7 Ch D 473 Per Braund J in S. P Jain v Sheodatt, A I R 1946 Alld 213, 1946 A W R 354

इसका यह अर्थ नहीं है कि प्लीडिंग में आरम्भिक (Introductory) या तमहीदी बातें छोड़ दी जावें कि जिनसे पक्षों का आपसी सम्बन्ध या व्यवहार भली भाँति प्रगट न हो सके। बहुधा ऐसी बातें अर्जी दावा या जवाब दावा का आवश्यक अंग होती हैं और उनसे फरीकैन का झगड़ा आसानी से समझ में आ जाता है और कुल झगड़े पर प्रकाश पड़ता है।

उदाहरण:—(१) बही खाते के लेन देन की नालिश में अर्जी दावे में यह लिखना की प्रतिवादी व्यापार अमुक नाम से करते हैं और वादी का लेन देन का काम अमुक नाम से होता है, ऐसे प्रारम्भिक वाक़यात हैं कि जिनसे मालूम होता है कि दोनों फरीक के बहीखातों में रकमों का आना जाना किस नाम से लिखा होगा।

(२) इसी प्रकार माल की वापसी या उसकी क़ीमत की नालिश में यह बयान करना कि मुद्दायलेह के यहाँ विवाह या और महफ़िल की सजावट के लिये मुद्दई के यहाँ से उसने समान मगनी मँगाया था अनावश्यक घटना नहीं है।

वे घटनायें जिनसे प्रत्युपकार या हर्जे की सख्या घटाई या बढाई जा सके दावे या जवाब दावे में लिखनी चाहिये।[1] इङ्गलैण्ड के विधानानुसार ऐसी घटनायें जिनसे हर्जे की सख्या कम हो सके जवाब दावे में नहीं लिखी जा सकती परन्तु अँगरेजी विधान की धारा ४ हमारे देश के दीवानी सग्रह में शामिल नहीं की गयी।[2] इसलिये यहाँ पर वे कुल घटनायें जिनसे विशेष हानि का होना प्रगट हो या हर्जे इत्यादि की सख्या में वृद्धि हो अर्जी दावे में लिखी जा सकती हैं और जिन घटनाओं से मुद्दई के माँगे हुए हर्जे की सख्या कम की जा सके वह जवाब दावे में लिखी जा सकती है। जहाँ पर ऐसी घटनायें लिखना आवश्यक हो वहाँ उनको तारीख़वार विवरण सहित लिखना चाहिये।[3] यदि सिर्फ साधारण हर्जे का दावा हो और विशेष हर्जाना न माँगा गया हो तो तफसील देने की आवश्यकता नहीं होती।[4] किसी पक्ष को कोई घटना दूसरे पक्ष का उत्तर अनुमान करके पेशबन्दी के रूप में नहीं लिखना चाहिये।[5]

४—उनका एक सक्षिप्त बयान हो

लम्बा बयान लिखना एक ऐसा रोग है जो प्लीडिंग में प्राय. सब जगह मिलता है। और इसकी ज़ुम्मेदारी वकील और जज दोनों की है। और दोनों ही के सहयोग और प्रयत्न से इससे छुटकारा हो सकता है।

तत्व घटनाओं के बयान करने में जहाँ तक हो सके सक्षिप्त और स्पष्ट भाषा प्रयोग की जावे, परन्तु इसके साथ यह ध्यान रक्खा जावे कि भाषा कम करने में घटनाओं का

---

1 Millington v Loring, 6 Q B D 190

2 Compare Order 21, Rule 4 English Supreme Court Rules See also Wood v Durham, 21 Q B D. 501 (507)

3 Retcliff v Evans, 2 Q B D

4 A. I. R 1933 Nag 29

5. A I. R 1923 Lah 475

क्रम न जाता रहे। और उनका मतलब नष्ट न हो।[1] यदि घटनाएँ ऐसी हैं जो विस्तार की हैं परन्तु तत्व की हों उनको प्लीडिंग में अवश्य लिखना चाहिये, परन्तु ऐसे ढंग पर कि बेज़रूरत विषय में बढ़ाव न करें।[2]

संक्षिप्त में लिखना बहुत कुछ लिखने वाले की भाषा की योग्यता और समझ के ऊपर भी निर्भर है। इसलिये प्लीडिंग लिखने वाले को उस भाषा का जिसमें प्लीडिंग लिखा जावे पूर्ण ज्ञान होना चाहिये। ध्यान यह रखना चाहिये कि घटनाएं उचित और निश्चित रूप में बयान की जावें, और जहाँ तक हो सके थोड़े शब्दों में। परन्तु पहले गुण को संक्षिप्तता पर न्योछावर न किया जावे।[3]

घटनाओं को संक्षिप्तता से लिखना प्लीडिंग की विद्या का आवश्यक अंग है परन्तु शुद्धता और निश्चयता का ध्यान रखते हुए घटनाओं को संक्षिप्त किया जावे। जहाँ तक हो ऐसे शब्द या वाक्य प्रयोग में न लाये जावें जिनसे एक से अधिक अर्थ निकल सकते हों, क्योंकि दूसरा पक्ष कह सकता है कि उसने वादी के अभिप्राय के विरुद्ध अन्य अर्थ समझे थे। इसके अतिरिक्त अदालत को उस पक्ष की ओर से धोखा देने का कभी कभी अनुमान होता है। इसलिये प्लीडिंग में सीधी और शुद्ध भाषा लिखनी चाहिये और वह घटनाएँ लिखी जावें जिनको पेश करने वाला पक्ष सत्य और ठीक समझता हो और जिनके बारे में उसे कोई सन्देह न हो और न वह सन्देह युक्त भाषा में लिखी जावे। नियम नं० ४ की टिप्पणी भी इस सिलसिले में देखनी चाहिये।

५—प्रमाण, जिससे घटनाएँ साबित की जावें, न लिखा जावे

यदि प्लीडिंग में सबूत लिखा जावेगा तो विस्तार की कोई सीमा नहीं रह सकती और प्लीडिंग का मुख्य उद्देश्य जाता रहेगा।[4] इस विषय में बहुधा भूल जो प्लीडिंग की तैयारी में होती है यह है कि एक पक्ष दूसरे फरीक़ की स्वीकारी, जो उसके हक़ में पहिले की हो, लिख देते हैं और कभी कभी अन्य घटनाएँ भी लिख देते हैं जिनके बयान से उनके अधिकार की पुष्टि होती हो, परन्तु ऐसा न करना चाहिये।

उदाहरण—यदि किसी मुक़द्दमे में मुद्दई का दावा हो कि मुद्दई की खिड़की, हवा व रोशनी के आने जाने के लिये बहुत पुरानी, २० वर्ष से पहिले की है और उसको वह अपने अधिकार से लगातार और खुल्लम खुल्ला, बिना किसी रोक टोक के काम में लाता रहा है, उसकी बाबत उसको अधिकार सुगमता का (हक़ आसायश) प्राप्त है। इसके

[1] 19 I. A. 90 P C—I. L. R 19 Cal 507, A. I R 1932 All 467

[2] I. L R 58 Cal 418

[3] Per Key J in Townsend v Parton, 182, 30 W R. 287

[4] Philips v Phillips, 4 Q B. D. 127 (133), A I. R 1925 Pat 410

जवाब में मुद्दायलेह का बयान तहरीर में यह लिखना कि इस खिड़की को मुद्दई एक दूसरे मुक़दमे में केवल थोड़े समय की होना और उसका मुद्दायलेह की आज्ञा से काम में लाना बयान कर चुका है नियम के विरुद्ध है। मुद्दायलेह को मुद्दई के बयान से इन्कार करते हुये यह लिखना चाहिये कि वह खिड़की केवल इतने साल की है और वह आज्ञा से काम में लाई जाती है।[1]

इसी प्रकार जब फरीकैन में किसी पुरुष की वंशावली का झगड़ा हो, और दोनों फरीक़ एक दूसरे की वंशावली को झूंठा बयान करते हों, तो किसी फरीक को अपनी प्लीडिंग में यह लिखना कि दूसरे फरीक़ ने उस फरीक की वंशावली को अमुक समय ठीक माना था या उसका एक भाग ठीक माना था प्लीडिंग के नियम के विरुद्ध है।[2]

अगर एक आदमी किसी काम या मुआहिदा का करना किसी दूसरे आदमी के अनुचित दबाव (Undue Influence) होने की वजह से बयान करे और उसकी पुष्टि के लिये इसी प्रकार से काम करने की दूसरी मिसालें जिनका झगड़े वाले मुआहिदा से कोई सम्बन्ध न हो प्लीडिंग में लिखे, तो ऐसा करना उचित नहीं है। सिर्फ उस मनुष्य का दूसरे पुरुष के असर में होना, एक घटना के रूप में लिख देना पर्याप्त होता है।

६—लिखने का ढंग क्या हो

इसका आशय यह है कि अर्ज़ीदावा और बयान तहरीरी को धाराओं या दफ़ों में बाँट कर लिखना चाहिये और दफा नम्बरवार हों। तारीख़, रक़म और गिनती अंकों में लिखी जावें।

दफ़ों में बाँट देने का प्रथम लाभ यह है कि विषय के अर्थ में भ्रम नहीं होने पाता। यदि एक दफ़ा में एक घटना लिखी जावे, जैसा की सर्वदा होना चाहिये, घटनायें तो क्रम से आती जाती हैं और बयान नियमानुकूल हो जाता है। एक घटना दूसरी घटना से बिलकुल पृथक हो जाने के कारण सर्वनाम लिखने के स्थान में असली नाम (संज्ञा) लिखना पड़ता है, और सन्देह उत्पन्न होने या भाषा के पेचदार होने की सम्भावना नहीं रहती। ध्यान यह रखना चाहिये कि जहाँ तक हो एक दफ़ा में एक ही घटना हो। जब कभी एक से अधिक बातें एक दफ़ा में लिखी जावेंगी तो भाषा पेचदार हो जाने का भय रहेगा।

गिनती, तारीख़ और संख्या केवल अंकों में लिखे जाने का अर्थ यह है कि वृथा विस्तार न हो, इनको अक्षरों में लिखने से विस्तार होता है। परन्तु इसके साथ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि गिनती इस तरह लिखी जावे कि ग़लत पढ़ने या समझने का डर न रहे और जहाँ कहीं ऐसा भय हो वहाँ अंक और अक्षर दोनों में लिख देने से कोई हानि नहीं है या किसी अन्य प्रकार से बचाव और सावधानी की जा सकती है।

---

1. Lumb v Beaumont, 49 L T 772, A I R 1921 Sind 159 (F B.).
2. Davy v Govt, 7 C D. 478 (485); also 4 Q. B. D. 127 (133).

नियम नं० ३ (Order VI, Rule 3)

प्लीडिंग के लिये नमूने जो परिशिष्ट (अ) में दिये हुये हैं, काम में लाये जावेंगे यदि वे काम में आ सकते हों, नहीं तो दूसरे नमूने जहाँ तक हो सके उसी प्रकार के काम में लाये जावेंगे।

इस नियम की मनशा है कि दीवानी संग्रह के परिशिष्ट (अ) में अर्जी दावे और जबाव दावों के जो नमूने दिये गये हैं वे जहाँ पर प्रयोग किये जा सकें, काम में लाये जावें वरना उसी प्रकार के अन्य फारम बनाये जा सकते हैं। जो नमूने परिशिष्ट (अ) में दिये गये हैं उनमें से प्रत्येक नमूना हर प्रकार से पूर्ण नहीं कहा जा सकता।[1] परन्तु इन नमूनों के काम में लाने से अनुचित बचाव का दोषारोपण नहीं किया जा सकता। इस पुस्तक में उचित स्थान पर परिशिष्ट (अ) में दिये हुय नमूने भी दिये गये हैं। ज़ाब्ता दीवानी की मनशा है कि लिखित, प्लीडिंग प्रयोग किये जावें।[2]

नियम नं० ४ (Order VI, Rule 4)

उन दशाओं में जिनमें प्लीडिंग पेश करने वाला किसी झूँठ बयान, धोखा, तुक्सअमानत, जानबूझ कर चूक करने, या अनुचित दबाव पर भरोसा करता हो और उन सब सूरतों में जब कि ज़ाब्ता दीवानी के फार्मों में दी हुई बातों के अतिरिक्त अन्य बातों का लिखना भी ज़रूरी हो तो वे बाते तारीख़ और ज़रूरी तफ़सील के साथ प्लीडिंग में लिखी जावेंगी।

नियम न० २ यह चाहता है कि प्लीडिंग में घटनाएँ सक्षेप में लिखी जावें और नियम न० ४ यह कहता है कि वे घटनाएँ ठीक और निश्चित रूप में बयान की जावें। आशय यह हुआ कि प्लीडिंग में दोनों बातें हों, सक्षेप भी और ठीक और निश्चित बयान भी, यदि इन दोनों नियमों की पाबन्दी किसी फ़रीक ने अपने प्लीडिंग में न की हो तो वह अगले नियम न० ५ के अनुसार मजबूर किया जा सकता है कि दूसरा और अच्छा बयान दाख़िल करे और अदालत ऐसा करने का हुक्म दे सकती है।[3]

प्लीडिंग में जो बातें लिखी जावें वह तारीखवार और ज़रूरी तफ़सील के साथ हो जिससे सन्देह उत्पन्न होने का स्थान न रहे और न बयान करने वाले को अपने बयान से इधर उधर जाने का अवसर मिल सके। प्लीडिंग को अनिश्चित प्रकार से और घूमती हुई इबारत में लिखना और ज़रूरत के वक्त उससे तरह तरह के मानी निकालना बहुत बुरा तरीक़ा है। इसी तरह ऐसे शब्दों का काम में लाना जिनके दो अर्थ हों या शब्दों का ऐसा प्रयोग जिनसे एक से अधिक आशय निकलता या उत्पन्न होता हो अनुचित है। ऐसा करना दूसरे पक्ष को एक प्रकार का धोखा देना और अपने आप अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा करना है जो न्याय के विरुद्ध है।

---

1 I L R. 58, Cal 418—1936 All 653 (655)
2 A I R 1935 All. 268 (269)
3 7 P D 117 (121), 40 C W N 913, A I R 1932, Pat 355

दोनों पक्षों के क़ानूनी स्वत्वों पर सोच विचार करने और उनको निश्चय और नियत कर लेने के बाद जो प्लीडिंग बनाई जावेगी उसमें घटनाएँ ठीक और निश्चय रूप में ज़रूरी बयान हो सकेंगी क्योंकि तैयार करने वाले की बुद्धि और विचार दोनों फ़रीक़ के हक़ की बाबत स्पष्ट होंगे और वह उनके सम्बन्ध की बातें ठीक ठीक और अच्छी प्रकार से लिख सकेगा।

क़ानून में यह वर्जित नहीं है कि यदि एक ही घटनाओं से एक से अधिक क़ानूनी स्वत्व किसी पक्ष को पैदा होते हों तो वह उनको एक प्लीडिंग में दर्ज न कर सके। इसके विपरीत यह आज्ञा है कि यदि कोई पक्ष अपने एक से अधिक हक़ पर भरोसा करता हो या दूसरे फ़रीक़ के दावे या जवाबदही को एक से अधिक प्रकार से स्थिर रहने के अयोग्य बयान करता हो, तो उसको साफ़ और स्पष्ट शब्दों में ऐसा लिखना चाहिये जिससे दोनों हर बात को भले प्रकार जानते हुये एक दूसरे का जवाब दे सकें और कोई शिकायत बेख़बरी और अचानकता की न रहे।

घटनाएँ ठीक तरह लिखने के लिये भाषा का उत्तम ज्ञान होना आवश्यक है इसलिये प्लीडिंग लिखने वाले को चाहिये कि आवश्यकतानुसार उचित शब्द उन मामलों के लिये काम में लावे जो उनके लिये नियत हैं।

झूँठ बयानी, धोखा, धरोहरघात 'नुक़सअमानत' जानबूझ कर चूक करना, दावा नाजायज़, इत्यादि, ऐसे मामले हैं जो तरह तरह के रंग और ढंग से पैदा होते, और हो सकते हैं। जब तक किसी फ़रीक़ को उनके सम्बन्ध में आवश्यक बातें न मालूम हों वह उनका जवाब नहीं दे सकता।

असत्य वर्णन (misrepresentation) किसी फरीक़ ने शब्दों या किसी लेख द्वारा की हो, या दो या अधिक लेखों के मुक़ाबले या मिलान से प्रगट होता हो, या कुछ शब्दों और कुछ लेख से प्रत्यक्ष हो इसलिये आवश्यक है कि दूसरे फ़रीक़ को ऐसे बयान का तरीक़ा मालूम होना चाहिये जिसमे वह उसका उचित उत्तर दे सके।[1]

धोखा या फ़रेब (fraud) एक ऐसा मसला है जिसकी हज़ारों सूरतें होती हैं। जिस तरह आदमी की समझ तरह तरह के व्यवहार उत्पन्न कर सकती है इसी तरह वह सहस्रो प्रकार से दूसरों को धोखा दे सकता है। इसलिये जब तक वे घटनाएँ जिनसे फ़रेब प्रगट हो ठीक तरह से बयान न की जावें दूसरा फ़रीक़ उनकी काट नहीं कर सकता।[2]

नुक्सअमानत (breach of trust) जिसके साधारण हिन्दी में अर्थ धरोहर घात या धरोहर में बेईमानी करने के हैं, जब कभी बयान की जावे तो उसके साथ उन कामों को भी ज़रूर लिखा जावे जिनसे अमानत का उत्पन्न होना और दूसरे फ़रीक़ का उसमें घात या बेईमानी करना प्रगट होता हो। सिर्फ यह कह देना कि

---

[1] A I R 1924 P C. 186, 1926 Bom 33

[2] A I R 1937 P C 146; I L R 64 I, A. 143, 38 All 126, A. I R 1930 All 427, 1943 Oudh 192

प्रतिवादी के पास रोकड़ रहती थी और उसने बहुत सी रकमें ग़बन करलीं काफ़ी नहीं है।[1]

जानबूझ कर किसी काम में चूक (wilful default) करने की बाबत भी वे कार्य लिखने ज़रूरी होते हैं जिनसे कि चूक बनती हो या जिन पर वह निर्भर हो। एक फ़रीक़ ने बहुत से काम दूसरे फ़रीक़ के विरुद्ध किये हों और वह कुल मिल कर जान बूझ कर चूक की हद, तक न पहुँचते हों या उनमें से कुछ का कोई प्रभाव न हो, इसलिये वह विशेष कार्य लिखने चाहिये जिनकी बाबत बयान किया जाता हो कि वह ग़फ़लत पैदा करते हैं और वह जान-बूझ कर की गई।[2]

अनुचित दबाव (undue influence) के वास्ते दोनों फ़रीक़ का आपस का सम्बन्ध और उनका आपसी बर्ताव या ढंग बयान करना चाहिये और उसके साथ वह खास काम जो झगड़े वाले मामले से लगाव रखते हों लिखना ज़रूरी होते हैं।[3]

मुआहिदे के मुक़दमों में मुआहिदे की शर्तें, और कब और कहाँ और किनके बीच में मुआहिदा हुआ और वह काम करना या न करना, जिनसे दूसरे फरीक़ ने ज़रूरी मुआहिदा का तोड़ना बयान किया जाता हो लिखने आवश्यक होते हैं। उनके सिलसिले वार लिखी जावें।

हिसाब समझने के मुक़दमे में वे घटनाएँ जिनसे मुद्दाअलह की हिसाब समझाने की ज़ुम्मेदारी पैदा होती हो, लिखनी लाज़मी हैं और यह दिखलाना ज़रूरी है कि मुद्दई के हक़ पर मुद्दायलेह के किस काम के करने या न करने का असर पड़ा, जिससे उसको हिसाब समझने का हक़ पैदा हुआ।

सारांश यह है कि दोनो फ़रीक़ घटनाएँ ठीक और बिना लाग लपेट के निश्चित रूप में बयान करें जिससे वह नियत हो जावें और हर फ़रीक़ उनकी पुष्टि या काट आसानी से कर सके। और अदालत और फ़र्रीक़ैन सबूत और तहक़ीक़ात में परेशान न हों और न किसी फ़रीक़ को अचानक और बेख़बरी की हालत में मुक़दमा लड़ने की शिकायत पैदा हो।[4]

नियम नं० ५ (Order VI, Rule 5)

एक अधिक और उत्तम बयान दावे या जवाब दावे के प्रकार का या अधिक और अच्छे हालात किसी व्यवहार के, जो किसी प्लीडिंग में दर्ज हों सब मुक़दमों में दाख़िल किये जाने का हुक्म दिया जा सकता है, ख़र्चे इत्यादि की ऐसी शर्तों पर जो न्यायानुकूल हों।

---

[1] A. I. R. 1933 Mad. 73 ; 1936 Bom. 30 (36).

[2] A. I. R. 1941 Bom. 28

[3] A. I. R. 1921 Pat. 46 ; 1928 Oudh, 330.

[4] 38 Ch. D. 410 ; 7 C. H. D 435

इस कायदे से एक फ़रीक़ अपने मुक़ाबिले वाले फ़रीक से ज़रूरी वाक़यात मालूम कर सकता है और जो प्लीडिंग उसने अधूरा या अशुद्ध दाखिल किया हो, उसको पूरा और सही करा सकता है और अदालत ऐसे फरीक को हुक्म दे सकती है कि वह अधिक और अच्छा और ठीक प्लीडिंग दाखिल करे या किसी खास मामले की बावत अधिक और ठीक हालत बयान करे और जिस फरीक़ की ग़लती से मुक़दमा मुलतवी हो या और कोई अड़चन पड़े उससे ख़र्चा दिलावे या और कोई उचित न्यायानुकूल आज्ञा दे।[1]

मुख्य अभिप्राय इस नियम का भी यही है कि झगड़े वाले मामले के सम्बन्ध में जो घटनाएँ ज़रूरी हों वे उचित और निश्चित रूप में अदालत के सामने आ जावें और जिन बातों का झगड़ा हो वह ठीक ठीक नियत हो सकें और इसी अभिप्राय के लिये हर एक पक्ष को अदालत से दरख़्वास्त करने और अदालत को आज्ञा देने का अधिकार दिया गया है।

नियम नं० ६ (Order VI, Rule 6)

कोई आवश्यक प्रतिज्ञा, जिसके पूरा होने या घटित होने की बावत विरोध करना मंजूर हो, मुद्दई या मुद्दायलेह को, जैसी सूरत हो, अपने प्लीडिंग में स्पष्ट रूप से बयान करना चाहिये और आधान कुल आवश्यक शर्तों के इसके, पूरा या घटित होने का बयान जो मुद्दई या मुद्दायलह के मुक़द्दमे के वास्ते जरूरी हों, उनके प्लीडिंग में समझ लिया जावेगा।

इस नियम की व्याख्या आवश्यक है। यदि किसी स्वत्व का प्रचार किसी शर्त के पूरा करने या किसी घटना के घटित होने पर निर्भर हो तो मुद्दई को अर्ज़ी दावे में उसका बयान करने की जरूरत नहीं है और जब तक मुद्दायलेह स्पष्ट रूप से बयान तहरीरी में उससे इनकार न करे उस शर्त का पूरा होना या वाक़े होना मुद्दई के अर्ज़ी दावे से मान लिया जावेगा।[2]

उदाहरण नं० १—यदि किसी हिन्दू अविभक्त कुल की विधवा गुज़ारा पाने की अधिकारिणी इस दशा में हो कि वह कुल, के रहायशी मकान में निवास करे और विधवा अपने गुज़ारे का दावा अदालत में करे तो उसको अर्जी दावे में यह लिखने की आवश्यकता नहीं है कि वह उस समय में, जिसका दावा है, ख़ानदान के रहायशी मकान में रही और जब तक मुद्दायलेह साफ़ तरह पर इस से अपने प्लीडिंग में इनकार न करे तब तक इस शर्त का पूरा होना विधवा के अर्ज़ी दावे से मान लिया जावेगा।

---

1 Thompson v Birkley, 31 L. R 230, 53 I. L. R 53 Mad 645, 45 All 624, 58 Cal 539

2. A. I. R 1924 Pat 205, 1938 Lah. 96, I. L. R 7 Lah 422, 24 All. 402 F. B.

उदाहरण २—(अ) ने (ब) के हाथ गेहूँ इस शर्त से बेचे कि उनकी क़ीमत (अ) को जब मिलेगी जब वह गेहूँ किसी ख़ास दफ़्तर या किसी ख़ास आदमी की जाँच से पास हो जावें। अगर (अ) गेहूँ डिलीवर करने के बाद (ब) पर क़ीमत का दावा दायर करे तो उसको अपने अर्ज़ी दावे में यह लिखने की ज़रूरत नहीं है कि उसके डिलीवर किये हुये गेहूँ जाँच से पास हो गये थे और जब तक (ब) अपने प्लीडिंग में साफ़ तरह से इनकार न करे जाँच से पास होना अर्ज़ीदावे से समझ लिया जावेगा।[1]

इस सम्बन्ध में आर्डर ८ नियम २ भी देखना चाहिये।

नियम नं० ७ (Order VI, Rule 7)

किसी प्लीडिंग में, संशोधन की दशा के अतिरिक्त, कोई नया बिनायदावा नहीं उठाया जावेगा और न कोई ऐसी घटना का बयान लिखा जावेगा जो प्लीडिंग पेश करने वाले फ़रीक के, किसी पहिले पेश किये हुये प्लीडिंग के प्रतिकूल हो।

अब जवाब का जवाब और उसकी तरदीद देने का क़ायदा जाब्ता दीवानी संग्रह में नहीं रक्खा गया इसलिये इस नियम की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती परन्तु आर्डर ८ नियम नं० ६ इस सम्बन्ध में देखना चाहिये।

अभिप्राय इस नियम का यह है कि जब एक फ़रीक़ एक बिनायदावा अपने प्लीडिंग में दर्ज करे तो दूसरी प्लीडिंग में नया बिनायदावा नहीं उठा सकता परन्तु अदालत की आज्ञा से अपने पहिले प्लीडिंग का संशोधन करा सकता है।[2]

इस तरह कोई फ़रीक जो घटनाएँ अपने प्लीडिंग में पहिले बयान कर चुका हो उसके प्रतिकूल बयान किसी दूसरे प्लीडिंग में नहीं कर सकता।

नियम नं० १७ में प्लीडिंग के तरमीम व बदलने का तरीक़ा दिया हुआ है, उसके विचार से भी यह नियम विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं है।

नियम नं० ८ (Order VI, Rule 8)

जब किसी प्लीडिंग में कोई मुआहिदा बयान किया जावे, तो दूसरे फ़रीक के उससे सिर्फ़ इनकार करने से यह समझा जायगा कि उसको बयान किए हुये ख़ास मुआहिदे या उन घटनाओं से इनकार है जिनसे वह मुआहिदा बनता हो, उसके क़ानूनन जायज़ या पूरे होने से इनकार नहीं समझा जायगा।

इस क़ायदे का यह मतलब है कि अगर किसी मुआहिदे के होने और उसके कानूनन जायज़ होने दोनों से इनकार हो तो दोनों बातें साफ़ तौर से लिख देना चाहिये।

---

[1] I. L. R 22 Pat 513—A I. R 1944 Pat 77

[2] 5 M. I A. 271, A I R 1943 Lah. 159, 1929 Oudh 204, 1919 Mad 471

अगर केवल मुआहिदे से इनकार किया जावे तो उसके यह मानी होंगे कि मुआहिदा जो मुद्दई बयान करता है नहीं हुआ मगर उसके कानून से जायज़ होने का कोई एतराज़ नहीं है।[1]

उदाहरण १—यदि मुद्दई बयान करे कि मुद्दायलेह ने मुद्दई के साथ मुआहिदा २०० गाँठ सूत हवाला करने का १ महीने के अन्दर एक ठहरे हुए भाव से किया, इसके जवाब में अगर मुद्दायलेह बयान करे कि उसको मुआहिदे से इनकार है तो उसका यह मतलब समझा जायगा कि फरीक़ैन में झगड़ा सिर्फ मुआहिदा होने या न होने का है। यदि मुद्दायलेह को मुआहिदा के जायज़ होने से इनकार हो तो उसको लिखना चाहिये कि ऐसा मुआहिदा क़ानून से नाजायज़ है और वह कारण भी लिखना चाहिये जिससे वह अपचारयुक्त हो जैसे कहा जा सकता है कि वह जुए के रूप से था या धोखा, फरेब, दाब नाजायज़ इत्यादि से हुआ है।

उदाहरण २—यदि मुद्दायलेह किसी दस्तावेज़ के असली होने और उसके कानूनन जायज़ होने पर हमला करता हो तो दोनों एतराज़ अलग २ लिखना चाहिये। सिर्फ दस्तावेज़ के इनकार से यह मानी होंगे कि उसके असली होने से इनकार है और उसकी बाबत फरेब, झूँठ बयानी, दाब नाजायज़ वगैरह कोई ऐसा वाक़या नहीं है जो उसके विधान अनुसार ठीक होने में बाधा करता हो।[2]

दफा २३, २६ कानून मुआहिदा (एक्ट ९ सन् १८७२) के अनुसार जो एतराज़ होते हैं वे भी मुआहिदे के नाजायज़ होने के होते हैं और उनको साफ तरह से लिखना चाहिये।

नियम नं० ९ (Order VI, Rule 9)

जब किसी दस्तावेज़ के विषय का बयान करना जरूरी हो तो प्लीडिंग में दस्तावेज़ के प्रभाव का संक्षेप बयान करना काफी होगा। पूरा दस्तावेज़ या उसके किसी भाग की नकल की जरूरत नहीं है, यदि उस दस्तावेज़ के शब्द या उनका कोई भाग तत्व मुकदमा न हो।

जब किसी दस्तावेज़ की विनाय पर नालिश दायर की जावे तो उस दस्तावेज़ की शर्तों का संक्षिप्त बयान प्लीडिंग में लिखना चाहिये लेकिन बहुत से मुक़द्दमे ऐसे होते हैं जिनमें दस्तावेज़ के शब्दों के अर्थ का झगड़ा होता है और वह तत्व मुक़द्दमा होते हैं। ऐसे मुक़द्दमों में दस्तावेज़ या उसका उचित भाग प्लीडिंग में नकल किया जा सकता है।

उदाहरण १—जो दावे शुफे के रिवाज या चलन की विनाय पर होवे हैं उसमें वाजिबउलअर्ज़ का इन्दराज अकसर बहुधातत्व मुक़द्दमा होता है। एक फरीक उसको रिवाज

[1] A. I R 1932 All 199, I L R 53 All 963 See Also A I. R 1931 All 229
[2] I. L R 47 Bom 137, I L R 8 Pat 450

और दूसरा उसको मुआहिदा बयान करता है और अदालत उस इन्दराज के शब्दों से झगड़े की तजवीज और फैसला करती है। ऐसे मुकद्दमें में प्लीडिंग में इन्दराज लाजिब-उलअर्ज़ को नकल करना बेजा नहीं होता।

२—बहुत से वसीयतनामे की बिनाय पर दायर होने वाले मुकद्दमों में वसीयतनामे के शब्दों के अर्थ पर वाद विवाद होता है और इस पर मुकद्दमे का फैसला निर्भर होता है। ऐसे मुकद्दमों में दस्तावेज़ के विशेष शब्द जिनके अर्थ और अभिप्राय का झगड़ा हो वह तत्व मुकद्दमा होते हैं और प्लीडिंग में लिये जाने चाहिये।[1]

३—कभी २ किसी दस्तावेज का क़ानूनी असर उसके विशेष शब्दो पर निर्भर होता है और वही फरीकैन के दर्म्यान झगड़े की जड़ और तत्व मुकद्दमा होते हैं और प्लीडिंग में लिखे जा सकते हैं।

परन्तु ऐसे मुकद्दमों को छोड़ कर बाकी सब मुकद्दमों में दस्तावेजों का कानूनी असर लिखना काफी होता है। दस्तावेजों की पूरी शर्तें उनके प्लीडिंग में नकल कर देना अनुचित बढ़ाव करता है और ऐसा नहीं करना चाहिये।[2]

दस्तावेज़ का कानूनी असर लिखने में इस बात का ख्याल रक्खा जावे कि वह उस नीतिपत्र के रूप और उसकी शर्तों से निकलता हो, किसी फ़रीक़ के मनमाने अर्थ न हों।

नियम न० १० (Order VI, Rule 10)

जब किसी पुरुष की दुश्मनी, धोखा देने का विचार, ज्ञान अथवा न्य बुद्धि की स्थिति प्रगट करना जरूरी हो तो इन स्थितियों का घटना की तरह पर बयान करना पर्याप्त होगा। उन बातों के बयान करने की जरूरत नहीं होती जिनसे वह प्रमाणित होती हों।

यह नियम और नियम नम्बर ११ व १२, नियम नम्बर २ के भाग ४ के उदाहरण हैं और ज़ाहिर करते हैं कि विशेष मामले किस तरह प्लीडिंग में लिखे जावें।

जो हर्जे की नालिशें, फौजदारी का झूँठा और बेबुनियाद मुकद्दमा दायर करने की बाबत, मुद्दई के उससे बरी हो जाने पर दायर होती हैं उनमें दुश्मनी का बयान ज़रूरी और तत्व मुक़द्दमा होता है।

ग़फ़लत और लापरवाई की बिनाय पर हर्जे की नालिशों में इरादा और इल्म और कभी २ मन की हालत बयान करना आवश्यक होता है।[3]

फ़रेब से सम्बन्ध रखने वाले मुकदमों में फ़रेब करने का इरादा वाक़या नफ़्स मुक़दमा होता है।[4]

ऐसी सब नालिशों में मन की हालत बतौर एक वाक़या बयान की जा सकती है।

---

[1] Harris v Ware 4 C P D 125, Phillips v Phillips, 4 Q B D 127

[2] A I R 1916 Cal 658

[3] L Q B 599, A I R 1931 Mad 110

[4] I L R 31 Bom 87, 2 Q B 109

नियम नं० ११ (Order VI, Rule 11)

यदि यह प्रगट करना हो कि किसी पुरुष को किसी स्थिति या मामले या वस्तु की सूचना थी तो उस सूचना को घटना की तरह पर बयान करना पर्याप्त होगा सिवाय इस दशा के जब कि सूचना का रूप या उनके ठीक शब्द या वह हालत जिनसे सूचना प्रमाणित होती हो तत्त्व मुक़दमा हों।

सूचना (नोटिस) की परिभाषा सम्पति परिवर्तन विधान (एक्ट ४ सन् १८८२) की धारा ३ में दी हुई है।[1]

नीचे लिखी नालिशों में नोटिस का दिया जाना लिखना ज़रूरी होता है।

(१) यदि मालिक किरायेदार के ऊपर नालिश बेदख़ली करे तो दफा १०६ क़ानून इन्तिकाल जायदाद के अनुसार ज़रूरी है कि उसने नालिश दायर करने से पहिले जायदाद ख़ाली करने का नोटिस किरायेदार को दिया हो[2] और मुद्दई को अर्ज़ीदावे में ज़ाहिर करना आवश्यक होता है कि वह ऐसा नोटिस दे चुका है या कि किसी कारण से उसका देना क़ानूनन लाजिमी नहीं था। अगर मुद्दायलेह नोटिस न दिये जाने या उसके क़ानूनन अपर्याप्त होने का एतराज़ करे तो उसको लिखना चाहिये कि खाली करने का नोटिस उसको नहीं दिया गया या कि जो नोटिस उसको दिया गया वह अमुक कारण से अपर्याप्त और बेकार है।

(२) इसी तरह पर जो नालिशें सेक्रेटरी आफ स्टेट इन कौन्सिल इंडियन यूनियन के मुक़ाबले में या किसी सरकारी अफसर के ऊपर उसके ओहदे के काम के सम्बन्ध में दायर होती हैं उनमें नालिश दायर करने से पहिले दो महीने का नोटिस ज़ाब्ता दीवानी की दफे ८० के अनुसार देना पड़ता है और अर्ज़ीदावे में यह लिखाना ज़रूरी है कि इस प्रकार का नोटिस दिया जा चुका है।

(३) जो नालिश म्यूनीसिपेलटी या कोर्ट आफ वार्डस पर दायर होती हैं उनमें भी दो महीने का नोटिस नालिश दायर करने से पहिले देना होता है।[3]

(४) जो नालिश रेलवे पर दायर होती हैं उनमें दफे ७७ क़ानून रेलवे (एक्ट ९ सन् १८९०) के अनुसार यह ज़ाहिर करना अर्ज़ीदावे में ज़रूरी होता है कि बिनायदावे की तारीख से ६ महीने के अन्दर दावे का नोटिस एजेन्ट रेलवे या दूसरे आफिसर को जो उस दफ़ा के अनुसार उसके लेने का अधिकार रखता हो, दिया जा चुका है।[4]

(५) जो नालिश हुन्डी लिखने या बेचान करने वाले पर खरीदार की ओर से न सिकरने की दशा में होती हैं उसमें भी यह लिखना ज़रूरी होता है कि हुन्डी न सिकरने का नोटिस मुद्दायलह को दिया जा चुका है।

---

[1] Sec 3, Transfer of Property Act (No IV of 1882)

[2] Sec 106, Transfer of Property Act

[3] Sec 80, Civil Procedure Code

[4] See Secs 77 and 140, Indian Railways Act (Act IX of 1890)

(६) जो नालिश तकमील मुआहिदे के लिये प्रथम ख़रीदार की ओर से पिछले दे, खरीदार पर दायर होती है उनमें अव्वल खरीदार जब ही सफल हो सकता है जब वह यह साबित करे कि पिछले ख़रीदार को उसके मुआहिदे का नोटिस (इल्म या सूचना) खरीदारी करने के समय था। ऐसी नालिश में इल्म का वाक़या तत्व मुक़दमा होता है और अर्जीदावे में उसका लिखना ज़रूरी है।

कानून मुआहिदा (एक्ट ६ सन् १८७२) की दफा २२९ के अनुसार ऐजेन्ट को नोटिस, मालिक को नोटिस होने के बराबर होता है।[1]

जहाँ पर प्लीडिंग में नोटिस का दिया जाना लिखना हो वहाँ पर वह एक घटना के रूप में लिख देना काफी होता है। यह लिखना आवश्यक नहीं है कि नोटिस या सूचना का विषय क्या था या वह किस प्रकार से दिया गया। परन्तु जिन दावों में सूचना के शब्द या वह बातें जिनमे सूचना प्रमाणित हो तात्पर्य मुकदमा हो तो ऐसी हालत में यह भी लिखना चाहिये।[2]

मालिक की तरफ से किरायेदार के विरुद्ध बेदखली की नालिशों में प्रायः झगड़ा तारीख खाली करने मकान और मियाद किराये की होती है। इसी प्रकार मुहायदे की विशेष पूर्ति की नालिशों में यह कि नोटिस या सूचना दूसरे पक्ष को किस प्रकार से दी गयी, इसकी बहस होती है। रेलवे कम्पनियों के विरुद्ध दावों में नोटिस प्रमाणित करना आवश्यक होता है और प्रायः यह प्रश्न उठता है कि नोटिस उचित पुरुष को दी गयी या नहीं। इसलिये उन नालिशों में जिनमें दूसरे पक्ष को नोटिस दिया जाना आवश्यक हो ऊपर लिखी बातों पर ध्यान रख कर उसका घटित होना लिखना चाहिये।[3]

नियम नं० १२ (Order VI, Rule 12)

यदि कोई प्रतिज्ञा या सम्बन्ध किन्हीं मनुष्यों के मध्यस्त, सिलसिलेवार पत्रों या बात चीत या इसके अतिरिक्त और घटनाओं से पाया जावे तो उस प्रतिज्ञा या सम्बन्ध को एक घटना की तरह बयान करना और पत्रों या बात चीत या वाक़यात का हवाला देना काफ़ी होगा। उनकी तफ़सील देने की ज़रूरत नहीं है और अगर ऐसी सूरत में वह पुरुष जो प्लीडिंग पेश करता है एक से अधिक प्रतिज्ञा या सम्बन्ध जो उन घटनाओं से पाये जाते हों, बदल की तरह बयान करना ज़रूरी समझे तो उसको अधिकार है कि उनको उस तरह से बयान करे।

इस नियम का अभिप्राय यह है कि कोई मुआहिदा या दूसरा सम्बन्ध जिससे क़ानूनी हक़ पैदा होते हों, बहुत सी चिट्ठी या बात चीत से ठहरा हो तो प्लीडिंग में वह मुआहिदा या सम्बन्ध चिट्ठी या बात चीत के हवाले से, जैसी सूरत हो लिख देना काफ़ी

---

[1] Contract Act (IX of 1872).
[2] A I R. 1944, Pat 77 A I R
[3] A I R 1924 Nagpur 162

होता है ।[1] जैसे तकमील मुआहिदे के मुक़दमे में मुद्दई का अर्ज़ीदावे में यह बयान करना काफी हो सकता है कि उससे मुद्दायलेह ने जायदाद बेचने की प्रतिज्ञा ता०... .. व ता० के पत्रों के जरिये से किया ।

अगर इस प्रकार के पत्र व्यवहार से एक से अधिक प्रतिज्ञाओं के उत्पन्न होने की सम्भावना हो तो मुद्दई उन कुल प्रतिज्ञाओं को बदल की तरह पर बयान कर सकता है और बदल की दादरसी (alternative relief) माँग सकता है, जैसे एक ही पत्र व्यवहार से संभव है कि फरीकैन में बिक्री का मामला हुआ हो या रहन दखली का । यह दोनों क़ानूनी हक़ प्रगट करने के बाद बिक्री दादरसी के साथ रहन दखली की दादरसी बदल के तौर पर माँगी जा सकती है ।

नियम नं० १३ (Order VI, Rule 13)

किसी फ़रीक को कोई ऐसी घटना अपने प्लीडिंग में बयान करने की जरूरत नहीं है जिसका क़यास क़ानूनी (legal presumption) उसके हक़ मे हो या जिसके साबित करने का भार दूसरे फ़रीक पर हो, जब तक कि उससे पहिले साफ़ तौर पर इन्कार न किया जा चुका हो (जैसे हुन्डी का रुपया जब कि मुद्दई की नालिश हुन्डी के ऊपर हो और मुआवज़ा खास तरह पर विनाय-दावी न हो) ।

क़यास क़ानूनी तीन तरह के होते हैं जो क़ानून शहादत की धारा में तफसील से बयान किये गये हैं ।[2] और उनके उदाहरण उसी क़ानून की अन्य ४ धाराओं में दिये हुये हैं । जो क़ानूनी क़यास किसी फरीक के हक़ में हों, घटना की तरह प्लीडिंग में लिखने की उस फ़रीक को ज़रूरत नहीं होती, जब तक कि दूसरा फ़रीक उससे खुली तरह पर इन्कार न करे या उस क़यास के सिवाय और बिनाय पर भी वह फ़रीक़ कोई दादरसी चाहता हो या किसी चाही हुई दादरसी से इनकार करता हो—

उदाहरण १—अ ने ब पर एक हुन्डी के रुपये की नालिश की दफा । ११८ क़ानून हुन्डी (Sec 11 B Negotiable Instruments Act) के अनुसार क़ानूनी क़यास यह है कि हुन्डी बदल (मुआविज़े) के साथ होती है—इसलिये अ को अपने अर्ज़ीदावे में यह बात बतौर वाक़या लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हुन्डी का बदल अदा हुआ था या हुन्डी मुआविज़ा देकर लिखी गई ।[3]

२—ऊपर लिखी नालिश में अगर (ब) हुन्डी के बदल होने का उज़र करे या

---

[1] I. L R 45 All 35

[2] See Sec 4, Indian Evidence Act

[3] 1943 Nag L J 148

मुद्दई प्र हुन्डो की बिनायदावी के सिवाय असल कर्जा या मुआविज़े की बिनाय पर भी दावा करता हो तो वह अपने प्लीडिंग में यह घटना कि प्रत्युपकार या बदल दिया गया लिख सकता है।

बहुत से मुकदमों में ऐसा होता है कि रुक्का (प्रामेसरी नोट) या हुन्डी उचित स्टाम्प पर न होने या किसी दूसरी वजह से शहादत में पेश किये जाने के क़ाबिल नहीं होता, ऐसी नालिशों में मुआविज़े की बिनाय भी नालिश में रखना जरूरी होता है और अर्जीदावा इस तरह बनाना होता है कि रुक्का या हुन्डी मिसल से निकाल दिये जाने पर भी मुद्दई के हक़ में असल मुआविज़े की डिगरी हो सके और वह असल मुआविज़े की ज़रूरी शहादत दे सके।

नियम नं० १४ (Order VI, Rule 14)

हर प्लीडिंग पर फरीक के और उसके वकील के (अगर कोई हो) दस्तखत होंगे परन्तु यदि प्लीडिंग दाखिल करने वाला फ़रीक पक्ष मौजूद न होने या किसी अन्य उचित कारण से प्लीडिंग पर हस्ताक्षर न कर सके तो उसकी ओर से दस्तखत करने या नालिश या प्रतिवाद करने के लिये नियमानुसार नियत किया हुआ कोई आदमी हस्ताक्षर कर सकेगा।

हर फ़रीक और उसके वकील को प्लीडिंग पर दस्तख़त करना चाहिये और फ़रीक की ग़ैरहाजिरी में उसका मुख्तार (सर्वाधिकारी या मुख्याधिकारी उसकी ओर से दस्तखत कर सकता है। एक मुक़द्दमे में कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुद्दई की जबानी इजाजत काफी मान ली है।[1]

इस नियम का अभिप्राय है कि प्रत्येक पक्ष अपने प्लीडिंग की जिम्मेदारी ले और बाद को यह झगड़ा न उत्पन्न हो कि कोई अर्ज़ीदावा या बयान तहरीरी उस पक्ष की आज्ञा या अनुमति बिना उसकी ओर से दाखिल किया गया।[2]

सग्रह ज़ाब्ता दीवानी जो १८५६ ई० व १८७७ ई० में प्रचलित की गयी उनमें कोई विशेष दफा नहीं थी जिससे किसी पक्ष का एजेन्ट या मुख्तार उसकी ओर से प्लीडिंग पर दस्तखत कर सकता हो। यह त्रुटि १६०८ के सग्रह में दूर कर दी गयी।[3]

हस्ताक्षर या तस्दीक़ की भूल या ग़लती ऐसी ग़लती नहीं है जिसके कारण प्लीडिंग खारिज कर दी जावे। ऐसी भूल के सुधार के लिये दूसरे पक्ष को आक्षेप जल्द से जल्द करना चाहिये और ऐसी भूल या गलती का संशोधन अदालत की इजाजत से किया जा सकता है।[4]

---

[1] A I R 1943 Cal 13

[2] I. L. R 9 All 505 , A. I R 1925 Sindh 275

[3] I L R 25 All 431, I L R 4 Bom 468

[4] I L R 39 All 343, I L R 54 All 57, I L R 22 All 55

नियम नं० १५ (Order VI, Rule 15)

(१) सिवाय इसके कि किसी समय के प्रचलित क़ानून में अन्य प्रकार का हुक्म हो, हर एक प्लीडिंग के नीचे पक्ष दाखिल करने वाला या दाखिल करने वालों पक्षों में से एक या कोई दूसरा आदमी जो अदालत के इतमीनान में मुक़दमे के हालात से परिचित होना साबित हो, तसदीक लिखेगा।

(२) तसदीक़ करने वाला आदमी प्लीडिंग के नम्बरवार फिकरों के बारे में यह लिखेगा कि किनकी तसदीक़ वह ज़ाती इल्म से करता है और किनकी उस इत्तला से जो उसको मिली है और वह जिसको सत्य विश्वास करता हो।

(३) तसदीक़ पर, तसदीक़ करने वाले के दस्तख़त होंगे और उसमें तारीख़, जिस पर, और स्थान, जहाँ पर, दस्तख़त किये गये हों, लिखना होगी।

तसदीक़ करने के लिये नियम यह है कि हर प्लीडिंग की तसदीक़ उसको पेश करने वाला पक्ष करता है। अगर पेश करने वाले कई मनुष्य हों और कुछ उनमें से तसदीक़ न कर सकते हों, या कुल तसदीक़ करने के योग्यकाबिल न हों तो उनमें से कोई एक या उनकी ओर से कोई और पुरुष, जो अदालत के विश्वास में मुक़दमा के हालत से जानकारी रखता हो तसदीक़ कर सकता है।[1]

तसदीक़ हर फिकरे की बाबत अपने ज़ाती इल्म या इत्तला से जैसी परिस्थिति हो करनी चाहिये और तसदीक की तारीख़ व स्थान लिखना चाहिए और उसके नीचे हस्ताक्षर किये जावें।

जिस हालत में कोई फ़रीक़ अपने प्लीडिंग की तसदीक ख़ुद नहीं कर सकता तो उसके मुख़्तार या पैरोकार को अदालत से इजाज़त हासिल करना होती है और इजाज़त के लिये दरख़्वास्त और बयान हलफी देना होती है और अदालत को इतमीनान दिलाना होता है कि वह वाकयात मुक़दमा से परिचित है।[2]

जिस अदालत के सामने प्लीडिंग पेश किये जावें उसका यह कर्तव्य है कि यह देखे कि इस नियम के अनुसार उनको प्रमाणित कर लिया गया है और तसदीक़ उचित शब्दों में लिखी गयी है। जहाँ पर प्लीडिंग परदानशीन स्त्रियों की ओर से दाखिल की गयी हो वहा पर अदालत अपने आप को सन्तुष्ट कर सकती है कि वह प्लीडिंग उस स्त्री को, जिसकी ओर से वह दाखिल की गयी है, सुना कर समझा दी गयी थी और उसकी अनुमति, अदालत में दाखिल करने के लिये प्राप्त करली गयी थी।[3] परन्तु ध्यान रहे कि यदि

---

1. I L R 17 Cal 580 (P C)
2. I L R 26 All 154, I L R 4 Bom 468 (F B)
3. 43 I A 212, I. L R 38 All 627 (P. C)

दूसरा पक्ष उपस्थित न हो तो एक तरफा फैसले के लिये ऐसी तसदीक़ प्रमाण का स्थान नहीं ले सकती और उसके अतिरिक्त सबूत देना आवश्यक होता है ।[1]

जैसा नियम नं० १४ के नोट में ऊपर लिखा गया है तसदीक़ की गलती या भूल का सुधार अदालत की आज्ञा से किया जा सकता है । और दूसरे पक्ष को ऐसी त्रुटि जल्द से जल्द मौके पर दिखाना चाहिये ।[2]

नियम नं० १६ (Order VI, Rule 16)

अदालत को किसी स्थिति मुकदमा पर अधिकार है कि किसी प्लीडिंग में से किसी ऐसे मामले को निकालने या संशोधन करने का हुक्म देवे जो अनआवश्यक या अपमान युक्त हो या जिससे मुक़दमे के निर्णय में अन्याय, उलझन या देर होने का भय हो ।

इस क़ायदे से एक फ़रीक़ को दूसरे फरीक़ के प्लीडिंग, अदालत के हुक्म के द्वारा से संशोधन व तरमीम कराने का अधिकार दिया गया है और यह ऐसा हक़ है जिससे भारत सब में लोग बहुत कम फ़ायदा उठाते हैं ।

जो प्लीडिंग अनावश्यक व आकार में लम्बे चौड़े हों, या अनुचित शब्दों से भरे हों उनको तरमीम कराने की दरख़्वास्त देना दूसरे पक्ष का ज़रूरी काम है और ऐसा करने से ही प्लीडिंग की वर्तमान दशा सुधर सकती है परन्तु यह प्रयत्न जब ही सफल हो सकता है जब अदालतें भी इस ओर ध्यान दें । साधारणतया यह देखा है कि न्यायाधीश लोग इस तरह की दरख़्वास्त को अच्छी निगाह से नहीं देखते और एक तरह से अपना समय नष्ट करना समझते हैं । यदि उनको यह प्रतीत हो जावे कि थोड़े दिन के बाद उनको अपना ढंग बदलने और प्लीडिंग की छान बीन और दुरस्ती करने से बहुत कुछ सुगमता मिलेगी तो प्लीडिंग की प्रणाली उत्तम हो जावेगी ध्यान रहे की अदालत, बिला किसी पक्ष की दरख़ास्त के, स्वयं प्लीडिंग संशोधन का हुक्म दे सकती है ।[3]

जो वाक़आत तल मुक़दमा न हों या जो फ़रीक़ैन का मुक़दमा या आपसी सम्बन्ध समझने में मदद न देते हों वे ग़ैरज़रूरी होते हैं और उनके प्लीडिंग से निकाले जाने का हुक्म दिया जा सकता है ।[4]

इसी तरह एक फरीक का दूसरे को बेईमान—चालाक—मक्कार—दगाबाज़ कहना या बिना कारण बददयानत बतलाना या उसको कोई दोष लगाना या किसी बदनाम गिरोह या पार्टी का मेम्बर, सरगना, वगैरह बयान करना सब अपमान युक्त शब्द हैं और

---

[1] I L R 43 Cal 1001

[2] I L R 20 All 442, I L R 54 All 57, I L R 46 All 637

[3] I. L R. 40 Mad 365, F B

[4]. 114 I. C. 906 (All)

जब तक कि वह मुकद्दमे में तत्व मुक़द्दमा न हों प्लीडिंग से निकालने के योग्य होते हैं।[1]

बहुत सी घटनाएँ ऐसी होती हैं जिनके प्लीडिंग में रहने से अदालत के दिल पर एक फरीक या उसकी शहादत की निस्बत बुरा ख्याल पैदा होता है। न्यायाधीश आखिर मनुष्य ही होते हैं और ऐसा ख्याल और बद गुमानी पैदा हो जाने से अन्याय हो जाने का डर होता है। कुछ वाकयात से मुकद्दमे के सुनने में परेशानी और देर होती है।[2] इस तरह के वाक़यात के लिये प्लीडिंग में कोई स्थान नहीं होना चाहिये सिवाय उन मुक़द्दमों के जिनमें ऐसे वाकयात तत्व मुक़द्दमा हों।

नियम नं० १७ (Order VI, Rule 17)

अदालत किसी नौबत कार्रवाई मुकद्दमे पर, किसी पक्ष को आज्ञा दे सकती है कि वह अपने प्लीडिंग को उस प्रकार से और उन शर्तों पर जो न्यायानुकूल हों बदल दे, या तरमीम करे और ऐसे सब संशोधन कर दिये जावेंगे जो पक्षों के मध्य असली विवाद का निपटारा करने के लिये आवश्यक हों।

कभी २ ऐसा होता है कि दूसरे फ़रीक के बहीखाते या कागजात मुआइना करने या बन्द सवालात के जवाब से या अन्य प्रकार पर एक फ़रीक़ को अधिक हालत मालूम हो जाते हैं, या किसी ग़लती या भूल या क़ानूनी कमी की वजह से किसी फ़रीक़ को अपने प्लीडिंग तरमीम कराने की ज़रूरत होती है। इस नियम से अदालत को अधिकार दिया गया है कि वह किसी नौबत मुक़द्दमे पर किसी फ़रीक को अपने प्लीडिंग न्यायानुकूल और विशेष शर्तों पर बदलने या तरमीम करने की इजाज़त देवे, मगर तरमीम सिर्फ ऐसी होगी जो असल झगड़े फरीक़ैन का तसफ़िया करने के वास्ते ज़रूरी हो।

इस नियम का अभिप्राय है कि अदालत उन मुक़द्दमों में जो उसके सामने पेश हों असली झगड़ा फैसला करे और इस विचार से जो कुछ सुधार अथवा संशोधन, उचित हों, उनकी आज्ञा दे देवे। परन्तु ध्यान रहे कि ऐसा करने से दूसरे पक्ष के साथ कोई अन्याय न होता हो।

---

1 Davy v Garret, 7 Ch Div 473, Per Braund, J in S P Jain v Sheo Datt (A I. R. 1946 All 213=1946 A. W R 354)

"It is far too common to find invective masquerading as pleading .. . I hope that lawyers whose duty, both to their profession and to the court, it is to see that pleadings are properly framed, will set their face against this practice and whenever they do not, that Munsifs and Subordinate Judges will make strict use of those rules provided by the Civil Procedure Code for ensuring that the proper principles in practice of pleading are observed"

2 I L R. 22 Mad 155 (160)

3 Per Boven, L J in Cropper v Smith, 26 Ch Div 700 (710)

यह नियम दरख्वास्त अथवा अन्य प्रार्थना पत्रों के संशोधन के लिये भी लागू होता है ।[1] ज़ाब्ता दीवानी के सग्रह में भिन्न भिन्न प्रकार के संशोधन के लिये नियम पृथक पृथक दिये गये हैं । अदालत की आज्ञा, तजवीज और डिगरियों का संशोधन धारा १५२ के अनुसार हो सकता है ।[2] धारा १५३ में अदालत को प्रायः पूर्ण अधिकार संशोधन व सुधार के लिये दिया गया है और अदालत मुकदमें की, और उससे सम्बन्धित कार्यवाही की किसी समय पर और किसी दशा में, त्रुटि या गलती का सुधार कर सकती है ।[3]

आर्डर १ नियम न० १० के अनुसार दावे में फरीक़ैन घटाये बढ़ाये जा सकते हैं ।[4] और आर्डर ६ नियम नं० १६ के अनुसार एक पक्ष दूसरे पक्ष की प्लीडिंग का अदालत की आज्ञा से संशोधन व खण्डन करा सकता है ।[5] वर्त्तमान नियम के अनुसार एक पक्ष अपने ही प्लीडिंग को अदालत की आज्ञा से तरमीम कर सकता है और आर्डर १४ नियम नं० ५ के अनुसार मुकद्दमे की तनकीहात का सुधार किया जा सकता है ।[6]

इस क़ायदे के असली भाग ४ नियम हैं ।

(१) तरमीम की इजाज़त किसी नौबत मुकद्दमे पर दी जा सकती है यहाँ तक कि अपील दोयम तक में तरमीम हो सकती है । (A. I R. 1941 Pat. 399; 1940 Lah. 256; 1941 Cal 1 , 56 All. 428; 1937 P. C. 42)

(२) तरमीम व बदल ऐसे प्रकार या तरह पर करने की आज्ञा दी जावेगी जो न्यायानुकूल हो, जिसका यह अभिप्राय है कि अगर किसी फ़रीक का जायज़ हक़ किसी कमी या गलती की वजह से मारा जाता हो तो उसके दूर करने के लिये तरमीम का अवसर दिया जावेगा । एक फ़रीक को दूसरे फ़रीक पर बेजा फ़ायदा या क़ाबू हासिल करने के लिये तरमीम की इजाज़त न दी जावेगी । (I. L R. 58 All. 505, I. L. R. 33 Bom. 644 (649); A I R 1923. Lah. 505, 1944 Bom. 197.)

(३) दूसरी शर्तें जो न्यायानुकूल हो उसके साथ लगाई जा सकती हैं जैसे हर्जा दिलाना और दूसरे फरीक को काट के लिये और नई शहादत तहरीरी या ज़बानी दाखिल करने का मौक़ा दिया जाना । (A. I R. 1928 Oudh 305; 1927; Mad 182; 13 I C 128)

(४) असल झगड़े के तसफ़िये के लिये जो तरमीम जरूरी हों वह की जावेंगी

---

1 A I R. 1938 Pat. 209.

2 Sec 152, Civil Procedure Code.

3 Sec. 153, Civil Procedure Code.

4 Order I, Rule 10, Civil Procedure Code.

5 Order 6, Rule 16, Civil Procedure Code

6 Order 14, Rule 5, Civil Procedure Code.

जिसके यह मानी हैं कि ऐसी तरमीम नहीं की जावेंगी जिनके मुकद्दमे का प्रकार (Nature) बदलता हो और झगड़े वाली बातें कुछ से कुछ हो जाती हों। (I. A. Supp. 131 P.C.; 9 All. 188; 1942 Lah. 1 F. B.; I. L. R. 34 Cal. 372).

नियम नं० १८ (Order VI, Rule 18)

यदि कोई फ़रीक जिसको तरमीम की इजाज़त का हुक्म मिल गया हो, उस अवधि के अन्दर जो उस हुक्म से उस काम के लिये नियत की गई हो, या अगर उसमें कोई अवधि न मुकर्रर की गई हो तो हुक्म की तारीख से १४ दिन के अन्दर, तरमीम न करे तो बाद गुज़रने नियत मियाद के या १४ रोज़ के, जैसी सूरत हो, वह फ़रीक़ तरमीम नहीं कर सकेगा जब तक कि अदालत मियाद न बढ़ा देवे।

इस क़ायदे का सारांश यह है कि तरमीम नियत की हुई मियाद के अन्दर कर देनी चाहिये। अगर अदालत ने कोई मियाद नियत न की हो तो १४ दिन के अन्दर कर देनी चाहिये। यदि ऐसा न किया जावे तो तरमीम की इजाज़त का हुक्म बेकार हो जाता है, या जब तक अदालत मियाद न बढ़ावे तरमीम नहीं हो सकती।[1]

अदालत को मुहलत देने और मियाद बढ़ाने का अधिकार मियाद समाप्त होने से पहिले और मियाद समाप्त होने के बाद दोनों दशाओं में होता है और ज़ाब्ता दीवानी की दफ़ा १४८ ऐसी मियाद बढ़ाने में लागू होती है।[2]

संशोधन के साधारण अधिकार, अदालत को दफ़ा १५३ ज़ाब्ता दीवानी संग्रह में दिये गये हैं और अदालत किसी अवसर पर किसी कारवाई की भूल चूक या ग़लती दूर कर सकती है यहाँ तक कि विशेष दशाओं में अपील दोयम फैसल हो जाने के बाद भी अर्ज़ीदावा व डिगरी तरमीम हो सकती हैं।

जो नियम क़ायदा नं० १७ की व्याख्या में दिये हैं उनका तरमीम करने में हमेशा ध्यान रक्खा जाता है।

---

1 I L R 1942 Karachi (P C), 60 I C 376, 1940 Mad 641

2 I L R 16 Bom 263, 4 I C. 492 See Sec. 148, C P. C

द्वितीय अध्याय

वाद पत्र या अर्जीदावा

अर्ज़ीदावा, मुद्दई की नालिश की नींव का पत्थर होता है जिस पर मुक़द्मे का भवन उठाया जाता है। पुष्ट नींव पर हर प्रकार की इमारत मज़बूत बन सकती है इसी प्रकार से योग्य और उचित अर्ज़ीदावा बन जाने पर मुद्दई के मुक़दमे में क़ानूनी त्रुटियाँ ख़राबी आने का भय कम हो जाता है यदि अर्ज़ीदावा ठीक और यथेष्ट नहीं होता तो तरह २ की ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। बहुत सी त्रुटियाँ ऐसी होती हैं जिनका दूर करना बहुधा कठिन और कभी २ असम्भव हो जाता है।

प्रतिशत कुछ मुक़द्मे ऐसे होते हैं जो फैसला होने से पहिले या अपील में वापस लेने पड़ते हैं और दुबारा नालिश करने की इजाज़त अदालत से हासिल करनी होती है। कभी २ ऐसा होता है कि अर्ज़ीदावे की ख़राबी प्रथम अपील या अपील द्वितीय के सुनने के समय प्रतीत होती है और उस समय उसके दूर करने का कोई उपाय नहीं रहता और बहुत सा रुपया खर्च हो जाने पर भी मुद्दई अपने ऐसे हक़ पाने में असफल रहता है जो उसको क़ानून से मिलना चाहिये था। सैकड़ों अच्छे मुक़दमे प्लीडिङ्ग की ख़राबी से बिगड़ जाते हैं और मुद्दई को वह फल नहीं मिलता जो न्याय और नीति दोनों से उसको मिलना चाहिये था।

इसलिये आवश्यक है कि अर्ज़ीदावा बहुत सोच विचार के बाद लिखा जावे और उस व्यवहार की हर ओर से जाँच परताल करने और ऊँच नीच समझने के बाद उसके लिखने को लेखनी उठाई जावे।

सादा और मामूली तमस्सुक व क़र्ज़ इत्यादि की नालिशों को छोड़ कर बहुत झगड़े और ऐच पेच के मामलों के अर्ज़ीदावे जो लोग वे सोचे विचारे जल्दी से लिख देते हैं उनको बहुधा पछताना पड़ता है। कभी सशोधन की दर्ख़्वास्त देनी होती है, कभी किसी धारा को घटाना, बढ़ाना या बदलना पड़ता है, कभी बिनायदावी आगे पीछे की जाती है, कभी एक बिनायदावी की जगह दूसरी बिनायदावी रक्खी जाती है या दोनो जोड़ी जाती है और इस वजह से कभी २ नये मुद्दई या मुद्दायलह बनाये जाते हैं।

इन सब दशाओं में कष्ट और साधारण व्यय के अतिरिक्त दूसरे फ़रीक़ को हर्जा देना पड़ता है। मुक़दमे में वेमतलब का बढ़ाव और फैलाव होता है। दूसरा पक्ष

मुद्दई की सच्चाई और ईमानदारी पर आक्षेप करने का अवसर पाता है और तरह २ की शिकायतें पैदा हो जाती हैं। कभी २ यह विरोध उत्पन्न हो जाता है कि एक तरह का मुक़दमा तरमीम से दूसरी तरह का मुकदमा हुआ जाता है। ये सब त्रुटियाँ सोच विचार और समझ बूझ कर अर्ज़ीदावा तैयार किये जाने पर बहुत कम होती हैं। और दूसरे पक्ष को एतराज़ के अवसर बहुत कम हो जाते हैं।[1]

इसमें सन्देह नहीं कि उत्तम और उचित अर्ज़ीदावा तय्यार होना बहुत कुछ वकील की योग्यता, समझ और ऊँच नीच व आगा पीछा देख लेने पर निर्भर है, परन्तु साधारण योग्यता का वकील भी, यदि वह सावधानी और समझ से काम ले तो ऐसा अर्ज़ीदावा बना सकता है जो असावधानी से बने हुये अर्ज़ीदावों की त्रुटियों और दोषों से रहित होगा।

कोई वकील किसी पक्ष के मुक़दमे को उससे अधिक पुष्ट और सफलता योग नहीं बना सकता जितना कि वह असल में है, लेकिन उसके मुक़दमे को सब से अच्छी दशा में अदालत के सामने रखना योग्य वकील का कार्य्य है। उसका कोई पहलू या हालत ऐसी न छूट जावे या रह जावे जो उस पक्ष की सफलता में रोक डालने वाली हो या जिससे उसके मुक़दमे में कोई कानूनी ख़राबी पैदा हो जाती हो।

इस कर्तव्य को उत्तम और उचित रूप से पूरा करने के लिए पहिला काम जो वकील को करना चाहिये वह यह है कि मुद्दई या उसके पैरोकार से, जो मुक़दमे के हाल पूर्ण रूप से जानता हो, उन कुल हालात को ध्यान से सुने और सुनने में जल्दी न करे और न अधीर हो। जो वकील ऐसा नहीं करते उनको बहुत से मुक़दमों में पूरे वाक़यात नहीं मालूम होते और अधूरे वाक़यात पर अर्ज़ीदावा बना देते हैं जिसमें तरह २ की ख़राबी रह जाती हैं। हालात सुनने में यह जानने की कोशिश की जावे कि मुद्दई की असल शिकायत क्या है और वह क्या दादरसी, किस तरह से चाहता है।

सुगमता के लिये कुल हालात तारीख़वार, क्रम से नोट कर लेने चाहिये। यदि मुद्दई कोई वंशावली, खानदानी कुर्सीनामा या शिजरा या दायभाग का क्रम बयान करे तो वह भी लिख लिया जावे। अगर मामला ऐसा हो जिसमें कुछ आदमियों के पैदा होने या मरने की तारीख़ ज़रूरी हों या कोई ख़ास तरीक़ा उनकी विरासत का हो, तो वह भी नोट कर लिया जावे। कोई दाय भाग के सम्बन्ध में रिवाज जैसे गद्दीनशीनी, लड़कियों को हिस्सा न मिलना इत्यादि बयान किया जावे तो वह भी लिख लिया जावे।

इसी तरह जिस जायदाद का झगड़ा हो, उसकी तफसील, वह कब और किस तरह पैदा हुई, और किसके क़ब्जे में रही, और उसका क्या उपयोग रहा, और मुद्दई का हक़ उसमें कब और किस तरह पैदा हुआ और मुद्दायलेह किस वजह से मुद्दई को उसका हक़ देने से इनकार करता है, यह सब बातें नोट की जावें। इसी सम्बन्ध में कोई नक़्शा, गोशवारा, फ़ेहरिस्त या याददाश्त बनाने की आवश्यकता हो तो वह भी बनवा ली जावे।

---

[1] A I R. 1934 Pat 57.

जो तहरीर दस्तावेज़, और काग़ज़ मुद्दई या उससे पैरोकार के पास झगड़े वाली जायदाद के सम्बन्ध में हों, उनको वकील ध्यान से पढ़े और उनमें जो दूसरी दस्तावेज़ों का हवाला हो जिनसे वर्तमान झगड़े पर प्रकाश पड़ने की सम्भावना हो उनकी असल या नकल मगा कर देखे, और उनके सिवाय अन्य दस्तावेज जो झगड़े वाले मामले से सम्बन्ध रखते हों मगा कर देखे।

किसी दस्तावेज के लेख या उसके मजमून के बारे में मवक्किल के ज़बानी बयान पर भरोसा न किया जावे। किसी दस्तावेज या उसकी जाब्ते की नकल देखे बिना उनके मजमून का बयान अर्ज़ीदावे में करना उचित नहीं होता। अनुभव में आया है कि मवक्किल लोग वकीलों से ऐसे बयान अर्ज़ी नालिश में लिखवा देते हैं जिनका साबित करना दस्तावेज़ के मज़मून से कठिन होता है और कभी २ मामले की असली सूरत कुछ से कुछ हो जाती है।

सब से उत्तम नियम यह है कि अर्ज़ी नालिश बनाने से पहिले सब कागज और दस्तावेज़ जिनका मुकदमे से किसी प्रकार से लगाव या सम्बन्ध हो और जो फ़रीक़ ला सकता हो, देख और पढ लिये जावें। यदि किसी अदालत की मिसल का मुआइना कराना ज़रूरी हो तो वह भी करा लिया जावे। मतलब यह है कि इस तरह की कोशिश और तलाश से मामले का हर पहलू वकील की निगाह के सामने आ जायगा और वह यह देख सकेगा कि सबसे अच्छा और सुभीते का रास्ता मुद्दई की दादरसी का कौन सा है और किस तरह की जवाबदही मुद्दायलह की ओर से अनुमान से हो सकती है या होगी और उसका जवाब मुद्दई की ओर से क्या होगा। उस जवाब पर निगाह रखते हुये आवश्यक घटनाएँ अर्ज़ीदावा में लिखी जावें।

बहुत पुराने मामलों के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये। पुराना रहन छुड़ाने के मुक़दमे में मुद्दई को न सिर्फ़ रहन का होना, उसकी तारीख़, और रेहन के रुपये की तादाद, जायदाद का पता, और दूसरी शर्तें साबित करनी पड़ती हैं बल्कि यह भी साबित करना पड़ता है कि मुद्दई का रहन छुड़ाने का हक़ अब तक क़ायम है। इन सब बातों को साबित करने के लिये ज़रूरत होती है कि रहन के समय से हाल तक की पूरी तहक़ीक़ात ऊपर के सब मामलों के सम्बन्ध में की जावे और ऐसा करने में राहिन, मुर्तहिन और उनके प्रतिनिधियों की वंशावली उनके बयान, उनके लिखे हुये दस्तावेज़, खेवट, वाजिबुलअर्ज़, दस्तूर देही आदि काग़ज़ देखना चाहिये तब ठीक अर्ज़ीदावा, बन सकता है। ऐसी नालिश में केवल जायदाद का पता लगाने के लिये बहुत से काग़ज़ दाख़िल करने और देखने पड़ते हैं।

जिस मुक़द्दमे में किसी रीति या रिवाज की बहस होती है उसके लिये मिसालों की तलाश करना और उन अदालती फैसलों का इकट्ठा करना जिनमें वह रिवाज या चलन माना या न माना गया हो ज़रूरी होता है।

इसी सम्बन्ध में यह देखना ज़रूरी है कि मुद्दई का हक़ कब पैदा हुआ और कौन सी धारा क़ानून मियाद की उसमें लगती है, और मियाद गुज़र गई है तो गुज़री हुई मियाद के अन्दर कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई जो उस मियाद को बढ़ाती हो जैसे दफा १६ कानून मियाद के अनुसार कोई इकबाल या धारा २० क़ानून मियाद (Sections 19, 20, Limitation Act) के अनुसार असल या सूद या दोनों का अदा होना। इसके सिवाय यह कि मुद्दई हक़ नालिश पैदा होने के समय अवश्यक (नाबालिग़) या पागल था या ब्रिटिश इंडिया से बाहर तो नहीं था, यदि था तो अयोग्यता कितने दिन तक रही और कब दूर हुई।

इसके साथ यह भी ध्यान रक्खा जावे कि मुद्दई अपनी दादरसी के लिये पहिले किसी अदालत में कोई कार्रवाई उस सिलसिले मे कर चुका है या कर रहा है और वह कार्रवाई क्या थी, कितने दिन तक चलती रही और अन्तिम नतीजा क्या हुआ और किस वजह से कामयाबी नहीं हुई। इस खोज से मियाद के अतिरिक्त पुर न्याय (Res Judicata) और अदालत के मुकदमा सुनने के अधिकार (Jurisdiction) के मसलों पर भी प्रकाश पड़ता है और मालूम हो जाता है कि मुद्दई का दावा किसी पहिली मुक़दमाबाज़ी या अख़्त्यार समाअत मुक़दमा सुनने का अधिकारें न होने से असफल होने योग्य तो नहीं है।

इन सब बातों को निगाह के सामने रखते हुए अर्ज़ीदावा तैयार करना चाहिये।

प्रार्थना पत्र या अर्ज़ीदावे के जो भाग होते हैं और जिस क्रम से वह लिखा जाना चाहिये वह ज़ाब्ता दीवानी के आर्डर ७ में दिये हुए हैं। उस आर्डर को आवश्यक व्याख्या समेत नीचे देते हैं—

आर्डर ७

अर्ज़ीदावा

नियम नं० १—अर्ज़ीदावे में नीचे लिखी बातें दर्ज होंगी—

(अ) नाम उस अदालत का जिसमें नालिश दायर की जावे—

(ई) नाम, पता और रहने का स्थान मुद्दई का—

(ऊ) नाम, पता और रहने का स्थान मुद्दायलेह का जहाँ तक मालूम हो सकता हो—

(क) यदि मुद्दई या मुद्दायलेह नाबालिग़ या बुद्धिहीन (पागल) हो तो यह घटनाऐं कि वह ऐसा है।

(ख) वह घटनाऐं (वाकियात) जिनसे नालिश का अधिकार उत्पन्न हो और यह कि वह कब पैदा हुआ—

(ग) वह घटनाएँ (वाक़ियात) जिनसे यह प्रकट हो कि अदालत को मुक़द्दमा सुनने का अधिकार प्राप्त है।

(घ) दादरसी, जिसका मुद्दई दावेदार हो—

(च) जहाँ मुद्दई ने मुजराई दी हो या अपने दावे का कोई भाग छोड़ दिया हो तो मुजरा दिये हुये या छोड़े हुये मतालबे की संख्या।

(छ) अदालत का मुकदमा सुनने के अधिकार और कोर्ट-फ़ीस के मतलब के लिये मुक़दमे में जिस चीज़ का झगड़ा हो उसकी मालियत, और उसका विवरण जहाँ तक मुकदमे का उससे सम्बन्ध हो।

(अ) नाम उस अदालत का जिसमें नालिश दायर की जावे—

यह निश्चय करने के लिए कि दावा किस अदालत में दायर किया जावेगा दो बातों पर ध्यान रखना चाहिये। पहली, मुकदमें की मालियत, दूसरी बिनायदावा या हक़ नालिश का पैदा होना।

(१) मालियत या तायून के सम्बन्ध में जाब्ता दीवानी संग्रह की धारा १५ में नियम दिया हुआ है कि प्रत्येक मुकदमा सब से छोटे श्रेणी की अदालत में, जो उसके सुनने का अधिकार रखती हो, दायर किया जावेगा (See Section 15, C P C)

खफ़ीफ़ा की अदालतें, उन अदालतों की निस्बत जिनको नम्बरी मुकदमा सुनने का अधिकार होता है, छोटे दर्जे की अदालतें समझी जाती हैं और कानून खफ़ीफ़ा (Provincial Small Cause Courts Act, Act IX of 1887) की धारा १६ के अनुसार जिन मुकदमों का अदालत खफ़ीफ़ा से निर्णय हो सकता हो उनको दूसरी अदालत नहीं सुन सकती हैं। इसलिये उन मुकदमों को जिनकी मालियत ५००) से अधिक न हो (और ऐसे स्थानों में जहाँ अदालत खफ़ीफ़ा का अधिकार १०००) है, वहाँ १०००) रु० से अधिक न हो) और वह मुकदमें नकद रुपये के सम्बन्धित हो, तब ऐसे मुकदमे अदालत खफ़ीफ़ा ही में दायर करने चाहिये।

जो नालिशें खफ़ीफ़ा की अदालतें नहीं सुन सकतीं वह अदालत मुन्सफी, सिविल जजी या ज़िला जजी में, जिनको उनके सुनने का अधिकार हो दाखिल करनां चाहिये। भारतीय संघ (Indian Union) में कलकत्ता, मदरास, बम्बई, इलाहाबाद, पटना, और नागपुर के हाई कोर्टों के अतिरिक्त जो कि सम्राटीय चार्टर से स्थापित की गई थीं, गवर्नर जनरल के पास किये हुये भिन्न भिन्न कानूनों से नीचे लिखी हुई अदालतें स्थापित की गई हैं[1]

[1] For Bombay Presidency, Act XIV fo 1869, For Madras -

प्रेसीडेन्सी नगरों को छोड़कर मुफ़स्सिल को दीवानी अदालतें प्रायः चार प्रकार की होती है :—

(१) अदालत ज़िला जज

(२) अदालत सिविल जज या सबार्डिनेट जज प्रथम श्रेणी

(३) अदालत ज़िला मुन्सिफ या अन्य मुन्सिफ या सबार्डिनेट जज द्वितीय श्रेणी

(४) अदालत जज खफ़ीफ़ा ।

पहली दो प्रकार की अदालतों के आर्थिक अधिकार की कोई सीमा नहीं है और यह अदालतें हर प्रकार के मुकदमे सुन सकती हैं चाहे उनकी मालियत कितनी भी हो।

मुन्सिफ़ी के आर्थिक अधिकार प्रायः ५०००) रु० से अधिक नहीं होते और कहीं कहीं पर केवल २०००) ही होते है । खफ़ीफा के मुकदमों का निर्णय करने का अधिकार न्यायाधीश के अनुभव के अनुसार दिया जाता है और प्रायः १००) रु० तक होता है। जहाँ पर खफीफा की अदालत पृथक होती है वहाँ पर उनके आर्थिक अधिकार १०००) रु० तक दिये गये हैं।[1]

(संयुक्त प्रान्त में ऐसी अदालतें आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, बनारस, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ और मुरादाबाद में स्थित हैं)

बम्बई, पंजाब व मध्य प्रान्त में अदालत सिविल जज को अदालत सबार्डिनेट जज प्रथम श्रेणी की कहते हैं और अदालत मुन्सिफ को अदालत सबार्डिनेट जज द्वितीय श्रेणी कहते हैं ।

सर्वसाधारण के हित के लिये जो ट्रस्ट स्थापित किये जाते हैं या जिनका किसी धार्मिक कार्य से सम्बध हो उनकी बाबत ट्रस्टी हटाये जाने, नये ट्रस्टी नियत करने या प्रबन्ध प्रणाली नियत करने इत्यादि के दावे ज़ाब्ता दीवानी की धारा ९२ के अनुसार अदालत जिला जज में दाखिल होते हैं। और कानूनी उत्तराधिकार (Indian Succession Act, Act XXXIX of 1925) और ईसाई धर्म के अनुयायियों के विवाह सम्बन्धित मुकदमें भी (under the Indian Divorce Act, IV of 1869) अदालत ज़िला जज या अदालत हाई कोर्ट में दाखिल होते हैं।

बहुत से प्रान्तों में स्थानीय कानून प्रचलित हैं जिनके अनुसार विशेष मुकदमे माल की अदालातों में दाखिल होते हैं और उन मुकदमों से अदालत दीवानी का कोई सम्बन्ध नहीं रहता। इसलिये जहां आवश्यकता हो ऐसे प्रान्तीय या स्थानीय क़ानून को मुकदमा दायर करने से पहले अवश्य देख लेना चाहिये ।

बिनाय दावा या हक़ नालिश के सम्बन्ध में ज़ब्ता दीवानी संग्रह की धारा १६, १७,

---

[1] Presidency Act III of 1873, For Bengal N W P and Assam Act XII of 1887

१८, १९ और २० हैं जिनका सारांश यह है कि अचल सम्पत्ति (जायदाद गैरमनकूला) स्थित के दावे उस अदालत में दायर होते हैं जिसकी अधिकार सीमा के अन्दर वह जायदाद स्थित हो और चल सम्पत्ति (जायदाद मनकूला) और किसी मनुष्य को व्यक्तिगत हानि पहुँचाने पर हर्जे के दावे, मुद्दई की इच्छानुसार उस अदालत में दायर होते हैं जिसकी अधिकार सीमा के अन्दर नुकसान पहुँचाया गया हो, या जिसकी अधिकार-सीमा के अन्दर मुद्दायलेह रहता हो या कारबार करता हो, या लाभ के हेतु कार्य करता हो।

इन नियमों के अनुसार प्रत्येक दावा उस अदालत में दायर किया जावेगा जिसके कि अख़्तयार समाअत की अधिकार-सीमा के अन्दर—

(अ) मुद्दायलेह और जब एक से अधिक मुद्दायलेह हों तो हर एक मुद्दायलेह मुक़दमा दायर करने के समय वास्तव में और अपनी खुशी से रहता हो या कारबार करता हो या मुनाफे के लिये काम करता हो, या।

(ब) मुद्दायलेहम में से कोई एक (जहाँ एक से अधिक हों) मुक़द्दमा दायर करने के समय वास्तव में और अपनी खुशी से रहता हो या कारबार करता हो या अपने फ़ायदे के लिये काम करता हो परन्तु शर्त यह है कि ऐसी हालत में या तो अदालत ने आज्ञा दे दी हो या मुद्दायलेहम जो ऊपर लिखी तरह न रहते हों या कारबार न करते हों या आप मुनाफे के लिये काम न करते हों, ऐसा दावा दायर होने में रज़ामन्द हों, या—

(स) बिनाय दावा, पूर्ण या अंशित उत्पन्न हुआ हो।

अचल सम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाले दखल, बटवारा या विभाजन, रहन होने पर नीलाम और इनफिकाक, भार की पूर्ति इत्यादि के दावे वहीं पर दायर होंगे जिस अदालत की अधिकार सीमा में ऐसी अचल सम्पत्ति स्थित हो। यदि झगड़े की जायदाद एक से अधिक अदालतों की अधिकार सीमा में स्थित हो तब दावा उनमें से किसी एक अदालत में मुद्दई की इच्छानुसार दायर किया जा सकता है।

प्रतिज्ञा भंग होने पर दावा करने का स्वत्व वहाँ पैदा होता है जहाँ पर (१) प्रतिज्ञा या मुहाइदा किया गया हो या (२) जहाँ पर ऐसी प्रतिज्ञा को भग किया गया हो या (३) जहाँ पर उसके सम्बन्ध में कोई रुपया दिया लिया गया हो या दोनों पक्षों में और कोई कार्य करना नियत किया गया हो[1]

उदाहरण—यदि एक पुरुष ने स्थान देहली में २०० बोरे सरसों मुद्दई को स्थान बम्बई में देने और उसका मूल्य मुद्दई के फर्म से जो कि स्थान पटना में स्थित है, लेने की प्रतिज्ञा की और उसका रहने का स्थान कलकत्ता हो तो प्रतिज्ञा भंग होने पर दावा इन चारों शहरों में दायर किया जा सकता है क्योंकि देहली, बम्बई और पटना में बिनाय दावा पैदा हुआ और कलकत्ता मुद्दायलेह के रहने का स्थान था।

---

1 I. L. R. 25 Allahabad 49, 44 I C 863

अदालत का मुकदमा सुनने का अधिकार (अखत्यार समाअत) प्रार्थना पत्र या अर्जीदावा के बयानो पर निर्भर होना है[1] कभी कभी फरीकैन में मुआहिदा हो जाता है। कि यदि उनमें किसी व्यवहार या व्यवसाय का झगड़ा उत्पन्न होगा तो किसी विशेष अदालत में दायर किया जावेगा, यदि ऐसी प्रतिज्ञा हो तो दावा नियत अदालत में ही दायर करना चाहिये[2]

संयुक्त प्रान्त में U. P. Agriculturists' Relief Act की धारा, के असार काश्तकार के विरूद्ध दावा उसी अदालत में दायर किया जा सकता है जिसकी अधिकार सीमा में वह रहता हो न कि जहाँ उसका मोरूसी निवास स्थान हो[3] मुद्दायलेह के निवास स्थान का नालिश दायर करते समय ध्यान रखना चाहिये।

(ई) व (ऊ) नाम पता व रहने का स्थान मुद्दई का और मुद्दायलेह का जहाँ तक मालूम हो सकता हो।

जाब्ता दीवानी संग्रह के आर्डर १ नियम नं० १ के अनुसार।

"वह सब मनुष्य एक मुक़दमे में मुद्दई सम्मिलित किये जा सकते हैं जिनको किसी एक ही कार्य्य या मामले या कार्य्यों या मामलों के सिलसिले की बाबत, या उनके सम्बन्ध में, किसी दादरसी का हक होना बयान किया जाता हो, चाहे सम्मिलित हो कर पृथक् २, या उनमें से किसी को, जहाँ यदि ऐसे आदमी पृथक् २ दावा दायर करते, तो घटनाओं या क़ानून के समान प्रश्न उत्पन्न होते"।

इसी प्रकार से उसी आर्डर के नियम ३ के अनुसार "वह सब मनुष्य मुद्दायलेह बनाये जा सकते हैं जिनके विरुद्ध में कोई दादरसी का हक़ एक ही कार्य्य या व्यवहार या कई कार्य्यों या व्यवहारो में होना बयान किया जाता हो, चाहे सम्मिलित होकर या पृथक् २ या उनमें से किसी पर, जहाँ कि पृथक् २ दावे ऐसे मनुष्यों के विरूद्ध में दायर होते, तो कोई घटनाओं या क़ानून का समान प्रश्न उत्पन्न होता"।

इन दोनों नियमों का अभिप्राय यही है कि जहाँ पर समान प्रश्न कानून से या घटनाओं से उत्पन्न होते हों वहाँ पर एक से अधिक मनुष्यों के स्वत्वों का निर्णय अदालत कर सकती है और ऐसे सब मनुष्य को एक ही मुकदमें में मुद्दई या मुद्दायलेह बनाये जा सकते हैं।

साधारणतया दावे में वादी और प्रतिवादी नियत पुरुष ही होते हैं परन्तु बहुत से दावे ऐसे होते हैं जिनमें निश्चय रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि कई विशेष पुरुषों में से वास्तविक स्वत्वअधिकारी कौन सा पुरुष है या किसके विरुद्ध अदालत

---

1 Mst Ananti v Channu, A. I. R 1930, All 193 F B

2 Musaji v Durgadas, A. I. R 1946, Lah 57, F B 936 All 514; 1937 All 650

3. Kishori Lal v. Ram Sunder, 19 A. L. J 822.

से डिगरी मिल सकती है। ऐसी दशा में इन नियमों के अनुसार वे सब मनुष्य मुद्दई या मुद्दायलेह बनाये जा सकते हैं।

ऐसे मनुष्यों के अतिरिक्त बहुत से मुक़दमों में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका फ़रीक़ होना दूसरे नियमों के अनुसार आवश्यक होता है और उनके फ़रीक किये बिना वह मुक़दमे नहीं चल सकते।

ज़ाब्ता दीवानी का आर्डर ३४ नियम १, रहन के दावों से सम्बन्ध रखता है और वह यह है:—

"रहन के सबन्धित किसी दावें में वे सब मनुष्य फ़रीक बनाये जावेंगे जिनका रहन वाली जायदाद या रहन छुड़ाने के अधिकार में कोई हक़ हो"[1]

इसलिये रहन के मुक़दमे में चाहे वह रहन छुटाने का हो या जायदाद नीलाम कराने का, वे सब व्यक्ति फ़रीक़ कर लेने चाहियें जिनका सम्बन्ध जायदाद या हक़ इनफिकाक से हो[2] जो पुरुष मुद्दई बनने चाहियें और बनने से इनकार करें, उनको मुद्दायलेह बना देना चाहिये और यह बात स्पष्ट रूप से अर्ज़ीदावे में लिख देना चाहिये।

इसी तरह मुआहिदा की बाबत जो नालिश उसके पूरा करा पाने या उसकी बाबत और दादरसी हासिल करने की होती है उसमें वे सब व्यक्ति जिनको दादरसी का हक़ होता हो और वे सब मनुष्य जिनके मुक़ाबिले में दादरसी का हक़ होता हो, ज़रूरी फ़रीक होते हैं और उनके लिये भी ऊपर लिखे अनुसार कार्रवाई करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में क़ानून मुआहिदा (एक्ट ९ सन् १८७२) की दफ़े ४१ व ४३ पर ध्यान रखना चाहिये।

बहुत से मुक़दमों में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनको फरीक़ बनाना या न बनाना मुद्दई के अख़्त्यार में होता है। जैसे अगर कोई क़र्ज़ का ख़रीदार उसकी वसूलयाबी का दावा देनदार के मुक़ाबिले में दायर करे तो क़र्ज़ा बेचने वाले का फ़रीक़ मुक़दमा करना लाज़िमी नहीं होता। इसी तरह जो और दूसरी नालिशें इन्तक़ाल लेने वाले की जानिब से होती हैं उनमें इन्तक़ाल करने वाले फ़रीक जरूरी नहीं होते लेकिन सुविधा इसीमें बहुधा रहती है कि बेचने वाले को फ़रीक़ कर लिया जावे जिससे वह आगे को अपने किये हुए इन्तक़ाल की बाबत कोई झगड़ा पैदा न कर सके।

जहाँ कहीं सन्देह हो कि कोई विशेष व्यक्ति फरीक बनाना चाहिये या नहीं तो ऐसी दशा में अच्छा यही होता है कि उसको फ़रीक मुक़दमा कर लिया जावे और अर्ज़ीदावे में वह घटनायें लिख दी जावें जिनके कारण से उसको फ़रीक बनाया हो। ऐसा करने से यदि अदालत उसको अनावश्यक फ़रीक़ करार देती है तो मुद्दई से खर्चा बहुधा उन घटनाओं का खयाल करते हुये नहीं दिलाती।

---

[1] A. I R 1927, P C 232

[2] A. I R. 1935 Cal. 667

जो नालिश मियाद खतम होने के क़रीब दायर होती है उसमें फरीक़ बनाने की बाबत विशेष सावधानी बर्तनी पड़ती है। अगर कोई ज़रूरी फ़रीक मियाद के अन्दर फ़रीक़ बनने से रह जाता है तो उसके मुक़ाबिले में दावे में तमादी लग जाती है।

इन सब बातों को सामने रखते हुए वकील को अर्ज़ीदावा तैयार करना और मुक़दमे को तरतीब देना चाहिये।

इन दोनों उपनियमों (ई व ऊ) में पूरा पता से अभिप्राय पिता का नाम, जाति, व्यवसाय और निवास स्थान से होता है जिससे उस व्यक्ति की व्यक्तित्व (Individuality) निश्चय हो जाय। जहाँ वादी या प्रतिवादी संख्या में एक से अधिक हों तो उन पर नम्बर डाल देने चाहिये विशेष कर जब प्रतिवादियों की संख्या अधिक हो और उनके स्वत्व एक से पृथक् पृथक् हों या उनको भिन्न २ कारणों से प्रतिवादी बनाया गया हो तो उनके दूसरे पृथक् २ पक्ष बना देने से सुविधा होती है जैसे प्रतिवादी प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष, तृतीय पक्ष इत्यादि (मुद्दायलेहम फरीक़ अव्वल, फरीक दोयम, फरीक सोयम वगैरह)

यदि वादी बहुत से हो और उनके स्वत्वाधिकार पृथक् हो सकते हैं तो भी ऐसा ही कर लेना चाहिये परन्तु ऐसा कम होता है क्योंकि जहाँ भिन्न २ वादियों के स्वत्व पृथक् २ होते है वहाँ पर उनकी ओर से एक ही मुकदमा चालू करने के बजाय एक से अधिक दावा दायर करना अच्छा होता है। जब किसी विशेष वादी या प्रतिवादी के सम्बन्ध में कोई घटना अर्जीदावे में लिखी जावे तो यह अच्छा होता है कि उसके नाम के साथ उसका नम्बर अथवा उसका पक्ष या दोनों ही लिख दिये जावें जैसे—"लक्ष्मी चन्द वादी नं० २" या "रामकृष्ण प्रतिवादी नं० ६" या "अहमद बख्श मुद्दायलेह फरीक दोयम" इत्यादि। ऐसा करने से गलती का डर बहुत कम हो जाता है

उपनियम (अ), (ई) और (ऊ) में जो बातें लिखी जाती हैं वह मुक़दमे का सिरनामा कहलाती हैं। अर्ज़ीदावे में मुक़दमे का सिरनामा विवरण के साथ दिया जाता है और वह इस प्रकार होता है। (देखो परिशिष्ट (१) अपेन्डिक्स (ए) ज़ाब्ता दीवानी)।

मुक़दमे का सिर नामा

अदालत ...

अ— ब — (लिखो पूरा पता, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान इत्यादि)

.... वादी या मुद्दई।

बनाम

क— ख —(लिखो पूरा पता, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान इत्यादि)

...... प्रतिवादी या मुद्दायलेह।

इसके अतिरिक्त मुक़द्दमे का नम्बर और (वर्ष ईस्वी सन्) लिखा जाता है। वास्तव में यह सिरनामे का कोई भाग नहीं है परन्तु इसके लिखने की आवश्यकता इस कारण

से होती है कि एक अदालत में एक साल में सैकड़ों मुक़दमे दायर होते हैं और जब तक मुक़दमे का साल और नम्बर न मालूम हो उसकी मिसल का पता लगना कठिन होता है और उसके सम्बन्ध के काग़ज़ उसकी मिसल में सुगमता से सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। इसलिये अर्ज़ीदावे के सिवाय और जो प्रमाण पत्र, काग़ज़, दरख़्वास्त, फ़िहरिस्त सबूत इत्यादि दाख़िल होते हैं उन पर भी संक्षिप्त सिरनामा और मुक़द्में का नम्बर और साल लिखना पड़ता है और वह इस प्रकार होता है—

अदालत ·········· · ··· ··· ।

नम्बर मुक़द्दमा ····· सन् ····· ।

अ—ब,··· ·········· · मुद्दई ।

बनाम

क—ख, ·· · ·····मुद्दायलेह ।

(क) यदि मुद्दई या मुद्दायलेह नाबालिग़ या बुद्धिहीन (पागल) हो तो हो यह कि वह ऐसा है—

इस नियम के अनुसार जिन मुक़दमों में वादी या प्रतिवादी आवश्यक या बुद्धिहीन (नाबलिग़ या पागल) होते हैं उनमें आवश्यक होता है कि इस बात का उल्लेख किया जावे क्योंकि विधानानुसार ऐसा व्यक्ति न कोई दावा कर सकता है न किसी दावे का प्रति उत्तर दे सकता है।

यदि वादी (मुद्दई) नाबालिग़ या बुद्धिहीन हो तो उसकी ओर से दावा उसके किसी मित्र, पैरोकार या रफीक की मार्फ़त, आर्डर ३२ नियम न० १ ज़ाप्ता दीवानी संग्रह के अनुसार होना चाहिये। यदि ऐसा न किया जावे तो प्रतिवादी की प्रार्थना पर ऐसा दावा खारिज कर दिया जाता है और जो पुरुष या वकील ऐसा दावा दायर करने का ज़िम्मेदार हो उससे अदालत प्रतिवादी का खर्चा दिला सकती है[1]

इसी प्रकार से यदि प्रतिवादी नाबालिग़ या बुद्धिहीन हो तो अदालत मुक़दमे में किसी अन्य कार्यवाही होने से पहले आर्डर ३२ नियम २ ज़ाप्ता दीवानी संग्रह के अनुसार उसका संरक्षक या वाली उस मुक़दमे के लिये नियत करती है और इसके लिये दरख्वास्त मुद्दई को देना पड़ती है जो किसी ऐसे पुरुष का नाम निर्धारित करता है जो नाबालिग़ का संरक्षक होने योग्य हो और जिसका कोई हक नाबालिग़ के विरुद्ध उस मुक़द्में में न हो। यदि नाबालिग़ का पहले से कोई सार्टिफिकेट प्राप्त संरक्षक हो तो प्रायः वही मुक़दमे में उसका संरक्षक नियत किया जाता है।

जो प्रार्थना पत्र मुक़दमे के दौरान में संरक्षक नियत करने के लिये दी जाती हैं उनकी पुष्टि (ताईद) के लिये शपथ पूर्वक कथन (बयान हलफी) देना होता है जिसमें

---

1 See Order XXXII, Rules 1 and 2, C P C

प्रतिवादी के अवयस्क होने और निर्धारित संरक्षक का उसका योग्य संरक्षक होना इत्यादि लिखना चाहिये। जो नियम नाबालिगों के लिये ज़ाब्ता दीवानी संग्रह में दिये हुए है वही नियम आर्डर ३२ नियम १५ के अनुसार बुद्धिहीन पुरुषों को भी लागू होते हैं

दावा हमेशा नाबालिग के नाम से दाखिल होता है, वली के नाम से दाखिल नहीं होता और न वली फरीक मुकदमा समझा जाता है[1] बिला वली के कोई दावा नाबालिग की ओर से अदालत में सुनने योग्य नहीं होता है। कोई मुसलमान नाबालिग स्त्री भी अपने पति के विरुद्ध तलाक के लिये दावा बिना वली के नहीं कर सकती[2] और बिना संरक्षक नियत किये नाबालिग के विरुद्ध यदि डिगरी हासिल भी कर ली जावे तो वह न्याय विरुद्ध होती है[3] इसलिये यह हमेशा ध्यान रखने योग्य बात है कि जहाँ पर कोई फरीक नाबालिग हो, उसका संरक्षक नियत कराये बिना मुकदमे को आगे नहीं चलाना चाहिये यह भी ध्यान रखना चाहिये कि कोई व्यक्ति किसी नाबलिग़ का, उसकी बिना रज़ामंदी संरक्षक नहीं बनाया जा सकता है[4] यदि मुकदमे के दौरान में नाबालिग बालिग़ हो जावे तब उसकी सूचना अदालत को दरख्वास्त देकर देनी चाहिये जिससे अदालत उसके संरक्षक को हटा दें।

विशेष मुकदमों में फरीकैन का पता

कुछ ऐसे मुकदमे होते हैं जिनमें मुद्दई और मुद्दायलेह के पता देने के लिए विशेष नियम बताये गये हैं। इन नियमों का ध्यान रखकर अर्जीदावा या जवाबदावा तैयार करना चाहिये। शीर्षक के नमूने नीचे दिये हुये हैं।

जो नालिशें सरकार की ओर से या उसके विरुद्ध की जाती हैं उनमें ज़ाब्ता दीवानी संग्रह की धारा ७९ के अनुसार पता इस प्रकार देना चाहिये।

(अ) जब कि मुद्दई या मुद्दायलेह केन्द्रीय सरकार हो तो उसका पता (Government of India Act of 1935) के अनुसार "गवर्नर जनरल इन काउन्सिल" या "इन्डियन यूनियन सरकार"

पहिले "सिक्रेटरी आफ स्टेट फार इन्डिया इन कौन्सिल" के नाम से जो मुक़दमे चलते थे वह अब Indian Independence Act 1947 के बाद "भारत संघ" या "इन्डियन यूनियन" के नाम से जावेंगे।]

(ब) जब कि प्रान्तीय सरकार फरीक हो तो उसका पता प्रान्तीय सरकार के नाम से दिया जाता है, जैसे प्रान्तीय सरकार संयुक्त प्रान्त बिहार इत्यादि।

एडवोकेट जनरल, प्रान्त या सूबा...

---

1 Bhaba Porshad Khan v Secretary of State, I L R 14 Cal 159 (F B)

2 Sakina Bibi v Natthi, 1944 A L W 41

3 Vali Jan v Bankey Behari, 30 I L R Cal 1021 (P C) also 57 Mad. 973, 55 Cal 124

4 Baij Nath Rai v Dharam Deo Tewari, 14 A L J 353, 29 A L J 777

कलक्टर या ज़िलाधीश जिला . .

स्टेट ऑफ . . ..या रियासत . ...

[Sovereign Prince या Ruling Prince, स्वतन्त्र नरेश अपने राज के नाम से दावा कर सकता और उसके विरुद्ध उसके राज के नाम से दावा हो सकता है इस सिलसिले में जाब्ता दीवानी संग्रह की धारा ८२ से ८७ तक देखने योग्य है ।]

अ—ब— लिमिटेड कम्पनी जिसका रजिस्टरी किया हुआ दफ़्तर स्थान . ..है।

अ—ब— एक पबलिक आफ़ीसर क—ख—कम्पनी का ।

अ—ब— (लिखो पूरा पता इत्यादि स्वयं अपने और क—ख— (पता इत्यादि लिखो) के और सब ऋण देने वालों की ओर से ।

अ—ब— (पूरा पता और निवास्थान लिखो) स्वयं अपनी और अन्य डिबेंचर हिस्सेदार कम्पनी... · लिमिटेड की ओर से ।

अ—ब—'नाबालिग (पूरा पता और निवास्थान लिखो), क—ख (या कोर्ट आफ़ वार्डस) अपने रफ़ीक़—की मारफ़त ।

अ—ब—(पूरा पता इत्यादि) पागल (या कमसमझ बज़रिये क—ख अपने रफ़ीक़ के ....

अ—ब—'फ़र्म शराकती जो साझे का कारबार स्थान आफशल दिसविर करता है ।

[दो या दो से अधिक व्यक्ति जो आपस में किसी फर्म के साझीदार हों, उस साझीदारी के सम्बंधित दावे फर्म के नाम से दायर कर सकते हैं और उनके विरुद्ध भी फर्म के नाम से दावा हो सकता है । एक ही साझीदार फर्म की ओर से अर्जी दावा व जवाब दावा पर हस्ताक्षर कर सकता है और उसको प्रमाणित (तसदीक़) कर सकता है परन्तु हिन्दू अविभक्त कुल की ओर से, कर्ता या मैनेजर के अतिरिक्त कोई अन्य सदस्य ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हिन्दू कुल के सदस्य कानूनन साझीदार नहीं समझे जावे ।[1]

सिन्ध और पंजाब प्रान्तों को छोड़कर, जहाँ पर जाब्ता दीवानी के आर्डर ३० नियम १ को हिन्दू अविभक्त कुल के कारबार के लिये भी लागू कर दिया है, अन्य प्रान्तों में कुल के फर्म के नाम से दावा नहीं चल सकता ।[2]

अ—ब—(पता इत्यदि) बज़रिये अपने एटरनी क—ख (पता इत्यादि) . ...के ।

अ—ब—,(पता इत्यादि) शिवायत ठाकुर .. ..

अ—ब—,(पता इत्यादि) वसी क—ख मरे हुये का .. .

अ—ब—,(पता इत्यादि) उत्तराधिकारी—मृत का—ख—का ।

---

1 A I R 1936 Nag 292

2 A I R 1940 Lah 256, 1935 [All 280, 1933 Bom 304, 1938 Pat 270]

नियम न० १ (ख)—घटनाएँ जिनसे नालिश करने का अधिकार उत्पन्न हो और यह कि वह कब पैदा हुआ—

इस उप-नियम का अभिप्राय है कि मुक़दमे के तत्व की घटनाएँ, अर्थात् वे घटनाएँ जिनको प्रमाणित करने पर मुद्दई अदालत का निर्णय अपने हक़ में घोषित होने की आशा करता हो, अर्ज़ीदावे में लिखनी चाहिये।[1]

इन्हीं तत्व की घटनाओं के उचित रूप से उल्लिखित किए जाने पर दोनों पक्षों के स्वत्वों और मुक़दमें का निर्णय निर्भर होता है क्योंकि ये घटनाएँ मुक़दमे की बुनियाद या आधार होती हैं। इनके यथेष्ट रूप से लिखने के लिए नियम पहले अध्याय में दिये जा चुके हैं (आर्डर ६, नियम २ और उसकी व्याख्या विशेष रूप से देखनी चाहिये)।

उन नियमों का साराश यह है कि प्रार्थना पत्र से स्पष्ट रूप से प्रगट होना चाहिये कि मुद्दई को किस प्रकार से और किस समय हक़ नालिश उत्पन्न हुआ और मुद्दाअलेह की ज़ुम्मेदारी किस प्रकार पैदा हुई। ये घटनाएँ विस्तार पूर्वक नहीं वरन् संक्षिप्त रूप में लिखी जानी चाहिये।

इस सम्बन्ध में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है। कहीं कहीं पर एक ही घटना से या बहुत सी घटनाओं से वादी को एक से अधिक स्वत्व उत्पन्न होते हैं और उनके लिए वह भिन्न भिन्न दादरसी मांग सकता है। इसके विरुद्ध कहीं कहीं पर एक से अधिक घटनाओं के घटित होने पर भी उसको एक ही दादरसी मिल सकती है। दोनों दशाओं में घटनाओं को अर्ज़ीदावे में इस प्रकार से लिखना चाहिये जिससे मुद्दई के भिन्न भिन्न स्वत्व, यदि हों प्रकट हो जावें और वह उन सबको प्रमाणित कर सके और बहस के समय उनसे सहायता ले सके

उदाहरण:—(१) यदि मुद्दई अपने किसी पूर्वज का उत्तराधिकारी हो और ऐसे पूर्वज ने उसके हक़ में निष्ठापत्र (वसीयत नामा) भी लिखा हो, तो यह दोनों बातें अर्ज़ीदावे मे प्रगट होनी चाहिये कि मुद्दई उत्तराधिकार से और वसीयत से भी पूर्वज की सपत्ति पाने का अधिकारी है।

(२) यदि वादी अपने मकान के सामने की ज़मीन को प्राय: २० वर्ष से आने जाने या मालकाना रूप से प्रयोग में लाता रहा हो और प्रतिवादी उसमें हस्तक्षेप करे तो वादी अपने दावे में कह सकता है कि वह उस ज़मीन का १२ साल से अधिक कब्ज़ा मुख़ालिफ़ाना रखने से मालिक हो गया और यदि यह साबित न हो सके तो यह भी कि उसको उस भूमि पर सुविधाधिकार (हक़ आसाइश) हासिल है।

(३) इसी प्रकार मुद्दई, मुद्दायलह के ऊपर उसको, अपनी ओर से किरायेदार बयान करके दावा करे और यह भी कि मुद्दई उस जायदाद का मालिक है ताकि किराये दारी साबित न होने पर दावा खारिज़ न हो।

---

1. Cook v Gill, 8 C. P 107, I L R 30 Bom. 570, I. L. R 39 All. 506, I. L. R. 22 Cal. 451

वे घटनाएँ जिनसे हक़ उत्पन्न होने का समय प्रगट हो इसलिये लिखना आवश्यक होता है जिससे दावे का मियाद के अन्दर होने का हिसाब लग सके।[1]

नियम नं० १, (ग) वे घटनाएँ जिनसे यह प्रकट हो कि अदालत को मुक़दमा सुनने का अधिकार प्राप्त है।

इस नियम के अनुसार यह अर्जीदावा में दिखलाना आवश्यक होता है कि अदालत की अधिकार सीमा के अन्दर प्रतिवादी का निवास स्थान होने, अथवा हक नालिश उत्पन्न होने या झगड़े वाली अचल सम्पत्ति का ऐसी सीमा में स्थित होने के कारण अदालत को मुक़दमा सुनने का अधिकार प्राप्त है[2] इस सम्बन्ध में जाब्ता दीवानी संग्रह की १५ से लेकर २० तक धाराएँ देखली जावें और यदि तब भी किसी विशेष अदालत का मुक़दमा सुनने का अधिकार संदेह युक्त प्रतीत हो, तो वे सब घटनाएँ जिनसे मुद्दई का उस अदालत में दावा करने का हक़ बनता हो, अर्जीदावे में स्पष्ट रूप से लिख दी जावें।

यदि दावा किसी प्रतिज्ञा या उसकी पूर्ति न करने से सम्बन्ध रखता हो, तो कानून मुआहिदा (Contract Act) की वे धाराएँ जिनमें प्रस्ताव की स्वीकारी या अस्वीकारी का उल्लेख है ध्यान में रखनी चाहिये क्योंकि हक़ नालिश अंशतः अधिकार सीमा में उत्पन्न होने से भी अदालत को मुक़दमा सुनने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

यह बात मुद्दई को सिद्ध करनी होती है कि उस अदालत को, जहाँ पर दावा दाखिल किया गया, मुक़दमा सुनने का अधिकार है न कि मुद्दायलह को, कि ऐसा अधिकार उस अदालत को नहीं है[3]। इसके अतिरिक्त जो बयान अर्जीदावे में लिखे जाते हैं उन्हीं के अनुसार, न कि जवाबदावे के बयानों के अनुसार, वह अदालत नियत होती है जहाँ कि मुक़दमा सुना जावेगा[4] और यह भी अर्जीदावे के बयानों पर ही निर्भर है कि मुक़दमा अदालत माल में सुना जावे या दीवानी में[5] इस लिए ऐसे बयानों का अर्जीदावा में लिखा जाना अत्यन्त आवश्यक होता है।

नियम न० १ (घ) मुद्दई की फरियाद, या दादरसी जिसका वह प्रार्थी हो।

मुद्दई की प्रार्थना, जो अर्जीदावे के अन्तिम भाग में लिखी जावे, उचित और स्पष्ट शब्दों में होनी चाहिये और इस प्रकार की होवे जो उसकी बयान की हुई घटनाओं

---

[1] I. L. R. 59 Cal 448

[2] A I. R 1938 Mad. 497, 1925 Nag 183

[3] A I R 1938 Mad. 497.

[4] I. L. R 52 All 501, F B, 13 Pat 344 F B, A. I. R 1934, Lah. 803.

[5] A. I. R. 1931 All. 664.

से उसको विधानानुसार मिल सकती हो और अदालत उसके देने का अधिकार रखती हो। अनावश्यक शब्द दादरसी में उचित नहीं होते और आगे चलकर उनसे अन्य झगड़े उत्पन्न होने का भय रहता है। ऐसे शब्द जैसे "मुद्दई के हक़ का ख्याल करके" या "बतजवीज़ इस वाके के कि .." या "बइस्तक़रार इस अमर के" इत्यादि अनावश्यक शब्द हैं और व्यर्थ होते हैं। कभी २ उनके कारण अधिक कोर्ट फीस देनी पड़ती है।

यदि किसी नाबालिग़ के संरक्षक ने कोई जायदाद क्रय या रहन कर दी हो या उसका कोई अन्य परिवर्तन कर दिया हो और नाबालिग़, बालिग़ हो जाने पर जायदाद के दख़ल का दावा दायर करे तो ऐसी नालिश में बैनामे, रहननामे या अन्य दस्तावेज़ के मंसूख कराने की प्रार्थना अनावश्यक होती है।

इसी प्रकार से उत्तरदायी या पश्चात् दाय-भागी (वारिस या बाद) जो दख़ल की नालिश किसी हिन्दू विधवा के मर जाने पर ऐसे पुरुष के मुक़ाबले में दायर करते हैं जिसने उस विधवा से बै या रहन इत्यादि ली हो, उसी नालिश में इन्तक़ाल मंसूख़ कराने की दादरसी व्यर्थ होती है, परन्तु देखने में आया कि प्रायः अनुभवी वकील भी ऐसी दादरसी लिखे बिना नहीं रहते।

जिन मुक़दमों में इस्तक़रार की दादरसी ज़रूरी हो वहाँ उसके लिये प्रार्थना करना चाहिये जैसे कुर्क़ी से बचाने के लिये इस्तक़रार कराना ज़रूरी होता है परन्तु जहाँ दख़ल की दादरसी हो वहाँ इस्तक़रार भी चाहना व्यर्थ होता है।

रहन के आधार पर जो नालिश जायदाद के नीलाम की हो, उसमें दादरसी चाहे डिग्री आर्डर ३४ रूल ४ ज़ाब्ता दीवानी के अनुसार माँगी जा सकती है चाहे वह इबारत लिख दी जा वे जो ऐसी डिग्री में लिखी जाती है। रहन छुटाने, रहन के प्रतिषेध करने और प्रतिज्ञा पूर्ति की नालिश में भी इसी प्रकार से दादरसी बनाना चाहिये।[1] विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अदालत हुक्म सुनाने में बहुधा दावे को डिग्री या डिसमिस करती है और उसी के अनुसार डिग्री तैयार होती है और डिग्री में डिग्री लिखने वाले अधिकतर अर्जीदावे की दादरसी की इबारत नक़ल कर देते हैं, इसलिए जिस पकार उत्तम और उचित शब्दों में दादरसी होगी, तो दावा डिग्री होने पर उसी प्रकार अधिक अवसर उसके प्राप्त होने का होगा।

जो नालिश मरे हुये ऋणी के उत्तराधिकारी के ऊपर हो उसमें दादरसी की माँग ऋणी की जायदाद के मुक़ाबिले में होनी चाहिये यदि वारिस ने कोई ऐसी जायदाद का हिस्सा अपने काम में लगा लिया हो तो उसकी हद तक, दादरसी वारिस की ज़ात के मुक़ाबिले में माँगी जा सकती है।

अवयस्क (नाबालिग़) अथवा बुद्धि हीन (पागल) की केवल जायदाद ज़िम्मेदार

---

[1] Or. 34, Rules 2 to 7, C. P. C.

होती है। इसी तरह मन्दिर के शिवायत, ट्रस्टी और वक्फ़ की जायदाद के मुतवल्ली बहुधा जायदाद की हद्द तक जुम्मेवार होते हैं सारांश यह है कि दादरसी ऐसी माँगी जावे जो विधानानुसार मिल सकती हो और मुक़दमे की घटनाओं से मुद्दई उसके पाने का हक़दार हो।

इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिये कि आर्डर २ नियम ३ ज़ाब्ता दीवानी संग्रह का अभिप्राय है कि जो जो प्रार्थना एक ही बिनाय दावे के निसबत मुद्दई कर सकता है और जो उसको विधानानुसार मिल सकती है उसको करनी चाहिये क्योंकि यदि असावधानी से कोई विशेष प्रार्थना छूट जावे तो उसके लिये दूसरा दावा नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके लिये अदालत से आज्ञा न ली गई हो। मुद्दई का कुल दावा जो किसी विशेष बिनाय पर उत्पन्न हो उसके मुकदमें में सम्मिलित समझा जाता है[1] इसलिये मुद्दई का कर्तव्य होता है कि प्रत्येक दादरसी जो उसको मिल सकती हो, अर्जीदावे में दर्ज करे।

नियम नं० १ (च) मुजरा दिये हुए या छोड़े हुए मतालबे की संख्या।

जो दावे का भाग छोड़ा जावे या मुजरा दिया जावे उसको अर्ज़ीदावे के अन्दर या हिसाब की तफ़सील में, या दोनों जगह जैसा जहाँ उचित हो लिख देना चाहिये। छोड़े हुए भाग का अन्य दावा नहीं हो सकता और मुद्दई का दावा एक बिनाय मुख़ासमत की बाबत उस कुल दादरसी का समझा जाता है जो वह उस की बाबत कर सकता है। यदि मुद्दई को क़ानूनन दो दादरसी मिलने का हक हो और वह उनमें से केवल एक दादरसी चाहे तो यह समझा जायेगा कि दूसरी दादरसी उसने छोड़ दी है। (देखो ज़ाब्ता दीवानी आर्डर २, रूल २)।

नियम नं० १ (छ) झगड़े वाली सम्पत्ति का विवरण और उसकी मालियत।

ज़ाब्ता दीवानी संग्रह की धारा १५ से प्रत्येक मुकदमा उसकी मालियत के अनुसार सबसे नीचे की श्रेणी की अदालत में दाखिल होता है इसलिये अर्जीदावे में मालियत लिख देने से वह अदालत निश्चित हो जाती है जिसको उस मुकदमे के सुनने का अधिकार हो[2] और उसी आर्थिक संख्या, मालियत या तायून से यह निश्चय होता है कि उस मुकदमे में अपील हो सकती है या नहीं और यदि हो सकती है तो किस अदालत में। झगड़े वाली वस्तु की मालियत के हिसाब से ही कोर्ट फीस देनी होती है।

जहाँ कोर्ट फीस झगड़े वाली सम्पत्ति के बाज़ारी मूल्य के हिसाब से ली जावे वहाँ यह दोनों संख्या एक ही होती हैं परन्तु बहुत से मुकदमों में अन्य रीति से कोर्ट फीस लिया जाता है जैसे ज़मींदारी के दख़ल के दावों में मालगुज़ारी के पचगुनी संख्या पर यद्यपि उसका बाज़ारी मूल्य कहीं अधिक हो,[3] रहन छुटाने या रहन के प्रतिषेध के दावों में कोर्ट फीस रहन के मूल धन पर दिया जाता है[4] और किरायेदार को बेदख़ल करने के दावों में

---

[1] 1900 A W N 214

[2] I. L. R. 40 Mad Page 1

[3] See A I R 1937 Bom 326, and Sec. 7 V (d) Court Fees Act

[4] See Art 17 (iii) Court Fees Act

केवल एक वर्ष के किराये की संख्या पर कोर्ट फीस लगता है, ऐसे दावों में अदालत के आर्थिक अधिकार के लिये और कोर्ट फीस के लिये दावे की मालियत की संख्या भिन्न भिन्न होती है।

इस उप-नियम के अनुसार झगड़े वाली जायदाद की मालियत और उसका विवरण अदालत के मुकदमा सुनने के अधिकार को नियत करने और कोर्टफीस अदा करने की ग़रज़ से लिखना ज़रूरी होता है। कभी दोनों के लिए मालियत एक होती है और कभी पृथक् पृथक्। इस सम्बन्ध में कोर्टफीस[1] और सूट्स् वैल्यूएशन एक्ट[2] ८ सन् १८८७ की उचित धाराओं का ध्यान रक्खा जावे।

नियम नं० २—यदि मुद्दई नक़द रुपया का दावेदार हो तो अर्ज़ीदावे में दावे की शुद्ध संख्या लिखी जायगी परन्तु यदि नालिश पिछले मुनाफे की हो और शुद्ध संख्या इस प्रकार की हो कि वह मुद्दई और मुद्दाअलेह के मध्य हिसाब लिये जाने पर मालूम हो तब अर्ज़ीदावे में दावे के रुपये की केवल अनुमानित संख्या लिखनी पर्याप्त होगी।

आशय यह है कि जब मुद्दई दावे के रुपये की ठीक संख्या जानता हो तो उसको वह संख्या लिख देनी चाहिये, जैसे कर्ज़ा, तमस्सुक, हुन्डी, रुक्का, माल की क़ीमत इत्यादि की नालिश में ठीक तादाद लिखना ज़रूरी है। यदि नालिश किसी जायदाद की आमदनी की बाबत हो या हिसाब समझने की हो जिनमें हिसाब हुए बिना ठीक तादाद नहीं मालूम हो सकती, उनमें अनुमान से तादाद लिख देना काफ़ी होता है।

हिसाब समझाने, पुराने मुनाफे और अन्य ऐसे दावों में जहाँ नालिश करने के समय मुद्दई को अपना रुपया निश्चित रूप से मालूम न हो, उनमें पिछले मुनाफे के हिसाब से[3] न कि आगे होने वाले मुनाफे के हिसाब से मालियत निश्चित की जाती है और उस पर कोर्ट फीस दी जाती है।[4] और बहुधा यह प्रार्थना करना उचित होता है कि हिसाब से जितना रुपया मुद्दई का निकले उसकी डिगरी, कोर्ट फीस लेकर सादिर की जावे। यदि अदालत मुकदमे की मालियत से अधिक की डिगरी मुद्दई को दिलाती है तो ऐसे अधिकांश पर डिगरी की तय्यारी के समय कोर्ट फीस ले ली जाती है।

नियम न० ३—जब अचल सम्पत्ति के लिये दावा हो तो अर्ज़ीदावे में उस जायदाद का पर्याप्त पता, जिससे वह नियत की जा सके, लिखा जायेगा यदि उस जायदाद की चौहद्दी या नम्बर, बन्दोबस्त या पैमाइश के कागज़ों में दर्ज हो तो अर्ज़ीदावे में ऐसी चौहद्दी और नम्बर लिखे जावेंगे।

---

[1] Court-fees Act VII of 1870 as amended in 1938

[2]. Suits Valuation Act, Act 8 of 1887

[3] I. L. R 53 Cal 992, 5 Pat 361 F B.

[4]. A I. R 1935 Lah 689, 22 I C. 71

जायदाद की तफ़सील लिखने के दो मतलब होते हैं। प्रथम यह कि दोनों पक्षों में उसकी पहचान की बाबत कोई झगड़ा नहीं होने पाता[1] और दूसरे डिग्री सादिर हो जाने के बाद उसके इजराय में कोई बखेड़ा नहीं होता।[2] उपरोक्त स्पष्ट नियम, होने पर भी यह देखा गया है कि वकीलों के मुहर्रिर इस तरफ़ पूरा ध्यान नहीं देते। कहीं चौहद्दी अशुद्ध होती है, कहीं खाता और खेवट का नम्बर नहीं होता, और कहीं मुहाल लिखने से रह जाता है। कहीं रसदी हिस्सा न्यूनाधिक (कम बेश) लिख दिया जाता है, कहीं रक़बा या मालगुज़ारी ठीक नहीं होते[3] जिसका फल यह होता है कि इजराय डिग्री में बहुत से विरोध उत्पन्न हो जाते हैं और कभी कभी मुद्दई अपनी डिग्री का फल पाने से वंचित रहता है। इसलिये वकील का कर्तव्य है, कि वह जायदाद की तफ़सील और उसका पता स्वयं देख लेवे और केवल मुहर्रिर के ऊपर ही न छोड़ देवे। कुछ दिनों के अनुभव के बाद मालूम होगा कि बहुत सी मुक़दमेबाज़ी जो इजराय डिग्री में इस असावधानी से खड़ी हो जाती है वह उत्पन्न न होगी और दोनों पक्ष बहुत से अनुचित व्यय से बचेंगे। यदि कोई ग़लती, तफ़सील या जायदाद के पते इत्यादि में, मुक़दमे के मध्य में ज्ञात हो तो उसको तुरन्त संशोधन करा देना चाहिये। ज़ाब्ता दीवानी की धारा १५२ के अनुसार इस तरह की दुरुस्ती हर समय हो सकती है।

नियम न० ४—जब मुद्दई प्रतिनिधि (क़ायममुक़ाम) की हैसियत से दावा करे तो अर्जीदावे में न केवल यह प्रगट किया जायगा कि उसका दावा की वस्तु में वर्तमान स्वत्व है वरन यह भी दिखलाना होगा कि उसने वह आवश्यक कार्यवाही (यदि कोई हो) करली है, जिससे उसको उसके सम्बन्ध में दावा करने का अधिकार प्राप्त होता है।

जो रुपये की नालिश उत्तराधिकारी की ओर से दायर हो उसमें आवश्यक होता है कि डिग्री सादिर होने से पहिले उत्तराधिकार का सार्टिफिकट दाख़िल किया जावे।[4] इसी प्रकार जो नालिश किसी वसीयतनामे के एक्ज़ीक्यूटर (Executor) की ओर से की जावे उसमें प्रोबेट या प्रबन्धक पत्र (Probate or Letters of Administration). प्राप्त करके दाख़िल करना ज़रूरी होता है[5] इसलिये ऊपर लिखे नियम के अनुसार प्रतिनिधि को अपनी नालिश में दोनों बातें लिखना चाहिये। प्रथम यह कि वह प्रतिनिधि की हैसियत से नालिश करने का अधिकार रखता है[6] और दूसरी यह कि वह सार्टिफ़िकट विरासत, प्रोबेट या प्रबन्धक पत्र या अन्य कार्यवाही जो वारिस या ऐसे क़ायममुक़ाम को नालिश का अधिकार हासिल करने के लिये ज़रूरी होती हो, कर चुका है।

---

[1] 5 C W N 121

[2] See Or 20, Rule 9, C. P C

[3] I. L. R 23 Pat 145, A I R 1944 Pat 254

[4] I L R 23 Pat. 145, A. I R 1944 Pat 254.

[5] See Sections 212, 213, Succession Act

[6] I. L. R 7, Bom. 467, 12 Lah 428.

अगर मुद्दई किसी इन्तक़ाल के ज़रिये से नालिश करने का अधिकारी हो तो उसका ज़िक्र करना ज़रूरी है। यदि एक से अधिक इन्तक़ाल हुये हों तो उनको सिलसिले से लिख देना चाहिये जिससे मुद्दई का अन्तिम स्वत्वाधिकारी होना प्रगट हो सके[1] यदि मुद्दई किसी हिन्दू अविभक्त का उत्तरजीवी (पसमान्दी) होने की हैसियत से दावा करता हो, तो उसको लिखना चाहिये कि वह इस तरह से मालिक है और उत्तराधिकार के सार्टिफिकट की ज़रूरत नहीं है।

उत्तराधिकारी और निष्ठाकर्ता (वसी Executor) की नालिशों के अतिरिक्त निम्न लिखित नालिशें भी प्रतिनिध की हैसियत से होती हैं—

(१) किसी समूह या बिरादरी की ओर से एक या एक से अधिक व्यक्ति की नालिश। (under Or. 1, rule 8, C. P. C.)

(२) किसी ट्रस्ट से संबन्धित, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की नालिश (under Sec. 92, C. P. C.).

(३) हिंदू अविभक्त कुल की ओर से कर्ता या मैनेजर की नालिश

(४) किसी मूर्ति या मठ की ओर से शिवायत या प्रबन्धक की नालिश[2]

(५) साझे या शराकत की ओर से फर्म या कोठी के नाम से नालिश[3]

नियम नं० ५—अर्ज़ीदावे से यह प्रगट होना चाहिये कि मुद्दाअलेह दावा की हुई वस्तु में हक़ रखता है या हक़ रखने का दावा करता है और वह इस बात का ज़ुम्मेदार है कि मुद्दई के दावे का जवाब दे।

किसी दावे का कारण तब ही उत्पन्न होता है जब कि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करे जो उसको नहीं करना चाहिये या कोई ऐसा कार्य न करे जो उसको करना कानून से आवश्यक हो। जैसे यदि कोई पुरुष किसी से ऋण ले या कोई माल खरीद करे और उसका रुपया या मूल्य मांगने पर या किसी निश्चित समय पर देने की प्रतिज्ञा करे, परन्तु प्रतिज्ञा की पूर्ति न करे, तो वह ऐसे कार्य न करने का दोषी होता है जो उसको करना चाहिये था।

इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे की नाली बन्द करदे, या दीवाल गिरादे, या उसकी जायदाद पर अनुचित कब्ज़ा कर ले वे, तो वह ऐसा कार्य करता है जो उसको विधान की दृष्टि में करना नहीं चाहिये था और प्रत्येक दशा में मुद्दई के दावा करने पर अदालत मुद्दायलह से उचित कार्य न करने या अनुचित करने का जबाब तलब करती है। अर्जीदावे में लिखी हुई घटनाओं से, मुद्दई का ऐसे प्रश्न करने का अधिकार प्रत्यक्ष होना चाहिये।

---

[1]. A I R 1927 All 128 (130)
[2]. A. I. R 1930 Pat. 97
[3]. See Order 30 C P. C.

साधारण ऋण के दावे में यह लिखना कि मुद्दाअलेह पर इतना रुपया बाकी है जो उसने अदा नहीं किया मुद्दई के ऐसे अधिकार को पूर्ण रीति से प्रगट कर देता है। इसी प्रकार हुक्म इमतनाई निकलवाने के दावे में मुद्दई का सुखाधिकार (हक़ आसायश) इत्यादि का वर्णन कर देना मुद्दाअलेह से जवाब तलब किये जाने के लिये काफ़ी होता है।

इसलिये अर्जीदावे से यह प्रगट होना ज़रूरी है कि जिस बात का दावा किया जाता है उसका सम्बन्ध मुद्दाअलेह से है या मुद्दाअलेह उससे अपना सम्बन्ध बतलाता है और उस सम्बन्ध के कारण वह मुद्दई के दावे का ज़िम्मेदार है।[1] सम्भव है कि मुद्दाअलेह की ज़िम्मेदारी किसी मरे हुये आदमी के या किसी पहिले ओहदेदार के प्रतिनिध की हैसियत से हो, ऐसी दशा में यह बात अर्जीदावे से प्रगट होनी चाहिये और उसी के अनुसार मुद्दाअलेह की ज़िम्मेदारी नियत करनी चाहिये।[2]

नियम नं० ६—जब नालिश उस मुद्दत के बाद दायर की जावे जो तमादी की क़ानून से नियत हो, तो अर्जीदावे में वह कारण जिससे तमादी से बचाव वांछनीय हो, प्रगट करना चाहिये।

अर्जीदावा तैयार करते समय यह देखना आवश्यक होता है कि हक़ नालिश कब पैदा हुआ और कौन सी क़ानून तमादी की धारा उससे लागू होती है। अगर उस धारा से नियत की हुई मियाद बीत चुकी हो तो इस नियम के अनुसार अर्जीदावे में यह दिखलाना ज़रूरी है कि किस बिनाय पर दावा तमादी से बचता है।[3] वह कारण जो दावे को तमादी से बचा सकते हैं वह कानून तमादी[4] की धारा ६ से लेकर २१ तक में दर्ज हैं। नाबालिगी, बुद्धहीनता ब्रिटिश इन्डिया (अब भारतीय) संघ से बाहर रहना, ज़िम्मेदारी का इक़बाल, असल व सूद या दोनों का अदा करना, ऐसे कारण हैं जिनसे मियाद बढ़ जाती है। कभी कभी अदालती कार्रवाई का ढँग न मालूम होने और ग़लत कार्रवाई करने से भी मियाद मिल जाती है। यदि ऐसे कारण अर्जीदावे में न लिखे जावें तो वह ख़ारिज हो सकता है[5] और न मुद्दई उन कारणों का प्रमाण दे सकता है[6] यद्यपि अदालत अर्जीदावे के संशोधन की आज्ञा दे सकती है[7] यदि मियाद ख़तम होने के दिन अदालत की छुट्टी हो तो, छुट्टी के बाद अदालत खुलने के दिन मुक़दमा दाखिल किया जा सकता है और ऐसी दशा में यह लिखना आवश्यक नहीं है क्योंकि, यह स्वयं

---

1. A. I. R. 1924 Nag. 191
2. A. I. R. 1927 P. C. 41, 11 M. I. A. 241 (265), I. L. R. 41 A. 247.
3. A. I. R. 1936 Mad. 545, 1933 Lah 491, 1944 Nag 37, I L. R. 54 All. 506; I. L. R. (1944) Mad. 572
4. Act 9 of 1908, Limitation Act, Secs. 6—21
5. Under O. VII, rule 11, cl. D
6. I. L. R. 31 Cal. 195, A. I. R. 1934 P. C 208, 1934 Lah. 753
7. I. L. R. 34 Bom. 250, 1918 Lah. 220)

अदालत देख सकती है[1] परन्तु यदि यह लिख भी दिया जावे तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

जिस बिनाय पर मियाद बढ़वाना मंजूर हो वह बिनाय लिखना आवश्यक होता है। यदि कोई विशेष काल मियाद से घटाना मंजूर हो तो उसका आरम्भ और अन्त ठीक तरह से लिख देना चाहिये। यदि कोई साधारण धारा जैसे १२० लगानी मन्जूर हो तो वह भी यदि मुनासिब हो तो लिख दी जावे परन्तु हर हालत में ऐसा लिखना ज़रूरी नहीं है। यदि कोई विशेष धारा जैसे ८५ या ६४ क़ानून तमादी की लगती हो तो सुविधा इसी में होती है कि उसको स्पष्ट रूप से अर्जीदावे में लिख दिया जावे।

नियम नं० ७—प्रत्येक अर्जीदावे में वह दादरसी जिसका मुद्दई दावेदार हो, स्पष्ट रूप से लिखी जावेगी, चाहे वह दादरसी एक हो या एक के बजाय दूसरी हो और किसी साधारण या अन्य दादरसी का लिखना आवश्यक नहीं है, जिसको अदालत हमेशा, यदि उचित समझे उसी प्रकार से दे सकेगी जैसे कि यदि वह माँगी गई होती, और यही नियम प्रत्येक दादरसी से लागू होगा जो मुद्दायलेह अपने बयान तहरीरी में माँगता हो।

दादरसी की तफसील की बाबत पहिले उपनियम नं० १ (घ) की व्याख्या में लिखा जा चुका है, दो या कई दादरसी में से एक दादरसी या एक के स्थान पर दूसरी दादरसी उस समय माँगना आवश्यक होती हैं जब मुद्दई एक साथ सब के पाने का अधिकार नहीं रखता या उनमें से केवल एक पा सकता है। जब ऐसी दशा हो। तो स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिये कि अमुक दादरसी मुद्दई को और उसके न मिलने की हालत में अन्य दादरसी मिलनी चाहिये।

जैसे यदि चल सम्पति का दावा हो तो जायदाद न मिलने की सूरत में दूसरी दादरसी मुआवज़ा या हर्जा की होनी चाहिये। बहुत से मुकदमों में मुद्दई को निश्चित रूप से मालूम नहीं होता कि अनेक मुद्दायलहों में से कौन ज़ुम्मेदार होगा, ऐसी दशा में दादरसी नीचे लिखे प्रकार से माँगी जा सकती है।—

"मुद्दायलेहम या जो उनमें से मुद्दई के दावे का ज़ुम्मेदार क़रार पावे उसके मुक़ाबले में डिगरी सादिर की जावे"।

नियम नं० ८—जब मुद्दई कई भिन्न भिन्न दावों या बिनाय दावों के आधार पर दादरसी चाहता हो, जो अलग और एक दूसरे से पृथक् कारणों पर निर्भर हों, तो वह जहाँ तक हो सके अलग अलग और भिन्न भिन्न रूप से लिखी जावेंगी।

---

1. A I R. 1937 Pesh. 41, 1920 Nag 200.

उन परिस्थितियों के अतिरिक्त जो ज़ाब्ता दीवानी के आर्डर २, नियम ४ और ५ में दी हुई हैं, मुद्दई को एक दावे में एक से अधिक बिनाय नालिश सम्मिलित करने का अधिकार नहीं होता है, और प्रत्येक बिनाय नालिश पृथक् २ बयान होनी चाहिये जिससे यदि मुद्दायलेह उज्र करे और अदालत से कोई बिनाय नालिश अलहदा करने का हुक्म हो, तो अर्जीदावे का संशोधन सरलता से हो सके। ऐसा करने से कोर्टफ़ीस और अदालत का मुकदमा सुनने का अधिकार मालूम करने में सुविधा होती है और मुद्दायलेह हर एक की बाबत जवाब भी आसानी से दे सकता है।[1]

वह सिद्धान्त जिनके अनुसार मुद्दई एक दावे में एक से अधिक बिनाय दावा सम्मिलित कर सकता है ज़ाब्ता दीवानी संग्रह के आर्डर २ नियम ३ में दिये हुये हैं। ऐसा करने के लिये पहली शर्त यह है कि वे सब बिनाय दावे जो सम्मिलित किये जावें, एक ही मुद्दायलेह के विरुद्ध हो या जहाँ पर मुद्दायलेहों की संख्या एक से अधिक हो तो उनके विरुद्ध अविभक्त (मुश्तर्का) होवें। इसी प्रकार जहाँ पर कई मुद्दई एक ही मुद्दायलेह या एक से अधिक मुद्दायलेह के विरुद्ध अविभक्त स्वत्व रखते हों तो उनको एक ही दावे में शामिल किया जा सकता है। दूसरी शर्त यह है कि ऐसे बिनाय दावे के सम्मिलित हो जाने पर अदालत का मुकदमा सुनने का अधिकार उनकी कुल जोड़ी हुई मालियत के अनुसार निश्चित होता है और कोर्ट फीस प्रत्येक बिनाय दावे पर पृथक् पृथक् देनी पड़ती है (देखो कोर्ट फीस एक्ट नं० ७ सन् १८८० की धारा १७)

किसी अचल सम्पत्ति के दख़ल की नालिश में बकाया किराया या पुराने मुनाफ़ा का दावा भी उसका अंश समझा जाता है। इसी प्रकार अचल सम्पत्ति के सम्बन्धी प्रतिज्ञा पूर्ति न करने के दावे में, हर्जे का दावा उसका अंश समझा जाता है और एक ही दावे में दोनों प्रार्थना माँगी जा सकती हैं।

अर्जीदावे में लिखने योग्य बातों का सारांश

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है अर्जीदावा या अर्जीनालिश वह लेख होता है जिससे मुद्दई अपनी शिकायत अदालत में उपस्थित करता है और उसकी सहायता का प्रार्थी होता है। अंग्रेजी में इसको Plaint और इंगलैंड में उसको Statement of claim कहते हैं।

अर्जीदावे या अर्जीनालिश में जो बातें लिखी जानी चाहियें वे ज़ाब्ता दीवानी संग्रह के आर्डर ६ में दर्ज हैं और आर्डर ७ में वे बातें दी हुई हैं जो विशेष रूप से लिखी जाती हैं। इस लिये प्रत्येक अर्जी दावा आर्डर ६ और ७ में भिन्न भिन्न दिये हुये नियमों के अनुसार होना चाहिये और उसमें निम्नलिखित बातें आवश्यक होती हैं।

---

1 35 Ch. D 492 (499), I. L. R. 1920 Cal 93

(१) उस अदालत का नाम जिसमें दावा दायर किया जावे (आ० ७ नि० १ अ)

(२) मुद्दई का नाम पता और निवास स्थान और मुद्दायलेह का नाम, पता और निवास स्थान जहाँ तक मालूम हो सके (आ० ७ नि० १ ई०)

(३) यदि मुद्दई या मुद्दायलेह अवयस्क (नाबालिग़) या बुद्धिहीन हों तो यह कि वह ऐसे हैं (आ० ७ नि० १ क)

(४) यदि मुद्दई ने प्रतिनिधि की हैसियत से दावा दायर किया हो तो यह प्रगट किया जावे कि मुद्दई झगड़े के मामले से सम्बन्ध रखता है और यह कि उसने वह सब आवश्यक कार्य कर लिये है जिनसे उसको नालिश दायर करने का अधिकार प्राप्त हो (आ० ७ नि० ४)

(५) मुकदमे की वे तत्व घटनायें जिन पर मुद्दई तर्क करता हो संक्षिप्त रूप में लिखी जावें (आ० ६ नि० २)

(i) वे घटनायें जो मुक़दमे की आधार हों (आ० ७ नि० १ ख) ऐसी घटनायें भिन्नभिन्न धाराओं में बाट कर नम्बर बार लिखी जावेगी और तारीख, नम्बर, रक़म, अकों में लिखी जावेगी (आ० ६ नि० २)

(ii) यदि मुद्दायलेह के धोखा, असत्य वर्णन, अनुचित दबाव या धरोहर को अनुचित प्रयोग में लाने का तर्क करना हो तो उन घटनाओं की तारीख, रकम इत्यादि विवरण सहित लिखना चाहिये (आ० ६ नि० ४)

(iii) यदि कोई पक्ष किसी प्रतिज्ञा के अव्यवहारिक या विधान युक्त न होने का विरोध करे, तो उस प्रतिज्ञा से केवल इन्कार कर देना पर्याप्त नहीं होता (आ० ६ नि० ८)

(iv) यदि किसी दस्तावेज़ का उल्लेख किसी मुक़दमे में आवश्यक हो तो उसके प्रभाव को अत्यन्त संक्षिप्त रूप में लिख देना पर्याप्त होगा और पूर्ण दस्तावेज़ या उसके किसी भाग की नकल करना आवश्यक न होगा जब तक कि उसके शब्द तत्व मुक़दमा न हों। (आ० ६ नि० ६)

(v) जब किसी व्यक्ति की दुश्मनी, धोखा देने की इच्छा, किसी घटना की सूचना का होना या अन्य कल्पना युक्त तर्क का लिखना आवश्यक हो तो उन बातों को घटना के रूप में लिख देना पर्याप्त होता है और वे विवरण आवश्यक नहीं हैं जिनसे वे बातें प्रमाणित होती हों (आ० ६ नि० १०)

(६) यदि नकद रुपये का दावा हो तो उसकी सही संख्या अर्जीदावे में लिखी जावेगी परन्तु यदि दावा पुराने मुनाफे का हिसाब समझाने का हो तो उसकी अनुमानित संख्या लिखी जा सकती है। (आ० ७ नि० २)

(७) जब कि दावा अचल सम्पत्ति के लिये हो तो उसका ऐसा विवरण दिया जावेगा जिससे उसकी पहचान आसानी से हो सके। (आ० ७ नि० ३)

(८) मुद्दायलह का झगड़े वाली वस्तु से प्रयोजन रखना या प्रयोजन रखने का दावेदार होना अर्जीदावे से प्रगट होना चाहिये। (आ० ७ नि० ५)

(९) अर्जीदावे में यह लिखा जाना आवश्यक है कि मुद्दई का बिनाय दावा कब और कहाँ पर उत्पन्न हुआ और यह कि अदालत को मुकदमा सुनने का अधिकार है (आ० ७ नि० १ ग)। यदि नालिश साधारण अवधि के पश्चात दाखिल हो तो वह कारण जिनसे कानून मियाद से बचाव होता हो लिखने चाहिये (आ० ७ नि० ६)

(१०) दावे की मालियत देना, जहाँ तक सम्भव हो, अदालत का मुक़दमे सुनने का अधिकार निश्चित करने और कोर्ट फ़ीस नियत करने के लिये आवश्यक है। (आ० ७ नि० १ घ)

(११) न्याय के लिये प्रार्थना जो मुद्दई चाहता हो, लिखी जावेगी परन्तु जो दादरसी अदालत स्वय दे सकती हो उसको लिखना आवश्यक नहीं है (आ० ७ नि० ७)

(१२) अर्जीदावे के अन्त में उसको पेश करने वाले मुद्दई या किसी एक मुद्दई या उसकी ओर से किसी अधिकार युक्त पुरुष को प्रमाणित (तसदीक) करना चाहिये (आ० ६ नि० १५)

ऊपर लिखे इन्दराज हो जाने पर अर्जीदावा पूर्ण हो जाता है। दावा दाखिल तब कहा जा सकता है जब कि अर्जीदावा अदालत के सामने पेश कर दिया जावे या किसी ऐसे ओहदेदार व्यक्ति को दे दिया जावे जो इस काम के लिये नियत किया गया हो (आ० ४ नि० १) परन्तु उसका दायर होना तब ही कहा जा सकता है जब कि उसका इन्दराज उचित रजिस्टर में हो जावे।

भाग

तृतीय अध्य

प्रतिवाद-पत्र, जवाबदावा या बयान तहरीरी ।

प्लीडिङ्ग की परिभाषा में वाद पत्र या अर्जीदावा और प्रतिवाद पत्र या जबाब दावा व बयानतहरीरी सम्मिलित होते हैं जैसा कि जाब्ता दीवानी संग्रह के आर्डर ६ नियम न० १ में दिया हुआ है, इसलिये प्लीडिङ्ग के साधारण नियम जो जाब्ता दीवानी के आर्डर ६ में दिये हुए हैं और इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में व्याख्या सहित दिये जा चुके हैं प्रतिवाद-पत्र (बयान तहरीरी) से भी लागू होते हैं और बयान तहरीरी लिखने में उनका ध्यान रखना आवश्यक है । जो बयान या विरोध, जवाब दावे से वादी के विरुद्ध किये जावें या जो व्यवहार की तत्व घटनायें प्रतिवादी की ओर से हों उनका प्रबन्ध और लिखने का ढंग बिल्कुल वादपत्र या अर्जीदावे के समान होना चाहिये । और कुल घटनायें उसी सिलसिले से जैसा कि अर्जीदावे में किया जाता है लिखनी चाहिये ।

ध्यान रहे कि जैसे अर्जीदावा वादी के मुकद्मे की नींव होती है उसी प्रकार बयान तहरीरी प्रतिवादी के मुकद्में की जड़ होती है और प्रतिवादी की हार-जीत बहुत कुछ उस पर निर्भर होती है । जिस अंश तक बयान तहरीरी नियमानुसार होगी और उसमें सब आवश्यक घटनाएँ और विरोध होंगे उसी सीमा तक मुद्दायलेह की ओर से मुकद्मा अच्छी तरह लड़ा जा सकेगा ।

एक विशेष बात बयान तहरीरी की बाबत यह है कि अर्जीदावे की तरह उसका संशोधन सरलता से नहीं हो सकता । जो अशुद्ध अथवा त्रुटिपूर्ण अर्जीदावे दाखिल हो जाते हैं वह अदालत की आज्ञा से संशोधित हो सकते हैं और बहुधा ऐसा होता है कि यदि क़ानूनी त्रुटि अर्जीदावे में रह जाती है तो नालिश वापिस भी हो जाती है, नई नालिश करने की आज्ञा भी मिल जाती है, परन्तु बयान तहरीरी संशोधन का कोई उपाय कानून में नहीं दिया गया । जो घटना एक बार उस में लिख दी जाती है वह किसी तरह दूर नहीं हो सकती, केवल विशेष परिस्थितियों में अधिक बयान तहरीरी दाखिल करने की आज्ञा मिल जाती है परन्तु ऐसी दशा कम होती हैं । मुकदमा की वापसी तो प्रतिवादी के हक़ में हो ही नहीं सकती, इसलिये बयान तहरीरी की तैयारी में अर्जीदावे से भी अधिक सावधानी की आवश्यकता है ।

जो आदेश वादपत्र तैयार करने के सम्बन्ध में दिये जा चुके हैं उन पर प्रतिवाद पत्र के बनाने में भी, जहाँ तक कि वे उस से लागू हों, अमल करना चाहिये। जैसे मुकदमें की घटनाओं को ध्यान से सुनना, उनका नोट करना, उसके सम्बन्ध में कुछ जरूरी क़ाग़ज़ात देखना और पढ़ना, शजरा, नकशा या गोशवारा बनाना या बनवाना, उन काग़ज़ात की जिनका मुक़दमे से सम्बन्ध हो नकल प्राप्त कराना और आवश्यक मिसलों का मुआइना कराना। इस प्रकार जो कुछ सामिग्री एकत्रित हो उससे एक सिलसिले वार नोट या याददाश्त तैयार करना और उसके तैयार करने में तारीखों का ध्यान रखना।

जब नोट या यादादाश्त तैयार हो जावे तो उसको और अर्जीदावे को सामने रख कर वकील को चाहिये कि नीचे लिखी बातो पर सोच विचार करे।

१—अर्जीदावे में लिखी हुई किन घटनाओं से प्रतिवादी को इनकार है, और कौन सी स्वीकार हैं, और किन की उसको सूचना नहीं है, जिनको कि वह वादी से साबित कराना चाहता है।

२—मुद्दई के दावे के जवाब में किन घटनाओं और कागजों पर मुद्दायलेह भरोसा करता है, और तत्व मुकद्दमा घटनाएँ (नफस मामला वाक़यात) जो मुद्दई ने बयान किये हैं, उनके जवाब में मुद्दायलेह की तत्व घटनाएँ क्या हैं, और मुद्दई के जितने बयान को वह स्वीकार करता हो और उनसे जो हक मुद्दई को उत्पन्न होता हो उसके पूरा करने के लिये वह तत्पर है या नहीं, यदि नहीं तो क्यों?

३—अर्जीदावे के बयानों से या उन बयानों से जो मुद्दायलेह करता है मुद्दई को हक़ नालिश है या नहीं और मुद्दई (वादी) अकेला दावा कर सकता है या नहीं।

४—मुद्दई की ओर से किसी फ़रीक़ की बाबत नाबालगी (अवयस्कता), पागलपन, क़ायम मुक़ामी इत्यादि के कारण से दावा ठीक प्रकार से दाखिल हुआ है या नहीं।

५—मुद्दई ने आवश्यक व्यक्तियों को फ़रीक़ किया है या नहीं, और कोई आदमी ऐसे तो नहीं हैं जो फरीक़ जरूरी मुक़दमा हैं और मुद्दई या मुद्दायलेह की हैसियत से फ़रीक़ नहीं बनाये गये और इसका दावे पर क्या क़ानूनी असर पड़ता है।

६—वादी ने किसी अनावश्यक मनुष्य को तो फरीक़ नहीं किया है और उसके पृथक् होने से मुक़दमे पर अब या भविष्य में कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं। यदि पड़ता है तो क्या?

७—अर्जीदावे में बिनायदावी एक है या एक से अधिक। अगर कई हैं तो वह क़ानूनन एक दावे में नालिश हो सकती हैं या नहीं और उनकी सुनवाई एक साथ सुविधा से हो सकती है या नहीं ?

८—अर्जीदावा ज़ाब्ता दीवानी के आडर ६ और ७ के नियमों के अनुसार बनाया गया है या नहीं ? यदि नहीं तो उसमें क्या ख़राबी है और उसका क़ानूनी असर क्या है ?

९—अर्जीदावे के बयानों को मानते हुए, नालिश की मालियत या अदालत के मुक़द्दमा सुनने के अधिकार के ख्याल से दावा उस अदालत में जिसमें कि दायर हुआ है, हो सकता है या नहीं ?

१०—किसी विशेष अदालत में दावा दायर करने के लिये मुद्दई ने कोई ग़लत घटनायें वर्णन की हैं या कोई रकम बनावटी बढ़ा दी है और मुद्दायलेह के बयान की हुई घटनायें या तादाद से दावा किस अदालत में दायर होना चाहिये ?

११—क्या किसी विधान के कारण, जो अब प्रचलित है या पहिले प्रचलित थी दावा दायर होने के योग्य नहीं हैं ?

१२—कोर्टफीस अर्जीदावे पर उचित लगा हुआ है या नहीं ?

१३—दावे की बिनाय, दावे का अधिकार उत्पन्न होने की तारीख़ जो मुद्दई ने बयान की हो, उसके विचार से क़ानून तमादी का कौनसा आर्टीकिल लागू होता है और मुद्दायलेह् की बयान की हुई घटनाओं से कौन सा आर्टीकिल लागू होगा, और यदि कोई भेद हो उसका मुद्दई के दावे पर क्या असर पड़ता है।

१४—यदि दावा साधारण अवधि के पश्चात् दायर हुआ हो और मियाद बढ़ाने के लिये कोई स्वीकारी या अदायगी, बयान की जाती हो, या एक या सब वादियों की नाबालग़ी, पागलपन या भारत संघ (Indian Union) से बाहर रहना बयान किया जाता हो, या किसी बेकार मुक़द्दमेबाजी पर भरोसा किया जाता हो, तो उनके सम्बन्ध में यह देखना कि जो घटनाएँ वादी बयान करता है वे कहाँ तक असत्य हैं और उन घटनाओं से सब शर्तें पूरी हो जाती हैं या नहीं जो विधानानुसार अवधि बढ़ाने के लिये आवश्यक होती हैं।

१५—यदि मुद्दई ने दावा प्रतिनिधि वसी, ट्रस्टी या परिवर्तन ग्रहीता की हैसियत से किया हो तो यह देखना कि वास्तव में मुद्दई की वह हैसियत है या नहीं, और उस हैसियत से उसको दावा करने का अधिकार है या नहीं, और उसने उन सब शर्तों और नियमों को पूरा किया है या नहीं जो दावादायर करने का अधिकार देने के लिये ज़रूरी है।

इस सम्बन्ध में जो दस्तावेज परिवर्तन इत्यादि के बयान किये गये हों उनके विषय में यह देखना चाहिये कि वह स्टाम्प, रजिस्ट्री, गवाही इत्यादि समेत क़ानूनन परिपूर्ण हैं या नहीं और वह परिवर्तन किसी मुक़द्दमे या कुर्क़ी के होते हुये तो नहीं हुआ और वह विधानानुसार उचित है या नहीं। यह पूछगछि उन दस्तावेजों के विषय में भी करना जरूरी है जिन पर दावा निर्भर हो या जिन पर मुद्दई अपने दावे के सबूत में भरोसा करता हो।

१६—यह देखना कि फ़िरीक़ैन में कोई मुकदमेबाजी पहिले हुई या नहीं और हुई तो उसका दावे से कुछ सम्बन्ध है, या नहीं और उसकी वजह से कुल दावा या उसका कोई भाग पूर्व न्याय (Res Judicata) से वर्जित होता है या नहीं।

१७—वादी का कोई कार्य करना या उसका कोई बयान या इज़हार ऐसा तो नहीं हुआ जिस पर एतबार करके और उसको सही मानकर प्रतिवादी ने कोई काम किया हो और उसका क़ानून से असर रोकवाद और खामोशी व ढील का होता हो (Estoppel, Acquiescence and Laches)

१८—यह देखना की नालिश दाखिल करने से पहिले मुद्दई को कोई नोटिस मुद्दायलेह को देने की जरूरत थी कि नहीं और यदि जरूरत थी तो मुद्दई ने नोटिस दिया है या नहीं। यदि दिया है तो उस नोटिस में कोई दोष तो नहीं था और यदि नहीं दिया है तो न देने से उसका नालिश पर क्या असर पड़ता है ?

१९—यदि दावा किसी प्रतिज्ञा से सम्बन्ध रखता हो तो यह देखना कि वह प्रतिज्ञा उचित थी या नहीं और उसकी लिखा पढ़ी नियमानुसार हुई या नहीं और वह विधान से माननीय और योग्य है या नहीं, उसका बदला क्या है और वह बदल क़ानूनन उचित है या नहीं और प्रतिज्ञा के होने में कोई धोखा, असत्य वर्णन या अनुचित दबाव या और कोई कारण ऐसा तो नहीं है जिससे वह क़ानून से प्रचलित होने योग्य न हो। प्रतिज्ञा के समय पक्षों की आयु क्या थी और बुद्धि की दशा क्या थी ?

२०—यदि दावा प्रतिज्ञा की पूर्ति, विशेष कर, प्रतिज्ञा करने वाले और उसके परिवर्तन ग्रहीता के विरुद्ध हो, तो यह देखना की मुद्दई ने उस प्रतिज्ञा का ज्ञान होना, परिवर्तन ग्रहीता को इन्तक़ाल लेते समय बयान किया है या नहीं और मुद्दायलेह ऐसा होना मानता है या नहीं ?

२१—यदि दोनों पक्षों में यह झगड़ा हो कि तारीख या रजिस्ट्री की वजह से एक का दस्तावेज प्रथम या मुख्य और दूसरे का मध्यम माना जावे तो यह देखना

कि कौन सा दस्तावेज़ किस दस्तावेज़ के इल्म के साथ लिखा गया और किस एक में दूसरे का वर्णन या हवाला है या नहीं।

२२—यदि दावा किसी हुक्म या डिग्री या दस्तावेज़ की मन्सूखी का हो तो यह देखना कि सिर्फ मसूखी का दावा हो सकता है या नहीं और जो बयान मुद्दई ने किये हैं उनसे उसकी मंसूखी का हक पैदा होता है या नहीं।

२३—यदि दावा अपना स्वत्व घोषित कराने (इस्तकरार हक़) का हो तो यह देखना कि मुद्दई अपने को झगड़े वाली जायदाद पर क़ाबिज़ (अधिकृत) होना बयान करता है या नहीं और असल में वह क़ाबिज़ है या नहीं।

२४—यदि दावा किसी अमानत से सम्बन्ध रखता हो जो आम खैरात अथवा सर्व साधारण के पुण्य हेतु या किसी धार्मिक कार्य के लिये नियत की गई हो तो यह देखना की मुद्दई का कोई ऐसा सम्बन्ध अमानत से है जिससे वह दावा करने का हक़ रखता है और उसने आवश्यक आज्ञा ले ली या नहीं।

२५—यदि कोई दैविक आपत्ति के कारण जैसे भचाल, बिजली गिरना इत्यादि या राज्यों के सग्राम से हानि हुई हो तो यह देखना की उनकी वजह से प्रतिवादी ज़िम्मेदारी से छूट सकता है या नहीं।

२६—यदि प्रतिवादी ने कोई काम नेकनीयती से किया हो और कोई बदल दिया हो तो यह देखना कि वह किसी क़ानून या न्याय के कारण से दावे से उसका छुटकारा हो सकता है या नहीं।

२७—यदि दावा किसी अचल सम्पत्ति के विषय में हो तो यह देखना कि उसकी तफ़सील, पता और तादाद ठीक है या नहीं। यदि कोई ग़लती है तो उसका क्या फल होगा।

२८—अगर दावे में पिछला मुनाफा दिलाये जाने की माँग हो तो यह देखना कि पिछले मुनाफे (वासलात) की तादाद सही है या नहीं और मुद्दायलेह के हिसाब से वह तादाद क्या होती है और कितने दिनों की बाबत माँगी जा सकती है।

२९—यदि अर्जीदावे में कोई हिसाब हो तो यह देखना कि वह सही है या नहीं और अगर ग़लत है तो ग़लती क्या है और सही हिसाब क्या होना चाहिये।

२०—यदि दावे में सूद सम्मिलित हो तो यह देखना की सूद बाजानी तो नहीं है और सूद की प्रतिज्ञा Unconscionable bargain की सीमा को तो नहीं पहुँचता और किसी क़ानून से वर्जित तो नहीं है और कौन ऐसी घटनाएं हैं जिनके कारण से प्रतिवादी कुल सूद या उसकी दर कम करा सकता है।

२१—यदि मुद्दई ने कोई रक़म माँगी हो जो हिसाब किये बिना नहीं माँगी जा सकती तो उसके सम्बन्ध में ज़रूरी हिसाब का देखना।

२२—यदि मुद्दालेह कोई मुजराई चाहता हो तो यह देखना कि क़ानून से वह मुजराई पा सकता है या नहीं और क़ानून की सब शर्तें उसकी बाबत पूरी होती हैं या नहीं।

२३—यदि मुद्दायलेह अपनी माँग मुद्दई के विरुद्ध (Counter-claim) पेश करता हो, तो यह देखना कि अदालत के क्षेत्राधिकार और दावे के रूप और प्रकार का ध्यान में रखकर ऐसा हो सकता है या नहीं और क़ानून की शर्तें पूरी होती हैं या नहीं।

२४—जो प्रार्थना वादी करता हो, उसकी बाबत यह देखना कि वह विधानानुसार उसको मिल सकती है या नहीं और जो बयान मुद्दई ने अर्ज़ीदावे में किये हैं या जो मुद्दायलेह बयान करना चाहता है उनके ख़याल से मुद्दई उसको पा सकता है या नहीं।

२५—मुक़दमे के ख़र्च का कौन फ़रीक़ देनदार होगा और किसके दोष से मुक़दमेबाज़ी उत्पन्न हुई, और उसके सम्बन्ध में क्या क्या घटनाएं लिखना ज़रूरी हैं।

ऊपर लिखी बातों के अतिरिक्त ऐसी बातें जो मुक़दमे से विशेष सम्बन्ध रखती हों ध्यान में रखकर वकील को बयान तहरीरी लिखने के लिये तैयार होना चाहिये।

कोर्ट फ़ीस

ज़ाब्ता दीवानी संग्रह जो सन १८८९ ईस्वी में प्रचलित हुआ उसके अनुसार प्रतिवाद-पत्र या जवाब दावे पर भी कोर्ट फ़ीस लगानी पड़ती थी परन्तु वर्तमान ज़ाब्ता दीवानी के अनुसार जो कि सन १९०८ से प्रचलित है जवाब दावे व बयान तहरीरी पर कोई फ़ीस नहीं लगती[1] कोर्ट फ़ीस एक्ट की धारा १९ उपधारा ३ के अनुसार वह जवाब दावे जो कि अदालत की आज्ञा से पहली

---

1. I. L. R. [illegible]

पेशी पर दाखिल किये जावें उन पर कोर्ट फ़ीस नहीं माँगी जा सकती इसलिये यदि पेशी से पहले ही जवाब दाखिल कर दिया जावे तो उस पर भी कोर्ट फीस की आवश्यकता नहीं होती[1] परन्तु ध्यान रहे कि यदि प्रतिवादी जवाब दावे में कोई अपना रुपया निकलता हुआ बयान करे और अपने हक़ में डिगरी की प्रार्थना करे तो उसपर कोर्ट फ़ीस देनी पड़ती है।

जवाब दावे का सिरनामा

नियमानुसार प्रतिवाद-पत्र (जवाब दावा) लिखने के लिये शुरू में मुकदमे का सिरनामा उसी प्रकार लिखना चाहिये जैसा कि अर्जी दावे में सिरनामा लिखा जाता है अर्थात अदालत का नाम, नम्बर मुकदमा, और पक्षों के नाम इत्यादि। जहाँ पर बहुत से वादी या प्रतिवादी हों वहाँ पर उनमें से पहले का नाम लिखकर "इत्यादि" जोड़ देना पर्य्याप्त होता है उसके बाद "जवाब दावा या बयान तहरीरी प्रतिवादी प्रथम पक्ष या मुद्दायलेह नं० १" इत्यादि जैसी दशा हो शब्द लिखने चाहिये जिनसे ज्ञात हो जाय कि किस प्रतिवादी की ओर से बयान तहरीरी दाखिल किया गया है।

जवाब दावे में किसी प्रार्थना के लिखने की आवश्यकता नहीं होती जब तक कि प्रतिवादी अपने हक़ में रुपये के लिये डिगरी का इच्छुक न हो।

बयान तहरीरी के अन्त में भी अर्जीदावे की तरह हस्ताक्षर और तसदीक का लेख होना चाहिये।

जो नियम प्रतिवाद पत्र या बयान तहरीरी बनाने के लिये ध्यान रखना पड़ते हैं वह ज़ाब्ता दीवानी संग्रह के आर्डर ८ में दिये हुए हैं। हम उस कुल आर्डर को आवश्यक व्याख्या सहित आगे देते हैं।

---

1 See Section 19, Clause 3, Court Fees Act, VII of 1870 and A. I. R 1926 Mad 347; 1922 Pat 252.

आर्डर ८

प्रतिवाद पत्र या बयान तहरीरी

नियम नं० १ (Order VIII, Rule 1)

प्रतिवादी को अधिकार है कि मुकदमे की पहली पेशी के समय या उससे किसी समय पहिले या उस के अन्दर जो अदालत नियत कर दे अपना बयान तहरीरी दाखिल करे और यदि अदालत आज्ञा दे तो ऐसा करना आवश्यक होगा।

मुकदमे की पहिली पेशी[1] के समय तक मुद्दाअलेह को अधिकार है कि अपना बयान तहरीरी, वह जब चाहे दाखिल करे मगर पहिली पेशी हो जाने के बाद वह बयान तहरीरी केवल अदालत की आज्ञा लेकर दाखिल कर सकता है और उस अवधि के अन्दर जो अदालत नियत कर दे।

केवल प्रतिवादी को जो मुकदमा में फरीक होता है, प्रतिवाद पत्र दाखिल करने का अधिकार होता है कोई अन्य मनुष्य जो फरीक मुकदमा न हो बयान तहरीरी दाखिल नहीं कर सकता, यद्यपि वादी ने उसके विरुद्ध अर्जीदावे में बयान किये हों।[2]

यदि अदालत हुक्म दे तो बयान तहरीरी दाखिल करना प्रतिवादी का कर्तव्य होता है और न दाखिल करने की दशा में मुकदमा एकतरफा सुना जाकर डिगरी एक तरफा सादिर हो सकती है।

नियम नं० २ (Order VIII, Rule 2)

प्रतिवादी को चाहिये कि वह अपने प्लीडिङ्ग में वे सब बातें लिखे जिनसे प्रगट यह होता हो कि दावा चल नहीं सकता या कि वह विधानानुसार नाजायज है या नाजायज करार देने के योग्य है और कुल ऐसे विरोध लिखे दे जो यदि न लिखे जायें तो दूसरे फरीक को पीछे अचानक मालूम होवें या उनसे घटनाओं की ऐसी तनकीह[3] उठती हों जो अर्जीदावे से पैदा न हों, जैसे धोखा, फरेब, तमादी, दस्तबरदारी, अदायगी, पूरी हो जाना, इत्यादि।

---

1. See Order X, Rule I C. P. C.: I. L. R. 1939 Nag. 110; A. I. R. 1925 Mad. 337.

2. I. L. R. 53 All. 465: 55 S W. R. 17.

3. Bedin v. Greenwood. 3 Ex. 25. I. L. R. 22 Pat. 220; A. I. R. 1937 Mad. 571

इस नियम का आशय यह है कि जैसे वाद पत्र में वादी का कुल मुक़दमा होता है उसी प्रकार प्रतिवाद पत्र में प्रतिवादी का कुल मुक़दमा होना चाहिये। जितने विरोध प्रतिवादी, वादी के दावे पर कर सकता हो या जो घटनाएँ उसके जवाब में दे सकता हो वह कुल बयान तहरीरी में लिख देनी चाहिये।

कुल प्रतिवाद निम्नलिखित चार प्रकार के होते हैं।

(१) प्रतिवादी अर्ज़ीदावे के बयान और उसमें लिखी हुई घटनाओं से इनकार करे या उनको स्वीकार न करे।

इस परिस्थित में वादी को अपना अर्ज़ीदावे का कुल बयान सिद्ध करना पड़ता है।

(२) प्रतिवादी अर्ज़ीदावे के बयान को स्वीकार करे और उनका प्रभाव दूर करने के लिये नई घटनाएँ बयान करे जिनसे वादी के बयानों का जवाब पूरा हो जाता हो।

इस परिस्थित में सबूत का भार प्रतिवादी पर होता है और उसको धोखा या फरेब, तमादी, दस्तबरदारी इत्यादि ऐसे बयान कुल लिखना होते हैं जिनसे मुद्दई के बयान की काट होती है। यदि ऐसे बयान जवाबदावे में न लिखे जावें तो वादी को उनकी कोई सूचना मुक़दमे की पेशी से पहिले नहीं हो सकती और वह, उनके अचानक मालूम होने की दशा में, उनका उचित उत्तर नहीं दे सकता और न उनके विरुद्ध प्रमाण या शहादत पेश कर सकता है इसलिये नियम नं० (२) यह चाहता है कि वह कुल घटनाएँ जिन पर मुद्दायलेह, मुद्दई की लिखी हुई घटनाओं को मान कर उसके दावे की काट के लिये भरोसा करता हो, वह बयान तहरीरी में लिख दी जावें जिससे मुद्दई को उनके अचानक मालूम होने की आपत्ति न हो और उन घटनाओं की तहकीक़ात, जो अर्ज़ीदावे में नहीं थे, आसानी से हो सके।

(३) प्रतिवादी अर्ज़ीदावे के बयानों को मानते हुए उनके क़ानूनी असर की बाबत प्रतिवाद करे।।

इस दशा में प्रतिवादी को बयान करना पड़ता है कि वादी के बयानों से क़ानूनन वह असर पैदा नहीं होता जो वादी प्रगट करता है इसके विरुद्ध दूसरा असर पैदा होता है जिससे दावा नहीं चल सकता।

(४) प्रतिवादी मुजराई चाहे या वादी के विरुद्ध अपना दावा पेश करे।

इस दशा में प्रतिवादी को वह कुल घटनाये बयान करनी चाहिये जिनसे उसको मुजराई या दावे का हक़ प्राप्त हुआ हो और कानून से उसको मुजराई मिल सकती हो या दावा उसका चल सकता हो।

आर्डर ८

प्रतिवाद पत्र या बयान तहरीरी

नियम नं० १ (Order VIII, Rule 1)

प्रतिवादी को अधिकार है कि मुक़दमे की पहली पेशी के समय या उससे किसी समय पहिले या उस के अन्दर जो अदालत नियत कर दे अपना बयान तहरीरी दाखिल करे और यदि अदालत आज्ञा दे तो ऐसा करना आवश्यक होगा।

मुक़दमे की पहिली पेशी[1] के समय तक मुद्दायलेह को अधिकार है कि अपना बयान तहरीरी, वह जब चाहे दाखिल करे मगर पहिली पेशी हो जाने के बाद वह बयान तहरीरी केवल अदालत की आज्ञा लेकर दाखिल कर सकता है और उस अवधि के अन्दर जो अदालत नियत कर दे।

केवल प्रतिवादी को जो मुक़दमा में फरीक होता है, प्रतिवाद पत्र दाखिल करने का अधिकार होता है कोई अन्य मनुष्य जो फरीक़ मुक़दमा न हो बयान तहरीरी दाखिल नहीं कर सकता, यद्यपि वादी ने उसके विरुद्ध अर्ज़ीदावे में बयान किये हों।[2]

यदि अदालत हुक्म दे तो बयान तहरीरी दाखिल करना प्रतिवादी का कर्त्तव्य होता है और न दाखिल करने की दशा में मुक़दमा एकतरफ़ा सुना जाकर डिगरी एक तरफा सादिर हो सकती है।

नियम नं० २ (Order VIII, Rule 2)

प्रतिवादी को चाहिये कि वह अपने प्लीडिङ्ग में वे सब बातें लिखे जिनसे प्रगट यह होता हो कि दावा चल नहीं सकता या कि वह विधानानुसार नाजायज़ है या नाजायज़ क़रार देने के योग्य है और कुल ऐसे विरोध लिख दे जो यदि न लिखे जायें तो दूसरे फरीक को पीछे अचानक मालूम होवें या उनसे घटनाओं की ऐसी तनकीह[3] उठती हों जो अर्ज़ीदावे से पैदा न हों, जैसे धोखा, फ़रेब, तमादी, दस्तबरदारी, अदायगी, पूर्ती हो जाना, इत्यादि।

---

[1] See Order X, Rule I, C P C , I L R 1939 Nag 110 , A I R 1926 Mad. 887

[2] I L R 53 All 466 , 55 S W R 17.

[3] Berdan v Greenwood, 3 Ex 26, I, L R 22 Pat 220 , A I R 1937 Mad 571,

इस नियम का आशय यह है कि जैसे वाद पत्र में वादी का कुल मुक़दमा होता है उसी प्रकार प्रतिवाद पत्र में प्रतिवादी का कुल मुक़दमा होना चाहिये। जितने विरोध प्रतिवादी, वादी के दावे पर कर सकता हो या जो घटनाएँ उसके जवाब में दे सकता हो वह कुल बयान तहरीरी में लिख देनी चाहिये।

कुल प्रतिवाद निम्नलिखित चार प्रकार के होते हैं।

(१) प्रतिवादी अर्ज़ीदावे के बयान और उसमें लिखी हुई घटनाओं से इनकार करे या उनको स्वीकार न करे।

इस परिस्थित में वादी को अपना अर्ज़ीदावे का कुल बयान सिद्ध करना पड़ता है।

(२) प्रतिवादी अर्ज़ीदावे के बयान को स्वीकार करे और उनका प्रभाव दूर करने के लिये नई घटनाएँ बयान करे जिनसे वादी के बयानो का जवाब पूरा हो जाता हो।

इस परिस्थित में सबूत का भार प्रतिवादी पर होता है और उसको धोखा या फरेब, तमादी, दस्तबरदारी इत्यादि ऐसे बयान कुल लिखना होते हैं जिनसे मुद्दई के बयान की काट होती है। यदि ऐसे बयान जवाबदावे में न लिखे जावें तो वादी को उनकी कोई सूचना मुक़दमे की पेशी से पहिले नहीं हो सकती और वह, उनके अचानक मालूम होने की दशा में, उनका उचित उत्तर नहीं दे सकता और न उनके विरुद्ध प्रमाण या शहादत पेश कर सकता है इसलिये नियम नं० (२) यह चाहता है कि वह कुल घटनाएँ जिन पर मुद्दायलेह, मुद्दई की लिखी हुई घटनाओं को मान कर उसके दावे की काट के लिये भरोसा करता हो, वह बयान तहरीरी में लिख दी जावें जिससे मुद्दई को उनके अचानक मालूम होने की आपत्ति न हो और उन घटनाओं की तहकीक़ात, जो अर्ज़ीदावे में नहीं थे, आसानी से हो सके।

(३) प्रतिवादी अर्ज़ीदावे के बयानों को मानते हुए उनके क़ानूनी असर की बाबत प्रतिवाद करे।।

इस दशा में प्रतिवादी को बयान करना पड़ता है कि वादी के बयानों से क़ानूनन वह असर पैदा नहीं होता जो वादी प्रगट करता है इसके विरुद्ध दूसरा असर पैदा होता है जिससे दावा नहीं चल सकता।

(४) प्रतिवादी मुजराई चाहे या वादी के विरुद्ध अपना दावा पेश करे।

इस दशा में प्रतिवादी को वह कुल घटनायें बयान करनी चाहिये जिनसे उसको मुजराई या दावे का हक़ प्राप्त हुआ हो और कानून से उसको मुजराई मिल सकती हो या दावा उसका चल सकता हो।

यही चार प्रकार हैं जो मुद्दायलेह के प्रतिवाद के हो सकते हैं परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि एक ही प्रतिवाद-पत्र में मुद्दायलह की ओर से एक ही प्रकार की जवाबदही की जावे। जैसा अवसर हो एक से अधिक या सब प्रकार का प्रतिवाद एक ही बयान तहरीरी में काम में लाया जा सकता है।[1] कभी कुछ घटनायें स्वीकार होती हैं कुछ घटनाएँ स्वीकार नहीं होतीं, कुछ से इनकार होता है। जो घटनाय स्वीकार होती हैं उनको सही मानते हुये मुद्दायलेह उनके कानूनी असर पर एतराज़ करता है और उनका असर दूर करने के लिए और घटनाएँ भी बयान करता है और इसी के साथ मुजराई या अपना दावा मुद्दई के मुकाबिले में पेश करता है। अभिप्राय यह है कि जैसा अवसर हो वैसा ही प्रतिवाद का स्वरूप होना चाहिये।

जवाबदावा बनाने के लिये भी प्लीडिंग के साधारण नियमों का (आर्डर ६ नियम २, ४, ६, ८, १०, ११, १२ व १३ जाब्ता दीवानी) जो इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में आवश्यक व्याख्या सहित दिये जा चुके हैं ध्यान रखना चाहिये।

वादी की उल्लिखित घटनाओं के साधारण विरोध के अतिरिक्त जो विशेष विरोध प्रतिवादी की वर्णन की हुई घटनाओं से प्रायः उत्पन्न होते हैं वह नीचे लिखे जाते हैं। आवश्यकतानुसार उनको स्पष्ट रूप से बयान तहरीरी में लिखना चाहिये।

(१) अदालत को मुकदमा सुनने का अधिकार न होना। (Want of Jurisdiction)
(२) पक्षों को अनुचित सम्मिलित करना या आवश्यक फ़रीक़ का सम्मिलित न होना। (Non-joinder or Mis-joinder of Parties)
(३) दावे का किसी विधान से वर्जित होना या दायर होने के योग्य न होना। (Non-maintainability of Suit.)
(४) कई बिनाय दावे को बेजा एक दावे में सम्मिलित करना। (Mis-joinder of Causes of Action)
(५) दावे का कोई भाग का छूट जाना। (Part of Assets.)
(६) तमादी। (Limitation)
(७) ख़ामोशी व ढील। (Acquiescence and Laches)
(८) रोक वाद। (Estoppel)
(९) पूर्व न्याय। (Res Judicata)
(१०) जुआ। (Wager or Wagering Contract.)
(११) निर्वाचन। (Election)
(१२) स्वीकारी या अंगीकारी। (Ratification)

---

[1] A I. R 1942, All 308, 1925 Oudh 120, I. L. R. 34 Cal 51 F B, A I. R. 1942, Mad, 392

(१३) राजकीय कार्य या हुक्म सरकार । (Act of State)

(१४) दैवीकारण (कुदरती सबब) । (Vis Major)

(१५) न्याय युक्त उत्तर । (Equitable Defence, Equity)

(१६) बेबाकी या अदायगी या तकमील या दस्तबरदारी । (Payment, performance or Relinquishment)

(१७) बदल का न होना (Want of Consideration)

(१८) नालिश का अधिकार न होना । (Want of Right to Sue.)

(१९) स्व ' प्रतिज्ञा भङ्ग करना । (Breach on part of Plaintiff)

(२०) मुद्दई का स्वयं शिकायती काम में सम्मिलित होना । (Contributory negligence)

(२१) शिकायती काम का क़ानूनन जायज़ होना । (Justification.)

(२२) धोखा (फ़रेब) । (Fraud)

(२३) असत्य वर्णन । (Misrepresentation)

(२४) दोनों फ़रीक़ की ग़लती । (Mutual Mistake)

(२५) अनुचित दबाव । (Undue Influence)

(२६) नाबालग़ी या बुद्धि हीनता । (Minority or Insanity)

(२७) परिवर्तन, नेकनियती से बदल देकर लेना । (*Bonafide* transfer for value)

(२८) मुक़दमे के दौरान में परिवर्तन होना । (Transfer during Pendency of Suit)

(२९) रसदी पाने का हक़ । (Contribution)

नियम नं० ३ (Order VIII, Rule 3)

प्रतिवादी के लिये यह पर्याप्त न होगा कि वह उन घटनाओं व कारणों से जो वादी ने अर्ज़ीदावे में बयान किये हों अपने बयान तहरीरी में आम इनकार कर दे वरन् उसको प्रत्येक घटना के बयान की बाबत जिसकी सत्यता वह स्वीकार न करता हो पृथक्, पृथक् लिखना चाहिये, सिवाय हर्जे के ।

इस नियम का अभिप्राय यह है कि जो बयान मुद्दई ने अर्ज़ीदावे में किये हों उनमें से हर बयान के लिये जिसको मुद्दायलेह स्वीकार न करता हो अलग अलग अपना जवाब बयान तहरीरी में लिखना चाहिये ।[1] कुल बयान की बाबत एक साथ लिख देना कि स्वीकार नहीं है ठीक न होगा । जैसे यदि मुद्दई का बयान हो कि मुद्दायलेह ने उससे

1. Thorp v. Holdsworth, 3 Ch D. 637, 1938 O. W N. 1030, A I R 1916 Pat. 411.

५०) रु० कर्ज़ लिये उनमें से १५) रु० एक बार और १०) रु० दूसरी बार अदा किये। यदि मुद्दायलेह को इन घटनाओं से इनकार हो तो उसका सिर्फ यह लिखना कि तसलीम नहीं है, या इनकार है, काफ़ी न होगा उसको कहना चाहिये कि उसने मुद्दई से ५०) रु० क़र्ज़ नहीं लिये और न १५) रु० और १०) रु० मुद्दई को अदा किये।

इसी प्रकार यदि मुद्दई का बयान हो कि मुद्दायलेह ने उससे धोखा देकर ५०) रु० ले लिये और मुद्दायलेह को इससे इनकार हो तो लिखना चाहिये कि मुद्दायलेह ने कोई धोखा मुद्दई को नहीं दिया और न ५०) रु० या और कोई धन मुद्दई से लिया। केवल यह लिखना कि मुद्दायलेह को इनकार है या स्वीकार नहीं है, काफ़ी नहीं है।

साधारण अस्वीकारी से मुद्दायलेह का कोई बयान उन घटनाओं की बाबत नहीं आता जो मुद्दई बयान करता है इसलिये झगड़े का मामला स्पष्ट नहीं होता और न पूरे व्यवहार पर उचित प्रकाश पड़ता है। विवादास्पद विषय (तनक़ीह) नियत करने और मुकदमे का उचित निर्णय होने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि अदालत को झगड़े के दोनों पहलू दृष्टिगोचर हो जावे। जब मुद्दई एक घटना को सत्य कहे और मुद्दायलेह उसको असत्य बतलावे, तब तनक़ीह पैदा होती है, कि ऐसी घटना घटित हुई या नहीं।

जैसे अर्ज़ीदावे में मुद्दई ने १० घटनाये' लिखी हों और उनमें से मुद्दायलेह ६ को स्वीकार न करता हो या झूँठ बतलाता हो तो उसको चाहिये कि उन ६ घटनाओं में से प्रत्येक की बाबत अपने बयान तहरीरी में सिलसिले से वह बयान लिखे जो मुद्दायलेह के अनुसार ठीक हों और इस तरह पर मुद्दई के सब बयानों का जवाब दे।

हर्जे की बाबत इस तरह का बयान लिखने की आवश्यकता नहीं होती। हर्जे' को सिर्फ स्वीकार न करना काफ़ी होता है।[1]

नियम नं० ४ (Order VIII, Rule 4)

यदि प्रतिवादी अर्ज़ीदावे में लिखी किसी घटना से इनकार करे तो उसको चाहिये कि अस्पष्ट प्रकार से न करे वरन वास्तविक घटना उल्लेख करे। जैसे यदि यह बयान किया गया हो कि उसने कोई नियत रक़म पाई तो उस विशेष रक़म के पाने से इनकार करना पर्याप्त न होगा उसको उस रकम या उसके किसी अंश के पाने से इनकार करना चाहिये या यह लिखना चाहिये कि इतनी रक़म उसको मिली। यदि कोई घटना बहुत से हालात के साथ बयान की गयी हो तो उस घटना से उन हालात के साथ इनकार कर देना काफ़ी न होगा।

---

[1] I. L. R 43 Cal. 100, Wood v Earl of Durham, 21 Q. B D 501. (506)

नियम ३ में हर घटना के विषय में अलग २ जवाब देना आवश्यक बतलाया गया है और नियम ४ में यह बतलाया गया है कि किसी घटना से इनकार किस प्रकार से करना चाहिये। यदि अर्ज़ीदावे में मुद्दई ने यह बयान किया हो कि मुद्दायलह ने उससे १० जनवरी सन् १९४५ को १०० रु० क़र्ज़ लिये, और मुद्दायलह इसके जवाब में सिर्फ़ इतना कहे कि उसने उक्त तारीख को १०० रु० क़र्ज़ नहीं लिये तो यह इनकार काफ़ी नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि मुद्दायलह ने १० जनवरी सन् १९४५ के बजाय १५ जनवरी सन् १९४५ को १०० रु० क़र्ज़ लिये हो, या १०० रु० की जगह ५० रु० क़र्ज़ लिये हों, और इसका इनकार मुद्दायलह की ओर से ऊपर लिखे वाक्य से नहीं होता। इस नियम के अनुसार पूरा इनकार जब होता है जब मुद्दायलह यह कहे कि उसने १० जनवरी सन् १९४५ या किसी और तारीख को मुद्दई से १०० रु० या और कोई मतालबा क़र्ज़ नहीं लिया।

इसी प्रकार यदि मुद्दई बयान करे कि उसका और मुद्दायलह का एक इक़रारनामा इन इन शर्तों से हुआ था और मुद्दायलह उसके जवाब में सिर्फ़ इतना कहे कि उसको, फ़रीकैन के दर्म्यान इक़रारनामा का उन शर्तों से जो मुद्दई बयान करता है, होने से इनकार है, तो यह इनकार साफ़ नहीं है। मुद्दायलह को यह कहना चाहिये कि उसको इनकार है कि फ़रीकैन के दरम्यान वह इक़रारनामा जो मुद्दई बयान करता है, या और कोई इक़रारनामा मुद्दई की बयान की हुई शर्तों से, या किन्हीं और शर्तों से हुआ। अगर उसको इक़रारनामा का होना स्वीकार हो और शर्तें स्वीकार न हों तो यह कहना ज़रूरी है कि शर्तें जो नियत हुईं, यह थीं और जो शर्तें मुद्दई बयान करता है वह ग़लत हैं।

अगर अर्ज़ीदावे में यह बयान हो कि मुद्दायलह ने मुद्दई के कारिन्दे को स्थान बम्बई में १०० रु० रिश्वत के ता० ५ जनवरी सन् १९४५ को दिये और मुद्दायलह इसके जवाब में यह कहे कि उसने उस तारीख पर मुद्दई के कारिन्दे को १०० रु० रिश्वत के बम्बई में नहीं दिये तो यह जवाब मुद्दायलह का इस नियम के अनुसार स्पष्ट इनकार नहीं है क्योंकि असली घटना रिश्वत देने की है और मुद्दायलह के ऊपर के जवाब से उससे साफ़ इनकार नहीं होता, क्योंकि सम्भव है कि रिश्वत बम्बई के बजाय अहमदाबाद में दी हो, या ५ जनवरी सन् १९४५ के बजाय फरवरी सन् १९४५ की किसी तारीख को दी हो और १०० रु० की जगह ५० रु० या और कोई मतालबा दिया हो। सही जवाब मुद्दायलह की ओर से यह होना चाहिये कि उसने ५ जनवरी सन् १९४५ को या किसी अन्य तारीख पर, बम्बई में या किसी अन्य स्थान पर मुद्दई के कारिन्दे को १०० रु० या कोई मतालबा रिश्वत में नहीं दिया।

इस नियम का प्रयोजन (अभिप्राय) भी वही है जो नियम न० ३ का है। दोनों क़ायदों से जो झगड़े के मामले फ़रीकैन के मध्य में होते हैं वह ठीक निश्चय हो जाते

है और कोई पक्ष मुक़द्दमे की सुनवाई के समय मामले से इधर उधर नहीं जा सकता।[1]

नियम नं० ५ (Order VIII, Rule 5 C. P. C.)

अर्ज़ीदावे में प्रत्येक घटना का बयान, जिनकी बाबत स्पष्ट रूप से या आवश्यक अभिप्राय से इनकार न किया जावे, या जिसको मुद्दायलह अपनी प्लीडिङ्ग में अस्वीकार न बयान करे, स्वीकार समझा जायगा, सिवाय ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो अयोग्यता रखता हो।

परन्तु यदि अदालत अपने अधिकार से चाहे तो उस स्वीकार युक्त घटना को ऐसी स्वीकृति के अतिरिक्त अन्य प्रकार से प्रमाणित किये जाने की आज्ञा दे सकती है।

इस नियम का वास्तविक अभिप्राय यह है कि वादी के जितने बयान हों उन सब की बाबत प्रतिवादी का पूरा जवाब होना चाहिये। यदि प्रतिवादी वादी के किसी बयान का जवाब अपने प्लीडिङ्ग में न दे तो उससे यह समझ लिया जायगा कि वह बयान उसको स्वीकार है।[2] परन्तु यह रूल तभी लागू होगा जब मुद्दायलह अपना जवाब दाखिल करे। जवाब न दाखिल करने से यह नहीं मान लिया जावेगा कि वह अर्ज़ीदावे के बयान स्वीकार करता है।[3] इसलिये बहुत जरूरी है कि छोटी से छोटी घटना भी उत्तर रहित नहीं रहनी चाहिये और जो कुछ बयान प्रतिवादी का प्रत्येक घटना की बाबत हो वह लिख दिया जावे।

जो प्रतिवादी अवयस्क या बुद्धिहीन होते हैं वह अयोग्यता रखते हैं। उनके विषय में यह नियम लागू नहीं होता।[4]

नियम ३, ४ और ५ का मिल कर अभिप्राय यह है कि इनकार और स्वीकृति हर घटना का पृथक और अलग २ हो और वह इनकार और स्वीकृति स्पष्ट और खुले शब्दों में हो न कि सन्देह युक्त शब्दों में।[5] यदि किसी घटना से इनकार न किया जावेगा तो यह समझा जावेगा कि वह स्वीकार है।

किसी घटना से इनकार दो प्रकार से होता है पहिला यह कि प्रतिवादी वादी की बयान की हुई किसी घटना को स्वीकार न करे और दूसरा यह कि वह उस

---

[1] A. I. R. 1929 All 721, 1924 Mad 838, 1923 Cal 578

[2] I. L. R. 1938, Nag. 469, 1943 Mad. 268, I L. R, Lah 623

[3] I. L. R. 43, Cal 1001, A I R. 1928 Lah. 769

[4]. A I. R. 1936 Pat 428, 1923 Mad 114

[5] I. L. R. 55 All. 700, A I R 1927 All 225, 1929 Mad 950 (957

घटना की बाबत यह बयान करे कि असल में वह घटित नहीं हुई। "स्वीकार न करने" से "इनकार करना" अधिक प्रभावशाली शब्द है और दोनों के आशय में साधारणतया यह भेद होता है कि अस्वीकारी से अभिप्राय यह होता है कि प्रतिवादी के ज्ञान में वह घटना नहीं घटित हुई और प्रतिवादी उस घटना को वादी से प्रमाणित कराना चाहता।

इनकार से अभिप्राय यह होता है कि वास्तव में वह घटना घटित नहीं हुई और वादी का बयान उसके विषय में असत्य है। इसलिये जब झगड़े वाला व्यहार प्रतिवादी को ज्ञात हो और वह उसके न होने का विरोध करता हो तो उसकी ओर से इनकार होना चाहिये। यदि वह मामला प्रतिवादी को ज्ञात न हो तो उसकी ओर से केवल अस्वीकार करना काफ़ी होगा।

यदि वादी किसी कार्य को प्रतिवादी का किया हुआ बयान करे और प्रतिवादी उस बयान को सच न मानता हो, तो उसको चाहिये कि वह उस बयान से इनकार करे और कहे कि उसने वह कार्य नहीं किया।[1]

उदाहरण

१—जब मुद्दई की शिकायत हो कि मुद्दायलह ने मुद्दई की ज़मीन पर अनुचित हस्तक्षेप किया और अमूक मूल्य की लकड़ी काट कर अपने काम में ले ली तो यदि मुद्दायलह को इससे इनकार हो तो कहना चाहिये कि मुद्दायलह ने मुद्दई की किसी आराज़ी पर हस्तक्षेप नहीं किया और न कोई लकड़ी काटी या अपने काम में ली।

२—यदि मुद्दई का बयान हो कि मुद्दायलह ने मुद्दई की दुकान स्थित बाज़ार फुलही शहर आगरा पर क़ब्ज़ा नाजायज़ कर लिया और मुद्दायलह को ऐसा करने से इनकार हो और इस बात से भी इनकार हो कि मुद्दई की कोई दूकान उस बाज़ार या शहर में है तो उसको नीचे लिखे दो वाक्य लिखने होंगे।

(अ) मुद्दायलह ने किसी दूकान स्थित बाज़ार फुलही शहर आगरा पर अनुचित अधिकार नहीं किया।

(ब) बाज़ार फुलही शहर आगरा में मुद्दई की कोई दूकान नहीं है।
अगर कोई दूकान अर्ज़ीदावे में विशेष करके लिख दी हो तो यह जवाब देना होगा :—

(अ) दूकान जिसका बयान अर्ज़ीदावे में है, मुद्दई की दूकान नहीं है।

(ब) मुद्दायलह ने उस दूकान पर कब्ज़ा नजायज़ नहीं किया।

---

1. A. I R 1931 All 423, 1923 Lah 409

इनकार कर सकता है और कह सकता है कि जो घटनाएँ धारा नं० ……में लिखी हैं उनसे कुल से और उनमें से प्रत्येक घटना से इनकार है, या स्वीकार नहीं है।

नियम नं० ६ (Order VIII, Rule 6 C. P.C.)

यदि किसी नक़द रुपये के दावे में प्रतिवादी वादी के दावे से कोई निश्चय रक़म मुजरा लेना चाहता हो, जो विधानानुसार प्रतिवादी को वादी से मिल सकती हो और जो अदालत के आर्थिक अधिकार सीमा से अधिक न हो, और उसके सम्बन्ध में दोनों पक्ष वही हैसियत रखते हों जो उस के दावे में हो, तो प्रतिवादी मुक़द्दमें की पहिली पेशी के समय परन्तु उसके बाद नहीं, जब तक कि अदालत आज्ञा न दे देवे, अपना बयान तहरीरी दाखिल कर सकता है जिसमें उस कर्ज़े का विवरण जिसकी वह मुजराई चाहता है, दर्ज होगा।

२—ऐसे बयान तहरीरी का ऐसा ही प्रयोजन होगा जैसे अर्जीदावे का, एक काट के दावे (Cross Suit) में, जिससे अदालत प्रारंभिक दावे और मुजराई दोनों, की बाबत पूर्ण निर्णय कर सके, किन्तु उसका कोई प्रभाव उस भार (lien) पर, जो किसी वकील का उस खर्च के मुकाबले में जो डिगरी से उसको दिलाया गया हो, न होगा।

३—जो नियम प्रतिवादी के जवाबदावा से लागू होते हैं वह उस बयान तहरीरी से भी लागू होंगे जो मुजराई के दावे के जवाब में हो।

उदाहरण

(अ) 'अ' ने 'ब' के लिये २००० रु० वसीयत से छोड़े और 'क' को अपना निष्ठा कर्त्ता (वसी) और शेषाधिकारी (residuary legatee) नियत किया। 'ब' मर गया और 'ख' ने 'ब' की सम्पत्ति का प्रबन्धक पत्र (चिट्ठियात एहतमाम तरका प्राप्त) किया। 'क' ने १०००) रु० 'ख' की जमानत की बाबत अदा किये फिर 'ख' ने वसीयती रुपये की 'क' पर नालिश की। 'क' वसीयती रुपये में से १००० रु० कर्ज़ की बाबत मुजरा नहीं पा सकता क्योंकि 'क' और 'ख' की वसीयती रुपये के बारे में वह हैसियत नहीं है जो १००० रु० अदा करने के बारे में है।

(ब) 'अ' बिना वसीयत किये और 'ब' का कर्ज़दार, मर गया। 'क' ने 'अ' की जायदाद का प्रबन्धक पत्र (एहतमाम की चिट्ठियात) हासिल किया। 'ब'

ने उसमें से कुछ आयादाद 'क' से ख़रीद की। दावे में, जो क़ीमत की बाबत 'क' 'ब' के ऊपर दायर करे, उसमें 'ब' अपना कर्ज़ा 'क' से मुजरा नहीं पा सकता क्योंकि 'क' की दो हैसियत पृथक् २ हैं। पहिली 'ब' को बेचने वाले की जिससे कि वह क़ीमत का दावा दायर करता है और दूसरी 'अ' का प्रतिनिधि होने की ।

(क) 'अ' ने 'ब' पर हुन्डी की नालिश की, 'ब' का बयान है कि 'अ' ने बेजा गफ़लत उसके माल के बीमा कराने में की और वह हर्जे का जुम्मेदार है जो उसको मुजरा मिलना चाहिये। हर्जे का मतालबा निश्चय न होने क वजह से मुजराई नहीं हो सकती।

(ख) 'अ' ने 'ब' पर हुन्डी की १०० रु० को नाशिल की। 'ब' की एक डिगरी १००० रु० की 'अ' पर है। दोनों मतालबे निश्चित होने के कारण मुजरा हो सकते हैं।

(ग) 'अ' ने 'ब' पर अनुचित हस्तक्षेप (मदाखलत बेजा) के हर्जे की नाशिल की। 'ब' के पास 'अ' का एक प्रामेसरी नोट (रुक्का) १००० रु० का है और वह उसको इस मतालबे से मुजरा कराना चाहता है जो दावे में 'अ' को दिलाया जावे। 'ब' ऐसी मुजराई करा सकता है क्योंकि तजवीज़ होते ही दोनों मतालबे निश्चित हो जाते हैं।

(घ) 'अ' और 'ब' ने 'क' पर १००० रु० की नालिश की। 'क' ऐसे दावे में वह कर्ज़ा जो सिर्फ़ 'अ' पर वाजिब हो मुजरा नहीं करा सकता।

(च) 'अ' ने 'ब' और 'क' पर १००० रु० की नालिश दायर की। 'ब' अपना कर्ज़ा जो अकेले 'अ' से लेना हो मुजरा नहीं करा सकता।

(छ) 'अ' पर 'ब' और 'क' की साझे की कोठी के १००० रु० चाहिये।, 'ब' मर गया और 'क' जीवित है। 'अ' १५०० रु० के कर्ज़े का दावा जो अकेले 'क' पर चाहिये, दायर करता है। 'क' १००० रु० की मुजराई करा सकता है।

ऊपर लिखे नियम और उसके उदाहरणों को ध्यान के साथ पढ़ने से ज्ञात होगा कि मुजराई विशेष दशाओं में और विशेष प्रकार के मुकदमों में होती है। जब तक इस नियम की सब शर्तें पूरी न हों मुजराई नहीं हो सकती। वह शर्तें यह हैं।[1]

१—दावा नकद रुपये का हो।

२—जिस मतालबे की मुजराई चाही जाती हो वह निश्चित रक़म हो।

---

[1] A.I.R 1942 Mad. 873, 1941 All 415, 1936 Pesh 57

३—वह मतालबा अदालत की माली अधिकार सीमा से ऊपर न हो।

४—वह रक़म कानून से वसूल होने योग्य हो।

५—मुद्दायलह, की मुजराई रकम की बाबत वही हैसियत हो जो मुद्दई की नालिश के मतालबे की बाबत हो, या दूसरे शब्दों में दोनों फ़रीकैन को वही हैसियत हासिल हो जो मुद्दई के दावे में उनकी हो।

यह जरूरी नहीं है कि मतालबे-मुजराई की संख्या मुद्दई के दावे से कम हो, यदि मुजराई और मुद्दई के दावे की संख्या बराबर होती है तो एक फ़रीक का दूसरे के जिम्मे कुछ नही रहता, यदि मुजराई का मतालबा मुद्दई के दावे से अधिक हो तो जितना अधिक होता है उतने की डिगरी मुद्दई के मुकाबले में हो सकती है (उदाहरण ख) यदि मुद्दई का दावा खारिज भी हो जाय तब भी मुद्दायलह डिगरी पा सकता है।[1]

एक हैसियत का मतलब यह है जैसा हक़ मुद्दई को मुद्दायलह से रुपया माँगने का हो उसी तरह मुद्दायलह को भी अपने रुपया माँगने का हक़ मुद्दई से हो।[2] अगर एक फरीक़ वसी या मैनेजर की हैसियत से रुपया माँगता हो और दूसरा जाती हैसियत से तो दोनों की हैसियत एक नहीं होती और मुजराई नहीं हो सकती।[3]

अदायगी और मुजराई के भेद को ध्यान रखना चाहिये। अदायगी किसी ज़ुम्मेदारी की बाबत होती है जिसको पूरा कराने के लिये नालिश होती है। मुजराई किसी और पृथक् मामले के विषय में होती है जिसकी ज़ुम्मेदारी मुद्दई पर होती है और मुजराई चाहने पर उसकी निसबत झगड़ा मुक़दमे में तय होता है।[4]

चूँकि मुजराई का सम्बन्ध एक पृथक व्यवहार से होता है इसलिये मुजराई के मतालबे पर अर्ज़ी-नालिश की तरह कोर्टफ़ीस देना पड़ता है।[5] अदायगी के उज्र पर कोई कोर्टफ़ीस नहीं दिया जाता।[6]

अगर मुद्दायलह अपने जवाबदावे में मुजराई का विरोध नहीं उठाता तो वह मुजराई की शहादत देने से और उस पर बहस करने से रोक दिया जाता है।[7] और

---

1. I L R. 56 All 912, A I R 1942 Cal 552, 1942 Mad 580, I. L R. 5 All 237.

2 A I R 1941 Cal 308, 1940 Lah 290

3. I L R 5 All 299, A. I R 1940 Nag 77

4 A. I. R 1940 All 393, 5 I C 67

5 I L R (1942) Mad 836, I L R 1941 Nag 753, A. I R. 1935 Pat. 110; A. I R 1938 All 532

6 A I R 1937 Lah 62

7. A. I R 1927 Lah 431, 1915 Mad 242

मुद्दई की डिगरी हो जाने पर, उसकी इजरा में भी ऐसी मुजराई मुद्दायलह नहीं पा सकता।[1] इसलिये अत्यन्त आवश्यक है कि मुद्दायलह मुजराई का विरोध जवाबदावे में स्पष्ट रूप से लिख देवे।

मुजराई का मतालबा निश्चित होने का अर्थ यह है कि उसकी सख्या निश्चित हो न कि यह कि वह दूसरा पक्ष स्वीकार करता हो या उसकी डिगरी अदालत से सादिर हो चुकी हो। अनिश्चित हर्जे या खिसारे की मुजराई नहीं हो सकती।[2] यदि हिसाब लगाने पर मतालबा निश्चित किया जा सके तो उसकी मुजराई मुद्दायलह माग सकता है।[3] परन्तु जहाँ पर फरीकैन का पुराना हिसाब देखना पड़े और बिना हिसाब के रकम निश्चित न हो सकती हो या मुद्दायलह के हिस्से या उसकी संख्या की निस्बत झगड़ा हो, ऐसी दशा में मुद्दायलह मुजराई नहीं माँग सकता।[4]

अदालत मुजराई का प्रश्न उसी सख्या तक फैसल कर सकती है जितना कि उस अदालत को अधिकार हो, क्योंकि मुद्दायलह की मुजराई के रकम की बाबत हैसियत एक मुद्दई की तरह होती है और उसके हक में आर्डर २० रूल १६ फिकरा १ के अनुसार डिगरी सादिर की जा सकती है।[5] इसलिये यदि मुजराई का मतालबा अदालत के नकदी अधिकार से अधिक हो तो उसका दूसरा दावा किया जा सकता है या मुद्दई के ऐसी संख्या स्वीकार कर लेने पर उचित हुक्म दिया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि दावे और मुजराई की सख्या मिला कर अदालत के आर्थिक अधिकार के अन्दर हों क्योंकि वह दो दावे गिने जावेंगे।[6] जैसे एक मुखिफी के दावे में जहाँ अदालत का आर्थिक अधिकार ५००० रु० हो और यदि दावा २००० का हो किन्तु मुद्दायलह ५०००) रु० तक की मुजराई माग सकता है।

नियम नं० ७ (Order VIII, Rule 7 C. P. C.)

अगर मुद्दायलह एक से अधिक और जुदागाना जवाबदही या मुजराई पर भरोसा करता हो जो पृथक और अलग २ घटनाओं पर निर्भर हों, वह जहाँ तक हो सके पृथक और अलग २ लिखी जावें।

इस नियम का अभिप्राय यह है की मुद्दायलह मुद्दई के दावे का जवाब कई प्रकार से दे सकता है और एक से अधिक मतालबे की मुजराई माँग सकता है। यदि ऐसे जवाब या मुजराई अलग २ घटनाओ से बनते हों तो वे घटनाएं अलग २

---

1 A. I R 1924 Lah. 434

2 I. L. R. 46 Alld 922, A. I R 1943 Oudh 17, 5 I C. 67 and 211

3. L B R 186 F D

4 I L. R 1941 Nag 753, 57 Cal 855, 39 All 892, A I R 1936 All d 522

5 I. L R. 57 Alld 912, A. I. R 1942 Cal. 559

6. A. I. R 1932 Bom. 611, 1942 Mad 580, I L R 5 Alld 236, 3 Cal 527

लिखनी चाहियें। ऐसा करने से प्रत्येक का फैसला अलाहिदा २ किया जा सकेगा और मुद्दई भी अलाहिदा २ जवाब दे सकेगा। (देखो आर्डर ७ नियम ८)

नियम नं० ८ (Order VIII, Rule 8, C. P. C.)

कोई वजह जवाब दावा की, जो नालिश करने या मुजराई का बयान तहरीरी दाखिल करने के बाद पैदा हुई हो, मुद्दायलह या मुद्दई, जैसी सूरत हो, अपने बयान तहरीरी में उठा सकता है।

साधारण नियम यह है कि फरीकैन के स्वत्व व अधिकार का निर्णय उस तारीख तक किया जाता है जिस तारीख पर मुकदमा दायर किया गया हो[1] परन्तु विशेष परिस्थितियों में न्याय-रक्षा के लिये अदालतें दावा दायर होने की बाद की ों का भी फैसला करते समय ख्याल कर सकती हैं।[2]

इस क़ायदे के अनुसार विशेष परिस्थित में मुद्दई और मुद्दायलह दोनों दूसरा बयान तहरीरी दाखिल कर सकते हैं और वह विशेष परिस्थित यह है कि उसके दाख़िल करने का कारण, अर्ज़ीदावा या बयान तहरीरी मुजराई का, दाखिल करने के बाद पैदा हुई हो। इसी नियम के अनुसार मुद्दई मुद्दायलह के मुजराई के बयान तहरीरी के जवाब में अपना बयान तहरीरी दाख़िल करता है।

नियम नं० ९ (Order VIII, Rule 9, C. P. C.)

कोई प्लीडिंग बाद बयान तहरीरी मुद्दायलह के दाखिल नहीं किया जायेगा सिवाय उस प्लीडिंग के जो मुजराई के जवाब में पेश किया जावे किन्तु अदालत की आज्ञा से और ऐसी शर्तों पर जिनको अदालत उचित समझे नया प्लीडिंग दाखिल हो सकेगा, परन्तु अदालत को अधिकार है कि जिस समय चाहे बयान तहरीरी या अधिक (मज़ीद) बयान तहरीरी दाखिल करावे और उसके दाखिल करने के लिये समय नियत करे।

साधारण नियम यह है कि मुद्दायलह का बयान तहरीरी दाखिल होने के बाद कोई प्लीडिङ्ग दाखिल नहीं होता किन्तु तीन परिस्थितियों में ऐसा होता है और वे ये हैं—

(१) जब मुद्दायलह ने मुजराई चाही हो, तो मुद्दई उसके जवाब में अपना बयान तहरीरी दाख़िल कर सकता है।

---

1. I. L. R 10 Luck 270 , 11 Alld. 438 ; A I R 1940 Sind 182

2. A. I R 1941 Oudh 422 ; (429) , 1929 Alld 341 ; I. L R. 52 Bom 883 ; 6 O. L. J. 74.

(२) अदालत की इजाज़त से और उन शर्तों पर जो अदालत नियत करे दोनों फरीक नया या अधिक बयान तहरीरी दाखिल कर सकते हैं।

(३) जब अदालत स्वयं किसी फ़रीक़ से बयान तहरीरी या अधिक बयान तहरीरी माँगे

नियम नं० १० (Order VIII, Rule 10, C. P. C.)

अगर कोई फ़रीक़ जिससे बयान तहरीरी माँगा गया हो, बयान तहरीरी उस अवधि के अन्दर दाखिल न करे जो अदालत से नियत हुई हो तो अदालत को अधिकार है कि उस फ़रीक़ के विरुद्ध तजवीज देवे या मुक़दमे की निसबत कोई ऐसा हुक्म दे जो उचित हो।

नियम नं० ९ और १० का उद्देश्य है कि अतिरिक्त, जवाब दावा पेश करने से पहले अदालत की आज्ञा प्राप्त करली जावे।[1] यदि अवयस्क मुद्दायलह मुकदमे के दौरान में वयस्क या बालिग हो जाता है तब भी वह अदालत से आज्ञा लिये बिना स्वयं जवाब दावा नहीं दाखिल कर सकता है।[2] यदि फरीकैन की प्लीडिंग्ज़ में कोई त्रुटि या अस्पष्टता हो तो अदालत उसको एक पूर्ण और अतिरिक्त जवाब दावा दाखिल करने की आज्ञा दे सकती है।[3] और उस फरीक़ के, अदालत की आज्ञा उल्लघन करने पर उसके विरुद्ध मुकदमा फैसला कर सकती है या अन्य उचित हुक्म दे सकती है। ध्यान रहे कि अतिरिक्त जवाब दावे में कोई फरीक अपने पहले जवाब दावे के विरुद्ध बयान नहीं कर सकता।

बयान तहरीरी की बनावट

जैसा कि नियम न० २ की टिप्पणी में उल्लिखित किया गया है प्रतिवाद के स्वरूप ४ होते हैं।

(१) प्रतिवादी अर्जीदावे के बयान और घटनाओं से इन्कार करे या उनको स्वीकार न करे।

(२) प्रतिवादी उन बयानों को स्वीकार करे पर उनका प्रभाव नष्ट करने के लिये अन्य घटनायें बयान करे जिनसे उस पर जिम्मेदारी न आती हो।

(३) अर्जीदावे की घटनाओं को स्वीकार करते हुए भी उनके विधानानुसार प्रभाव पर आक्षेप करे। अथवा,

---

[1] A I R 1925 Bom 390, 1915 Mad 984

[2] A I R Mad 117, 1937 Pat 625

[3] I L. R 17 Cal 840 (848)

(४) प्रतिवादी अदायगी की मुजराई चाहे या वादी के विरुद्ध अपना दावा पेश करे।

प्रतिवाद के येही ४ स्वरूप हो सकते हैं जो विशेष २ परिस्थितियों और दशाओं में काम में लाये जाते हैं। आवश्यकतानुसार चारों प्रणाली एक ही जवाबदावे में काम में लाई जा सकती हैं क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि एक ही प्रणाली प्रयोग में लाई जावे।

जवाबदावा लिखने की एक से अधिक रीतियाँ प्रचिलित हैं। एक रीति जिसकी सबसे अधिक प्रथा है वह यह है की पहिले अर्ज़ीदावे की प्रत्येक धारा के विषय में इनकारी, स्वीकारी या अस्वीकारी लिखी जाती है। इस प्रकार अर्ज़ीदावे के सब धाराओं की बाबत लिखने के बाद अतिरिक्त बयान (उज्रात मज़ीद) या इसी तरह के शब्दों से सरनामा करके मुद्दायलह के विरोध लिखे जाते हैं जिनमें मुद्दायलह का कुल मुक़दमा लिखा जाता है।

दूसरी रीति यह है कि अर्ज़ीदावे के हर फ़िक़रे की बाबत इनकार या स्वीकारी होना या न होना लिखते हुये उस फ़िक़रे का पूरा जवाब मुद्दायलह की ओर से एक या एक से अधिक फ़िक़रों में लिख दिया जाता है। जब इस प्रकार अर्ज़ीदावे के एक फ़िक़रे का मामला पूरा हो जाता है तो दूसरे फ़िक़रे की बाबत इनकार, स्वीकारी या अस्वीकारी लिख कर उसका पूरा जवाब दिया जाता है। इसी तरह हर फ़िक़रे का जवाब देकर कुल बयान तहरीरी तैयार होता है।

तीसरी रीति यह है कि अर्ज़ीदावे के फ़िक़रों का हवाला न देकर मुद्दायलह मुक़दमे की तत्व घटनाएँ बयान करता है और उस सिलसिले में उन घटनाओं के विषय में जो मुद्दई ने बयान की हैं इनकारी या स्वीकारी करता है।

प्लीडिंग के उदाहरण जो इस पुस्तक में आगे दिये जावेंगे उनमें तीनों तरह के बयान तहरीरी मिलेंगे किन्तु सबसे उत्तम रीति यही होती है कि मुद्दायलह अर्ज़ीदावे के हर फ़िक़रे को नम्बरवार लेवे और उसकी बाबत बयान करे कि उससे इनकार है या वह स्वीकार है या स्वीकार नहीं है या इतना स्वीकार है और इतना स्वीकार नहीं है और उसकी बाबत मुद्दायलह का उत्तर क्या है और पूरा जवाब उसी जगह लिख दे। जब पहिले फ़िक़रे का जवाब इस तरह ख़तम हो जावे तब दूसरा फ़िक़रा लेवे और उसका जवाब भी उसी तरह लिखे। फिर तीसरा, चौथा, पाँचवाँ फ़िक़रा वग़ैरह अन्त तक लेता जावे और जवाब देवे और अपने घटनाओं के और कानूनी विरोध उचित स्थान पर लिखता जावे और बचे हुये विरोध या मुजराई इत्यादि अन्त में लिख देवे। इस तरह तैय्यार किया हुआ तहरीरी दाख़िल होने से दोनों पक्षों का मुक़दमा बहुत जल्द समझ में आ जाता है और विवादास्पद विषय (तनक़ीह) आसानी से नियत हो जाते हैं।

प्लीडिंग के नियमों की पूर्ति भी उत्तम रूप से हो जाती है। जो बयान तहरीरी के नमूने आगे दिये गये हैं वह बहुधा इसी बनावट के हैं।

प्लीडिंग में, नियमों के अनुसार क़ानूनी स्वत्व लिखने की आवश्यकता नहीं होती परन्तु अनेक स्थानों पर ऐसा लिख देने से घटनाओं के समझने में सुविधा होती है और बहुधा, बढ़ाव बच जाता है। ऐसी दशा में यह लिख देना कि वादी अमुक स्वत्व का अधिकारी है या प्रतिवादी उसका ज़िम्मेदार है अनुचित नहीं होता।

जहाँ मुद्दायलह मुजराई चाहता हो या अपना दावा मुद्दई के मुक़ाबिले में पेश करता हो, तो वह बयान तहरीरी में उन घटनाओं के लिखते हुये जिनसे ऐसा हक़ पैदा हो, लिख सकता है कि वह मुजराई या अपना मतालबा पाने का अधिकारी है।

भाग

४ अध्याय

दरख्वास्त, हलफी बयान और अपील

१—दरख्वास्तें

मुक़दमा दायर हो जाने के बाद जब वह पहिली अदालत या अदालत अपील में चलता रहता है, उसके सिलसिले में बहुत सी दरख्वास्तें ज़ाब्ता दीवानी संग्रह की विविध धाराओं और नियमों के अनुसार गुज़रती हैं, जैसे मुक़दमें की काररवाई रुकवाना, उसको एक अदालत से दूसरी अदालत में मुन्तक़िल कराना, हुकम इमतनाई निकलवाना, रिसीवर नियत कराना इत्यादि। जब कोई दावा या अपील किसी एक फरीक़ की अनुपस्थिति में डिगरी या डिसमिस हो जाता है तो उसको नम्बर पर लाने के लिये दरख्वास्त पेश होती है, जब मुक़दमा एक अदालत से एक फ़रीक़ के हक़ में निर्णय हो जाता है तो पक्ष उस तजवीज़ की डिगरी को असफल पक्ष के विरुद्ध जारी करने के लिये इजराय की दरख्वास्त पेश करता है और असफल फरीक उसमें उज्रदार होता है। यदि अदालत अपील से पहिली अदालत का फैसला मनसूख हो जाता है और पहिली अदालत से सफल पक्ष ने इजराय डिगरी से कुछ लाभ प्राप्त कर लिया होता है तो अपील से जीतने वाला फ़रीक़ उसके मुक़ाबले में वापसी की दरख्वास्त पेश करता है।

इन सब दरख्वास्तों के अतिरिक्त एक अदालत की डिगरी और अन्य आज्ञाओं के विरुद्ध अपील की दरख्वास्तें, जो मूजबात अपील या याददाश्त अपील के नाम से बोली जाती हैं, पेश होती हैं, और हर अदालत दीवानी की डिगरी या हुक्म की तजवीज़ सानी, निर्णय पर फिर से विचार करने, की दरख्वास्त हो सकती है। इजराय डिगरी में जो कारवाई होती हैं उनके सिलसिले में बहुत सी दरख्वास्तें, उज्रदारी, मंसूखी नीलाम इत्यादि की गुज़रती हैं। रहन के मुक़दमों में प्रारम्भिक डिगरी के पश्चात अंतिम डिगरी बनने की दरख्वास्त, और यदि आड़ की जायदाद के नीलाम से पूरा रुपया वसूल नहीं होता, तो ज़ात के मुक़ाबले में डिगरी बनवाने की दरख्वास्त दी जाती है। इस भाँत, पर अनेक प्रकार की दरख्वास्तें पेश होती हैं।

उन दरख्वास्तों के अतिरिक्त जो किसी दीवानी के मुक़द्मे या अपील के सिलसिले में दी जावें, दीवानी की अदालतों को बहुत सी ऐसी दरख्वास्तें सुनने का अधिकार होता है जिनका सम्बन्ध किसी मुकदमों से नहीं होता, जैसे किसी अवयस्क (नाबालिग) का संरक्षक नियत करने, संरक्षक (वली) को इजाजत इन्तकाल देने, सार्टीफिकट उत्तराधिकारस्वत्व (विरासत) या प्रोबेट प्रबन्धक-पत्र (चिट्ठियात एहतमामतर्का) हासिल करने, देवालिया क़रार दिये जाने इत्यादि इस प्रकार की दरख्वास्तों पर जो कार्वाई होती है वह मुतफर्रिका मुक़द्मे कहलाते हैं और जाब्ता दीवानी संग्रह ऐसी कार्वाई से लागू होता है।

असाधारण और मुतफर्रक दरख्वास्तों के बनाने के लिये भी वह सावधानी बर्तनी चाहिये जो कि प्लीडिंग बनाने के लिये और यह ध्यान रखना चाहिये कि उनमें अनावश्यक बातें न लिखी जावे जिनसे उनका आकार न बढ़ने पावे किन्तु जिस उद्देश्य के लिये दरख्वास्त दी जावें उसकी पूर्ति के लिये उचित घटनाऐं और बयान उल्लखित किये जावें।

यह जानने के लिये कि प्रार्थना पत्र में क्या लिखा जावेगा वह क़ानून जिसके आश्रित दरख्वास्त दी जावे ध्यान से पढ़ लिया जावे। जाब्ता दीवानी संग्रह और अन्य कानूनों की भिन्न भिन्न धाराओं में प्राय: वे सब बातें विवरण सहित लिखी हुई हैं जिनका किसी एक दरख्वास्त में लिखना, जो उस कानून के अनुसार दी जावे, आवश्यक होता है जैसे जाब्ता दीवानी संग्रह की धारा १० में मुकदमें की कार्यवाही को स्थगित कराने के लिये; धारा २४ में मुक़दमें को इन्तकाल कराने के लिये; आर्डर ३३ नियम २ में मुफलिसों के लिये या अवयस्क का संरक्षक बनने के लिये एक्ट ८ १८९० में (Guardian and Wards Act 1890)। या देवालिया के लिये क़ानून देवालिया (Provincial Insolvency Act) ऐसी दरख्वास्तों में यह विशेष ध्यान रखना चाहिये कि कोई विवरण जो उस क़ानून के अनुसार लिखना आवश्यक हो दरख्वास्त में छूट न जावे, जहाँ तक हो सके वे ही शब्द प्रयोग में लाये जावें, जो उस क़ानून के अनुसार जिसके आश्रित दरख्वास्त दी जावे, आवश्यक हों।

दरख्वास्त के सिरनामे में अदालत का नाम लिखने के बाद प्रार्थी (सायल) का नाम और विरुद्ध पक्ष (फरीक सानी) का नाम लिखना चाहिये। यदि दरख्वास्त किसी नम्बरी या मुतफर्रक मुकद्मे के सम्बन्ध में दी गई हो तो उस मुक़द्मे का नम्बर और वर्ष अदालत के नाम के नीचे लिखना चाहिये। वह क़ानून या नियम जिसके अनुसार दरख्वास्त दी जावे, सिरनामे के नीचे लिखा जावे। जिस प्रकार से भिन्न २ दरख्वास्त लिखी जाती हैं वे इस पुस्तक के

द्वितीय खंड में दिये हुये नमूनों से सुगमता से जाने जा सकते हैं; उनको ध्यान से देखना चाहिये।

प्लीडिंग की तरह घटनायें जो दरख्वास्तों में लिखी जावें शुद्ध और स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में दीजावें। उनको भिन्न २ धाराओं में विभाजित किया जावे और जहाँ तक हो सके एक घटना एक धारा या पैरा में लिखी जावे और पैरों पर नम्बर डाले जावें। जहाँ पर आवश्यक घटनायें अनेक हों या पुराना व्यवहार हो तो ऐसी घटनाओं को तारीखवार या अन्य सिलसिले से लिख देना चाहिये।

अनेक दरख्वास्तों के समर्थन के लिये हलफी बयान (शपथ पत्र) देना कानून से जरूरी होता है जैसे पंचायती फैसले के विरुद्ध एतराज, उत्तराधिकारी का नाम चढ़वाना, रिसीवर नियत कराना इत्यादि। अन्य साधारण दरख्वास्तो के समर्थन के लिये भी अदालत बयान हलफी माँगती है। जहाँ पर दरख्वास्त और बयान हलफी दोनों में एक ही घटनाओं का वर्णन हो वहाँ पर यह उत्तम होता है कि उन घटनाओं को हलफी बयान में लिखकर दरख्वास्त में न दोहराया जावे वरन् यह लिखा जा सकता है "उन घटनाओं के अनुसार जो कि इस दरख्वास्त की पुष्टि के बयान हलफो में वर्णन की गई है सायल प्रार्थी है कि…… इत्यादि इत्यादि" दरख्वास्त की मालियत भी लिखना चाहिये जिससे अदालत का रसूम, तलबाना, वकीलों की फीस इत्यादि नियत हो सके।

अन्त में प्रार्थना जो कुछ हो साफ शब्दों में लिखनी चाहिये और उसके नीचे प्रार्थी या उसके वकील के हस्ताक्षर होने चाहिये। बहुत सी दरख्वास्तों पर तस्दीक लिखना भी जरूरी होता है। जैसे अर्जीदावा, तरमीम करने की दर इत्यादि। ऐसी दरख्वास्तों को अर्जीदावा की तरह प्रमाणित भी करना चाहिये।

इन सब प्रकार की दख्वास्तों में से बहुत सी दख्वास्तें ऐसी होती हैं जिनके लिखने या बनाने में कोई कठिनाई नहीं होती। इस लिये हर प्रकार की दख्वास्तें के नमूने देने से पुस्तक का अनावश्यक बढ़ाव होगा। इस लिये केवल उन दख्वास्तों के नमूने दिये गये हैं जिनके बनाने में कुछ कठिनाई होती है या जिनकी बाबत सावधानी करने की आवश्यकता है।

दख्वास्तों के मजमून से उनकी समर्थन (ताईद) के बयानहलफी बड़ी आसानी से, यदि नियमों और दिये हुये नमूनों का ख्याल रक्खा जावे, बन सकते हैं।

२—बयान हल्फ़ी (शपथ-पत्र)

(आर्डर १९ ज़ाब्ता दीवानी संग्रह)

बयान हलफी अदालत की बहुत सी कार्रवाइयों में दाखिल होते हैं। कभी वह अदालत के हुक्म से एक या एक से अधिक घटना सिद्ध करने के लिये पेश किये जाते हैं। कभी उनके देने की आवश्यकता मुक़द्दमे से संबन्धित अन्य बातें प्रगट करने के लिये होती हैं, कभी दस्तावेज़ात के मुआईने के सम्बन्ध में उनका दाखिल करना आवश्यक होता है। कभी वह मुक़द्दमे के दौरान में किसी दरख्वास्त के समर्थन में पेश किये जाते हैं। मुकद्दमे को या उसकी किसी कार्यवाही को स्थगित कराने, या अन्य हुक्म निकलवाने, उत्तराधिकारी का नाम चढ़वाने, कुर्की या गिरफ्तारी कराने, रिसीवर नियत कराने इत्यादि की डिगरी वगैरह की दरख्वास्त के साथ बयान हलफी देना जरूरी होता है जिस द्वारा अदालत को विश्वास दिलाया जाता है और उसका इतमीनान किया जाता है कि वे घटनाएँ जिनके आधार पर दरख्वास्त दी जाती है, सच हैं।

बयान हलफी नीचे लिखे नियमों के अनुसार प्रस्तुत करना चाहिये—

१—बयान हलफी में सिर्फ वे घटनाएँ लिखी जावें जो शपथ लेने वाला अपनेज़ाती इल्म से समर्थन कर सके।

यदि बयान हलफी किसी मुक़द्दमे की दरख्वास्त की पुष्टि में दिया जावे तो उसमें वे घटनाएँ भी लिखी जा सकती हैं जिनका बयान हलफी देने वाले को विश्वास हो किन्तु शर्त यह है कि ऐसे विश्वास का कारण भी प्रकट कर दिया जावे।

२—बयान हलफी पृथक २ धाराओं में विभाजित हो और प्रत्येक धारा पर सिलसिले से नम्बर हो।

४—जहाँ तक हो सके व्यवहार या घटनाओं के पृथक २ भाग अलग अलग धाराओं में लिखे जावें।

इन नियमों के अतिरिक्त बयान हलफी के आरम्भ में बयान देने वाले का पूरा पता लिखना पड़ता है और यह प्रगट करना भी ज़रूरी होता है कि उसका उस कारग्वाई से, जिसमें बयान हलफी वह दे रहा है, या उसके फ़रीकों से, क्या सम्बन्ध है।

बयान हलफी के अन्त में तसदीक़ लिखना होती है। तसदीक में स्पष्ट रूप से लिखना चाहिये कि किन घटनाओं को बयान करने वाला अपने ज़ाती इल्म से सच जानता है और किन घटनाओं को वह सच विश्वास करता है और वह विश्वास किस सूचना से या अन्य प्रकार से वह रखता है। तसदीक में स्थान और तारीख लिखी जानी चाहिये और उस पर हस्ताक्षर होना चाहिये।

क्योंकि असत्य शपथ पत्र पेश करने वाले के विरुद्ध फौजदारी का मुकद्मा चल सकता है इसलिये हलफी बयान की तैयारी में विशेष सावधानी बर्तनी चाहिये। वकील का कर्तव्य है कि वह बयान दाखिल करने वाले से उन घटनाओं की जिनका शपथ पत्र में वर्णन हो पूरी २ पूछताँछ करके तसदीक कर लेवे जिससे उस मनुष्य की या वकील की असावधानी से भविष्य में कोई दुष्परिणाम न उत्पन्न हो। बयान हलफी में यदि किसी स्थान या किसी व्यक्ति का उल्लेख होवे तो उसका पूरा पता भी देना चाहिये जिससे उसकी पहचान हो सके। यदि बयान के लिये किसी दस्तावेज़ से सहायता ली गई हो तो उसका पता और विवरण देना चाहिये। ध्यान रहे कि बयान हलफी का संशोधन नहीं हो सकता परन्तु यदि कोई ग़लती या अशुद्धि हो गई हो या अन्य आवश्यक घटनायें लिखना ज़रूरी हो तो दूसरा बयान हलफी दाख़िल किया जा सकता है।

३—मूजबात अपील

मूजबात या याददाश्त अपील वह पत्र होता है जिसमें वह ऐतराज़ या वजूहात, (मूल कारण या तत्व) लिखे जाते हैं जिनके आधार पर अधीन अदालत का फैसला मनसूख करने की प्रार्थना किसी पक्ष की ओर से होती है।

मूजबात अपील प्रार्थना पत्र की तरह नहीं लिखी जाती। इसमें दूसरे पक्ष की शिकायत लिखना या मुकद्मे के व्यहार की घटनाएँ लिखना बेकार होता है, इस लिये ऐसा नहीं करना चाहिये।

अर्ज़ीदावा और जवाब दावा की तरह मूजबात अपील में भी ऊपर उस अदालत का नाम लिखना होता है जिसमें अपील दायर की जावे। इसके बाद अपील का नम्बर, प्रार्थी का नाम और मुकद्मे का सिरनामा, यानी फरीकैन का नाम और उस हुक्म या डिगरी की तफसील जिसके विरुद्ध अपील की जावे और उसकी मालीयत लिखनी चाहिये। इसके बाद वह मूल कारण जिनके आधार पर या

जिनकी वजह से अधीन अदालत का फैसला भंग व मंसूख कराना हो दर्ज करना चाहिये। अपील करने वाले पक्ष की प्रार्थना या वह दादरसी जिसका वह इच्छुक हो, भी साधारणतया मूजबात अपील में लिखी जाती है यद्यपि यह उसका आवश्यक अंग नहीं है क्योंकि अदालत उचित दादरसी अपीलान्ट को हमेशा दिला सकती है।

मुकद्दमे के सिरनामा में अपीलान्ट या अपील करने वाले का नाम पहले लिखा जाता है और उसके बाद रैसपोंडैन्ट, विरुद्ध पक्ष या फरीक सानी, का। पक्षों के नाम के साथ यह भी लिख देना चाहिये कि वह पहिली अदालत में किस हैसियत से फरीक थे, वादी या प्रतिवादी, मुद्दई या मुद्दायलह, सायल या फरीक सानी जैसे—

(१) अ—ब—(पता इत्यादि) मुद्दई या मुद्दायलह अपील करने वाला
(अपीलान्ट) बनाम
क—ख—(पता इत्यादि) मुद्दई या मुद्दायलह उत्तरदाता (रैसपान्डैन्ट) या

(२) अ—ब—(पता इत्यादि) डिगरीदार या मदयून, अपील करने वाला
(अपीलान्ट) बनाम
क—ख—(पता इत्यादि) डिगरीदार या मदयून, उत्तरदाता (रैसपान्डैन्ट)

फरीक़ैन के नाम के बाद उस आर्डर या डिगरी का विवरण देना चाहिये जिसके खिलाफ अपील की गई हो, उसका नम्बर व साल, तारीख, नाम अदालत जिसने डिगरी पास की और नाम हाकिम इस प्रकार से लिखना चाहिये।

"अपील खिलाफ डिगरी मिस्टर या श्री······ मुंसिफ, पश्चिमी, इलाहाबाद, जो मुकदमा नम्बरी······ सन्······ में ता०······ मा०······ सन्······को सादिर हुई।"

"उपरोक्त मुद्दई अपीलान्ट अदालत ज़िला जज इलाहाबाद में, खिलाफ डिगरी मिस्टर······मुंसफ़, गरबी, इलाहाबाद, मुकदमा नं०······ सन्······जो ता०······मा०······सन्······को सादर हुई निम्न लिखित कारणों से अपील करता है"······

(देखो फारम नं० १ परिशिष्ट १ ज़ाब्ता दीवानी संग्रह)

मूलवात अपील में मूल कारणों के पहिले अपील की मालियत लिखनी चाहिये। यद्यपि ज़ाब्ता दीवानी संग्रह में इस विषय पर कोई नियम नहीं दिया गया, भिन्न २ हाई कोर्टों ने नियम बना रक्खे हैं जिनसे अपील का तायून लिखना जरूरी होता है[1], क्योंकि कभी मुकदमे का एक अंश डिगरी होता है और बाकी भाग खारिज होता है और अपील उसी अंश की दायर की जाती है जिसमें अपील

1 See Chap III, Rule I, Allahabad High Court Rules

करने वाला पक्ष असफल रहता है, इसके अतिरिक्त कोर्ट फीस, वकीलों की फीस इत्यादि ऐसे नियत किये गये तायून के हिसाब से ही लगाई जाती है, इसलिये अपील और क्रास अपील की मालियत लिखनी चाहिये।

वजूहात अपील वह कारण होते हैं जिनकी वजह से उस हुक्म या डिगरी को कोई पक्ष मंसूख और रद्द कराना चाहता है। आर्डर ४१ रूल २ के अनुसार अपील करने वाला पक्ष उन्हीं वजूहात पर बहस कर सकता है जिनको उसने अपनी याददाश्त अपील में दर्ज किया हो यद्यपि अदालत अन्य वजूहात पर भी अपना निर्णय दे सकती है और अपीलान्ट को अन्य कारणों पर बहस करने की आज्ञा दे सकती है परन्तु यह बहुधा नहीं दी जाती[1]। कोई पक्ष अपना मुकदमा अपील में बदल नहीं सकता न कोई ऐसी वजह उठा सकता है जिनको उसने प्रारंभिक अदालत में अपना आधार नहीं किया[2] या जिनको उसने प्रगट नहीं किया[3]। इन सब बातों का ध्यान रख कर अपील की मूजबात बतानी चाहिये।

प्रथम अपील में अधीन अदालत की शहादत समझने की गलती और कानून जो मुकदमे से लागू हो उसकी त्रुटियाँ, दोनों पर बहस की जा सकती है इसलिये वह सब वजूहात मूजबात अपील में लिखने चाहिये। द्वितीय अपील प्रायः अधीन अदालत की कानून संबन्धी ग़लती पर ही हो सकती है इसलिये कानूनी त्रुटियों पर अधिक ध्यान देना चाहिये।

आर्डर ४१ रूल १ के अनुसार मूजबात अपील में (१) विरोध (ऐतराज) सक्षिप्त रूप से लिखे जावें, (२) उसमें शहादत, बहस या बयान न लिखा जावे, (३) प्रत्येक विरोध पृथक लिखा जावे और उसपर सिलसिलेवार नम्बर डाला जावे (४) वह एतराज उस डिगरी से संबन्धित हों जिसके विरुद्ध अपील की जावे। इसके अतिरिक्त मूजबात अपील के साथ अधीन अदालत की तजवीज़ व डिगरी की नकल, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो दाखिल करना चाहिये। यदि किसी विशेष कारण से नकल न मिल सकी हो तो उसको बाद को दाखिल करने की इजाज़त ले ली जावे।

दादरसी लिखने के बाद अपील कर्ता या उसके वकील के हस्ताक्षर होने चाहिये। मूजबात अपील कर तसदीक नहीं लिखी जाती इसलिये अपील करने वाले पक्ष का वकील ही दस्तखत कर सकता है।

आर्डर ४१ रूल २२ के अनुसार अपील दाखिल होजाने पर दूसरा फरीक या सफल पक्ष क्रास ओबजेक्शन या अपील (Cross objection or cross appeal)

---

[1] See 80 I C 321, I L R. 13, All 381.

[2] 53 I. A. 64 (70), 94 I C. 501, I L R 16 Bom 586

[3] I. L. R 10 Mad 1 (8); 33 Bom 35

दाखिल कर सकता है। क्रास-अपील के लिये भी उन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिये जो मूजबात अपील के लिये आवश्यक हैं, साधारण शब्दों को जहाँ तहाँ बदल देना चाहिये।

सिरनामे में "अपील" के बजाय "क्रास-अपील" और सिरनामा के नीचे इस प्रकार लिखना चाहिये।

"क्रास-ओबजेक्शन या एतराज खिलाफ अपील आ० ४१ रूल २२ के अनुसार "··(उत्तरदाता पक्ष का नाम) की ओर से"।

क्रास-अपील, अपील दाखिल हो जाने के एक महीने के अन्दर दायर किया जा सकता है। यह अवधि यदि अदालत अपील चाहे बढ़ा सकती है। क्रास-अपील का नोटिस दूसरे पक्षों को अदालत की ओर से दिया जाता है और अपील यदि अदम पैरवी में खारिज भी हो जावे, तब भी क्रास-अपील की सुनवाई की जाती है।

द्वितीय भाग

प्रथम अध्याय

अर्ज़ीदावों के नमूने

१—ऋण या कर्ज़ा

ऋण भिन्न २ प्रकार से लिया जाता है। साधारण रूप से सरखत, रुक्का, टीप या तमस्सुक़, हुन्डी और बही खाते इत्यादि पर कर्ज लिया जाता है। और इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं जबानी लेन देन भी होता है। इसलिये कर्ज की नालिशें भिन्न २ प्रकार की होती हैं।

इस भाग में अर्जी दावों के जो नमूने दिये गये हैं वह हत उधार, प्रामेसरी नोट, टीप या तमस्सुक, और बहीखाते इत्यादि पर लिये हुए कर्जे की बाबत हैं। हुन्डी व चैक इत्यादि की नालिशें अन्य भागों में आगे दी जावेंगी। हर प्रकार की नालिश का नमूना लिखना असम्भव ही नहीं वरन् वृथा भी है। जो नमूने यहाँ पर दिये गये हैं उनसे हर प्रकार के ऋण की नालिश आसानी से तय्यार की जा सकती है।

यदि कर्जा किसी दस्तावेज पर दिया गया है तो दावा उसी के आधार पर होना चाहिये। यदि सादे कर्जे का दावा हो तो उसमें कर्जे का दिया जाना, उसकी अदायगी की प्रतिज्ञा और उसका भंग होना और वह किन शर्तों पर दिया गया था अर्जी दावे में लिखना चाहिये। यदि दावा तीन साल के अन्दर है तो कर्जे की अदायगी के इकरार का लिखना आवश्यक नहीं है। यदि कर्जा मुद्दई के बहीखाते में लिखा हो या मुद्दायलह ने अपने हाथ से तहरीरी इक़रार किया हो तो भी अर्जी दावे में इसका लिखना जरूरी नहीं है परन्तु यदि इसी इकरार के ऊपर दावा किया जावे तो उसका लिखना जरूरी है। जवाब दावे में मुद्दायलह कह सकता है कि कर्जा वसूल होने काबिल नहीं है क्योंकि वह किसी अन्याय युक्त या अनुचित काम के लिये दिया गया था या वह कर्जे की शर्तों से इनकार कर सकता है।

यदि ऋणी अपना हस्ताक्षर या चिन्ह स्वीकार न करे तो मुद्दई को कर्जा

साबित करना होता है।[1] और यदि ऋणी अपने हस्ताक्षर को तस्लीम कर लेवे तब उसको यह साबित करना होता है कि उसने वह कर्जा नहीं लिया।[2]

यदि दस्तावेज किसी अविभक्त हिन्दूकुल के फर्म के हित में लिखा गया हो तो दावा अविभक्त कुल के मैनेजर या कर्त्ता के नाम से करना चाहिये या उस कुल के सब बालिग सदस्यों के नाम से न कि ऐसे फर्म के नाम से क्योंकि अविभक्त हिन्दू कुल का कानूनन कोई फर्म नहीं हो सकता।[3] यदि प्रामेसरी नोट एक से अधिक व्यक्तियों के नाम लिखा गया हो तो दावा सब की ओर से होना चाहिये।[4] यदि स्टाम्प की कमी से प्रामेसरीनोट प्रमाणित होने के अयोग्य हो तो मुद्दई अपना ऋण अन्य शहादत से तब ही साबित कर सकता है जब कि वह ऋण प्रामेसरी नोट लिखने के पहिले से निकलता हो अन्यथा नहीं।[5] इसलिये जहाँ ऐसे कम स्टाम्प के नोट पर दावा करना हो तो अर्जीदावे में पुरानी बकाया, माल की क़ीमत इत्यादि को प्रगट कर देना चाहिये जिससे उसकी शहादत दी जा सके।

यू० पी० एग्रीकलचरिस्ट रिलीफ एक्ट १९३४ के पास हो जाने पर काश्तकार ऋणी के विरुद्ध कोई दावा तहरीरी लेख बिना दायर नहीं किया जा सकता।[6] मुद्दई के बही खाते का इन्दराज ऐसा तहरीरी सबूत नहीं माना जाता। इस कानून की धारा ३९ के अनुसार ऋणी को कर्जे की तहरीरी की नकल देना आवश्यक है वरना मुद्दई सूद नहीं पा सकता। यदि मुद्दई लेन देन करता हो तो उसको इस कानून के अनुसार नियम पूर्वक हिसाब रखना चाहिये और उसकी वार्षिक प्रतिलिपि ऋणी के पास भेजनी चाहिये।[7]

तमस्सुक से लिया हुआ कर्जा

तमस्सुक के दावों में कर्जदार का तमस्सुक लिखना, रुपये का दिया जाना, सूद की शरह और वह शर्तें या शर्त जिसके तोड़ने पर दावा किया गया हो अर्जीदावे में लिखनी चाहिये, परन्तु अनावश्यक शर्तों को लिखना नहीं चाहिये।[8]

---

1 A. I. R 1936 P C 139, 1932 All 164, 1939 Rang. 85 F B.
2 A. I. R 1943 All 90
3 A I R. 1940 Bom 164, 1939 Bom. 147
4 A I R 1937 Rang 227 F B
5 Sheo Nath vs Sarju Nonia A I R 1943 All 220
6 A. I R 1943 Oudh 332
7 See Secs. 32, 34 and 39 U. P. Agri Rel. Ac, 1934.
8. देखो नमूना नं० ६ और ७।

क़िस्त बन्दी तमस्सुक के दावे में क़िस्त वाजिब होने की तारीख़ और यदि कोई क़िस्त अदा की गई हों तो अदायगी का रुपया और तारीख़ लिखा जाना चाहिये। यदि किसी एक क़िस्त के अदा न होने पर कुल ऋण अदा हो जाने योग्य होने का इक़रार हो और तारीख़ वाजिबी से मियाद गुज़र जाने पर दावा किया गया हो तो तमस्सुक के उस विषय सम्बन्धी पूरे शब्द लिख देना उत्तम होता है। यदि मुद्दई ने कुल रुपया वसूल करने का हक़ छोड़ दिया हो और सिर्फ़ बकाया किस्तों का हो दावा करे तो उसको ऐसा छोड़ देना साफ़ तौर पर अर्ज़ीदावे में लिखना चाहिये।[1]

बही खाते के आधार पर नालिशें

यह दावे दो प्रकार के होते हैं एक तो वह नालिशें जो कि बहीखाते के असली इन्दराजात पर की जाती हैं। दूसरी वह जिनमें आपस में हिसाब होकर दोनों पक्षों की अनुमति से बकाया चढ़ा दी जाती है। जहाँ बकाया चढ़ाने के बाद प्रतिवादी या उसका मुख्तार हस्ताक्षर करदे तो उस तारीख से विनाय दावा पैदा होता है। (धारा ६४ क़ानून मियाद)। यदि मुद्दायलह के हस्ताक्षर ऐसी जगह पर हों तो दावा असली इन्दराज पर ही करना चाहिये परन्तु बकाया चढ़ाने की तारीख से मियाद लगाई जावेगी।[2] अवधि बढ़ाने के लिये स्वीकृति या (Acknowledgment) मियाद के अन्दर होनी चाहिये।[3] जहाँ पर एक से अधिक ऋणी हों तब एक के स्वीकृति से दूसरे के विरुद्ध मियाद नहीं बढ़ती।[4] ध्यान रखना चाहिये कि यदि कर्ज़दार बकाया पर दस्तख़त करे और बकाया २० रु० से अधिक हो तो एक आने का टिकट लगा होना चाहिये।

मियाद—साधारण ऋण के दावों में, जो हत उधार, रुक्का, टीप, नोट, बही-खाते इत्यादि के आधार पर हों, मियाद तीन वर्ष की होती है, उस तारीख से जब कि मुद्दई को दावा करने का अधिकार उत्पन्न हुआ। यदि ऋण की तहरीर की रजिस्ट्री हुई हो तब मियाद ६ साल की होती है।[5]

इन्दुलतलब कर्ज़ों में तारीख तहरीर से ही मियाद शुरू हो जाती है।

---

1. देखो नमूना नं० ८।

2 Bholanath *vs.* Netram, 3 A. L J 800

3 A I R 1938 All 217 F B

4 A. I L. R 1936, All 820 F. B , 1940 Cal 137

5. आर्टीकल ६६; ६७, ७४, ७५, कानून मियाद।

यदि अदायगी की कोई तारीख नियत की गई हो तो उस तारीख से, यदि कोई शर्त नियत हो तो उस शर्त के उल्लंघन के दिन से।

(१) *बाबत रुपया के जो कर्ज़ दिया गया हो

(मुक़दमे का सिरनामा)

(अ—ब—) मुद्दई बयान करता है :—

१—तारीख... . माह .....सन्... . को मुद्दई ने मुद्दायलह को मुबलिग ....रु० कर्ज़ दिये जो बतारीख...... ..को अदा हो जाना चाहिये थे।

२—मुद्दायलह ने यह रुपया सिवाय .... रु० के, जो उसने तारीख ..... माह .....सन् .... को दिये थे, अदा नहीं किया।

३—(अगर मुकदमे में कोई कानूनी तमादी लगती हो और मुद्दई उससे बचने का अधिकारी हो तो यहाँ पर बयान करे)—

जैसे—

मुद्दई... माह... ..सन् .... से ता०...मा० .. स०...तक नाबालिग़ (या पागल) था।

४—बिनाय दावा ता० .....को पैदा हुई और अदालत को मुकदमा सुनने का अधिकार प्राप्त है।

५—दावे की मालियत अदालत के दर्शनाधिकार के लिये ... .रु० है और देने कोर्टफीस के लिये ......रु० है।

मुद्दई प्रार्थना करता है कि उसको ....रु० मय सूद .. ..फी सदी, ता० ..... से फैसले के दिन तक का, दिलाया जावे।

(२) हत उधार कर्ज़ों की बाबत

बअदालत

नं० मु० सन्

अहमदबख्श वल्द मुहम्मदयार खाँ, कौम पठान, पेशा लैनदैन, साकिन मीरगञ्ज इलाहाबाद

मुद्दई

---

* ऊपर दिया हुआ नमूना ज़ाब्ता दीवानी के अपेन्डिक्स (अ) शिड्यूल १ का पहिला नमूना है। और अगले नमूनों में जो कहा गया है "कि फिकरा नं० ४ व ५ नमूना नं० १ का दर्ज करो" वह इसी नमूने के फिकरा नं० ४ व ५ से अभिप्राय है।

बनाम

छोटे वल्द रमज़ानी, क़ौम कसाई, पेशा तिजारत, साकिन बहादुरगंज इलाहाबाद मुद्दायलेह

अहमदबक्श मुद्दई नीचे लिखा हुआ बयान करता है :—

१—मुद्दायलेह के बाप रमज़ानी ने मुबलिग़ २०००) रु० (दो हज़ार) १६ जून सन् १९३५ ई० को मुद्दई से मारफत उसके वली, मुहम्मद यार खाँ से कर्ज़ा लिया और मुआहिदा किया कि आधा रुपया मय सूद १रु० फी सदी १६ जून सन् १९३६ ई० को और बकाया आधा रुपया मय सूद १रु० फी सदी १६ जून १९३७ को अदा करेगा।

२—रमज़ानी ने एक हज़ार रुपया मय सूद ता० १६ जून सन् १९३६ ई० को अदा कर दिया लेकिन बक़िया रुपया और उसका सूद अदा नहीं किया।

३—इसके बाद रमजानी की मौत हो गई। मुद्दायलेह उसका लड़का और वारिस है और उसकी जायदाद पर क़ाबिज़ है।

४—मुद्दायलेह ने १६ दिसम्बर सन् १९३७ ई० को ८०) रु० सूद में अदा किये और कुछ अदा नहीं किया।

५—बतारीख १७ जून सन् १९३७ ई० को जिस रोज कि १०००) रु० और उसका सूद वाजिब हुआ मुद्दई नाबालिग़ (या पागल) था और वह २० अगस्त सन् १९४१ ई० को बालिग़ हुआ (या उसका पागलपन दूर हो गया) इसी लिये दावा मियाद के अन्दर है।

६—हिसाब से मुद्दई के प्रतिज्ञा किये हुए दिन तक मुद्दायलेह पर...... ..... रुपया वाजिब हैं जो उसने तलब व तक़ाज़ा करने पर भी नहीं दिये।

७—बिनाय मुखासमत १६ जून सन् १९३७ को पैदा हुई लेकिन ज़हूर उसका ता० २० अगस्त सन् १९४१ बरोज़ बालिग़ होने मुद्दई के (या) बरोज दूर होने उसके पागलपन के) बमुकाम शहर इलाहाबाद में हुआ और अदालत को अख्त्यार समाअत हासिल है।

८—मालियत दावा, कोर्ट-फीस देने व अख्त्यार अदालत के लिये........ रु० है।

मुद्दई प्रार्थी है कि उसको .....रु० असल व सूद जैसा कि हिसाब में नीचे दर्ज है

मय ख़र्च नालिश, सूद दौरान व आइन्दा वसूल होने के दिन तक बमुकाबले जायदाद रमज़ानी के, जो मुद्दायलेह के कब्ज़े में है दिलाया जावे।

तफसील हिसाब

असल रुपया	...... रु०
सूद एक रु० सै० माहवारी के हिसाब से १६ जून सन् १६३७ ई० से १५ मई सन् १६४२ तक	......रु०
वसूल १७ जून सन् १६३७ को	......रु०
बाकी	..... रु०

(इबारत तसदीक, दस्तखत मुद्दई, तारीख व मुक़ाम) द० वकील मुद्दई इलाहाबाद १५ मई सन् १६३२ ई०।

(३) *बाबत कर्ज़ा जो प्रामेसरी नोट पर लिया गया हो।

(सिरनामा)

(अ—ब—) वादी नीचे लिखी प्रार्थना करता है :—

१—प्रतिवादी ने एक प्रामेसरी नोट वादी के नाम अपने हाथ से ता० . ... को लिख दिया और......रु० मय सूद १ रु० माहवारी इन्दुलतलब (या लिखने की तारीख से दो माह बाद) अदा करने का इक़रार किया।

२—प्रतिवादी ने उसमें से कुछ अदा नहीं किया।

३—बिनाय दावा—

४—तायून नालिश—

मुद्दई प्रार्थी है कि उसको........रु० असल और सूद मय खर्चा नालिश और दौरान व आइन्दा रुपया वसूल होने के दिन तक प्रतिवादी से दिलाया जावे।

---

*नमूना न० ३ के सिलसिले में ऑर्डर्स का नियम नम्बर १३ और उसकी टिप्पणी जो तीसरे अध्याय में दी गई है देखनी चाहिये। इस नमूने में दावा लिखे हुए प्रामेसरी नोट के आधार पर है।

(४)*दूसरा नमूना बाबत कर्ज़ा जो प्रामेसरी नोट पर लिया गया हो।

(सिरनामा)

उक्त मुद्दई निम्न लिखित प्रार्थना करता है—

१—मुद्दायलेह मुद्दई की दूकान से जो कि बाज़ार कसेरठ, हाथरस में है और जिस पर .....नाम पड़ता है कपड़ा की खरीद किया करता था

२—ता०... ..को क़ीमत परचा का हिसाब होकर......रु० मुद्दई के मुद्दायलेह पर बकाया निकले।

३—मुद्दायलेह ने उसी तारीख को .. . रु० का प्रामेसरी नोट मुद्दई के नाम लिख दिया और इक़रार किया कि उक्त रुपया मय सूद ||) सैकड़ा माहवारी मुद्दई को उसके माँगने पर अदा करेगा।

४—मुद्दायलेह ने यह रुपया अभी तक अदा नहीं किया।
(यहाँ पर फिकरा नं० ४ व ५ नमूना नं० १ का मज़मून लिखना चाहिये) Fresh live
(दादरसी या प्रार्थना)

(५) तीसरा नमूना बाबत कर्ज़ा जो प्रामेसरी नोट पर लिया गया हो।

बअदालत सिविल जज महोदय, बुलन्द शहर, अलीगढ़

नं०　　मु०　　सन् १६ .... ई०

प्यारे लाल वल्द मोहन लाल, वैश्य पेशा लैन दैन साकिन मोरपुर परगना व तहसील खुरजा जिला बुलन्दशहर—मुद्दई।

बनाम

१—राधेसिंह, वल्द हरबक्स,
२—मोहनसिंह, } बेटे गंगाबक्स,
३—हरबंससिंह, }
} क़ौम जाट, साकिन मौज़ा कजरूका, परगना व तहसील खुरजा, जिला बुलन्दशहर—मुद्दायलेह

---

* नोट:—जब प्रामेसरी नोट का मुआवज़ा कोई पहिला कर्ज़ा या प्रामेसरी नोट की दीगर ज़िम्मेदारी से अलहदा हो तो मुद्दई प्रामेसरी नोट के स्टाम्प की कमी या और किसी कारण से शहादत में पेश न हो सकने पर, उस पहिले कर्ज़े या ज़िम्मेदारी को साबित कर सकता है और अदालत उसकी डिगरी सादिर कर सकती है।

ऊपर लिखे नमूने नं० ४ व ५ ऐसी दशा में प्रयोग में लाने चाहियें क्योंकि इनमें कर्ज़ा पृथक दिखाया गया है और उसकी बाबत रुक़्क़ा या प्रामेसरी नोट का लिखा जाना दिखाया गया है।

प्यारे लाल मुद्दई निम्न लिखित बयान करता है :—

१—राधेसिंह मुद्दायलेह नं० १ व गंगाबक्स ने जो मुद्दायलेह नं० २ व ३ का बाप था ५,०००) रु० २४ जून सन् १९ . को मुद्दई से कर्ज़ लिया और यह रुपया, एक रु० सैकड़ा माहवारी सूद के साथ माँगे जाने पर अदा करने का वायदा किया।

२—राधेसिंह व गंगाबक्स ने इस कर्ज़ के बाबत एक प्रामेसरी नोट मुद्दई के नाम लिख दिया जो कि अरज़ीदावे के साथ दाखिल किया जाता है।

३—असली मदयून गंगाबक्स मर गया है। मुद्दाअलेह नं० २ व ३ उसके लड़के व वारिस हैं और उसकी जायदाद पर काबिज़ हैं और सब मुद्दायलेहम मुद्दई का रुपया अदा करने के ज़िम्मेदार हैं।

४—यह कि १६ जून १९... ..ई० को मुद्दई को १४० रु० सूद में असल मदयून से इस प्रामेसरी नोट पर वसूल हुए, बाक़ी रुपया अभी बाक़ी है।

५—हिसाब से .....रु० मुद्दई के निकलते हैं मुद्दायलेहम तलब व तकाज़ा करने पर भी यह रुपया अदा नहीं करते।

६—बिनाय दावा तारीख लिखे जाने रुक्के से (२४ जून १९... ई०) बमुकाम मीरपुर, इस अदालत की हद के अन्दर पैदा हुआ।

७—दावे का तायून अदालत के अख्तयार व कोर्टफीस अदा करने के लिये मु०......रु० है।

मुद्दई प्रार्थी है कि :—

(अ) दावा दिलाने .. रु० के मय खर्चा नालिश व सूद दौरान व आइन्दा वसूल होने के दिन तक, बमुक़ाबले ज़ात व जायदाद मुद्दाअलेह नं० १ और बमुक़ाबले जायदाद मुद्दायलेह नं० २ व ३ डिगरी किया जावे।

(ब) मुक़दमे के हालात को देखते हुए जो दादरसी अदालत बहक़ इन्साफ समझे सादिर करे।

(६) बाबत कर्ज़ा जो तमस्सुक इन्स्ट्रूमेन्ट पर लिया गया हो।

बअदालत मुन्सफी कोल, अलीगढ़

नं०... ..सु० .....१९ ..ई०

ला० गंगाप्रसाद, ला० किशनलाल	बेटे ला० कल्यानदास खत्री, पेशा लैनदैन, रहने वाले नगूला, हाल शहर कोल, मुहल्ला मियांगंज, मुद्दैयान,

बनाम

१—इसमाइल, वल्द करीमबक्स,
२—अब्दुलमजीद, वल्द खुदाबक्स,
} रंगरेज़, साकिन बरवे, तहसील बिसौली, जिला बदायूँ—मुद्दायलेह।

मुद्दइयान नीचे लिखा हुआ बयान करते हैं :—

१—ता० १७ मई सन् १९ ..... को मुद्दायलेह नं० १ व खुदाबक्स (जो कि मुद्दायलेह नं २ का बाप व मूरिस था) ने मुद्दाइयान से ६००) रुपया नक़द कर्ज़ा लिये और एक तम्मसुक लिख दिया जिस में वह रुपया मय समय सूद ॥=) आ० सैंकड़ा माहवारी, मांगने पर अदा करने का इक़रार किया। सूद का रु० छः-माही देना ठहरा और अगर यह रुपया छठे महीने न अदा हो तो यह इकरार हुआ कि सूद का रुपया असल में जोड़ दिया जावे और सूद दर सूद उक्त दर के हिसाब से वसूलयाबी के दिन तक लगाया जावे।

२—ता० २१ जून स १९ . .. को दस्तावेज के लिखने वालों ने १५०) रु० असल व सूद में अदा किये और यह वसूलयाबी तम्मसुक पर अपने हाथ से लिख कर दस्तखत कर दिये।

३—इसके बाद खुदाबक्स का देहान्त हो गया। मुद्दायलेह नं० २ उसका लड़का व उत्तराधिकारी है और उसकी जायदाद पर अधिकार रखता है।

४—हिसाब से . ...रु० मुद्दइयान के निकलते हैं और उनको इस रुपये के वसूल करने का हक़ मुद्दायलेह नं० १ व जायदाद खुदाबक्स (जो कि मुयद्दालेह नं० २ के कब्ज़े में है) से हासिल है।

५—मुद्दायलेह से कई बार रुपया मांगा गया लेकिन वे देने को तैयार नहीं हुए।

६—बिनाय दावा १७ मई सन् १९......तारीख़ लिखे जाने दस्तावेज़ से शहर कोल में अदालत की हद्दों के अन्दर पैदा हुआ। चूँकि १५०) रु० २१ जून सन् १९...... को दिया गया है दावा अन्दर मियाद है।

७—मालियत दावे की अदालत के अधिकार वा कोर्ट फ़ीस के लिये......रु० है।

८—मुद्दई प्रार्थी है कि—

दावा दिला पाने ....रु० असल और सूद, जैसा कि नीचे हिसाब में दिखलाया है, मय खर्च नालिश या सूद दौरान व आइन्दा वसूल होने तक मुद्दायलेह नं० १ की ज़ात व जायदाद के खिलाफ़ और जायदाद खुदाबक्स के खिलाफ़ जो मुद्दायलेह नं० २ के कब्ज़े में हो, डिगरी किया जावे।

हिसाब रुपया :—

असल

सूद १७ मई सन् १९—से २१ जून सन् १९—तक

कुल १ साल १ महीना ४ दिन का दर ।|≈) सैकड़ा ....रु०

माहवारी वसूल ता० २१ जून १९— को ....रु०

बाक़ी ....रु०

सूद २१ जून १९— से २१ मई १९— तक कुल २३

माह का दर ।|≈) सैकड़ा महावारी ....रु०

कुल जोड़ ....रु०

तसदीक की इबारत

हस्ताक्षर मुद्दैयान

" वकील

(७) बाबत क़र्जा जो नियत तारीख के तम्पसुक पर किया हो।

(सिरनामा मुक़दमा)

मुद्दई नीचे लिखी अर्ज करता है :—

१—ता० माह . सन् को मुद्दायलेह ने एक तमस्सुक मुद्दई के नाम लिख दिया और उनमें इक़रार किया कि वह ६००) मय सूद रु० १|) सैकड़ा माहवारी तारीख लिखी जाने तमस्सुक के एक साल के अन्दर अदा करेगा। यदि वह आधा रुपया छ: महीने के अन्दर और बक़ाया रु० एक साल के अन्दर बेबाक कर दे तो सूद १|) सै० माहवारी के बजाय १) रु० सैकड़ा माहवारी लगाया जावेगा और यदि रुपया अदा न किया जावे तो मुद्दाअलेह सूद दर सूद छ. माही १|) सै० माहवारी बेबाकी होने के दिन तक देने का ज़िम्मेदार होगा।

२—मुद्दायलेह ने आधा रुपया और उसका सूद जैसा प्रतिज्ञा किया था छः महीने के अन्दर दे दिया। लेकिन बक़िया आधा रुपया और सूद १ साल के अन्दर नहीं दिया।

३—लिखे हुए दस्तावेज के हिसाब से जिसके बिनाय पर यह दावा किया जाता है .. ..रु० मुद्दई के मुद्दायलेह पर बाक़ी है जो अभी तक मुद्दायलेह ने अदा नहीं किये।

४—बिनाय दावा :—

५—तायून नालिश :—

(दादरसी की प्रार्थना)

(८) बाबत कर्ज़ा जो क़िस्तबन्दी तमस्सुक पर लिया गया हो।

बअदालत सिविल जज बदायूँ।

न० मु०......सन् १६...

(१) शरीफुद्दीन, बेटा, (२) मुस० नजीमुल्न्निसा, बेटी, रफीउद्दीन, साकिन इसलामनगर, क़ौम शेख़, पेशा ज़मींदारी—मुद्दइयान।

बनाम

(१) बहादुरअली, लड़का, (२) मुसम्मात महरुलनिसा, लड़की (३) मु० कलसुमुलनिसा, बेवा अहमदअली, साकिन इसलाम नगर क़ौम मुगल, पेशा खेती—मुद्दायलेहम

मुद्दइयान मज़कूर नीचे लिखा बयान करते हैं:—

१—अहमदअली मूरिस मुद्दाअलेहम ने ता० १० अप्रैल सन् १६३१ ई० को ६४००) रु० रफीउद्दीन मूरिस मुद्दइयान का पहिला कर्ज़ा कबूल करके एक तमस्सुक, जिसके ऊपर कि यह नालिश की जा रही है लिख दिया। उसमें इक़रार किया कि मतालबा ८००) रु० की छमाई किस्तों से बिना सूद के अदा करेगा और पहिली किस्त ता० १० अक्तूबर सन् १६३३ और दूसरी ता० १० अप्रेल सन् १६३४ को अदा करना ठहरा और बाक़ी किस्तें इसी हिसाब से १० अक्तूबर व १० अप्रेल को हर छमाही, जब तक कि रुपया बेबाक न हो अदा करना ठहरा और किसी किस्त के नियत समय पर न दिये जाने पर कुल रुपया एक साथ मय १ रुपया सै० माहवारी सूद, वाइदा पूरा न करने के दिन से देना क़रार पाया।

२—ता० १० अक्तूबर १६३३ ई० को अहमदअली ने पहिली किस्त अदा करदी। इसके बाद उसका देहान्त हो गया।

३—मुद्दायलेहम मृतक अहमद अली के उत्तराधिकारी हैं और उसकी सम्पत्ति पर अधिकार किये हुए हैं।

४—मुद्दायलेहम ने दूसरी किस्त का रुपया जो कि उनको १० अप्रेल सन् १६३४ ई० को देना था नहीं दिया। इसलिये कुल रुपया मूल और सूद एक साथ देना उन पर वाजिब हो गया।

५—रफीउद्दीन मूरिस मुद्दइयान का भी ता० १७ मई १६३८ ई० को देहान्त हो गया। मुद्दइयान उसके वारिस हैं और उन्होने इस कर्ज के रुपये का सार्टीफिकट विरासत उचित अदालत से ले लिया है।

४– दास्तावेज़ की शर्तों के बमूजिब, हिसाब से मुद्दई के मुद्दाअलेह के ऊपर — रु० निकलते हैं जो उसने अब तक अदा नहीं किये।

५—बिनाय दावा (मुद्दाअलेह के इक़रार न पूरा करने के दिन से)

६—तायून दावा :—

मुद्दई की प्रार्थना : --

(१०) *बाबत कर्ज़ा जो बही खाते पर लिया हो।

(मुकदमें का सिरनामा)

उपरोक्त वादी निम्नलिखित प्रार्थना करता है —

१—प्रतिवादी व्यवसाय का कारबार रामगोपाल मोहनलाल के नाम से करते हैं।

२—प्रतिवादी, वादी की दूकान से जिस पर बृजलाल प्यारेलाल नाम पड़ता है और जो हाथरस में स्थित है, तिजारत के काम के लिये रुपया कर्ज़ लेते थे जो कि उनकी दूकान के बहीखाते में प्रतिवादियों की दूकान के नाम लिखा जाता था और उसको समय समय पर देते रहते थे।

३—प्रतिवादियों के खाते पर ||) रु० सै० माहवारी का सूद लगाया जाता था।

४—ता०......से ता० . ...तक .. . रु० वादी के बहीखाते में प्रतिवादियो के नाम पड़े और... रु० उनके जमा हुए।

५—नीचे दिये हुए हिसाब के अनुसार......रु० मूल व व्याज मुद्दाअलेहम के ऊपर बाक़ी है जो मुद्दाअलेहम ने तक़ाज़ा करने पर भी अदा नहीं किया।

---

*नोट—यदि फरीकैन में किसी तारीख पर हिसाब होकर कुछ रुपया मुद्दाअलेहम पर बाकी निकला हो और उसका दावा किया जाय तो फिक़रा नं० ५ ऐसे लिखना चाहिये—

५—ता०...... मा० ......सन् . .. दोनों पक्षों में हिसाब होकर .... रु० वादी का प्रतिवादियों पर निकला जो उसने तक़ाज़ा करने पर भी अदा नहीं किया।

और फिकरा नं० ४ में रक़मों के लिखने के बजाय दोनों पक्षों का व्यवहार चालू लिखना काफ़ी होगा।

६—बिनाय दावा :—

७—दावे की मालियत :—

(प्रार्थना)

(११) * बाबत कर्ज़ा बकाया जो हिसाब होने पर स्वीकार कर लिया गया हो

(सिरनामा)

उक्त मुद्दई नीचे लिखी प्रार्थना करता है।

१—मुद्दई लैन दैन का कारबार करता है और मुद्दाअलेह अनाज की दूकान करता है।

२—मुद्दाअलेह, मुद्दई से कर्जा लिया करता था और सूद व हिसाब ॥।) रु० माहवारी देता था।

३—१७ फरवरी स० ·से लेकर जून स० ·· · तक फरीकों में ता०······ मा० · सन् ·····को हिसाब होकर · · रु० मुद्दई का मुद्दाअलेह के ऊपर निकला।

४—हिसाब लेन देन और बक़ाया का मुद्दई की दूकान के खाते में दर्ज है। मुद्दाअलेह ने बक़ाया स्वीकार करके उस पर अपने दस्तख़त कर दिये और टिकट लगा दी।

५—मुद्दाअलेह ने बकाया का रुपया और उसका सूद अभी तक अदा नहीं किया।

६—बिनाय दावा—

७—दावे की मालियत—

प्रार्थना

(१२) † बाबत कर्ज़ा के जो हुन्डी लिख कर लिया गया हो।

(सिरनामा)

मुद्दई निम्न लिखित प्रार्थना करता है—

---

*नोट—यदि आपस के चलते हुए हिसाब की बक़ाया मनज़ूर न की गई हो तो भी इसी नमूने को जहाँ तहाँ बदल कर काम में लाना चाहिये।

† नोट—हुन्डियों की नालिशों के नमूने आगे हुन्डी के प्रकरण में दिये गये हैं।

१—मुद्दाअलेह, फ़र्म रामचन्द्र सोहन लाल वाके बिलराम के मालिक हैं।

२—मुद्दाअलेह ने ता०··· ··को ६००) रु० १) रु० सै० माहवारी सूद पर मुद्दई से कर्ज़ लिये और २ महीने बाद अदा करने की प्रतिज्ञा की।

३—मुद्दाअलेह ने दो महीने का सूद पेशगी मुद्दई को दे दिया और कर्ज़ के रुपये के बदले में दो महीने की मुद्दती हुन्डी अपने फ़र्म के ऊपर मुद्दई के नाम लिख कर देदी।

४ दो महीने व्यतीत हेा जाने पर भी अभी मुद्दाअलेहम ने हुन्डी का रुपया अदा नहीं किया।

५—सूद की दर १) रु० सै० माहवारी फरीकैन में ठहरी थी। मुद्दई हुन्डी के रुपये पर. रुपया अदा न होने की तारीख से नालिश करने के दिन तक, सूद का हक़दार है।

६—विनाय दावा ता०··· हुन्डी की मियाद खतम होने के दिन से मुकाम विलराम में पैदा हुई और अदालत के अधिकार नालिश सुनने का हासिल है।

७—दावे की मालियतः—

मुद्दई प्रार्थी है :—

कि रु० असल व सूद जैसा नीचे हिसाब में दिया है) मय खर्चा नालिश व सूद दौरान व आइन्दा, वसूल होने के दिन तक की डिगरी की जावे।

(हिसाब का ब्यौरा)

(१३) *खरीदार की ओर से तम्मसुक के क़र्ज की बाबत।

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित प्रार्थना करता है :—

१—मुद्दाअलेह नं० १ ता० ४ जनवरी सन् १९···ई० को २००) रु० मुद्दाअलेह नं० २ से तमस्सुक के ऊपर कर्ज़ लिये और इस रुपये को १) रु० सै० माहवारी सूद के साथ माँगने पर अदा करने की प्रतिज्ञा की।

२—रुपया पर सूद छः माही अदा करना ठहरा और ऐसा न करने पर यह ठहरा

---

*नोट—कर्ज की नालिशों के अर्ज़ीदावे, जो कि प्रामेसरी नोट, हुन्डी, बहीखाते या और किसी तरह से लिया गया हो इसी ढंग से लिखे जा सकते है। आवश्यक शब्द बदल देना चाहिये।

कि सूद का रुपया मूल में जोड़ दिया जावे और १) रु० सै० माहवारी के हिसाब से ही सूद दर सूद लिया जावे।

३—मुद्दाअलेह नं० १ ने मुद्दाअलेह न० २ को ऋण के रुपये में से कुछ अदा नहीं किया।

४—मुद्दाअलेह नं० २ ने अपना असल व सूद का रुपया वसूल करने का हक़ ता० . - को बैनामा करके मुद्दई के हाथ बेच दिया और अब मुद्दई उसका मालिक और रुपया वसूल करने का हक़दार है।

५—इस बै की सूचना मुद्दाअलेह न० १ को रजिस्टर्ड नोटिस से ता० .. .. को दे दी गई थी।

६—मुद्दाअलेह नं १ ने रुपया अभी अदा नहीं किया।

७—हिसाब से मुद्दाअलेह नं० १ पर .. रु० निकलते हैं और यही मालियत कोर्ट फीस देने व अदालत के अख्त्यार समाअत के लिये हैं।

८—विनाय दावा तमस्सुक लिखे जाने के दिन ता० .. . से अदालत की अधिकार सीमा के अन्दर पैदा हुई और अदालत को मुक़दमा सुनने का हक़ हासिल है।

मुद्दई प्रार्थी है कि—उसको . रु० मय खर्च नालिश, सूद दौरान व आइन्दा रुपया वसूल होने के दिन तक मुद्दाअलेह न० १ से दिलाया जावे।

२—अदायगी ज़ायदाद

यदि किसी व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति के हिसाब से १००) रु० निकलते हों और पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी भ्रम से १५०) अदा कर देवे तो अधिक दिया हुआ ५०) रु० पहला व्यक्ति वापस माँग सकता है। कभी २ वसूल करने वाला भी ग़लती से अपने रुपये से अधिक वसूल कर लेता है ऐसी दशा में भी पहला व्यक्ति उस रुपये के वापस पाने का अधिकारी होता है।

ऐसे दावे अंगरेजी में " Money had and received " के नाम से कहे जाते हैं। इन दोनों प्रकार के दावों में मुद्दई का रुपया मुद्दाअलेह के कब्जे और उपयोग में रहता है और मुद्दाअलेह उसको सूद सहित, जो कि हरजे के रूप में माँगा जा सकता है वापिस करने का ज़ुम्मेदार होता है। यदि अनुचित दबाव से रुपया या कोई वस्तु मुद्दई से ले ली गई हो तो क़ानून मुआहिदा की धारा ७२ के अनुसार उसकी वापसी का भी दावा हो सकता है परन्तु ध्यान रहे कि क़ानून न जानने के कारण यदि ग़लती हुई हो तो दावा नहीं हो सकता, वाकआत की गलती से ही बिनाय दावा पैदा होती है।[1]

मियाद—इन दावों में अवधि प्राय: ३ साल की होती है जिसकी गणना अदायगी या वसूलयाबी की तारीख से की जाती है या ग़लती मालूम होने के दिन से (See Act 96 Limitation Act)।[2]

(१) *बाबत रुपये के जो ज़्यादा दे दिया हो।

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित प्रार्थना करता है।

१—ता० . . को, मुद्दई चाँदी की सलाख़ ......आ० फ़ी तोले की दर से मोल लेने को और मुद्दाअलेह बेचने को, राज़ी हुए।

२—मुद्दई ने यह सलाख ....के हाथों पर परखवाई और उसके कहने पर कि हर एक सलाख १५०० तोले खालिस चाँदी की है, मुद्दई ने... . रु० उसकी बाबत मुद्दाअलेह को दिये।

---

1 A I R 1940 Mad 956

2 A I R 1940 Madras 660

*नोट—ऊपर दिया हुआ नमूना ज़ाब्ता दीवानी के शिड्यूल १ अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नं० २ है।

३—उनमें से हर एक सलाख १२०० तोले खालिस चाँदी की निकली और यह बात जब मुद्दई ने रुपये दिये थे उसको मालूम नहीं थी।

४—मुद्दाअलेह ने वह रुपया जो उसको ज्यादा दिया गया था वापिस नहीं किया है।

(यहाँ पर फ़िकरा नं० ४ व ५ नमूना नं० १ और मुद्दई की प्रार्थना लिखना चाहिए)।

(२) अधिक दी हुई क़ीमत वापिस करने के लिये।

नाम अदालत—

नं० मुकद्दमा

सोहनलाल मुद्दई बनाम हरपरशाद मुद्दाअलेह।

सोहनलाल मुद्दई निम्नलिखित प्रार्थना करता है।

१—ता० १६ अगस्त सन् १९—को मुद्दाअलेह ने २०० बोरी गेहूँ १०) रु० फ़ी बोरी के हिसाब से मुद्दई के हाथ यह कह कर बेचे कि हर एक बोरी में २ मन गेहूँ हैं।

२—मुद्दाअलेह ने गेहूँ के २०० बोरे मुद्दई के हवाले कर दिये और मुद्दई ने ठहरी हुई क़ीमत के हिसाब से २०००) रु० मुद्दाअलेह को अदा कर दिये।

३—ता० २५ अगस्त सन् १९—ई० को मुद्दई ने वही गेहूँ के बोरे फ़र्म मगनीराम बुद्धसेन के हाथ बेचे और जब उक्त फर्म ने बोरियाँ तुलवाईं तो हर एक बोरी १ मन ३० सेर की उतरी।

४—मुद्दाअलेह के पास १० सेर हर बोरी के हिसाब से ५० मन गेहूँ की क़ीमत २००) रु० ज्यादा पहुँचे।

५—मुद्दाअलेह ने यह रुपया माँगने पर भी अदा नहीं किया।

६—बिनाय दावा ता० २५ अगस्त सन् १९—तोल में कमी मालूम होने के दिन से ...... पर अदालत की सरहद के अन्दर पैदा हुई और अदालत को नालिश सुनने का हक हासिल है।

७—दावे की मालियत अदालत के अख्त्यार व कोर्ट फीस देने के लिये २००) रु० है।

मुद्दई प्रार्थी है कि उसको यह रुपया मय खर्च नालिश व सूद दौरान व आइन्दा रुपया वसूल होने के दिन तक दिलाया जावे।

———

३—माल की क़ीमत

ऐसे दावों में माल बिक्री करने और कीमत अदा करने का मुआहिदा अर्जी दावा में लिखना चाहिये। यदि क़ीमत पहिले न ठहराई गई हो तो दफ़ा ८९ क़ानून मुआहिदा (Sec 89 Contract Act) के अनुसार उचित कीमत मांगी जा सकती है परन्तु यह भी मुद्दई को अर्जीदावे में लिखना चाहिये। यह स्पष्ट रूप से लिखा जावे कि क़ीमत कब देना ठहरी थी, मुद्दई से माल मिलने के पहले या मुद्दाअलेह को माल हवाले हो जाने पर, अथवा किसी नियत समय के बाद, चूँकि जब तक कीमत अदा होने योग्य न हो जावे तब तक दावा नहीं किया जा सकता।

यदि एक ही मुहाइदे से कई बार बिक्री की गई हो तो हर एक बिक्री को पृथक पृथक न देकर उनका विवरण अर्जीदावे के अन्त में परिशिष्ट या सूची के रूप में दिया जा सकता है। ख़र्चा इत्यादि, यदि मुहाइदे में इकरार किया गया हो, या उसकी पूर्ति के लिए जरूरी हो, तब ही मांगा जा सकता है।

बिकरी किये हुए माल की डिलीवरी न लेने पर दावा करते समय यह देखना चाहिये कि ख़रीदार माल का मालिक हो गया है या नहीं (देखो कानून बिक्री माल, धारा १९ से २७ तक)।[1] यदि वह उसका मालिक हो गया है, यद्यपि माल बिक्री कर्ता के अधिकार में ही हो तो भी बिक्री कर्ता कीमत का दावा कर सकता है या दफ़ा १०७ कानून मुहाइदा (Contract Act) के अनुसार उचित नोटिस देकर माल को फिर बेच सकता है और कमी कीमत का ख़रीदार के ऊपर दावा कर सकता है। यदि ख़रीदार माल का मालिक नहीं हुआ तो सिर्फ़ बेचने वाला हर्जाने का दावा कर सकता है, जो कि मुहाइदा तोड़ने के दिन, इकरारी कीमत और बाज़ारी कीमत का अन्तर होता है।[2]

जहाँ माल की मिलकियत निश्चय न हो वहाँ पर बतौर बदल के (Alternatively) दोनों बातें एक ही अर्जीदावे में लिखी जा सकती है।

माल लेने से इन्कार करने के दावे में मुद्दई को अवश्य दिखाना चाहिये कि उसने माल देना चाहा लेकिन मुद्दाअलेह ने उसको ग्रहण करने से इन्कार किया। कीमत के दावे में मुद्दई को दिखाना चाहिऐ कि माल का मालिक मुद्दाअलेह हो

---

1 Sale of Goods Act also I L R 32 Cal 816, 33 Cal 547, 50 Bom 360; 24 A. L. J 657, 1926 P C 38

2 24 I[Cal 124, 25 All 55, 94 I. C 924, P. C.

गया है और यदि दुबारा डिकरी होने पर हर्जे का दावा हो तो मुद्दाअलेह को नोटिस होना भी दिखाना चाहिये।

माल की डिलीवरी न देने पर दावे में मुद्दई को दिखाना चाहिये कि उसने डिलीवरी माँगी याकि मुद्दाअलेह ने स्वयं डिलीवरी देने का इक़रार किया था।

अनस्थिर वस्तुओं (Moveables) या चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में धारा १२ कानून दादरसी खास (Specific Relief Act) से अनुसार प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिये दावा नहीं किया जा सकता क्योंकि इन चीजों का मुआवज़ा रुपये में दिया जा सकता है। परन्तु यदि वह वस्तु किसी विचित्र प्रकार की या विशेष मूल्य की हो तो प्रतिज्ञा की पूर्ति का दावा किया जा सकता है इसलिए अर्ज़ी दावे में उनकी विचित्रता का बयान होना चाहिये।[1]

(१) * नियत दाम पर बेचे हुए और हवाले किये हुए माल की बाबत

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित प्रार्थना करता है :—

१—ता० . ... को ... . ने १०० बोरी आटे की (या माल जिसकी फिहरिस्त दी जाती है) मुद्दाअलेह के हाथ बेचा और हवाले किया।

२—मुद्दाअलेह ने... .रु० माल के बारे में हवाला करने माल के दिन (या और किसी तारीख को जो अर्ज़ीदावे से पहिले हो) देने का इक़रार किया था।

३—यह रुपया उसने अदा नहीं किया।

४—ता० . . को......का देहान्त हो गया और वह अपने अखीरी वसीयतनामे से अपने भाई मुद्दई को वसी मुक़र्रर कर गया।

५—बिनाय दावा—

६—दावे की मालियत—

७—मुद्दई वसी की हैसियत से दादरसी चाहता है।

---

1 Sec 12 Secific Relief Act, A I R 1925 Lah 905, 90 I. C 605

* ऊपर दिया हुआ नमूना जाब्ता दीवानी के शिड्यूल नं० १ अपेन्डिक्स (अ) का नमूना न० ३ है।

(वादी की प्रार्थना)

(२) दूसरा नमूना माल की क़ीमत के बाबत

(सिरनामा)

उक्त मुद्दइयान निम्न लिखित प्रार्थना करते हैं :—

१—मुद्दाअलेह की हुन्डी परचे की दूकान स्थान एटा में उनके पुरखा गोबरधनदास वंसीधर के नाम से जारी है।

२—मुद्दइयान तिजारत व हुन्डी परचे का कारबार हरमुखराय कन्हैयालाल के नाम से हाथरस में करते हैं।

३—मुद्दइयान से मुद्दाअलेहम की दूकान हुन्डी परचा खरीद किया करती थी।

४—मुद्दाअलेह के खाते में ब्याज की दर ॥=) सै० माहवारी की थी जो मियाद के १५ दिन बाद से लगाई जाती थी।

५—ता०..... को हिसाब कर के २३२४॥≈) रु० मुद्दइयान के, मुद्दाअलेहम पर हुन्डी परचे की क़ीमत के बाक़ी निकले और उसकी चिट्ठी मुद्दाअलेहम ने मुद्दइयान के भरोसे के लिये टिकट लगा कर लिख दी।

६ इसके पश्चात् मुद्दाअलेहम ने २००) रु० ता० . . को और १००) रु० ता० ...को, कुल ३००) रु० अदा किये और बक़ाया.. .. रुपया अभी अदा नहीं किया।

७—हिसाब से......रु० मुद्दइयान के निकलते हैं और अदालत के ४ दर्शनाधिकार व कोर्टफ़ीस देने के लिये यही दावे की मालियत है।

(३) तीसरा नमूना माल की क़ीमत के बाबत

नाम अदालत

मु० न० सन्

फर्म मेसर्स कोर्ड ऐन्ड मैक्डानलड लिमीटेड मुद्दइयान

बनाम

ज्वाला प्रसाद मुद्दाअलेह

न निम्न लिखित बयान करते हैं :—

१—मुद्दईयान का ईंट बनाने का कारख़ाना स्थान सिकन्दरा में मेसर्स ओर्ड ऐन्ड मैकनैल्ड के नाम से जारी है।

२—मुद्दाअलेह ने सिकन्दराबाद में बिल्डिंग फ़ैक्टरी बनवाने के लिये मुद्दईयान के कारख़ाने से जून सन् १९—से ईंट ख़रीदना शुरू किया और ४ दिसम्बर १९—तक ख़रीद करता रहा और उनकी क़ीमत भिन्न भिन्न तारीखों में अलग हिसाब देता रहा और मुद्दईयान के कारख़ाने से बिल माहवारी उसके यहाँ जाते रहे।

३—ईंटों की क़ीमत व जमा का हिसाब मुद्दईयान के बही खाते में लिखा हुआ है जो कि नियमानुकूल रक्खे जाते हैं।

४—बहीखाते के हिसाब से जिसकी नक़ल अर्ज़ीदावे के साथ दी जाती है मुद्दईयान के.... . रु० निकलते हैं।

५—मुद्दईयान के माँगने पर मुद्दाअलेह रुपया बेबाक करने का वायदा करता रहा और इसी लिए उसने १२ जून सन् १९—से १८ जून सन् १९—को पत्र लिखे जो अर्ज़ीदावे के साथ पेश किये जाते हैं लेकिन रुपया बेबाक नहीं किया।

६—रुक्का या वादे पर मुद्दईयान, कारख़ाने के दस्तूर से जो कि बिल के ऊपर दिया हुआ है बशरह ।) रु० सै० माहवारी सूद पाने के हक़दार हैं।

मुद्दईयान अर्ज़ी हैं कि :—

(क) दावा दिया जावे .....रु० असल व सूद (जिसका ब्योरा नीचे हिसाब में दिया हुआ है) मय ख़र्च नालिश व सूद दौरान व आइन्दा, रुपया वसूल होने के दिन तक, मुद्दाअलेह के ऊपर जारी किया जावे।

ब्योरा हिसाब—

(४) बाबत क़ीमत माल, ख़रीदार या उससे लेने वाले के ख़िलाफ़

(सिरनामा)

मुद्दईयान निम्नलिखित निवेदन करते हैं :—

१—मुद्दईयान आढ़त का कारबार स्थान सिवाई में गिरधारी लाल मोहानाथ के नाम से करते हैं।

२—मुद्दाअलेह नं० १ का फ़र्म दुर्गाप्रसाद रामप्रसाद के नाम से और मुद्दाअलेह नं० २ का फ़र्म डुंगरसी ऐन्ड कम्पनी के नाम से चंदौसी में जारी है।

३—मुद्दाअलेह नं० १ ने दिसम्बर सन् १९—ई० में मुद्दईयान के फ़र्म से सिवाई में २०० बोरे गेहूँ जिसका वज़न.. ...होता है ६=) की मन के हिसाब से ख़रीद किये

जिसका मूल्य तुलाई और मज़दूरी लगा कर और दाना व खाद काट कर.........
रु० हुआ।

४—माल की डिलीवरी ३ फर्वरी सन् १६—को मुद्दाअलेह नं० १ ने अपने सामने डिबाई के रेलवे स्टेशन पर मुद्दाअलेह नं० २ के मुलाज़िम को दिला दी और मुद्दाअलेह न० २ ने अपने नाम से वह माल स्थान कीमारी को भेज दिया।

५—मुद्दाअलेह नं० २ ने मुद्दाअलेह न० १ के कहने के अनुसार मुद्दइयान को मूल्य देने का वाइदा किया और ८ फर्वरी सन् १६—ई० को अपने दफ्तर में बाक़ायदा बिल बनवा कर उस पर मुद्दइयान के दस्तखत रुपया देने के लिये कराए लेकिन पीछे से रेल की बिल्टी खो जाने का बहाना करके उसका रुपया नहीं दिया।

६—मुद्दइयान ने मुद्दाअलेह न० २ को नोटिस दिया जिस पर उन्होंने कीमारी माल पहुँच जाने पर रुपया देने का वाइदा किया लेकिन माल कीमारी पहुँच जाने पर भी मुद्दाअलेह न० २ ने रुपया नहीं दिया और तरह तरह की हुज्जत करते हैं।

७—मुद्दइयान ने मुद्दाअलेह नं० १ से भी रुपया मांगा और नोटिस दिया लेकिन वह भी रुपया देने को अमादा नहीं होते।

८—मुद्दइयान माल की क़ीमत और उस पर १) रु० सै० माहवारी का सूद बतौर हर्जे के पाने के दोनों मुद्दाअलेहम से या उनमें से जो देनदार करार दिया जावे, हक़दार हैं।

९—बिनाय दावा ता० ३ फरवरी १६—ई० माल रवाना करने के दिन से अदालत के अधिकार की हद्दों के अन्दर स्थान डिबाई में पैदा हुई।

१०—दावे की मालियत अदालत के अधिकार व कोर्ट फीस के लिये ......रु० है।

मुद्दइयान प्रार्थी हैं कि नीचे लिखे हिसाब के अनुसार......रु० का दावा मय खर्चा, व सूद दौरान, व आइन्दा वसूल होने के दिन तक दोनों मुद्दाअलेहम पर या उस पर जो देनदार पाया जावे, डिगरी किया जावे।

(हिसाब की तफसील)

(५) दावा क़ीमत वसूल करने वाले से ख़रीदार की तरफ से

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित प्रार्थना करता है ;—

१—ता०..... को .....रु० हुन्डी परचे के क़ीमत के बारे में सोभाराम के प्रतिवादियों पर चाहिये थे।

२—हुन्डी परचे की क़ीमत इस हिसाब से है—

(यहाँ पर विवरण देना चाहिये)

३—ऊपर लिखी ता० .... को सोभाराम ने अपना लहना बैनामा लिख कर वादी के हाथ बेच दिया और अब मुद्दई उसका मालिक व वसूल करने का हक़दार है।

४—बै करने की सूचना मुद्दई ने मुद्दाअलेह को ता०. .. .को दे दी थी।

५—प्रतिवादी ने यह रुपया अदा नहीं किया।

(यहाँ पर नमूना न० १ के फिकरा न० ४ व ५ का विषय लिखना चाहिये)

(प्रार्थना)

(६) बही खाते में लिखे हुए माल की क़ीमत व क़र्ज़े के बारे में दावा

(सिरनामा)

मुद्दइयान नीचे लिखा बयान करते हैं :—

१—यह कि शहर कोल में मुद्दइयान का फर्म मुन्नीलाल मोहनलाल के नाम से और मुद्दाअलेहम का तालों का कारखाना छोटेखाँ नूरखाँ के नाम से बहुत दिनों से जारी है।

२—यह कि मुद्दाअलेहम अपने कारखाने के लिए नक़द रुपया, पीतल और अन्य सामान मुद्दइयान से बहुत दिनों से लेते थे और उस रुपये और पीतल व सामान की कीमत को ॥=) सै० माहवारी सूद के साथ समय समय पर अदा करते रहते थे।

३—यह कि तारीख . . . . से लेकर ता० . . . . . .तक मुद्दाअलेहम के नाम रु० . नक़द व माल की कीमत व सूद के बारे में मुद्दइयान के वहीखाते में........ रु० कुल दरज हुए और . . रु० मुद्दअलेहम के फ़ुटकर जमा हुए। इसलिये ......रु० मुद्दइयान के मुद्दाअलेहम पर वहीखाता के हिसाब से बाक़ी है।

४—यह कि मुद्दाअलेहम ने हिसाब के दौरान में एक दफे ता०... . को अपना हिसाब समझ लिया और ११५०) रु०मुद्दइयान के वहीखाते में निकाल-कर अपने दस्तख़त कर दिये और टिकट लगा दी।

५—यह कि मुद्दइयान ने बकाया रुपया के अदा करने के लिये कई बार तकाजा किया लेकिन मुद्दाअलेहम ने कुछ ध्यान नहीं दिया।

मुद्दइयान प्रार्थी हैं कि.........रु० असल व सूद नीचे दिये हुए हिसाब से मय खर्च नालिश व सूद दौरान व आइन्दा रुपया वसूल होने के दिन तक मुद्दाअलेहम से दिलाया जावे।

(७) बाबत माल जो उचित मूल्य पर वेचा व हवाला किया गया

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित प्रार्थना करता है :—

१—ता०......को वादी ने खाने पीने व पसरट्टे का सामान (जिसका विवरण-नीचे दिया गया है) प्रतिवादी के हाथ वेचा और उसके हवाला किया। इसकी कीमत के बारे में किसी प्रकार का मोल भाव नहीं हुआ।

२—इस कुल सामान का उचित मूल्य . . रु० होते हैं।

३—प्रतिवादी ने यह रुपया नहीं दिया।

(यहाँ पर नमूना नं० १ के फिकरे ४ व ५ का विषय लिखना चाहिये)।

विवरण .....प्रार्थना।

(८) इसी प्रकार का दूसरा नमूना।

(सिरनामा)

फर्म मोतीराम बुद्धसेन उक्त मुद्दई निम्नलिखित विनय करते हैं :—

१—मुद्दई की पर्सरट्टे की कोठी स्थान हाथरस में जारी है।

२—मुद्दाअलेहम ने अपने लड़के की शादी के लिये ता०.. ...से ता०......... तक मसाले इत्यादि मुद्दई की कोठी से मँगवाये जिसका विवरण नीचे हिसाब में दिया गया है।

३—मुद्दाअलेहम ने इन चीज़ों का कोई भाव तै नहीं हुआ लेकिन उनकी मुनासिब कीमत हिसाब से.. ...रु० होती है।

४—मुद्दाअलेहम ने कई बार माँगने व नोटिस देने पर रुपया अदा नहीं किया।

५—दावे की मालियत अदालत के अधिकार (मज़मून फिकरा नं० ४ व ५ नमूना १ लिखिये)

६—मुद्दई प्रार्थी है :—

(अ) कि . .रु० हिसाब का दिलाया जावे।

(ब) खर्च नालिश व सूद दौरान व आइन्दा रुपया वसूल होने के दिन तक भी दिलाया जावे।

* (९) बाबत ऐसी वस्तु के जो प्रतिवादी के आर्डर पर बनाई गई हो और उसने न लिया हो

(सिरनामा)

उपरोक्त वादी निम्नलिखित विनय करता है :—

१—ता० को स्थान पर . . या कोई अन्य वस्तु (अ—ब—) ने वादी से प्रतिज्ञा की कि वादी उसके लिये (६ मेज और ५० कुर्सियाँ) बनावे और उनके हवाले करने पर (अ—ब—) उनके दाम रु० अदा करेगा।

२—यह कि वादी ने वे चीज बना कर ता० .को (अ—ब—) से कहा कि वे तैयार हैं और वादी उनके देने को उसी समय से तैयार और राजी है।

३—यह कि (अ—ब—) ने उन चीजों को नहीं लिया और न उनकी क़ीमत अदा किया।

(नमूना न० १ के फिकरे नं० ४ व ५ लिखिये)

(वादी की प्रार्थना)

(१०) इसी प्रकार का दूसरा नमूना

(सिरनामा)

मुहम्मद अमीर मुद्दई अर्ज़ करता है :—

१—मुद्दई बाज़ार चाँदनी चौक शहर देहली में तसवीर बनाने का काम करता है।

---

* नोट—ऊपर दिया हुआ नमूना जाब्ता दीवानी के शिड्यूल १ अपेनडिक्स (अ) का नमूना न० ५ है।

मुद्दाअलेह ने ता०......सन्......को मुद्दई से यह मुआहिदा किया कि मुद्दई उसके लिये ६ तसवीर नीचे लिखे नमूने की, जो कि मुद्दाअलेह ने मुद्दई को दिया एक हफ्ते के अन्दर तैयार करके हवाला कर देवे और मुद्दाअलेह २५०) रु० उनकी क़ीमत मुद्दई को अदा करेगा।

(नमूने की तफसील)

३—मुद्दाअलेह ने १०) रु० मुद्दई को ठहराते बयाना समय के दिये और बाक़ी २४०) तसबीर हवाले करते वक्त देना क़रार पाये।

४—मुद्दई ने मुआहिदे के अनुसार तसवीरे नमूने के मुताबिक १ हफ्ते के अन्दर तैयार करके मुद्दाअलेह को देना चाहीं और मुद्दाअलेह से २४०) रु० बाकी क़ीमत के माँगे।

५—मुद्दाअलेह तसवीर लेने और बाकी क़ीमत देने पर तैयार नहीं होता और बिला वजह हुज्जत और टाल टूल करता है।

६—मुद्दई तैयार की हुई तसवीर देने और बाक़ी कीमत का रुपया लेने को हर वक्त तैयार रहा और अब भी है।

(मजमून फिकरा न ४ व ५ नमूना नं० १ लिखिये।)

मुद्दई प्रार्थी है कि :—

(अ) मुद्दाअलेह से २४०) रुपया बाकी कीमत और खर्च नालिश और सूद दौरान व आइन्दा, रु० वसूल होने तक दिलाये जावें और ६ तसवीर तैयार की हुई नमूने सहित मुद्दई से मुद्दाअलेह को दिला दी जावें।

(११) नीलाम किये हुए माल की क़ीमत के लिये

(सिरनामा)

मुहम्मदजान मुद्दई नीचे लिखा निवेदन करता है :—

१—मुद्दई ने तारीख.... ..को नीलाम मे मुद्दाअलेह को कुछ सामान जिसकी कीमत ४००) रु० थी नीलाम की शर्तो के अनुसार फरोख्त किया। एक शर्त यह थी कि नीलाम के एक हफ्ते बाद तक रुपया अदा करके माल उठा लिया जावे।

२—माल की तफसील और कीमत जिस पर मुद्दाअलेहम ने माल खरीद किया नीचे दी हुई है—

(नाम माल) (कीमत)

३—मुद्दाअलेह ने मियाद के अन्दर माल नहीं लिया और न उसकी कीमत अदा की।

(मज़मून फ़िकरा नं० ४ व ५ नमूना नं० ११ लिखना चाहिये)

(प्रार्थना)

*(१२) बाबत उस कमी कीमत के जो दोबारा नीलाम कराने से हो

(सिरनामा)

मुद्दई नीचे लिखा निवेदन करता है :—

१—ता० को मुद्दई ने (कुछ माल) इस शर्त पर नीलाम किया कि जो माल १० दिन के अन्दर रुपया अदा करके न लिया जावे वह फिर खरीदार की तरफ़ से नीलाम कर दिया जाय और यह शर्त मुद्दाअलेह को मालूम थी -

२—मुद्दाअलेह ने कुछ चीनी के बर्तन. . . रु० को नीलाम में खरीदा।

३—मुद्दई, मुद्दाअलेह को यह बर्तन नीलाम के दिन और उसके १० दिन बाद तक देने को तत्पर और राजी था।

४—मुद्दाअलेह अपने खरीद किये हुये बर्तनों को नीलाम के १० दिन बाद तक नहीं ले गया न उनकी क़ीमत अदा की।

५—ता० . को मुद्दई ने वह बर्तन मुद्दाअलेह की तरफ़ से. ...रु० को दोबारा नीलाम कर दिये।

६—दूसरे नीलाम में खर्चा.... रु० हुआ।

७—मुद्दाअलेह ने वह कमी जो दूसरे नीलाम करने पर हुई अदा नहीं की।

(फ़िकरा ४ व ५ नमूना नं० १ लिखिये)

मुद्दई की प्रार्थना।

---

*नोट—यह जाब्ता दीवानी के शिड्यूल १ अपेनडिक्स (अ) का नमूना नं० ६ है।

४—मज़दूरी व नौकरी

मज़दूरी या उजरत का दावा तभी लाया जा सकता है जब कि मुद्दई किसी इक़रार की वजह से मुद्दाअलेह के लिये कोई काम करे। यदि ऐसा काम करने में कुछ सामान भी लगाया जावे तो मुद्दई उसकी उचित क़ीमत माँग सकता है (देखो दावा नं० ३)। परन्तु अपने ही सामान से यदि मुद्दई मुद्दाअलेह के लिये कोई चीज़ बनावे (जैसे तस्वीर, मेज़, कुर्सी, इत्यादि) तो हर्जाने का दावा लाना चाहिये क्योंकि यहाँ पर मज़दूरी मुद्दई ने अपने लिये ही की न कि मुद्दाअलेह के लिये। परन्तु यदि कोई मनुष्य दूसरे की जायदाद पर बिना इजाज़त अपने आप ही कोई ऐसा काम करे जो कि उसको मन्जूर करना पड़े तो वह उसका मुआवज़ा पाने का हक़दार नहीं होता जैसे कोई व्यक्ति अधिकार विरुद्ध कब्ज़ा करके मकान की मरम्मत करा देवे।

मज़दूरी का दावा किसी काम के समाप्त हो जाने पर ही करना चाहिये जब तक कि दोनों पक्षों मे ऐसी कोई प्रतिज्ञा न हो कि काम अधूरा रहने पर भी मज़दूरी दी जावेगी (देखो कानून मुआहिदा; धारा ३९)

मियाद—मज़दूरी या नौकरी अदा होने की नियत तारीख से तीन साल के अन्दर दावा दायर होना चाहिये यदि ऐसी कोई तारीख नियत न हो तो काम समाप्त होने के तीन वर्ष के अन्दर।[1]

*(१) उचित मज़दूरी के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निवेदन करता है :—

१—ता०......से ता०.....तक वादी ने कुछ तसवीर और नक्शे प्रतिवादी के कहने पर बनाए। इस विषय पर कोई इकरार नही हुआ था कि उस काम के लिये, कितना रुपया वादी को दिया जावेगा।

---

1. Article 56, Limitation Act

*नोट—यह ज़ाप्ता दीवानी के शिड्यूल १ अपेनडिक्स (अ) का नमूना नं० ७ है।

२—उस काम की उचित मजदूरी......रुपया है।

३—प्रतिवादी ने यह रुपया अदा नहीं किया।

(मजमून फिकरा नं० ४ व ५ नमूना न० १ लिखना चाहिये)

वादी की प्रार्थना

(१) बाबत मुनासिब मज़दूरी।

(सिरनामा)

(अ—ब—) मुद्दई निवेदन करता है—

१—मुद्दई सिलाई का काम करता है।

२—ता०......को मुद्दाअलेह के यहाँ लड़के की शादी थी। उसने शादी के लिये बहुत से कपड़े सिलवाये लेकिन शरह के बारे में कोई मुआहिदा नहीं किया।

३—मुद्दई ने जो कपड़े सिये उनकी मुनासिब सिलाई नीचे दर्ज हैं—

(नाम कपड़ा) (सिलाई)

४—मुद्दाअलेह ने सिलाई के हिसाब में सिर्फ २५) रु० दिये हैं बक़िया......रु० तक़ाज़ा करने पर भी नहीं दिये।

५—बिनाय दावी ता०......(काम तैयार करने के दिन से)

मुद्दई प्रार्थी है कि......रु० मुद्दाअलेह से मय सूद के दिलाया जावे।

*(२) मज़दूरी इत्यादि की उचित क़ीमत की बाबत।

(सिरनामा)

मुद्दई निवेदन करता है :—

१—ता०......को (स्थान)—में मुद्दई ने एक मकान (यहाँ मकान का नम्बर व पता देना चाहिए) मुद्दाअलेह के लिये उसके कहने पर तामीर किया और उसका मसाला (ईंट, चूना इत्यादि) भी अपने पास से लगाया, लेकिन कोई इक़रार इस बात का नहीं हुआ था कि उस काम और मसाले की क्या क़ीमत दी जायगी।

२—उस काम और मसाले की उचित क़ीमत......रु० है।

३—मुद्दाअलेह ने यह रुपया अदा नहीं किया।

---

* नोट—यह ज़ब्ता दीवानी के शिड्यूल I. App. A. का नमूना नं० ८ है।

५—हुन्डी व चैक

हुन्डी के दावों में कुछ आवश्यक शब्द जान लेने चाहिये। वह यह हैं।

जो पुरुष हुन्डी लिखता है उसको "लिखने वाला" और जिसके हक़ में लिखी जाती है उसको "रखने वाला" और जिसका हुन्डी अदा करने का आदेश दिया जावे उसको "ऊपर वाला" कहते हैं।

जो हुन्डी खरीद करता है वह "बेचान लेने वाला" और जो बेचता है वह "बेचान देने वाला" कहलाता है। जो कोई हुन्डी को सही करके उसके अदा होने की जिम्मेदारी लेवे वह "सही करने वाला" कहलाता है।

इनके अंग्रेजी में समान शब्द यह है :—

लिखने वाला Drawer	बेचान लेने वाला Endorsee
रखने वाला Payee	बेचान देने वाला Endorser
ऊपर वाला Drawee	सही करने वाला Accepter

हुन्डी के दावों में तारीख, रक़म और फरीकैन के नाम स्पष्ट रूप से दिये जाने चाहिये। यह भी लिखना चाहिये कि प्रतिवादी हुन्डी का लिखने वाला, सही करने वाला, या बेचान करने वाला है। यदि वह लिखने वाला या बेचान देने वाला हो, तो उसको हुन्डी के न सिकरने का नोटिस दिया जाना भी दिखाना चाहिये क्योंकि (दफा ९८ Negotiable Instruments Act के अनुसार) नोटिस ज़रूरी होने के सिवाय बिनाय दावा भी नोटिस देने की तारीख से शुरू होता है। कोई सही करने वाला अपने नाम के पहिले सब फरीकैन (लिखने, सही करने और बेचान देने वालों) पर दावा कर सकता है और जब तक हुन्डी न सिकर जावें यह सब लोग देनदार हैं और सब को फरीक़ मुकदमा बनाना चाहिये। दावा नं ३ व ४ के नोट सावधानी से इसी सिलसिले में पढ़ने चाहिये।

हुन्डी व चैक का रुक्का और अन्य Negotiable Instruments की तरह Negotiable Instruments Act की धारा ११८ के अनुसार प्रत्युपकार (मुआवज़ा या बदल) मान लिया जाता है इस लिये अर्जी दावे में यह लिखना कि हुन्डी या चैक बदल के एवज में लिखा गया ज़रूरी नहीं है परन्तु यह ज़रूर लिखना चाहिये कि हुन्डी या चैक, जिसका दावा किया जावे

सकरने के लिये पेश की गई थी और उसको अदायगी नहीं की गई[1]। उसी विधान की धारा ७९ के अनुसार यदि कोई सूद के लिये प्रतिज्ञा हुन्डी में न लिखी हो तो मुद्दई धारा ८० के अनुसार ६ रुपया सैकड़ा वार्षिक सूद मांग सकता है।[2]

मियाद—हुन्डी या चैक का रुपया भुगतान होने योग्य हो जाने की तारीख, से ३ साल के अन्दर दावा दायर होना चाहिये।

(१) दावा लिखने वाले का ऊपर वाले पर।

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी ने ता०.. ...को प्रतिवादी के ऊपर अपने हाथ की लिखी हुई हुन्डी से, जो मुद्दती तीन महीने की थी, प्रतिवादी को आदेश दिया कि वह ५००) रु० वादी को मुद्दत पूरी हो जाने पर अदा करे।

२—प्रतिवादी ने हुन्डी को सही (Accepted) कर दिया लेकिन उसका रुपया मुद्दत पूरी हो जाने पर नहीं दिया।

३—वादी का नीचे लिखा रुपया प्रतिवादी पर चाहिये।

हुन्डी का रुपया ५००) रु०

सूद ता० से लेकर दावा दायर करने की तारीख तक——रु०

निखराई व सिकराई— —-रु०

४—विनाय दावा ता० को हुन्डी के दिन गुज़र जाने पर (स्थान) में अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई।

५—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि :—

(अ) दावा दिलाने.....रु० असल व सूद व निखराई सिकराई डिग्री किया जावे।

(ब) खर्च नालिश व सूद रुपया वसूल होने के दिन तक दिलाया जावे।

---

1 A. I R. 1929 Lahore 388, 22 C W N 1036, 1934 A L J 892

2 A I R 1928 Bom 85 F B, 107 I C 753, 6 A L J 233

(२) दावा रखने वाले का हुन्डी लिखने वाले पर

(सिरनामा)

मुद्दई निवेदन करता है।

१—ता०........को फ़र्म मुद्दाअलेह ने जिनका........नाम पड़ता है एक हुन्डी........रु० की अपने ऊपर, ६० दिन की मुद्दती, मुद्दई के रखने की लिखी।

या—मुद्दाअलेह ने एक हुन्डी से, जो उसने ता०......को अपने ऊपर मुद्दई के हक़ में लिखी......रु० का ६० दिन की मुद्दत के बाद अदा करने का इक़रार किया।

२—यह मुद्दत (६० दिन की) गुजर गई, मुद्दाअलेह ने हुन्डी का रुपया अदा नहीं किया।

३—हुन्डी ॥|) सै० माहवारी के सूद से ली गई थी। मुद्दई इसी दर सेबाद का सूद भी लगाता है।

४—मुद्दई का, नीचे दिये हिसाब से......रु० निकलता है।

(हिसाब की तफसील)

५—बिनाय दावा, ता० को हुन्डी की मुद्दत पूरी होने से....(स्थान) में अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई—

६—दावे की मालियत।

(मुद्दई की प्रार्थना)

(३) दावा बेचानलेने वाले का सही करने वाले पर

(सिरनामा)

मुद्दई निवेदन करता है—

१—फ़र्म रामचन्द्र हरप्रसाद कानपुर ने ता०......को एक ६००) रु० की हुन्डी, मुद्दती २ माह, फ़र्म रामसहाय गौरसहाय कलकत्ता के ऊपर, फ़र्म धनीराम साधूराम कानपुर ाले के हक़ में लिखी।

२—फ़र्म घनीराम साधूराम ने उक्त हुन्डी मुद्दइयान को बेचान कर दी और मुद्दइयान उसके मालिक हैं। (देखो नोट नं० १)

३—मुद्दइयान ने हुन्डी की मियाद गुज़र जाने पर वह फर्म मुद्दाअलेहम, गौरसहाय, कलकत्ता को उसके रुपये की बेबाकी के लिये पेश की। मुद्दाअलेहम ने हुन्डी को सही कर दिया लेकिन उसका रुपया अभी तक अदा नहीं किया। (देखो नोट न० ३)

४—मुद्दइयान, हुन्डी का रुपया व सूद और निखरा सिकराई वगैरह मुद्दाअलेहम से वसूल करने के हक़दार हैं। (देखो नोट न० २)

५—विनाय दावा—

६—दावे की मालियत—

मुद्दइयान प्रार्थी है कि :—

(अ) दावा, दिलापाने .....रु० हुन्डी का व......रु० सूद का ॥) सै० माहवारी की दर से, ता० मुद्दत पूरी होने से नालिश करने के दिन तक व......रु० खर्च निखराई सिकराई कुल......रु० के मुद्दाअलेहम पर मय खर्च नालिश व सूद रु० वसूल होने के दिन तक, डिगरी किया जावे।*

---

*नोट न० १—यदि मुद्दइयान के पास हुन्डी कई बेचान के बाद आई हो तो फ़िकरा नं० २ में यह लिखना चाहिये—

"फर्म घनीराम साधूराम ने (अ—ब—) के नाम और (अ—ब—) ने—(क—ख—) के नाम और— (क—ख—) ने मुद्दइयान को बेचान किया और मुद्दइयान उसके अब मालिक हैं"।

नोट न० २—अगर दावा हुन्डी लिखने वाले पर भी करना हो तो फिकरा नं०४ ऐसे लिखना चाहिये और दोनों को मुद्दाअलेहम बनाना चाहिये।

"मुद्दइयान, रुपया हुन्डी, सूद व निखराई सिकराई इत्यादि के फर्म रामचन्द्र हरप्रसाद कानपुर, हुन्डी लिखने वाले व फर्म रामसहाय गोरसहाय कलकत्ता, जिनके ऊपर हुन्डी लिखी गई और जिन्होंने उसको सही किया, से लेने के हक़दार हैं"।

नोट न० ३—यदि मुद्दइयान ने किसी अन्य पुरुष के हाथ हुन्डी बेचान करदी हो और उसके न सिकरने पर मुद्दइयान को उसका रुपया देना पड़ा हो तो फिकरा नं०३ इस तरह होना चाहिये—

"मुद्दइयान ने उक्त हुन्डी (अ—ब—) के हाथ बेचान की और बेचान लेने वालों ने मुद्दत गुज़रने पर मुद्दाअलेहम की दूकान पर अदायगी के लिये उसको पेश किया, मुद्दाअलेहम ने हुन्डी को सही कर दिया मगर उसका रुपया अदा नहीं किया। मजबूर हो कर मुद्दइयान को, उसका रुपया, सूद, निखरई सिकरई वगैरह बेचान लेने वाले को वापिस देना पड़ा"।

(४) हुन्डी न सिकरने पर रखने वाले का लिखने वाले पर दावा

१—प्रतिवादियों ने ता० को एक ७००) रु० की हुन्डी, मुद्दती ३० दिन, वादी के नाम फर्म रामसहाय गूदड़मल कानपुर के ऊपर, माल के बदले में लिखी। (देखो नोट नं० १ व ४)

२—वादी ने मुद्दत पूरी हो जाने पर, उसके रुपये की अदायगी के लिये हुन्डी फ़र्म रामसहाय गूदड़मल कानपुर को पेश की। (देखो नोट नं० २)

३—उक्त फर्म ने हुन्डी को नहीं सिकारा और इस की सूचना वादी ने प्रतिवादियों को रजिस्ट्री नोटिस से ता० .....को दे दी।

४—प्रतिवादियों ने नोटिस देने पर भी हुन्डी का रुपया सूद व निखराई सिकराई इत्यादि अभी तक नहीं दिया। उसका हिसाब नीचे दिया है—* (देखो नोट नं० ३)

---

*नोट नं० १ – यदि वादी के रखने की हुन्डी न हो और उसने बेचान लिया हो तो अर्ज़ीदावा इसी तरह का होगा और धारा नं० १ में "वादी के नाम" के बजाय उस आदमी का नाम लिखना चाहिये जिसके हक़ में हुन्डी पहिले लिखी गई हो और अन्त में उन सब बेचानों का उल्लेख होना चाहिये जिससे वादी हुन्डी का मालिक हुआ।

नोट नं० २—हुन्डी का न सिकराना दो तरह से हो सकता है। पहला तो यह कि जिसके ऊपर हुन्डी हो वह उसको सही न करे, और दूसरा यह कि मुद्दत पूरी होने पर रुपया अदा न करे। दोनों हालतों में नालिश करने का स्वत्व उत्पन्न होता है इस लिये यदि सही करने से इन्कार करने पर नालिश की जाय तो धारा नं० २ में "रुपये की अदायगी" के बजाय "सही करना" लिखा जावे। शेष विषय वैसा ही रहेगा।

नोट नं० ३—कभी कभी लिखने वाले को हुन्डी न सिकराने का नोटिस दिये जाने का हक़ नहीं होता या वादी किसी कारण से नोटिस नहीं दे सकता और क़ानूनन इसके न देने के प्रभाव से बचना चाहता है (दफा ७८ क़ानून हुन्डी, ऐक्ट २६ सन् १८८१ ई०) ऐसी दशा में धारा नं० ४ के बजाय नीचे लिखी हुई धारा लिखना चाहिये।

"प्रतिवादी का कोई रुपया या बीजक फर्म रामसहाय गूदड़मल कानपुर वालों पर नहीं था" याकि "प्रतिवादी ने फर्म रामसहाय गूदड़मल को उक्त हुन्डी सिकराने से रोक दिया था (या जो कुछ नोटिस न देने का कारण हो) इस कारण से प्रतिवादी हुन्डी न सिकरने के नोटिस पाने का अधिकाररी नहीं था"।

नोट न० ४—यदि हुन्डी मुद्दती होने के बजाय दर्शनी, पहुँचे दाम की या माँग पर अदा करने की हो, तो अर्जीदावे में "मुद्दती ३० दिन" के बजाय वही शब्द लिखने चाहिये और आवश्यक संशोधन के साथ अर्ज़ीदावा इसी प्रकार का होना चाहिये।

रुपया हुन्डी	रु०	कुल . . .रु०
सूद	रु०	
खर्च निखराई सिकराई	रु०	
खर्च नोटिस	रु०	

(५) दाव बेचान लेने वाले का रखने वाले पर

१—दूकान रामचन्द्र हरप्रसाद कानपुर ने ता०......को दो हज़ार रुपये की एक हुन्डी मुद्दती ६० दिन रामसहाय गौरसहायमल कलकत्ता के ऊपर धनीराम साधूराम कानपुर वालों को लिखी।

२—फर्म धनीराम साधूराम ने इस हुन्डी का वादी के नाम बेचान कर दिया।

३—वादी ने इस हुन्डी को दूकान रामसहायमल गौरसहायमल कलकत्ता वालों पर अदायगी के लिये पेश किया लेकिन उन्होंने उसको नहीं सिकारा।

४—वादी ने हुन्डी न सकरने की रजिस्ट्री नोटिस ता० को प्रतिवादी को दे दिया।

५—प्रतिवादी ने हुन्डी का रुपया व सूद व खर्चा निखरई सिकरई वादी को अदा नहीं किया।

(यहाँ रुपये का हिसाब देना चाहिये)

(६)-बेचान लेनेवाले का उसको बेचान देने-वाले के ऊपर दावा

१—दूकान रामचन्द्र हरप्रसाद कानपुर ने ता० .....को ...रुपये की दर्शनी (या पहुँचे दाम की) हुन्डी फर्म रामसहाय गौरसहायमल कलकत्ता के ऊपर फर्म धनीराम साधूराम कानपुर वालों के हक़ में तहरीर की।

२—फ़र्म धनीराम साधूराम ने यह हुन्डी फर्म राधाकिशन सीताराम खुर्जावालों के हाथ बेचान की और राधाकिशन सीताराम ने उसको फ़र्म मुद्दइयान के हाथ जिस पर कि . . नाम पड़ता है बेचान कर दिया।

३—वादियों ने हुन्डी को अदायगी के लिये फर्म रामसहाय गौरसहायमल कलकत्ता को पेश किया लेकिन उन्होंने उसको नहीं सिकारा।

४—वादियों ने हुन्डा न सिकरने का नोटिस प्रतिवादियों (फर्म राधाकिशन सीताराम खुर्जा) को ता० .. . . . को रजिस्ट्री कराकर दे दिया।

५—प्रतिवादियों ने हुन्डी का रुपया, सूद व इखराजात व खर्च निखरई सिकरई मुद्दइयान को अदा नहीं किया उसका ब्योरा नीचे दिया जाता है।

हुन्डी का रुपया—	रु०	कुल रुपया......
सूद	रु०	
खर्च निखरई सिकरई	रु०	

(७) दावा बेबान लेनेवाले का बे देनेवाले और लिखने वाले पर

नाम अदालत...... ..

नं० मु०......सन्...

१—बुद्धसेन
२—केदारनाथ
३—हीरालाल
} वादी

बनाम

१—श्यामलाल
२—बद्रीदास
३—गंगाप्रसाद
} प्रथम पक्ष

४—मदनमोहन
५—ब्रजलाल
६—राधेलाल
७—माधोप्रसाद
} द्वितीय पक्ष

} प्रतिवादी

वादी निवेदन करते हैं :—

१—वादी दूकान जीवाराम कन्हैयालाल हाथरस के मालिक हैं जिसका मैनेजर व अपने हिस्से का मालिक बुद्धसेन का सगा भाई मुन्नालाल था और अब उसकी जगह पर कर्ता खानदान की हैसियत से मुद्दई न० १ मैनेजर है।

२—प्रतिवादी प्रथम पक्ष एक अविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य हैं और हाथरस मे श्यामलाल बद्रीदास के नाम से कारबार करते हैं।

३—प्रतिवादी द्वितीय पक्ष की दूकान गन्नीलाल मदनमोहन के नाम से पत्थर बाजार हाथरस में है जिसका मैनेजर अपने हिस्से का मालिक व खानदान मुशतर्का का कर्ता होने की वजह से उनका बुजुर्ग गन्नीलाल था।

४—नीचे लिखी हुई चार क़िता हुन्डियाँ गन्नीलाल मदनमोहन की, अपने ऊपर की हुई और श्यामलाल बद्रीदास के रक्खे की हैं और उन्हीं के आधार पर यह नालिश की जाती है—

(१) हुन्डी तादादी १०००) मियादी ५० दिन ता० ....
(२) „ „ १०००) „ ६० दिन ता० .. ..
(३) „ „ १०००) „ ७० दिन ता० ....
(४) „ „ १०००) „ ८० दिन ता० ....

५—श्यामलाल बद्रीदास ने ये हुन्डियाँ ता० . .. .. को जीवाराम कन्हैयालाल के हाथों मुन्नालाल मैनेजर के नाम मुआवजा पाकर बेचीं।

६—वादियों ने हुन्डियों की मियाद पूरी हो जाने पर उनको अदायगी के लिये प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को पेश किया लेकिन उन्होंने उनको नहीं सिकारा।

७—हुन्डी न सिकरने की खबर वादियों ने प्रतिवादी प्रथम पक्ष को नियमानुसार दी और उनसे उनका रुपया भी माँगा।

८—हुन्डियों का रुपया अभी तक दोनों प्रतिवादियों में से किसी ने अदा नहीं किया।

९—हाथरस की बाज़ार के रिवाज व आपस के इक़रार से वादी ||=) सै० माहवारी के हिसाब से सूद पाने के हक़दार हैं।

१०—बिनाय दावी, हुन्डी न सिकरने के दिन से अदालत के इलाके के अन्दर स्थान......पर पैदा हुई।

११—दावे की मालियत अदालत के अधिकार और कोर्टफीस देने के लिये ४०४०) रु० है।

वादी प्रार्थी है :—

(अ) कि नीचे दिये हिसाब के अनुसार ४०४०) रु० मय खर्च नालिश व सूद रुपया वसूल होने तक दिलाया जावे।

(तफसील हिसाब)

(८) चैक के आधार पर दावा

१—प्रतिवादी ने ता० .. ..को एक चैक ५००) रु० का इलाहाबाद बैंक लिमिटेड, इलाहाबाद के ऊपर वादी के नाम तहरीर करके उसके हवाले कर दिया।

२—वादी ने वह चैक इलाहाबाद बैंक लिमिटेड, इलाहाबाद के यहाँ ता०... .. को पेश किया मगर बैंक ने चैक का रुपया अदा नहीं किया।

३—वादी ने रजिस्ट्री नोटिस के द्वारा जो ता०......को दिया गया प्रतिवादी को चैक न सिकरने की इत्तला दे दी मगर प्रतिवादी ने चैक का रुपया अदा नहीं किया।

४—वादी चैक का रु०......सूद के साथ प्रतिवादी से वसूल करने का हक़दार है।

६—आपसी हिसाब

साधारणतया आपसी हिसाब का अभिप्राय शुद्ध रूप से नहीं जाता और किन्ही दो फ़र्म के आपसी लेन देन को लोग आपसी हिसाब कर लेते हैं। वास्तव में यदि दो व्यक्तियों या फर्मों के मध्य रकमों और माल का आना जाना हो और उन दोनों का सम्बन्ध ऋणी और ऋण देने वाले का न हो तब वह आपसी हिसाब कहलाता है। ऐसे हिसाब में कभी एक पक्ष के ऊपर और कभी दूसरे पक्ष के ऊपर ।की रक़म निकलती है। इसके विरुद्ध ऋण के व्यवहार में बकाया हमेशा ऋणी के ऊपर ही निकलती है।

आपसी हिसाब होने के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक ऐसे व्यवहार की पृथक ज़ुम्मेदारी उत्पन्न होती हो। इसके वि ऋण होने की दशा में नाम की तरफ़ ऋण की रकम लिखी जाती है और जमा की तरफ, मूल या सूद या दोनों की अदायगी। जमा की रकमें नाम की रकमों से सम्बन्धित होती है और वह पृथक जिम्मेदारी उत्पन्न नहीं करती वरन् पहली ही जिम्मेदारी की बेबाकी के लिये होती हैं।

मियाद—आपसी हिसाब यदि खुला और चलता हुआ रहे अर्थात् कोई बाकी न निकाली गई हो और आपसी व्यवहारों की शृंखला चलती रहे, तब उसकी विशेषता यह होती है कि कानून मियाद के आर्टिकिल ८५[1] के अनुसार उसकी नालिश उस वर्ष के अन्त से ३ साल के अन्दर हो सकती है जिस वर्ष में उस हिसाब की अन्तिम रकम लिखी जाना स्वीकार हो या प्रमाणित की जा सके[2] साधारण ऋण की मियाद केवल ३ साल की होती है।[3]

---

1. See Art 85, Schedule I, Limitation Act
2. I L. R 39 All 33, 47 Bom 128, 27 A L. J. 73, 107 I C 533
3 1934 A. L. J. R. 623, P. C

*(१) आपस के हिसाब के आधार पर नक़द रुपया का दावा

(मुक़दमे का सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ऊपर लिखे हुए फ़रीकैन कानपुर में साहूकारी का काम करते हैं ।

२—फ़रीकैन के फ़र्मों में आपस में हिसाब एक अरसे से चला आता था और जो रुपये का लेन देन होता था दोनों के बही खातों में लिखा जाता था और सालाना दिवाली पर हिसाब का मिलान हो कर एक फ़र्म की बक़ाया दूसरे फ़र्म पर दोनों के बही खातों में लिख दी जाती थी ।

३—अन्तिम बार तिथि......या ता०.. ...को हिसाब का मिलान होकर...... रुपया मुद्दई फ़र्म के, मुद्दाअलेह के फ़र्म पर निकले थे और उसके बाद बदस्तूर रुपये का लेन देन तिथि......या ता०...तक होता रहा और हिसाब खुला और चलता हुआ रहा ।

४—इस आपसी हिसाब में ब्याज की दर आठ आना ||) सै० माहवारी थी और पहिले हिसाब में भी इसी दर से ब्याज लगाया जाता रहा था ।

५—हिसाब से जो कि अर्ज़ीदावे के साथ दाखिल किया जाता है फ़र्म मुद्दई का मुद्दाअलेह के फ़र्म पर......रु० निकलता है ।

(२) इसी तरह का दूसरा नमूना

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करते हैं—

१—वादी का फ़र्म जीवाराम कन्हैयालाल के नाम से, पत्थर बाज़ार शहर हाथरस में प्रचलित है ।

२—प्रतिवादी एक अविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य हैं और उनका कौटुम्बिक फ़र्म गनीलाल मदनमोहनलाल के नाम से इसी बाज़ार में है ।

३—वादियों के फ़र्म जीवाराम कन्हैयालाल व प्रतिवादियों के फ़र्म गनीलाल मदन-मोहन में आपस में लेन देन था जो तिथि... .....या ता०... .. .. से आरम्भ हुआ ।

* नोट—इन दावों के लिये इसी अध्याय में क़र्ज़ा के दावा नं० १० का नोट देखना चाहिये ।

४—लेन देन की सब रकमे दोनो फ़र्म के बहीखातों मे लिखी जाती थीं और फ़रीकैन में आपस में ब्याज की दर ।|=) सै०मो०थी ।

५—उपरोक्त दोनों फर्मों में तिथि........या ता० ..... को हिसाब हुआ और आपस के लेन देन की रकमों को काट कर वादियों के फर्म मुद्दइयान के प्रतिवादियों के फर्म पर १०,००७।||=) रुपये निकलते थे, उसका जमा खर्च दोनों फर्मों के बहीखातों में हुआ था ।

६—इसके बाद .... . रु० तारीख .. .... को प्रतिवादियों के फर्म के नाम पड़े और ....रु० तारीख ....को तथा . .. रु० ता० .... को कुल .. रुपया जमा हुए इस तरह से... .....रु०फर्म मुद्दइयान के फर्म मुद्दाअलेहम पर बाकी हैं ।

७—यह कुल हिसाब वादियों के फर्म बहीखातों में जिसकी नक़ल अर्ज़ीदावे के साथ पेश की जाती है और प्रतिवादियों के बहीखातों में जिसकी नक़ल पेश कराई जावेगी दर्ज है ।

८—हिसाब से ११८८०) रु० वादियों का प्रतिवादिवों के ऊपर बाक़ी है जो उसने माँगने व तक़ाज़ा करने पर भी अदा नहीं किया ।

९—लेन देन तारीख,.. .. से शुरू हुई लेकिन फरीकैन में, कानून मियाद के दफ़ा ८५ के मुताबिक, आपसी हिसाब मियाद के अन्दर हुआ था और प्रतिवादियों के यहाँ ४६००) रु० तारीख . ... . को नक़द गये और तारीख... . को प्रतिवादियों ने हिसाब सही स्वीकार करके बक़ाया निकाली और मु०३६१०) रु० सूद में अदा करके जमा कराये और तारीख .... . को हिसाब तसलीम करके ९०४०) रु० अदा किये इस लिये दावे में तमादी का कोई असर नहीं है ।

१०—दावे की मालियत अदालत के अधिकार व कोर्टफीस देने के लिये ११८८०) रु० है ।

११—विनाय दावी तारीख ....की मियाद के अन्दर अदालत के इलाके में स्थान हाथरस में पैदा हुई ।

१२—वादी प्रार्थी हैं :—

(अ) दावा दिला पाने ११८८०) रु० असल व सूद नीचे दिये हुए हिसाब के अनुसार, मय खर्च दौरान व आइन्दा, वसूल होने के दिन तक प्रतिवादियों के ऊपर डिगरी किया जावे ।

(हिसाब का विवरण)

७— का

जिन शर्तों पर अमानत रक्खी गई हो वह अर्जी दावे में लिखनी चाहिये और इसकी अदायगी का तक़ाज़ा किया जाना और रुपये का अदा न होना भी लिख देना चाहिये क्योंकि नालिश की विनाय ऐसा तक़ाज़ा करने से उत्पन्न होती है।[1] इस सम्बन्ध में ट्रस्ट के प्रकरण का नोट भी देखना चाहिये।

(१) बाबत अमानती रुपया

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—मुद्दाअलेहम का साहूकारी का फर्म........के नाम से बाज़ार बादशाही मसजिद शहर मुरादाबाद में जारी है।

२—मुद्दई का रुपया मुद्दाअलेह की दूकान पर अमानत में जमा रहता था जिसका सूद ||) आने सैकड़े माहवारी मुद्दाअलेह मुद्दई को अदा करते थे और कुल रुपये के, इन्दुलतलब (माँगा, जाने पर) देनदार थे।

३—मुद्दई ने पहिले मुबलिग़......रु० ता०..... को जमा किये और बाद को बहुत सी रकमें जमा करता रहा और असल व सूद में रुपया लेता रहा।

४—रुपये के लैन दैन का कुल हिसाब मुद्दाअलेहम की दूकान के बहीखातों में और बही याददाश्त मुद्दई में, जो मुद्दाअलेहम की दूकान के मुनीम ने उसको दे रक्खी थी, दर्ज है और वह हिसाब अर्जीदावे के साथ पेश किया जाता है।

५—हिसाब से मुद्दई का .....रु० मुद्दाअलेहम पर बाक़ी है जो मुद्दाअलेहम ने अदा नहीं किया।

६—विनाय दावी ता० . . .को रुपया माँगने और मुद्दाअलेहम के न अदा करने के दिन से बमुक़ाम मुरादाबाद अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई।

७—दावे की मालियत—

(प्रार्थना)

---

1 Art. 60, Limitation Act See also I L. R 51 Mad 549, A. I R. 1927 Bom 483, 1927 Pat 91

(२)—अमानती माल के बारे में, दूसरा नमूना

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—यह कि प्रतिवादी दूकान राधाकृष्ण सीताराम स्थिति खुरजा के मालिक हैं।

२—यह कि वादी के पिता बिहारीलाल का उक्त दूकान पर समय समय पर रुपया जमा होता था और इसी तरह पर उसको इस दूकान से रुपया वसूल भी होता था और वह रुपया प्रतिवादियों की दूकान की बहियों में और वादी के पिता के हिसाब की बही में दर्ज होता रहा और अंतिम बार तिथि......या तारीख......को मुद्दई के पिता और प्रतिवादियों की दूकान में आपस का हिसाब हुआ और मुबलिग ४६३०।) रु० प्रतिवादियों ने अपने ऊपर स्वीकार और मन्जूर किये और इस रकम का बहियों में इन्दराज हुआ।

३—यह कि इसके बाद ८१८) रु० मुद्दई के पिता को कई तारीखों में वसूल हुये।

४—यह कि फरीकैन के इक़रार से इस रुपये पर ब्याज ।≈)॥ आने सैकड़े माहवारी लगाया जाता था।

५—यह कि वादी के पिता बिहारीलाल का देहात हो गया। वादी उनका उत्तराधिकारी है, और इस रुपये को वसूल करने का हक़दार है और उसने कर्ज का रुपया वसूल करने का सार्टिफिकट विरासत ले लिया है।

६—यह कि हिसाब से ४११२।) रु० असल व ६६६) रु० सूद कुल ४८११।) रु० निकलते हैं जिनको वादी मृतक बिहारीलाल का वारिस होने के कारण प्रतिवादियों से वसूल करने का हक़दार है और यही दावे की मालियत, कोर्टफीस व अदालत के अधिकार के लिये है।

७—यह कि बिनाय दावा तिथि..... तदनुसार ता०.. ..., आखिरी बकाया निकालने के दिन से अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई है और अदालत को अधिकार मुकदमा सुनने का हासिल है

मुद्दई प्रार्थी है कि :—

(अ) ४८११) रुपया असल और सूद या जितना भी रुपया वादी के पिता बिहारीलाल का प्रतिवादियों पर निकलता हो सूद सहित वसूल होने के दिन तक, मय नालिश खर्चे के वादी को दिलाया जावे।

(हिसाब का विवरण)

८—वादी के लिये वसूल किया हुआ रुपया

यदि कोई पुरुष कोई ऐसा रुपया वसूल कर लेवे जिसका हक़दार कोई अन्य पुरुष हो तो वह वसूलयाबी हक़दार मनुष्य के लिये समझी जाती है और वसूल करने वाला व्यक्ति, हक़दार मनुष्य को उसको देने का जिम्मेदार होता है।

यदि रुपया अदा करने वाले के किसी कार्य या गलती से ऐसा हुआ हो तो वह अदायगी नाजायज़ कहलाती है और उसके नमूने अन्य प्रकरण में दिये जा चुके हैं। यदि ऐसी वसूलयाबी रुपया वसूल करने वाले की गलती या उसके अन्य कार्य से हुई हो जिसका जिम्मेदार रुपया अदा करने वाला न हो, दोनों दशाओं में अधिकारी पुरुष ऐसे रुपये के लिये दावा कर सकता है और उन अर्जीदावों के नमूने इस प्रकरण में दिये गये हैं।

मियाद—ऐसे दावों में कानून मियाद का आर्टीकल ६२ लागू होता है (Art 62 Limitation Act) और मियाद ३ साल की होती है।[1]

[नोट—इस सिलसिले में अदायगी नाजायज़ की मद में दिये हुए अर्जीदावे और नोट देखने चाहिये। वह ऐसे रुपये के बारे में हैं जो वास्तव में गलती से प्रतिवादी ने वादी के लिये वसूल किया]

(१) बेजा वसूल किये हुये रुपये की वापसी के लिये

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—मुद्दई मौज़ा चननगर तहसील स्याहा में खेती का काम करता है।

२—मुद्दाअलेह उसी मौज़े में ज़मींदार की तरफ से कारिन्दा था और काश्तकारों से लगान वसूल करता था।

३—ता०......को मुद्दाअलेह ने मुद्दई से यह कहा कि वह ज़मींदार का कारिन्दा और लगान वसूल करने का हक़दार है और मुद्दई ने मुद्दाअलेह के बयान को सही तसलीम कर रबी सन्......फ़० का लगान मुबलिग........रुपया मुद्दाअलेह को अदा कर दिया और मुद्दाअलेह ने उसकी रसीद ज़मींदार के कारिन्दे की हैसियत से दे दी।

४—इसी लगान के बारे में ज़मींदार ने मुद्दई के ऊपर अदालत माल में नालिश दायर की। मुद्दई ने लगान की अदायगी का उज्र मुद्दाअलेह की दी हुई वसूलयाबी की रसीद पर किया, लेकिन अदालत से ता०......को यह फैसला हुआ कि मुद्दाअलेह

1. I L R 46 Cal. 670, P C; 30 All. 318, A I R 1927 All. 161, F B

लगान वसूल करने के दिन से करीब ६ महीने पहिले बर्खास्त हो चुका था और उस तारीख़ पर लगान वसूल करने का हक़दार नहीं था, इसलिये जमींदार का दावा मुद्दई के ऊपर डिगरी हो गया।

५ मुद्दई अदा किये हुए रुपये को मय १) रु० सै० माहवारी सूद व ज़मींदार की नालिश के खर्चे का जो उसके ऊपर निकला मुद्दाअलेह से पाने का हक़दार है।

६—बिनाय दावी ता०......को रुपया अदा करने के दिन और ता०......को ज़मीदार की डिग्री होने के दिन से बमुक़ाम मौज़ा रामनगर, अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई।

७—दावे की मालियत—

(मुद्दई की प्रार्थना :—)

(२)-वसूल किये हुए रुपये को अदा न करने के बारे में

१—मुद्दई और मुद्दाअलेह की एक डिग्री नम्बरी सन् . ई० अदालत..... की जो रामसहाय इत्यादि मदयूनों के ऊपर मुबलिग़ रु० .. की थी ता० ..को अदा होने योग्य हुई।

२—मुद्दाअलेह ने इस डिग्री को अदालत से जारी कराकर उसका......रु० सूद के साथ मदयून डिग्री से ता०... को वसूल करके अपने काम में लगा लिया।

३—मुद्दई का हिस्सा डिग्री मजकूर में एक चौथाई था।

४—मुद्दाअलेह ने मुद्दई के हिस्से का मतालबा और सूद तकाजा करने पर भी अदा नहीं किया।

(३) बेजा वसूल किये हुये रुपये के न अदा करने पर

१—मुद्दई का क़र्जा अ... . ब ..आदमी के ऊपर बज़रिये सादा तमस्सुक ता० ... का लिखा हुआ था, जो मुद्दई ने फर्जी तौर पर अपने नौकर मुद्दाअलेह के नाम लिखा लिया था।

२—इस दस्तावेज़ की नालिश मुद्दई के खर्चे से मुद्दाअलेह के नाम में अ . ब... के ऊपर अदालत .. .में दायर हुई और उसके बिनाय पर ता० .. को डिग्री नम्बरी ....सन् ......अ—ब— के ऊपर सादिर हुई।

३—मुद्दाअलेह ने वह डिग्री अदालत से जारी कराकर उसका कुल रुपया मु०.. ... रु० अ—ब— से ता०...... को बदनीयती से स्वयं वसूल करके अपने काम में खर्च कर दिया।

४—उक्त रुपये का मालिक व वसूल करने का हक़दार मुद्दई है। मुद्दाअलेह ने यह रुपया मुद्दई के माँगने पर भी अभी तक अदा नहीं किया।

६—इस्तेमाल और दखल

(Use and Occupation)

प्रयोग (इस्तेमाल) और दखल के मुआवजे के दावे अंग्रेजी में विशेष नाम से पुकारे जाते हैं। (Compensation for Use and Occupation)

यदि एक व्यक्ति की जायदाद दूसरे व्यक्ति के प्रयोग में हो जो पहिले व्यक्ति के स्वत्व को स्वीकार न करे, तो प्रयोग करने वाला व्यक्ति मालिक को उसका मुआवजे का देनदार होता है। यह परिस्थिति बहुधा तब होती है जब प्रयोग कर्ता ने कब्जा व दखल मालिक से लिया हो परन्तु वह दस्तावेज जिसके आधार पर कब्जा दिया गया किसी कानूनी त्रुटि के कारण शहादत में पेश किये जाने योग्य न हो जैसे स्टाम्प की कमी, या रजिस्ट्री न होना इत्यादि। ऐसी दशा में विधान अनुमान करता है कि प्रतिवादी की मनशा उचित किराया देने की थी। उत्तम रीति यह है कि अर्जीदावे में मुद्दई बतौर बदल के वासलात भी मांगे ताकि यदि प्रतिवादी, वादी के आज्ञा से काबिज होना अस्वीकार करे तो क्षति-पूर्ति (खिसारे) के बदले वादी को अन्तर भूत लाभ (वासलात) मिल सके।

यह दावे ऐसी दशा में किये जाते हैं जबकि मुद्दअलेह मुद्दई की आज्ञा से लेकिन बिना किसी इकरार के मुद्दई की जायदाद पर काबिज रहा हो। यदि यह डर हो कि मुद्दाअलेह मुद्दई की आज्ञा से कब्जा करने से इनकार करेगा तो बतौर बदल के दर्म्यानी मुनाफे का भी दावे में इजहार करना चाहिये। यदि किराये व बेदखली के दावे में किरायेनामा या पट्टा शहादत में न पेश किया जा सके या किरायेदारी की शर्तें साबित न की जा सकें तो अर्जीदावे का संशोधन करा के इस्तेमाल व दखल का दावा किया जा सकता है। इस्तेमाल और दखल के दावे में मुद्दई का मालिक या अधिकारी सिद्ध करना आवश्यक नहीं है क्यों कि यदि मुद्दाअलेह मुद्दई की आज्ञा से काबिज हो तो कानून शहादत की धारा ११६ के अनुसार मुद्दई की मिलकियत से इनकार नहीं कर सकता।

मियाद—आर्टीकिल ११५ या १२० के अनुसार, जो लागू हो ३ या ६ वर्ष की होती है।

* (१) मुनासिब किराये पर इस्तेमाल और दखल की बाबत

(विरनामा)

---

*नोट—यह नमूना जाब्ता दीवानी के पहले शिड्यूल के अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नम्बर ६ है।

मुद्दई जो कि मृतक अ—ब—का वसी (निष्ठाकर्ता) है निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—मुद्दाअलेह ने मकान नम्बर ...वाके सड़क......उपरोक्त अ—ब—की अनुमति से ता० ...से ता० . .... . तक अपने दखल में रक्खा और उस मकान में रहने के लिये कोई किराया ठीक तय नहीं हुआ था।

२—उस मकान का उचित किराया मुबलिग़······रुपये होते हैं। मुद्दाअलेह ने यह रुपया अभी तक अदा नहीं किया।

३—विनाय दावा

४—दावे की मालियत

५—मुद्दई अ—ब—के वसी की हैसियत से दावा करता है।

(मुद्दई की प्रार्थना)

* (२) उचित किराये पर उपयोग की बाबत

(सिरनामा)

बादी निम्नलिखित निवेदन करता है :

१—मोटर कंपनी लिमिटेड का मोटरों का कारखाना शहर......में जारी है और वहाँ से मोटर किराये पर दी जाती हैं।

२—प्रतिवादी ने उपरोक्त कारखाने की एक मोटर नम्बरी .. ..या (अगर दूसरा पता हो तो लिखना उचित है), ता० .. .से० .ता० .. ..तक अपने दखल व उपयोग में रक्खी। इस मोटर को उपयोग में रखने के लिये कोई किराया ठीक तय नहीं हुआ था।

३—मोटर का उचित किराया, उस समय के लिये मु० रुपया होता है।

४—श्यामलाल मोटर कपनी लिमिटेड का मैनेजिंग एजेन्ट है और कंपनी के आर्टकिल्स आफ़ एसोसियेशन से (कंपनी के नियमों से) नालिश करने का अधिकारी है।

---

* नोट—नालिशें जो मालिक और किरायेदार में होती हैं उनके नमूने आगे दूसरे में दिये हुये हैं।

१०—पंचायती फ़ैसले

पंचायत दो तरह से होती है एक जो कि अदालत के बाहर बिला अदालत की मदद से (Without intervention of court) होती है और दूसरी वह है जो किसी दायर हुए मुक़द्दमा में अदालत की (intervention) सहायता से होती है। पहले तरह की पंचायत से जो फ़ैसला होता है उसकी बाबत अदालत में नियमानुसार दावा किया जा सकता है और मुद्दई अपनी प्रार्थना में जो कुछ उसको फ़ैसला से दिलाया गया हो माँग सकता है। दूसरी तरह के पञ्चायती फ़ैसले के अनुसार अदालत डिगरी बना देती है। पञ्चायत की बाबत कानून पहले ज़ाब्ता दीवानी के परिशिष्ट २ धारा २० (Sch. II Para 20 C. P. C) में दर्ज थे। सन् १६४० में कानून पञ्चायती (Arbitration Act) पास हुआ और पञ्चायती फ़ैसलों के विषय में अब कुल कानून इसी ऐक्ट में दे दिये गये हैं और (Sch. II C. P. C.) मन्सूख कर दिया गया है। इस ऐक्ट में कानून तमादी के धारा १५८, १५६, १७८ और १७९ में संशोधन हो गया है। नये धारा १५८ कानून मियाद के अनुसार पञ्चायत फैसला अदालत में दाख़िल कराने के लिये फैसला करने की नोटिस तामील होने के तीन महीना के अन्दर दी जानी चाहिये। पञ्चायती फैसला मन्सूख कराने की दरख्वास्त फैसला दाख़िल होने के ३० दिन के अन्दर दी जा सकती है, पहले इसकी मियाद केवल दस दिन ही थी।

यदि अदालत में दावा दायर किये बिना कोई झगड़ा पंचों के सुपुर्द कर दिया गया हो और पंचों ने फैसला दे दिया हो तो वादी उसके अनुसरण के लिये नम्बरी नालिश दायर कर सकता है और उसको वही प्रार्थना दावे में करनी चाहिये जो पञ्चायत से उसके हक़ में निर्णय हुआ हो[1] परन्तु उत्तम रीति यह होती है कि कोई पक्ष उचित अदालत में दरख्वास्त दे सकता है कि पञ्चायती फैसला अदालत में दाख़िल किया जावे और उसके अनुसार डिगरी तैयार की जावे। ऐसी दरख्वास्तों पर साधारण दरख्वास्त के समान स्टाम्प लगता है[2] और वह फैसले के ६ महीने के अन्दर दाख़िल हो जानी चाहिये।[3] अदालत को इन दरख्वास्तों पर यह विचार करना होता है कि डिगरी पञ्चायती फैसले के अनुसार जारी की जा सकती है या नहीं।[4]

यदि मुक़द्दमे के दौरान में अदालत की बिना आज्ञा के फ़रीक़ैन अपने झगड़े को पंचों के सुपुर्द कर दें और पञ्च अपना फैसला दे देवें तब भी

---

1 A. I R. 1938 All 758, 1935 Lah 134
2 13 C. W N 63.
3 Art 78, Limitation Act
4 I. L. R. 45 All 628

अदालत फैसले के अनुसार डिगरी तैयार होने का दे सकती है।[1] पंच के लिये लिखित दरख्वास्त होनी चाहिये परन्तु दोनों पक्षों की अनुमति से मौखिक प्रार्थना पर भी झगड़ा पंच के सुपुर्द किया जा सकता है।[2] पंचायत के दावों में पक्षों का पंचायत के लिये रज़ामन्दी, पंचायती फैसले का दिया जाना उससे जो कुछ दादरसी दिलाई गई हो स्पष्ट रूप से लिखना चाहिये।

मियाद—नम्बरी दावा दायर करने के लिये मियाद ६ साल की होती है[3] परन्तु यदि दावा प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति का हो तब मियाद केवल ३ वर्ष की होगी।[4]

*(१) दावा नक़द रुपया का, जो पँचायती फैसले से दिलाया गया हो

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ता०......को वादी और प्रतिवादी में १० कुप्पे तेल की क़ीमत के विषय में आपस में झगड़ा हुआ जिसको वादी माँगता था और प्रतिवादी देने से इन्कार करता था। दोनों पक्ष इस झगड़े को अ..ब...और क...ख.. के पंचायती फैसले पर छोड़ने के लिये राज़ी हुये। इसका इकरार नामा साथ साथ पेश किया जाता है।

२—ता०......को उक्त पचों ने फैसला किया कि प्रतिवादी वादी को . ...रुपया अदा करे।

३—प्रतिवादी ने यह रुपया अभी तक अदा नहीं किया।

(यहाँ पर फ़िकरा न० ४ और ५ नमूना नम्बर १ लिखना चाहिये)

६ वादी का प्रार्थना

(२) पचायती फैसले के बाबत

(सरनाला)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

1. Order 23, Rule 3, C. P. C.; I L R. 51 Bom. 908, F. B
2. 20 C. W N 137, P. C.; I L R 30 All. 32.
3. Art. 120, Limitation Act; Kuldip vs Mohan Dube, I L. R. 34 All 48.
4. Art. 113, Limitation Act.

* नोट—यह नमूना जाब्ता दीवानी के शिडयूल १ अपेन्डिक्स (अ) का नम्बर १० है।

१—फरीकैन ने मकानात मुहल्ला मदार दरवाज़ा शहर बदायूँ में एक दूसरे से मिले हुये हैं।

२—दोनों मकानों के बीच में एक गली है जिसकी मिलकियत की बाबत फरीकैन में झगड़ा था और जिसमें मुद्दाअलेह ने हाल ही में एक पाखाना बनवा लिया था।

३—फरीकैन ने ता० .... के इक़रारनामा से मु० गुफ्फारहुसेन वकील को झगड़ा तै करने के लिये पञ्च बनाया और उनको अधिकार दिया कि गली की मिलकियत और मुद्दाअलेह के बनाये हुए पाखाने के हटा देने की बाबत वह जो कुछ फ़ैसला कर देंगे वह फरीकैन को कबूल व मञ्जूर होगा और फरीकैन उसके अनुसार काम करेंगे।

४—उक्त पञ्च ने बाक़ायदे पञ्चायत की और फरीकैन और उनकी शहादत को सुना और ता०......को अपना फ़ैसला बाक़ायदे तैयार करके सुना दिया। पञ्च साहब ने उक्त गली को दोनों फरीकैन की मुश्तर्का मिलकियत क़रार दिया और मुद्दाअलेह को हुक्म दिया कि वह एक महीने के अन्दर पाखाने को गली के अन्दर से हटा दे।

५—यह मियाद खतम हो गई और मुद्दाअलेह ने अभी तक पाखाना नहीं हटाया।

६—बिनाय दावी

७—दावे की मालियत—

मुद्दई प्रार्थना करता है कि मुद्दाअलेह को हुक्म दिया जावे कि वह बनवाये हुए पाखाने को खुदवा देवे वरना अदालत के द्वारा और मुद्दाअलेह के खर्चे से वह गिरवा दिया जावे।

* (३) पञ्चायत के इक़रारनामें को दाखिल कराने के लिये

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—फरीकैन एक किता बाग, आराज़ी ३ बिस्वा १७ बिस्वान्सी पुख्ता नम्बरी... वाके मौज़ा .....परगना ....के मालिक मुश्तर्का आधे आधे हिस्से के हैं।

२ उस बाग़ में तरह २ के फूलदार व फलदार पेड़ हैं और कुछ हिस्से में गुलाब की खेती भी होती है।

३—फरीकैन में बाग़ के फल फूल और गुलाब की काश्त के उपयोग के बारे में बहुत दिनों से झगड़ा था।

---

* नोट—ऐसे दावे सन् १९४० के Arbitration Act से पहिले Schedule II, rule 17, C. P. C. के अनुसार दाखिल किये जाते थे।

४—फरीकैन ने झगड़ा मिटाने के लिये ता०......को पञ्चायती इक़रारनामा लिख दिया और उससे (अ) व (ब) को पञ्च और (क) को सरपञ्च इक़रारनामें में लिखे हुए अधिकारों के साथ नियत किया। नक़ल इक़रारनामा साथ साथ पेश की जाती है।

५—अभी तक उक्त सरपञ्च व पञ्चों ने कोई पञ्चायत नहीं की और न पञ्चायती फैसला तय्यार किया।

६—बिनायदावी—

७—दावे की मालियत—

मुद्दई की प्रार्थना है कि ता०......का इक़रारनामा अदालत में दाखिल होने का और उसके अनुसार पञ्चायती कार्रवाई होने का हुक्म किया जावे।

* (४) पञ्चायती फैसला दाखिल होने और उसके अनुसार डिग्री तय्यार होने के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है:—

१—दोनों पक्ष एक हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्य थे और कई प्रकार की जायदाद, ज़मींदारी व सकनी, अर्थात् शहरी, चल संपत्ति जैसे ज़ेवर, नकद रुपया और मवेशी, सवारी इत्यादि के मालिक थे।

२—दोनों पक्षों में बहुत दिनों से आपस में विरोध था और वह खानदानी जायदाद को आपस में बटवाना चाहते थे।

३—ता०......के इक़रारनामे से फरीकैन ने अ......ब . को पञ्च मुकर्रर किया। असली पञ्चायती इक़रारनामा उक्त पञ्च के पास है उसकी नक़ल अर्ज़ीदावे के साथ पेश की जाती है।

४—ता०......को उक्त पञ्च ने अपना पञ्चायती फैसला तैय्यार कर दिया और जायदाद का बटवारा कर दिया। असली पञ्चायती फैसला उक्त पञ्च ने प्रतिवादी के क़ब्ज़ा में रहने का आदेश दिया है और वह उसके पास है। नकल साथ साथ पेश की जाती है।

५—बिनायदावी ता०......को पञ्चायती फैसला तय्यार होने के दिन से अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई।

६—दावे की मालियत अदालत के अधिकार के लिये, बटवारे से वादी के हिस्से यानी......रुपये की है और कोर्टफीस......रु० का अदा किया जाता है।

वादी प्रार्थी है कि ता०... ..का पञ्चायती फैसला अदालत में दाखिल कराया जावे और उसके अनुसार डिग्री तय्यार की जावे।

---

* नोट—ऐसे दावे सन् १६४० के Arbitration Act के पहिले Civil Procedure Code के Schedule II, rule 20 के अनुसार दाखिल होते थे।

११—विदेशी तजवीज़

क्योंकि अभी तक विदेशी वा रियासतों की डिगरियाँ भारतसंघ (Indian Union) की अदालतो में जारी नहीं कराई जा सकतीं (दफा ४४ ज़ाब्ता दीवानी) इसलिये उनके बाबत नम्बरी दावा किया जा सकता है यदि प्रतिवादी भारतसंघ में रहता हो। इन दावों में असली बिनाय दावे का दिखाना आवश्यक नहीं है सिर्फ प्रतिवादी के विरुद्ध तजवीज़ का होना, और उसका अपनी .ज़ुम्मेदारी पूरा न करना, दिखा देना काफ़ी होता है।

मियाद—विदेशी निर्णय की तारीख से मियाद ६ साल की होती है।[1]

(१) दावा नक़द रुपया का, विदेशी निर्णय के आधार पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ता०.. ...को स्थान . ..मे महकमा ... .रियासत.. . .ने वादी और प्रतिवादी के मुक़दमें में जो कि उस विभाग में दायर था, यह फैसला किया कि प्रतिवादी.. ...रु० वादी को मय सूद ऊपर लिखी तारीख से अदा करें।

२—प्रतिवादी ने यह रुपया अभी तक अदा नहीं किया।

(यहाँ पर फ़िक़रा नम्बर ४ और ५ नमूना नम्बर १ लिखना चाहिये)
मुद्दई की प्रार्थना—

(२) विदेशी फैसले पर दावा

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है .—

१—ता०......को मुद्दई ने एक दावा मुद्दाअलेह पर रियासत जयपुर की अदालत हाईकोर्ट में दायर किया।

२—ता०.. . .को अदालत हाईकोर्ट ने उक्त मुक़दमें में मुद्दई का दावा डिग्री किया और हुक्म दिया कि मुद्दाअलेह २०००) रुपये सिक्का रियासत जैपुर मुद्दई को अदा करे।

३—अदालत हाईकोर्ट रियासत जैपुर क़ानून से स्थापित है और उसका इजलास बाक़ायदे उक्त रियासत के क़ानून के मुताबिक़ होता है और उसको फरीक़ैन के मुकदमा सुनने व फैसला करने का हक हासिल था।

1. Article 117, Limitation Act , I L R 22 Cal 222 , A I R 1941 Pat 109 , 1926, P C 83

४—मुबलिग २०००) रु० सिक्का जैपुरी की कीमत सिक्का सरकारी मे..... रुपया होता है।

(यहाँ पर फिक़रा नम्बर ४ और ५ नमूना नम्बर १ लिखना चाहिये)

५—मुद्दई प्रार्थी है कि उसको .. रुपया और खर्चा नालिश व सूद रुपया वसूल होने के दिन तक मुद्दाअलेह से दिलाया जावे।

१२—ज़मानत

ज़मानत दो प्रकार की होती है. एक व्यक्तिगत, ज़ाती या शख्सी और दूसरी सम्पत्ति या जायदाद की, कभी कभी दोनों प्रकार की पाबन्दी एक ही ज़मानत में सम्मिलित होती है जिससे प्रतिभू (ज़ामिन) की ज़ात और जायदाद दोनों ज़िम्मेदार होती हैं। इस प्रकरण में केवल ज़ाती ज़मानत के सम्बन्धित अर्ज़ीदावे दिये गये हैं। जहाँ जायदाद की ज़मानत दी जाती है उसकी नालिश सादा रहन की नालिश के तुल्य होती है जिनके "नीलाम की नालिशें" के प्रकरण में नमूने दिये गये हैं।

व्यक्तिगत (ज़ाती) ज़मानत की नालिश साधारण तमस्सुक की नालिश के प्रकार की होती है परन्तु उसमें ज़मानत की शर्तें लिखना आवश्यक होता है और यह कि वे घटनायें जिन पर प्रतिभू ने ज़िम्मेदारी ली थी घट चुकी है और वादी को नालिश करने का अधिकार प्राप्त हो चुका है। यह भी लिखना चाहिये कि ज़मानत लिखित थी या मौखिक (ज़बानी) और हानि का विवरण देना चाहिये।

साधारणतया ऋणी और प्रतिभू की ज़िम्मेदारी एक समान होती है, जब कि दोनों के विरुद्ध दावे का कारण एक साथ उत्पन्न हो, और नालिश ऋण देने वाले की इच्छानुसार दोनो पर पृथक २ या एकत्रित करके दायर की जा सकती है, यदि इसके विरुद्ध कोई इक़रार न हो।

यदि प्रतिभू ने किसी मनुष्य की ईमानदारी के लिये ज़मानत दी हो और उसकी बेईमानी से उसके मालिक को हानि होवे तो ऐसे दावों के सम्बन्ध में कानून मुआहिदा की धारा १२४ से लेकर १४७ तक देख लेनी चाहिये। यदि प्रतिभू किसी डिगरी के जारी होने पर उसके रुपये के देने की जिम्मेदारी ले तो ऐसे ज़ामिन के विरुद्ध पृथक नालिश करने की आवश्यकता नहीं होती और दीवानी संग्रह की धारा १४५ के अनुसार डिगरी प्रतिभू के विरुद्ध भी, असली ऋणी के तुल्य जारी कराई जा सकती है और ज़मानत का रुपया वसूल करने के लिये वह भी डिगरी में फरीक समझा जाता है।[1]

---

1 12 I. A. 142 (P C), I L R 12 Cal 143

यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य या घटना से भविष्य में हानि न होने का विश्वास दिलावे और हानि हो जाने पर उसकी पूर्ति करने की प्रतिज्ञा करे तो इस तरह का इक़रार भी एक प्रकार की ज़मानत होती है और उसकी नालिश भी अन्य ज़मानत के दावों की भाँति की जा सकती है।

मियाद—ज़मानत के लिये मियाद ३ साल की होती है और वह दावे का कारण प्रत्यक्ष होने की तारीख से गिनी जाती है।[1] यदि ज़मानत किसी रजिस्ट्री किये हुए दस्तावेज़ से नियत की गई हो तब मियाद ६ साल की हो जाती है।[2]

*(१) किराये की अदायगी के लिये ज़ामिन के ऊपर नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ता०.... .को (अ—ब—) ने वादी से... (समय) के लिये मकान नम्बर......स्थित सड़क.... . मुबलिग ...रु० वार्षिक पर, जो कि मासिक अदा होना ठहरा था, किराये पर लिया।

२—प्रतिवादी ने उक्त मकान के किराये के मासिक अदा होने के लिये अपनी ज़मानत की।

३—किराया बाबत माह .. .सन् जो कि मुबलिग ....रु० होता है, अदा नहीं किया गया (यदि प्रतिज्ञा-पत्र से जामिन को इतना देना ज़रूरी हो तो यह और लिखना चाहिये)।

४—ता० . ..को वादी ने किराया न अदा होने की सूचना प्रतिवादी को दी और उसके बाबत तक़ाज़ा भी किया।

५—प्रतिवादी ने किराये का रुपया अभी तक अदा नहीं किया।

६—दावे का कारण.—

७—दावे की मालियत :—

---

1 Arts 82 and 83, Limitation Act

2 Art 116, Limitation Act

* नोट—यह नमूना शिडयूल १ अपेन्डिक्स (अ) ज़ाब्ता दीवानी का नमूना नम्बर १२ है।

(२) ऋण की अदायगी के लिये ज़ामिन के ऊपर नालिश

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—एक पुरुष, नवीबख्श मुद्दई के १०००) रु० का कर्ज़दार था और मुद्दई उस पर नालिश करने वाला था।

२—ता०.... ..को इस इक़रार के बदले में, कि मुद्दई नवीबख्श को ता०......तक कर्ज़ का रुपया अदा करने की मुहलत दे दे और उस समय तक उस पर नालिश न करे, मुद्दाअलेह ने उसकी ज़मानत लिख दी और यह इक़रार किया कि नवीबख्श के, ऊपर लिखी ता०......तक कर्ज़ का रुपया न अदा करने पर स्वयं ता०......को यह रुपया अदा करेगा।

३—मुद्दई ने इस ज़मानत की वजह से कर्ज़ा का रुपया अदा करने के लिये ता०......तक नवीबख्श को मुहलत दे दी और उस पर नालिश नहीं की।

४—नवीबख्श ने कर्ज़ का मतालबा वादा की हुई तारीख पर अदा नहीं किया और वह रुपया उस पर अभी तक बाक़ी है।

५—बिनाय दावा ता० .. ..को मुद्दाअलेह के वादा तोड़ने के दिन से स्थान...... में अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई।

६—दावे की मालियत :—

७—(मुद्दई की प्रार्थना)

(३) माल की क़ीमत के बारे में, ज़ामिन पर नालिश

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ता०... ..को मुद्दई ने २०००) रु० का किराने का सामान, जिसकी तफसील नीचे दी हुई है मुद्दाअलेह की जमानत पर, एक पुरुष रामलाल को उधार दिया और मुद्दाअलेह ने, मुद्दई के रामलाल को माल उधार देने पर यह इक़रार किया कि अगर रामलाल माल की कीमत अदा न करेगा तो मुद्दाअलेह उसकी कीमत मुद्दई को देगा।

२—उक्त रामलाल (या मुद्दाअलेह) ने अभी तक माल की क़ीमत अदा नहीं की।

३—बिनायदावा माल बेचने के दिन से ता० . . .को स्थान. . . ., अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई।

४—दावे की मालियत —

(मुद्दई की प्रार्थना)

(४) क्लर्क की ईमानदारी के बारे में, ज़ामिन के ऊपर नालिश

१ — मुद्दई ने ता० . को अहमदउल्ला को मुद्दाअलेह की ज़मानत पर अपना क्लर्क नियत किया और मुद्दाअलेह ने उसी तारीख. . .को एक जमानत नामा लिख दिया जिससे इक़रार किया कि अहमदउल्ला के पास जो कुछ रक़में क्लर्क की हैसियत से आवेंगी मुद्दई को देता रहेगा और माहवारी ख़र्च और आमदनी का हिसाब मुद्दई को समझाता रहेगा और यदि अहमदउल्ला ऐसा न करेगा तो मुद्दाअलेह मुब्लिग़ १०००) रु० तक उसके चाल चलन का ज़िम्मेदार रहेगा।

२—इस इक़रार के अनुसार अहमदउल्ला छ माह तक मुद्दई का नौकर रहा लेकिन उसने न तो कुल वसूल किया हुआ रुपया मुद्दई को अदा किया और न माहवारी हिसाब समझाया।

३—जहाँ तक मुद्दई मालूम कर सका है नीचे लिखी रक़में अहमदउल्ला ने अदा नहीं की और न उनका कोई हिसाब दिया—

ता०	वसूल किया हुआ	रु०
”	”	”

मुद्दई का कुल रुपया जो अहमदउल्ला पर बाक़ी है—

४—मुद्दाअलेह ने यह रुपया तकाजा करने पर भी अदा नहीं किया।

(५) माल की कीमत के बाबत दोनों, ज़ामिन व देनदार, के ऊपर नालिश

१—ता० . को प्रतिवादी नम्बर १ ने वादी से प्रार्थना की कि वादी उसके हाथ, उधार माल बेचे।

२—ता० को प्रतिवादी नम्बर २ ने मुद्दई के पास लिखकर यह तहरीर भेजी और इक़रार किया कि यदि वादी प्रतिवादी नम्बर १ को ४००) रु० तक माल उधार देवे तो प्रतिवादी नम्बर २ उसका देनदार होगा।

३—यदि वादी ने लिखी हुई इस तहरीर के अनुसार प्रतिवादी नम्बर १ को मु० २७५) रु० का किराने का माल (नीचे लिखे हुये विवरण के अनुसार) उधार बेच डाला।

४—दोनों प्रतिवादियों ने यह रुपया अभी तक अदा नहीं किया।

*(६) एक ज़ामिन की दूसरे ज़ामिन पर, अपने हिस्से का रुपया व करने के लिये नालिश

(सिरनामा)

१—ता०......को एक रजिस्ट्रीयुक्त लग्नक-पत्र (ज़मानतनामा) लिखा गया जिससे वादी और प्रतिवादी सयुक्त रूप से और पृथक-पृथक ३०००) रु० तक एक पुरुष राहतअली के, जो उस समय शाहजहाँपुर म्युनिसपैलटी में खजाँची के पद पर नौकर था, जामिन हुये कि उक्त राहतअली अपना खजाँची का काम नेक नीयती और इमानदारी के साथ करेगा।

२—राहतअली ने बेइमानी की और म्युनिसपेल्टी का बहुत सा रुपया ग़बन कर गया जिसकी वजह से शाहजहाँपुर की म्युनिसपैलटी ने वादी के ऊपर दावा करके डिग्री हासिल करली और उसका कुल रुपया मय खर्चा वादी से वसूल कर लिया।

३—प्रतिवादी इस मतालबे के आधे हिस्से का जुम्मेदार है जो उसने अदा नहीं किया।

† (७) की ईमानदारी के लिये ज़ामिन के इक़रार नामें पर नालिश

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ता० . को मुद्दई ने (अ—ब—) को क्लर्क की हैसियत से नौकर रक्खा।

२—ता०. ... को मुद्दाअलेह ने, मुद्दई से इक़रार किया था कि अगर (अ—ब—) क्लर्क के पद का अपना काम ईमानदारी से न करे और कुल रुपया या कर्ज के दस्तावेज या और किसी माल की बाबत जो मुद्दई के इस्तेमाल के लिये मिले, उसका हिसाब न दे सके, तो जो कुछ नुक़सान उसकी वजह से मुद्दई को हो, उसके बारे में मुद्दाअलेह मुआवज़ा अदा करेगा किन्तु यह रुपया मुब्लिग... ..रु० से ज्यादा किसी हालत में न होगा।

या २—मुद्दाअलेह ने मुद्दई से इक़रार किया था कि वह मुद्दई को ..रु० बतौर जुर्माना देगा लेकिन इस शर्त पर कि अगर (अ—ब—) अपने क्लर्क व खजाँची

* नोट—यदि दावा दोनों फरीकैन के ऊपर दायर करके डिग्री प्राप्त की गई हो और कुछ रुपया एक ने अदा किया हो तो उसका दावा भी इसी प्रकार का होगा परन्तु कुछ आवश्यक शब्द बदले जायँगे।

† नोट—यह नमूना शिडयूल १ अपेन्डिक्स (अ) जाप्ता दीवानी का नम्बर १८ है।

के पद पर नेक नियती व ईमानदारी से काम करे और सब रुपया, दस्तावेज़ और माल वग़ैरह का, जो मुद्दई के लिये उसके पास अमानत में आवे ठीक ठीक हिसाब मुद्दई को दे दे तो यह इक़रारनामा रद्द हो जावेगा।

या २— . ..उसी तारीख में मुद्दाअलेह ने मुद्दई को इकरार नामा लिख दिया जो इसके साथ पेश किया जाता है।

३—ता० . ..और ता० ..को (अ—ब—) ने .....रु० और अन्य सामान जो कुल ... रु० का होता है मुद्दई के लिये वसूल किया लेकिन उसका हिसाब उसने नहीं दिया और उस पर अब तक . . रु० बाक़ी है और वह हिसाब का देनदार है।

१३—प्रतिज्ञा और उसका भंग होना

केवल विशेष प्रतिज्ञायें ऐसी होती हैं जिनके भंग होने पर अदालत से उस प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति कराई जा सकती है अधिकांश प्रतिज्ञाओं के भंग होने पर वादी हर्जा माँग सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ परिस्थिति ऐसी भी होती हैं जहाँ पर प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति नहीं कराई जा सकती परन्तु प्रतिज्ञा के विरुद्ध कार्य करने से प्रतिवादी रोका जा सकता है।

चल सम्पत्ति के सम्बन्धित प्रतिज्ञा भंग होने पर प्रायः हानि ही दिलाई जाती है और अचल सम्पत्ति सम्बन्धित प्रतिज्ञाओं के भंग होने पर साधारण-तथा विशेष पूर्ति कराई जाती है। जहाँ किसी प्रतिज्ञा की पूर्ति किसी पुरुष के व्यक्तिगत कार्य पर निर्भर हो तो ऐसे पुरुष के प्रतिज्ञा भंग करने पर उसको ऐसे कार्य करने से अदालत मनाही का हुक्म दे कर रोक सकती है। जो व्यक्ति प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति का अधिकारी हो, वह अपनी इच्छानुसार केवल हर्जे का ही दावा कर सकता है। इस प्रकरण में केवल वह अर्जीदावे दिये गये हैं जहाँ पर हर्जा माँगा जावे। प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति और मनाही के हुक्म के लिये दावों के नमूने उचित प्रकरण में आगे दिये जावेंगे।

यदि दावा प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति का हो वहाँ पर वादी उसी बिनाय पर हरजाने के लिये दूसरा दावा नहीं ला सकता, इस लिये इन मुक़दमों में विकल्प में (बतौर बदल के in the alternative) हर जाने की प्रार्थना कर देनी चाहिये ताकि यदि अदालत विशेष पूर्ति का फैसला न भी करे, तो हरजाना मिल सके।

अर्जीदावे में प्रतिज्ञा का किया जाना, और वादी का अपने भाग की प्रतिज्ञा पूर्ति करना, या पूर्ति के लिये तत्पर (प्रस्तुत) और रज़ामन्द होना, और प्रतिवादी

का प्रतिज्ञा भंग करना दिखाना चाहिये।[1] वादी को अपनी रज़ामन्दी दिखाने के लिये वह सब घटनाएँ जिनसे उसकी तत्परता प्रगट हो लिखना आवश्यक नहीं क्योंकि यह प्रमाण में पेश की जा सकती हैं। यदि प्रतिज्ञा का नियत समय के अन्दर पूरा होना आवश्यक था तो यह भी लिखना चाहिये और यदि कोई समय नियत नहीं किया गया था तो वादी का उचित समय के अन्दर उनको पूरा करने को तय्यार रहना और प्रतिवादी से उसकी पूर्ति के लिये कहना, दिखाना चाहिये। यदि प्रतिवादी ने मुआहिदा पूरा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया है या जायदाद किसी और व्यक्ति को बेच कर उसको पूरा न करने की इच्छा प्रकट की है तो वादी को अपनी तय्यारी और रज़ामन्दी दिखाना जरूरी नहीं है। हरजाने के दावे में, खर्चा जो कि इक़रारनामें की तय्यारी में हुआ हो और रुपये का सूद भी दावे में जोड़ा जा सकता है और वह घटनाएँ जिनसे हर्जे का रुपया नियत हो अर्ज़ीदावे में लिखना चाहिये।[2] (इसी सिलसिले में "माल की कीमत" के प्रकरण का नोट पृष्ठ ११२ पर भी पढ़ना चाहिये)।

मियाद—प्रतिज्ञा भंग होने पर हर्जे के दावे में मियाद ३ साल की होती है। यदि लिखित और रजिस्ट्री प्रतिज्ञा हो तब मियाद ६ साल की होती है।

*(१) ज़मीन ख़रीदारी की प्रतिज्ञा भग करने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ता०......को वादी और प्रतीवादी ने एक इकरारनामा लिखा जो अर्ज़ीदावे के साथ दाखिल है।

या १—ता०......को वादी और प्रतिवादी ने आपस में यह इक़रार किया कि वादी प्रतिवादी के हाथ ४० बीघे ज़मीन . . (स्थान) में स्थिति है ... .रु० वेच देगा और प्रतिवादी उसको वादी से क्रय करेगा।

२—यह कि ता०......स्थान......में वादी ने जो कि उस समय बिना किसी के साझे के उस जायदाद का अकेला मालिक था, (और जैसा कि प्रतिवादी को बतला दिया गया था वह सम्पत्ति सब जिम्मेदारियों और भार रहित थी) प्रतिवादी को उस जायदादका एक विक्रय-पत्र इस शर्त पर देने के लिये उपस्थित किया कि प्रतिवादी उसकी कीमत का रुपया अदा करे।

---

1. A. I R 1928 Lah 20, 111 I. C 4'8
2. I L. R. 54 Cal. 97, 99 I C 244.

* नोट—यह नमूना शिड्यूल १ अपेन्डिक्स (अ) ज़ाप्ता दीवानी का नमूना न० ११ है।

था २—वादी प्रतिवादी के नाम बैनामा या विक्रय पत्र लिखने के लिये राजी था और अब भी राजी है।

३—यह कि प्रतिवादी ने कीमत का रुपया अभी तक अदा नहीं किया।

४—दावे का कारण—

५—दावे की मालियत -

वादी की प्रार्थना।

(२) जमीन खरीदारी की प्रतिज्ञा भंग करने पर

१- ता०......को एक इकरार नामे से मुद्दाअलेह ने एक मंजिल मकान वाके (यहाँ पर कुल तफसील देना चाहिये) तीन हजार रुपये को मुद्दई के हाथों बेचने का मुआहिदा किया जिसमें से ५००) रुपया उसी समय बयाना के रूप में मुद्दई ने मुद्दाअलेह को दे दिया और शेष रुपया ता० .. .. को बैनामा के लिखे व रजिस्ट्री होने के दिन अदा होना करार पाया।

२ मुद्दई फौज में नौकर है और उसकी छुट्टी ता० .. ..को खतम होती थी इस वास्ते उसने ता०.. ..बैनामे की रजिस्ट्री व लिखे जाने के लिये नियत की थी।

३ —मुद्दई हर समय बकाया रुपया अदा करने को तय्यार रहा लेकिन मुद्दाअलेह ने बैनामे की रजिस्ट्री नियत ता० .....को नहीं होने दी।

४—उस तारीख के पश्चात मुद्दई ने मुद्दाअलेह को नोटिस दिया कि वह एक हफ्ते के अन्दर बैनामे को तहरीर व रजिस्ट्री करदेवे लेकिन मुद्दाअलेह ने इस पर ध्यान नहीं दिया।

५—मुद्दाअलेह के मुआहिदा तोड़ने की वजह से मुद्दई बैनामे का रुपया व बकाया रुपया (जो उसने देने के लिये इकट्ठा किया था), के उपयोग से वञ्चित रहा और रजिस्ट्री वगैरह की पूँछ ताछ में जो रुपया खर्च हुआ उसकी तफसील नीचे दी जाती है -

१—बयाने का रु० ५००)

२—ब्याज बयाने पर रु०— कुल जोड़... ..रु०

३—बकाया रुपया पर सूद—

४—रजिस्ट्री का खर्च –

* (३) बेचे हुए माल को हवाला न करने पर नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

* नोट—यह नमूना शिडयूल १ अपेन्डिक्स (अ) जाब्ता दीवानी का नमूना नम्बर १४ है।

१—ता० .....को वादी और प्रतिवादी ने आपस में इक़रार किया कि प्रतिवादी ता०......को आटे के १०० बोरे वादी के हवाले करे और वादी उसी समय उनकी क़ीमत......रु० अदा करे।

२—उस तारीख़ को माल की रवानगी पर वादी यह रुपया प्रतिवादी को देने को तैयार था और उसने उसके देने को और माल लेने को प्रतिवादी से कहा था।

३—प्रतिवादी ने माल वादी के हवाले नहीं किया जिसकी वजह से वादी को वह लाभ नहीं हुआ जो कि उसको माल मिल जाने पर होता।

४—दावे की मालियत –

५—बिनाय दावी –

(वादी की प्रार्थना)

(४) बिक्री किये हुए माल को हवाला न करने पर

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है : –

१—स्थान हाथरस में......(तिथि या तारीख) की मुद्दाअलेह ने १५१ मन रुई १३) रु० फी मन के हिसाब से मुद्दई के हाथ बेची और माल के देने का वाइदा मिती......तक का किया सफेद रुई १) फी मन देना ठहरा और बीज (बीया)) ३ सेर फी मन का ठहरा और तौल बाजारू भाव फी मन के बजाय नौधड़ी फी मन का ठहरा।

२—मुद्दई ने मुद्दाअलेह को बयाना के तौर पर ११) रु० अदा किया और क़ीमत माल देने के वक्त अदा करना तै हुआ।

३—रुई का भाव दिन प्रति दिन चढ़ता गया और मिती.........तदनुसार तारीख.........को भाव २५) रु० फी मन का हो गया। मुद्दाअलेह ने मुद्दई के बार बार कहने और समय पूरा हो जाने पर भी माल नहीं तौला।

४—मुद्दई को मुद्दाअलेह के माल न डिलीवर करने से वह लाभ प्राप्त नहीं हो सका जो मुद्दाअलेह के माल दे देने से होता।

५—मुद्दई झगड़े को निपटाने के लिये इक़रार से २५) रु० फी मन के भाव के बजाय २४) रु० फी मन के नुक़सान का दावीदार है।

६—बिनाय दावा तारीख......वाइदा होने के दिन से स्थान हाथरस में पैदा हुई।

७—दावे की मालियत १४००) रु० है।

८—मुद्दई प्रार्थना करता है कि दावा दिला पाने मुबलिग़ १४००) रु० असल व

सूद, नीचे लिखे हिसाब से मय खर्चा नालिश व सूद दौरान व आइन्दा से रुपया वसूल होने के दिन तक मुद्दाअलेह के ऊपर डिग्री किया जावे।

(हिसाब का विवरण)

(५) बेचे हुए माल की डिलीवरी न मिलने पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करते हैं :—

१—उभय दोनों पक्ष अनाज, रुई व बिनौले का व्यापार नगर अलीगढ़ में करते हैं।

२—प्रतिवादियों ने वादियों से तारीख .. . को ५०० मन बिनौला प्रति रुपया २६ सेर डेढ़ पाव (॥)६॥=) के हिसाब से क्रय किया पैठा रु० तुलाई देने की प्रतिज्ञा की और वादा किया कि बिनौले प्रतिज्ञा की ता० से १५ दिन पीछे तौल करवाये जावें, यही इकरार लिखकर प्रतिवादियों ने वादियों को दे दिया।

३—बिनौले का भाव बाद को मन्दा हो गया इसलिये वादियों के बार बार कहने पर भी प्रतिवादियों ने अपने वाइदे के अनुसार बिनौला नहीं तौला।

या अंत में ता०.... .को वादियों ने प्रतिवादियों को नोटिस दिया कि चार दिन के अन्दर बिनौले तुलवा देवें लेकिन उन्होंने बिनौला नहीं तौलाया और जवाब में एक ग़लत नोटिस वादियों को दे दिया।

४—वादियों ने विवश होकर बाजार भाव से बिनौला ता०......को ३८ सेर प्रति रुपये के हिसाब से बेच दिया और इस प्रकार से वादी को ७६०) रु० की हानि प्रतिवादियों के वाइदा तोडने से हुई।

५—वादी इकरार है कि उनको ७६०) रु० मय सूद ॥) सैकड़ा मासिक प्रतिवादियों से दिलाया जावे।

६ विनाय दावा बिनौला बेचने की तारीख से अदालत के अधिकार के अन्दर पैदा हुई और वह वाइदा तोड़ने के दिन से आरम्भ हुई।

वादी प्रार्थी हैं :—

(अ) कि ७६०) रु० हर्जे का दावा मय सूद दौरान व आइंदा वसूल होने के दिन तक प्रतिवादियों के ऊपर डिगरी किया जावे।

(ब) नालिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे।

(क) अन्य दादरसी जो अदालत उचित समझे वादियों के हक में सादिर करे।

(६) माल हवाला करने के मुआहिदा तोड़ने पर हरजे की नालिश

१—तारीख......माह......सन्......को मुद्दाअलेह ने २०० बोरे गेहूँ वजनी ४०० मन १०) रु० फी मन के हिसाब से मुद्दई के हाथ बेचे और एक महीने के अन्दर उनको हवाले करने का वायदा किया और यह मुआहदा तहरीर कर दिया।

२—मुद्दई ने यह गेहूँ .जैसा कि मुद्दाअलेह को अच्छी तरह से मालूम था रेलीब्रादर्स को मुआहदे से ४० दिन के अन्दर सपलाई करने के वास्ते खरीद किया था और रेलीब्रादर्स से १५) रु० फी मन का भाव ठहरा था।

३—मुद्दाअलेह ने यह माल मुद्दई के हवाले नहीं किया और ता०...... को मुद्दई के बार बार कहने पर हवाला करने से इनकार कर दिया।

४—मुद्दाअलेह के वादा तोड़ने की वजह से मुद्दई को वह लाभ नहीं मिला जो उसको रेलीब्रादर्स को माल देने से होता।

५—मुद्दाअलेह के वादा तोड़ने से मुद्दई का नीचे लिखा हुआ नुक़सान हुआ (जैसे ५) रु० फी मन के हिसाब से ४०० मन पर नुकसान २०००) रु० हुआ)।

*(७) नौकर रखने का मुआहिदा तोड़ने पर नालिश

१—ता०......को वादी और प्रतिवादी में यह इकरार हुआ कि वादी (एकाउन्टेंट फोरमैन, क्लर्क, मुनीम, मोटरड्राइवर या नौकर) की हैसियत से प्रतिवादी की नौकरी (एक वर्ष) तक करेगा और प्रतिवादी उसको.........रुपया मासिक वेतन दिया करेगा।

२—ता०..... को वादी प्रतिवादी का नौकर हुआ और जब से नौकर है और साल के अन्त तक उसी नौकरी पर रहने के लिये राज़ी है और यह प्रतिवादी को अच्छी तरह मालूम है।

३—ता०......को प्रतिवादी ने वादी को बिना किसी कारण के नौकरी से हटा दिया और वेतन देने से भी इनकार कर दिया।

†(८) नौकरी करने का मुआहदा तोड़ने पर नालिश

१—मुद्दाअलेह लोहे के इमारती सामान तय्यार करने का काम बाज़ार कर्नैलगंज कानपुर में करता है।

---

* नोट—यह नमूना शिडयूल १ अपेन्डिक्स (अ) ज़ाप्ता दीवानी का नम्बर १५ है।

† नोट—यदि इक़रारनामें में फिक़रा नं० ४ में लिखी हुई शर्त न हो तो मुद्दई नौकरी से निकाले जाने पर हर्जे की नालिश कर सकता है। और यदि फरीक़ैन में यह शर्त हो कि नौकरी से निकलने पर कोई नोटिस दिया जावे तो इसी नमूने के फिक़रा नम्बर ४ में यह और लिखना चाहिये, "नौकरी से निकालने के पहिले मुद्दाअलैह मुद्दई को एक महीने का नोटिस देगा"।

२—मुद्दाअलेह ने १५ जौलाई सन् १६३५ ई० को 'इकरारनामा लिख दिया जिससे मुद्दई को अपने कारखाने का तीन साल के लिये, १ अगस्त सन् १६...ई० से २५०) रु० मा० वेतन पर मैनेजर नियत किया।

३—मुद्दई उसी तारीख से मैनेजरी का कार्य्य ईमानदारी के साथ करता रहा। ता० १७ मई सन् १६३६ ई० को मुद्दाअलेह ने मुद्दई को अनुचित रूप से नौकरी से निकाल दिया और नौकर रखने मे इनकार किया।

४—दोनों फरीकैन मे शर्त यह थी कि अगर मुद्दाअलेह बेजा तौर पर' मुद्दई को नौकरी से निकाले तो वह पूरे ३ साल की तनख्वाह का देनदार होगा।

*(९) इसी प्रकार का दूसरा दावा

१—ता०... ..वादी और प्रतिवादी में यह इकरार हुआ कि वादी.. ...रु० साल पर प्रतिवादी को नौकर रक्खेगा और प्रतिवादी नक्काश की हैसियत में वादी की एक वर्ष तक नौकरी करेगा)

२—वादी अपनी तरफ से इक़रार पूरा होने के लिये सब कुछ करने को तैयार है और ता०......को उसने यह बात प्रतिवादी से कही भी थी।

३—प्रतिवादी ने ता० .. से वादी की नौकरी करना शुरू की लेकिन ता०... से उसने वादी की नौकरी करने से इनकार कर दिया।

†(१०) मज़दूर के काम बिगाड़ने पर नालिश

१—ता०......को वादी और प्रतिवादी के मध्य आपस में एक प्रतिज्ञापत्र लिखा गया जो साथ साथ पेश किया जाता है (या उसका तात्पर्य यह था)।

२—वादी ने अपनी ओर से प्रतिज्ञापत्र की सब शर्तें पूरी कीं।

३—प्रतिवादी ने जो राजगीर था प्रतिज्ञापत्र में दिया हुआ मकान अनुचित प्रकार से और कारीगरी के विरुद्ध बनाया। वादी की यह हानि हुई -

(यहाँ पर हानि का विवरण देना चाहिये)

---

* नोट—यह जाब्ता दीवानी के शिडयूल १ अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नम्बर १६ है।

† नोट—यह ज़ाब्ता दीवानी के शि०१ अपेन्डिक्स (अ) का नमूना न० ७२ है।

१४—प्रिन्सिपल और एजेन्ट

शब्द एजेन्ट की परिभाषा में कारिन्दा, मुख्तारआम या मुख्तार खास, आढ़तिया और वे सब व्यक्ति जो दूसरे पुरुष के लिये कोई कार्य करें सम्मिलित होते हैं। साधारण प्रकार से एजेन्ट अपने प्रिन्सिपल से कमीशन इत्यादि पाता है परन्तु एजेन्सी का सम्बन्ध उत्पन्न करने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि उसके प्रिन्सिपल की ओर से कोई प्रत्युपकार दिया जावे और एक मित्र या कोई भी किसी विशेष कार्य के लिये असली मालिक का एजेन्ट मान लिया जाता है।

इन मुक़द्दमों में प्रिन्सिपल और एजेन्ट का सम्बन्ध आपस में कब उत्पन्न, एजेन्सी की जरूरी शर्तें और किसी प्रतिज्ञा या क़ानूनी शर्तों का तोड़ना, जिससे दावे का कारण उत्पन्न हुआ हो अर्जी दावे में लिखना चाहिये। प्रिन्सिपल व एजेन्ट के एक दूसरे के साथ आपस में क्या कर्तव्य हैं और जिनके उल्लंघन करने में बिनाय दावा पैदा होता है वह धारा २११ से २२५ तक क़ानून मुआहिदा में दिये हुये हैं।[1]

मियाद—जहाँ एजेन्ट ने प्रिन्सिपल की ओर से रुपया अदा किया हो क़ानून मियाद के आर्टिकिल ६१ के अनुसार दावा ३ साल के अन्दर दायर होना चाहिये। यदि प्रिन्सिपल एजेन्ट के विरुद्ध अचल सम्पत्ति के निस्बत दावा दायर करे तो आर्टिकिल ८३ के अनुसार ३ वर्ष और यदि एजेन्ट की लापरवाही या बेईमानी से हानि हुई हो तो आर्टिकिल ९० के अनुसार सूचना की तारीख से ३ साल।

(१) हिसाब के लिये प्रिन्सिपल की एजेन्ट पर नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—यह कि ता०......को प्रतिवादी ने एक इक़रारनामा लिखा जिससे उसने प्रतिज्ञा की कि वह वादी के एजेन्ट की हैसियत से उसके कारखाने के बने हुए ताले इत्यादि कमीशन पर बेचेगा और वादी के माँगने पर ठीक ठीक हिसाब उस को देता रहेगा और जो रुपया माल बेचने से वसूल होगा वह भी हिसाब के साथ साथ देता रहेगा।

२—यह कि ता० ......माह......सन्.. ...ई० से लेकर ता०.. ...माह ......सन्......ई० तक प्रतिवादी ने वादी के एजन्ट की हैसियत से उसके कारखाने के बने हुए ताले इत्यादि बेचे। बिके हुए माल की ठीक ठीक संख्या और उनकी क़ीमत जो प्रतिवादी ने वसूल की वादी को मालूम नहीं है।

---

1 Sec 185 Contract Act; I. L. R 22 Bom 754, 20 All 497

३—यह कि वादी ने प्रतिवादी से बिके हुए तालों का हिसाब समझाने और वसूल किये हुये रुपया को अदा करने के लिये कहा, लेकिन वह इस पर ध्यान नहीं देता।

४—यह कि प्रतिवादी एजन्ट की हैसियत से जैसा कि ता० . ..के इकरारनामें से प्रगट है और क़ानून से हिसाब समझाने और रुपया अदा करने का ज़िम्मेदार है।

५—यह कि दावे का कारण ता० को हिसाब समझाने और रुपया अदा करने से अन्तिम इनकार करने के दिन से स्थान में पैदा हुई।

६—दावे की मालियत—

७—वादी प्रार्थी है कि :—

(क) प्रतिवादी को आज्ञा हो कि वह कुल हिसाब उस माल का जो उसने वादी के एजेन्ट की हैसियत से बेचा वादी को समझावे।

(ख) जो कुछ रुपया वादी का निकले उसकी मय सूद प्रतिवादी के ऊपर डिग्री की जावे

(ग) जो कुछ रुपया प्रतिवादी की गलती या बेपरवाही से वसूल न हुआ हो या प्रतिवादी ने बेइमानी से अपने काम में लगाया हो वह वादी को दिलाया जावे।

(घ) इस नालिश का खर्चा प्रतिवादी से दिलाया जावे।

(२) हिसाब समझाने के लिये मृत के निस्तारकर्ता (वर्सी) का एजेन्ट के ऊपर दावा

१ वादी, मृत (अ—ब—) का वर्सी है।

२—प्रतिवादी उक्त मृत अ—ब—का २५ अक्टूबर सन् १६३२ ई० से मृत्यु के दिन, यानी १६ मई सन् १६४२ ई० तक कारिन्दा और मुख्तारआम रहा और उसकी ज़मींदारी व शहरी सम्पति की आय वसूल करता रहा।

३—प्रतिवादी ने मुख्तारआम व कारिन्दा की हैसियत से, मृत (अ—ब—) के लिये रुपया वसूल किया जिसका उसने कोई हिसाब नहीं दिया और हिसाब देने से इनकार किया

(३) हिसाब समझाने के लिये प्रिन्सिपल का एजेन्ट के ऊपर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता :—

१—प्रतिवादी नम्बर १ आढ़त का कारोबार क़स्बे कासी, ज़िला मथुरा में रामस्वरूप रतनलाल के नाम से करता है।

२ – वादी और प्रतिवादी न० २ अरहर की दाल तय्यार करने व बेचने के काम में साझीदार थे और वहाँ जमुना प्रसाद ज्वाला प्रसाद के नाम से काम करते थे।

३ – वादी और प्रतिवादी नम्बर २ ने जमुना प्रसाद ज्वाला प्रसाद के नाम से अरहर की दाल की तय्यारी मुद्दाअलेह नम्बर १ की आढ़त में ता०......से आरम्भ की।

४ - वादी और प्रतिवादी नम्बर २ ने मुब्लिग ८००) रु० इस कारोबार में लगाये और शेष रुपया प्रतिवादी नम्बर १ फी ।||) आने सै० मा० के सूद पर लगना ठहरा और यह भी ठहरा की प्रतिवादी नम्बर १ को दाल के क्रय-विक्रय दोनों पर ||) आ० फी सदी की आढ़त और भी मिलेगी

५ - यह कारोबार ता० .....से ता०... ..तक चलता रहा और कुल माल बेचने के बाद उसमें लाभ रहा जिसकी ठीक ठीक सख्या बिना हिसाब के मालूम नहीं हो सकती।

६ – यह सब हिसाब प्रतिवादी रामस्वरुप रतलाल की दूकान के बहीखाते व क्रय-विक्रय पुस्तक में दिया हुआ है।

७ – प्रतिवादी नम्बर १ ने हिसाब प्रतिवादी नम्बर २ व वादी को नहीं समझाया और न वह रुपया जो उस पर चाहिये था, अदा किया।

८—प्रतिवादी नम्बर २ नालिश में शामिल नहीं हुये इसलिये उनको प्रतिवादी बनाया गया।

६ – बिनाय दावा माह जून सन्......में काम समाप्त होने व हिसाब न देने के दिन से स्थान कोसी में अदालत के इलाके के अंदर पैदा हुई।

१० – दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि -

(अ) प्रतिवादी नम्बर १ को आज्ञा हो कि वह दाल की खरीद और फरोख्तगी का हिसाब ता०......से ता०......तक वादी को समझा दें और हिसाब करके जो कुछ रु० प्रतिवादी न० १ पर निकले उसकी डिग्री की जावे।

(ब) नालिश का खर्चा दिलाया जावे।

(४) हिसाब समझाने के लिये प्रिन्सिपल का एजेन्ट के ऊपर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—प्रतिवादीगण कमीशन एजेन्सी का काम करते हैं और उनका हेड आफिस हाथरस है। उनकी एक दूकान नंदराम फूल चन्द के नाम से बम्बई में जारी है।

२—दोनों फरीकैन में तारीख को स्थान हाथरस में एजेन्सी का इक़रार हुआ।

३—आढ़त की दर प्रतिवादियों के क्रय विक्रय पर ।=) आना सै० और आपसी सूद ।ॾ)।।। सैकड़ा मा० की दर से लेना देना क़रार पाया।

४—वादी ने माल की ख़रीद व बिक्री प्रतिवादियों की बम्बई की दूकान पर पक्की आढ़त में तारीख . . ई० से शुरू की और अपना माल रुई व कपास हाथरस व कोसी या इटावे में तैयार किया हुआ बिक्री के लिये प्रतिवादियों की दूकान पर भेजता रहा।

५—इस काम का सिलसिला तिथि.. . या तारीख.. तक चलता रहा और इस समय में लाखों रुपये के माल व नक़द रुपया का आना जाना रहा।

६ प्रतिवादी, बार बार कहने पर भी ठीक हिसाब नहीं देते और न वादी का बाकी और सूद अदा करते हैं।

७—प्रतिवादियों ने कुछ हिसाब वादी के पास भेजे हैं जिनमें आढ़त, पिंजरा पोल, धर्मखाता व रेल के बीमे की रक़में ग़लती से वादी के नाम लिख दी हैं और नमूना का माल कम दर से लगाया गया है और तौल में बहुत कमी दिखाई गई है। वादी के माल बिक्री होने का भाव कम और ख़रीदारी का भाव अधिक लिख दिया है।

८—वादी का हिसाब करके बहुत सा रुपया प्रतिवादी पर निकलेगा, लेकिन उसकी ठीक तादाद बिना हिसाब के मालूम नहीं हो सकती और यह सब हिसाब प्रतिवादियों के कब्जे में हैं और वह कमीशन एजेन्ट की हैसियत से हिसाब समझाने और वादी के रुपया के अदा करने का देनदार व जिम्मेदार है।

६ वादी इस समय दावे की मालियत ११०००) रु० करता है और उस पर कोर्ट फ़ीस अदा करता है। हिसाब से जितना रुपया निकलेगा उस पर अधिक कोर्ट फ़ीस लगा दी जायेगी।

१०—एजेन्सी का इकरार स्थान हाथरस में हुआ था और प्रतिवादी कमीशन एजेन्ट की हैसियत से वादी के रहने के स्थान हाथरस में हिसाब समझाने के जिम्मेदार हैं। प्रतिवादी भी हाथरस के रहने वाले हैं इसलिये अदालत को दावा सुनने का अधिकार प्राप्त है।

वादी प्रार्थी है कि .—

(अ) प्रतिवादियों को हुक्म हो कि वह वादी को उसके माल की ता०.. से ता० तक ख़रीद व बिक्री का ठीक ठीक हिसाब समझा देवे।

(ब) हिसाब से वादी का जो कुछ रुपया निकलता हो उसकी डिगरी नालिश के ख़र्च व सूद के साथ प्रतिवादियों पर की जावे।

(५) बहीखाते के आधार पर आढ़त की बक़ाया के बाबत दावा

(सिरनामा)

वादी नीचे लिखा निवेदन करते हैं : –

१ – प्रतिवादी व्यापार का कारोबार हरगोविन्द दुर्लभदास के नाम से करते हैं।

२ वादियों की दूकान बसतलाल हीरालाल हाथरस, की आढ़त में प्रतिवादी माल खरीदा करते थे और उसकी कीमत हुन्डी व नोट आदि से देते रहते थे।

३—प्रतिवादी के खाते में सूद ।।।) आ० सैकड़ा मासिक की दर से लगाया जाता था और आढ़त, माल की क़ीमत पर ।।)आ० सैकड़ा की थी।

४ - माल की खरीदारी और रुपये का देन लेन मुद्दइयान की दूकान के बही खातो मे जो कि महाजनी मे, नियमानुसार रक्खे जाते हैं ठीक-ठीक लिखा जाता है।

५—प्रतिवादी का खाता तिथि या तारीख......से शुरू हुआ और तिथि या तारीख......तक चलता रहा। इस समय मे १३८८४)रु० प्रतिवादी के नाम और १२३४७।।।)।। उनके जमा हुये। मु० १५३६≡)।। खाते में बाकी रहे और ता०. ....से आज तक का सूद ६०।।-), २२।।।≡) दूकान का किराया ।=)।। नोटिस का खर्च कुल १६५०) प्रतिवादी के ऊपर बाकी है। वादी की दूकान के बही खाते की नकल अर्जी दावे के साथ-साथ पेश की जाती है।

६ —प्रतिवादी ने कुछ बाजरा वादी की आढत में खरीद किया था वह भाव सस्ता हो जाने के कारण हाथरस रहने दिया और बाद को स्थान सेहैार मगा लिया और कुछ बाजरा बाकी रह गया वह अभी तक हाथरस मे मौजूद है उसके देने में वादी को एतराज नहीं है।

७ —प्रतिवादी वादी का रुपया बार-बार मॉगने व तकाज़ा करने पर भी अदा नहीं करते। बिनाय दावी स्थान हाथरस में मियाद के अन्दर पैदा हुई।

८—दावे की मालियत अदालत के अधिकार व कोर्ट फीस देने के लिये १६५०) रु० है।

वादी प्रार्थी है कि :—

(अ) १६५०) रु० असल व सूद जैसा कि हिसाब से निकलता है दिलाने के लिये दावा मय खर्चा नालिश व सूद, दौरान व आइदा प्रतिवादी पर डिग्री किया जावे।

(६) पक्का आढ़तिया का, एजन्सी के इक़रार पर दावा

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—मुद्दई का कार्य्य व्यौपार पक्की आढ़त करने का है।

२—मुद्दई की आढत मे मुद्दाअलेह सूत खरीद किया करता था और उस खरीदारी मे मुद्दई का रुपया लगता था और उस रुपये पर मुद्दाअलेह व्याज दस आने सैकड़ा मा० अदा करता था।

३—मिती या तारीख ...तक दोनों फरीकों के दर्म्यान हिसाब जारी रहा और उसके पहले का हिसाब तै हो गया था सिर्फ ११०) रु० मुद्दाअलेह को देना बाकी था।

४—मुदाअलेहम का कुल हिसाब मुद्दई के वही खातों में दर्ज है और जो रुपया मुदाअलेह ने अदा किया वह जमा किया गया है।

५—अन्त में मुद्दाअलेह की खरीदी हुई सूत की २०२ गाँठ मुद्दई के यहाँ पड़ी रही जिनको मुद्दाअलेह ने सस्ता भाव हो जाने के कारण नहीं उठाया।

६—मुद्दई ने मुद्दाअलेह को नोटिस दिया कि वह गाँठ उठा लेवे परन्तु मुद्दाअलेह ने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। लाचार होकर मुद्दई ने सौदा मुद्दाअलेह रामचन्द्र की रज़ामन्दी से हरदेवदास मिल वालों के साथ तै कर लिया और कई मनुष्यों के कहने पर मुदाअलेह को सिर्फ =) आ० फी रु० के नुकसान का जुम्मेदार ठहराना मान लिया जिसका जमा खर्च मुद्दई के वही खातों में किया गया।

७—दोनों फरीकैन मे व्याज ||=) सैकड़ा माहवारी ठहरा था।

८—अब हिसाब से ४४५४) रु० असल व सूद मुद्दई का मुद्दाअलेह पर निकलता है जो उसने अदा नहीं किया।

९—मुद्दाअलेह ने मुद्दई के वही खातो मे लिखा हुआ अपना कुल हिसाब देख लिया है।

१०—बिनाय दावा आखिरी तकाजे के दिन से स्थान हाथरस मे ता० .... को अदालत के अन्दर पैदा हुई और अदालत को मुकदमा सुनने का अधिकार प्राप्त है।

११ - दावे की मालियत ... (४४५४)) रु०।

मुद्दई प्रार्थी है कि:—

(अ) ४४५४) रु० असल व सूद और खर्चा नालिश मय सूद दौरान व आईन्दा मुद्दई को मुद्दाअलेह से दिलाया जावे इत्यादि

(७) आढ़तिया की तरफ से व्यापारी के ऊपर दावा

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है—

१ - प्रतिवादी की आढत की दूकान अब्दुलमजीद अब्दुलहमीद के नाम से स्थान हाथरस के बाज़ार मुर्सान दरवाज़ा में जारी है और मुद्दइयान तिजारत का कारोबार रामलाल खेमचन्द्र के नाम से स्थान मथुरा में करते हैं।

२—मुद्दाअलेहम ने मुद्दइयान के लिये बहैसियत आढ़तिया दो अदद खत्ती खरीद कीं जिसकी तफ़सील यह है—

तिथि या० ता० खरीदारी	असाढ़ सुदी ६	असाढ़ सुदी १०
वजन	४२४S४	४४८S२
भाव	४|||-)	४||)|||
किस्म ग़ल्ला	वेझर चनारी	वेझर मटरारी
पता	रामलालगज की	बो० जोधराज छीतर-मल की।

३—दोनों खत्तियों के नफा नुक़सान के लिये मुद्दइयान ने ४००) रु० मुद्दाअलेहम के पास जमा किये और दोनों खत्तियाँ मुद्दाअलेहम के पास इस शर्त से रहीं कि वह मुद्दइयान के कहने पर उनको विक्रय करेंगे।

४—मुद्दाअलेहम समय समय पर बाज़ार भाव के बारे में इत्तला देते रहे और भाव के हिसाब से क़ीमत की कमी का रुपया उनसे मंगाते रहे, मुद्दइयान का कुल १३५०) रु० पहुँचा।

५—फागुन सवत्...में मुद्दाअलेहम ने खत्तियों की क़ीमत का बीजक जिसमें अदा किया हुआ रुपया दिखाया गया था मुद्दइयान को दिया और उस समय भी मुद्दाअलेहम ने मुद्दइयान से कह दिया कि वह खत्तियाँ मुद्दइयान की अनुमति से बेचेंगे।

६—इसके बाद कई बार मुद्दइयान ने मुद्दाअलेह से खत्तियाँ बेचने के लिये कहा वह टाल टूल करते रहे। इस पर मुद्दइयान ने यह भी चाहा कि खत्तियों की क़ीमत का बकिया रु० अदा करके खत्तियाँ मुद्दायलेहम से लेकर अपने कब्जे में कर लेवें लेकिन मुद्दाअलेहम ने न वह खत्तियाँ बेचीं और न मुद्दई के हवाले कीं।

७—मुद्दाअलेहम उन खत्तियों को देना नहीं चाहते और मुद्दइयान के रुपया को मारना चाहते हैं।

८—खत्तियों में फायदा है लेकिन मुद्दइयान झगड़े की वजह से रुपया की वापसी का दावा करते हैं।

९—इस रुपये पर ||) आ० सैकड़ा माहवारी का सूद देना क़रार पाया था और इसी शर्त से मुद्दइयान सूद माँगते हैं।

१०—विनाय दावा नवम्बर १९४५ ई० में आखिरी इनकार करने के दिन से हाथरस में पैदा हुई।

११—दावे की मालियत अदालत के अधिकार व कोर्ट फ़ीस के लिये १५००) रु० है।

मुद्दई प्रार्थी है कि :—

(अ) मुबलिग १५००) रु० असल व सूद का जैसा कि नीचे हिसाब में दिया है या उतनी रक़म जो अदालत मुद्दई की मुद्दाअलेहम पर तजवीज़ करे सूद सहित दिलाई जावे।

(ब) और कोई दादरसी जो मुक़दमें में न्याय के हेतु समझी जावे वह मुद्दई को दिलाई जावे।

(क) नालिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे।

हिसाब की तफ़सील :—

असल रुपया	सूद	कुल जोड़
१३५०)	।।।) आ० सै० बक़ाया रक़म पर १५०)	१५००) रु०

(८) एजेन्ट की मिन्सपत्र के ऊपर इक़रार किये हुए रुपये के लिये नालिश

१—यह कि प्रतिवादी ने ता०.. की अपने हाथ की लिखी हुई चिट्ठी से, वादी को मिर्ज़ापुर से २०० बोरे अलसी खरीदने के वास्ते अपना एजेन्ट नियत किया। शर्त यह ठहरी थी कि वादी अपने उत्तरदायित्व पर प्रतिवादी के लिये माल किसी ऐसी क़ीमत पर जो ७) रु० प्रति मन से अधिक न हो क्रय करेगा और उसको बम्बई भेज देगा और प्रतिवादी वादी की कीमत और कमीशन के रुपये की 'पहुँचे दाम' की हुन्डी को सिकार देगा।

२—यह कि इस इक़रार के अनुसार वादी ने ता०... ..से ता०......तक अपनी ज़ुम्मेदारी पर प्रतिवादी के लिये १६३ बोरी अलसी ठहरे हुए भाव के अन्दर क्रय की और ता०......को उनको बम्बई भेज दिया और प्रतिवादी के ऊपर माल की क़ीमत व कमीशन के रुपया की हुन्डी (अ—ब—) के नाम लिख दी जो ता० ....को भुगतान के लिये उपस्थित की गई।

३—यह कि प्रतिवादी ने ता० .....को उक्त हुन्डी को नहीं सिकारा और उसकी अदायगी से इनकार कर दिया, इसी ता०......को बिनाय दावी पैदा हुई।

(९) कमीशन या दलाली के रुपये की नालिश

१—वादी दलाली का काम करता है और वह हाथरस में मकानों का दलाल है।

२—प्रतिवादी ने ता०.. ,, को वादी को यह हिदायत की कि वादी उसका

मकान जो मुहल्ला लखपती शहर हाथरस में है बिकवा देवे और उसकी जो कुछ क़ीमत मिलेगी उस पर २) रु० सैकड़ा प्रतिवादी कमीशन अदा करेगा।

३—वादी ने प्रतिवादी का मकान......रु० में....... के हाथ बिकवा दिया और उसका बैनामा भी रजिस्ट्री हो गया।

४—प्रतिवादी ने कमीशन का......रु० वादी को अभी तक अदा नहीं किया।

* (१०) हिसाब समझाने के लिये एजेंट की ओर से नालिश

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—मुद्दई कमीशन एजेंट है और मुद्दाअलेह कपड़े बेचने का काम किनारी बाजार आगरे में करता है।

२—ता०......माह......सन्......को मुद्दई और मुद्दाअलेह में जबानी यह क़रार पाया कि मुद्दई जो ग्राहक मुद्दाअलेह के यहाँ लावेगा और जो उसके यहाँ से कपड़ा ख़रीदेंगे उसकी क़ीमत पर वह मुद्दई को ।) आ० सैकड़ा कमीशन देगा। (देखो नोट न० १)

३—यह कि मुद्दई बहुत से ग्राहक मुद्दाअलेह की दूकान पर लाया जिन्होंने कपड़ा मुद्दाअलेह की दूकान से खरीदा। ग्राहकों के नाम व पता जहाँ तक मुद्दई को याद है सूची (अ) अर्ज़ीदावा में दर्ज हैं परन्तु ग्राहकों की ठीक ठीक सख्या मुद्दई को मालूम नहीं है।

४—यह कि मुद्दाअलेह ने इस कमीशन के रुपये को अब तक अदा नहीं किया। मुद्दई ने मुद्दाअलेह से बार बार इसको देने के लिये कहा परन्तु उसने ध्यान नहीं दिया।

५—यह कि बिनाय दावी स्थान आगरा में ता०......से लेकर ता०......तक कमीशन को न अदा करने के समय पैदा हुई।

---

* १ नोट—यदि मौखिक प्रतिज्ञा होने के बजाय इक़रारनामा या चिठ्ठी इत्यादि लिखी हुई हो तो धारा न० २ में यह लिखना चाहिये और जो कुछ शर्तें नियत हुई हों वह भी लिख देना चाहिये और उन शर्तों का पूरा होने का बयान धारा नम्बर ३ में करना चाहिये।

२ नोट—यदि मुद्दई अपना काम पूरा कर चुका हो लेकिन मुद्दाअलेह की बेजा कार्रवाई से बयना में की शर्तें पूरी न हो सकी हों, तो यही नमूना जहाँ तहाँ आवश्यक संशोधन करके काम में लाया जा सकता है।

६ —दावे की मालियत—

मुद्दई की प्रार्थना :—

(अ) मुद्दाअलेह से हिसाब कपड़े की खरीदारी और कमीशन की आमदनी का उन खरीदारों के निसबत लिया जाये जो मुद्दई मुद्दाअलेह की दूकान पर लाया।

(ब) जितना रुपया हिसाब करने के बाद मुद्दई का निकले उसकी डिग्री मय खर्च नालिश व सूद वसूल होनेकी दिन तक मुद्दाअलेह पर की जावे।

१५—दूसरे की ज़िम्मेदारी का रुपया अदा करने पर

ऐसी नालिशें विभिन्न दशाओं में करनी होती हैं। साधारण दशा तो यह होती है कि कोई रुपया एक मनुष्य को अदा करना हो और ऐसी अदायगी से मुद्दई के हक़ की भी रक्षा होती हो परन्तु वह मनुष्य उस रुपये को अदा न करे और मुद्दई उसको बेबाक करदे। दूसरी दशा यह होती है कि किसी अन्य पुरुष से वसूल होने वाला रुपया किसी कानून की त्रुटि या गलती से या किसी अनुचित कार्य की वजह से बलपूर्वक मुद्दई से वसूल कर लिया जावे और मुद्दई के एतराज होने पर भी उसको अदा करना पड़े। तीसरी दशा यह होती है कि किसी अवयस्क (नबालिग) या विवेक-हीन (फातिरुल अक्ल) या अन्य ऐसे पुरुष को जो स्वयं प्रतिज्ञा करने के योग्य न हो, के निर्वाह-योग्य सामग्री दी जावे और अन्तिम दशा यह होती है जब कि एक व्यक्ति दूसरे के लिये कोई काम करे और उसका अभिप्राय बिना प्रत्युपकार या बदला के ऐसा काम करने का न हो।

यानी जब किसी दूसरे की जुम्मेदारी का रुपया मुद्दई से ज़बरदस्ती वसूल किया जावे, या उससे कानूनन वसूल किया जा सके, या मुद्दई को अपने हक़ बचाने के लिये रुपया देना पड़े तो इन हालतों में, मुद्दई मुद्दाअलेह पर दावा कर सकता है। जैसे कि किसी मुद्दाअलेह के विरुद्ध डिग्री की इजरा में मुद्दई की जायदाद कुर्क हो जाने पर[1] या किसी मुरतहिन के, राहिन के किराये विरुद्ध की डिग्री अदा कर देने पर[2] दावा किया जा सकता है, परन्तु यदि वादी को रुपया देने से कोई लाभ नहीं था और उससे वह जबरदस्ती वसूल किया गया, तो ऐसी हालत में दावा नहीं किया जा सका।[3]

---

1 I L R 28 All 563, 52 Cal 914

2 19 A L J 73, I L R 32 Cal 643

3 Angelal vs Sidhgopal, A I R 1940 All 214, 1939 Pat 497

अर्जीदावे में (१) यह कि मुद्दई ने रुपया अदा किया है (२) यह कि वह अदायगी मुद्दाअलेह की तरफ से की गई जैसे मुद्दाअलेह ने स्वयं रुपया दिलवाया हो या ऐसी घटनाएँ हों जिनसे मुद्दाअलेह का अभिप्राय रुपया दिलाने का प्रगट होता हो (३) मुद्दाअलेह रुपये देनदार है ।

नोट :— कानून मुआहिदा [1] की धारा ६८ से ७० इस सिलसिले में देख लेनी चाहिये । जो नमूने इस भाग में दिये गये हैं वह साधारण तब्दील के साथ अन्य दशाओं मे भी काम में लाये जा सकते हैं ।

* (१) इक़रार नामा से बरी करने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ता०......को वादी और प्रतिवादी कोठी....... .के नाम से साझे में व्योपार करते थे । उन्होंने साझा तोड़ कर आपस में यह इक़रार किया कि प्रतिवादी साझे का सब माल असबाब अपने पास रक्खे और कोठी का कुल कर्ज़ा अदा करदे और जो दावे इसके ऊपर कोठी के कर्ज़े के बारे किये जावें उन सबसे वादी बरी कर दिया जावे ।

२—यह कि वादी ने इक़रारनामे के अनुसार जो जो शर्तें उसकी तरफ़ से पूरी होनी चाहिये थीं पूरी कर दीं ।

३ - यह कि ता०..... को एक पुरुष श्री राम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से वादी और प्रतिवादी के ऊपर कोठी के कर्ज़ की बाबत डिग्री हासिल की और वादी ने........ रुपया उस डिग्री की अदायगी में श्रीराम को दिया ।

४—यह कि यह रुपया प्रतिवादी ने वादी को अभी तक नहीं दिया ।

५—बिनाय दावी :—

६—दावे की मालियत :—

(वादी की प्रार्थना)

(२) हिस्सेदार की माल गुज़ारी की अदायगी के बाबत ।

१—मुद्दई और मुद्दाअलेह मौज़ा दरियापुर मुहाल सफेद में हिस्सेदार हैं ।

२—इस मुहाल का अधूरा बटवारा हो गया है और कुल मुहाल की मालगुज़ारी एकजाई अदा की जाती है ।

---

1 Contract Act 2 of 1876 Sec 68 to 70

* नोट : यह नमूना शिड्यूल १ अपेन्डिक्स (अ) जाप्ता दीवानी का नम्बर २० है ।

३—मुद्दाअलेह ने सन् १३— फ़सली की बाबत अपने हिस्से की मालगुजारी सरकारी खज़ाने में जमा नहीं की। मुद्दई ने अपने हिस्से की मालगुज़ारी अदा कर दी थी।

४—शेष मालगुजारी के लिये सरकार की ओर से मुहाल की कुल ज़मींदारी नीलाम के वास्ते कुर्क हुई।

५—मुद्दई ने अपना हिस्सा बचाने के लिये . . . मालगुज़ारी का रुपया जो मुद्दाअलेह पर चाहिये था, ता० . . को सरकारी खजाने में जमा कर दिया और मुद्दाअलेह के ऊपर मालगुज़ारी का रुपया बेबाक हो गया।

६—मुद्दई उस का, मय ब्याज १) रुपया सैकड़ा माहवारी के, लेने का मुद्दाअलेह से हकदार है।

(३) दूसरे की डिग्री का रुपया अदा कर देने पर।

१—ता० . . . . . के लिये हुये ठीकानामे से प्रतिवादी मौज़ा अहमदनगर में मुहाल रामसहाय का, शेरसिंह जमींदार की ओर से १३— फ़सली से १३— फ़सली तक तीन साल के लिये ठेकेदार रहा।

२—शेरसिंह ने ठेके के रुपया की अदायगी के लिये वादी को भी ठेकेनामे की तहरीर में सम्मिलित कर लिया था।

३—ऊपर लिखे सालों में कृषकों से प्रतिवादी ने लगान की तहसील वसूल की और उसने सरकार की मालगुजारी भी अदा की लेकिन ठेके का ३००) रुपया जो शेरसिंह ज़मींदार को देना चाहिये था अदा नहीं किया।

४—शेरसिंह ने ठेके का रुपया और ब्याज की नालिश दोनों पक्षों के ऊपर अदालत माल में दायर की और वहाँ से ता० . . . . . . को . . . रुपया की डिग्री दोनों पक्षों पर हो गई।

५—उस डिग्री की इजराय में शेरसिंह ने वादी की जमींदारी की हक़ीयत कुर्क कराई और वादी ने अपनी जायदाद बचाने के लिये डिग्री और खर्चे का रुपया ता० . . . . को अदालत में जमा कर दिया और डिग्री बेबाक कर दी।

६—ठेके की कुल आय प्रतिवादी के हाथ में आई और वही ठेके के कुल रुपये का देनदार है जो कि वादी को ठेके में शरीक होने के कारण अपनी सम्पत्ति बचाने के लिये देना पड़ा।

७—प्रतिवादी ने यह रुपया तकाज़ा करने पर भी अदा नहीं किया।

(४) जायदाद के मालिक की ओर से किराया अदा कर देने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—काटन जिनिंग फेक्टरी लालचन्द ताराचन्द हाथरस में सालिकराम प्रतिवादी नम्बर १, एक तिहाई हिस्से का मालिक था और शेष दो तिहाई के मालिक अन्य प्रतिवादी थे।

२—इस कारखाने की ज़मीन मूरध्वज नाम के एक मनुष्य की थी और वह कारखाने के मालिकों के पास तीन साल के किराया पर इस शर्त पर थी कि यदि किराया वाजिब होने के दिन से दो महीने के अन्दर किराया अदा न किया जावेगा तो जमीन के मालिक को कारखाने की जमीन व इमारत पर दखल पाने का अधिकार होगा।

३—सालिकराम का हिस्सा वादी के पास ता०....... के लिखे हुए किफ़ालती दस्तावेज से ५०००) रुपया में आड़ था जिसकी बिनाय पर डिग्री नम्बरी........सन् ....अदालत सिविल-जजी अलीगढ से सालिकराम के ऊपर सादिर होकर प्रतिषेध में थी और उसमें ता०......नीलाम के लिये नियत थी।

४—इसी समय में जमीन के मालिक मूरध्वज ने इस साल के किराये की बाबत डिग्री ता०......को अदालत सिविल जजी अलीगढ से कारखाने के मालिकों के ऊपर इस शर्त पर प्राप्त कर ली कि यदि वह लोग डिग्री का रुपया दो माह के अंदर अदा न करे तो कारखाने की इमारत को गिरा देने के बाद मूरध्वज को उसकी जमीन पर दखल दिलाया जावे।

५—यह दो महीने की अवधि नीलाम की तारीख से पहिले ही समाप्त होती थी और भय यह था कि किराये की डिग्री का रुपया अवधि के अन्दर न अदा होने पर कारखाने की कुल इमारत गिरा दी जावेगी और वादी अपनी आड़ की डिग्री का रुपया वसूल नहीं कर सकेगा।

६—वादी ने अपना हक़ बचाने के लिये किराये की डिग्री का......रुपया प्रतिवादियों की ओर से ता०......को अदालत की आज्ञानुसार मूरध्वज के लिये दाखिल कर दिया और वह डिग्री बेबाक हो गई।

७—वादी इस दाखिल किये हुए रुपये को, कारखाने के मालिक प्रतिवादियों से १) रुपया सैकड़ा मासिक सूद सहित पाने का दावेदार है।

१६—रसदी (Contribution)*

रसदी के दावे ऐसी दशा में उत्पन्न होते हैं जबकि दोनों पक्ष एक तीसरे मनुष्य को अदायगी के लिये देनदार हों और वादी ने अपने हिस्से से अधिक अदायगी की हो। दावा करने का हक़ अदायगी करने के बाद पैदा होता है। ऐसे दावों में वादी को (१) वह घटनाऐं जिनसे फरीकैन की मुश्तर्का ज़ुम्मेदारी साबित हो (२) वादी का हिस्सा (३) यह कि उसने अपना हिस्सा अदा कर दिया है (४) वह मतालबा जो उसने ज़ायद (अधिक) अदा किया हो (५) और प्रतिवादियों को कहाँ तक वादी को रूपया अदा करना चाहिये अर्ज़ी दावे में लिखना चाहिये।

यदि वादी ने कुल हिसाब कुछ कम रुपया देकर बेबाक किया हो या किसी प्रतिवादी ने कुछ रुपया अदा किया हो तो यह सब स्पष्ट रूप से विवरण सहित दिखाना चाहिये और जितना रुपया वास्तव में दिया गया हो उसी का दावा किया जा सकता है। ऐसे मुक़द्दमों में कर्ज़दार या वह मनुष्य जिसको वादी ने रुपया अदा किया हो ज़रूरी फ़रीक नहीं है।

रसदी के मुक़द्दमों में एक विशेषता यह होती है कि जहाँ पर एक से अधिक प्रतिवादी हों वहाँ उनके विरुद्ध एकजायी डिग्री के बजाय पृथक्-पृथक डिग्री होती है जिससे प्रत्येक प्रतिवादी की जिम्मेदारी प्रतीत हो। यदि ऐसा न किया जावे तो जहाँ पर बहुत से फरीक हों वहाँ पर एक दावे के बजाय उतने ही दावे करने पड़ें।

यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई रक़म पाने के हक़दार हों और वह उनमें से एक ही ने वसूल कर ली हो तब भी दूसरा व्यक्ति या अन्य हिस्सेदार अपने हिस्से की रक़म के लिये दावा कर सकता है और वह भी एक प्रकार से रसदी की ही नालिश होती है। ये दावे ज़ाब्ता दीवानी की धारा ७३ के अनुसार बहुधा किये जाते हैं।

रसदी के दावे सम्मिलित जिम्मेदारी से पैदा होते हैं और वे हिस्सेदारों,[1] कर्ज़ लेने वालों,[2] रेहन करने वालों,[3] ज़मानत देने वालों और ट्रस्टियों इत्यादि में आपस में उत्पन्न होते हैं जब कि मुद्दई को अपनी जिम्मेदारी से अधिक रुपया अदा करना पड़ा हो।

---

1 26 C W N 634

2 I L R 43 All 77, 19 C W. N 198

3 A I R. 1925 All 127, 16 A L J 148

नोट* —इसमें सादा रसदी के नमूने ही दिये गये हैं जहाँ पर अचल सम्पत्ति पर भार उत्पन्न नहीं होता। यदि रसदी से अचल सम्पति पर भार उत्पन्न होता हो उसके लिये भाग २३ नो ताम की नालिशों के नमूना नम्बर १३ १४ व १५ देखने चाहिये।

मियाद—रसदी का दावा रुपया अदा करने के दिन से तीन साल के अन्दर होना चाहिये (देखो आर्टिकिल ६१ और ६९ क़ानून मियाद)।

(१) एक देनदार की ओर से, जिसने डिगरी का रुपया अदा किया हो, दूसरे पर नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—दोनों फरीकैन, ईंट व चूना बनाने के कारखाने में जो मौजा अनीपुर ज़िला मुरादाबाद में था, आधे आधे हिस्से के हिस्से दार थे।

२—यह कारख़ाना दोनों पक्षों की रज़ामन्दी से बन्द हो गया और उसका माल असबाब पक्षों ने अपने अपने भाग का बाँट लिया था।

३—कारखाने के ऊपर, प्यारेलाल नामक एक व्यक्ति का ऋण था जिसका दावा ता०......को अदालत सिविल जज मुरादाबाद से, दोनों पक्षों के ऊपर डिग्री हो गया।

४—डिग्रीदार ने इस डिग्री की इजराय में वादी की सम्पत्ति कुर्क कराई और वादी ने डिग्री और इजराय का खर्च इत्यादि का रुपया .....अदालत में दाखिल करके डिग्री बेबाक कर दी।

५—प्रतिवादी इस मतालबा में से आधे का देनदार है और वादी .. .. मासिक के हिसाब से अदा करने के दिन से सूद पाने का अधिकारी है।

६—विनाय दावी—

७—दावे की मालियत—

(वादी की प्रार्थना)

(२) जुदागाना ज़िम्मेदारी होने पर रसदी की नालिश

१-मुद्दई और मुद्दायलह ने ता०. ....मा०......सन्.... ई० को एक दस्तावेज़ लिख कर रामसहाय नामक एक पुरुष से १५००) कर्जा लिया जो एक १) सैकड़े माहवारी से इन्दुलतलब अदा करने ठहरे।

२—इन कर्ज़ के १५००) रुपया में से १०००) रुपया मुद्दायलह ने और ५००) रुपया मुद्दई ने लिये थे।

३—मुद्दई ने ता०......को दस्तावेज के बारे में २००) रुपया रामसहाय को अदा किये बकिया रुपया किसी फरीक ने अदा नहीं किया

४—रामसहाय ने बाक़ी रुपया वसूल करने को नालिश दायर करके डिग्री नम्बरी .....सन् .....अदालत .....से फरीकैन के ऊपर ता०... ..को हासिल की और इजरा करा कर उसका कुल मतालबा ता०......को मुद्दई से वसूल कर लिया।

५—मुद्दायलह के ऊपर, हिसाब से .....रुपया निकलता है जो कि उसको मुद्दई को देना चाहिये। मुद्दायलह तलब व तक़ाजा करने पर भी यह नहीं देता। मुद्दई १) रुपया सैकड़ा सूद बतौर हर्जा पाने का हक़दार है।

(३) एक हिस्सेदार की साझे के खर्चे की बाबत दूसरे हिस्सेदार पर नालिश

१—कासगञ्ज जिला ऐटा में म्यूनिसपलगञ्ज की दूकानों के फरीकैन मालिक हैं जिसमें से वादी का हिस्सा ॥=) आ० और प्रतिवादी का।=) आ० का है।

२ - दूकानों की जमीन की मालिक कासगञ्ज की म्युनिसीपैलटी है और फरीकैन के पुरखों ने ता०... ..के लिखे हुये दवामी (सर्वदा) पट्टे की शर्तों के अनुसार दूकानें तैयार की थी और उस पट्टे की एक शर्त यह थी की दूकानों की मरम्मत म्युनिसीपैलटी की आज्ञा के अनुसार दूकानों के मालिकों को करानी होगी और मरम्मत न कराने पर पट्टेदारी का हक़ खतम हो जावेगा और वह वेदखल कराये जावेंगे।

३—कासगंज की म्यूनिसिपैलटी से ता० .. . को इन दूकानों की मरम्मत के लिये दो महीने की मियाद का एक सर्क्यूलर जारी हुआ।

४—वादी ने इस सर्क्यूलर के अनुसार दूकानों की मरम्मत करा दी और इसमें मुद्दई का १०००) रुपया खर्च हुआ।

५—मरम्मत का हिसाब अर्जीदावे के साथ साथ पेश किया जाता है।

६—·· ···रुपया प्रतिवादी के हिस्से का उसके ऊपर वाजिब है जो उसने बार-बार माँगने पर भी अदा नहीं किया।

७—बिनाय दावा ता०......(मरम्मत कराने के दिन से)।

(४) एक डिग्रीदार की दूसरे डिग्रीदार पर रसदी के लिये नालिश

(देखो दफा ७३ जाब्ता दीवानी)

१—मुद्दई की एक डिग्री नम्बर .....सन् .....अदालत सिविल जज इलाहाबाद, रामलाल मद्यून के विरुद्ध थी जिसकी इजराय में उसकी जायदाद कुर्क थी।

२—मुद्दायलह की एक दूसरी डिग्री नम्बर .....सन्.. ...अदालत......भी रामलाल मदयून के ऊपर थी और उसकी इजराय में भी वही जायदाद कुर्की और नीलाम के लिए चढ़ी थी।

३—मुद्दायलह की इजराय डिग्री में यह जायदाद ता०......को......रुपया में नीलाम हुई और मुद्दायलह बिला मुद्दई के इल्म के नीलाम का रुपया अदालत से ता०......को उठा ले गया।

४—मुद्दई की डिग्री नम्बरी...सन्...का मतालबा नीलाम की तारीख के दिन ......रुपया था और मुद्दायलेह की डिग्री नम्बरी......सन्......का मतालबा नीलाम के दिन......रुपया था।

५—कुल नीलाम के मतालबा में से खर्चा निकाल कर हिसाब से जैसा कि नीचे दिया हुआ है रसदी का......रुपया मुद्दई पाने का हक़दार था जो मुद्दायलह ने अनुचित रूप से वसूल कर लिया। मुद्दई रसदी का......रुपया और उस पर १) सैकड़ा माहवारी सूद पाने का मुद्दायलह से अधिकारी है।

१७—धोखा या फरेब

धोखे के सम्बन्ध में क़ानून यह है कि यदि कोई काम किसी मनुष्य से धोखे से कराया गया हो या उसके विरुद्ध किया गया हो, चाहे वह कितना ही नियम-पूर्वक और गम्भीरता से हुआ हो, व्यर्थ होता है, और उस व्यक्ति के विरुद्ध जिस पर धोखा किया गया हो उसका कोई प्रभाव नहीं होता। वह ऐसे कार्य को खण्डित करा सकता है, और यदि उसका कोई हर्जा या हानि हुई हो तो वह धोखा देने वाले व्यक्ति से वसूल कर सकता है।

धोखा और फ़रेब भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रयोग में लाये जाते हैं और उसके अनेक रूप हो सकते हैं। इसलिये वे घटनाएँ जिनसे वादी को धोखा दिया जाना प्रत्यक्ष हो और जिनसे उसका हक़ नालिश उत्पन्न हो, अर्जीदावे में लिखना चाहिये।

धोखे या ग़लत बयानी से यदि वादी को कोई नुक़सान हुआ हो तभी हरजाने का दावा किया जा सकता है। बिना नुक़सान हुए दावे का कारण उत्पन्न नहीं होता। धोखे का अर्जीदावे में पूरा बयान होना चाहिये और यह भी दिखाना चाहिये कि प्रतिवादी ने स्वयं या उसके ही कारण वह धोखा किया गया, या उसको धोखे के फलस्वरूप लाभ हुआ। वादी को ऐसे ग़लत बयान पर विश्वास होना और यह कि प्रतिवादी उसका असत्य होना जानता था अर्जीदावे में लिखना चाहिये।[1]*

---

1. A. I R 1937 P C 21

* नोटः—पद २१ तरमीम और मनसूखी में दिये हुए नमूने इस सिलसिले में देखना चाहिये क्योंकि वे दावे भी धोखे और फरेब से ही उत्पन्न होते हैं।

मियाद—आर्टिकल ९५ क़ानून मियाद के अनुसार धोखे के ज्ञान की तारीख से मियाद तीन साल की होती है। जब तक कि वादी को धोखे का ज्ञान न हो तब तक मियाद का कोई प्रभाव नहीं होता और मियाद की अवधि ऐसे ज्ञान होने की तारीख से आरम्भ होती है।

*(१) धोखे से माल लेने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है.—

१—ता०......को प्रतिवादी ने वादी को उसके हाथ कुछ माल बेचने पर राज़ी करने के लिए वादी से यह कहा कि प्रतिवादी मालदार है और अपनी सब देनदारी के अलावा......रुपया की हैसियत रखता है।

२—वादी इस वजह से अपना माल जिसकी कीमत .... रुपया थी प्रतिवादी के हाथ बेचने और हवाला करने पर राज़ी हो गया।

३—प्रतिवादी के यह बयान ठीक नहीं थे और उस वक्त प्रतिवादी स्वंय जानता था कि वह झूठ बयान कर रहा है।

४—प्रतिवादी ने इस माल की बावत रुपया नहीं अदा किया।

(माल हवाला न किया गया हो तो यह कि वादी को माल की तैयारी और इसके लादने और वापिस लेने में. ... रुपया व्यय करना पड़ा।)

५—बिनाय दावा:—

६—दावे की मालियत :—

(वादी की प्रार्थना)

†(२) धोखे से दूसरे पुरुष को क़र्ज़ दिलाने पर

१—ता०..... को मुद्दायलह ने मुद्दई से यह बयान किया कि, महावीर प्रसाद एक विश्वास योग्य और मालदार आदमी है और अपनी देन से कहीं ज्यादा रुपये की मालियत रखता है।

या, यह कि महावीर प्रसाद एक ज़ुम्मेदार और अच्छी हैसियत का मनुष्य है उसको माल क़र्ज़ देने में किसी तरह का डर नहीं है।

---

* नोट—यह नमूना शिड्यूल १ अपेंडिक्स (अ) जाब्ता दीवानी का नमूना नम्बर २१ है।

†नोट—शिड्यूल १ अपेन्डिक्स (अ) ज़ाब्ता दीवानी का नमूना नम्बर २२।

२—इस वजह से मुद्दई, महावीर प्रसाद के हाथ......रुपया का चावल तीन महीने के वायदे पर वेचने को राज़ी हुआ।

३—मुद्दायलह के यह बयान बिलकुल झूठे थे और वह उस समय पर जानता था कि वह झूठ बयान मुद्दई को धोखा देने की नीयत से कर रहा है (या मुद्दई-को धोका देने और नुकसान पहुँचाने के वास्ते कर रहा है)।

४—महावीर प्रसाद ने उस चावल का रुपया अदा नहीं किया और मुद्दई उस माल को हाथ से खो बैठा।

*(३) धोखे से माल लेने वाले और उसके क्रय करने वाले पर नालिश, जब धोखे का ज्ञान हो

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ता०......को प्रतिवादी रामलाल ने वादी को, इस अभिप्राय से कि उसके हाथ कुछ माल विक्रय किया जाय, यह प्रकाशित किया कि प्रतिवादी एक मालदार और ईमानदार मनुष्य है और अपनी देनदारी से......रुपया की अधिक मालियत रखता है।

२—वादी इस कारण से, रामलाल के हाथ एक सौ सन्दूक चाय जिसका मूल्य......रुपया था वेचने और हवाला करने पर सहमत हो गया।

३—रामलाल का यह कथन बिल्कुल असत्य था और वह उस समय उसका झूँठा होना स्वयं जानता था (या बयान करते समय प्रतिवादी रामलाल दिवालिया था और वह जान बूझ कर झूँठ बोला)।

४ रामलाल ने वह माल केवल......रुपया में प्रतिवादी रामनरायण के हाथ, जिसको उस बयान के झूँठ होने का ज्ञान था, वेच दिया।

५—दावे का कारण :—

६—दावे की मालियत :—

वादी की प्रार्थना

(अ) वह माल वापिस दिलाया जावे और अगर यह न हो सके तो...... रुपया दिलाया जावे।

(ब) इस माल को रोक रखने की बाबत....रुपया हरजाना दिलाया जावे।

---

* नोट—यह नमूना शिडयूल १ अपेन्डिक्स (अ) ज़ाप्ता दीवानी का नमूना न० २३ है।

(४) धोखा व वारन्टी का उल्लंघन

१—प्रतिवादी ने ता० . .को एक घोड़ा इस शर्त के साथ ६२५) रुपया में वादी के हाथ वेचा कि वह तन्दुरुस्त व पुष्ट है न कभी भागता है न किसी को लात मारता है और बहुत अच्छा काम देता है।

२—प्रतिवादी के यह बयान बिल्कुल गलत थे क्योंकि मुआहिदे से पहिले मुद्दायलह का घोड़ा तन्दुरुस्त नहीं था, कई बार लगाम तोड़ चुका था और कई बार अपनी लातों से आदमियों को चोट पहुँचा चुका था, इसके अतिरिक्त उसको गाड़ी में काम करने की आदत भी न थी।

३—वादी ने प्रतिवादी के झूँठे बयान को कि प्रतिवादी का वेचा हुआ घोड़ा पुष्ट है और गाड़ी में बहुत अच्छी तरह चलता है सच समझ कर उसको प्रतिवादी से ६२५) रुपया में मोल लिया और क़ीमत अदा की।

४—यह बयान करते समय प्रतिवादी उसको झूँठ जानता था और उसने झूँठा जान कर वादी को धोका देने की नीयत से यह बयान किया।

५—वह घोड़ा ऊपर लिखी त्रुटियों के कारण वादी के किसी काम का न था लिये इस विवश होकर वादी ने उसको ३७५) रु० में वेच कर छुटकारा पाया और वादी को कीमत कमी होने और वेचने के खर्चे के अतिरिक्त उसको वेचने की तारीख तक खिलाने और देख भाल करने में.... रुपया व्यय करना पड़ा। जिसका विवरण यह है—

(१) कीमत की कमी—

(२) खुराक का खर्चा—

(३) वेचने का खर्चा—

कुल जोड़. ....रुपया

१८— —सम्पत्ति

(Personal Property or Movables.)

दूसरे के माल को अनुचितरूप से रोकने या उसके उपयोग में लाने पर यह दावे किये जा सकते हैं। इनमें इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि वह माल या वस्तुऐं प्रतिवादी ने किस प्रकार से (उचित या अनुचित) पाया। मांगने पर माल वापिस करने से इनकार करना दिखाना चाहिये। वादी को दावा करने के समय उस माल के ऊपर तुरन्त अधिकार करने का हक़ हासिल होना चाहिये न कि यह कि वह किसी समय पर उनका अधिकारी होगा और यह भी अर्ज़ी दावे में दिखाना चाहिये।

साधारण प्रकार से चल सम्पत्ति के दावों में माल न मिलने पर उसका मूल्य हर्जे के रूप में दिलाया जाता है इसलिये इन दावों में मूल्य की भी अतिरिक्त प्रार्थना होनी चाहिये।

विशेष दशाओं में उन्ही वस्तुओं का वादी को दिलाया जाना, जिसके लिये उसके दावा किया हो आवश्यक होता है जैसे किसी ग्रन्थकार के दावे में प्रकाशक या छापेखाने के मालिक से उसकी कच्ची लिपि का दिलाया जाना या किसी विशेष मूल्य के चित्र का प्रतिवादी से दिलाया जाना। ऐसे दावे दफा ११ क़ानून दादरसी खास के अनुसार दायर किये जा सकते हैं और यदि माल या वस्तु किसी विशेष मूल्य का हो तो हुकम इम्तनाई भी निकलवाया जा सकता है।

मियाद—इन दावों में मियाद तीन साल की होती है। देखो आर्टिकिल ४८ व ४९ कानून मियाद।

(१) अनुचित रूप से माल रोकने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है:—

१—ता०......को इस अर्ज़ीदावे के साथ दी हुई सूची की चीजों का वादी मालिक था (या वह घटनाऐं लिखनी चाहिये जिनसे अधिकार का हक़ प्रकट हो) और इन सब चीजों की मालियत लगभग ......रुपया थी।

२—उस तारीख से नालिश करने के दिन तक प्रतिवादी ने वह माल वादी को नहीं दिया।

३—इस नालिश के दायर करने से पहिले अर्थात ता०......को वादी ने अपना माल प्रतिवादी से माँगा लेकिन उसने देने से इनकार किया।

४—बिनाय दावी—

५—दावे की मालियत—

६—वादी प्रार्थी है कि—

(अ) उसको माल पर कब्जा दिलाया जावे और अगर माल पर कब्ज़ा न दिलाया जा सके तो वादी को .. रुपये दिलाये जावें।

(ब) माल के रोक रखने का......रुपया हर्जाना दिलाया जावे। (यहाँ माल की सूची देनी चाहिये)

* [२] माल की वापसी या उसके मूल्य के लिये।

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—मुद्दायलह के यहाँ दिसम्बर सन् १६—में लड़के की शादी थी। उसने महफिल सजाने के लिये नीचे लिखा हुआ सामान मुद्दई के यहाँ से मगनी लिया।

(सामान की तफ़सील)

२—शादी हो जाने के बाद उस सामान के साथ मुद्दायलह ने एक क़ालीन क़ीमती १८०) रुपया और दो दड़ी के फ़र्श क़ीमती करीब २००) रुपया वापिस नहीं किये।

३—मुद्दई ने बार बार मुद्दायलह से कालीन और फ़र्शों को वापिस करने को कहा और ता०..... को एक रजिस्ट्री किया हुआ नोटिस भी दिया लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और यह इन्कार करने के बराबर है।

४—बिनाय दावा ता० ... .. को वापिस सामान न करने के दिन से स्थान ....में अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई।

५—दावे की मालियत :—

६—मुद्दई प्रार्थी है कि मुद्दायलह को हुक्म हो कि वह क़ालीन और दोनों फर्श मुद्दई के हवाले करे नहीं तो उनकी क़ीमत ३८०) रुपया मुद्दायलह से मुद्दई को दिलाया जावे।

† [३] माल बरबाद करने की धमकी देने पर वापिसी माल और हुक्म इमतनाई के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

---

* नोट—यह नमूना शिड्यूल १ परिशिष्ट (अ) का नमूना नम्बर २३ है।

† नोट—यह शिड्यूल १ परिशिष्ट (अ) ज़ाब्ता दीवानी का नमूना नम्बर ३६ है।

१—मुद्दई अपने दादा के एक नामी चित्रकार से बने हुये चित्र का मालिक है और उन सब चीज़ों का जिनका नीचे बयान आया है मालिक था और उस तस्वीर की कोई नक़ल मौजूद नहीं है। (या कोई और ऐसी विशेषता लिखनी चाहिये कि वह वस्तु बहुत रुपया खर्च करने पर भी नहीं मिल सकती)।

२—ता० ...... को वादी उसको सुरक्षित रखने के लिये प्रतिवादी के पास रख आया था।

३—ता० ...... को वादी ने वह तसवीर प्रतिवादी से माँगी और उसके रखने के खर्चे को देने के लिये कहा।

४—प्रतिवादी ने उसके वापिस करने से इन्कार किया और धमकी देता है कि यदि उससे ऐसा कहा जावेगा तो वह उसे छिपा देगा, बेच डालेगा या और किसी तरह से नुक़सान पहुँचावेगा।

५—अगर कोई मुआवज़े का रुपया दिलाया जावे तो वह वादी की तसवीर बिगाड़ देने का उचित मुआवज़ा न होगा।

६—बिनाय दावी :—

७—दावे की मालियत :—

वादी प्रार्थी है कि :—

(अ) हुक्म ईम्तनाई से प्रतिवादी तसवीर को बेचने या छिपाने या नुक़सान पहुँचाने से रोक दिया जावे।

(ब) प्रतिवादी से वह चित्र वादी को वापिस दिलाई जावे।

[४] माल की वापसी और हुक्म इम्तनाई के लिये

१—मुद्दई के पिता इमामुद्दीन शायर थे और उन्होंने एक नज़म की किताब अपनी ज़िन्दगी में बनाई थी जिसको वह छपवाना चाहते थे।

२—किताब का मसौदा बिलकुल पूरा हो गया था लेकिन उसको प्रकाशित कराने से पहिले ही पिछले अगस्त में उनका देहान्त हो गया।

३—मुद्दायलह इसरार प्रेस, कानपुर नामक छापेख़ाने का मालिक है और उसके यहाँ किताबों की छपाई का काम होता है।

४—ता०......को मुद्दई ने किताब का मसौदा मुद्दायलह को दिखलाया और उससे प्रार्थना की कि वह उचित शर्तों पर उसको प्रकाशित करदे।

५—मुद्दायलह ने वह मसौदा मुद्दई से ले लिया और यह वायदा किया कि मज़मून देख लेने के बाद उसकी शर्तों को निश्चित करेगा। बहुत दिन हो जाने परभी मुद्दायलह, न तो किताब प्रकाशित करने की शर्त निश्चित करता है और न मुद्दई को मसौदा वापिस देता है और उसके बार बार कहने पर उसको फाड़ डालने की धमकी देता है।

६—मसौदे में जो नज़म है उनका बनना अब असम्भव है और उनके फाड़ देने पर उनका रुपया में मुआवजा नहीं हो सकता।

१६—साझा या शराकत

साझा वह सम्बन्ध है जो उन मनुष्यों के मध्य में होता है जिन्होंने अपनी सम्पत्ति, परिश्रम, अथवा विद्या किसी कार्य में लगाने, जिसको वे सब मिलकर करते हों या उनमें से कोई व्यक्ति उन सब की ओर से करता हो, और जिसका लाभ (मुनाफा) उन्होंने परस्पर बाँटने की प्रतिज्ञा की हो। (देखो धारा २३६ प्रतिज्ञा-विधान)

साझे की बाबत नालिशें प्रायः दो प्रकार की होती हैं, पहली तो साझा तोड़ने और हिसाब समझने की, दूसरी सिर्फ हिसाब के लिये। दूसरी प्रकार की नालिशें तभी होती हैं जब कि साझे का कारबार बन्द हो चुका हो या किसी साझेदार के मरजाने के कारण साझेदारी खतम हो चुकी हो। साधारण रूप से साझेदारी का कार्य होते हुए में हिसाब समझाने की नालिश नहीं हो सकती और न एक साझेदार दूसरे साझेदार पर किसी निश्चित रुपये या रकम का जिसका साझे से सम्बन्ध हो दावा कर सकता है। वह अपने हिस्से का मुनाफा भी तभी माँग सकता है जब कि साझेदारी स्थित होते समय ऐसी शर्त नियत की गयी हो। साझेदारों के परस्पर स्वत्व और उत्तरदायित्व उन प्रतिज्ञाओं पर निर्भर होते हैं जो उनमें आपस में ठहरती हैं। ऐसी प्रतिज्ञा बहुधा प्रकट रहती हैं परन्तु कुछ कारबार के प्रकृति के ऊपर भी निर्भर होती हैं। उन प्रतिज्ञाओं का परिवर्तन अथवा संशोधन कुल साझेदारों की सहमति से ही हो सकता है। जहाँ ऐसी प्रतिज्ञाये प्रगट न की गयी हो तब साझीदारों के स्वत्व और उत्तर दायित्व का निपटारा एक्ट ६ सन् १९३२ ई० की विविध धाराओं के अनुसार होता है।[1]

शराकत के दावे मुआहिदा के अनुसार होते हैं और यदि कोई ऐसा मुआहिदा न हो तो कानून मुआहिदा के अनुसार साझा तोड़ने के लिये दफा २५४ में दी हुई किसी बिनाय पर दावा किया जा सकता है। वह बिनाय अर्जी दावे में शिराकती शर्तों के साथ स्पष्ट रूप से लिखना चाहिये। इसके साथ हिसाब भी माँगा जा सकता है और यदि आवश्यक हो तो रिसीवर नियत करने की प्रार्थना भी की जा सकती है। यदि हिसाब माँगा जाय तो साझीदारों के हिस्से और वह शर्तें, जिनसे बिनाय दावा पैदा हुई हो, लिखनी चाहियें।

अदालत का कर्तव्य है कि वह साझा तोड़ने और पक्षों के मध्य में हिसाब तय होने के लिये स्वय डिग्री में हुक्म दे और इसके लिये अर्जी दावे में यह लिखना कि प्रत्येक प्रतिवादी से कितना रुपया वसूल होना चाहिये जरूरी नहीं है। यदि दावे से पहिले ही शराकत फिस्क होना करार देना हो- तो उसकी

1. Indian Partnership Act, IX of 1932

तारीख और वह क्यों कर फिस्क हुई यह भी लिखना चाहिये। शराकत का हिसाब कौन रखता था और किस के पास बहीखाते इत्यादि हैं यह सब प्रश्न प्रारम्भिक डिग्री में तय किये जाते हैं।

यदि वादी किसी विशेष हिस्सेदार को मैनेजर होने के कारण या अन्य किसी कारण से हिसाब समझाने या किसी कागज या वस्तु का देनदार ठहरावे तो वे सब बातें अर्जीदावे में लिखनी चाहिये जिनकी वजह से ऐसी प्रार्थना की गयी हो। जहाँ पर बहुत से साझेदार होते हैं वहाँ पर साझे का काम बहुधा एक या दो साझेदार ही देखते भालते हैं। वही हिसाब और साझे की तहवील रखते हैं; इसलिये उन्हीं से हिसाब समझाने की प्रार्थना होनी चाहिये।

कानून मुआहदा की धारा २५४ में वह सब कारण लिखे हुए है जिनके वजह से साझा तोड़ने का दावा किया जा सकता है और रिसीवर नियत हो सकता है। यदि साझे की सम्मिलित सम्पत्ति की देखभाल आवश्यक न हो और साझे का रुपया वसूल करना न हो तब रिसीवर नियत कराना व्यर्थ होता है। इन दावों में प्रथम या इब्तदाई डिगरी के बाद प्राय: हिसाब लिया जाता है[1] डिगरी हो जाने पर साझेदारी नालिश दायर होने की तारीख से फिस्क या तोड़ी हुई मानी जाती है[2] और साझा टूटने से पहले एक साझीदार दूसरे साझीदार से हिसाब नहीं माँग सकता[3] जब तक कि साझेदारी क़ायम होने के समय ऐसा इकरार न हुआ हो।

मियाद—साझे का अन्त हो जाने पर मुनाफे या हिसाब की नालिश आर्टिकल १०६ कानून मियाद के अनुसार ३ साल के अन्दर होनी चाहिये परन्तु साझा तोड़ने या । मुनाफा माँगने के लिये दावा आर्टिकल १२० के अनुसार ६ वर्ष के अन्दर किया जा सकता है।

कोर्ट फ़ीस—हिसाब समझने के दावे में वादी अपने हिसाब से लगभग दावे की मालियत नियत कर सकता है। यदि हिसाब से उसका रुपया अधिक निकले तब उसको डिगरी बनने से पहले शेष अधिक रुपये पर कोर्ट फीस देनी होती है।

(१) साझा तोड़ने और हिसाब समझाने के लिये दावा

१—वादी और प्रतिवादी........साल (या महीने) से आपस में कुछ लिखी हुई प्रतिज्ञाओं के अनुसार साझे में कारबार करते थे (या लिखे हुये दस्तावेज़ के अनुसार या दोनों के ज़बानी इक़रार से, जैसा हो वैसा लिखना चाहिये)।

1 I L R 20 Mad 313
2 A I R 1927 P C 70
3 I L R 9 All 120

२—साझे के समय में कुछ झगड़े और लड़ाई वादी और प्रतिवादी में पैदा हुई जिनकी वजह से उस कारबार को ऐसी दशा में रखना कि दोनों पक्षों को लाभ हो असम्भव है।

(या प्रतिवादी ने साझे की शर्तों का उल्लङ्घन किया जोकि नीचे दी गई है) ।

(२) साझा तोड़ने और हिसाब समझाने के लिये दावा

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—फरीकैन अनाज की क्रयविक्रय की एक दूकान साझे में बाज़ार खलीफा मंडी इलाहाबाद में मई सन् १९.... ई० से जारी हुई और अब तक जारी है।

२ - मुद्दई का हिस्सा साझे के कारबार में ६ आने का, और मुद्दायलह १ व २ में से हर एक का हिस्सा ५ आने का, इस तरह कुल १६ आने का था और हर एक हिस्सेदार ने अपने अपने हिस्से के अनुसार रुपया लगाया और अपने अपने हिस्से के लाभ और हानि के लेने देने का इक़रार किया।

३—फरीकैन में आपस में यह शर्त ठहरी थी कि मुद्दायलह नं० १ साझे की दुकान पर खरीद फरोख्त का काम करेगा और मुद्दायलह नं० २ उसका हिसाब किताब रक्खेगा और उसके कब्जे में दूकान का सामान रहेगा और मुद्दई बाहर जाकर माल खरीद कर लावेगा।

४—मुद्दई अपना काम साझा शुरू होने से ही बड़ी कोशिश और मेहनत से करता रहा और दोनों मुद्दायलहम अपने जिम्मे का काम ईमानदारी और मेहनत के साथ नहीं करते।

५—मुद्दायलह नं० १ अधिकतर अपने निजी काम में लगा रहता है जिससे साझे के काम का बहुत हरजा और नुक्सान होता है और मुद्दायलह नं० २ साझे का ठीक हिसाब नहीं रखता और उसने हिसाब का लगभग २०००) रुपया अनुचित रूप से अपने काम में लगा लिया है।

६—ऐसी हालत में साझे का कारबार लाभ सहित नहीं चल सकता।

७—मुद्दई ने मुद्दायलह से साझा तोड़ने और हिसाब समझाने को कहा लेकिन वह इस ओर ध्यान नहीं देते इसलिये विवश होकर यह नालिश करनी पड़ी।

८ - विनायवादी ता०.... को हिसाब देने और साझा तोड़ने से इन्कार के आखिरी दिन से स्थान इलाहाबाद में अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई।

९—दावे की मालियत अदालत व कोर्ट फीस के लिये १०००) रुपये हैं।

मुद्दई प्रार्थी है कि :—

(क) फरीकैन का साझा तोड़ दिया जावे

(ख) साझे के कारबार का हिसाब लिया जावे।

(ग) एक रिसीवर नियत किया जावे।

(३) साझा तोड़ने व हिसाब के लिये दावा

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—फरीकैन और उनके पूर्वजों ने काटन प्रेस का एक कारखाना सन् १९— ई० से साझे में स्थान हाथरस में जारी किया और उसका नाम पूरनमल श्यामलाल काटन प्रेस रक्खा।

२ साझे की कुल शर्तें ता०......के लिये हुये इक़रारनामे में दर्ज हैं जो फरीक़ैन और उनके पुरुखों ने अपने अपने हिस्सों के विवरण के साथ लिख कर रजिस्ट्री करा दिया था।

३ - ता०......के इक़रारनामा लिखने वालों में से कई आदमियों का देहान्त हो गया और उनके उत्तराधिकारी उनकी जगह पर कारख़ाने में साझी हुये। अभी तक मुकदमें के फरीक़ैन साझे के कारख़ाने में हिस्सेदार हैं और उनके हिस्से इस भाँति है :—

हिस्सा मुद्दई—१/४ हिस्सा मुद्दायलह नं० १—१/४

हिस्सा मुद्दायलह नं० २ —१/८ हिस्सा मुद्दायलह नं० ३ ४,५ व ६—१/८

हिस्सा मुद्दायलयह नं० ७ - १/१६।

४—इस कारख़ाने का मैनेजर व कारकुन ता०......के लिखे हुए इक़रारनामे से मुद्दायलह नं० १ का पिता जमनादास नियत किया गया था और उसके देहान्त के बाद ६ साल से मुद्दायलह नं० १ है।

५—मुद्दायलह न० १ साझे के कारबार का ठीक प्रबन्ध नहीं करता और न हिस्सेदारों को इक़रारनामे के अनुसार हिसाब समझाता है और न मुनाफा अदा करता हैं (यहाँ पर और भी कोई शिकायत हो तो लिखनी चाहिये जैसे.........)।

६—मुद्दायलह नं० १ ने मुद्दायलहम नं० ३ से ६ तक के साझे में एक दूसरा कारख़ाना खोल लिया है और अधिकतर वह गाँठ बधाई का काम उसी कारखाने में करते हैं और फरी.कैन के साझे के कारखाने को नुक़सान पहुँचाता है। मुद्दई को ४ साल के कोई उसके हिस्से का लाभ नहीं मिला।

७ - मुद्दई अब कारखाने में साझा नहीं रखना चाहता।

८—मुद्दायलहम से साझा तोड़ने और हिसाब समझाने को कहा गया और रजिस्ट्री नोटिस भी दिया गया लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया।

९—बिनायदावी (नोटिस देने के दिन से) ।

१०—दावे की मालियत—

११—मुद्दई प्रार्थी है कि :—

(क) कारखाना पूरनलाल श्यामलाल हाथरस का साझा तोड़ दिया जावे।

(ख) मुद्दायलह नं० १ को हुक्म हो कि वह साझे के कारखाने का हिसाब मुद्दई को समझा देवे ।

(ग) रिसीवर नियत किया जावे और ऋण वसूल व अदा किया जावे और अन्य प्रबन्ध किया जावे।

(घ) हिसाब से जो कुछ मुद्दई का निकले वह मुद्दई को दिलाया जावे ।

(४) साझा खतम क़रार देने और हिसाब के लिये दावा

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है —

१—ता०......के रजिस्ट्री किये हुए इक़रारनामे के अनुसार फरीक़ैन और उनके पुरखों ने एक कारखाना काटन प्रेस कानपुर में जारी किया जिसका नाम कानपुर काटन वर्क्स रक्खा ।

२—लाला महावीर प्रसाद उस कारखाने के मैनेजर नियत हुये और कारखाने में हिस्सेदार भी थे । आमदनी और खर्च का सब हिसाब किताब इक़रारनामे की शर्तों के अनुसार उन्हीं के पास रहा करता था और उन्हीं की मारफत हिस्सेदारों को बटवारा हुआ करता था।

३—उस इक़रारनामे में यह शर्त है कि आमदनी और खर्च का हिसाब सालाना हुआ करेगा और हिस्सेदारों के मजूर किये हुये खर्चे को काट कर बचा हुआ रुपया हिस्सेदारों में उनके हिस्सों के अनुसार बाँट दिया जाया करेगा ।

४—असली कुल हिस्सेदारों का देहान्त हो गया और कुछ हिस्सेदारों के हिस्से छिन गये अब उक्त कारखाने में हिस्सेदार और उनके हिस्से इस भाँति हैं—

मुद्दई =)॥, मुद्दायलह नं० १-)॥ आना, मुद्दायलह नं०२ से ५ तक -)।॥, मुद्दायलह नं० ६ से ९ तक ≡)।, मुद्दायलह नं० १०, ११ ।-)॥, मुद्दायलह नं० १२ -)।॥ कुल जोड़ १६ आना।

५—ता० .....को लाला महावीर प्रसाद मैनेजर अदालत जजी कानपुर से देवालिया क़रार दे दिये गये और क़ानूनन साझा टूट गया और कोई अन्य व्यक्ति कारखाने का मैनेजर नियत नहीं हुआ ।

६—ता०... को उक्त मैनेजर का हिस्सा उनके रिसीवरों के द्वारा नीलाम हो गया और उसको मुद्दायलह नं० १ ने खरीद लिया है और वह कुल कारखाने पर बेजा कब्ज़ा करके अपने आप को मैनेजर बतलाता है ।

७ - वास्तव में अब कोई साझा स्थिति नहीं है और न मुद्दायलह नं० १ मैनेजर है।

८—कारखाना और हिसाब किताब के कुल कागज़ मुद्दायलह नं० १ के कब्ज़े में है और उसने कारखाने का बहुत सा सामान अपने निजी काम में लगा लिया है।

९—मुद्दायलह न० १ से हिसाब तय करने और कारखाने का बटवारा करने के लिये बारबार कहा गया लेकिन वह राजी नहीं होता।

१०—बिनायदावी (मुद्दायलह नं० १ के अनुचित अधिकार करने के दिन से)।

११—दावे की मालियत—

१२—मुद्दई प्रार्थी है कि :—

(अ) उक्त कारखाने में फरीकैन का साझा खतम करार दिया जावे।

(ब) साझे का कुल हिसाब किताब समझाया जावे और कारखाने को जो ऋण देना लेना हो वह अदा व वसूल किया जावे। कुल खर्चा व देन लेन के बाद जो नक़द रुपया और साझे का सामान हो वह हिस्सेदारों में उनके हिस्सों के अनुसार बाँट दिया जावे।

(क) रिसीवर नियत किया जावे।

(५) तोड़े हुये साझे का हिसाब समझाने के लिये दावा

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—यह कि मुद्दायलह और मुद्दई के चचेरे भाई कड़हरमल की आढ़त की दूकान और टाल मुड़सान दरवाज़ा शहर हाथरस में जारी थी।

२—यह कि दूकान और टाल में कड़हरमल और मुद्दायलह आधे आधे के हिस्सेदार थे।

३—यह कि कड़हरमल ता०......को मर गया और उसके मर जाने की वजह से साझा टूट गया।

४—यह कि साझे की दूकान का कुल हिसाब किताब और रोकड़ बाक़ी मुद्दायलह के कब्ज़े में है।

५—मुद्दई कड़हरमल का उत्तराधिकारी है और उसने कई बार मुद्दायलह से प्रार्थना की कि जो कुछ हिसाब कर के कड़हरमल का निकलता हो वह मुद्दई के हवाले करे लेकिन मुद्दायलह ने इस पर ध्यान नहीं दिया।

६—बिनायदावी (मुद्दायलह के इन्कार करने के दिन से)।

७—इस समय दावे की मालियत अदालत के अधिकार व कोर्ट फीस के लिये १२००) रुपया रक्खी जाती है अगर हिसाब से इससे ज्यादा रुपया निकलेगा तो उस पर मुद्दई अलहदा कोर्ट फीस अदा करेगा।

२०—मालिक व किरायेदार

मालिक और किरायेदार के सम्बन्ध की बाबत कई प्रकार की नालिशें हो सकती हैं। ऐसी नालिशें साधारण प्रकार से मालिक की ओर से किरायेदार के ऊपर बकाया किराया और बे दखली को होती हैं।

बे दखली की नालिश में यह आवश्यक है कि किरायेदारी नालिश दायर करने से पहिले खतम हो चुकी हो वरना मालिक को दखल पाने का अधिकार उत्पन्न नहीं होता।

किरायेदारी का अन्त कई प्रकार से हो सकता है। प्रथम यह कि मालिक किरायेदार को पन्द्रह दिन का (जहाँ पर माहवारी किरायेदारी हो) या ६ महीने का (जहाँ पर सालाना किरायेदारी हो) दफा १०६ कानून इन्तकाल जायदाद के अनुसार नोटिस दे देवे और किरायेदारी खतम कर देवे। ऐसे नोटिस देने में यह ध्यान रखना चाहिये कि नोटिस की मियाद किरायेदारी की अन्तिम तिथि पर खतम होनी चाहिये।

यदि किरायेदारी किसी नियत अवधि के लिये हो और किरायेनामें में नोटिस देने की शर्त न हो तब उस अवधि के पूरा हो जाने पर नोटिस देना आवश्यक नहीं होता और किरायेदारी अन्त हो जाती है।

तीसरी किरायेदारी खतम करने की विधि यह होती है कि किरायेदार की मालिक की मिल्कियत से इन्कार करने पर या किसी तीसरे मनुष्य को उसका मालिक कहने पर, मालिक नोटिस देकर किरायेदारी का अन्त कर सकता है। और भी दशाओं में जो दफा १११ कानून इन्तकाल जायदाद में दी हुई है किरायेदारी खतम की जा सकती है।

बेदखली के दावों में जिस बिनाय पर बेदखल करना हो वह दिखानी चाहिये। यदि नोटिस के बिनाय पर हो तो ध्यान रहे कि नोटिस, तहरीरी और नोटिस देने वाले का दस्तखती होना चाहिये और कम से कम १५ दिन (मकान इत्यादि के लिये) या ६ महीने का (खेत, ज़मींन वगैरह के लिये) होवे। यदि नियत समय के पूरा हो जाने पर बेदखली का दावा हो तो नोटिस देने की जरूरत नहीं होती।

किराये के दावों में-किराये देने का इक़रार और बक़ाया का रुपया साफ तौर पर दिखाना चाहिये। यदि किराया नामा किसी नियत समय के लिये था तो मुद्दायलह का कब्ज़ा दिखाना जरूरी नहीं है लेकिन अगर किरायेनामा नियत समय के लिये न हो तो यह दिखाना कि उस समय में जिसके लिये दावा किया जाता है मुद्दायलह जायदाद पर क़ाबिज़ रहा, ज़रूरी होता है। करायेनामे के बिनाय पर दावे में मुद्दायलह, मुद्दई के मालिक होने से इन्कार नहीं

कर सकता इसलिये अर्जी दावे में मुद्दई का मालिक होना लिखना आवश्यक नहीं है। दावा करने की तारीख पर जो कुछ बक़ाया हो वह सब दावे में शामिल कर लेना चाहिये नहीं तो उसके लिये आर्डर २ क़ायदा २ ज़ाब्ता दीवानी के अनुसार दूसरा दावा नहीं किया जा सकता।

किरायेदार की तरफ से मालिक के विरुद्ध नालिशें कम होती हैं कभी कभी किरायेदारी का सम्बन्ध नियत हो जाने पर भी मालिक किरायेदार को कब्ज़ा नहीं देता या कोई मरम्मत या तामीर जिसका फरीकैन में इक़रार हुआ हो नहीं कराता। ऐसी सूरतों में किरायेदार की ओर से नालिश की जा सकती है।

मियाद—किरायेदारी, पवानी, पट्टा, सरखत या बिना रजिस्ट्री किये हुये किराये नामे से जहाँ उत्पन्न हो वहाँ पर आर्टिकल ११० कानून मियाद के अनुसार ३ साल की मियाद होती है। यदि किरायेनामा रजिस्ट्री किया हुआ हो तो मियाद ६ साल की होती है (आर्टिकल ११६) बेदखली का दावा १२ साल के अन्दर दायर किया जा सकता है (आर्टिकल १३९ कानून मियाद)

कोर्ट फीस—बेदखली के लिये किरायेदार के विरुद्ध सिर्फ एक साल के किराये पर कोर्ट फीस लिया जाता है।

नोट :—पिछले महायुद्ध की वजह से प्रायः सभी बड़े शहरों में मकानों की कमी के कारण किरायेदारों की रक्षा के लिये मध्यवर्ती सरकार की ओर से आर्डिनेन्स पास किये गये थे। और इसी अभिप्रायः से महायुद्ध अन्त हो जाने पर भी भिन्न भिन्न प्रान्तों में भिन्न भिन्न क़ानून पास किये गये हैं। संयुक्त प्रान्त में एक्ट नं० ३ सन् १९४७[1] ३० सितम्बर १९४८ तक प्रचलित है इस क़ानून की अवधि हाल ही में १९५० तक बढ़ा दी गई है। इसलिये इस अवधि तक मालिक और किरायेदार के दावों में इस प्रान्त में या अन्य प्रान्तों में जहाँ ऐसे ही दूसरे विधान लागू हों, नालिश करने से पहले उनको देख लेना चाहिये।

*(१) मालिक को पेड़ काटने से रोकने के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी (यहाँ सम्पत्ति का वर्णन करना चाहिये) का मालिक है।

२—प्रतिवादी उस पर वादी के दिये हुये पट्टे के अनुसार अधिकृत है।

३—प्रतिवादी ने वादी की बिना सहमति कई क़ीमती पेड़ काट डाले हैं और बेचने के लिये कई और पेड़ काट डालने को कहा है।

(फ़िक़रा नं० ४-५ नमूना नं० १ यहाँ पर लिखना चाहिये)

---

1. The United Provinces Temporary Control of Rent and Eviction Act, 1947.

*यह शिड्यूल १ परिशिष्ट (अ) ज़ाब्ता दीवानी का नमूना नम्बर १६ है। इस्तेमाल और दख़ल के बाबत नमूने पद ६ में दिये जा चुके हैं।

६—वादी प्रार्थी है कि प्रतिवादी उस जमीन में कोई और पेड़ काटने या और किसी से पेड़ कटवाने से, अदालती हुक्म से रोक दिया जावे। (यहाँ पर नक़द मुआवज़ा दिलाने की प्रार्थना भी की जा सकती है)।

(२) मालिक की पट्टे व क़बूलियत के ऊपर नालिश

१—ता०......के रजिस्ट्री किये हुये पट्टे से मुद्दई ने एक मंज़िल पक्की दूकान जिसकी चौहद्दी नीचे लिखी हुई है स्थित बाज़ार .... शहर......मुद्दायलह को ७ साल के लिये किराये पर दी।

२—मुद्दायलह ने उसी तारीख को किरायेदारी की निस्बत क़बूलियत लिखदी और रजिस्ट्री करा दी और उसमें हर महीने की अन्तिम तारीख को २५) रुपया मासिक के हिसाब से किराया देना इक़रार किया।

३—मुद्दायलह दूकान पर किरायेदार की हैसियत से क़ाबिज़ है और उसके ऊपर किराया इस भाँति बाक़ी है—

ता०......से लेकर ता०... तक, कुल.........महीने का २५) रुपया मासिक की दर से......रुपया।

४—क़बूलियत में लिखी हुई शर्त के अनुसार मुद्दायलह बक़ाया रुपये पर १२ आना सैकड़ा माहवारी के हिसाब से सूद पाने का हक़दार है।

(३) मालिक के वारिस की तरफ़ से किराये की नालिश

(सिरनामा)

मुद्दैया निम्नलिखित निवेदन करती है:—

१—क़स्बा जट्टारी परगना टप्पल में मुद्दैया की एक मंज़िल पक्की और कच्ची दूकान (जिसकी चौहद्दी नीचे लिखी हुई है) स्थित है और झण्डावाली के नाम से मशहूर है।

२—यह दूकान मुद्दैया के पति तेजराम ने ख़रीदी और बनवाई थी और उसका सामने का थोड़ा सा हिस्सा मुद्दैया ने कुछ दिनों से पक्का बनवा लिया है।

३—इस दूकान पर कई किराये दार मुद्दैया के पति की तरफ़ से बैठते और किराया अदा करते रहे।

४—ता० ...... ई० से मुद्दायलह उस दूकान पर १०) रुपया माहवारी के हिसाब से मुद्दैया के पति की तरफ से किरायेदार था और समय समय पर मुद्दैया के पति को किराया अदा करता रहा। ता० ...... को मुद्दायलह ने किराये में ५०) रुपया मुद्दैया को अदा किये और आगे के लिये ता०......से किराया—बजाय १०) रुपये के ८) रुपया माहवार—मुद्दैया से मंजूर करा लिया।

५—मुद्दायलह के ऊपर हिसाब से.........रुपया किराये की बाबत बाक़ी है।

६—बिनायदावी हर माह की ता० २२ को किराया वाजिब होने के दिन से पैदा हुई। मुद्दैया बतौर हरजा बक़ाया रुपये पर एक रुपया सैकड़ा मासिक के हिसाब से सूद पाने की हक़दार है।

७—मुद्दैया प्रार्थी है कि बक़ाया किराया व सूद का......रुपया मय खर्चा नालिश व सूद दौरान व आइन्दा रुपया वसूल होने के दिन तक उसको मुद्दायलह की ज़ात व जायदाद से दिलाया जावे।

(४) अवधि समाप्त होने पर मालिक की दख़ल और किराये के लिये नालिश।

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी ने एक मंज़िल कच्चा नौहरा स्थित मौज़ा.........परगना......... प्रतिवादी को ता०.........की रजिस्ट्री युक्त क़बूलियत से ३ साल के लिए १५) मासिक किराये पर दिया और किराया हर मास देना ठहरा।

२—यह ३ साल ता०.........को खतम हो गई।

३—प्रतिवादी के ऊपर ६ महीने का किराया ता०.........से ता०...... तक बाकी है।

४—वादी जायदाद पर दखल और बक़ाया किराया पाने का अधिकारी है और उसको किरायेदारी समाप्त होने के दिन से दखल मिलने के दिन तक हरजाना दिलाया जावे।

६—दावे के कारण—

७—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि :—

(अ) उसको दखल दिलाया जावे।

(ब) ६०) रुपया शेष किराया दिलाया जावे।

(क) दखल मिलने तक का हरजाना दिलाया जावे।

(५) नोटिस देने के बाद किराये व दखल की नालिश

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—मुद्दई की एक दो-खनी दूकान जो कि सब्जी मंडी शहर कोल में स्थित है ता०...... से २२) रुपया मासिक किराये पर मुद्दायलह के पास है।

२—मुद्दायलह ने एक किरायेनामा ता०......को मुद्दई के नाम लिख दिया था जो पेश किया जाता है।

३—मुद्दायलह के ऊपर ४ महीने का किराया ४८) रुपया शेष है। मुद्दई को, मुद्दायलह को किरायेदार रखना मंजूर नहीं है और उसने मुद्दायलह को एक नोटिस भी दे दिया है।

४—मुद्दायलह नोटिस देने पर भी दूकान खाली नहीं करता और न किराया अदा करता है। मुद्दई दूकान पर दखल और किराये का रुपया पाने का हक़दार है।

५—बिनायदावी, दखल के बाबत नोटिस की अवधि समाप्त होने के दिन से और किरायेदारी ख़तम होने के दिन से, पैदा हुई, और किराये की बाबत हर महीने की ११ तारीख से स्थान कोल में पैदा हुई।

६—दावे की मालियत अदालत के अधिकार व कोर्ट फीस के लिये वार्षिक किराया १४४) रुपया और बक़ाया ४८) रुपया कुल १६२) रुपया है।

७—मुद्दई प्रार्थी है :—

(अ) कि उसको ऊपर लिखी दूकान जिसकी चौहद्दी नीचे दर्ज है, पर दखल दिलाया जावे।

(ब) ४८) रुपया बक़ाया किराया मय खर्च नालिश व सूद दिलाया जावे।"

(६) मुर्तहिन का राहिन किरायेदार के ऊपर, जायदाद के दख़ल के लिये दावा

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ता० २५ अक्तूबर सन् १६—ई० के लिखे हुये दखली रहननामे से मुद्दायलह ने एक मंजिल पक्की दूकान स्थित किनारी बाज़ार आगरा जिसके चारों चौहद्दी नीचे लिखी हुई है मुद्दई के पास दख़ली रहन की और उसी तारीख को किराया नामा लिख कर मुद्दायलह ने यह दूकान मुद्दई से किराये पर ले ली और उसमें मुद्दई की मर्जी के अनुसार माह ब़माह किरायेदार की हैसियत से क़ाबिज रहा।

२—मुद्दायलह की किरायेदारी ता० ...... के नोटिस से २५ नवम्बर सन् १६—ई० को समाप्त हो गई।

३—मुद्दई उस दूकान पर दखल पाने का हक़दार है।

४ बिनायदावी (ता० २५ नवम्बर सन् १६— ई० करायेदारी खतम होने के दिन से)।

५—दावे की मालियत (एक साल का किराया)।

६—मुद्दई प्रार्थी है कि उसको ऊपर लिखी दूकान पर मुद्दायलह को बेदखल कराकर दखल दिलाया जावे।

(७) मालिक की दखल व किराये के लिये नालिश

१—ता०......के लिखे हुये किरायेनामे से प्रतिवादी ने मकान नम्बरी ५४ खुशहाल पर्वत इलाहाबाद वादी से २५) रुपया मासिक किराये पर ३ साल के लिये ता०......से लिया और उसमें रहने लगा।

२—किरायेनामे में यह शर्त है कि प्रतिवादी मासिक किराया हर महीने की पहिली तारीख को अदा करता रहेगा और किसी महीने का किराया बाक़ी रहने पर वादी को, प्रतिवादी को बेदखल करने का अधिकार होगा।

३—प्रतिवादी अभी तक मकान में किरायेदार की तरह रह रहा है उसने ता०...... तक का किराया अदा किया और ता० ......तक का किराया बाक़ी है जो प्रति वादी अदा नहीं करता।

४—वादी मकान पर दखल पाने का और बक़ाया किराया और हरजा पाने का हक़दार है। वादी ने प्रतिवादी को किरायेदारी खतम करने का नोटिस दे दिया है।

(८) मिल्कीयत इन्कार करने पर दखल की नालिश

१—प्रतिवादी नीचे लिखी हुई जायदाद का वादी और वादी के पूर्वजों की तरफ़ से किरायेदार है और इसी हैसियत से उस पर क़ाबिज़ है।

२—ता०......ई० तक इस जायदाद का किराया १२५) रुपया वार्षिक प्रतिवादी वादी को अदा करता रहा।

३—उसके बाद से प्रतिवादी ने वादी को किराया देना बन्द कर दिया और अब वादी को इस जायदाद का मालिक होने से इन्कार करता है और अपने आपको मालिक बतलाता है।

४—वादी इस जायदाद पर दखल पाने का दावेदार है और प्रतिवादी को किरायेदारी खतम करने और जायदाद खाली कराने की नीयत से क़ानूनी नोटिस दे चुका है।

५—बिनाय दावी (मिलकियत इन्कार करने के दिन से)।

(९) दुखल व किराये के लिये एवज़ी किरायेदार पर नालिश

(सिरनामा)

मुद्दई निम्न लिखित निवेदन करता है :—

१—मुद्दई का वालिद मुहम्मद अहमद एक मंजिल अहाता नं०..... वाक़य छावनी मेरठ का मालिक था।

२—ता० ......ई० के लिखे हुये किराये के इक़रारनामे (पट्टा या क़बूलियत) से मुहम्मद अहमद ने यह अहाता ७) रुपये मासिक पर मुहम्मद बक्स नामी एक आदमी को ७ साल के लिये किराये पर उठाया। किराया हर महीने देना ठहरा था।

३—मुहम्मद बक्स उस अहाते पर काबिज़ रहा और मुद्दई के पिता को किराया अदा करता रहा। बाद को उसने ता०......को बैनामा लिख कर अपने किरायेदारी के हक़ूक़ मुद्दायलह के नाम कर दिये। उस वक्त से मुद्दायलह जायदाद पर क़ाबिज़ हो गया और मुहम्मद अहमद को किराया अदा करता रहा।

४—मुहम्मद अहमद का ता० ......को इन्तकाल हो गया। अकेला मुद्दई उसका वारिस और आहाते का मालिक है।

५—ता०......ई० को मुद्दई ने मुद्दायलह को नोटिस दिया कि वह अहाते को ता० ..... तक खाली कर देवे।

६—मुद्दायलह ने मुद्दई को अहाते पर दखल नहीं दिया और दखल देने से इन्कार करता है और उस पर अनुचित रूप से क़ाबिज़ है।

७—मुद्दायलह ने ता०......ई० तक का किराया अदा कर दिया है उसके बाद का किराया उस पर बाक़ी है।

८—बिनाय दावा बाबत दखल, किरायेदारी खतम होने के दिन, ता०...... को और बक़ाया किराये की बाबत पिछले हर महीने की १० ता० को पैदा हुई।

९—दावे की मालियत—

१०—मुद्दई प्रार्थी है कि :—

(क) अहाते पर दखल दिलाया जावे।

(ख)......रुपया बक़ाया किराया दिलाया जावे।

(ग) ता०......ई० से दखल मिलने के दिन तक दरम्यानी मुनाफा दिलाया जावे।

(१०) किरायेदार की, मालिक पर, क़ब्जे के लिये नालिश

१—ता०......के रजिस्ट्री किये हुये पट्टे से मुद्दायलह ने एक मंज़िल पक्का मकान स्थित मुहल्ला सराय खिरनी शहर फतेहपुर १५) रुपया मासिक किराये पर ता०......से ७ साल के लिये मुद्दई को किराये पर दिया और इक़रार किया कि मुद्दई (उसके उत्तराधिकारी

या उसके कायम मुकामों) के, उपर लिखा हुआ किराया देते रहने पर इक़रारी अवधि तक उनके दखल और कब्ज़े में वह मकान रहेगा और मुद्दालयह या उसके उत्तराधिकारी व क़ायम मुकाम या उसके द्वारा से उसके साझी या दावीदार, वादी के कब्ज़े व दखल में किसी तरह की रुकावट या मदाखलत न कर सकेंगे (पट्टे में जो कुछ शर्त हो वह लिखनी चाहिये) ।

२—मुद्दई ने उसी तारीख़ को मकान की किरायेदारी मन्ज़ूर करली और मुद्दायलह के नाम क़बूलियत लिख कर रजिस्ट्री करा दी ।

३ – मुद्दायलह उस मकान का पूरी तौर पर मालिक नहीं था और वह ७ साल के लिये उसको किराये पर मुद्दई के हाथ नहीं उठा सकता था ।

४—पट्टे व क़बूलियत के लिख जाने के बाद महावीर प्रसाद मुद्दायलह के सगे भतीजे ने एक दावा इस मुक़द्दमे के दोनों फरीकैन पर मकान के पट्टे व दखल की मसूखी के लिये इस बिनाय पर किया कि वह मकान एक मुश्तर्का खानदान की जायदाद है जिसके मुद्दायलह व महावीर प्रसाद सदस्य हैं और अकेले मुद्दायलह को, बिना महावीर प्रसाद की सहमति जायदाद को ७ साल के पट्टे पर देने का कोई अधिकार नहीं था ।

५—यह दावा पहिली अदालत से मुद्दायलह की जवाबदही करने पर भी ता० . . . . . .को डिग्री हुआ और अपील से ता० ....को वह फैसला बहाल रहा ।

६—इस फैसले के बमूजिब महावीर प्रसाद ने बजरिये अदालत मुद्दई को ता०...... ...को बेदखल करके ख़ुद दखल ले लिया ।

७ – मुद्दई मकान में रहने और उसके इस्तेमाल से रोक दिये जाने पर हरजा पाने का हकदार है।

(११) मालिक की किरायेदार पर मरम्मत न कराने पर नालिश

१—ता०......को प्रतिवादी ने वादी से एक मंज़िल कच्चा व पक्का मकान स्थित मदार दरवाज़ा अनूपशहर......रुपया मासिक पर ३ साल के लिये किराये को लिया और उसमें स्वंय रहने लगा ।

२—किरायेदारी के बाबत वादी ने प्रतिवादी के नाम रजिस्ट्री किया हुआ पट्टा और प्रतिवादी ने वादी के नाम रजिस्ट्री की हुई क़बूलियत लिखाई । असली क़बूलियत नालिश के साथ दाखिल की जाती है ।

३—क़बूलियत में शर्तें यह हैं :—

(१) यह कि जब तक वह किरायादार प्रतिवादी उस मकान में रहेगा अपने व्यय से मकान की हर वर्ष मरम्मत कराता रहेगा और उसको रहने के योग्य रक्खेगा ।

(२) मौजूद मकानात को किसी तरह बदल नहीं सकेगा और न उनकी हालत को किसी प्रकार से बिगड़ने देगा ।

४—प्रतिवादी ने इन शर्तों के विरुद्ध मकान की २ वर्ष से सफेदी और मरम्मत नहीं कराई जिस कारण उसकी छतें खराब हो गई हैं और चूती हैं, जगह जगह पर दीवाल और फर्श का पलस्तर उखड़ गया है और बावर्चीखाने की दो कड़ियाँ टूट गई हैं इसके अलावा प्रतिवादी ने एक खिड़की जो हवा व रोशनी के लिये सड़क की तरफ थी निकलवा दी है और उस जगह को बहुत भद्दी तरह ईंटों से बन्द करा दिया है और मकान की दशा बिल्कुल खराबकर रक्खी है।

(१२) किरायेदार की मालिक पर हरजे की नालिश

१—ता०........को प्रतिवादी ने एक रजिस्ट्री युक्त दस्तावेज लिख कर वादी को मकान नं०.........स्थित......शहर...... साल के लिये कुछ शर्तों पर किराये पर दिया और प्रतिवादी ने वायदा किया कि वादी और उसके कायम मुकाम इस मुद्दत तक उस मकान पर उचित रूप पर बिला एतराज काबिज रहेंगे।

२—वादी को नालिश का अधिकार देने के लिये जिन जिन शर्तों का तोड़ना आवश्यक था वह तोड़ी गईं।

३—ता०......को इकरारी अवधि के अन्दर रामनरायन, उस मकान के असली मालिक ने वादी को उस मकान से निकलवा दिया और उसको अब तक कब्जा नहीं देता।

४—इस वजह से वादी अपना दर्जीगीरी का पेशा उस मकान में नहीं कर सकता और वहाँ से निकल जाने में उसका......रुपया व्यय हुआ और (अ—ब—क इत्यादि) का काम उसके हाथ से जाता रहा।

२१-दस्तावेज़ों की तरमीम या मन्सूखी

(Rectification and Cancellation of Documents)

किसी नीति-पत्र या दस्तावेज़ के संशोधन (तरमीम) की आवश्यकता जब उत्पन्न होती है जब कि उस दस्तावेज़ से उसके दोनों पक्षों का वह अभिप्राय प्रगट न होता हो-जो कि उसके लिखने में उनका उद्देश्य था। यदि ऐसी त्रुटि किसी एक पक्ष की ग़लती या असावधानी से उत्पन्न हुई हो तो साधारण प्रकार से उस नीति-पत्र का संशोधन नहीं हो सकता। परन्तु यदि वह नीति-पत्र दोनों पक्षों की ग़लती या उनके भ्रम से उत्पन्न हुआ हो तो उसका संशोधन अदालत से कराया जा सकता है और ठीक ऐसीही दशा में यह कहा जा सकता है कि वह उभयपक्ष की अभिप्राय व इच्छा को उचित रूप से प्रगट नहीं करता।

यदि एक ही पक्ष कोई भूल कर रहा हो और ऐसी भूल दूसरे पक्ष के धोखे या असत्यवर्णन इत्यादि के कारण उत्पन्न हुई हो तभी वह दस्तावेज़ के संशोधन कराने या उसके खंडित कराने का दावा कर सकता है। यदि एक पक्ष दूसरे पक्ष से कोई दस्तावेज़ बलपूर्वक, अनुचित दबाव, धोखा या फरेब अथवा असत्य वर्णन से लिखा लेता है या कोई पक्ष दस्तावेज़ लिखने के समय अवयस्क (नाबालिग़) अथवा विवेक हीन (फ़ातिरुल-अक़्ल) होता है तब उसके विरुद्ध वह दस्तावेज़ पूर्णरूप से या अंश रूप से जैसी दशा हो व्यर्थ या प्रभाव रहित होता है और वह पक्ष उसके संशोधन कराने या खंडित एलान किये जाने का दावा कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई प्रतिज्ञा बिना बदल या अपूर्ण बदल के होवे अथवा किसी साधारण नीति के विरुद्ध होवे जैसे जूए की हार के बदले में दस्तावेज़ लिखाना इत्यादि, यह भी ऐसे कारण हैं जिनसे दस्तावेज़ की तरमीम या मन्सूख़ी कराई जा सकती है।

यदि दावा तरमीम कराने का हो तो वादी को अर्ज़ीदावे में फ़रीक़ैन की असली मन्शा, और यह कि वह दस्तावेज़ में उचित प्रकार से तहरीर नहीं की गई और इन दोनों में क्या फ़र्क़ है दिखाना चाहिये। यह अन्तर किस प्रकार से हुआ (धोखे से या ग़लती से हुआ हो तो दोनों फ़रीक़ैन ने ग़लती की हो) और उससे वादी को जो हानि हुई हो या होने का भय हो वह भी दिखाना चाहिये।

किसी दस्तावेज़ को मन्सूख़ या खंडित कराने के लिये वादी को दो बातें दिखानी चाहिये (१) यह कि दस्तावेज़ खंडित है या उसको खंडित करने का वादी को अधिकार प्राप्त है। (२) यह अगर दस्तावेज़ इसी हालत में छोड़ दिया जाय तो वादी को बहुत हानि पहुँचने का भय है। (दफ़ा ३९ क़ानून दादरसी ख़ास)। इसलिये अर्ज़ीदावे में यह बातें होना आवश्यक हैं—

(१) दस्तावेज़ का संक्षिप्त बयान।

(२) वह वाक़यात जिनसे वह मन्सूख़ किया जा सकता है।

(३) दस्तावेज़ मनसूख़ न कराने पर वादी को क्या हानि हो सकती है।

दस्तावेज़ मनसूख़ कराने के लिये स्पष्ट रूप से प्रार्थना करनी चाहिये, सिर्फ़ इस्तक़रार कराना हर जगह काफ़ी नहीं होता। यदि दस्तावेज़ से दख़ल भी दे दिया गया है तो अदालत वादी को दख़ल की दरख़्वास्त करने पर मजबूर कर सकती है।

मियाद—दस्तावेज़ की तरमीम के लिये दावा तीन साल के अन्दर उस तारीख़ से जब कि वादी को दोनों पक्षों की ग़लती अथवा अन्य पक्ष के धोखे, असत्य वर्णन इत्यादि का ज्ञान हुआ[1] जहाँ, दावा दस्तावेज़ की मन्सूख़ी के लिये हो और

1. Articles 95 and 96 Limitation Act

ऐसा दस्तावेज़ खंडित या बेअसर न हो तो तीन साल की होती है ।[1] परन्तु यदि वह दस्तावेज शुरू से ही वादी के विरुद्ध खंडित और बे असर हो तो तीन साल की मियाद लागू नहीं होती क्योंकि वादी उस दस्तावेज को बिना मन्सूख कराये भी दखल या अन्य उचित प्रार्थना का दावा कर सकता है और ऐसी दशा में मियाद ६ साल की होती है यदि वादी और उसके पूर्वाधिकारी दस्तावेज़ में फरीकैन हो[2] वसीयत नामे की मन्सूखी के लिये भी मियाद ६ साल की होती है ।[3]

कोर्टफीस—यदि दावा सिर्फ इस्तकरार का हो कि अमुक रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज़ मुद्दई के विरुद्ध काल अद्म और बे असर है और अन्य कोई प्रार्थना की गई हो (consequential relief) तो दफा १७ (३) कोर्ट फीस ऐक्ट के अनुसार नियत कोर्ट-फीस लगता है[4] लेकिन यदि दस्तावेज़ की मन्सूखी की भी प्रार्थना की गई हो तो आर्टिकल १ परिशिष्ट १ कोर्ट फीस ऐक्ट के अनुसार मालियत पर कोर्ट फीस लगाना चाहिये ।[5]

(१) भूल के आधार पर प्रतिज्ञा मनसूख कराने के लिये, दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ता०.........को प्रतिवादी ने वादी से यह बयान किया कि एक क़िता भूमि क्षेत्रफल ता० .....बीघा स्थित..... प्रतिवादी की है ।

२—वादी को उस जमीन को... ....रुपया में खरीदने के लिये यह झूँठा विश्वास दिलाया गया कि वह बयान सच है और वादी ने एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर कर दिये जो कि इस नालिश के साथ दाखिल किया जाता है । उस ज़मीन का किवाला वादी के नाम नहीं लिखा गया ।

३—ता० .....को वादी ने प्रतिवादी को कुछ .....रुपया उसकी कीमत के बाबत अदा कर दिये ।

४—यह ज़मीन असलियत में केवल ५ बीघे निकली ।

५—बिनाय दावा—

६—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(अ) ...... रुपया मयसूद ता० ....से दिलाया जावे ।

(ब) वह इक़रारनामा वापिस करा दिया जावे और मनसूख कर दिया जावे ।

---

1 Article 91 Limitation Act ; I L. R 50 All 510 , A. I R 1928 All 268

2 22 I. A 171 ; A I R 1926 Lah 635

3 Art 120 Limitation Act , 51 I C 943.

4 1935 L J R 869 F B. ; A I. R. 1935 All. 817.

5 I.L R. 5 Luck 235.

(२) धोखे से कराई हुई प्रतिज्ञा की मनसूखी के लिए

१—वादी १० बीघे पक्की भूमि नं०......स्थित मौजा नूरपुर तहसील फ़तेहाबाद जिला आगरा का मालिक और ज़मीदार है।

२—यह मौजा वादी के निवास स्थान से लगभग ३ मील की दूरी पर है और रेल या पक्की सड़क न होने से वादी का वहाँ आना जाना बहुत कम होता है।

३—वादी की यह ज़मीन बहुत घटिया दरजे की है, जिसको चिरस्थाई कृषक गैर मौरूसी किसान) बहुत कम लगान पर जोता बोया करते हैं।

४—प्रतिवादी ने इस ज़मीन के मोल लेने के लिये उसके मुनाफे के लिहाज से (जो कि सरकारी मालगुजारी देने के बाद लगान से वसूल होता है) ता०......को ..... रुपया में, वादी से खरीदारी का मुआहिदा किया।

५—इस मुआहिदे की बाबत वादी ने एक इक़रारनामा प्रतिवादी के नाम लिख कर उसी तारीख को उसके हवाले कर दिया।

६—वादी को मालूम हुआ है कि उस ज़मीन में ३ फिट की गहराई पर एक बहुमूल्य कोयले की खान है जिसका मुआहिदे के समय वादी को कोई ज्ञान नहीं था। प्रतिवादी को कोयले का वहाँ मौजूद होना मालूम था और वादी के पीछे उसने भूमि को जगह जगह पर खोद कर यह अच्छी तौर पर निश्चय कर लिया था। मुदायलह ने यह बात वादी को नहीं बताई और उसको जान बूझकर धोखे में रक्खा।

७—उक्त प्रतिज्ञा प्रतिवादी ने जान बूझकर धोखे के साथ कराई थी और वादी पर माननीय नहीं है।

(३) बेहोशी की दशा में लिखाये हुये वसीयतनामे को मनसूख कराने के लिए दावा

(सिरनामा)

मुदइया नीचे लिखी अर्ज करती है :

१—मुदइया के पिता लालसिंह बहुत सी जायदाद, शहरी व जमींदारी के, मुरादाबाद के ज़िले में मालिक व क़ाबिज़ थे।

२—उक्त लालसिंह का ८० साल की उम्र में ता० १६ जून १९......ई० को देहान्त हो गया।

३—लालसिंह के कोई औलाद नहीं थी और उनकी स्त्री श्रीमती राजकुँवर उन्हीं के सामने मर चुकी थी। केवल मुदैया उनकी पुत्री उनकी मृतक सम्पति (मतरुका) की मालिक और क़ाबिज़ हुई और अब भी है।

४—लालसिंह को बहुत दिनों से बवासीर का रोग था और अधिक आयु होने

के कारण से उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। उनकी बुद्धि ठीक नहीं थी और उनको अपने हानि लाभ का कोई ज्ञान नहीं रहा था।

५—मुद्दइया अधिकतर उन्हीं के पास रहती थी परन्तु जून के आरम्भ में अपनी ससुराल, श्यारोल ज़िला शाहजहाँपुर एक शादी में चली गई थी।

६—मुद्दइया की अनुपस्थित में लालसिंह को बुखार आ गया और वाय की हालत हो गई। मरने से २—३ दिन पहिले वह बिल्कुल बेहोश हो गये थे और यह बेहोशी की हालत मरते समय तक रही। मुद्दायलहम ने जो लालसिंह के परिवारी हैं मुद्दइया की अनुपस्थिती और उनकी बेहोशी का अनुचित लाभ उठाकर चालाकी से कातिब और गवाहों को मिलाकर लालसिंह की तरफ से अपने नाम एक वसीयतनामा तैयार कराया और सब-रजिस्ट्रार को धोखा देकर उसकी रजिस्ट्री करा ली।

७—असलियत में लालसिंह ने कोई वसीयतनामा अपनी खुशी व रज़ामन्दी से अपने आप, होश हवास की हालत में मुद्दायलहम के नाम नहीं लिखा। और न १४ जून सन् १९......ई० को जिस रोज़ कि उस वसीयतनामे की रजिस्ट्री होना दिखाई गई है, उक्त लालसिंह शारीरिक व मानसिक दुर्बलता से और बुखार व वाय की बेहोशी से, अपने हानि लाभ को सोच समझ कर अपनी सम्पत्ति का प्रबन्ध कर सकते या वसीयत नामा लिख सकते थे।

८—मुद्दइया मृतसम्पत्ति (मतरुका) पर क़ाबिज है परन्तु मुद्दायलहम उसको तरह तरह की धमकी बेदखल करने और हानि पहुँचाने की देते हैं और एक गाँव की बाबत मुद्दायलहम नं० १ ने वसीयतनामे के आधार पर अदालत माल में अपना नाम दाखिल होने के लिये ता०......को दरख्वास्त दे दी है।

९—इस वसीयतनामे के बिना मंसूख किये हुए पड़ा रहने से मुद्दैया को आगे हानि का डर है।

१०—बिनायदावी, ता० १७ जुलाई सन् १९......ई० मुद्दायलहम के, धोखे की कारर्वाई मालूम होने की दिन से और ता०......को मुद्दायलह नं० १ की, अपना नाम दाखिल करने की दरख्वास्त देने के दिन से स्थान......में अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई।

११—दावे की मालियत अदालत के अधिकार हेतु कुल सम्पत्ति की मालियत ......रुपया है और कोर्ट फीस......रुपया पर दिया गया है।

मुद्दइया प्रार्थी है कि :—

(अ) ता० १५ जून सन् १९......ई० का रजिस्ट्री किया हुआ वसीयतनामा जो कि मुद्दइया के पिता लालसिंह का लिखा दिखाया गया है काट दिया जावे और मनसूख कर दिया जावे।

(ब) इस नालिश का खर्च मय सूद दिलाया जावे।

(५) झूँठे बयान और धोखे से लिखाये हुये दस्तावेज़ की मनसूखी के लिये परदा नशीन स्त्री का दावा

१—वादी एक अनपढ़ और परदा नशीन औरत है।

२—प्रतिवादी वादी का भाई है और बहुत दिनों से वादी की ओर से उसके हिस्से की जायदाद का प्रबन्ध और तहसील वसूल करता था।

३—वादी को हर तरह से प्रतिवादी पर विश्वास और भरोसा था और उस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था।

४—लगभग दो साल पहिले प्रतिवादी ने वादी से कहा कि जायदाद के सुप्रबन्ध और निगहबानी के लिए वादी की तरफ से प्रतिवादी के नाम एक लिखे हुए पत्र की आवश्यकता है जिससे हर प्रकार के अधिकार प्रतिवादी को दे दिये जावें।

५—वादी ने प्रतिवादी के बयान को उचित और सच समझ कर एक दस्तावेज़ पर जो प्रतिवादी ने ऊपर लिखे अभिप्राय के लिये लिखा हुआ बतलाया, अपने अँगूठे का निशान लगा दिया और प्रतिवादी ने उसकी रजिस्ट्री वादी को परदे में बैठा कर, झूँठा बयान करके धोखे से करा ली।

६ वादी को उस दस्तावेज़ की तहरीर, उसके लिखने के या रजिस्ट्री के समय नहीं समझाई गई और न उसका मतलब व कानूनी असर बतलाया गया और न उसको किसी रिश्तेदार या और अन्य मनुष्य की सलाह मिली। वादी ने प्रतिवादी पर विश्वास होने के कारण उसके बाबत कोई सन्देह नहीं किया।

७—लगभग २ महीने हुए कि वादी के पास अदालत माल से उसके हिस्से की जायदाद के बाबत एक दाखिल खारिज़ का नोटिस आया। उस समय वादी को प्रतिवादी की ईमानदारी पर सन्देह हुआ और पूँछ ताछ करने पर मालूम हुआ कि प्रतिवादी ने प्रबन्ध अधिकार पत्र के बजाय वादी के हिस्से की बाबत त्याग पत्र (दस्तबरदारी) अपने नाम लिखा लिया है और उसके आधार पर वह अनुचित रीति से वादी के हिस्से की जायदाद को लेना चाहता है।

८—असलियत में वादी ने प्रतिवादी के नाम अपने हिस्से का कोई (त्याग पत्र) नहीं लिखा और न अपने हिस्से का किसी तरह पर त्याग किया।

९—वादी अपने हिस्से पर अभी तक काबिज़ है।

१०—वह दस्तावेज़ बिना मनसूख किये पड़े रहने पर वादी को दाखिल खारिज के मुक़दमे में हानि पहुँचने का और आगे चल कर हानि होने का भय है।

(६) अनुचित दबाव डाल कर पर्दा नशीन स्त्री से लिखाये हुये दस्तावेज़ की मनसूखी के लिये दावा

१—वादी के पति के दादा, सुखदेव १० बीघा १८ बिस्वा पक्की भूमि समापुर परगना व तहसील कोल का, जोकि खाता खेवट न० ३ मुहाल सुखदेव में दर्ज है, अकेला मालिक और काबिज था।

२—लगभग ३२ साल हुये होंगे कि सुखदेव का देहान्त हो गया। वादी के पति लेखराजसिंह का पिता दलीपसिंह जोकि सुखदेव का लड़का था उसी के सामने मर चुका था इसलिये अकेला लेखराजसिंह उस सम्पत्ति का मालिक हुआ।

३—लगभग ११ साल हुये होंगे कि लेखराजसिंह भी बिना औलाद छोड़े मरगया और वादी उस जायदाद पर अपने पति की अकेली उत्तराधिकारिणी होने के कारण मालिक और काबिज़ हुई लेकिन कौटुम्बिक प्रतिष्ठा और आपसी प्रीति के कारण लेखराजसिंह की माता लाल कुँवर का नाम वादी के नाम के साथ साथ माल के कागज़ों में दर्ज हो गया।

४—वादी एक अनपढ़ और परदा नशीन स्त्री है उसको यह मामले समझने की योग्यता और बुद्धि नहीं है और वह श्रीमती लालकुँवर के बुढापे और सास होने के कारण उसके काबू और दबाव में रहती थी।

५—वादी के पति लेखराजसिंह के कुटुम्ब के लोग वादी के उत्तराधिकारी होने की वजह से उससे रंज मानते हैं और तरह तरह की मुक़दमे बाज़ी स्वयं करते और अन्य आदमियों से कराते हैं।

६—वादी की सास श्रीमती लालकुँवर और वादी एक ही मकान में रहती हैं। प्रतिवादी लालकुँवर का भतीजा है और वादी और लालकुँवर के पास आता जाता था और घर के काम में मदद देता था।

७—प्रतिवादी ने वादी के साथ सहानुभूति प्रगट की और वादी को यह विश्वास दिलाया कि वह वादी का शुभचिन्तक और भला चाहने वाला है और यदि वादी उसको मुख्तारआम नियत करदे तो वह उसको उसके पति के कुटुम्ब के लोगों के हमलों से बचावेगा और उनसे मुक़ाबला करने में उसकी बहुत सहायता करेगा और कोई झगड़ा न होने देगा।

८-मुसम्मात लालकुँवर ने प्रतिवादी के इस बयान को सहारा दिया और वादी को प्रतिवादी का मुख्तारआम रखने को राज़ी किया और वादी प्रतिवादी के नाम मुख्तारनामा लिखने के लिये तैयार हो गई।

९—प्रतिवादी ने मुख्तारनामा लिखने के बहाने से वादी के अँगूठे का निशान एक कागज़ पर लगवाया और वादी ने प्रतिवादी के कहने पर उसकी रजिस्ट्री करादी लेकिन वादी को उस पत्र का तात्पर्य न पढ कर सुनाया गया और न समझाया गया।

१०—लगभग २० दिन हुयें होंगे कि वादी को यह खबर हुई कि उसके साथ धोखा किया गया है और उससे नीचे लिखी जायदाद के बाबत एक रहननामा प्रतिवादी ने अपने नाम लिखा लिया है।

११—वादी ने इसके बाद रजिस्ट्री के दफ्तर से पता लगवाया और नक़ल ली तो मालूम हुआ कि प्रतिवादी ने एक सादा रहननामा ३०००) रुपया का नीचे लिखी जायदाद के बाबत १७ मई सन्......१९......ई० को वादी की तरफ से लिखा लिया है।

१२—वादी को रहननामा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी और न उसने असलियत में कोई रहननामा लिखा और न कोई बदले का रुपया वादी ने लिया। रहननामे के लिखवाने और रजिस्ट्री करवाने की सब कारखाई प्रतिवादी ने धोखा और फरेब से की है।

१३—इस दस्तावेज के बिना मनसूख हुये पड़े रहने से वादी को भविष्य में हानि पहुँचने का भय है।

(७) धोखे से लिखाये हुए दस्तावेज़ को मनसूख कराने के लिये दावा

१—वादी के पति ठाकुर टीकमसिंह का १९—ई० में देहान्त हुआ और वादी उनकी उत्तराधिकारी की हैसियत से अपने पति की कुल मृत सम्पत्ति (मतरुका) पर मालिक और क़ाबिज़ हुई।

२–प्रतिवादी नं० १ ठाकुर टीकमसिंह का सगा भाई है। दोनों भाई अलग अलग रहते थे और उनका कारोबार और जमींदारी व खेती सब अलग अलग थी और ठाकुर टीकमसिंह का अलहदगी की हालत में देहान्त हुआ।

३ सितम्बर १९...... ई० में प्रतिवादी नं० १ ने प्रतिवादी नं० २ के नाम अपने आप एक इकरारनामा लिखा और उसके लिखने और रजिस्ट्री के समय वादी को यह धोखा देकर कि वह इक़रारनामा तालिबनगर की जमींदारी के प्रबन्ध की सहूलियत के लिये (जो कि वादी और प्रतिवादी नं० १ का साझे का अविभाजित महल है) लिखाया जाता है वादी को अपने साथ शामिल कर लिया और उसने प्रतिवादी नं० १ के कथन पर विश्वास करके उस पर हस्ताक्षर कर दिये और उसकी रजिस्ट्री करा दी।

४—अब वादी को मालूम हुआ है कि वह इकरारनामा ऊपर लिखे अभिप्राय के लिये नहीं लिखाया गया और अनावश्यक है और उसमें निम्नलिखित शब्द लिखे गये—

"टीकमसिंह, और शेरसिंह एक़ अविभक्त कुल (मुश्तर्का खानदान) के सदस्यों की हैसियत से शामिल और शरीक थे और जायदाद ज़मींदारी और सब कारबार उनका शामिल था।"

५—प्रतिवादी नं० २ प्रतिवादी नं० १ का आदमी है और दोनों का आपस में एका है।

६—वादी एक अनपढ़ और पर्दा नशीन स्त्री है वह यह बातें समझने की योग्यता नहीं रखती न उसके पास इस योग्य कोई मनुष्य था कि जिससे वह सलाह कर सकती। प्रतिवादी ने वादी की पुत्री के पति और उसके काम की देख भाल करने वाले ठाकुर केवलसिंह को मिलाकर चालाकी से इकरारनामा लिखवाया। वादी उसको न अच्छी तरह से सुन सकी और न अच्छी तरह से समझी।

७—प्रतिवादी नं० २ ने इकरारनामे के आधार पर कोई कारवाई नहीं की और न उसकी कोई ऐसी इच्छा मालूम होती है परन्तु प्रतिवादी नं० ३ का दफा नं० ४ में दिये हुये शब्दों को प्रयोग में लाने और मृतक टीकमसिंह की सम्पत्ति का अपने आप को मालिक दिखाने के लिये इरादा मालूम होता है।

८—इकरारनामा वर्तमान दशा में रहने से वादी को उसके हक घटने और किसी समय उसको उससे हानि पहुँचने का भय है।

(८) धोखे से लिखाये हुये दस्तावेज के संशोधन के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—देवबन्द जिला सहारनपुर के मुहल्ला सैयदवाड़े में एक पक्की हवेली और उसी से मिली हुई चार दूकानों का वादी मालिक था। हवेली के दरवाजे के, दो दूकान पश्चिम और दो दूकान पूरब की ओर थीं।

२—वादी ने ६ जून १९.... ई० के बैनामे से हवेली और पूरब की दो दूकान ६०००) रु० प्रतिवादी के हाथ बेच दी।

३—बैनामे का मसौदा प्रतिवादी के कहने से लिखा गया। उसने उसमें गलती या धोखे से बै की हुई जायदाद की तफसील इस तरह से लिखवाई है जिससे दो दूकान के बजाय चारों दूकान बैनामे में शामिल होती हैं।

४—वादी को बैनामे के लिखे जाने और रजिस्ट्री के समय प्रतिवादी की यह कारवाई मालूम नहीं हुई। वादी ने प्रतिवादी की ईमानदारी पर भरोसा करके बै की हुई जायदाद की तफसील और हद्दों को ध्यान से नहीं देखा।

५—पश्चिमी दो दूकानों पर जो बै नहीं की गई, वादी अभी तक काबिज है परन्तु बैनामा के बिना संशोधित पड़े रहने से वादी को हानि पहुँचने और झगड़े में पड़ने का डर है।

६—विनायदावी (धोखे की कारवाई मालूम होने के दिन से)।

७—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि ६ जून १६—ई० के बैनामे में बै की हुई जायदाद की तफसील और उसकी सरहद्दों का इस तरह से संशोधन किया जावे कि जिससे हवेली के दरवाजे की पश्चिम ओर वाली दो दूकान उसमें शामिल न हों (या जिससे केवल हवेली और पूर्वी दो दूकानों का बै होना प्रकट होवे)।

२२—प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति (तामील मुख़तस)

(Specific Performance of Contract)

किसी मुआहदे या प्रतिज्ञा की पूर्ति न होने पर, प्रतिज्ञा भंग करने वाले से, अदालत उस प्रतिज्ञा का पालन करा सकती है अथवा उसके विरुद्ध दूसरे पक्ष को उसका हर्जा दिला सकती है। बहुत सी प्रतिज्ञाएँ ऐसी होती हैं जिनकी विशेष पूर्ति के लिये अदालत प्रतिज्ञा भङ्ग करने वाले पक्ष को आज्ञा देती है कि वह अपनी प्रतिज्ञा का पालन करे और ऐसा न करने पर, अदालत उसकी ओर से उस कार्य की पूर्ति करती है और वह उभय पक्ष पर इसी प्रकार माननीय होता है जैसे कि प्रतिज्ञा भङ्ग करने वाले पक्ष ने उस कार्य को किया हो।

साधारण प्रकार से ऐसे दावे किसी पक्ष के विक्रय-पत्र, रेहन या पट्टा इत्यादि की प्रतिज्ञा कर देने के बाद दूसरे पक्ष के हित में न दस्तावेज़ लिखने पर दायर किये जाते और वादी के सफल हो जाने पर अदालत वह बयनामा, रेहन नामा या पट्टा प्रतिवादी की ओर से खुद मुद्दई के हक में लिखती है जिसकी विधि जाब्ता दीवानी के संग्रह में दी गई है।

कानून दादरसी खास (Specific Relief Act) की भिन्न भिन्न धाराओं का ध्यान रखते हुए ऐसी नालिशें तैयार करनी चाहिये। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि मुआहिदा या प्रतिज्ञा जिसका पालन कराना लक्ष्य हो उसकी अदालत से विशेष पूर्ति हो सकती हो। अर्जी नालिश में मुद्दई को अपनी ओर से कुल शर्तों को, जो कि नियत की गई हों हर समय पूरा करने के लिये तत्पर होना दिखाना चाहिये। यदि प्रतिज्ञा कर्ता से किसी अन्य पुरुष ने जायदाद को किसी परिवर्तन द्वारा प्राप्त कर लिया हो तो उसको प्रतिज्ञा का ज्ञान होना अर्जीदावे में लिखना आवश्यक होता है वरना उसके विरुद्ध वादी विशेष पूर्ति की डिगरी का अधिकारी नहीं होता।

प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति (तामील मुख़तस) के लिये अर्जीदावे में वह सब बातें लिखना आवश्यक हैं जो कि सम्पत्ति की बिक्री के बारे में लिखना होती हैं (देखो नोट पद १३)।

यदि चल सम्पत्ति की बिक्री के बाबत मुआहदे को विशेष पूर्ति करने का

दावा करना हो तो उनको बहुमूल्य या विशेषता अर्जीदावे में दिखाना चाहिये नहीं तो दफा १२ कानून दादरसीखास के अनुसार विशेष पूर्ति के बजाये मुआवजा दिलाया जाता है।

मुकदमे के फ़रीक़—इन मुकदमों में जिन मनुष्यों के मध्य प्रतिज्ञा हुई हो, या उनके उत्तराधिकारी अथवा वह पुरुष जिनसे वह प्रतिज्ञा पालन कराई जा सकती हो उचित पक्ष होते हैं और इनके अतिरिक्त अन्य फ़रीक नहीं बनाये जा सकते। क्रय की प्रतिज्ञा में खरीदार अपने हक़ का परिवर्तन कर सकता है और परिवर्तन गृहीता विशेष पूर्ति का दावा कर सकता है।[1] अन्य फरीक जो ऐसे दावे कर सकते हैं या जिनके विरुद्ध ऐसे दायर किये जा सकते हैं कानून दादरसी खास की दफे २३ व २७ में दिये गये हैं।[2]

मियाद—जहाँ पर प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिये कोई समय नियत हो तो दावा नियत समय के तीन साल बाद तक होना चाहिये। यदि कोई ऐसा नियत समय न हो तब तीन साल की अवधि की गणना उस समय से की जाती है जब कि प्रतिज्ञा की पूर्ति से इन्कार किया गया हो या वादी को ऐसी इन्कारी का ज्ञान हुआ हो। रजिस्ट्री किये हुए मुआहिदे के तामील के लिये भी मियाद ३ साल की है।[3]

कोर्ट-फीस—इन दावों पर कोर्ट-फीस कानून कोर्ट-फीस की दफा ७ (१०) के अनुसार लगती है।[4]

डिग्री—मुआहिदे की विशेष पूर्ति की डिगरी की विशेषता यह होती है कि ऐसी डिगरी से दोनों पक्ष लाभ उठा सकते हैं और उसकी इजराय वादी और प्रतिवादी दोनों ही करा सकते हैं।[5]

* (१) बिक्री करने के मुआहिदे की तामील के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—तां०.........के लिखे हुये इकरारनामे से प्रतिवादी ने वादी से इकरारनामे

---

1. 26 A L J 196.
2. Secs. 23 and 27 Specific Relief Act.
3. Art. 113 Limitation Act, I. L. R. 31 Mad 452.
4. Sec 7 (X) Court Fees Act.
5. I. L. R 59 Cal 601; 46 Bom. 990; 55 Mad 796

* नोट—यह शिड्यूल १ परिशिष्ट (अ) जाब्ता दीवानी का नमूना नम्बर ४७ है। इसी सिलसिले में भाग १३ के नमूने १ व २, जो दावा तामील के बजाय हर्जे की हो देखने योग्य हैं।

में लिखी हुई जायदाद को........रुपया में मोल लेने (या बेचने) का इक़रार किया।

२—वादी ने प्रतिवादी से प्रार्थना की कि वह अपनी तरफ से उस इक़रारनामे को पूरा करे परन्तु उसने ऐसा नहीं किया।

३—वादी अपनी तरफ से इक़रारनामे की तामील के लिये तैयार और राज़ी रहा और अब भी यह बात प्रतिवादी अच्छी तरह से जानता है।

४—दावे का कारण—

५—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि प्रतिवादी को हुक्म दिया जावे कि वह इकरारनामे की तामील करे और वह सब काम पूरे करे जो कि वादी को उस जायदाद पर पूरा कब्ज़ा देने के लिये आवश्यक हों (या उसी जायदाद का कब्ज़ा क़बूल करे) और नालिश का खर्चा दे।

(२) इसी तरह का दूसरा दावा

१—ता०......को वादी और प्रतिवादी ने इक़रारनामा लिखा जो दाखिल किया जाता है, इक़रारनामे में लिखी हुई जायदाद का प्रतिवादी मालिक था।

२- ता०......को वादी ने......रुपया प्रतिवादी को पेश किया और प्रार्थना की कि प्रतिवादी उस सम्पत्ति को उचित दस्तावेज़ लिख कर वादी के नाम कर दे।

३—ता०......को वादी ने दुबारा यही प्रार्थना प्रतिवादी से की (या प्रतिवादी ने वादी के नाम जायदाद दस्तावेज़ लिख कर करने से इन्कार किया)।

४—प्रतिवादी ने अभी तक कोई प्रिवर्तन पत्र (दस्तावेज़ इन्तक़ाली) नहीं लिखा।

५—वादी अब भी प्रतिवादी की सम्पत्ति के लिये निश्चित रुपया देने को तैयार और राज़ी है।

(३) खरीदारी का मुआहिदे की तामील के लिये दावा

१—ता०......जून १६—ई० को स्थान सिकन्दराराऊ में प्रतिवादी ने नीचे लिखी हुई अपनी हक़ीयत को वादी के हाथ २२०००) रुपया में बेचने का मुआहिदा किया।

२—यह कि उसी तारीख को प्रतिवादी ने प्रामेसरी नोट (रुक्का) लिख कर १५००) रु० बैनामे का स्टाम्प खरीदने इत्यादि खर्च के लिये वादी से लिये और मुआहिदे की याददाश्त लिख कर वादी के हवाले कर दी जो दाखिल की जाती है। यह याददाश्त इक़रारनामे के समान है प्रतिवादी ने उस पर अनुचित रूप से एक आने का टिकट लगाया है। वादी उस पर कमी और दंड देकर उसको गवाही में पेश करते हैं।

३—बैनाने के रुपयों में से प्रामेसरी नोट का १५००) रुपया और एक किता डिगरी सिविल वर्की अलीगढ़, लाला विशम्भर सहाय डिगरी दार बनाम सालेह मुहम्मदखाँ का रुपया मुबरा होना ठहरा था और देवकीनन्दन तेजपालसिंह और गोवर्धन ऋण देने वालों का रुपया अदा करना और बकाया रुपया रजिस्ट्री के समय नक़द देना ठहरा था। प्रतिवादी ने एक हफ्ते के अन्दर बैनाने की तकमील करने का वायदा किया था।

४—वादी मुआहिदा के अनुसार बैनामा कराने और रुपया देने को तैयार रहा और अब भी है। प्रतिवादी की बेईमानी करने की इच्छा है और वह बैनाने की पूर्ती करने में टाल टूल करता है और वादी के बार बार कहने पर भी वह बैनामा लिखने और उसकी पूर्ती करने को तैयार नहीं होता।

(बादगाद का विवरण)

(४) इसी प्रकार का सुलहनामे के आधार पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी का मकान मुहल्ला मानूमानला में है जिसके पिछवाड़े पूरब की ओर कुछ ज़मीन खाली पड़ी हुई है।

२—इस ज़मीन की मिलकियत और उस पर नाली निकलने की बाबत फरीकैन में कुछ झगड़ा था और आपस में मुकदमा चलकर उसकी अपील जारी थी।

३—ता० १ मार्च सन् १६—ई० को अदालत के सामने फरीकैन में यह क़रार पाया कि वह ज़मीन (२४ फी० लम्बी ३ फीट चौड़ी) जोकि नक्शे में लाल लकीर से दिखाई गई है प्रतिवादी १००) रुपया में वादी के नाम बै कर दे और २०) रुपया बयाने के प्रतिवादी ने तभी से लिये, बक़ाया रुपया रजिस्ट्री के समय देना क़रार पाया और यह भी इक़रार हुआ कि प्रतिवादी वादी के नाम सुलहनामे के अनुसार १ सप्ताह के अन्दर बैनामा लिख दे।

४—वादी उस बैनाने को पूरा कराने और रजिस्ट्री के समय बक़ाया ८०) रुपया देने के लिये तैयार रहा और बार बार प्रतिवादी से बैनाने की पूर्ति के लिये कहा। वह बैनाने को पूरा करने और रजिस्ट्री कराने से इन्कार करता है।

५—विनायदावा (पूर्ण करने का अन्तिम तक़ाना करने के दिन से)।

६—दावे की मालियत (१००) रुपया)।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) मुआहिदे की तकमील के लिये प्रतिवादी को हुक्म हो कि ऊपर

लिखी ज़मीन का बैनामा वादी के नाम मार्च १६— ई० के तस्फ़ियानामे के अनुसार लिख दे और उसको रजिस्ट्री करा देवे।

(ब) उसकी तकमील और रजिस्ट्री के बाद उस जमीन पर वादी को दखल दिलाया जावे।

(क) नालिश का खर्च मय सूद दिलाया जावे।

(५) खरीदार का वेचने वाले पर, प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिये

१—ता० १० जनवरी १६—ई० में नीचे लिखी हुई ज़मीन को, वादी ने प्रतिवादी के हाथ वेचने का इक़रार किया और उसकी क़ीमत पचायत और आपस की रज़ामन्दी से २१५०) रुपया नियत हुई, इस रुपया मे से १५०) रुपया प्रतिवादी ने वादी से रसीद लेकर अदा कर दिये और वाकी रुपया बैनामे की रजिस्ट्री के समय जो कि पंच ने १० मार्च सन् १६—ई० को क़रार दी वादी को देना ठहरा और ऐसा न करने पर ५००) रुपया प्रतिवादी से वादी को दिलाना पंच ने तजवीज किया।

२—वादी ने प्रतिवादी की रज़ामन्दी से उस जमीन का बैनामा १० मार्च १६—ई० को २५) रुपया के स्टाम्प के ऊपर लिखवा दिया और प्रतिवादी से बक़ाया २०००) रुपया देने और बैनामे की रजिस्ट्री कराने को कहा।

३—प्रतिवादी ने १० मार्च १६—ई० को बक़ाया रुपया देने और बैनामे की रजिस्ट्री कराने का वायदा किया। वादी उनके पास उस तारीख को गया लेकिन वह टाल टूल करने लगे इसलिये मजबूर होकर वादी ने उनको तार दिया और दफ्तर रजिस्ट्री में बैनामे की रजिस्ट्री के लिये अर्जी पेश की और ३½ बजे तक वहाँ हाज़िर रहा लेकिन प्रतिवादी हाज़िर नहीं हुये और न रुपया लाये और वेईमानी से वादी को एक भूँठा नोटिस दे दिया कि उसने आपसी सुलहनामे के अनुसार बैनामा लिखवा कर पूरा नहीं किया।

४—प्रतिवादी ने जान बूझ कर इक़रार तोड़ा और बैनामे की रजिस्ट्री नहीं कराई और न रुपया अदा किया, वादी बैनामे की रजिस्ट्री कराने को हर समय तैयार रहा और अब भी है लेकिन प्रतिवादी बक़ाया २०००) रुपया देने को तैयार नही हुए और न अब है।

५—वादी बैनामे की तकमील कराने और बक़ाया २०००) रुपया प्रतिवादी से पाने का हक़दार है और वह १० जनवरी १६—ई० के आपसी सुलहनामे से ५००) रुपया हरजे के भी प्रतिवादी से पाने का हक़दार है।

६—बिनायदावी (१० मार्च १६—ई० बैनामे की रजिस्ट्री न करने के दिन से)।

(६) खरीदार का बेचने वाले और परिवर्तन से पाने वाले पर तामील के लिये दावा

बअदालत—

नम्बर ..

लाला चिरजीलाल...... . .. वादी।

बनाम

तोताराम प्रतिवादी नं० १ व लल्लूसिंह प्रतिवादी नं० २।

वादी निवेदन करता है :—

१—यह कि प्रतिवादी नं० २ लल्लूसिंह, हरदेवसिंह व सुन्दरसिंह के साथ खाता खेवट नं० ५, कुल ४० बीघा १० बिस्वा पुख्ता भूमि स्थित हाथरस में से ६ बीघा १७ बिस्वा का मालिक था।

२—यह कि ता० १४ नवम्बर १९ — ई० को प्रतिवादी नं० २ ने हरदेवसिंह व सुन्दरसिंह के साझे में एक दवामी पट्टा ८ बीघा १६ बिस्वा पुख्ता भूमि १८६) रुपया के लगान की अपनी ६ बीघा १७ बिस्वा भूमि को सम्मिलित करके केशवदेव मैनेजर श्रीबलदेव मिल कम्पनी के नाम लिख दिया और वह ज़मीन केशवदेव के अधिकार में मिल बनाने के लिये कर दी।

३—यह कि बलदेव मिल कम्पनी ने उस ज़मीन पर मिल तैयार की लेकिन कम्पनी के फेल हो जाने से वह मिल वादी और कई हिस्सेदारों ने साझे में खरीद ली। यह मिल मय उस ज़मीन के वादी के कब्ज़े में है और अब उसका नाम फूलचन्द बागला मिल रक्खा गया है।

४—यह कि नवम्बर १९—ई० में प्रतिवादी नं० २ ने कुल भूमि ८ बीघा १६ बिस्वा में से अपने आधे हिस्से को बेचने की इच्छा प्रकट की और वादी से ।≶)।।। आना सैकड़ा लाभ पर बिक्री का मामला तै होकर २० नवम्बर १९—ई० को बैनामे का मसौदा भी तैयार हो गया और प्रतिवादी ने बयाने के ४००) रुपया वादी से लेकर बै करने के लिये इक़रारनामा लिख दिया।

५—यह कि तोताराम प्रतिवादी नं० १ ने वादी के नाम इस इक़रारनामे की खबर पाकर प्रतिवादी नं० २ को बहका कर ८ दिसम्बर १९—ई० को एक विक्रयपत्र अपने नाम लिखा लिया और झगड़ा और मुकदमेबाज़ी फैलाने की नीयत से वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक रुपया इस बैनामे में लिखवा लिया।

६—यह कि प्रतिवादी नं० १ को वादी के बै करने के मुआहिदे का, जिसके आधार पर २० नवम्बर १९—ई० का इक़रारनामा लिखा गया, अच्छी तरह से ज्ञान था।

७—प्रतिवादी नं० १ के नाम का बैनामा, वादी के विक्रय करने के इक़रार

का ज्ञान और सूचना होते हुये हुआ है और वह वादी के विरुद्ध बिल्कुल बेअसर है।

८—वादी ने प्रतिवादी नं० २ से कई बार उस भूमि का बैनामा लिखने और उसकी तकमील करके रजिस्ट्री कराने और इक़रारनामे में लिखे हुये हिसाब के अनुसार बैनामा का रुपया लेने के लिये कहा लेकिन वह इस ओर ध्यान नहीं देता और टाल टूल कर देता है।

९—विनायदावी—(२० नवम्बर १९—ई० वादी के नाम इकरारनामा लिखने और ८ दिसम्बर १९—प्रतिवादी के नाम बैनामा लिखने के दिन से पैदा हुई)।
वादी प्रार्थी है कि :—

(अ) २० नवम्बर १९—ई० के लिखे हुये इक़रारनामे की तामील की जावे और अदालत की डिगरी से प्रतिवादी को हुक्म हो कि वह १ मास के अन्दर आधे हिस्से का, (८ बीघा १६ बिस्वा पक्की आराजी जो कि ६ बीघा १७ बिस्वा के साथ खाता खेवट नं० ५ में दर्ज है) बैनामा लिख दे।

(ब) इस नालिश का व्यय वादी को दिलाया जावे।

(७) बिक्री की निश्चय प्रतिज्ञा से सूचित बिक्री कर्त्ता और खरीदार के ऊपर दखल के लिये दावा

बअदालत...... ....
नम्बर मुकदमा... ....
नरायनसिंह.........वादी।

बनाम

१—श्यामलाल.........प्रतिवादी, प्रथम पक्ष।

२—नजीरहसन उर्फ़ मुहम्मद नजीरअहमदखाँ
३—मुसम्मात तलूकी।
४—मुसम्मात हरा।
} प्रतिवादी, द्वितीय पक्ष।

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है—

१—प्रतिवादी ने अपनी नीचे लिखी हुई हक्कीयत ६२५) रुपया में वादी के हाथ बेचने का मुआहिदा किया और १९ जौलाई, १९—ई० को बैनामा तैयार कर दिया। २५०) रुपया वादी ने अदा कर दिये और २७५) रुपया रजिस्ट्री के समय देना क़रार पाये बक़ाया १००) रुपया पहिले मर्तहिन (रहन ग्रहीता) को देने के लिये वादी के पास छोड़े गये और दो एक दिन में रजिस्ट्री कराने का वायदा किया

२—बाद को उस हक्क़ीयत का अधिक मूल्य मिलने लगा और प्रतिवादी न० २ की नीयत में बेईमानी आ गई। उसने बैनामे की रजिस्ट्री कराने में टाल टूल की और वादी जबरदस्ती उसकी रजिस्ट्री करने को तैयार हुआ।

३—प्रतिवादी न० २ ने वादी का यह इरादा जान कर, वह हक्क़ीयत आपस में साजिश से एका करके प्रतिवादी नं० १ के नाम ४ अगस्त १९......ई० को बैनामा लिख कर बेच दी और प्रतिवादी नं० १ ने पहिले मुआहिदे से सूचित होते हुये भी बेईमानी से हक्क़ीयत अपने नाम बै-कराली।

४ वादी मजबूर होकर अपने बैनामे को रजिस्ट्री के लिये ७ अगस्त १९......ई० को दफ्तर सब-रजिस्ट्रार अलीगढ में पेश किया लेकिन प्रतिवादी नं० २ ने उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई।

५—वादी ने रजिस्ट्रार अलीगढ से जबरन रजिस्ट्री कराने का हुक्म लेकर अपने नाम लिखे हुये बैनामे की ३१ मार्च १९—ई० को रजिस्ट्री कराली और उसका बेची हुई जायदाद के ऊपर पूरा अधिकार हो गया और वह उस जायदाद का मालिक़ है।

६—प्रतिवादी न० १ ने, वादी के नाम बिक्री होने का ज्ञान और सूचना होते हुये भी बेईमानी और प्रतिवादी न० २ से मिल कर वादी हानि पहुँचाने के लिये यह जायदाद मोल ले ली है और बैनामे में क़ीमत का रुपया झूँठा लिखा है। उस बैनामे का वादी के विरुद्ध कोई असर नहीं है और वादी जायदाद पर दखल और वासलत पाने का प्रतिवादी से हक़दार है।

७—विनायदावी (बैनामा लिखे जाने के दिन यानी २९ जौलाई १९......ई० को पैदा होकर रजिस्ट्री के दिन यानी १३ मार्च १९.....ई० को हुई)।

८—दावे की मालियत—(बैनामे का ६५०) और ५०) रु० वासलात कुल ७००) रुपया अदालत के अधिकार के लिये है और कोर्ट फीस मालगुजारी से ५ गुने .. रु० पर.... रु० दी गई है।

वादी प्रार्थी है कि :—

(अ) नीचे लिखी हुई जायदाद पर प्रतिवादी को बेदखल कराकर वादी को दखल दिलाया जावे।

(ब) ५०) रुपया सन् १३.. ...फसली के बाबत वासलात, प्रतिवादी से दिलाया जावें।

(क) इस नालिश का खर्चा दिलाया जावे।

(ख) मुक़दमे के हालत देखकर अगर और कोई दादरसी आवश्यक समझी जाय तो दिलाई जावे।

(८) प्रतिज्ञा की पूर्ती के लिये परिवर्तनकर्ता और खरीदार के ऊपर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—यह कि ता० १७ अप्रैल १६......ई० को स्थान हाथरस में प्रतिवादी फरीक अव्वल ने एक पक्की बनी हुई एक मजिला हवेली का जो कि मुहल्ला लखपतीगंज हाथरस में थी और जिसकी चौहद्दी नीचे दी हुई है १४०००) रु० में वादी के हाथ बेचना तै किया और बयाने का १०००) रु० लेकर उस हवेली की बाबत इकरारनामा इस शर्त पर लिख दिया कि एक महीना के अन्दर हवेली का विक्रयपत्र प्रतिवादी नम्बर १, वादी के नाम लिख कर बाकायदे रजिस्ट्री कर देगा और बकाया रुपया रजिस्ट्री के समय वादी से वसूल कर लेगा।

२—प्रतिवादी नम्बर १ से बैनामे की पूर्ति करने और रजिस्ट्री कराने और बकाया रुपया लेने के लिये बार बार कहा गया लेकिन वह टालटूल करता रहा।

३—यह कि इसके बाद प्रतिवादी नम्बर १ ने ता० २१ जौलाई सन् १६......ई० को उस हवेली का बैनामा लोभ में आकर १६०००) रु० में प्रतिवादी नम्बर २ के नाम कर दिया और उसने वादी के नाम हवेली बेचने के मुआहिदे से सूचित होते हुये भी उसको अपने नाम बै करा लिया।

४—यह कि प्रतिवादी नम्बर २ के हक़ में लिखा हुआ बैनामा पहिली बिक्री का ज्ञान होते हुए किया गया है वह वादी के विरुद्ध बिल्कुल बेअसर है और वादी उस पहिले मुआहिदे की तकमील व तामील कराने का दोनों प्रतिवादी के विरुद्ध हक्कदार है।

५—प्रतिवादी नं० १ से मुआहिदे की तामील और जायदाद पर दखल देने और बकाया १३०००) रुपया लेने को कहा गया लेकिन वह ध्यान नहीं देता।

६—विनायदावी १७ अप्रैल सन् १६......ई० मुआहिदे के दिन से और २१ जौलाई सन् १६......ई० प्रतिवादी नम्बर २ के नाम बैनामा लिखे जाने के दिन से पैदा हुई।

७—दावे की मालियत (इकरारी कीमत यानी १४०००) रुपया है)।

वादी प्रार्थी है—

कि वादी के नाम बै करने के मुआहिदे की तामील करा दी जावे और जायदाद के ऊपर दखल दिला दिया जावे।

२३-२६—रहन की नालिशें

२३-नीलाम के लिये दावे

रेहन कई प्रकार के होते हैं। रेहन सादा या दृष्टि-बन्धक (Simple mortgage) विक्रय-तुल्य रेहन, (Mortgage by conditional sale) रेहन भोग बन्धक या रेहन दखली, (Usufructuary or possessory mortgage) रेहन अङ्गरेज (English mortgage) रेहन बहवालगी सम्पत्ति-स्वत्व पत्र (Mortgage by deposit of title deeds) और अनियमित रेहन (Anomolous mortgage).

इसी तरह से रेहन से सम्बन्ध रखने वाली नालिशें भी कई प्रकार की होती हैं।

यहाँ पर वह नीचे लिखे चार भागों में दी गई है।

नं० २३—नीलाम, (Sale)

नं० २४—बैबात (प्रतिषेध— Foreclosure)

नं० २५—इनफिक्काक (रहन छुटाना—Redemption) और

नं० २६—राहिन व मुरतहिन की अन्य नालिशें।

रहन का कानून बहुत कठिन और गूढ़ है और यहाँ पर विस्तार पूर्वक उसके ऊपर लेख नहीं लिखा जा सकता। वकील को चाहिये कि ऐसी नालिशों में अर्जीदावा लिखने से पहिले सम्पत्ति परिवर्तन विधान (Transfer of property Act) की उचित धाराओं को अच्छी तरह देखे।

नीलाम की नालिश तभी की जा सकती है जब कि मुद्दई को आड़ की हुई जायदाद के विक्रय से रहन-धन प्राप्त करने का अधिकार हो। यह अधिकार प्रायः दृष्टिबन्धक (जिसको रेहन सादा, रेहन किफालती या आड़ भी कहते हैं) से प्राप्त होता है और रेहन-धन के लिये नालिश तभी की जा सकती है जब कि रेहन नामे में लिखी हुई शर्तों के अनुसार रेहन ग्रहीता को रेहन का रुपया पाने का अधिकार पैदा हो जाता है[1]।

इन नालिशों में रेहन की तारीख, रेहन कर्ता व रेहन ग्रहीता का नाम, रेहन का रुपया, सूद की दर रेहन की हुई जायदाद का विवरण और वह तारीख जब कि रेहन का रुपया अदा होने के योग्य हो गया लिखनी चाहिये। यदि मुद्दई या मुद्दाअलेह का हक़ किसी परिवर्तन से प्राप्त हुआ हो अथवा एक से अधिक परिवर्तन हों तो उनका भी संक्षिप्त बयान होना चाहिये और ऐसे परिवर्तन ग्रहीताओं को मुक़दमें में फरीक़ बनाना चाहिये।

नीलाम के लिये दावे में पहिला मुर्तहिन जरूरी फरीक नहीं होता और जायदाद उस रहन के आधीन नीलाम की जा सकती है लेकिन आर्डर ३४

1. A. I. R. 1929 P C 189; 1936 Pat 211; 1927 All. 341; I. L. R. 8 Luck. 488

नियम १२ के अनुसार अदालत मुर्तहिन की रजामन्दी से जायदाद को बिना किसी भार के नीलाम कर सकती है।

यदि किसी पाश्चात् रहन ग्रहीता का वादी के रहन से, किसी हिस्से की बाबत हक़ मुख्य हो तो वादी रुपया अदा कर देने पर नीलाम के लिये दावा कर सकता है। यदि वादी किसी हिस्से के बारे में उसका हक़ स्वीकार करे तो उसको वह हिस्सा रहन से छुटाना चाहिये। ऐसी हालत में इनफिकाक के लिये कोर्ट फीस देनी पड़ती है।

नीलाम, बैबात व, इनफिक़ाक के सब दावों में रहन का पूरा विवरण जैसा कि अपेन्डिक्स (अ) ज़ाप्ता दीवानी के नमूनों में दिया हुआ है देना चाहिये। इनफिक़ाक के दावे में रहन छुटाने के लिये यदि और कोई शर्त हो तो वह भी लिखनी चाहिये। राहिन और मुर्तहिन के स्वत्व जो जायदाद के परिवर्तन से पैदा हुये हों पृथक २ देना चाहिये। यदि रहन की हुई जायदाद की तफसील बटवारे या बन्दोबस्त से बदल गई हो तो अर्जीदावे में जायदाद का पहिला और नया विवरण दोनों दिखाना होता है।

। रुपया का हिसाब अर्जीदावे के आखीर में तफसीलवार देना चाहिये और यदि रहन दखली हो तो आमदनी व खर्च का हिसाब भी दिखाना होता है।

हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के विरुद्ध रहन के दावों में यदि जायदाद रहन-कर्ता की पैदा की हुई हो तो कुटुम्ब के और सदस्यों को फरीक़ नहीं बनाना चाहिये क्योंकि राहिन के सिवाय औरों के विरुद्ध विनाय दावा पैदा नहीं होता। परन्तु जब जायदाद मुश्तर्का खानदान की हो, जिसमें कि और मेम्बरों का भी हक़ हो तब ही ऐसे मेम्बर फरीक़ बनाने चाहिये और वह घटनाएँ जिनसे वह रहन के पाबन्द हों अर्जीदावे में लिखना चाहिये। जैसा कि राहिन खानदान का कर्ता था या रहन से खानदान को फायदा पहुँचा या कि कुटुम्ब के हेतु रहन करना आवश्यक था या कि किसी पहिले कर्ज की अदायगी के लिये रहन किया गया था।

जहाँ पर पहिले कर्ज की बेबाकी के लिये अविभक्त कुल की जायदाद रहन की गई हो वहाँ पर यह दिखाना कि ऐसा कर्जा आवश्यक था जरूरी होता है परन्तु यदि वह कर्जा (१) पिता ने ले लिया हो, (२) सदस्यों की रजामन्दी से लिया गया हो या (३) रहन के समय तक किसी सदस्य का जन्म न हुआ हो तो कर्ज की आवश्यकता दिखाने की जरूरत नहीं होती।

रहन ग्रहीता यदि चाहे तो बिना और मेम्बरों को फरीक़ बनाये हुये ही रहन कर्ता के विरुद्ध दावा कर सकता है। ऐसा करने में भी कर्ज की आवश्यकता नहीं दिखानी पड़ती क्योंकि रहन कर्ता यह नहीं कह सकता कि वह रहन

करने का अधिकारी न था परन्तु यदि और कोई मेम्बर रहन पर आक्षेप करना चाहे तो फरीक बनने के लिये दरख्वास्त दे सकता है।

यदि आड़ की हुई सम्पत्ति के नीलाम से रेहन का कुल रुपया बेबाक न हो और रेहन में रेहन कर्ता की जाती जिम्मेदारी का इक़रार हो तब व्यक्तिगत डिगरी के लिये भी प्रार्थना की जा सकती है। इस विषय पर भिन्न भिन्न हाईकोर्टों में कुछ मतभेद है कि अर्जीदावे में ऐसी प्रार्थना लिखना आवश्यक है या नहीं[1] इसमें सन्देह नहीं कि जब तक डिगरी में जायदाद नीलाम होकर रेहन का रुपया बकाया न रहे तब तक इस प्रकार की प्रार्थना करना व्यर्थ होता है। परन्तु ऐसी प्रार्थना दावे में लिख देने से कोई हर्ज नहीं होता और दूसरे पक्ष को एक तरह से सूचना हो जाती है कि वादी रेहन का पूरा रुपया जायदाद से न वसूल होने पर जाती डिगरी से वसूल करना चाहता है। जाब्ता दीवानी संग्रह में दिये हुये नमूनों में भी इस प्रकार की प्रार्थना उपस्थित है।[2]

यदि रेहन-ग्रहीता रेहन की जायदाद का कुछ भाग खरीद लेवे और रेहन का रसदी रुपया बकाया जायदाद से वसूल करना चाहे या कोई रेहन-कर्ता रेहन का कुल रुपया अदा करके अन्य-रेहन कर्ताओं से उनके हिस्से का रुपया वसूल करना चाहे, इन दोनों दशाओं में भी नालिश नीलाम की होती है और इस पुस्तक में दिये हुये नमूने उचित संशोधन के साथ काम में लाये जा सकते हैं। उनमें वे घटनाएँ जिनसे रसदी का हक़ पैदा हो लिखना चाहिये।[3]

इसी प्रकार से जिन जमानत नामों में (लगनक-पत्रों में) अचल सम्पत्ति आड़ की जाती है वह सादा रेहन के तुल्य होते हैं और उनके अर्जीदावे भी इसी प्रकार से तैयार करने चाहिये।

मियाद—रजिस्ट्री किये हुए रेहन नामों के ऊपर नीलाम या प्रतिषेध (बैबात) की नालिशें रुपया अदा हो जाने के योग्य होने की तारीख से १२ साल के अन्दर होनी चाहिये। यदि जाती डिगरी की भी प्रार्थना हो तो दावा ६ साल के अन्दर दायर किया जावे।[4]

कोर्ट-फीस—कुल रेहन-धन पर, मूल और उसका सूद जिसका दावा किया जावे उस पर पूरी कोर्ट-फीस लगती है।

डिगरी—रेहन के दावों में प्रायः दो प्रकार की डिगरियाँ हुआ करती हैं। पहली प्रारम्भिक और इसके बाद दोनों पक्षों में हिसाब किताब हो जाने पर

---

1 See I L R 57 All. 797, A. I R. 1933 Oudh 520, 1924 Lah 132 35 L. W 559 P. C

2. Form No 45 App A, Sch 1 C P C,

3 A I R 1935 All 263 and 391, 1931 Pat 164,

4 Articles 129 and 189 Limitation Act

दूसरी अन्तिम। प्रारंभिक (इब्तदाई या Preliminary) डिगरी हो जाने पर साधारण प्रकार से ६ महीने का अवकाश या जो समय अदालत उचित समझे दिया जाता है और इसके बाद अन्तिम डिगरी प्रस्तुत की जाती है। नीलाम की नालिशों में प्रारम्भिक डिगरी आर्डर ३४ नियम ४ के अनुसार और अन्तिम (Final या कतई) डिगरी आर्डर ३४ नियम ५ संग्रह जाब्ता दीवानी के अनुसार प्रतिषेध (बैबात या Foreclosure.) के दावों में प्रारम्भिक डिगरी आर्डर ३४ नियम २ और अन्तिम डिगरी आर्डर ३४ नियम ३ के अनुसार और रेहन छुड़ाने के दावों में प्रारम्भिक डिगरी आर्डर ३४ नियम ७ के और अन्तिम नियम ८ के अनुसार प्रस्तुत की जाती है।

नोटः—भिन्न भिन्न दशाओं में नीलाम की नालिशों में क्या क्या लिखना चाहिये यह नीचे दिये हुये नमूनों के पढ़ने से ज्ञात होगा। इन नमूनों में कहीं पर मुकदमें का पूरा सिरनामा कहीं पर विवरण पूर्ण घटनायें और कहीं पर पूरी दादरसी, पाठक की जानकारी के हेतु लिख दी गयी हैं।

२३—नीलाम

*(१) नीलाम की साधारण नालिश का नमूना

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—यह कि प्रतिवादी की ज़मीन का वादी रहन ग्रहीता (मुर्तहिन) है।

२—रहन का विवरण इस भाँति है—

(अ) रहन की तारीख—

(ब) रहन कर्ता और रहन ग्रहीता का नाम—

(क) रहन के ऊपर कितना रुपया लिया गया—

(ख) सूद की दर—

(ग) रहन की हुई जायदाद—

(घ) रुपया जो इस समय रहन पर निकलता है—

(च) यदि वादी को अन्य प्रकार से स्वत्व मिला हो तो सक्षिप्त रूप से वर्णन करना चाहिये कि वादी किस हैसियत से दावेदार है।

(अगर वादी कब्ज़ा समेत रहनदार के हो तो यह भी लिखना चाहिये कि—)

---

* नोट—यह नमूना शिडयूल १ अपेन्डिक्स (अ) जाब्ता दीवानी का नमूना नम्बर ४५ है।

३—वादी ने रहन की हुई सम्पत्ति पर ता० ..... को कब्ज़ा पाया और ता० ..... से रहनदार की हैसियत से काबिज़ है।

४—बिनाय दावा—

५—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(क) दावा का मतालबा जो कुछ प्रतिवादी पर हो दिलाया जावे और उसके अदा न होने पर (जहाँ आर्डर ३४ कायदा ६ लागू होता हो) जायदाद को नीलाम किया जावे।

(ख) नीलाम की कीमत से यदि वादी का रुपया बेबाक न हो तो वादी को आज्ञा दी जावे कि वह शेष रुपया के लिये डिगरी जारी कर सके।

(२) रहन ग्रहीता के उत्तराधिकारी की ओर से, रहन कर्ता के उत्तराधिकारी पर, सम्पति के नीलाम की नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—यह कि अमरसिंह नामक एक पुरुष प्रतिवादी की भूमि का मुर्तहिन था रहन की तफसील नीचे दर्ज है—

(अ) रहन की ता० —२३ जौलाई सन् १६...ई० ।

(ब) रहन करने वाले का नाम —केसरीराय मुर्तहिन —अमरसिंह ।

(क) तादाद रुपया २००) रु० ।

(ख) ब्याज १॥) रु० सैकड़ा मासिक हर छठवें महीना देना करार पाई और छमाही सूद न देने पर सूद दर सूद देना ठहराया।

(ग) रहन की हुई सम्पत्ति की तफसील—३ हिस्सा मवाजी ४७ बीघा पुख्ता आराज़ी ८५) मुन्दर्जा खाता खेवट नम्बर ५ मुश्तर्का रामप्रसाद इत्यादि दीगर वाके मौज़ा हरकीगढी परगना पटला तहसील खैर, केवलसिंह नम्बरदार।

(घ) रकम जो वाजिबउल अदा है—मुबलिग़ १५६४) रुपया।

२—दस्तावेज का असली मालिक अमरसिंह एक अविभक्त हिन्दू कुल का सदस्य था और कुटुम्ब के अविभक्त होते हुए उसका देहान्त हो गया। वादी शेषाधिकारी होने की वजह से उसका मालिक और नालिश करने का हकदार है।

४—दस्तावेज के लेखक केसरीराय का भी देहान्त हो गया है। प्रतिवादी उसके भतीजे हैं और उसकी जायदाद पर काबिज़ हैं।

५—बिनाय दावा दस्तावेज लिखने के दिन से ता० २३ जौलाई सन् १६..... ई०

को और अन्तिम तकाजा करने के दिन से ता०.......को स्थान हर की गढ़ी परगना पटला तहसील खैर जिला अलीगढ़ में अदालत के अधिकार के अन्दर पैदा हुई।

६—दावे की मालियत (१५६४) रुपया)।

वादी प्रार्थी है कि :—

प्रतिवादी को हुक्म हो कि २३ जौलाई सन् १६—ई० के रहन नामे की बाबत असल व सूद का १५६४) रुपया मय खर्चा और सूद दौरान व आइंदा, रुपया वसूल होने के दिन तक एक नियत तारीख तक प्रतिवादी अदालत के अन्दर जमा करें और ऐसा न करने पर रहन की हुई जायदाद नीलाम की जावे और नीलाम के मतालवे से कुल रुपया वेबाक कर दिया जावे।

(३) इसी प्रकार की रहनकर्ता के ऊपर, रहननामे के खरीदार की ओर से नालिश

बअदालत.........

नम्बर मुकदमा.........

मदनलाल　　　　　　वादी

बनाम

१—मौलाबख्श वल्द लाल खाँ
२—मु० मुन्नी लड़की लाल खाँ
३—छेदी लाल
४—भोलानाथ
} प्रतिवादी

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी प्रतिवादी नं० १ व २ की सादा रहन की हुई सम्पत्ति का रहन ग्रहीता है।

२—रहन का विवरण यह है—

(अ) रहन की तारीख — २५ अगस्त सन् १६......ई०।

(ब) रहन कर्ताओं के नाम — लाल खाँ वल्द महबूब खाँ और मौलाबख्श वल्द लाल खाँ।

रहनदार का नाम — भोलानाथ।

(क) रहन का रुपया — ५५०) रुपया।

(ख) सूद की दर — ॥=)॥ आना मासिक और सूद छमाही देना ठहरा। कुल रुपया तीन साल के अन्दर बेबाक करना था जो अदा नहीं किया।

(ग) रहन की हुई सम्पत्ति का विवरण—एक पक्का बना हुआ मकान स्थित मुहल्ला मदार दर्वाजा शहर अलीगढ़ जिसकी चौहद्दी नीचे लिखी है।

(घ) हिसाब से इस समय १०४०।॥=) निकलता है।

(च) १२ नवम्बर सन् १९.....ई० के विक्रय पत्र से भोलानाथ वास्तविक रहनदार ने वादी के नाम वह रहन नाना जिसके ऊपर कि दावा किया जाता है बेच दिया, अब वादी उसका मालिक और दावा करने और रुपया वसूल करने का अधिकारी है।

३—लाल खाँ का देहान्त हो गया, प्रतिवादी नम्बर १ उसका लड़का और प्रतिवादी नम्बर २ उसके लड़के, उसके उत्तराधिकारी हैं इसलिए दोनों को फरीक बनाया गया।

४—प्रतिवादी नम्बर ३ उस जायदाद का इस रहन के भार से सूचित खरीदार है और दरुस्त मुकद्दमा के लिये प्रतिवादी बनाया गया।

५—नम्बर ४ असली रहनकर्ता केवल नालिश के सुधार व दरुस्त के लिये फरीक किया गया है।

६—विनाय दावा ता० २५ अगस्त सन् १९.....ई० को स्थान हाथरस में पैदा हुई।

७—दावे की मालियत (१०४०।॥=) है)।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) प्रतिवादी नम्बर १, २ व ३ को आज्ञा हो कि वह नीलाम का रुपया मय खर्चा नालिश व सूद दौरान व भविष्य में रुपया वसूल होने के दिन तक वादी को अदा करें नहीं तो सम्पत्ति नीलाम की जावे।

(ब) यदि कुल रुपया या इसका कोई भाग बाकी रहने पर मैं ज़ाम्बरुद प्रतिवादी का, या मृतक लाल खाँ की और कोई सम्पत्ति इस रुपया की देनदार ठहराई जावे और वादी को अधिकार दिया जावे कि वह ऐसी डिग्री की डिग्री के लिये दरख्वास्त दे सके।

(६) मुर्तहिन के प्रतिनिधि (कायम मुकाम) की ओर से दाखिल व इजराय डिगरी से खरीदार के ऊपर नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करते हैं।

१—वादी उस जायदाद के दादा मुर्तहिन हैं जिसके द्वितीय प्रतिवादी प्रथम राहिन है।

२—इस रहन की तफसील यह है—

(क) रहन की तारीख़—७ मार्च सन् १६...ई० ।

(ख) राहिन का नाम—चौधरी समीउद्दीन ।

मुरतहिन का नाम—लाला वासदेव सहाय ।

(ग) रहन का रुपया—४०००) रु० ।

(घ) सूद की दर—|||≡) सै० मा० और कुल रुपया माँगने पर अदा करना ठहराया ।

(ङ) रहन की हुई जायदाद की तफसील—

(१) पौने नौ बिस्वा जमींदारी स्थित सुलतानपुर परगना बलराम तहसील कासगंज ज़िला ऐटा जो खेवट नम्बर १ में ६४२ दर्ज है ।

(२) नीलाम की एक मंज़िल कोठी जिसकी चौहद्दी नीचे दी हुई है और जो राल के तालाब पर सिकन्दरा जिला अलीगढ़ में स्थित है ।

(चौहद्दी)

(च) इस समय कुल १०५३२) रुपया वाजिब हैं ।

३—वादी और उनके उत्तराधिकारी और लाला वासदेव सहाय का सम्मिलित कारख़ाना था जिसके मैनेज़र लाला वासदेव सहाय थे । कुटुम्ब में बटवारा हो जाने के से भी हिस्सों में बाँट दिया गया था लेकिन वह दस्तावेज़ जिसके ऊपर यह नालिश की जाती है मुश्तर्का रहा और वादी उसके मालिक व दावा करने के हक़दार हैं ।

४—वादी १ से ५ तक का हिस्सा ½ है, वादी नम्बर ६ का हिस्सा ⅙ है; वादी ७ और ८ का हिस्सा ⅙ है; और वादी नम्बर ९ का हिस्सा भी ⅙ है ।

५—असली राहिन चौ० समीउद्दीन ख़ाँ का देहाँत हो गया प्रतिवादी फ़रीक़ प्रथम उनके क़ानूनी उत्तराधिकारी और उनकी जायदाद पर क़ाबिज़ हैं और उस ऋण के अदा करने के जुम्मेदार हैं ।

६—प्रतिवादी द्वितीय एक नक़द रुपया की डिग्री के इजराय में इस हक़ियत के एक हिस्से का ख़रीदार है उसका हक़ इस दस्तावेज़ के भार के बाद पैदा होता है और नालिश की तरतीब और उसका रहन छुटाने का हक़ मिटाने के लिये उसको फ़रीक़ बनाया गया है ।

७—राल तालाब की कोठी अब टूटी हुई दशा में है और उस पर एक पहिली किफ़ा-लत का भार है इस लिये मुद्दइयान उसको इस किफालत से छुटकारा देते हैं ।

८—चौधरी समीउद्दीन ख़ाँ ने १४४६||) रुपया सन् ..ई० के नील की बिक्री से दावे के दस्तावेज़ में अदा किये उसमें से १०००) रुपया असल में और ४४६||) ता० ५ अप्रैल सन्......ई० तक सूद मुजरा कराये और उसके बाद कुछ नहीं दिया ।

९—प्रतिवादी फ़रीक़ तृतीय व वादी नं० ६ के बीच में पञ्चायत से झगड़ा तै होकर दस्तावेज के रुपया वसूल करने का हक़ वादी नम्बर ६ को दिया गया है अतएव प्रतिवादी झगड़ा मिटाने के लिये फरीक़ बनाये गये हैं।

१०—बिनायदावी ता०......

११—दावे की मालियत (१०५३१) रुपया)

वादी प्रार्थी है कि :-

(अ) प्रतिवादी फरीक़ प्रथम व फरीक़ द्वितीय को हुकम हो कि वह १०५३२) रुपया असल व सूद नीचे लिखे हुये हिसाब के अनुसार मय खर्च नालिश व सूद दौरान और आइंदा रुपया वसूल होने के दिन तक अदा करें नहीं तो जायदाद नीलाम की जावे।

(हिसाब का विवरण)

(५) रहनग्रहीता का हिन्दू रहनकर्ता और उसके कुटुम्ब के सदस्यों पर सम्पत्ति के नीलाम के लिये दावा

१—वादी उस सम्पत्ति के सादा रहनग्रहीता हैं जिसके प्रतिवादी राहिनान हैं।

२—इस रहन का विवरण निम्नलिखित है—

(क) रहन की तारीख .. ..

(ख) रहनकर्ता का नाम . ...

रहनग्रहीताओं का नाम.........

(ग) रहन का रुपया........

(घ) सूद की दर ..... १।।।) रुपया सैकड़ा मा० सूद छःमाही।

कुल रुपया इन्दुल तलब अदा करना ठहरा।

(ङ) रहन की हुई सम्पत्ति का विवरण (यहाँ पर विवरण लिखना चाहिये)।

(च) इस समय मुबलिग़......) रु० वाजिब है।

३—प्रतिवादी नम्बर २, ३ व ४ प्रतिवादी नं० १ के अवयस्क पुत्र हैं और नम्बर ३ व ४ दस्तावेज़ लिखने के बाद पैदा हुये हैं। कुल प्रतिवादी अविभक्त कुल के सदस्यों की हैसियत से ऋण अदा करने के उत्तरदायी हैं क्योंकि प्रतिवादी नम्बर १ ने मैनेजर व कर्ताकुटुम्ब की हैसियत से कुटुम्ब की उचित आवश्यकता के लिये ऋण लिया था।

(६) अचल संपत्ति के नीलाम के लिये मुर्तहिन की ओर से, हिन्दू पिता और पुत्रों पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी अर्ज़ीदावे में लिखी हुई प्रतिवादी नम्बर १ की स्वयं पैदा की हुई जायदाद का मुर्तहिन है।

२—उस रहन का विवरण नीचे दर्ज है—

(अ) रहन नामा लिखने की तारीख—

(ब) राहिन का नाम भोलाप्रसाद, प्रतिवादी नम्बर-१।
मुरतहिन का नाम—मिश्रीलाल, वादी।

(क) रेहन का रुपया...३०००)

(ख) व्याज की दर फी सैकड़ा ।।।=) आना मासिक है और व्याज के अदा होने की शर्त यह है कि सूद छमाही अदा होगा सूद के न देने पर वह रुपया भी असल में मिला कर उस पर भी व्याज इसी दर से अदा किया जायेगा।

(ग) मरहूना सम्पत्ति अर्ज़ीदावे में नीचे दर्ज है :—

(घ) अब......रुपया रहननामे के बाबत वाजिबउल अदा है।

३—यह जायदाद भोला प्रसाद प्रतिवादी फरीक़ प्रथम की खुद पैदा की हुई है और यह ऋण उसने हिन्दू अविभक्त कुल के कर्त्ता की हैसियत से कुटुम्ब की उचित आवश्यकता के लिये लिया था प्रतिवादी फरीक़ द्वितिय भोला प्रसाद के पुत्र होने की वजह से उसके अदा करने के जुम्मेवार हैं और नालिश की तरतीब व झगड़े को दूर करने के लिये उनको भी फरीक़ मुक़दमा किया गया है।

४—श्रीमती नगीना (प्रतिवादी नं० ७) ने एक मंजिल मकान को जिसमें भोला प्रसाद रहते हैं और जो शहर कोल मुहल्ला नंगा टोला में स्थित है एक सादी डिगरी को जारी करके खरीद लिया है और पं० गङ्गा प्रसाद प्रतिवादी न० ८ ने दूकान एक मंज़िला जो शहर कोल मुहल्ला मियागंज में है दस्तावेज़ की नालिश करके कुर्क करा ली है अतएव मुकदमे की तरतीब के लिये इनको प्रतिवादी फ़रीक़ तृतीय बनाया गया है।

५—दस्तावेज़ लिखने वाले भोला प्रसाद ने रहननामे के मुतालबे में केवल......रुपया ता०......ई० को वादी को अदा किया और ता०......को मौज़ा मुनव्वर को वादी के हाथ......रुपया, जुज़ मतालबा रहननामे में बै कर दिया-अब केवल......रुपया वादी का प्रतिवादी के ऊपर बाकी है जो कि रहन की हुई जायदाद से वसूल हो सकता है।

६—भोला प्रसाद असलियत में, एक मंजिल दूकान (जो शहर कोल मु० मियाँ

गंज में स्थित है) का मालिक नहीं था बल्कि केवल मुर्तहिन था और उसने उसका रेहन छुटा कर उस पर कब्जा प्राप्त कर लिया था इसलिये वादी उसकी किफालत से दस्तबरदार होता है।

७—बिनाय दावा......

८—दावे की मालियत.....

९—वादी प्रार्थी है कि—

(अ) वादी को रुपया असल व सूद मय खर्चा नालिश व सूद आज तक का प्रतिवादी से दिला दिया जावे वरना जायदाद के नीलाम से वादी का रुपया वसूल कराया जावे।

(ब) अगर जायदाद मरहूना के नीलाम से वादी का रुपया अदा न हो तो वादी को अधिकार दिया जावे कि वह भोलाप्रसाद की जात व दूसरी जायदाद से वसूल कर सके।

(१) तफसील जायदाद जो आड़ हुई है।

(२) तफसील जायदाद जो नीलाम होने वाली है।

* (७) जायदाद के नीलाम के लिये पिछले मुरतहिन की अपने और मुख्य रहन के रुपये के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१–वादी प्रतिवादी न० १ की भूमि का सादा रहनदार है।

२–इस रहन का विवरण यह है—

(अ) रहन की तारीख—

(ब) रहन करने वाले का नाम—रामचरण।

रहन ग्रहीता का नाम —बलदेवसिंह।

(क) रहन के रुपये की सख्या......१२५०) रुपया।

(ख) ब्याज की दर......१) रुपया सै० मा० और हर छठे महीने पर ब्याज दर ब्याज और कुल रुपया इन्दुलतलब अदा करना करार पाया।

* नोट—क़ानून से पिछले मुर्तहिन को यह आवश्यक नहीं है कि अपने रेहन की नालिश में पहिले मुर्तहिन को फरीक बनाये या उसके रेहन को जुदा करे दोनों रेहनों का रुपया वसूल करने की प्रार्थना करे परन्तु उसको क़ानून से यह अधिकार प्राप्त है। इस तरह की बहुत कम नालिशें होती हैं लेकिन जहाँ मुख्य रहन में बिना पिछले मुरतहिन को फ़रीक़ बनाये हुए नीलाम हो जावे उस समय ऐसी प्रार्थना आवश्यक है। नमूना नं० ८ व (नौ) इसी प्रकार के हैं।

(ग) इस समय ३३२५) रुपया वाजिब हैं।

(घ) जायदाद मरहूना का विवरण—

३—प्रतिवादी फरीक़ द्वितीय इस जायदाद के कुछ हिस्से का पहिला मुरतहिन हैं जिसकी तफसील यह है—

(अ) रहन की तारीख .. ...

(ब) नाम राहिन—रामचरण व हरनाम।

नाम मुर्तहिन—श्री गोपाल व भजनलाल।

(क) रेहन का मतालबा ५००) रुपया।

(ख) व्याज की दर ।।।) आना सैकड़ा मासिक और कुल रुपया इन्दुलतलब अदा करना होगा।

(ग) इस समय जो मतालबा वाजिब है ८४०) रुपया।

(घ) जायदाद मरहूना का विवरण—

४—वादी का रुपया अदा करने के लिये प्रतिवादी फरीक प्रथम से कहा गया लेकिन वह ध्यान नहीं देते। वादी... ..रुपया वसूल करना चाहता है।

५—दावे की बिनाय ता० ....दस्तावेज के लिखने के दिन से व ता० .....इनकार करने के दिन से स्थान.....में अदालत के अधिकार के अन्दर पैदा हुई।

६ दावे की मालियत .....रुपया है।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) प्रतिवादी फरीक अव्वल को हुक्म हो कि वह मुब्लिग़ ३३२५) रुपया मय खर्चा नालिश व सूद दौरान व आइन्दा वसूल होने के दिन तक अदालत की मुकर्रर की हुई तारीख पर वादी को अदा करें।

(ब)-प्रतिवादी के यह रुपया न अदा करने पर वादी को अधिकार दिया जावे कि वह प्रतिवादी फरीक़ द्वितीय का रुपया अदा कर दें और उसको ७ मई सन् १९...ई० के लिखे हुये दस्तावेज़ की रकम वसूल करने का अधिकार रहन की हुई जायदाद को नीलाम करके, और ता० ६ जून सन् १९......ई० के दस्तावेज़ का रुपया उस दस्तावेज में लिखी हुई जायदाद को नीलाम करके वसूल करने का अधिकार दोनों मय खर्चा नालिश व सूद वसूल होने के दिन तक डिग्री से दिया जावे।

(८) नीलाम के लिये पिछले मुरतहिन की, राहिन और जायदाद खरीदने वाले के ऊपर नालिश

वादी निम्नलिखित निवेदन करती है :—

१—वादी, प्रतिवादी फरीक दोयम की रहन की हुई जायदाद की सादा मुरतहित है।

२—इस रहन की तफसील यह है—

(अ) रहन की तारीख—

(ब) राहिनों का नाम—तारासिंह व बहादुरसिंह।

मुरतहिन का नाम—मुरलीधर।

(क) रहन का रुपया—४०००) रु०।

(ख) व्याज की दर फी सैकड़ा १=) रु० मासिक और व्याज हर साल अदा होगा वरना सालाना सूद असल में मिलाया जावेगा और कुल रुपया इन्दुल तलब अदा होगा।

(ग) मरहूना जायदाद का विवरण—

(घ) इस समय मु० ७००००) रु० वाजिब हैं।

३—२१ मई १९०६ ई० के लिखे हुये बैनामे से मुरलीधर की स्त्री श्री० परवती व मुरलीधर के लड़के रूपराम की स्त्री श्री० गंगा कुँअर ने जो कि इस दस्तावेज़ की, उत्तराधिकारिणी होने की वजह से मालिक हुई, यह दस्तावेज वादी के नाम बै कर दिया और अब वादी दस्तावेज़ की मालिक और दावा करने की अधिकारणी है।

४—असली मदीयून तारासिंह का देहान्त हो गया प्रतिवादी नं० ७, ८ व ९ उसके उत्तराधिकारी हैं।

५—प्रतिवादी नं० १ और प्रतिवादी नं० २ से ६ तक के पूर्वाधिकारी, बिहारी लाल इस जायदाद के पहिले मुरतहिन, ता०... ....के लिखे हुए दस्तावेज़ तादादी ३९५०) रुपये से थे।

६—इन पहिले मुरतहिनों ने पिछले मुरतहिन मुरलीधर व रूपराम को मुक़दमे में फरीक़ नहीं बनाया और उनको बिना रहन छुटाने का अवसर दिये हुए रहननामे के आधार पर डिग्री करके, जायदाद को ३२२६२।=)।, डिग्री के कुल मतालबे में, ता० ......को नीलाम में खरीद लिया और उसी समय से उस जायदाद पर काबिज़ हैं और उसके मुनाफे से लाभ उठाते हैं।

७—प्रतिवादी प्रथम पक्ष की इस डिग्री व नीलाम की कार्रवाई से वादी के विरुद्ध कोई असर नहीं होता और वादी कुल प्रतिवादियों के विरुद्ध जायदाद का नीलाम कराने की हक़दार है।

८—जायदाद की आमदनी से मटरूमल बिहारीलाल का कुल रुपया बेबाक़ हो गया है और अब इस जायदाद पर उनका कोई रुपया बाक़ी नहीं है।

९—वादी इस बात पर भी राज़ी है कि यदि हिसाब से प्रतिवादी फरीक अव्वल की कोई रकम वाजिब हो तो वह वादी से दिलाई जावे और जायदाद, दस्तावेज़ के मुतालबे की बाबत जो वादी को प्रतिवादी फरीक़ अव्वल को देना पड़े, नीलाम की जावे।

१०—दावे का तायून मुबलिग़ ८००००) रु० है।

११—बिनायदावी—

१२—वादी प्रार्थी है कि—

(अ) प्रतिवादी को हुक्म हो कि वह ७००००) रुपया असल व सूद मय खर्चा नालिश व सूद दौरान व आइन्दा वसूल होने के दिन दस्तावेज़ में लिखी हुई दर के अनुसार उस तारीख पर जो इस बारे में अदालत नियत करे वादी को अदा करें नहीं तो जायदाद नीलाम की जावे और वादी के रुपया की बेबाकी करा दी जावे।

(ब) अगर ता० ....के दस्तावेज की बाबत कोई रुपया प्रतिवादी फरीक़ प्रथम को दिलाना अदालत उचित समझे तो उसके लिये वादी को उसके देने का अवसर दिया जावे और जायदाद फिकरा (अ) में लिखे हुये मुतालबे और इस रुपये के दिलाने के लिये नीलाम की जाये।

*(९) पिछले मुरतहिन की ओर से पहिले मुरतहिन और राहिन के ऊपर सम्पत्ति नीलाम कराने के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है : -

१—प्रतिवादी फरीक प्रथम प्रतिवादी फ़रीक़ द्वितीय की ज़मीन के सादा रहन ग्रहीता हैं।

---

* नोट नं० १— इस सिलसिले में डिग्री का नमूना जो ज़ाप्ता दीवानी के शिड्यूल १ परिशिष्ट (ब) के नम्बर ६ में दिया हुआ है देखने योग्य है।

नं० २—मुरतहिन को अधिकार है कि वह नालिश केवल अपने राहिन के ऊपर दायर करे और हक़ मुरतहिन के नीलाम की प्रार्थना करे या वह हक़ रहननामा और रहननामा दोनों के आधार पर अपने राहिन और जायदाद के असली मालिक के ऊपर नालिश करे और असली हक्कीयत के नीलाम की प्रार्थना करे। पहिली दशा में अर्जीदावा भाग २६ के नमूना नम्बर १ के अनुसार होगा और दूसरी दशा में इस नमूने के अनुसार अर्जीदावा लिखा जावेगा।

(८) नीलाम के लिये पिछले मुरतहिन की, राहिन और जायदाद खरीदने वाले के ऊपर नालिश

वादी निम्नलिखित निवेदन करती है :—

१—वादी, प्रतिवादी फरीक दोयम की रहन की हुई जायदाद की सादा मुरतहिन है।

२—इस रहन की तफसील यह है—

(अ) रहन की तारीख—

(ब) राहिनों का नाम—तारासिंह व बहादुरसिंह।

मुरतहिन का नाम—मुरलीधर।

(क) रहन का रुपया—४०००) रु०।

(ख) व्याज की दर फी सैकड़ा १=) रु० मासिक और व्याज हर साल अदा होगा वरना सालाना सूद असल में मिलाया जावेगा और कुल रुपया इन्दुल तलब अदा होगा।

(ग) मरहूना जायदाद का विवरण—

(घ) इस समय मु० ७००००) रु० वाजिब हैं।

३—२१ मई १६०६ ई० के लिखे हुये बैनामे से मुरलीधर की स्त्री श्री० परवती व मुरलीधर के लड़के रूपराम की स्त्री श्री० गंगा कुँअर ने जो कि इस दस्तावेज की, उत्तराधिकारिणी होने की वजह से मालिक हुईं, यह दस्तावेज वादी के नाम बै कर दिया और अब वादी दस्तावेज़ की मालिक और दावा करने की अधिकारणी है।

४—असली मदीयून तारासिंह का देहान्त हो गया प्रतिवादी नं० ७, ८ व ६ उसके उत्तराधिकारी हैं।

५—प्रतिवादी नं० १ और प्रतिवादी नं० २ से ६ तक के पूर्वाधिकारी, बिहारी लाल इस जायदाद के पहिले मुरतहिन, ता०... ....के लिखे हुए दस्तावेज़ तादादी ३६५०) रुपये से थे।

६—इन पहिले मुरतहिनों ने पिछले मुरतहिन मुरलीधर व रूपराम को मुक़दमे में फ़रीक़ नहीं बनाया और उनको बिना रहन छुटाने का अवसर दिये हुए रहननामे के आधार पर डिग्री करके, जायदाद को ३२१६२।=)।, डिग्री के कुल मतालबे में, ता०......को नीलाम में खरीद लिया और उसी समय से उस जायदाद पर काबिज हैं और उसके मुनाफे से लाभ उठाते हैं।

७—प्रतिवादी प्रथम पक्ष की इस डिग्री व नीलाम की कार्रवाई से वादी के विरुद्ध कोई असर नहीं होता और वादी कुल प्रतिवादियों के विरुद्ध जायदाद का नीलाम कराने की हक़दार है।

८—जायदाद की आमदनी से मटरूमल बिहारीलाल का कुल रुपया बेबाक़ हो गया है और अब इस जायदाद पर उनका कोई रुपया बाक़ी नहीं है।

६—वादी इस बात पर भी राज़ी है कि यदि हिसाब से प्रतिवादी फरीक अव्वल की कोई रकम वाजिब हो तो वह वादी से दिलाई जावे और जायदाद, दस्तावेज के मुतालबे की बाबत जो वादी को प्रतिवादी फरीक़ अव्वल को देना पड़े, नीलाम की जावे।

१०—दावे का तायून मुबलिग़ ८००००) रु० है।

११—बिनायदावी—

१२—वादी प्रार्थी है कि—

(अ) प्रतिवादी को हुक्म हो कि वह ७००००) रुपया असल व सूद मय खर्चा नालिश व सूद दौरान व आइन्दा वसूल होने के दिन दस्तावेज में लिखी हुई दर के अनुसार उस तारीख़ पर जो इस बारे में अदालत नियत करे वादी को अदा करें नहीं तो जायदाद नीलाम की जावे और वादी के रुपया की बेबाकी करा दी जावे।

(ब) अगर ता० ....के दस्तावेज़ की बाबत कोई रुपया प्रतिवादी फरीक़ प्रथम को दिलाना अदालत उचित समझे तो उसके लिये वादी को उसके देने का अवसर दिया जावे और जायदाद फिकरा (अ) में लिखे हुये मुतालबे और इस रुपये के दिलाने के लिये नीलाम की जाये।

*(९) पिछले मुरतहिन की ओर से पहिले मुरतहिन और राहिन के ऊपर सम्पत्ति नीलाम कराने के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है : —

१—प्रतिवादी फरीक़ प्रथम प्रतिवादी फरीक़ द्वितीय की ज़मीन के सादा रहन अहीता हैं।

---

* नोट न० १— इस सिलसिले में डिग्री का नमूना जो ज़ाप्ता दीवानी के शिड्यूल १ परिशिष्ट (ब) के नम्बर ६ में दिया हुआ है देखने योग्य है।

नं० २—मुरतहिन को अधिकार है कि वह नालिश केवल अपने राहिन के ऊपर दायर करे और हक़ मुरतहिन के नीलाम की प्रार्थना करे या वह हक़ रहननामा और रहननामा दोनों के आधार पर अपने राहिन और जायदाद के असली मालिक के ऊपर नालिश करे और असली हक्कीयत के नीलाम की प्रार्थना करे। पहिली दशा में अर्जीदावा भाग २६ के नमूना नम्बर १ के अनुसार होगा और दूसरी दशा में इस नमूने के अनुसार अर्जीदावा लिखा जावेगा।

२—रहन का विवरण यह है—

(यहाँ पर भाग २३ के नमूना नं० १ में दी हुई बातें लिखनी चाहिये)।

३—वादी उस रहननामे का सादा रहनग्रहीता है और उसका विवरण यह है। (यहाँ पर भी भाग २३ में दिये हुये रहननामे की कुल बातें लिखनी चाहिये जैसे कि पहिले नमूने में लिखी जा चुकी हैं)।

४—दावे की मालियत—

५—वादी प्रार्थी है कि—

अदालत से हुक्म हो कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष..... रुपया असल व सूद ता० . ...के लिखे हुये रहननामे की बाबत खर्च नालिश व सूद इत्यादि, सहित और प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ..... रुपया असल व सूद ता०... ..के रहन नामा की बाबत मय खर्च नालिश इत्यादि एक नियत तारीख तक अदा करे और दोनों प्रतिवादियों के अपना अपना मतालबा न अदा करने की दशा में सम्पत्ति नीलाम की जावे और वादी का मतालबा बेबाक़ किया जावे।

*(१०) जमानत नामे के आधार पर जायदाद के नीलाम के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ता० .... को वादी ने प्रतिवादी नं० १ को मुन्शी (क्लार्क या मुनीम) की हैसियत में नौकर रक्खा।

२-ता० .....को प्रतिवादी नं० २ ने रजिस्ट्री किये हुए जमानत नामे से इक़रार किया कि यदि प्रतिवादी नं० १ क्लार्क के पद का अपना काम ईमानदारी और सच्चाई से न करे और कुल नकद रुपया, दस्तावेज और माल जो वादी के लिये उसको मिले उसका हिसाब न दे सके तो जो कुछ वादी को उसकी वजह से हानि होगी उसकी बाबत प्रतिवादी उतनी रक़म जोकि .. . रु० से ज्यादा न हो अदा करेगा और उसकी अदायगी के विश्वास के लिये नीचे लिखी जायदाद जमानत नामे में उस मतालबे की देनदार कर दी।

(यहाँ पर सम्पत्ति का विवरण देना चाहिये)

३—ता० .... और ता० .. को प्रतिवादी नं० १ ने मुबलिग ....रु० का माल इत्यादि वादी के नाम वसूल किया और उसका हिसाब नहीं दिया और वह मतालबा अब तक बाकी है।

* नोट—इसी सिलसिले में भाग १२, जमानत का नमूना नं० ७ देखना चाहिये।

४—बिनाय दावी (बाकी के हिसाब का मतलबा देने से इन्कार करने के दिन से)

५—दावे की मालियत —

६—वादी प्रार्थी है कि —

उसका मतालबा जो कि प्रतिवादी न० १ पर बाकी है दिलाया जावे नहीं तो जमानत नामे में लिखी हुई सम्पत्ति नीलाम की जावे।

* (११) इजराय डिगरी में दी हुई ज़मानत को जायदाद नीलाम कराकर छुड़ाने के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है : —

१—अदालत सिविल जजी से एक डिग्री नम्बर ११६६० ई०, ७०००) रु० की मय खर्चा नालिश ता० २२ जनवरी सन् १६......ई को हिदायतउल्ला-प्रतिवादी के ऊपर वादी को प्राप्त हुई।

२—हिदायतउल्ला ने वादी के विरुद्ध अदालत हाईकोर्ट में अपील न० ५६ सन् १६......दायर की और फैसला न होने तक इजरायडिग्री स्थगित रखने के लिये दरख्वास्त दी।

३—हाईकोर्ट से इजरायडिग्री स्थगित रहने की इजाज़त ता० ६ मार्च सन् १६.. ...को इस शर्त पर हुई कि डिग्री की जायदाद की बाबत जमानत हिदायतउल्ला अपीलॉट से ले ली जावे।

४—ज़मानत की तफसील नीचे लिखी है—

(क) जमानत नामे के लिखने की तारीख—२८ फरवरी सन् १६ .. . ई०।

(ख) जामिन का नाम... .... रामसहाय।

जिसके नाम ज़मानतनामा लिखा गया .. . रजिस्ट्रार हाईकोर्ट इलाहाबाद।

(ग) ज़मानत की संख्या .. कुल मतालबा उस डिग्री का जो अदालत हाईकोर्ट से मुकदमा अपील अव्वल नम्बरी ५६ सन् १६......ई० में सादिर हो।

(घ) ज़मानत की हुई जायदाद का विवरण ..१ बिस्वा जिमीदारी मुन्दर्जा खाता खेवट नम्बर ६ मुहाल रामसुख मौ० चन्दनपुर तहसील भोगाँव ज़िला मैनपुरी।

(ङ) रकम जो इस वक्त वाजिब है ...डिगरी का कुल रुपया, मुबलिग ६६५०) रु०।

---

* नोट—सादा ज़मानत की नालिशे इसी प्रकरण के पद १२ में दी जा चुकी हैं।

५—हिदायतउल्ला की अपील हाईकोर्ट से ता० ७ अगस्त सन् १९ ...... ई० को खारिज हो गई, और जमानत का मतालबा वाजिब हो गया।

६—रजिस्ट्रार हाईकोर्ट ने जमानतनामा वादी के नाम बदल दिया और अब वादी नालिश करने का अधिकारी है।

*(१२) एक राहिन की दूसरे राहिन पर, रसीद के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—फरीकैन की जायदाद एक मनुष्य मोहनलाल के पास सादा रहन थी।

२—उस रहन का विवरण यह है—

(जैसा कि नीलाम के नमूना न० १ में)

३—फरीकैन के पूर्वाधिकारी (मूरिस) शेरसिंह राहिन का देहान्त हो गया। मोहनलाल मुरतहिन ने इस रहननामा के अनुसार रहन के मतालबे और बैयात के लिये अदालत . . में दावा नम्बरी ३०१ सन् १९ .....ई० फरीकैन के मुकाबले दायर किया जो ता० १७ मई सन् १९ . .. ई० को डिग्री हुआ।

४—वादी ने ता० को इस डिग्री का कुल .....रु० अदालत में दाखिल कर दिया और डिग्री खारिज हो गई।

५—वादी कुल डिग्री के आधे मतालबे का मय ब्याज १) रु० सै० मासिक व सूद दर सूद सालाना जोड़ कर अदा होने की तारीख तक पाने का दावीदार है।

(१३) रहन का कुल रुपया अदा करने पर हिस्से के खरीदार की रसदी के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—प्रतिवादी न० १ अबीदावे में नीचे लिखी हुई जायदाद (अ) (ब) व (ज) का मालिक था।

२—प्रतिवादी न० १ की यह कुल जायदाद एक पुरुष हरदेवदास के यहाँ.. ...रु० में ता० .. . . के लिखे हुए सादा रहननामे के अनुसार रहन थी। दस्तावेज़ में ब्याज की दर ३) रु० सैकड़ा मासिक थी और सूद वार्षिक जोड़ा जाता था।

* नोट—सादा विभाग (रसदी या Contribution) की नालिशें पद १६ में दी जा चुकी हैं।

३—वादी जायदाद (अ) का ख़रीदार और प्रतिवादी नं० २ जायदाद (व) का ख़रीदार है जो इजराय डिग्री में प्रतिवादी नं० १ के मुकाबले जेर रहननामा नीलाम हुई। जायदाद (ज) का प्रतिवादी न० १ अब भी मालिक व काबिज़ है।

४—वादी ने ता० .. ..को रहननामा मौसूमा हरदेवदास के कुल मतालबे को अदा करके हर एक जायदाद को आड़ से बचा लिया।

५—नीचे लिखे हिसाब से रसदी का मतालबा (ब) जायदाद के ऊपर . ...रु० और (ज) जायदाद के ऊपर... रु० होता है।

आड़ की हुई कुल जायदाद का मूल्य ४१००)

जायदाद (अ) का मूल्य १४००) रसदी का .. रु०।
,, (ब) ,, ,, १६००) ,, ,,... रु०।
,, (ज) ,, ,, १०००) ,, ,,..... रु०।

६—प्रतिवादी ने अपनी ज़िम्मेवारी का मतालबा अदा नहीं किया।

(१४) मुख्य रहन का रुपया काट कर रसदी के लिये नालिश

(सिरनामा)

उक्त वादी निम्नलिखित अर्ज करता है :—

१—प्रतिवादी नं० १ जायदाद (अ), (ब), व (ज) का मालिक था।

२—जायदाद (अ) रामलाल के यहाँ प्रतिवादी नं० १ की ओर से ॥≈) सै० मा० व्याज पर......रु० में रहन थी।

३—प्रतिवादी नं० १ की ओर से जायदाद (ब) दिलदार हुसेन के यहाँ ता० ... के दख़ली रहननामे के द्वारा ...रु० में रहन थी जिस पर अधिकार मुरतहिन का था और सूद व लाभ बराबर बराबर था।

४—प्रतिवादी नं० १ यह कुल जायदाद मुन्नूलाल के यहाँ ता० .... के सादा रहननामे के अनुसार .....रु० में दस्तावेज़ पर १) रु० सै० मा० वार्षिक व्याज दर व्याज रहन की थी।

५—फिर प्रतिवादी नम्बर १ ने (अ) जायदाद को प्रतिवादी न० २ के हाथ बै कर दिया और (ब) जायदाद का हक़ राहिनी सादा कर्ज के बारे में नीलाम होकर नीलाम का मूल अदा करने पर वादी ने ख़रीद लिया। प्रतिवादी नं० १ जायदाद (ज) का ख़ुद मालिक है।

६—मुन्नूलाल ने ता०... .....के सादा रहननामे के आधार पर फरीकैन के उपर ता०........को अदालत.........मुकदमा नम्बरी......में आड़ हटाने व जायदाद के

नीलाम के लिये नालिश दायर की और ता०...... ..को फरीकैन से मुकाबले .. . .. रु० की डिग्री प्राप्त की।

७—फरीकैन ने डिग्री का मतालबा अदा नहीं किया इसलिये अदालत से .... रु० वसूल करने के लिये नीलाम होने का हुक्म हुआ।

८—वादी ने जायदाद बचाने के लिये डिग्री का कुल मतालबा ता० .....को अदालत में जमा कर दिया और डिग्री पूरा रुपया दे दिये जाने के सबब से खारिज हो गई।

९—चुन्नूलाल के नाम रहननामा होने के समय जायदाद (अ) का बाजारी मूल्य फिक्रा नं० २ में लिखे हुये हुये किफायत को घटा कर .. रु० था और जायदाद (ब) की फिक्रा नं० ३ में लिखे हुये दखली रहन मतालबा घटा कर... . रु० थी और जायदाद (ब) की .. .... रु० थी। रसदी के लिये जायदाद (अ) पर......रु० और जायदाद (ब) के ऊपर .. .. रु० निकलता है।

१०—प्रतिवादी नं० १ व २ ने अपने ऊपर निकलता हुआ रुपया अभी तक अदा नहीं किया।

२४—प्रतिषेध या बैवात

(Foreclosure)

रेहन के सम्बन्ध की यह दूसरी प्रकार की नालिश होती है। यदि रेहन धन रेहन के शर्तों के अनुसार अदा होने योग्य हो गया हो और उसके देने में रेहन कर्ता असमर्थ रहे तब रेहन-ग्रहीता (१) रेहन की हुई सम्पत्ति को नीलाम करा कर अपना रेहन धन प्राप्त कर सकता है अथवा (२) उसको यह अधिकार होता है कि रेहन—कर्ता के रेहन छुड़ाने के हक्क को नष्ट करा देवे और उस सम्पत्ति का स्वयं मालिक हो जावे। इस दूसरी प्रकार की कारवाई को प्रतिषेध कहते हैं।

प्रतिषेध की नालिश में वही सब घटनाएँ और विवरण देनी चाहिये जो कि नीलाम की नालिश में और जो कि पद-२३ के नोट में ऊपर लिखी जा चुकी हैं। ये दोनों प्रकार की नालिशें रेहन-ग्रहीता की ओर से दायर की जाती हैं और एक ही रूप की होती हैं। परन्तु वादी की प्रार्थना सम्पत्ति के नीलाम के बजाय प्रतिवादी का हक्क नष्ट करने और वादी को सम्पत्ति का मालिक करार देने की होती है।

मियाद—प्रतिषेध की नालिश भी नीलाम की नालिश की तरह रेहन

का रुपया अदा होने योग्य हो जाने की तारीख से १२ साल के अन्दर होनी चाहिये।[1]

कोर्ट-फ़ीस—दावे की मालियत या रहन के मूल धन पर पूरा कोर्ट फ़ीस लगता है।

(१) * प्रतिषेध (वैबात) के लिये साधारण नमूना

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—यह कि वादी प्रतिवादी की जमीन का रहनग्रहीता है जिसे बेचे जाने के लिये प्रार्थना की जा रही है।

२—इस रहन का विवरण इस भाँति है—

(अ) रहन की तारीख......।

(ब) राहिन का नाम .. . ...।

मुरतहिन का नाम...... .. ।

(क) रहन का मतालबा .... ।

(ख) सूद की दर .. ..।

(ग) रहन की हुई जायदाद की तफसील.........

(घ) मतालवा जो इस समय निकलता है......... ।

(च) यदि वादी ने किसी दूसरे से अधिकार प्राप्त किया हो तो सक्षेप में लिखना चाहिये कि वादी दावा करने का हक़दार है।

३—(यदि वादी मुरतहिन मय कब्ज़ा हो तो इस भाँति लिखना चाहिये—

वादी ने रहन की हुई जायदाद पर ता०..... ......को कब्ज़ा हासिल किया और उसी तारीख़ से मुरतहिन की हैसियत में ज़ायदाद पर क़ाबिज़ है)।

४—दावे का कारण—

५—दावे की मालियत—

---

* नोट १—यह नमूना ज़ाब्ता दीवानी के शिड्यूल १ अ० (अ) के न० ४५ के अनुसार है।

* नोट २—रहन की हुई जायदाद के वेचने का अधिकार सिर्फ सादा राहिन को है। रहन दखली में रहन की हुई जायदाद को वेचने का अधिकार उसी हालत में है जहाँ कि राहिन ने स्वयं अपनी ज़ात से रुपया देने की प्रतिज्ञा की हो।

1 Article 132 Limitation Act

वादी प्रार्थी है कि—

बक़ाया मतालबा और मुक़दमा दायर करने के दिन से उसका सूद दिलवाया जावे और यह न अदा किये जाने पर जायदाद रहन से छुटाने से रोक दी जावे और कब्जा दिलाया जावे।

(२) रहन नामे की अवधि समाप्त हो जाने पर, अधीकृत रहन-ग्रहीता की, रहन-कर्ता के उत्तराधिकारियों पर नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—प्रतिवादी की आराज़ियों का वादी रहन-ग्रहीता मय क़ब्ज़ा है।

२—रहन का विवरण यह है—

(अ) रहन की तारीख—११ जुलाई सन् १६......ई०।

(ब) रहन कर्ता का नाम—हरदयाल।

रहन-ग्रहीता का नाम—शेरसिंह।

(क) रहन के रुपये की संख्या—५०००) रु०।

(ख) सूद की दर—रहन के रुपये पर सूद और रहन की हुई सम्पत्ति का लाभ बराबर क़रार पाया गया और यह ठहरा कि रहन-ग्रहीता सम्पत्ति पर क़ाबिज़ रहे और सूद के बदले में लाभ लेता रहे। १५ साल के बाद वास्तविक रुपया अदा कर देने पर जायदाद रहन से छूट जावेगी नहीं तो बिक्री (बै) पूरी हो जावेगी।

(ग) रहन की हुई सम्पत्ति का विवरण—

४०० बीघा भूमि हक़ीयत ज़मींदारी, खाता खेवट न० ७ महाल जैशीराम मौज़ा रबूपुर, परगना जेवर, ज़िला बुलन्दशहर।

(घ) इस समय रहन का वास्तविक मतालबा ५०००) बकाया है।

(च) असली रहन-ग्रहीता शेरसिंह का देहान्त हो गया, वादी उसका लड़का व उत्तराधिकारी है और रहन की हुई जायदाद पर क़ाबिज़ है।

(छ) असली राहिन हरदयाल का भी देहान्त हो गया। प्रतिवादी न० १ उसकी लड़की मानकुँअर का लड़का है और उत्तराधिकारी होने के कारण माल के काग़ज़ों में उसका नाम दर्ज है।

३—प्रतिवादी नं० २ मृतक हरदयाल के कुटुम्ब का है। प्रतिवादी नं० २ और नं०

१ में, आपस में हरदयाल के उत्तराधिकारी होने की बाबत झगड़ा है और मुकदमा चल रहा है। आगे का झगड़ा मिटाने के लिये उनको फरीक़ बनाया गया है।

(३) संयुक्त रहन होने पर जायदाद का प्रतिषेध कराने और दखल के लिये

सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—प्रतिवादी की जायदाद का वादी दो रहननामों के अनुसार मुरतहिन है।

२—पहिले रहन का विवरण इस भाँति है :—

(अ) रहन की तारीख ..१६ जून सन् १६—ई०।

(ब) रहन करने वाले का नाम—यारमुहम्मद।
मुरतहिन का नाम—दिलदारबख्श।

(क) रहन का मतालबा—३५००) रु०।

(ख) ब्याज की दर ।।=) आना सै० माहवारी और ब्याज दर ब्याज छः माही और कुल रुपया रहन की ता० से अवधि के अन्दर ६ साल में अदा होना ठहरा और रहन की हुई जायदाद न अदा करने पर बिक्री हो जावे।

(ग जायदाद का ब्योरा—पक्की बनी हुई एक मंज़िला हवेली मय कुल हकूक़ स्थित रानी मन्डी, शहर इलाहाबाद।

(यहाँ पर चौहद्दी लिखी जावे)

(घ) इस समय इस रहन के ५२२०) रु० निकलते हैं।

३—दूसरे रहन का विवरण यह है ;—

(अ) राहिन का नाम—यारमुहम्मद।
मुरतहिन का नाम—इलाहीबख्श लड़का व नूर फातमा लड़की दिलदार बख्श।

(ब) रहन की ता० .....११ सितम्बर सन् १६......ई०।

(क) रहन का मतालबा—६००) रु०।

(ख) ब्याज की दर फी सैकड़ा ।।।) आ० मा० ब्याज दर ब्याज और कुल रुपया १३ जून सन् १६......ई० तक अदा होना ठहरा।

(ग) इस समय ११२५) रु० इस रहन नामे की बाबत वाजिब है।

(घ) रहन की हुई जायदाद वही जायदाद जो १९ जून सन् १९......ई० के पहिले रहननामे में रहन है।

४—१३ जून १९३५ ई० के रहननामे के असली मुरतहिन दिलदार बख्श का देहान्त हो गया, वादी उसका लड़का और उसकी लड़की मुसम्मात नूर फातमा उसके वारिस हुए। मुसम्मात नूर फातमा ने दोनों रहननामों में अपना हक़ वादी के नाम (दान) हिबा कर दिया। अब वादी अकेला मालिक और दावा करने का हक़दार है।

५—बिनायदावी (दोनों रहननामों की अवधि समाप्त होने के दिन से)।

६—दावे की मालियत :—

वादी प्रार्थी है कि :—

(अ) प्रतिवादी को हुक्म हो कि वह ६३४५) रु० असल और सूद दोनों रहननामों का मतालबा मय खर्च नालिश व सूद अदालत से नियत की हुई तारीख तक अदा करें नहीं तो रहन की हुई जायदाद प्रतिषेध कर दी जावे और वादी को उस पर दखल दिला दिया जावे।

(४) क़ाबिज़ मुरतहिन का राहिन पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—प्रतिवादी न० १ की जायदाद का वादी क़ाबिज़ मुरतहिन है।

२—उस रहन का विवरण यह है —

(अ) रहन की तारीख—१६ मई सन् १९......ई०।

(ब) राहिन का नाम—हरभजन।

मुरतहिन का नाम—सीताराम।

(क) रहन के रुपये की संख्या—१२५०) रु०।

(ख) सूद की दर ।।) सैकड़ा मासिक और यह भी करार पाया कि मुरतहिन सात साल तक रहन की हुई जायदाद पर क़ाबिज़ रह कर उसकी आमदनी वसूल करे और सरकारी माल गुजारी और तहसील वसूल के खर्च काट कर जो कुछ मतालबा बचे उसको हर छमाही रहन के सूद में काटता रहे। जो कुछ भी सूद के रुपये में हो वह हर छमाही रहन के मतालबा में जोड़ कर उस पर भी इसी हिसाब से सूद लगाया जावे। सात साल की अवधि के बाद जो कुछ मतालबा हिसाब से मुरतहिन का निकले

वह दो महीने के अन्दर राहिन के अदा करना होगा, नहीं तो रहन की हुई जायदाद बेच दी जावेगी।

(ग) रहन की हुई जायदाद की तफसील—

२ बीघा १३ बिस्वा हक्कीयत ज़मींदारी जो कि खाता खेवट नं० ६ पट्टी राम- सुख महाल तोताराम स्थित मौजा हरग्यानपुर परगना व तहसील रामबाग़ जिला हमीरपुर में दर्ज है।

(घ) नीचे दिये हुए हिसाब से ४२७५) रु० बकाया निकलते हैं।

३—सीताराम मुरतहिन का देहान्त हो गया वादी उसका लड़का व उत्तराधिकारी है।

४—विनाय दावी १६ मई सन् १६ ...ई० के दो महीने बाद यानी १६ जुलाई सन् १६......ई० को अवधि के अन्तिम दिन से स्थान हरग्यानपुर, अदालत की अधिकार सीमा के अन्दर पैदा हुई।

५—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि उसका जो रुपया हिसाब से निकलता हो दिलाया जावे और बैनात के लिये डिग्री आर्डर ३४ नियम २५ ज़ाब्ता दीवानी के अनुसार वादी के नाम प्रतिवादी के ऊपर सादिर की जावे।

२५—रहन छुटाना (इनफेकाक़)

(Redemption.)

यह रहन के सम्बन्ध की तीसरी प्रकार की नालिश है। जिस तरह रहन-गृहीता को रहन का रुपया अदा होने योग्य हो जाने पर जायदाद को नीलाम या प्रतिषेध कराने का अधिकार उत्पन्न हो जाता है वैसे ही रहन-कर्ता को उस रुपया के अदा कर देने पर रहन छुटाने का अधिकार-उत्पन्न हो जाता है। यदि रेहन-धन बेबाक होचुका है तो रहन-कर्त्ता को कोई रुपया और नहीं देना पड़ता वरना जो हिसाब से रुपया निकलता हो वह दख़ल पाने से पहिले रहन-ग्रहीता को देना पड़ता है। इस प्रकार से रहन-कर्त्ता और रहन-ग्रहीता के स्वत्व प्रायः एक समान है।[1]

रहन-छुटाने के दावे में उन सब मनुष्यों को मुक़द्दमे में फ़रीक़ बनाना चाहिये जिनका कोई रहन की हुई जायदाद में हक हो या जिनको रहन छुटाने का हक़ पैदा होता हो।[2] ऐसे कोई मनुष्य यदि वादी होने से इन्कार करें या वादी न बनना चाहें तो उनको प्रतिवादी बनाया जा सकता है।

रहन की तारीख़, रहन-कर्त्ता व रहन-ग्रहीता के नाम, रहन का मूलधन और

---

1 I L R 36 All 195 P C, 16 Mad 486, 25 A L J R 1051.

2 Or. 34 R. 1. C P C.

सूद की दर, रहन की हुई जायदाद की तफसील और रहन की शर्तें विशेष कर रहन छुटाने के लिये जो प्रतिज्ञायें दोनों पक्षों में नियत हुई हों और यह कि वादी को रहन छुटाने का अधिकार है अर्जीदावे में लिखना चाहिये। यदि रहन-ग्रहीता रहन की हुई जायदाद पर काबिज हो और रहन के रुपये पर किसी निश्चित दर से सूद चढ़ता हो तब रहन के हिसाब की भी प्रार्थना होनी चाहिये। यदि वादी के हिसाब से कुल रुपया जायदाद की आमदनी से बेबाक हो गया हो या इसके अतिरिक्त कुछ रुपया प्रतिवादी के पास उस आमदनी से जमा हो गया हो तो वैसी ही उचित प्रार्थना दावे में होनी चाहिये।

सम्पत्ति परिवर्तन विधान की धारा ९१ में वह पुरुष जिनकी ओर से रहन छुटाने का दावा हो सकता है दिये हुए हैं। यदि रहन एक से अधिक रहन-कर्त्ता की ओर से लिखा गया हो तो उनमें से एक रहन-कर्त्ता सिर्फ अपने हिस्से को नहीं छुड़ा सकता।[1] परन्तु वह पूर्ण रेहन को अन्य हिस्सेदारों की अनुमति लिये बिना भी छुटा सकता है।[2] यही नियम जहाँ पर एक से अधिक रहन-ग्रहीता हों तब भी लागू होता है।[3]

यदि रहन-कर्त्ता रहन-धन अदा करने के लिये अपनी इच्छा प्रगट करे और उसको देने को तत्पर हो या सम्पत्ति परिवर्तन विधान की धारा ८३ के अनुसार अदालत में रुपया जमा कर देवे, तब रहन के रुपये पर उस तारीख से सूद नहीं चढ़ता।[4] यदि वादी ने रेहन का रुपया प्रतिवादी को दावा करने से पहले अदा करना चाहा हो या अदालत में जमा कर दिया हो तो उसका बयान अर्जीदावे में लिखना चाहिये परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि रहन छुटाने के हर दावे में दावा करने से पहले रहन का रुपया देने के लिये वादी ने अपनी इच्छा प्रगट की हो और न रहन छुटाने का दावा सिर्फ इसी बिनाय पर खारिज हो सकता है।[5]

काश्तकारों के ऋण का भार हटाने के लिये कुछ प्रांतों में विशेष कानून पास किये गये हैं। संयुक्त प्रान्त में "कृषक सहायक विधान"[6] और[7] "ऋण भार निवारण विधान" प्रचलित हैं और उनसे काश्तकारों को रहन छुटाने के लिये बहुत सी सुविधायें दी गई हैं। "कृषक सहायक विधान"[8] की धारा १२ के अनुसार रहन छुटाने के लिये दावा साधारण प्रार्थना पत्र की तरह मामूली कोर्ट फीस पर किया जाता है और "ऋण भार निवारण विधान"[9]

---

1 58 I C 129
2 I L R 48 Cal 22 P C, 22 Mad 209
3 I. L R 47 Cal 175 P C
4 A. I. R 1923 P C 26, I. L R 55 Mad 458
5 19 A L J R. 572 F B I L R 43 All 638
6 U P Agriculturist Relief Act, 1934
7 U P Debt Redemption Act 1940
8 U P Agriculturist Relief Act
9 U P. Debt Redemption Act.

इसी के अनुसार सूद की दर कम की जा सकती है। जहाँ पर ऐसे दावे दायर हों उचित क़ानून की धाराओं को अध्ययन करने के बाद अर्जीदावा लिखना चाहिये।

कोर्ट—फ़ीस-रहन छुटाने के दावे में रहन के मूलधन पर कोर्ट-फ़ीस लगता है यदि पूर्व लाभ (वासलात) मांगा जावे तो वासलात के रुपये पर कोर्ट-फ़ीस नहीं देना पड़ता। अदालत के अधिकार के लिये भी मूलधन के हिसाब से ही मालियत नियत करनी पड़ती है।[1]

मियाद—रहन छुटाने के लिये साधारण मियाद ६० साल की है।[2] परन्तु यह मियाद रहन-ग्रहीता की स्वीकृति और इकबाल से बढ़ाई जा सकती है। यदि ऐसी स्वीकृति का लाभ लेना हो तो उसकी सम्बन्धित घटनाएँ अर्जीदावे में लिखना चाहिये।

(१) रहन के छुटाने के लिये साधारण नमूना

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—यह कि वादी उस सम्पत्ति का रहन-कर्ता है जिसका प्रतिवादी रहन-ग्रहीता है।

२—रहन की तफ़सील यह है—

(अ) रहन की तिथि ...।

(ब) रहन करने वाले व रहन-ग्रहीता का नाम... ..।

(क) रहन पर कितना रुपया लिया गया—

(ख) ब्याज की दर—

(ग) रहन की हुई सम्पत्ति का विवरण

(घ) यदि वादी ने किसी दूसरे से अधिकार प्राप्त किया हो तो यह लिखना चाहिये कि वादी को दावा करने का अधिकार किस प्रकार से है।

यदि प्रतिवादी का क़ब्ज़ा हो तो यह भी लिखना चाहिये कि ३—प्रतिवादी का रहन की हुई सम्पत्ति पर क़ब्जा है या वह उसका लगान या किराया वसूल करता है।

(नमूना न० १ का फ़िक़रा न० ४ व ५ लिखिये)

वादी प्रार्थी है कि वह रहन की हुई सम्पत्ति को छुटा ले और लेख के अनुसार उस पर अधिकार प्राप्त करे।

---

1 A I R 1933 Lah 155, I L R 45 All 154

2. Art 148 Limitation Act

(२) रहन-कर्ता के उत्तराधिकारी की ओर से रहन-ग्रहीता के प्रतिनिधि के ऊपर रहन छुटाने के लिये नालिश

नाम अदालत

न० मुकदमा

मोहन लाल वादी .. बनाम.... हरसुखराय प्रतिवादी।

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी उस जायदाद का राहिन है जिसका कि प्रतिवादी मुरतहिन है

२—रहन का विवरण यह है—

(अ) रहन की तारीख—१५ नवम्बर सन् १९... ..ई०

(ब) राहिन का नाम—हीरालाल।

मुरतहिन का नाम—चैन सुखराय।

(क) रहन का रुपया १५००)।

(ख) सूद की दर—रहन की हुई जायदाद की आमदनी और रहन के रुपये का सूद बराबर ठहरा और यह भी क़रार पाया कि मुरतहिन जायदाद पर काबिज़ रह कर रहन के रुपये के सूद में, उसकी आमदनी लेता रहे और ४ साल की अवधि के बाद जब कि रहन का रुपया दिया जावे जायदाद रहन से छूट जावे।

(ग) जायदाद का विवरण—एक मंज़िला मकान (यहाँ पर पूर्ण विवरण देना चाहिये)।

(घ) असली राहिन हीरा लाल का देहान्त हो गया, वादी उसका लड़का व उत्तराधिकारी है।

(च) असली मुर्तहिन चैनसुखराय का भी देहान्त हो गया उसके मुरतहिनी अधिकार उसके उत्तराधिकारियों के विरुद्ध इजराय डिग्री नीलाम हो कर प्रतिवादी ने खरीद किये। अब रहन की हुई जायदाद पर प्रतिवादी काबिज़ है।

३—रहन नामे के अनुसार असली मुर्तहिन और उसके प्रतिनिधि रहन की हुई जायदाद पर काबिज़ रह कर उसकी आमदनी रहन के रुपये के सूद में वसूल करते रहे और अब भी करते हैं।

४—रहन नामे में लिखी हुई ४ साल की अवधि का अंत हो गया। वादी अब रहन छुटाने का अधिकारी है।

५—दावे का कारण ता० १५ नवम्बर सन् १९ .....ई० को रहन की अवधि समाप्त होने के दिन से स्थान......में पैदा हुई।

६—दावे की मालियत (रहन का मूलधन यानी १५००) रु०)

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) उसका नीचे लिखी हुई जायदाद पर १५ नवम्बर सन् १६ .. ई० के रहन नामे के अनुसार १५००) रु० दिलवा कर दखल दिलाया जावे और तहरीर कराकर जायदाद वापिस कराई जावे।

(ब) नालिश का खर्चा मय सूद दिलया जावे।

(३) इसी तरह का दूसरा दावा, जब कि जायदाद पर दखल और हिसाब से बचा हुआ रुपया लेना हो

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी उस सम्पत्ति का रहनकर्ता है जिसका कि प्रतिवादी रहनग्रहीता है।

२—रहन का विवरण इस भाँति है—

(अ) रहन की ता . . . १६ नवम्बर सन् १६......।

(ब) नाम राहिन—अहमदनूर खाँ पिता मुद्दई राहिन, पूर्वाधिकारी प्रतिवादी मुर्तहिन का नाम भवानी-प्रसाद व तुलसी प्रसाद।

(क) रहन पर ३६०७३) रु० लिया गया।

(ख) ब्याज की दर—सूद व लाभ बराबर।

(ग) रहन की हुई सम्पत्ति—१० बिस्वा १६ बिस्वाँसी, १३ कचवासी, हकीयत मौजा बरई शाहपुर परगना ....व तहसील............ जिला अलीगढ।

(घ) रहन की हुई सम्पत्ति घरेलू बटवारा से प्रतिवादी के भाग में पड़ी और अब उस पर मुर्तहिन का कब्ज़ा है।

३—रहन की हुई सम्पत्ति वादी के पिता ने वादी के नाम वेच दी अब अकेला वादी उसका मालिक है और रहन से छुटाने का अधिकारी है।

४—रहन के समय में, रहनग्रहीता ने रहन की हुई जायदाद में से ४०००) रु० की कीमत के पेड़ कटवा डाले। इन कटवाये हुए पेड़ो का मूल्य रहन के मतालबा से मुजरा होने योग्य है।

५—रहन नामे में यह शर्त थी कि ६७ बीघा ७ बिस्वा पक्की भूमि जिसका लगान ३५०) रु० था रहनकर्ता के अधिकार में रहेगी लेकिन इस भूमि पर रहनग्रहीता क़ाबिज रहे और ६१०॥) वार्षिक काश्तकारों से वसूल करते रहे। वादी हक़दार है कि इस रु० में से लगान का ३५०) रु० वार्षिक घटा कर शेष ६६०॥) वार्षिक १) रु० मा० सूद के साथ रहन के मतालवे में से मुजरा पावे।

६—इस जमीन की आय और कटे हुए पेड़ों के मूल्य से रहन का रुपया बेबाक हो कर बहुत सा मतालबा प्रतिवादी के पास अधिक पहुँच गया है जो कि वादी ४००) रु० के क़रीब समझता है लेकिन अगर हिसाब से और अधिक निकलता हो तो वादी कोर्टफीस लगाकर उसके पाने का हक़दार है।

७—प्रतिवादी से कई बार हिसाब देने, रहन छुटाने और अधिक पहुँचे हुए मतालबे की वापसी के लिये कहा गया लेकिन वह इस ओर कोई ध्यान नहीं देता।

८—विनाय दावी ता० १० जून सन् १९.... ई० को अन्तिम तकाजा करने व इनकार करने के दिन से स्थान सिकदराराउ में पैदा हुई।

९—दावे की मालियत, रहन का रु० ३६०३७) और वार्षिक बकाया का ४००) रु० कुल ३६४३७) रु० है।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) प्रतिवादी से हिसाब लिया जाय और हिसाब लेने के बाद रहन की हुई सम्पत्ति जो कि धारा नं० १ में वर्णन की गई है, रहन से छुटा कर वादी को उस पर सीर की भूमि के साथ पूरा दखल दिलाया जावे और जितना भी रुपया हिसाब से अधिक पहुँचा हुआ निकले वह प्रतिवादी से वादी को दिलाया जावे और यदि हिसाब से प्रतिवादी का रुपया बाकी निकले तो वह वादी से दिला कर सम्पत्ति रहन से बरी कर दी जावे।

(ब) नालिश का कुल खर्च प्रतिवादी से दिलाया जावे।

(४) राहिन के प्रतिनिधि की, मुर्तहिन के उत्तराधिकारियों पर दखल, वासिलात व हिसाब के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है —

१—वादी उस जायदाद का राहिन है जिसका प्रतिवादी न० १ मुर्तहिन है।

२—उस रहन का विवरण यह है—

(अ) रहन की तारीख—२३ अगस्त सन् १९......ई०।

(ब) राहिन का नाम—कुँअर रघुवरसिंह।
मुर्तहिनों के नाम—लाला नरायणदास ⅓ हिस्सा व बुधसेन रतनलाल ⅓ और ताराचन्द भी एक तिहाई के हिस्सेदार थे।

(स) रहन पर १७५००) रु० लिया गया।

(क) ब्याज की दर रहन के रुपये का ब्याज और मरहूना जायदाद का लाभ बराबर ठहरा। रहन की अवधि ११ साल यानी शुरू सन् १३......फ० से लेकर सन् १३ .. फसली ठहरी परन्तु अवधि गुजर जाने के बाद जिस समय रहन का मतालबा फसल रबी के अंत में दिया जावेगा तब ही रियासत छूट जावेगी।

(ख) रहन की हुई रियासत का विवरण यह है:—

(यहाँ पर तफसील देनी चाहिये)

(ग) असली राहिन कुंवर रघुवरसिंह ने ता० ...... ई० को बैनामा लिख कर रहन की हुई जायदाद वादी के नाम बेच डाली। उसी समय से वादी उसका मालिक और उसको रहन से छुटाने का अधिकारी है केवल नालिश की तरतीब के लिये कुवर रघुवरसिंह को फरीक़ किया गया है।

(घ) नरायण दास, ताराचन्द व रतनलाल का देहान्त हो गया है। छत्तरमल, कुँवरसेन व बाबूराम लड़के व दायभागी मृतक नारायणदास, और श्यामलाल, रामजीमल व ठाकुरदास लड़के हरीशकर, लड़का व दायभागी मृतक ताराचन्द और श्री० खुमान कुँअर विधवा व दायभागी मृतक रतनलाल के हैं और बुद्धसेन और मृतक मुर्तहिनों के उत्तराधिकारी जायदाद मरहूना पर अधिकार किये हुये हैं।

(च) मुर्तहिनों ने अपने कब्जे के समय में रहन की हुई जायदाद की कुल आराजी में से ३२ बीघा आराज़ी जिस पर रहन के समय ढाका था साफ कराकर जुताउ करली और उसकी लकड़ी अपने काम में ले आये जो रहननामें की शर्तों के अनुसार राहिन की थी। उसकी कीमत ३०००) रु० और इस पर सूद ५००) रु० कुल ३५००) रु० प्रतिवादी न० १ से मुजरा पाने का वादी हकदार है।

३ मुर्तहिनों ने रहननामे की शर्तों और अपने अधिकार विरुद्ध अँगनलाल प्रतिवादी के नाम से जो बुद्धसेन वादी का ममेरा भाई है एक बाग़, आराजी नम्बरी १७३८ मुवाजी १ बीघा १४ बिस्वा ज़मीन में लगवा दिया है। अँगनलाल को उस ज़मीन पर अधिकार रखने का हक़ नहीं है और मुकदमा बाज़ी से बचने के लिये उसको भी फरीक़ बनाया गया है।

४ – रहन की हुई जमीन के अतिरिक्त नीचे लिखी जमीन पर भी मुर्तहिनों ने रहन-नामे की शर्तों के विरुद्ध श्यामलाल प्रतिवादी का नाम सीर और ख़ुद काश्त का काश्तकार, माल के कागजात में झूठा दर्ज करा दिया है असलियत में उस जमीन को और काश्तकार जोतते हैं। वादी इस ज़मीन पर दखल पाने का हक़दार है।

५—वादी ने रहन का मतालबा दफा ८३ क़ानून इन्तकल जायदाद के अनुसार

अदालत में दाखिल कर दिया लेकिन मुर्तहिनों ने वह रुपया जान बूझ कर नहीं लिया इसलिये वह १३ .. फसली से मुनाफे के पाने के हकदार नहीं हैं और वादी शुरू १३...फसली से लेकर प्रतिवादी नं० १ से दखल पाने के दिन तक का हरजाना पाने का हकदार है जिसकी डिग्री उसके नाम कोर्ट फीस अदा करने पर की जावे।

६ विनायदावा ता० ४ जुलाई १६..... ई० धारा ८३ के अनुसार दी हुई दरख्वास्त के स्वीकार होने के दिन से मौजा छर्रा परगना मारहरा जिला एटा में अदालत के इलाके के अंदर पैदा हुई।

७—दावे की मालियत, अदालत के अधिकार व कोर्ट फीस के लिये ३५०००) रु० है।

वादी प्रार्थी है कि—

(क) दिग्री नं० २ (ग में लिखी हुई हकीयत पर वादी को २३ अगस्त सन् १६ .....का लिखा हुआ रहन ७५००) रु० देकर या जितना मतालबा अदालत नियत करे दिला कर वादी को इस भाँति दखल दिलवाया जावे — जमीन नम्बरी १७३८, अँगनलाल के कब्जे में और नीचे लिखी जमीन पर जिस पर कि श्यामलाल प्रतिवादी का नाम जमाबन्दी में दर्ज है, वास्तविक दखल दिलाया जावे और अन्य हकियत पर मालकाना दखल दिलाया जावे।

(ख) जो कुछ हरजाना वादी का ४ जुलाई सन् १६ . ...ई० से दखल मिलने के दिन तक प्रतिवादी के ऊपर नियत किया जावे उसकी डिग्री कोर्ट फीस लेकर सादिर की जावे।

(ग) इस नालिश का खर्च मय सूद दिलाया जावे।

(धारा नं० २ में दी हुई भूमि का विवरण यह है—

(५) पिछले मुर्तहिन का रहन छुड़ाने के लिये मुख्य मुर्तहिन के ऊपर दावा

नारायणदास वादी बनाम १—राधा वल्लम प्रतिवादी प्रथम पक्ष

२—जगन्नाथ } प्रतिवादी
३—नत्थूमल } द्वितीय पक्ष

नारायणदास वादी निवेदन करता है—

१ – यह कि प्रतिवादी नं० २ व ३ एक जमीन ४ बीघा १३ बिस्वा मुन्दर्जा खाता खेवट नं० १० स्थित मौजा बालापट्टी परगना हाथरस के मालिक हैं और प्रतिवादी नं० १ उसका मुर्तहिन है।

२—रहन का विवरण इस भाँति है –

(अ) रहन की ता०—१७ अक्तूबर सन् १६...—ई० ।

(ब) राहिन का नाम—जगन्नाथ व नत्थूमल प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ।
मुर्तहिन का नाम—राधा वल्लभ प्रथम पक्ष ।

(क) रहन का मूलधन ११५०) रु० ।

(ख) ब्याज की दर......रहन के रुपये का ब्याज व रहन की हुई जायदाद की आय बराबर करार पाई और मरहूना जायदाद पर मुर्तहिन का अधिकार रहना ठहरा । रहन की ता० से मरहूना जायदाद पर मुर्तहिनों का अधिकार है और वह उसका लाभ वसूल करते हैं ।

(ग) रहन की हुई जायदाद का विवरण—

(घ) ऊपर लिखी जायदाद २ नवम्बर सन् १६ .....ई० के सादा रहननामे के अनुसार वादी के पास रहन है और वादी के पास ११५०) रु० १७ अक्तूबर सन् १६ .....ई० के रहन को छुटाने के लिये अमानत के रूप में छोड़ा गया है । वादी जो कि पिछला मुर्तहिन है प्रतिवादी २ व ३ के प्रतिनिधि की हैसियत से रहन छुटाने का हकदार है ।

३—वादी ने प्रतिवादी न० ३ से रहन का रुपये लेने और हक्कीयत छुटाने के लिये कई बार कहा लेकिन प्रतिवादी तैयार नहीं होता इसलिये मजबूर होकर वादी ने धारा ८३ एक्ट ४ सन् १८८२ के अनुसार ११५०) रु० अदालत में जमा कर दिया लेकिन प्रतिवादी नोटिस की तामील हो जाने पर भी उपस्थित नहीं हुआ और न रहन का छुटकारा किया इसलिये यह नालिश है ।

४—बिनायदावी, रहन का मतालबा दाखिल करने और धारा ८३ के अनुसार दी हुई दरख्वास्त खारिज होने के दिन से स्थान बालापट्टी में अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई ।

५—दावे की मालियत ११५०) रु० ।

वादी प्रार्थी है कि :—

(अ) वह जायदाद को रहन से छुटा ले और तहरीर करा कर उसे वापस ले और उस पर अधिकार प्राप्त करे ।

(ब) नालिश का खर्च मय सूद दिलाया जावे ।

(६) रहन की हुई सम्पत्ति खरीदने वाले की, रहनग्रहीता पर रहन छुड़ाने, हरजाने, और हिसाब के लिये नालिश

नाम अदालत

नं० मुकदमा .....   सन् १६......ई० ।

गंगा प्रसाद..वादी ।

बनाम

गंगाबक्स, देवीसिंह, रामस्वरूप, मु० आरा बेवा कुँवर भरतसिंह—प्रतिवादी प्रथम पक्ष।

शिवराजसिंह, लागनसिंह, लड़के गगा बख्श व गगासिंह, लालसिंह लड़के रामप्रसाद, होड़लसिंह लड़का नाबालिग़ देवीसिंह मारफत अपने सरक्षक.. ...के, द्वितीय पक्ष।

श्रीमती देवकीकुअर विधवा रूपसिंह प्रतिवादी, तृतीय पक्ष।

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—यह कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष, प्रतिवादी तृतीयपक्ष की सम्पत्ति के मय कब्जा मुर्तहिन हैं।

२ इस रहन का विवरण नीचे लिखा हुआ है —

(अ) रहन की ता०—१६ अक्टूबर सन् .... ई० ।

(ब) रहनकर्ताओं के नाम झन्डूसिंह व श्रीमती देवकी कुवर।
रहन ग्रहीता के नाम—गगा बख्श व जीवाराम सिंह व भरत सिंह।

(क) रहन का ४१००) रुपया है।

(ख) ब्याज की दर ||=) सै० मासिक।

(ग) रहन की हुई सम्पत्ति का विवरण।

(यहाँ पर विवरण लिखो)

(घ) रहन की हुई सम्पत्ति की आय से रहन का कुल रुपया बेबाक हो गया और अब कुछ शेष नहीं है।

३—वास्तविक रहनग्रहीता गगाबख्श जीवित है और जीवारामसिंह व भरतसिंह का देहात हो गया। प्रतिवादी प्रथम पक्ष उनके दायभागी और प्रतिनिधि हैं और प्रतिवादी द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के लड़के इत्यादि हैं इसलिये उनको मुकदमे में फरीक बनाया गया है।

४—यह रहननामा सन् १३१२ फ० से सात साल की अवधि का था और यह शर्त ठहरी थी कि अवधि समाप्त हो जाने पर ज्येष्ठ के महीने में रहनकर्त्ता रहन का रुपया अदा कर दे और सम्पत्ति छुटा ले और मालगुजारी की कमी बेशी रहनकर्त्ताओं के जुम्मे रहे। रहनग्रहीतओं ने रहन के समय से जायदाद क़ब्जा कर लिया लेकिन उन्होंने रहन का कुल ४१००) रुपया अदा नहीं किया और न वह अपने दिये हुये मतालबे से अधिक पाने के हक़दार हैं।

५—झन्डूसिंह रहनकर्ता न० १ ने इस जायदाद को गंगाबख्श व जीवाराम व भरत सिंह के यहाँ फिर सयुक्त रहन किया जिसकी तफसील नीचे लिखी है।

(अ) रहन की ता०—२७ जून सन् १६......ई०।

(ब) रहनकर्त्ता का नाम—झन्डूसिंह।

रहनग्रहीताओं के नाम—गंगाबखश व जीवाराम व भरतसिंह।

(क) रहन के मतालबे की संख्या १२२०) रुपया।

(ख) व्याज की दर—|||) फी सदी मा० इस शर्त पर कि दस्तावेज़ का रुपया दखली रहन के साथ साथ अदा किया जावेगा।

(ग) रहन की हुई सम्पत्ति का विवरण (वही सम्पत्ति जो रहन नामा १६ अक्टूबर सन् .. . ई० से रहन हुई)

६—इसके पश्चात प्रतिवादी तृतीय पक्ष ने बैनामा लिख २१ अप्रैल सन् १६ .. ई० को कुल रहन की हुई जायदाद को वादी के हाथ बेच डाला इस लिये वादी को कुल रहन की हुई सम्पत्ति छुटाने का अधिकार प्राप्त है।

७—यह कि रहन की हुई जायदाद का लाभ सूद के मतालबे से शुरू से ही अधिक था और रहनग्रहीता रहन के समय से ही तहसील वसूल करते आते हैं इसलिये रहन का रुपया, असल व सूद, सम्पत्ति की आय से बेबाक हो चुका है और वादी का बहुत सा मतालबा रहन-ग्रहीता प्रतिवादियों पर वाजिब है।

८—बिनाय दावा—

९—दावे की मालियत -४१००) रु०

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) प्रतिवादी रहनग्रहीताओं से रहन की हुई सम्पत्ति की आय का हिसाब लिया जावे और उनके हिसाब से कोई रकम वादी के ऊपर वाजिब हो तो वह वादी से दिला कर रहन छुड़ाया जावे और जायदाद पर अधिकार दिलाया जावे और यदि प्रतिवादी के ऊपर रहन की जायदाद के हिसाब से वादी का मतालबा वाजिब हो तो उसकी डिग्री वादी के हक में रहनग्रहीता के ऊपर सादिर फरमाई जावे और जायदाद पर अधिकार दिलाया जावे।

(ब) नालिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे।

(७) जायदाद मरहूना के एक हिस्से को छुटाने के लिए कुल जायदाद के खरीदार पर नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—रूस्तम .ली खाँ अर्जीदावे की परिशिष्ट (अ) और (ब) में दी हुई जायदाद का मालिक था।

२—रुस्तमअली खाँ की ओर से यह दोनों जायदादें ता०.....को रहननामे से रामचन्द्र के पास .... रुपये में लाभ व सूद बराबर पर दखली रहन थी और रहन की हुई दोनों जायदादों पर रामचन्द्र मुर्तहिन काबिज था।

३—रहननामे में जायदाद छुटाने के लिये शर्त यह थी कि जिस समय ज्येष्ठ मास के अन्त में रहन का रुपया अदा किया जावे तभी रहन की हुई जायदाद छूट जावे।

४—शिड्यूल (अ) में लिखी हुई जायदाद सादा इजराय डिग्री अदालत..... नम्बरी ..... अहमदहुसैन डिग्रीदार बनाम रुस्तमअली खाँ मदयून में दायर नीलाम हुई और वादी ने ता० .....को खरीद करके उस पर नियम के अनुसार अधिकार प्राप्त कर लिया। वादी का नाम माल के कागजों पर राहिन की श्रेणी में दर्ज हो गया है।

५—शिड्यूल (ब) में लिखी हुई जायदाद रुस्तमअली खाँ ने ता०.....के हिबा नामा के अनुसार अपने नाती मुहम्मदहुसेन के नाम हिबा कर दिया। मुहम्मदहुसेन ने वह जायदाद प्रतिवादी के हाथ बेच डाली और प्रतिवादी ने उस जायदाद पर राहिन की हैसियत से माल के कागज़ों पर अपना नाम लिखा लिया।

६—फिर प्रतिवादी ने रहन की हुई जायदाद को छुटाने का दावा अदालत ... में रामचन्द्र मुर्तहिन के ऊपर दायर करके (अ), (ब) जायदाद छुटाने के लिये असल रहन का ......रुपया अदालत में दाखिल करके दोनों जायदादों पर ता०......को अधिकार प्राप्त कर लिया।

७—शिड्यूल (अ) में लिखी हुई वादी की जायदाद पर ता०......से प्रतिवादी मुर्तहिन की हैसियत से काबिज है और उसकी आमदनी वसूल करता है।

८—शिड्यूल (अ) में लिखी हुई जायदाद की कीमत बाज़ारू भाव से......रु० और शिड्यूल (ब) में लिखी हुई जायदाद की कीमत बाज़ारू भाव से रहन के समय ..... रु० थी।

९—प्रतिवादी का शिड्यूल (अ) में दी हुई जायदाद की बाबत रहन का रसदी मतालबा .....रुपया होता है। वादी ने यह रुपया प्रतिवादी को देना और शिड्यूल (अ) में दी हुई जायदाद को छुटाना चाहा और रजिस्ट्री युक्त नोटिस भी दिया मगर प्रतिवादी ने उस पर ध्यान नहीं दिया।

१०—अन्त में वादी ने पिछले ज्येष्ठ में यह मतालबा सम्पत्ति परिवर्तन विधान की धारा ८३ (Transfer of property Act) के अनुसार रहन छुटाने के लिये अदालत में जमा कर दिया लेकिन प्रतिवादी ने यह रुपया लेने और जायदाद छोड़ने से इनकार किया, इसलिये यह नालिश है।

(८) रहन छुड़ाने के लिये इसी प्रकार का दूसरा दावा

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है—

१—वादी उसी जायदाद का राहिन है जिसका कि प्रतिवादी मुर्तहिन है।

२—रहन का विवरण यह है—

(अ) रहन की ता०......... ।

(ब) राहिन का नाम—हीरासिंह
मुर्तहिन का नाम—शिवदयाल ।

(क) रहन का रुपया—१२००) रु० ।

(ख) ब्याज की दर—॥=) आना सै० माहवारी और सूद रहन की हुई जायदाद की आमदनी काट कर, जो कि मुर्तहिन के कब्ज़े में दी गई, सालाना देना ठहरा ।

(ग) रहन की हुई जायदाद—
खाता खेवट न०......में लिखी हुई ज़मींदार में १० बिस्वा का हिस्सा स्थित मुहाल हीरासिंह मौज़ा अहमीपुर परगना शहबाज़पुर, ज़िला हमीरपुर।

३—रहन की हुई जायदाद में से आधी हीरासिंह ने प्रतिवादी के हाथ बेच डाली और शेष जायदाद नक़द रुपया की इजराय डिग्री में हीरासिंह के विरुद्ध नीलाम होकर वादी ने खरीद कर ली, इस तरह दोनों फ़रीकैन आधी आधी जायदाद के मालिक हुये।

४—प्रतिवादी ने......रुपया, ता० १२ मई सन् १९......ई० के रहन नामे का असल व सूद व मतालबा रामदयाल, मुर्तहिन शिवदयाल के पिता व वारिस को अदा करके रहन की हुई रियासत छुटा ली और उस पर अधिकार प्राप्त कर लिया।

५—प्रतिवादी, वादी के आधे हिस्सा पर भी रहन छुटाने के दिन से मुर्तहिन की हैसियत से काबिज़ है। वादी ता० १२ मई सन् १९......ई० के रहननामे का आधा रुपया देकर जायदाद रहन से छुटाने का अधिकारी है।

६—बिनाय दावा—

७—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

२६—रहन-सम्बन्धी अन्य नालिशें

उन तीन प्रकार की नालिशों के अतिरिक्त जिनके नमूने भाग २ पद २३, २४ व २५ में ऊपर दिये गये हैं कुछ अन्य प्रकार के वाद भी रहन-कर्त्ता, रहन-गृहीता और उनके प्रतिनिधियों के मध्य में दायर होते हैं। उनके नमूने इस भाग में दिये गये हैं।

यदि मुख्य रहन की डिगरी की इजराय में, जिसमें पश्चात् रहनग्रहीता फरीक न हो, और कोई पुरुष नीलाम में जायदाद खरीद लेवे परन्तु पश्चात् रहन-गृहीता उस पर काबिज हो तो नीलाम लेने वाले को पश्चात रहन-गृहीता या उससे परिवर्तन प्राप्त पुरुष के विरुद्ध दावा करना पड़ता है और किसी प्रकार यदि खरीदार का कब्जा हो जावे तो पश्चात रहनदार को रहन छुटाने या दखल का दावा करना होता है।

इसके अतिरिक्त यदि रहन की हुई जायदाद पूर्ण प्रकार से अथवा कोई उसका अंश नष्ट हो जावे और वह रहन के रुपये के लिये पर्याप्त जमानत न रहे और रहन गृहीता के सूचना देने पर भी रहन-कर्त्ता जमानत पूरी न करे या किसी प्रकार से, रहन कर्त्ता के हक की कमी से वह जायदाद रहन-गृहीता के कब्जे से निकल जावे, इन सब दशाओं में रहन-गृहीता रहन का रुपया पाने का अधिकारी होता है। वह सम्पत्ति परिवर्त्तन विधान की धारा ६८ के अनुसार दावा कर सकता है। यदि दावा उस धारा की उपधारा 'ए' के अनुसार हो तो वादी को सिर्फ यह दिखाना काफी होता है कि प्रतिवादी ने रहन का रुपया अदा करने का इकरार किया था।

यदि दावा धारा ६८ उपधारा 'बी' के अनुसार हो तो वादी को (१) उसका जमानती जायदाद से पृथक किया जाना और (२) रहन-कर्त्ता का वह कार्य जिससे रहन-गृहीता जायदाद से पृथक किया गया, अर्जी दावे में लिखना चाहिये।

यदि दावा धारा ६८ उपधारा 'सी' के अनुसार हो तब यह कि (१) वादी दखल पाने का अधिकारी था और प्रतिवादी ने उसको दखल नहीं दिया (२) या रहन-कर्त्ता या किसी अन्य पुरुष ने उसके दखल में विघ्न डाला और (३) अन्य पुरुष के विघ्न डालने पर रहनकर्त्ता की, रहन की शर्तों के अनुसार जिम्मेदारी, यह सब दिखाना चाहिये। ऐसी दशा में रहन-गृहीता कब्जा पाने और पूर्वलाभ (वासलात) का दावा कर सकता है।[1]

यदि रहन-गृहीता रहन-कर्त्ता के विरुद्ध जाती डिगरी भी पाने का हकदार हो तब दखल और जाती डिगरी की प्रार्थना बतौर बदल के अर्जीदावे में दोनों ही

---

1. 1932 A L J 1092, I. L R. 43 All 484, 16 All 318 F. B

करनी चाहिये क्योंकि यदि दखल दिला दिया गया है तो बाद को वादी रुपये का दावा नहीं कर सकता।[1]

मियाद—दखल का दावा उस तारीख से १२ वर्ष के अन्दर होना चाहिये जब कि रहन-गृहीता अथवा रहन-कर्त्ता को दखल पाने का अधिकार प्राप्त हुआ।[2] इन दावों में पूर्वलाभ का रुपया सिर्फ ३ साल का माँगा जा सकता है।

कोर्ट-फीस—रहन के मूलधन पर कोर्ट फीस लगती है परन्तु यदि पूर्वलाभ मांगा जावे तो उस पर पृथक कोर्ट फीस देनी होती है।

(१) नीलाम के खरीदार की पिछले मुरतहिन पर नालिश, जब वह मुख्य रहन की डिगरी में फ़रीक़ न हो

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी ने नीचे लिखी हुई रियासत को इजराय डिग्री अदालत सिविलजजी मैनपुरी, मोहनलाल डिग्रीदार बनाम राधेसहाय इत्यादि मदयूनान, नम्बरी १६ सन् १९३६ ई०, में नीलाम में खरीद किया।

२—यह डिग्री ता० ११ मई सन् १९......ई० के रहन नामे के आधार पर मोहनलाल के नाम एक मनुष्य राधाकिशुन के ऊपर सादिर हुई।

३—प्रतिवादी ने इस रियासत को इजराय डिग्री नम्बरी २७ सन् १९४१ ई० अदालत सिविल-जजी मैनपुरी, साहू विश्वम्भर सहाय डिग्रीदार बनाम राधेसहाय की डिग्री के नीलाम में खरीद किया।

४—यह डिग्री ७ जून सन् १९......ई० के रेहन नामे के आधार पर राधाकिशुन रहनकर्ता के ऊपर विश्वम्भर सहाय के नाम सादिर की गई थी।

५—प्रतिवादी ने उस जायदाद पर ता०......को खरीदारी के अनुसार अधिकार प्राप्त कर लिया और उसी समय से काबिज है।

६—वादी की ता०...की खरीदारी प्रतिवादी के दखल करने के बाद अमल में आई और वादी को कायदे से दखल दिहानी होने पर भी वास्तविक अधिकार जायदाद पर नहीं मिला।

---

1 A I R 1920 Pat 87

2 Art 135, Limitation Act

७- ता० ११ मई १९......ई० के लिखे हुए रहन नामे का मुर्तहिन मोहनलाल, डिग्री नं० २७ सन् १९४१ ई० में कोई फरीक़ नहीं था और न पिछला मुरतहिन विश्वम्भर सहाय डिग्री नम्बरी २३ सन् १९१६ ई० में कोई फरीक़ था।

८—वादी की खरीदारी के सामने प्रतिवादी की खरीदारी का कुछ असर नहीं है और प्रतिवादी को जायदाद छुटाने का वादी से उत्तम अधिकार प्राप्त नहीं है।

(नमूना नं० १ की धारा ४ व ५ लिखिये)

वादी की प्रार्थना।

(२) इसी प्रकार की, पिछले रहन की इजराय डिगरी के खरीदार की मुख्य रहन के खरीदार पर नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है—

१—प्रतिवादी द्वितीय पक्ष नीचे लिखी हुई जायदाद का मालिक था।

(जायदाद का विवरण यहाँ पर या अर्जीदावे के अन्त में लिखना चाहिये)

२—प्रतिवादी की ओर से यह जायदाद ता० १६ जून सन् १९ ...ई० के रहन के दस्तावेज़ के अनुसार ४००) रुपया में प्रतिवादी प्रथम पक्ष के पास रहन थी और रहन के मतालबे पर ब्याज दर ब्याज फी सै० १) रुपया मा०, सालाना लगाया जाता था।

३—प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने उस जायदाद को दूसरे दस्तावेज़ सादा रहन नामे के अनुसार ता० १७ जौलाई सन् १९ .. . ई० को ४००) रुपया में वादी के पास ।।।) सै० मा०, ब्याज दर ब्याज वार्षिक के हिसाब से रहन किया।

४—प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने, प्रतिवादी द्वितीय पक्ष पर १६ जून सन् १९ .. .. ई० के रहन नामे के अनुसार नालिश नम्बरी......सन्......अदालत......में दायर की और नीलाम की डिग्री ता०,.....,को प्रतिवादी के विरुद्ध प्राप्त करके... रु० में जायदाद स्वयं खरीद ली परन्तु वादी नालिश व इजराय में फरीक़ नहीं था।

५—वादी ने १७ जुलाई सन् १९ ई० के रहन नामे के अनुसार प्रतिवादी के ऊपर अदालत .....सन्......नालिश नम्बरी... . दायर करके, ता० ...को डिग्री प्राप्त की और उसकी इजराय में यह जायदाद नीलाम होकर वादी की खरीदारी में आ गई।

६—वादी ने खरीदने के बाद सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त करना चाहा लेकिन

वादी को दखल दिहानी होने के पहिले प्रतिवादी प्रथम पक्ष, पहिली खरीदारी के अनुसार ता० .....को दखल प्राप्त कर चुका था और क़ाबिज़ था इस कारण से वादी को सम्पत्ति पर दखल नहीं मिला।

७—वादी नीचे लिखी हुई जायदाद का पिछले रहन ग्रहीता की हैसियत से..... रुपया (जितनी क़ीमत पर प्रतिवादी ने जायदाद खरीद की) अदा करने पर या विज्ञापन में लिखी हुई डिग्री की क़ीमत अदा करने पर सम्पत्ति पर दख़ल पाने का अधिकारी है।

(३) इजराय डिगरी के एक ख़रीदार की दूसरे ख़रीदार पर नालिश जब कि वह मुख्य रहन की डिगरी में फ़रीक़ न हो

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है—

१—वादी नीचे लिखी हुई जायदाद का डिग्री नम्बरी.....सन्... रामसहाय डिग्रीदार बनाम मोतीलाल मदयून की इजराय में ख़रीदार है जो ता०... ..के सादा रहन नामे के अनुसार मोतीलाल रहनकर्ता के ऊपर होतीलाल के नाम सादिर की गई।

२—प्रतिवादी भी उसी जायदाद का इजराय डिग्री नम्बरी . . सन् .. हरप्रसाद डिग्रीदार बनाम मोतीलाल मदयून से उसका ख़रीदार है जो ता० .....के सादा रहन नामे के आधार पर मोतीलाल रहनकर्ता के ऊपर एक मनुष्य धनीराम की हुई और इसी के बिनाय पर दखल मिलने के दिन से जायदाद पर काबिज़ है।

३—वादी को प्रतिवादी के जायदाद खरीदने व क़ब्ज़ा कर लेने से दख़ल नहीं मिला।

४—होतीलाल या उसका प्रतिनिधि रामसहाय जिसने पिछले रहन नामे के ऊपर डिग्री नम्बरी......सन्......प्राप्त की, मुख्य रहन की डिग्री न०... सन्......में कोई फ़रीक़ नहीं था। वादी उसका प्रतिनिधि है और प्रतिवादी मुख्य मुर्तहिन का प्रतिनिधि है।

५—डिग्री नम्बरी . . . .सन्......का मतालवा जिसके इजराय में प्रतिवादी जायदाद को ता०......को नीलाम में ख़रीद किया ...रुपया था और वादी ने जायदाद को.....रुपया में ख़रीद किया।

६—प्रतिवादी ने ता०......को जायदाद पर अधिकार प्राप्त किया और उसी समय से जायदाद पर अधिकारी है और उसके मुनाफे से लाभ उठाता है।

७—वादी नीलाम का रुपया अदा करने पर जायदाद का दख़ल पाने का अधिकारी है।

(४) रहन-ग्रहीता का, रहन की हुई जायदाद पर दख़ल पाने के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है—

१—वादी एक मंजिल पक्के मकान पर, जो कि मुहल्ला लखपती शहर हाथरस में है और जिसकी चौहद्दी नीचे अंकित की जाती है दखल पाने का अधिकारी है।

२—यह जायदाद प्रतिवादी ने ता०... ..के रजिस्ट्रीयुक्त रहन नामे के अनुसार .. ..रु० में, सूद और लाभ बराबर पर, वादी के पास दखली रहन की और यह रहननामा अब भी क़ायम है।

३—मुद्दायलह ने रहन नामे की शर्तों के अनुसार वादी को रहन की हुई जायदाद पर दखल नहीं दिया और वह अब भी अनुचित रीति से उस पर अधिकार किये हुए है।

४—बिनाय दावा –

५—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि उसको रहन की हुई जायदाद पर जिसकी तफ़सील नीचे दी जाती है, दख़ल दिलाया जावे (यदि पूर्वलाभ का भी दावा हो तो यह भी लिखना चाहिये) और ... रु० वासलात का, रहन की तारीख़ से नालिश करने की तारीख़ तक .. ..रु० मासिक के हिसाब से दिलाया जावे,।

(५) रहन-कर्ता के अनुचित कार्य से रहन की हुई जायदाद का भाग रहन-ग्रहीता के कब्जे से निकल जाने पर

(Sec 68, T P. Act.)

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है –

१—ता० .....को प्रतिवादी ने नीचे लिखी हुई जायदाद वादी के पास..... रु० में इस शर्त पर रहन की, कि वादी रहन की हुई जायदाद पर कब्जा रक्खे और उसका लाभ वसूल करे और खर्चा इत्यादि काट कर उसको रहन के रुपया के सूद में जो कि ।।≶) आना सै० मासिक ठहरा था, लेता रहे। फरीक़ैन में हर छमाही हिसाब हो और रहन का कुल मतालबा और सूद की बक़ाया यदि कुछ हो, तीन साल के अन्दर अदा कर दे नहीं तो रहन बिक्री के तुल्य समझा जावेगा।

२—वादी उस रहननामे के अनुसार दो वर्ष तक रहन की हुई जायदाद पर काबिज़ रहा और उसका लाभ वसूल करता रहा।

३—ता०......को एक व्यक्ति रामलाल ने जो कि प्रतिवादी का चचेरा भाई है, वादी और प्रतिवादी के ऊपर रहन की हुई जायदाद में से आधे हिस्से का अदालत सिविलजजी में दावा दायर किया। इस दावे में प्रतिवादी ने कोई प्रतिवाद नहीं किया और न वादी को कोई ऐसा प्रमाण दिया जिससे वह प्रतिवादी को कुल जायदाद का अधिकारी सिद्ध (साबित) कर सकता।

४—यह दावा पहिली अदालत से ता०....को डिग्री हुआ और उसके अनुसार रामलाल ने रहन की हुई जायदाद में से आधे हिस्से से वादी को बेदखल कर के अधिकार कर लिया।

५—बिनाय दावी—

६—दावे की मालियत—

(वादी की प्रार्थना—रहन के रुपये की डिग्री के लिये)

(६) रहनयुक्त-जायदाद की मालियत कम हो जाने पर रहनग्रहीता का रहनकर्त्ता पर दावा

(Sec 68, T. P Act.)

१—वादी के पास प्रतिवादी की एक पक्की हवेली स्थित........तारीख.....के रहन नामे से.........रु० में रहन दख़ली चली आती है।

२—मार्च सन् १९३४ ई० में भूकम्प आया और उस हवेली की अटारी हिल जाने के कारण से उतरवानी पड़ी। इसके अतिरिक्त कई जगह उसकी दीवार फट गई जिसकी मरम्मत बड़ी कठिनाई से हुई।

३—इसी कारण से उस सम्पत्ति की आमदनी पहिले से ४०) रुपया मासिक कम हो गई है और उसकी मालियत केवल ६० प्रतिशत रह गई है।

४—रहन के रुपये के लिहाज़ से इस समय सम्पत्ति काफी मालियत की नहीं है। प्रतिवादी से जमानत पूरी करने को कहा गया और ता०......को ६ महीने की अवधि का एक रजिस्ट्री युक्त नोटिस भी दिया गया है।

५—प्रतिवादी ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और न ज़मानत पूरी की।

(७) रहनयुक्त जायदाद के बरबाद हो जाने पर रहन-ग्रहीता का रुपया वसूल करने के लिये दावा

(Sec 68, Transfer of Property Act)

१—ता०......के रहन नामे से प्रतिवादी ने अपनी नीचे लिखी हकीयत ज़मींदारी स्थित राजगढी व बाजगढ़ी परगना सोराँव ज़िला एटा वादी के पास.........रुपया में दखली रहन को और ब्याज और लाभ बराबर ठहरा।

२—रहन के दिन से वादी रहन की हुई जायदाद पर काबिज़ और दाखीलकार है और उसका लाभ वसूल करता है।

३—रहन की हुई जमींदारी गगा नदी के किनारे है-और उसकी उत्तरी सीमा नदी है।

४—प्रायः दो वर्ष हुये होंगे कि राजगढी का आधा रक़बा (क्षेत्रफल) और बाजगढ़ का तिहाई क्षेत्रफल उक्त नदी में कट कर डूब गया और नदी का बहाव इन्हीं मौज़ों की ओर होने की वजह से दिन बदिन उनका क्षेत्रफल कम होता जाता है और उनके नदा से फिर निकल आने की आशा नहीं है। रहन की हुई जायदाद की इस समय आमदनी ....रु० है जो कि साधारण आय से......रु० कम है।

५—वादी ने ता० .. ..को प्रतिवादी को इसी बात का नोटिस दिया और उससे प्रार्थना की कि वह ६ महीने के अन्दर ज़मानत पूरी करने के लिये और पर्याप्त जायदाद वादी के हवाले कर दे।

६—प्रतिवादी ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और न कोई जायदाद वादी के हवाले की।

२७—भार की पूर्ति (निफाज़-बार)

(Charge)

भार की परिभाषा सम्पत्ति परिवर्तन विधान की धारा १०० में दी हुई है। रहन करने पर रेहन की हुई जायदाद का स्वत्व रहन ग्रहीता की ओर परिवर्तित हो जाता है। भार स्थित करने पर ऐसा नहीं होता। प्रायः वह जायदाद उस भार की पूर्ति के लिये अंकित हो जाती है परन्तु मिल्कियत पहले की तरह पूर्ण रूप से असली मालिक में ही रहती है। इसीलिये ऐसी जायदाद का ख़रीदार यदि उसने परिवर्त्तन सद् भाव से उस भार की सूचना और ज्ञान बिना, लिया हो तो भार के रुपये का देनदार नहीं होता और वह जायदाद उसके हाथ भार रहित परिवर्तन हो जाती है।

भार की पूर्ति के लिये वाद रहन के नीलाम की नालिश की तरह होती है और वह सब बातें अर्जीदावे में लिखना चाहिये जो कि नीलाम की नालिश के लिये भाग २३ में दी गयी है।

अवधि—नीलाम की नालिश की तरह मियाद इन नालिशों की भी १२ साल की होती है और कोर्ट-फीस पूरी मालियत पर देनी होती है।

(१) निर्वाह हेतु जायदाद से भार का रुपया वसूल करने के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है:—

१—वादी के खान पान का भार, इकरार नामे से (या और किसी दस्तावेज से) प्रतिवादी की सम्पत्ति पर है।

२—भार का विवरण यह है—

(अ) इक़रार नामे की तिथि .. १७ मई सन् १८९५ ई०।

(ब) प्रणकर्ता का नाम—मोहनलाल।
जिसके नाम लिखा गया—सोतीलाल, वादी।

(क) भार संख्या—५०) रुपया मासिक।

(ख) ब्याज की दर—फी सैकड़ा आठ आना मा० रुपया वाजिब होने के दिन से, जो हर मास की पहिली तारीख को वाजिब होता है।

(ग) अचल सपत्ति का विवरण जिस पर यह भार है—

१—एक मंज़िला पक्की हवेली।

२—दो नग दूकान न०......,मिली हुई दोनों दूकानें।

३—३ बिस्वा ज़मींदारी।

(घ) इस समय तक १२००) रुपया बाबत खान पान दो साल (१६...व १६...) और ब्याज......कुल......रु० होता है।

(धारा नंबर ४ व ५ नमूना न० १ लिखना चाहिये)

सम्पति के नीलाम के लिये वादी की प्रार्थना।

(२) खरीदार के उत्तराधिकारी की ज़मानत में रुपया छोड़ने पर वार के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-

१—यह कि वादी का पूर्वाधिकारी जीवाराम अर्ज़ीदावे की परिशिष्ट (अ) और (ब) में लिखी हुई सम्पत्ति का मालिक था।

२—यह कि परिशिष्ट (ब) में लिखी हुई सम्पत्ति जीवाराम की ओर से दो दस्तावेज़ों के अनुसार पूरनमल व पितम्बर के पास रहन थी।

३—यह कि जीवाराम ने ता० १४ दिसम्बर सन् १६..... ई० को परिशिष्ट (अ) में लिखी हुई जायदाद......रु० में प्रतिवादी प्रथम पक्ष के नाम बैनामा लिख कर बेच दी और उस सम्पत्ति पर बेचने की तारीख से प्रतिवादी प्रथम पक्ष काबिज़ है।

४—जीवाराम ने, बैनामे के मतालबे में से, प्रथम पक्ष के पास दस्तावेज़ों का कुल रुपया पूरनमल व पीतम्बर को अदा करने के लिये अमानत में छोड़ा था। प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने केवल एक दस्तावेज़ का रुपया अदा किया और दूसरे दस्तावेज़ का जो ता० .. ..को लिखा गया था ... रु० अदा नहीं किया।

५—उस दस्तावेज़ की नालिश पूरनमल व पीतम्बर ने मृतक जीवाराम के उत्तराधिकारी, वादी के ऊपर दायर करके भार की पूर्ती (निफाज किफालत) की डिग्री परिशिष्ट (ब) में लिखी हुई जायदाद के नीलाम कराने के लिये ता० ११ दिसम्बर सन् १६... ..ई० को प्राप्त की और उसकी इजराय में यही जायदाद ता० २८ अगस्त सन् १६ .... ई० को नीलाम हो गई।

६—वादी . ...रु० वसूल करने का दावीदार है और इस मतालबे पर १) रुपया सैकड़ा ब्याज पाने का अधिकारी है क्योंकि दस्तावेज़ में, जिसके आधार पर डिग्री हुई थी इसी दर से सूद लगाया गया है।

७—प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने शिड्यूल (अ) में लिखी हुई जायदाद को प्रतिवादी प्रथम पक्ष से दखली रहन करा लिया है। वह प्रतिवादी प्रथम पक्ष का प्रतिनिधि है और मुर्तहिन की हैसियत जायदाद पर क़ाबिज़ है।

८—हिसाब से वादी का......रुपया निकलता है जो प्रतिवादी ने अदा नहीं किया।

६—दावे का कारण—ता० २२ अगस्त सन् १६......ई० को, शिड्यूल (ब) में लिखी हुई जायदाद के नीलाम होने के दिन से स्थान .....में, अदालत की सीमा अधिकार के अन्दर पैदा हुई।

१०—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि :—

(अ) प्रतिवादी को हुक्म हो कि वह ....रुपया मय खर्चा नालिश व ब्याज वसूल होने के दिन तक वादी को अदा कर दे नहीं तो शिड्यूल (अ) में लिखी हुई जायदाद नीलाम की जावे और उससे वादी के मतालबे की बेबाक़ी करा दी जावे।

(३) इसी प्रकार का दूसरा दावा

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है :—

१—वादी ने १२ जुलाई सन् १६—ई० को नीचे लिखी हुई ज़मींदारी (यहाँ पर ज़मींदारी का विवरण देना चाहिये) प्रतिवादी रघुबर के पूर्वजों के हाथ ४०२७॥) रुपया को बेचा और कुल रुपया ख़रीदार के पास ऋण बेबाक करने के लिये अमानत के रूप में छोड़ा।

२—प्रतिवादी के पूर्वाधिकारी ने कुल अमानत में से केवल २०००) रुपया अदा किये, शेष २०२७॥) रुपया नीचे लिखे हुये क़र्ज़दारों को, जो बैनामे में लिखा हुआ है अदा नहीं किया।

३—उन ऋण देने वालों ने जिनका रुपया निकलता था वादी से तक़ाज़ा किया और नालिश करने को तत्पर हुए इसलिए वादी ने वह रुपया अदा कर दिया।

४—वादी २०२७॥) रु० को, जो ऋण का अदा नहीं किया गया, बेची हुई जायदाद को नीलाम करा कर वसूल करने का अधिकारी है।

५—कर्ज़ देने वालों के रुपये का सूद १) सैकड़ा मासिक था जो कि वादी को प्रतिवादी के पूर्वाधिकारी के अनुचित कार्य्य के कारण देना पड़ा, वादी उसी दर से ब्याज पाने का अधिकारी है।

२८–न्यास, ट्रस्ट या अमानत

ट्रस्ट एक सम्पत्ति स्वामित्व सम्बन्धी जिम्मेदारी होती है और उस विश्वास से उत्पन्न होती है जो दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों या दूसरे अन्य स्वामी के लाभ के लिये (जिम्मेदारी लेने वाले में) किया जाय और वह उसको स्वीकार करे या उसकी घोषणा की जाय और वह उसको स्वीकार करे।

वह व्यक्ति जो विश्वास करता है या उसकी घोषणा करता है, "ट्रस्ट कर्त्ता" या उत्पन्न करने वाला (धरोहर रखैय्या) कहलाता है। वह व्यक्ति जो उस विश्वास को स्वीकार करता है "ट्रस्टी" या धरोहरी कहलाता है। वह व्यक्ति जिसके लाभ के लिये विश्वास स्वीकार किया जाता है लाभपायक (Beneficiary, Cetique Trust) कहा जाता है। जिसके सम्बन्ध में ट्रस्ट होता है वह "ट्रस्ट सम्पत्ति" या धरोहर या माल धरोहर कहलाती है। और लाभपायक का अधिकार वह अधिकार होता है जिससे वह ट्रस्टी के मुक़ाबिले में ट्रस्ट सम्पत्ति के स्वामी का स्थान पाता है और यदि कोई पत्र या दस्तावेज़ हो, जिसके द्वारा ट्रस्ट की घोषणा की गई हो वह ट्रस्ट-पत्र कहलाता है। और किसी कर्त्तव्य का निषेध जो कि ट्रस्टी पर, ट्रस्टी की हैसियत से किसी कानून के कारण उस समय करना अनिवार्य हो, ट्रस्ट-निषेध कहलाता है (एक्ट २ सन् १८८२, धारा ३)।[1]

ट्रस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण ट्रस्ट और दूसरा विशेष ट्रस्ट। साधारण ट्रस्ट जो किसी धार्मिक या पुण्य के कार्य से सम्बन्ध रखते हों, और उनके किसी ट्रस्टी को पृथक करने अथवा अन्य ट्रस्टी को नियुक्त कराने या ट्रस्ट की किसी सम्पत्ति का प्रबन्ध करने, इत्यादि के लिये दावे, दो अथवा दो से अधिक ऐसे मनुष्यों की ओर से दायर किये जा सकते हैं जिनका ट्रस्ट में कोई स्वत्व हो अथवा जिनको ट्रस्ट से लाभ होता हो। ऐसे दावों में संग्रह ज़ाब्ता दीवानी की धारा ९२ के अनुसार प्रान्त के एडवोकेट जेनरल की अनुमति लेनी होती है।[2]

इन दावों में अन्य आवश्यक बातों के अतिरिक्त यह भी लिखना आवश्यक होता है कि ट्रस्ट में वादियों का क्या स्वत्व है जिससे उनको नालिश करने का अधिकार प्राप्त है और यह कि एडवोकेट जेनरल की अनुमति प्राप्त कर ली गई है। अर्जीदावे में वही प्रार्थना की जा सकती है जिसके लिये अनुमति प्राप्त की गई हो। ऐसे दावे अदालत ज़िला जज में ही दायर किये जाते हैं चाहे उनकी मालियत कुछ भी हो।

धारा ९२ ज़ाब्ता दीवानी के अतिरिक्त, किसी इमामबाड़ा, मसजिद या कब्रिस्तान इत्यादि से साधारण लाभ उठाने में उसके मुतवल्ली या किसी अन्य

1. Sec. 3, Indian Trusts Act, II of 1882
2. Sec. 92, C P C

पुरुष की ओर से विघ्न डालने पर, अथवा किसी मन्दिर या अन्य देव स्थान में किसी प्रकार की रोक टोक लगाने पर, वह मनुष्य जिनके लिये ऐसी मस्जिद या देवालय स्थित किया गया हो, दावा कर सकते हैं। ये नालिशें साधारण दावों की तरह प्रत्येक अदालत में दायर की जा सकती हैं।

विशेष ट्रस्ट के सम्बन्ध में दावा लाभदायक अथवा उसके दायभागियों की ओर से ही किया जा सकता है और ऐसे दावों का ध्येय यह होता है कि ट्रस्ट का प्रबन्ध ट्रस्ट कर्त्ता की इच्छाओं के अनुसार किया जावे। कभी कभी ट्रस्टियों को ट्रस्ट की जायदाद अनाधिकारी मनुष्यों से पाने के लिये नालिश करनी होती है और कभी ट्रस्टी को किसी ट्रस्ट-सम्पत्ति के उचित अधिकारी जानने के लिये, जहाँ पर उसके एक से अधिक दावेदार हों, नालिश करनी पड़ती है। अन्तिम प्रकार के दावों, को Inter pleader suit कहते हैं।

ऐसे दावों के लिये जाप्ता दीवानी में एक विशेष आर्डर नं० ३५ दर्ज किया गया है जो देख लेना चाहिये। आर्डर ३५ नियम ५ के अनुसार एजेन्ट या किरायेदार अपने मालिक के विरुद्ध ऐसे दावे दायर नहीं कर सकता परन्तु ध्यान रहे कि एक रेलवे कम्पनी जिसको भेजने के लिये माल सुपुर्द किया गया हो, माल देने वाले की एजेन्ट नहीं होती और ऐसा दावा दायर कर सकती है।[1]

कोर्ट-फीस—कोर्ट-फीस ऐक्ट की परिशिष्ट २ आर्टिकल १७ (iii के अनुसार नियत कोर्ट-फीस इस्तकरार का लगता है।[2]

मियाद—किसी ट्रस्टी के विरुद्ध दावा दायर करने के लिये कोई मियाद नियत नहीं है और ट्रस्ट-जायदाद के लिये किसी समय, चाहे कितनी भी मियाद बीत गई हो दावा किया जा सकता है।[3] जहाँ पर कोई ट्रस्ट स्थित न हो परन्तु दोनों पक्षों का सम्बन्ध ट्रस्टी, और ट्रस्ट के लाभदायक के तुल्य हो, ऐसी दशा में आर्टकिल १२० के अनुसार मियाद ६ साल की होती है।[4]

नोट :—इस भाग में भिन्न भिन्न प्रकार के १५ वाद पत्रों के नमूने दिये गये हैं जिनसे ट्रस्ट से सम्बन्धित हर प्रकार का अर्जीदावा तैयार किया जा सकता है।

---

1 28 I. C 948, 17 B L R 339

2 A I R 1928 Lah 113 ; 61 I. C 820

3. Sec 10, Limitation Act.

4 22 A. L J 866

*(१) अमानत रखने वाले की, दो दावेदारों का झगड़ा तय करने के लिये नालिश

(Intenpleder Suit)

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—नीचे लिखी हुई चीज़ों को (अ—ब) ने वादी के पास (यहाँ पर जायदाद का विवरण देना चाहिये) सुरक्षित रखने के लिये अमानत में रक्खा था।

२—प्रतिवादी (क—ख) उस माल पर दावा करता है कि (अ—ब) ने वह माल उसके नाम कर दिया था।

३—प्रतिवादी (च—छ) भी उसी माल पर एक लिखे हुए दस्तावेज़ के आधार पर कि (अ—ब) ने वह माल उसके नाम लिख दिया था दावा करता है।

४—वादी को इन दोनों प्रतिवादियों के स्वत्वो का ठीक हाल मालूम नहीं है।

५—वादी का उस माल पर केवल खर्च इत्यादि के और कोई दावा नहीं है और वह उसको उस मनुष्य के हाथ जो अदालत करार दे हवाला कर देने को राज़ी और तत्पर है।

६—यह नालिश किसी प्रतिवादी के साथ साज़िश करके या मिल कर नहीं की गई।

७—(दावे का कारण उत्पन्न होने की तारीख)—

८—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थना करता है कि—

(१) हुक्म इमतनाई से प्रतिवादी इस माल की बाबत वादी पर दावा करने से रोक दिये जावें।

(२) उनको हुक्म हो कि अपने स्वत्वों का अदालत से फैसला करालें।

(३) किसी मनुष्य को जब तक अदालती झगड़ा चले उस माल के लिये रिसीवर नियत किया जावे।

(४) उस मनुष्य को माल हवाला हो जाने पर वादी को बरी कर दिया जावे और इस माल के बाबत प्रतिवादी में से किसी का वादी से कोई सम्बन्ध न रहे।

---

* नोट यह ज़ाप्ता दीवानी के शिड्यूल (१) अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नं० ४० है।

(२) इसी प्रकार की दूसरी नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है:—

१—वादी का बैंक फीरोजाबाद में आरयन बैंक लिमिटेड (Aryan Bank Ltd.) के नाम से जारी है।

२—इस बैंक में एक मनुष्य रामदास का रुपया सेविङ्गस बैंक में बतौर अमानत जमा था जो ३) रु० सैकड़ा वार्षिक सूद के साथ उक्त रामदास के माँगने पर बैंक को देना था।

३—रामदास का ता०......को देहान्त हो गया उस समय उसके रुपये व सूद की संख्या २२३२।=) थी।

४—इस रुपया को प्रथम प्रतिवादी इस बयान से माँगता है कि वह मृतक रामदास का कुटुम्बी भतीजा और दायभागी है।

५—इस रुपया को द्वितीय प्रतिवादी इस बयान से माँगता है कि वह मृतक रामदास का गोद लिया हुआ लड़का है और इसलिये उत्तराधिकारी है।

(यहाँ पर नमूना नं० १ भाग २८ का फिक्रा नं० ४ से ८ तक लिखना चाहिये)

* (३) मृतक की जायदाद के प्रबन्ध के लिये कर्जदारों की ओर से, प्रोबेट लेने वाले पर नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है।

१—प्रयाग निवासी मृतक अ—ब— अपने देहान्त के समय वादी के......रुपया का कर्ज़दार था और उसकी जायदाद अब भी कर्जदार है (यहाँ पर यह लिखना चाहिये की कर्ज़ा किस प्रकार था और कोई ज़मानत थी या नहीं)।

२—उक्त अ—ब— ता०......को मर गया और अपने अन्तिम मृत्यु लेख (निष्ठा पत्र, वसीयत नामा) से क —ख— को निष्ठा (वसी—executor) नियत कर गया है (या उसने अपनी जायदाद दान (वक़्फ़) कर दी या वसीयत रहित मर गया, जैसी परिस्थिति हो लिखना चाहिये)।

---

* नोट—यह ज़ाब्ता दीवानी का शिड्यूल १ अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नम्बर ४१ है।

३—उस वसीयत को क—ख—ने प्रमाणित किया (या उसने मृतक अ—ब— की सम्पति का प्रबन्ध पत्र—प्राप्त किया)।

४—प्रतिवादी ने मृतक (अ—ब) को चल और अचल सम्पति (या उसकी आमदनी) पर कब्ज़ा कर लिया और वादी को वह ऋण अदा नहीं किया।

५ - बिनाय दावी—

६—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

मृतक (अ—ब) की चल व अचल सम्पत्ति का हिसाब लिया जावे और उसका प्रबन्ध अदालत की डिग्री के अनुसार किया जावे।

*(४) मृतक की जायदाद से कोई विशेष वस्तु पाने वाले का दावा

ऊपर लिखे नमूना नम्बर ३ को इस प्रकार बदल दो—

धारा नम्बर १ को काट कर धारा नं० २ इस तरह से शुरू करना चाहिये—

१—मृतक अ—ब - निवासी थान..... का, ता०.... को या लग-भग ता० ...... को देहान्त हुआ। उसने अपने अन्तिम ता०...... के लिखे हुए वसीयतनामे से (क—ख) को अपना वसी नियत किया और उसी वसीयतनामे से वादी के नाम (यहाँ पर जो चीज़ वादी को दी गई हो लिखना चाहिये) की और उसके लिये छोड़ी।

२—प्रतिवादी (अ—ब) अचल सम्पत्ति पर अधिकारी है और उसके अतिरिक्त (यहाँ पर खास चीज़ों के नाम देना चाहिये) पर भी अधिकारी है।

(वादी की प्रार्थना यह होगी कि प्रतिवादी को हुक्म हो कि वह नीचे लिखी हुई चीज़ें वादी के हवाले करे)।

(सूची)

† (५) मृतक की जायदाद से नक़द रुपया पाने वाले की नालिश

(सिरनामा)

ऊपर दिया हुआ नमूना नम्बर ३ इस प्रकार बदल देना चाहिये—

(धारा नम्बर १ काट देनी चाहिये और धारा नम्बर २ के बजाय यह लिखना चाहिये)।

१— मृतक (अ—ब), निवासी स्थान .... का, ता०......को देहान्त हुआ और उसने अपने ता०.... के लिखे हुये अन्तिम मृत्यु लेख (वसीयतनामे) से (क—ख)

---

* नोट—यह ज़ाब्ता दीवानी के अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नम्बर ४२ है।

† नोट—यह ज़ाब्ता दीवानी के अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नम्बर ४३ है।

को निष्ठा (वसी) नियत किया और उसी (वसीयतनामे) से वादी के लिये ......रुपया नकद वसीयत करके छोड़ा ।

२—धारा नं० ४ में शब्द 'ऋण' के बजाय "वसीयती रुपया" लिखना चाहिये ।

(६) यही नमूना अर्थात् नं० ५ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—अ—ब .....निवासी स्थान......का, ता०......को देहान्त हुआ और उसने अपने अन्तिम वसीयतनामे को नियमानुसार, ता० १ मार्च सन् १६......ई० को इस प्रकार लिखवाया, .. . कि वर्तमान प्रतिवादी और च—छ—(जो कि उसके सामने ही मर गया) वसी नियत किये और अपनी चल और अचल सम्पत्ति उनके पास इस हेतु से छोड़ी कि वह लोग उक्त जायदाद का किराया और आमदनी वादी को उसके जीवित रहते हुए देते रहें और मरने पर उसके यदि कोई लड़का जो कि २१ वर्ष का हो जाय या कोई लड़की जो इतनी ही आयु को पहुँची, हो, तो उसको देते रहें और ऐसा न होने पर उसकी अचल सम्पत्ति बतौर अमानत उस मनुष्य के लिये रहे जो कि उसका उत्तराधिकारी हो और उसकी चल सम्पत्ति उन मनुष्यों को पहुँचे जो कि वादी के देहान्त होने के समय कुटुम्बी हों ।

२—प्रतिवादी ने वसीयतनामा (ता० ४ अक्टूबर सन् १६—ई०) को प्रमाणित किया । वादी की अभी शादी नहीं हुई है ।

३—मृतक अपने देहान्त के समय चल और अचल सम्पत्ति का अधिकारी था। प्रतिवादी ने अचल सम्पत्ति का किराया वसूल किया और चल सम्पत्ति भी अपने अधिकार में करली है और कुछ अचल सम्पत्ति बेच भी डाली है ।

४—(दावे का कारण व मालियत)—

वादी प्रार्थी है—

(अ) यह कि मृतक अ—ब— की चल व अचल सम्पत्ति का प्रबंध इस अदालत से हो और इस हेतु यथायोग्य आज्ञा दी जावे ।

(ब) अदालत अन्य कोई हुक्म देना उचित समझे सादिर करे ।

* (७) एक ट्रस्टी की ओर से ट्रस्ट की पूर्ति के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

* नोट—यह ज़ाब्ता दीवानी के अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नं० ४४ है ।

१—वादी अन्य मनुष्यों के साथ एक समर्पण पत्र का जो ता०........को अ—ब— और क—ख— यानी प्रतिवादी के पिता व माता में विवाह होते समय लिखा गया था, एक ट्रस्टी है। (या एक दस्तावेज़ का, जो कि अ—ब— की जायदाद के बाबत, प्रतिवादी इत्यादि उसके ऋण देने वालों के लाभ हेतु लिखा गया, एक ट्रस्टी है)।

२—वादी ने ट्रस्ट की पूर्ति का भार अपने ऊपर लिया और वह समर्पण पत्र से दिलाई हुई चल और अचल सम्पत्ति पर (या उसकी आमदनी पर) काबिज है।

३—प्रतिवादी ज—द— ने उस दस्तावेज़ की पूर्ति के लिये दावा कर रक्खा है।

४—विनायदावा—

५—दावे की मालियत—

वादी चाहता है कि वह कुल लगान व जायदाद के लाभ का हिसाब और चल व अचल सम्पत्ति का जो कुछ रुपया जो उसको ट्रस्टी की हैसियत से मिला, उसका हिसाब समझावे इसलिये वादी प्रार्थी है कि अदालत ज—द— या और ऐसे मनुष्यों के सामने जिनका उसमें लाभ हो ट्रस्ट का हिसाब वादी से ले और ट्रस्ट की कुल जायदाद का प्रबन्ध प्रतिवादी ज—द— इत्यादि के हेतु काम में लावे।

(८) ट्रस्ट से लाभ उठाने वाले की ओर से ट्रस्ट की पूर्ति के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी अन्य कई मनुष्यों के साथ ता० ... के लिखे हुये समर्पण पत्र से एक लाभ उठाने वाला मनुष्य है।

२—प्रतिवादी ज—द— ने ट्रस्ट की पूर्ति का भार अपने ऊपर लिया और समर्पण पत्र से दिलाई हुई चल और अचल सम्पत्ति और उसकी आय पर अधिकृत है।

३—वादी समर्पण पत्र के अनुसार उसकी पूर्ति से लाभ उठाने का अधिकारी है।

४—विनायदावा—

५—दावे की मालियात—

६—वादी चाहता है कि प्रतिवादी ज—द— चल और अचल सम्पत्ति के कुल किराये, लगान व लाभ इत्यादि का और चल व अचल सम्पत्ति या उसके किसी क्रय किये हुये हिस्से के रुपये का हिसाब समझा देवे इसलिये वादी प्रार्थी है कि प्रतिवादी ज—द— को हुक्म हो कि वह अदालत में वादी और अन्य लाभ उठाने वाले पुरुषों के सामने उक्त ट्रस्ट का कुल हिसाब समझावे और ट्रस्ट की कुल जायदाद वादी और अन्य लाभ उठाने वाले पुरुषों के हेतु प्रबन्ध की जावे या ज—द— ऐसा न करने का कारण बतलावे।

(९) मैनेजर को हटाने और ट्रस्ट की पूर्ति के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—स्थान फरुखाबाद मुहल्ला मदार दर्वाजे में वादी के दादा रामसिंह का बनवाया हुआ एक श्रीकृष्ण जी का मन्दिर बहुत दिनों से स्थापित है।

२—उक्त रामसिंह ने मन्दिर के राग व भोग के लिये नीचे लिखी हुई सम्पत्ति पुण्य की और उसके मैनेजर और प्रबन्धकर्ता बाल किशुन, भोजराज, होती लाल कौम वैश्य निवासी फरुखाबाद को ता०......के दानपत्र (वक्फ़नामे) के अनुसार उक्त पदों पर नियत किया।

३—यह प्रबन्धकर्ता पुण्य की हुई सम्पत्ति का दानपत्र (वक्फ़नामे) के अनुसार प्रबन्ध करते रहे। एक एक करके इन तीनों का देहान्त हो गया। प्रथम प्रतिवादी, वर्तमान मैनेजर व प्रबन्धकर्ता है, और पुण्य की हुई सम्पति पर अधिकारी है।

४—उसने दानपत्र की शर्तों के विरुद्ध पुण्य की हुई सम्पत्ति का कुछ भाग ता०......के लिखे हुये सादा रहननामे से द्वितीय प्रतिवादी के पास रहन कर दिया है और कुछ हिस्से का सर्वकालिक (दवामी) पट्टा ता०......को तृतीय प्रतिवादी के नाम लिख दिया है और उसको दखल दे दिया है।

५—पुण्य की हुई सम्पत्ति की वार्षिक आय लगभग २०००) रुपया होती है जिसमें से मन्दिर का व्यय केवल ५००) रु० वार्षिक है। बाक़ी रुपया प्रतिवादी अनुचित रीति से अपने काम में लाते हैं जो कि तृतीय प्रतिवादी, सर्व कालिक पट्टेदार वसूल करता है।

६—प्रथम प्रतिवादी के कुप्रबन्ध से मन्दिर की मरम्मत नहीं की गई और दर्शन वाले कम आते हैं। राग व भोग उचित प्रकार से नहीं लगाया जाता और न प्रशाद बटता है। वादी पुण्यकर्ता रामसिंह का दायभागी है और दानपत्र के अनुसार सम्पत्ति के प्रबन्ध और उसकी आय-व्यय से सम्बन्ध रखता है और नालिश करने का अधिकारी है।

७—बिनायदावा—प्रतिवादी के अनुचित रीति से रुपया अपने काम में लाने की तारीख से और विशेप प्रकार से सादा रहननामा और सर्वकालिक पट्टा लिखे जाने के दिन से।

८—दावे की मालियत (नियत कोर्ट फीस लगेगा)।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) प्रथम प्रतिवादी मैनेजरी की पदवी से हटाया जावे और उससे हिसाब लिया जावे।

(ब) अन्य मैनेजर व प्रबन्धकर्ता नियत किये जावें।

(क) पुण्य की हुई कुल सम्पत्ति द्वितीय प्रतिवादी के सादा रहननामें और तृतीय प्रतिवादी के सर्वकालिक पट्टे को रद्द कर के मैनेजर व प्रबन्धकर्ताओं के अधिकार में दी जावे।

(ख) भविष्य के प्रबन्ध के लिये ता०......के दानपत्र के अनुसार कार्य-प्रणाली (स्कीम) बना दी जावे ।

(ग) नालिश का व्यय इत्यादि दिलाया जावे ।

(सम्पत्ति का विवरण)

(१०) प्रबन्धकर्ता को हटाने के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है : —

१—लगभग २० साल से स्थान मथुरा में मुहल्ला विसराँत घाट पर साहू सुखलाल की स्थापित की हुई एक धर्मशाला स्थित है ।

२—इस धर्मशाला में यात्री लोग बिना किराया ठहरते हैं और उसके दर्वाज़े पर आरम्भ से ही सदाब्रत बँटता है जहाँ पर प्रत्येक फकीर व साधू को आधा सेर आटा, आध पाव दाल और लकड़ी, मसाला, इत्यादि मिलते हैं और तीन कहार और दो अन्य मनुष्य यात्रियों की सेवा और सदाब्रत के प्रबन्ध हेतु नौकर रहते हैं ।

३—इस कुल खर्च और धर्मशाला की मरम्मत इत्यादि के लिये शमशपुर, फतेहाबाद, इसलाम नगर, और उन्नपुर की ज़मीदारी लगी हुई हैं जो एक मैनेजर के प्रबन्ध में रहती है और वही मैनेजर धर्मशाले के खर्च व उसकी निगरानी का प्रबन्ध करता है ।

४—मैनेजर के नियत होने व हटाये जाने के बारे में साहू सुखलाल ने ता०...... के ट्रस्टनामे में, जिससे धर्मशाला स्थापित हुई यह शर्त लिखी है "कि यदि मैनेजर ऊपर लिखा हुआ व्यय उचित रीति से न करे या धर्मशाला या सदाब्रत के प्रबन्ध में खराबी हो या वह धर्मशाला व सदाब्रत के हेतु सम्पत्ति की आय को अपने कार्य में लावे तो उसके बजाय दूसरा मैनेजर नियत किया जावे" ।

५—ता० . ..ई० से प्रतिवादी धर्मशाला और उसके सबधी सम्पत्ति का मैनेजर है और दोनों पर अधिकार रखता है ।

६—प्रतिवादी ने धर्मशाला व सदाब्रत का प्रबन्ध बिलकुल बिगाड़ दिया है, यात्री लोगों की कुछ सेवा नहीं होती और उनको कष्ट उठाना पड़ता है इससे बहुत कम यात्री धर्मशाले में ठहरते हैं । नौकर पाँच के बजाय २ या ३ रहते हैं और माँगने वालों को सदाब्रत नहीं मिलता और मिलता भी है तो बहुत कम ।

७—प्रतिवादी सम्पत्ति की आय में से लगभग आधी अनुचित रीति से अपने काम में ले आता है और आधी धर्मशाला इत्यादि में खर्च करता है ।

८—धर्मशाला व सदाब्रत के सुप्रबन्ध के हेतु वर्तमान मैनेजर का हटाया जाना और किसी दूसरे उचित पुरुष का नियत होना जो ता०......के ट्रस्टनामें के अनुसार प्रबन्ध करे अत्यन्त आवश्यक है ।

९—वादी साहू सुखलाल के कुटम्बी हैं और उनको धर्मशाला व सदाव्रत का उचित प्रबन्ध रखने व निगरानी का अधिकार ट्रस्टनामे में दिया गया है।

(या वादियों ने नालिश करने की आज्ञा धारा ९२ ज़ाप्ता दीवानी के अनुसार एडवोकेट जनरल से ले ली है।)

१०—बिनाय दावा—

११—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) प्रतिवादी मैनेजरी के पद से हटा दिया जावे और उसकी जगह उचित प्रबन्धकर्ता नियत किया जावे।

(ब) भविष्य के मैनेजर को हुक्म हो कि वह ता०......के ट्रस्टनामे के अनुसार प्रबन्ध करे।

(११) वक़्फ़ की हुई सम्पत्ति के मुतवल्ली को हटाने के लिये दावा

१—मौजा......परगना......में......बिस्वा जमींदारी बहुत दिनों से दर्गाह शाह अजमल के खर्च व क़ायमी के लिये मुआफ चली आती है।

२—इस आमदनी से मुहर्रम के दिनों में मजलिस होती है, दर्गाह पर फातहा पढ़ी जाती है और गरीब और फक़ीरों को रोटियाँ बाँटी जाती हैं।

३—प्रतिवादी इस दर्गाह का मुतवल्ली है और मुतवल्ली की हैसियत से फ़िक़रा नम्बर १ में लिखी हुई जायदाद पर काबिज़ है और उसकी आमदनी वसूल करता है।

४—प्रतिवादी ने दर्गाह का खर्च बहुत कम कर दिया है और दान की हुई जायदाद की आमदनी का बहुत सा रुपया अपने ज़ाती काम में लाता है।

५—पिछले साल में दान की हुई जायदाद की कुल आमदनी करीब ५०००) रु० हुई जिसमें मुश्किल से प्रतिवादी ने ५००) रु० दर्गाह के खर्च में सर्फ किया और बाकी रकम नाजायज तौर से अपने काम में लाया।

६—इससे पिछले वर्ष भी प्रतिवादी ने ऐसा ही किया था। वह मुतवल्ली के पद पर रहने योग्य नहीं है। वादी उस दर्गाह के मुजावर हैं और दर्गाह पर खर्च किये जाने से लाभ उठाते हैं।

७—वादियों ने ज़ाब्ता दीवानी के दफा ९२ के अनुसार नालिश करने की एडवोकेट जनरल से आज्ञा प्राप्त करली है।

(१२) मन्दिर की सेवा व पूजा को अनुचित रीति से रोकने पर नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—मुहल्ला पक्की सराय शहर कोल में एक महादेव जी का पंचायती मन्दिर है जिसमें वहाँ के हिन्दू निवासी दोनों समय पूजा व दर्शन को जाते हैं।

२—वादी ५० वर्ष के पूर्व से उस मुहल्ला में रहता चला आता है और सदा से उस मन्दिर में यथोचित दर्शन व पूजा करता चला आया है।

३—ता०......को वादी उक्त मन्दिर में दर्शन व पूजा के लिये गया। प्रतिवादी ने विना किसी अधिकार के वादी को दर्शन और पूजा न करने दिया।

४—प्रतिवादी मन्दिर का मालिक नहीं है और न उसको किसी प्रकार से वादी को दर्शन व पूजा से रोकने का हक़ या अधिकार है।

५—विनाय दावा—

६—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि एक सर्वकालिक आज्ञा प्रतिवादी को इस बात की दी जावे कि वह वादी को मन्दिर में पूजा व दर्शन करने से न रोके और न किसी तरह की रुकावट डाले।

(१३) मसजिद में नमाज़ पढ़ने से रोकने पर

१—मछली बाज़ार शहर कानपुर में एक मसजिद बहुत दिनों से बनी हुई है जिसमें मुसलमान इसतहक़ाकन पञ्च रोजा पढ़ते हैं।

२—वादी मुहल्ला खुलदाबाद का रहने वाला है जो उस मसजिद से लगा हुआ है और वह इस मसजिद में अपने होश से नमाज़ पढ़ता चला आया है।

३—प्रतिवादी अपने आप को मसजिद का मैनेजर बतलाता है। उससे और वादी से नियमों (अक़ायद) में मत भेद है जिससे आपस में विरोध रहता है।

४—ता०......को प्रति दिन की तरह नमाज़ पढ़ने के लिये वादी मसजिद में गया। प्रतिवादी ने उसको नमाज़ नहीं पढ़ने दी और उसको मसजिद में जाने से रोका।

५—वादी को इस मसजिद में नमाज़ पढ़ने का हक़ है और प्रतिवादी को इस हक़ को बन्द करने या उसमें रुकावट डालने का कोई अधिकार नहीं है।

(१४) क़ब्रस्तान में मुर्दा दफ़न करने से रोकने पर

१ - वादी मौज़ा खानपुर जिला बुलन्दशहर का रहने वाला है और कौम का शेख है।

२ —इस मौज़े में आराजी नम्बरी २५ रक्बी ३ बीघा क़ब्रस्तान है जिसमें मौज़े के रहने वाले शेखो के मुर्दे प्राचीन काल से दफन होते हैं।

३—प्रतिवादी उस मौज़ा का जमींदार है और वह वादी के उस क़ब्रस्तान में मुर्दे दफन होने से रोकता है।

४—ता०......को वादी के यहाँ एक मौत हुई और उसने लाश को क़ब्रस्तान में दफन करना चाहा लेकिन प्रतिवादी ने ऐसा नहीं करने दिया।

(बाकी जैसा कि नं० १२ में)

(१५) दान की हुई सम्पत्ति के बचाने के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है —

१—वादी के दादा (क—ख—) ने नीचे लिखी हुई चौहद्दी का एक मन्दिर स्थान......में बनवा कर उसमें बिहारी जी की मूर्ति स्थापित की और उसको कुटुम्बी लोग मन्दिर की तरह बरतते रहे।

२ - उक्त क—ख— उस मन्दिर में स्वय भी पूजा करते थे और अपने जीवन भर उसकी निगरानी और प्रबन्ध अपने आप करते रहे और मन्दिर की सेवा व पूजा के लिये एक मनुष्य च - छ— उसका पुजारी नियत कर दिया था।

३—क—ख— के देहांत के बाद वादी के पिता अ—ब— और अ—ब— के देहात के बाद वादी बराबर उक्त मन्दिर में पूजा करते रहे और उसके प्रबन्धक रहे और च—छ— पुजारी की हैसियत से मन्दिर की पूजा और सेवा का काम करता रहा।

४— प्रायः ५ साल हुये होगे कि च - छ—का देहान्त हो गया। वादी ने उसके बजाय उसके लड़के (प—ल—) प्रतिवादी को पुजारी नियत कर दिया। वह उसकी पूजा व सेवा का काम वादी की निगरानी में करता रहा।

५—प—ल— ने बिना किसी अधिकार के और वादी को बिना मालूम हुये उक्त मन्दिर को मकान की हैसियत से ता०......के दस्तावेज़ से एक मनुष्य म—न — के यहाँ रहन कर दिया और म - न - ने उस दस्तावेज़ के आधार पर नालिश करके डिग्री नम्बरी ......अदालत ...से प - ल - के ऊपर प्राप्त कर ली और उसके इजराय में उक्त मन्दिर को नीलाम कराया है।

६—प्रतिवादी आपस में मिले हुये हैं और वह वादी के कुटुम्बी मन्दिर को मकान मान कर वेचना और अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं और उन्होंने नालिश और इजराय की कुल कार्यवाही जानबूझ कर छिपा रक्खी थी।

७—प्रायः एक महीना हुआ होगा कि वादी को प्रतिवादी की धोके और चालाकी का ज्ञान हुआ। उसने प्रतिवादी से झगड़ा हटाने के लिये कहा लेकिन वह इस ओर ध्यान नहीं देते।

८—विनाय दावा (वादी की सूचना होने के दिन से)।

९—दावे की मालियत, (जायदाद की मालियत, परन्तु नियत कोर्ट फीस दिया जावेगा)

वादी प्रार्थी है कि—

अदालत से यह हुक्म हो कि नीचे लिखी हुई सम्पत्ति बिहारी जी का मन्दिर और वादी के कुटुम्ब की पूजा करने का स्थान है और इजराय डिग्री नम्बरी......अदालत ..... से नीलाम होने योग्य नहीं है।

२९—सम्मिलित सम्पत्ति (जायदाद मुश्तर्का)

सम्मिलित सम्पत्ति के सम्बन्ध में हिस्सेदारों में कई प्रकार की नालिशें हो सकती हैं। अधिकतर सम्मिलित सम्पत्ति के बटवारे के लिये दावा दायर किये जाते हैं, जिससे हर एक हिस्सेदार का भाग या हिस्सा पृथक्-पृथक् कर दिया जावे। ऐसा दावा प्रत्येक हिस्सेदार, बालिग हो या नाबालिग (वयस्क हो या अवयस्क) दायर कर सकता है। इनमें बाकी कुल हिस्सेदारों को प्रतिवादी बनाना चाहिये और अर्जीदावा में सम्पत्ति का सम्मिलित होना और वादी का अपने हिस्से का अधिकारी होना, और यह कि उसका जायदाद या उसके किसी भाग पर कब्जा है या नहीं, लिखना चाहिये।

यदि बटवारा किसी विशेष रूप से कराना मंजूर हो, जैसे किसी भागी को कोई विशेष भाग दिया जावे, तो ऐसा करने के लिये आवश्यक घटनायें अर्जीदावा में लिखना चाहिये जैसे कि उस हिस्सेदार ने उस भाग पर कोई विशेष खर्च किया हो या मकान बनवाया हो। यदि सम्मिलित सम्पत्ति एक से अधिक अदालतों के अधिकार सीमा में स्थित हो तो संग्रह जाब्ता दीवानी धारा १७ के अनुसार उनमें से किसी एक अदालत में विभाजन का दावा किया जा सकता है।

बटवारा के अतिरिक्त यदि एक हिस्सेदार दूसरे को हिस्सेदार सम्मिलित सम्पत्ति से बेदखल कर देवे और उसका कुल मुनाफा या लाभ स्वयं वसूल कर

लेवे या ऐसी सम्पत्ति को मकान बनवाकर अथवा अन्य प्रकार से अपने अनुचित अधिकार में कर लेवे या उसका नाजायज़ परिवर्त्तन रहन, पट्टा इत्यादि कर देवे, इन सब दशाओं में दूसरे भागी उचित नालिश कर सकते हैं। इस खण्ड में ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की नालिशों के नमूने दिये गये हैं।

सम्मिलित सम्पत्ति के विभाजन से एक भागी, कुल मुश्तरका मिलकियत और कब्ज़ा के बजाय उसके एक भाग का अकेला स्वामी और अधिकारी हो जाता है। इसलिये बटवारे के दावे उन्ही हिस्सेदारों में किये जा सकते हैं जिनका एक सा हक़ हो और वह उस जायदाद पर काबिज हों।[1]

कोई हिस्सेदार सम्मिलित सम्पत्ति के बटवारा का दावा कर सकता है और प्रतिवादी का यह प्रतिवाद पर्याप्त नही होता कि वादी ने पूरी सम्मिलित सम्पत्ति वाद में शामिल नहीं की, जब तक कि दावा हिन्दू अविभक्त कुल की सम्पत्ति के विभाजन का न हो।[2]

सम्मिलित और संयुक्त मिलकियत का यह एक विशेष अन्तर है कि यदि सम्मिलित सम्पति पर वादी काबिज न हो तो वह तक़सीम की डिगरी पाने का हकदार नही होता।[3] ऐसी हालत में दावा तक़सीम और दखल, दोनों का होना चाहिये।

इन दावों में (१) वादी का हिस्सा (२) वह वर्णन जिनसे वादी का उस हिस्से का मालिक होना प्रगट हो (३) जायदाद का सम्मिलित होना और (४) यह कि वादी जायदाद पर सम्मिलित रूप से काबिज है दिखाना चाहिये।

तकसीम के लिये पहले प्रारम्भिक (इब्तदाई) डिगरी दी जाती है, जिससे वादी का भाग सीमित कर दिया जाता है और तकसीम हो जाने के बाद वह डिगरी पूर्ण (क़तई) हो जाती है। इन दावों की एक विशेषता यह भी है कि जहाँ पर एक से अधिक प्रतिवादी हों वहाँ पर कोई प्रतिवादी भी अपना हिस्सा पृथक करा सकता है, ऐसी हालत में उस प्रतिवादी की हैसियत भी बतौर वादी के तुल्य हो जाती है। परन्तु यदि कोई प्रतिवादी अपना हिस्स पृथक् कराना चाहे तो उसको अपने हिस्से पर उचित कोर्ट फीस देनी होती है।

कोर्टफ़ीस—जहाँ पर वादी सम्मिलित रूप से जायदाद पर काबिज़ हो चाहे उसके किसी भाग पर उसका कब्ज़ा हो, तो कोर्ट फीस एक्ट के परिशिष्ट २ आर्टिकल १७ के अनुसार नियत कोर्ट फीस दस रुपया का लगता है, और जहाँ पर वह काबिज़ न हो तब मालियत के अनुसार पूरी कोर्टफीस लगती है और वादी के हिस्से की मालियत के अनुसार दावा की मालियत नियत होती है।

---

1 A I R 1930 Pat 177 (F B), 108 I C 809.

2 A I R 1929 Oudh 162, 1923 Mad 96

3. A I R 1923 Pat 162

संयुक्त प्रान्त में दफा ७ (vi) ए (Sec 7 (vi) A, Court Fees Act) के अनुसार वादी को अपने हिस्से की एक चौथाई मालियत पर रसूम देना चाहिये और यदि वादी बेदखल हो तो पूरी मालियत पर रसूम देना चाहिये।

मियाद—यदि वादी सम्मिलित सम्पति पर क़ाबिज़ हो तो तमादी का प्रश्न नहीं उठता और दावा किसी समय दाख़िल किया जा सकता है परन्तु यदि वादी क़ाबिज़ न हो तो उसका कब्ज़ा हटने के १२ साल के अन्दर दावा दाख़िल होना चाहिये।[1]

(१) सम्मिलित मकान के बटवारे के लिये।

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—एक मंज़िल पक्की हवेली उसके चारों ओर की ज़मीन के साथ, जिसकी चारों ओर की सीमा नीचे लिखी हुई है, मुहल्ला शाहपाड़ा शहर अलीगढ़ में बराबर २ हिस्से में नन्दराम व भूपाल दास की सम्मिलित सम्पत्ति थी।

२—नन्दराम के लड़के व वारिस छीतरमल और कामनीप्रसाद ने कुल मकान के अपने आधे हिस्से को वादी के पूर्वाधिकारी गुलज़ार खाँ को १८ मई १९......ई० को रहन किया।

३—गुलज़ार खाँ के देहात के बाद वादी ने उसके उत्तराधिकारी की हैसियत से हवेली के इस आधे हिस्से के नीलाम के लिये दावा छीतरमल व कामनी प्रसाद के ऊपर अदालत सिविलजजी अलीगढ़ में दायर किया और वह ता० १८ नवम्बर सन् १९ .... ई० को डिग्री हुआ। उसकी इजराय में २४ अगस्त सन् १९ .. ई० को नीलाम में वादी ने यह आधा हिस्सा खरीद किया और वह ६ मार्च सन् १९ .....ई० से अदालत के हुक्म के अनुसार उस पर क़ाबिज़ है।

४—मकान के सम्मिलित होने के कारण वादी अपनी मिलकियत से पूरा लाभ नहीं उठा सकता इस लिये, उसने भूपाल दास के लड़के व उत्तराधिकारी प्रतिवादी से जो कि आधी हवेली के साझीदार हैं बटवारा करने के लिये कहा लेकिन वह इस ओर ध्यान नहीं देते।

५—बिनाय दावा (बटवारा के अस्वीकार करने की अंतिम तारीख से)।

६—दावे की मालियत (मकान की क़ीमत के ऊपर)।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) नीचे लिखी हुई कुल हवेली के दो बराबर क़ुरे बनाये जावें और एक क़ुरे पर वादी को पृथक दखल दिलाया जावे।

---

1 Arts 127 and 144, Limitation Act

(ब) बटवारा इस प्रकार से किया जावे कि वादी को जमीन व मलवे (पत्थर लकड़ी) में आधा हिस्सा दिलाया जावे।

(क) नालिश का खर्चा दिलाया जावे।

(२) सम्मिलित मकान के एक हिस्से के बँटवारे के लिये

१—एक मंजिल पक्की हवेली स्थित मुहल्ला जानसेनगंज शहर कानपुर फरीकैन की मिलकियत इस तरह पर है कि कोठी के पूरब की ओर जो इमारत बनी हुई है वह अकेली वादी की मिलकियत है और जो कोठी के उत्तर की ओर इमारत है वह अकेले मुद्दायलह नम्बर १ की मिलकियत है और जो कोठी के दक्खिन ओर इमारत है वह अकेले मुद्दायलेह नम्बर २ की मिलकियत है लेकिन कोठी के पच्छिम की तरफ जो इमारत बनी हुई है जिसमें कि ज़ीना, पाखाना, सहन, फाटक इत्यादि हैं वह तीनों फरीकैन की बराबर २ हिस्से की सम्मिलित मिलकियत है।

२—कोठी के नकशे में जो साथ साथ पेश किया जाता है मुद्दई का हिस्सा लाल रंग से व मुद्दायलेह नं० १ का हिस्सा हरे रंग से और मुद्दायलेह नं० २ का हिस्सा पीले रंग से दिखाया गया है और सम्मिलित हिस्सा खाली छोड़ा गया है।

३—फ़रीकैन में सम्मिलित हिस्से को काम में लाने और इस्तैमाल के बारे में झगड़ा रहता है और वह उससे उचित लाभ नहीं उठा सकते।

४—प्रतिवादियों से बटवारे के लिये कहा गया और रजिस्ट्री नोटिस भी दिया गया लेकिन उन्होंने अभी तक बटवारा नहीं किया।

(३) सम्मिलित दखल और वासलात के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी और प्रतिवादी बराबर २ हिस्से के......बीघा पक्की आराज़ी नम्बरी... स्थान......के दख़ीलकार काश्तकार हैं।

२—उस ज़मीन पर वादी और प्रतिवादी का सम्मिलित अधिकार था और दोनों उसको मुश्तर्का जोतते बोते थे।

३—रबी १६—फ० में जब कि जौ और गेहूँ की फ़रीकैन की मुश्तर्का फसल जोती बोई हुई थी, प्रतिवादी ने बलात उस ज़मीन से वादी को अनाधिकृत करके उस पर अकेले अपना अधिकार कर लिया और कुल फसल को अपने काम में लाया।

४—उस फ़सल का मूल्य लगभग ४००) रुपया होगा।

५—वादी उस आराज़ी पर मुश्तर्का दखल पाने और रबी की फसल की आधी क़ीमत पाने का अधिकारी है।

६—बिनाय दावा (वादी की बेदखली के दिन से)

७—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) ऊपर लिखी आराजी पर वादी को मुश्तर्का दखल दिलाया जावे।

(ब) २००) रुपया बतौर हर्जा रबी सन् १९......फ० के बारे में और नालिश का खर्चा दिलाया जाय।

(४) साझीदार के अनुचित कार्य्य करने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी और प्रतिवादी मौजा झटगवाँ तहसील अनूपशहर में मुहाल तोताराम में ज़मींदार हैं।

२—उस मुहाल में एक आराज़ी नम्बरी ९३ आबादी की है जो कि खाली पड़ी हुई है। यह आराज़ी दोनों फरीक़ैन की सम्मिलित मिलकियत की है और वह दोनों ज़मींदारों की हैसियत से उस पर मुश्तर्का क़ाबिज़ हैं।

३—जुलाई सन् १९—ई० में प्रतिवादी ने वादी की सम्मति के विरुद्ध और उससे बिना पूछे हुये उस जमीन पर एक कच्चा मकान बनवाना शुरू किया और वादी के रोकने व मना करने पर भी नहीं माना।

४—प्रतिवादी अब भी उस मकान को बनवा रहा है और उसका विचार उसको बनवाये चले जाने का है।

५—उस कुल जमीन का अपने काम में ले आना प्रतिवादी के अधिकार के विरुद्ध है और उससे वादी की बेदखली हो जाती है।

६—बिनाय दावा—

७—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(अ) वादी को अर्जीदावे में लिखी हुई जायदाद पर प्रतिवादी की बनाई हुई तामीर (इमारत) तुड़वा कर या जो कुछ इमारत और बनवाई जावे उसको तुड़वा कर सम्मिलित अधिकार दिलाया जावे।

(५) इसी प्रकार का दूसरा दावा।

१—दोनों पक्षों के मकान मुहल्ला लखपती शहर हाथरस में एक ही गली में स्थित हैं

२—यह कूंचा दोनों पक्षों की सम्मिलित सम्पत्ति है और उसमें होकर दोनों का रास्ता है और दोनों मकानों के नाले गिरते हैं।

३—प्रतिवादी ने अपना मकान हाल में ही बनवाया है और लगभग दस दिन हुए होंगे कि उसने कूचे की ओर एक छज्जा गौख की प्रकार से अपनी दीवाल से ४ फीट कूंचे की तरफ़ में निकला हुआ बनवाना शुरू किया है। अभी गौख बन कर तैयार नहीं हुई और उस पर काम शुरू ही हुआ है।

४—प्रतिवादी का यह काम वादी के सम्मिलित अधिकार के प्रतिकूल हैं और वह बार २ कहने पर भी नहीं मानता।

(६) सम्मिलित सम्पत्ति के पट्टे की मंसूखी के लिये

१—मौज़ा चारई परगना इगलास मुहाल रामलाल में वादी आधे हिस्से का मालिक व जमींदार है।

२—प्रतिवादी नं० २ उस मुहाल का नम्बरदार है और आसामियों से लगान व तहसील वसूल करता है।

३—ता०......को प्रतिवादी नं० २ ने......बीघा पक्की आराज़ी नम्बरी...... (यहाँ पर तफ़सील देनी चाहिये) का बीस साल के लिये पट्टा...... रुपया वार्षिक पर प्रतिवादी नं० १ के नाम लिख कर ता० १ जुलाई सन् १६......ई० से उसको उस भूमि पर अधिकार दिला दिया।

४- वह जमीन आस पास की उसी तरह की और ज़मीनों के विचार से...... रुपया सालाना लगान की हैसियत की है और लगान प्रति दिन बढ़ता जा रहा है।

५—प्रतिवादी नं० १ प्रतिवादी नं० २ का सम्बन्धी है। यह पट्टा कम और अनुचित लगान पर प्रतिवादी नं० २ ने प्रतिवादी न० १ के नाम वादी को हानि पहुँचाने के लिये लिख दिया है।

६—नम्बरदार की हैसियत से प्रतिवादी नं० २ को ऐसा पट्टा लिख देने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिये वह पट्टा वादी और मुहाल के अन्य हिस्सेदारों के प्रतिकूल अनुचित व प्रभाव हीन है।

७—अन्य हिस्सेदार नालिश में शामिल नहीं हुए इस लिये उनको प्रतिवादी तृतीय पक्ष बनाया गया है।

(७) विभाजन के पश्चात् लिखे हुए पट्टे की मंसूखी और जायदाद पर दख़ल के लिये नालिश

१—वादी और द्वितीय प्रतिवादी मुहाल रामचन्द्र नगला रामनगर, परगना...... में हिस्सेदार थे और द्वितीय प्रतिवादी उसका नम्बरदार था।

२—वादी ने अपने हिस्से के बटवारे के लिये ता० ५ जुलाई सन् १६... ..ई० को अदालत माल में प्रार्थना पत्र पेश किया।

३—यह दरख्वास्त बहुत दिनों तक विचाराधीन रही और बटवारे की कार्रवाई होती रही। अन्त में तक़सीम का मुकदमा १ जून सन् १६ .....ई० को खतम हुआ और वादी का मुहाल अलग बन गया और बटवारा १ जुलाई सन् १६......ई० से काम में लाया गया।

४—तक़सीम के मुकदमे के दौरान में १५ बीघा पक्की आराजी का पट्टा द्वितीय प्रतिवादी ने दस साल के लिये १५०) रुपया सालाना लगान पर प्रथम प्रतिवादी के नाम लिखा दिया। आराजी के नम्बर इत्यादि नीचे शिड्यूल में अंकित हैं

५ - पट्टे में लिखी हुई आराज़ी का उचित सालाना लगान ३२५) रु० है और दिन प्रतिदिन लगान बढ़ता जाता है।

६ - उस जमीन का पट्टा इतने वर्ष के लिये इतने कम लगान पर द्वितीय प्रतिवादी ने वादी को बदनीयती से हानि पहुँचाने के लिये लिख दिया है और वह वादी की पाबन्दी के योग्य नहीं है। वह वादी के विरुद्ध अनुचित और प्रभाव-हीन है।

७—तक़सीम से पट्टे में लिखे हुये नम्बर के खेत जो कि शिड्यूल (ब) में दर्ज हैं वादी के क़ुरे में आये हैं।

८—शिड्यूल (ब) में लिखे हुए नम्बरों पर प्रथम प्रतिवादी का पट्टे के आधार पर क़ब्ज़ा नाजायज़ और बिना किसी अधिकार के है।

६—वादी शिड्यूल (ब) में लिखे हुए खेतों पर दख़ल पाने का दावेदार है।

१०—बिनाय दावी (१ जुलाई सन् १६ . ई०, बटवारा होने और बेदखली का हक़ पाने के दिन से)।

(८) एक हिस्सेदार का गैर साझीदार पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है : -

१—मुहाल मोतीराम मौजा मडराक़ में वादी हिस्सेदार व कुल मुहाल का नम्बरदार है।

२—उस मुहाल में नम्बर ७४ बगीचा है जिसमें १४ पेड़ नीम के खड़े हुए हैं और नम्बर ७५ ऊसर है जिसमें दो नीम, एक खजूर, तीन बबूल के पेड़ हैं और बहुत से नीम और बबूल के पौधे हैं।

३—प्रथम प्रतिवादी ने द्वितीय प्रतिवादी से मिल कर जो कि उस मुहाल में हिस्सेदार है नंबर ७४ व ७५ के पेड़ों को काटना शुरू किया है और वह बेधड़क पेड़ काट रहे हैं और उनकी लकड़ी अपने काम में लाना चाहते हैं।

४—प्रतिवादी को बिना वादी की सम्मति के पेड़ काटने या लकड़ी लेने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी का यह काम अनुचित और वादी के अधिकार के विरुद्ध है और वह हिस्सेदार व नबरदार की हैथियत से नालिश करता है।

५—बिनाय दावा—(पेड़ काटने के दिन से)।

६—दावे की मालियत—

बादी प्रार्थी है कि—

(अ) एक स्थायी निषेध आज्ञा प्रतिवादी के नाम निकाली जावे कि वह आराजी नंबरी ७४ व ७५ मुहाल मोतीराम मौजा मडराक के पेड़ न काटे और न उनकी लकड़ी अपने काम में लावे (इसकी मालियत ......रुपया)।

(ब) प्रतिवादी ने जितने पेड़ काट कर अपने काम में ले लिये हों उनकी क़ीमत वादी को दिलाई जावे और जितने की डिग्री की जावे उसका कोर्टफीस ले लिया जावे।

३०—हिन्दू अविभक्त कुल

हिन्दू अविभक्त कुल की सम्पत्ति की मिताक्षर शास्त्रानुसार कई विशेषताएँ होती हैं:—

(१) कुल के प्रत्येक सदस्य को जन्म से ही पैतृक सम्पत्ति अथवा अविभक्त कुल की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त होता है जिससे वह विशेष दशाओं में उसका विभाजन करा सकता है। चाहे यह उसके भाई, पिता या पितामह की इच्छा के विरुद्ध ही क्यों न हो।

(२) कुल का कोई सदस्य कुटुम्ब की उचित आवश्यकता के बिना और दूसरे सदस्यों की सम्मति बिना कुटुम्बी सम्पत्ति या उसके किसी भाग का परिवर्तन नहीं कर सकता। परन्तु पिता अपने पूर्व ऋण चुकाने के लिये या ऐसे कार्य के लिए जो न्याय विरुद्ध न हो या किसी अनुचित काम के लिये न लिया गया हो, जैसे जुआ या अन्य कोई व्यसन इत्यादि, पैतृक सम्पत्ति का परिवर्तन कर सकता है और वह उसके पुत्रों पर माननीय होगा।

(३) यदि किसी सदस्य का पुत्रहीन देहान्त हो जाता है तो उसकी विधवा को कुटुम्ब के निवास-गृह में रहने का और खान पान पाने का अधिकार होता है, परन्तु कुटुम्ब की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं होता।

इन दशाओं के उल्लंघन करने पर जो स्वत्व अन्य पक्षों को प्राप्त होते हैं उनके सम्बन्धित कुछ नालिशों के नमूने इस भाग में दिये गये हैं।

१—अविभक्त सम्पत्ति का विभाजन

(इस सम्बन्ध में खण्ड २ पद न० २९ 'सम्मिलित सम्पत्ति' में दिया हुआ नोट देखना चाहिये)

हिन्दू अविभक्त कुल के एक सदस्य का कुल से पृथक् होना जब ही माना जाता है जब कि वह अपने पृथक् होने का, अन्य सदस्यों से कोई स्पष्ट और ऐसा कार्य करे जिससे उसके पृथक् हो जाने में कोई सन्देह न रह जावे।[1]

जैसे कोई हिस्सेदार अपने हिस्से के विभाजन के लिये दावा कर सकता है।[2] बटवारे का दावा दायर करने पर वादी की पृथक् होने की इच्छा स्पष्टता से प्रगट हो जाती है।[3] तक़सीम का दावा प्रत्येक बालिग हिस्सेदार दायर कर सकता है। विशेष दशा में अवयस्क (नाबालिग) हिस्सेदार की ओर से भी उसका रक्षक बना कर दावा दायर किया जा सकता है।

अविभक्त कुल की स्त्रियों में उस विधवा के अलावा जिसको Hindu Women's Right to Property Act के अनुसार अधिकार प्राप्त हो, अन्य स्त्रियों को बटवारा कराने का अधिकार नहीं होता परन्तु कुटुम्ब में विभाजन होने पर अधिकार-युक्त स्त्रियों को हिस्सा मिलता है, जैसे यदि किसी पुत्र के दावे पर पुत्रों में विभाजन होने पर माता को एक पुत्र के बराबर हिस्सा मिलता है।

नाबालिग की ओर से तकसीम के दावे तभी चल सकते हैं जब कि बटवारा नाबालिग के लाभ के लिये हो। या वह नाबालिग के अधिकारों की रक्षा के लिये आवश्यक हो।[4] नाबालिग की ओर से दावा होने पर कुटुम्ब की अलहदगी जब तक कि डिग्री न हो जावे तब तक नहीं समझी जाती परन्तु डिगरी हो जाने पर उसका प्रभाव दावा दायर करने की तारीख से होता है।[5]

तक़सीम के दावों में नीचे लिखे मनुष्य फ़रीक़ बनाये जा सकते हैं:—

(१) भिन्न भिन्न शाखाओं के कर्ता या मुखिया।

(२) कुटम्ब की वह स्त्रियाँ जिनको हिस्सा पहुँचता हो।

(३) वादी ने यदि अपना हिस्सा बेच दिया हो तो खरीदार, या उसने किसी का हिस्सा खरीद किया हो तो बेचने वाला।

---

1 A I R 1931 P C 154, I. L R 53 All 300

2 17 I. A. 194, I L R 18 Cal. 157

3 A I R 1923 P C 59, I. L. R 43 Cal 1031 P C

4 I L R. 29 All 323, I L R 31 Bom. 373, 17 M L J 343 P C

5 I L. R. 42 All 461 F B, I L R 14 Pat 732 F B But See Contra A I R 1936 Lah 504

(४) कुटुम्ब के अन्य सदस्यों के हिस्सों के खरीदार अथवा रहन गृहीता।

यदि एक हिस्सेदार की ओर से बटवारे का दावा अन्य हिस्सेदारों के विरुद्ध हो तो पूर्ण कुटुम्बी सम्पत्ति के बाबत होना चाहिये[1] ऐसा न करने पर अदालत दावा खारिज कर सकती है।[2]

कोर्ट फीस व मियाद :—जैसा कि पद २९ सम्मिलित सम्पत्ति के सम्बन्ध में लिखा गया है। इस पद में दिये हुए वाद-पत्रों के नमूने नं० १, २ व ३ बटवारे के दावों के हैं।

३—अविभक्त सम्पत्ति का परिवर्तन

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है अविभक्त कुल का कोई सदस्य उचित आवश्यकता के बिना कुल की किसी सम्पत्ति का परिवर्तन नहीं कर सकता है इसलिये दावा यदि ऐसे अनुचित परिवर्तन के विरुद्ध हो, तब यह कि परिवर्तन कर्त्ता कुल का मैनेजर या कर्त्ता नहीं था और यह कि परिवर्तन कुल की किसी उचित आवश्यकता के लिये नहीं किया गया, दावे में लिखना चाहिये। यदि हिन्दू पिता या कुल के कर्त्ता ने परिवर्तन किया हो तो निम्न लिखित बातें वादी की ओर से लिखना आवश्यक होती हैं :—

(१) कि वादी अविभक्त कुल का सदस्य है,
(२) परिवर्तन की हुई सम्पत्ति में उसका हिस्सा या हक़ है,
(३) सम्पत्ति कब और किस प्रकार परिवर्तन की गई,
(४) वह सब घटनायें जिनसे ऐसा परिवर्तन अन्याय-युक्त और नाजायज प्रमाणित किया जा सके।

पिता के विरुद्ध ऋण की डिगरी में यदि कुल की सम्पत्ति कुर्क व नीलाम (प्रचित) की जावे तो पुत्र इजराय में उज्र पेश नहीं कर सकता जब तक कि वह यह न साबित कर सकें कि पिता ने वह ऋण किसी नाजायज अथवा बदचलन काम के लिये लिया था, परन्तु ऋणी के भाई भतीजे इत्यादि जो कुल के अन्य सदस्य हों, अपने हिस्सों को नीलाम से छुड़ा सकते हैं। उनको यह दिखाना चाहिये कि वह डिगरी में फरीक नहीं थे और उनका उस जायदाद में हिस्सा है।

ऐसे दावे कुल के किसी सदस्य की ओर से दायर किये जा सकते हैं जो कि परिवर्तन के समय जीवित हो।[3] और ऐसे पुत्र की ओर से भी जो कि उस समय गर्भस्थित हो और बाद को जीवित रहे।[4]

---

1. I L R 12 Lah 574
2 A I. R 1930 Lah 286
3. I L R 35 All 571
4 I L R 37 All 162, 19 A L J 934.

अविभक्त कुल की जायदाद के सम्बन्ध में प्रीवी कौंसिल का माननीय निर्णय बृजनारायन बनाम मंगला प्रसाद[1] में हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए एक दूसरे फुलबेन्च मुकदमे में[2] यह निर्णय किया है कि एक हिन्दू पिता अविभक्त कुल की सम्पत्ति का, उचित आवश्यकता या अपने पूर्व ऋण के चुकाने के लिये ही परिवर्तन कर सकता है इसलिये रहन-गृहीता को परिवर्तन के लिये उचित आवश्यकता साबित करना आवश्यक होता है और परिवर्तन पर आक्षेप करने वाले पक्ष को यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि वह अनुचित था या बदचलनी के कारण किया गया।

यदि ऋण, कुल के कर्ता ने सिर्फ अपने ही नाम से लिया हो तो कुल के अन्य सदस्यों को फरीक बनाना आवश्यक नहीं है[3] ऐसे मुकद्दमे की डिगरी कुल के सब सदस्यों के विरुद्ध इजराय कराई जा सकती है। यह भी लिखना आवश्यक नहीं है कि प्रतिवादी के विरुद्ध दावा कर्ता या मैनेजर की हैसियत से दायर किया गया है परन्तु अर्जीदावा से यह प्रकट होना चाहिये कि प्रतिवादी उस कुल का कर्ता है।[4]

मियाद—अविभक्त सम्पत्ति के परिवर्तन को मनसूख कराने के लिये जहाँ परिवर्तन पिता का किया हुआ हो, अवधि-विधान के आर्टिकल १२६ के अनुसार मियाद १२ वर्ष की होती है और उसकी गणना उस तारीख से होनी चाहिये जिससे परिवर्तन गृहीता ने जायदाद पर क़ब्ज़ा किया हो। अन्य दशाओं में आर्टिकिल १२० के अनुसार मियाद ६ साल की होती है।[5]

[नोट—इस पद में दिये हुए वाद-पत्र नं० ४, ५, ६ व ७ परिवर्तन के विषय पर हैं]

२—निर्वाह-व्यय

यदि हिन्दू विधवा या विवाहित स्त्री किसी उचित कारणों से (जैसे पुरुष का कोढ़ी होना इत्यादि) अपने पति या उसके कुटुम्ब से पृथक रहती हो और कुचलन न हो तो वह अपने निर्वाह या गुज़र के लिये ख़र्चा माँग सकती है। इन दावों में (१) वह कारण जिससे वह अलहदा रही हो (२) उसका कुचलन न होना और (३) उसका निर्वाह-व्यय पाने का हक़दार होना दिखाना चाहिये। निर्वाह-व्यय की उचित संख्या, पति या कुल की आर्थिक दशा, स्थिति और स्त्री की आवश्यकता-

---

1. A I R 1924 P C 50=21 A L J 934
2 I L R 51 All 136=26 A L J 865 F B
3 A L J 1173 P C , 47 All 427 , 53 Bom 444 ; A I R 1932 Pat 80.
4 1927 P C 56 , 25 A L J. 319 , I L R 34 All 549 , I L R 12 Lah 428 , I L R 2 Luck 288
5 I L R 59 Mad 667

नुसार नियत की जाती है।[1] पति के देहान्त होने पर विधवा, कुल की सम्पत्ति से निर्वाह व्यय मांग सकती है। हिन्दू पत्नी प्रायः निम्नलिखित दशाओं में निर्वाह-व्यय ले सकती है :—

(१) जब कि पति ने उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध छोड़ रक्खा हो।[2]

(२) यदि पति ने रखेली स्त्री घर में रखली हो।[3]

(३) यदि पति के कुटुम्ब का स्त्री के साथ निष्ठुर व्यवहार हो और उसको अपनी जान का भय हो।[4]

(४) यदि पति को कोई ऐसा रोग हो जो स्त्री को लग जाने का भय हो और जिससे आरोग्य होने की आशा न हो जैसे, कोढ़, उपदंश इत्यादि।[5]

(५) जब कि पति कोई अन्य धर्म्म स्वीकार कर लेवे।[6]

४—दत्तक पुत्र

हिन्दू धर्म्म शास्त्र के अनुसार गोद लिये हुए लड़के को हर प्रकार से वह सब अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि जनित या प्राकृतिक लड़के को प्राप्त होते हैं और वह गोद के संस्कार के बाद गोद लेने वाले कुल का सदस्य हो जाता है। नियमानुसार संस्कार होने के पश्चात् दत्तकपुत्र अथवा गोद लेने वाला पुरुष उसको मन्सूख कराने के लिये दावा नहीं कर सकते।[7]

परन्तु जहाँ गोद लेने का संस्कार नियमानुसार न किया गया हो या जब गोद लेना उचित न हो,[8] अथवा गोद लेने वाले या गोद देने वाले की अनुमति धोखे या अनुचित दबाव इत्यादि से ली गयी हो,[9] या गोद लेने वाले को विधानानुसार गोद लेने की योग्यता न हो,[10] या हिन्दू विधवा स्त्री ने अपने पति की बिना आज्ञा के गोद ली हो,[11] या गोद लिया हुआ लड़का गोद लेने के अयोग्य हो।[12] इन सब दशाओं में हक़दार पुरुष की ओर से मन्सूखी या इस्तकरार का दावा किया जा सकता है और अर्जीदावे में वही बातें लिखनी चाहिये जिनके आधार पर गोद को खण्डित कराना मन्जूर हो जैसे:—गोद लेने वाला पुरुष अधिकार युक्त

---

1 A I. R 1934 Lah 444, A I R 1936 Bom 138

2 A I R 1935 Lah 386=I L R 16 Lah 892, A I R 1936 Bom. 138, I. L R 57 Mad 1083

3 I L R 32 Cal 284

4 I L. R 34 Cal 971, I L R 19 Cal 81

5 I L R 45 Mad 812

6 I L R 8 All 78, 6 All 670

7. I L R 29 All 519 P C, I L R 36 Cal 1922, 19 Bom 239, 50 All 828

8 7 I A 250, I L R 11 Lah 303

9 I L R 35 Bom 161, 29 Mad 437

10 I L R 40 Mad 607

11 I L R 53 Bom 242

12 I L R 21 All 412 P C, 48 Mad 401, 35 All 263, 48 All 302

न था, या गोद देने लेने का संस्कार उचित रूप से नहीं किया गया अथवा गोद लेने वाला या गोद लिए जाने वाला इस योग्य नहीं था इत्यादि।

कोर्ट फीस—निर्वाह-व्यय के दावों में वार्षिक-निर्वाह के दस गुने पर कोर्ट फीस लगता है।[1] संयुक्तप्रान्त में संशोधन के बाद केवल वार्षिक-निर्वाह की रकम पर कोर्ट फीस देना होता है।

मियाद—हिन्दू-स्त्री का निर्वाह पाने के अधिकार का दावा प्रतिवादी के इन्कार से १२ साल के अन्दर किया जा सकता है।[2] बाकी निर्वाह-व्यय या गुजारे का दावा भी १२ साल के अन्दर होना चाहिये। जहाँ पर किसी इकरार-नामा या प्रतिज्ञापत्र के अनुसार निर्वाह-व्यय नियत किया गया हो वहाँ पर आर्टिकिल ११५ व ११६ लागू होते है[3]

नोट:—हिन्दू विधवा को कुल की सम्पत्ति में केवल जीवनभर अधिकार होता है। वह उचित आवश्यकता बिना ऐसी सम्पत्ति या उसके किसी भाग का परिवर्तन नहीं कर सकती। इस पद में दिये हुए नमूने न० ८ से लेकर १३ तक विधवा के अधिकार के सम्बन्ध में हैं। इस सिलसिले में पद ३१ का नोट देखना चाहिये।

(१) कुटुम्बी सम्पत्ति के बटवारे के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—दोनों पक्षकार एक हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्य हैं और उनकी वंशावली यह है—

२ नीचे लिखी हुई सम्पत्ति दोनों पक्षों की संयुक्त पैतृक संपति है और उनके दादा उदयराम, के समय से कुटुम्ब में चली आती है। इस पर दोनों पक्ष संयुक्त रूप से अधिकारी हैं।

३—दोनों पक्षों की किराने की एक दूकान बाज़ार .. शहर...... में उदयराम

1 Sec 7 Cl ? Court Fees Act

2 129 Limitation Act

3 A I R 1937 Pat. 654, 1936 Pat 68

अनन्तराम के नाम से जारी हैं और उसके भी दोनों पक्ष हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्य होने के कारण अधिकारी और मालिक हैं।

४—वादी का उक्त सम्पत्ति और दूकान के कारबार में एक तिहाई हिस्सा है।

५—कुछ दिनों से सदस्यों में आपस में झगड़ा और वैमनस्य रहता है और भविष्य में कुल का संयुक्त रहना असम्भव है।

६—वादी ने प्रतिवादी से बटवारे के लिये कहा और ता०......को नियमानुसार नोटिस भी दिया परन्तु प्रतिवादी ध्यान नहीं देते।

७—वाद-कारण—(नोटिस देने के दिन से)।

८—दावे की मालियत।

९—वादी प्रार्थी है कि नीचे लिखी हुई सम्पत्ति और दूकान के बराबर २ के तीन कुरे बनवाये जावें और एक कुरे पर वादी को पृथक अधिकार व दखल दिलाया जावे।

(सम्पति का विवरण)

(२) इसी प्रकार का दूसरा दावा

१—वादी और प्रतिवादी की वंशावली यह है—

२—किशोरचद और उसके लड़के एक हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्य थे और स्थान जलेसर में किराने का कारोबार किशोरचंद द्वारकादास के नाम से करते थे। इसके अतिरिक्त उनका लेनदेन का भी काम चालू था और दस्तावेज इत्यादि किशोरचद के नाम से लिखे जाते थे।

३—किशोरचंद और उनके लड़कों के पास हर प्रकार की चल सम्पति के अतिरिक्त एक मंजिला दूकानें नम्बरी १ व बाला खाना मय एक मंजिल मकान न० २ पैतृक सम्पति थी।

४—सयुक्त कुटुम्ब की आमदनी से एक मंजिल मकान नम्बरी ३ किशोरचन्द द्वारकादास के नाम से खरीदा गया जिसके खरीदने का समय ४० वर्ष का हुआ और उसी समय से पक्षकार उस मकान में रहने लगे और किराने का काम व लेनदेन करते रहे।

५—द्वारकादास का लगभग २० वर्ष हुये और किशोरचन्द का १६ वर्ष हुये देहान्त हुआ पर उस समय परिवार सम्मिलित व अविभक्त था और पक्षकार दायभागी होने की हैसियत से संयुक्त कुटुम्ब की सम्पति व व्यवसाय पर मिल कर अधिकारी

हुये और किराने की दूकान भिखारीदास चेतराम के नाम से पुकारी जाने लगी और लेन देन के दस्तावेजों में भी भिखारीदास का नाम लिखा जाने लगा।

६—व्योपार की सम्मिलित आमदनी से एक मञ्ज़िल दूकान जायदाद नम्बरी ४ सन् १६३६ ई० में नीलाम में खरीदी गई और सन् १६३५ ई० में दो मंज़िला दूकानें ६५०) रुपया में रहन दखली कराई गई और दोनों पक्ष उस पर सम्मिलित रूप से अधिकारी चले आते हैं।

७—दोनों पक्षों की जायदाद व कारोबार, चाहे वह किसी नाम से हों दोनों पक्ष की सम्मिलित सम्पति है और दोनों पक्ष उस पर सम्मिलित रूप से क़ाबिज़ हैं।

८—हाल में इस प्रकार की बातें उत्पन्न हो गई हैं कि जिन से सम्मिलित कुटुम्ब का रहना असम्भव है। प्रतिवादी से बटवारे के लिये कहा गया लेकिन वह ध्यान नहीं देते।

(३) बटवारे और घोषणा के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—पक्षकारों की वंशावली इस प्रकार है—

२—यह कि कुन्दन लाल व गुल्लामल एक हिन्दू कुल के सदस्य थे और कपड़े के क्रय-विक्रय का काम करते थे।

३—यह कि दोनों ने परिशिष्ट (अ) व (ब) में नीचे लिखी हुई सम्पत्ति संयुक्त आय से कई नामों से खरीदी और उन पर संयुक्त रूप से अधिकारी रहे।

४—लगभग १५—१६ साल हुए होंगे कि कुन्दनलाल की कुटुम्ब संयुक्त होने की दशा में मृत्यु हुई और शेष सदस्य संयुक्त कारोबार करते रहे।

५ प्रायः १० साल हुये होंगे कि गुल्लामल और हरचरण व शिवचरण में बटवारा हुआ जिससे पक्की हवेली और एक दूकान हरचरण व शिवचरण के हिस्से में (देखो परिशिष्ट अ) और एक अहाता और एक दूकान (परिशिष्ट ब) गुल्लामल के हिस्से में आई और खाने पहिनने का सामान दोनों फरीकैन ने पृथक २ कर लिया।

६—उस समय से गुल्लामल बज़ाज़ी का कारोबार अपने हिस्से में आई हुई दूकान

पर करते रहे और प्रतिवादी ने अपनी दूकान में चूनी का काम कर लिया और गुल्लामल किराये के मकान में रहने लगे और एक का दूसरे से कुछ सम्बन्ध नहीं रहा।

७ गुल्लामल की १० अक्टूबर सन् १९३० ई० को वादियों को नाबालिग छोड़ कर मृत्यु हो गई और प्रतिवादी ने वादियों और उनके माल को निर्बल और असहाय पाकर गुल्लामल की कुल सम्पति पर इस बहाने से अधिकार कर लिया कि उनका और गुल्लामल का नियमानुसार कोई बटवारा नहीं हुआ था।

८—गुल्लामल और प्रतिवादी में पूर्ण रूप से बटवारा हो चुका है और प्रतिवादी का परिशिष्ट (ब) और (ज) में लिखी हुई सम्पति पर कब्ज़ा, जो कि मृतक गुल्लामल के हिस्से की है, अनुचित है। वादी परिशिष्ट (ब) व (ज) में लिखी हुई जायदाद पर अधिकार पाने के और प्रतिवादी से हिसाब लेने के दावेदार हैं।

९—वाद-कारण (अनुचित कब्ज़ा कर लेने के दिन से)।

१०—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) वादी को परिशिष्ट (ब) और (ज) में लिखी हुई सम्पत्ति पर प्रतिवादी को बेदखल करके दखल दिलाया जावे और उनको हुक्म हो कि गुल्लामल की दूकान का कुल माल और सामान व नकद, गहना इत्यादी वादी के हवाले कर दें और गुल्लामल की मृत्यु के दिन से अब तक का हिसाब वादी को समझा देवें और हिसाब से जितना रुपया निकलता हो उसकी डिग्री वादी के नाम प्रतिवादी के ऊपर की जावे।

(ब) यदि अदालत के निर्णय से बटवारा होना करार न हो तो परिशिष्ट (अ), (ब) व (ज) में लिखी हुई कुल जायदाद और प्रतिवादी की चल सम्पत्ति के दो कुरे बराबर २ के बनाये जावें और एक कुरे पर वादी को पृथक दखल दिलाया जावे।

परिशिष्ट (अ)	परिशिष्ट (ब)	परिशिष्ट (ज)
एक मंजिल हवेली	एक मंजिल अहाता	सामान कपड़ा व नकद
एक मंजिल दूकान	एक मंजिल दूकान	अनाज, बर्तन इत्यादि

(४) कुटुम्ब की आवश्यकता के लिये पिता के परिवर्तन की मंसूखी के लिये नालिश

१—द्वितीय प्रतिवादी, वादी का पिता है और दोनों संयुक्त मिताक्षर कुल के सदस्य हैं।

२—एक पक्का मकान स्थित स्थान . . . .वादी और द्वितीय प्रतिवादी की पैतृक सम्पति है और उसमें वह अविभक्त कुल के सदस्य होने के कारण रहन सहन करते हैं।

३—इस हवेली के अतिरिक्त वादी और द्वितीय प्रतिवादी की पैतृक जमींदारी . . बीघा मौज़ा .... परगना.... . में है जिसकी आय कुटुम्ब के व्यय के लिये पर्याप्त होती है और कुछ बच भी रहता है और ऋण लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती।

४—द्वितीय प्रतिवादी ने ता०... को एक आड़ी दस्तावेज... रु० का प्रथम प्रतिवादी के नाम लिख दिया है और उस में हवेली और उस जमींदारी को रहन कर दिया है।

५—कुटुम्ब की उचित आवश्यकता के लिये उस दस्तावेज पर कोई रुपया नहीं लिया गया और कुटुम्ब की संयुक्त सम्पति द्वितीय प्रतिवादी की ओर से बिना अधिकार और स्वत्व-विरुद्ध आड़ की गई है।

६—द्वितीय प्रतिवादी नशेबाज और भ्रष्टाचारी पुरुष है। यदि उसने प्रथम प्रतिवादी से कोई ऋण लिया भी हो तो वह अनुचित और न्याय विरुद्ध कार्य में लगाया गया। वादी या कौटुम्बिक सम्पति उसकी देनदार नहीं है।

७—उस दस्तावेज के बिना विरोध पड़े रहने से वादी को हानि पहुँचने का डर है।

(५) एक सदस्य के परिवर्तन को खंडित करने के लिये दूसरे सदस्य का दावा

१—वादी और उसका भाई जसराम एक अविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य हैं।

२—एक मंजिल दूकान स्थित .... दोनों की अविभक्त सम्पति है और दोनों उस पर अविभक्त कुल के सदस्य होने के कारण संयुक्त रूप से अधिकारी थे।

३—उक्त जसराम ने इस दूकान को बिना किसी उचित कौटुम्बिक आवश्यकता के प्रथम प्रतिवादी के हाथ ता०... . को बैनामा लिख कर बेच दिया और उसको दूकान पर दखल दे दिया।

४—यह बैनामा कुटुम्ब की उचित आवश्यकता न होते हुये वादी के विरुद्ध अनुचित और प्रभाव हीन है और उसके आधार पर बै की हुई सम्पति पर प्रथम प्रतिवादी का कब्जा अनुचित और न्याय विरुद्ध है।

(६) दत्तक पुत्र की, पिता के लिखे दस्तावेज की डिग्री से बंधन में न आने के इस्तकरार के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी द्वितीय प्रतिवादी का गोद लिया हुआ पुत्र है और दोनों एक अविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य हैं।

२ – नीचे लिखी हुई जायदाद वादी और द्वितीय प्रतिवादी की सयुक्त सम्पत्ति है और वादी उस पर अविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य होने के कारण द्वितीय प्रतिवादी के साथ सयुक्त अधिकृत चला आता है।

३ – कुटुम्ब के व्यय से सम्पत्ति की आय कहीं अधिक है और ऋण लेने की आवश्यकता नहीं है।

४—द्वितीय प्रतिवादी एक आवारा और अपव्ययी पुरुष है। कई मनुष्यों ने उससे इस स्वभाव का अनुचित लाभ उठा कर बिना रुपया दिये हुये ही या बदला का कुछ रुपया देकर कुटुम्बी जायदाद पर आड़ी दस्तावेज अपने २ नाम लिखा लिये हैं।

५—इसी प्रकार के एक दस्तावेज की प्रथम प्रतिवादी ने द्वितीय प्रतिवादी पर नालिश करके २० नवम्बर सन् १६.. ...ई० को डिग्री नम्बरी ३४६ प्राप्त कर ली। उसमें वादी को फरीक़ नहीं बनाया और न इस नालिश की बाबत उसको कोई ज्ञान होने दिया।

६ - द्वितीय प्रतिवादी ने प्रथम प्रतिवादी से कुटुम्ब की उचित आवश्यकता के लिये कोई ऋण नहीं लिया और न वह ऋण कुटुम्ब के किसी खर्चे में आया। जो कुछ ऋण प्रतिवादी नम्बर १ ने दिया वह अनुचित और न्याय विरुद्ध कार्यों के लिये था और वादी और कुटुम्बी सम्पत्ति उसके देनदार नहीं हैं।

७ – डिग्री नम्बरी ३४६ सन् १६... ..ई० में वादी फरीक नहीं है और न वह किसी उचित ऋण के बाबत दी हुई है। वह वादी पर किसी दशा में पाबन्दी के काबिल नहीं है और न उसकी इजराय में कुटुम्बी जायदाद नीलाम हो सकती है।

८ बिनायदावी (नीलाम की सूचना के दिन से)।

६—दावे की मालियत (कोर्ट फीस बाबत इस्तक़रार)।

वादी की प्रार्थना।

(अ) ऋण के सम्बन्ध में, यानी जिसके विषय में डिग्री नम्बरी ३४६ सन् १६ .. ई० ता०.. ...को अदालत सिविल जजी अलीगढ़ से सादिर हुई है यह आज्ञा हो कि निम्नलिखित जायदाद वादी व प्रतिवादी नम्बर २ की पैतृक है इसलिये वह उस डिग्री की इजराय में नीलाम होने योग्य नहीं है।

(ब) वाद-व्यय ब्याज सहित दिलाया जावे।

(७) कुटुम्ब के सदस्यों की ओर से अपने हिस्से बचाने के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—यह कि वादी व प्रतिवादी नम्बर २ एक अविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य हैं।

(यहाँ वंशावली लिखनी चाहिये)

२—यह कि जिनिंग फैक्टरी जो कि खेरीसिंह मोहनलाल के नाम से प्रसिद्ध है उसमें वादी व प्रतिवादी नम्बर २ कुल १६ आ० में ।=) के हिस्सेदार व मालिक हैं और यह फैक्टरी क़स्बा सिकंदरा ज़िला अलीगढ़ में स्थित है।

३—यह कि फैक्टरी में यह हिस्सेदारी सम्मिलित पूँजी से प्राप्त की गई है प्रतिवादी न० १ नीचे लिखे शजरा से ।≋) के हिस्से में २ आना ४ पाई का मालिक है।

४—प्रतिवादी न० २ ने वादी के ऊपर बिना वादी को फरीक बनाये हुये एक डिग्री नम्बरी......अदालत . में ता० . को अनुचित प्रकार से प्राप्त करली है जिसकी पाबन्दी वादी के ऊपर नहीं है।

५—प्रतिवादी न० १ ने उस डिग्री के इजराय में अर्जी दावा में लिखी हुई नीचे की सम्मिलित व पैतृक सम्पति व फैक्टरी जिसमें वादी का ⅓ हिस्सा है कुर्क करा लिया है और कुल अपनी जायदाद का नीलाम . . . तारीख पर ता० को होने वाला है।

६—प्रतिवादी न० १ को वादी के हिस्से या हक की कुर्की व नीलाम कराने का कोई अधिकार नहीं है और प्रतिवादी की यह कार्रवाई अनुचित है।

७—बिनायदावी (३० नवम्बर सन् १६. ..ई० प्रतिवादी की कार्रवाई का ज्ञान होने के दिन से)।

८—दावे की मालियत (१००००) रुपया है और कोर्ट फीस.. ..रुपया है)।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) यह घोषणा की जावे कि खेरीसिंह मोहनलाल के नाम की जिनिंग फैक्टरी में २ आने ४ पाई का हिस्सा और अन्य जायदाद में जिसकी तफसील अर्जीदावा के नीचे लिखी हुई है एक तिहाई हिस्सा प्रतिवादी न० १ की डिग्री नम्बरी . . १६... ई० (ब अदालत एडीशिनल सिविल जज अलीगढ़) से कुर्क और नीलाम होने योग्य नहीं है।

(ब) नालिश का खर्चा मय सूद प्रतिवादी न० १ के ऊपर लगाया जावे।

(जायदाद का विवरण)

(८) अविभक्त कुल की विधवा को अधिकार न होने की घोषणा के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी और उसका सगा भाई रामसहाय एक अविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य थे और उनकी जमींदारी इत्यादि कुल संयुक्त थी।

२—रामसहाय का जून सन् १६—ई० में बिना औलाद छोड़े देहान्त हो गया और कुल जमींदारी और जायदाद पर बचे हुये सयुक्त कुटुम्बी की हैसियत से वादी काबिज़ और मालिक हुआ और अब भी है।

३—वादी ने सन्तोष व तसल्ली देने के लिये रामसहाय की विधवा प्रतिवादी का नाम माल के कागज़ों में आधी जायदाद पर दर्ज करा दिया था वास्तव में उसका कोई क़ब्जा जायदाद पर न हुआ और न है।

४—मुसम्मात .. ..अविभक्त कुल की विधवा की हैसियत से वादी के साथ रहती और खाती पीती रही।

५—प्रायः दो महीने हुये होंगे कि प्रतिवादी ने जमीदारी के और हिस्सेदारो ने माल की अदालत में बटवारे के लिये दरख्वास्त पेश की और वहाँ से नोटिस इत्यादि जारी हुये।

६—ता०......को प्रतिवादी ने माल की अदालन में एक दरख्वास्त पेश की और उसमें अपने आप को उस हक़ीयत का जिसमें माल के कागज़ों पर उसका नाम दर्ज है मालिक और अधिकारी दिखलाया।

७—वादी के ऐतराज करने पर अदालत माल ने ता०......को उसको अपने स्वत्व की घोषणा अदालत दीवानी से कराने की आज्ञा हुई।

८—बिनायदावा (प्रतिवादी की दरख्वास्त पेश करने और अदालत माल का हुक्म होने के दिन से)।

६—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि -

अदालत यह इस्तक़रार करे कि नीचे लिखी हुई जायदाद पर जिस पर माल के कागजों में मिलकियत के खाने में प्रतिवादी का नाम दर्ज है उसका मालिक व अधिकारी वादी है और प्रतिवादी का उसमें कोई हक नहीं है।

(९) विधवा के खान पान का, जायदाद पर भार क़रार देने के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करती है—

१—वादी के पति शेरसिंह और प्रतिवादी एक अविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य थे।

२—सयुक्त कुल की सम्पति नीचे लिखी हुई है जिसकी वार्षिक आय प्रायः ६०००) रुपया है।

३—वादी के पति शेरसिंह का ता०......को कुल अविभक्त होते हुए देहान्त हुआ और प्रतिवादी अविभक्त कुल के जीवित सदस्य होने के कारण मालिक और अधिकृत है

४—वादी खान पान का खर्चा कुटुम्बी जायदाद से पाने की, जो कि प्रतिवादी के कब्जा में है, अधिकारी है। यह खर्चा वादी जायदाद की आमदनी और अपने पति के हिस्से के हिसाब से ६०) रुपया माहवारी उचित समझती है।

५—प्रतिवादी के ऊपर खान पान का खर्चा ता० . .. से अब तक, जो उन्होंने अदा नहीं किया, बाक़ी है।

६—विनाय दावा—

७—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि

(अ) अदालत से हुक्म हो कि नीचे लिखी जायदाद पर वादी का ६०) रुपया माहवारी का, या जितना रुपया अदालत उचित समझे, भार है।

(ब) ... ..रुपया खान पान का ता० .. .से लेकर आज तक का वादी को उस जायदाद को कुर्क व नीलाम कराकर दिलाया जावे।

(१०) विधवा के कुटुम्बी घर में रहने के अधिकार के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करती है—

१—रामचन्द व हरदेवदास सगे भाई और एक हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्य थे और एक पक्की हवेली स्थित मुहल्ला . उनकी पैतृक सम्पति थी जिसमें वह रहा करते थे (या जो कुल का निवासस्थान था)।

२—पहिले वादी के पति रामचन्द्र की मृत्यु हुई उसके बाद हरदेव दास का देहान्त हुआ। हरदेव दास की स्त्री उन्हीं के सामने मर चुकी थी।

३—रामचन्द्र या हरदेव दास के कोई सन्तान नहीं है, प्रतिवादी नम्बर १ उनका चचेरा भाई है और पश्चात दायभागी की हैसियत से मालिक है।

४—वादी अधिकारिणी होने के कारण (इसतहकाकन) उस मकान में रहती थी और प्रतिवादी ने इस अधिकार को तोड़ने के लिये उस मकान का दखली रहननामा प्रतिवादी नम्बर २ के नाम लिख दिया है।

५—प्रतिवादी नम्बर २ वादी के रहने के अधिकार में बाधा डालता है।

६—प्रतिवादी की अनुचित कार्य्यवाही से वादी के हवेली में रहने के हक़ में विघ्न पड़ता है।

७—विनाय दावा—

८—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(अ) यह इस्तकरार किया जावे कि ऊपर लिखे हुये मकान में वादी को रहायशी हक़ हासिल है।

(ब) प्रतिवादी के नाम स्थायी निषेध आज्ञा दी जावे कि वह वादी के रहन सहन मे विघ्न न डाले।

(११) विधवा से जायदाद पाने वाले पर, दखल इत्यादि के लिये दावा

१—एक मनुष्य जुगुलकिशोर, एक मकान स्थित मुहल्ला लखपती शहर हाथरस का मालिक और अधिकारी था।

२—जुगल किशोर का लड़का केढरमल उसी के सामने मर चुका था। श्रीमती पार्वती प्रतिवादी, केढरमल की विधवा है।

३—प्रायः १३ साल हुये होंगे कि जुगुलकिशोर की पुत्रहीन मृत्यु हुई और उनकी विधवा श्रीमती जमुना जीवन भर दायभागी की हैसियत से उस मकान पर अधिकारी हुई और श्रीमती पार्वती, जिसको सिर्फ मकान मे रहने का अधिकार था, श्रीमती जमुना के साथ उस मकान में रहती रही।

४—कुछ वर्ष हुये होंगे कि श्रीमती जमुना कहीं चली गई और लापते रहीं। अब पता लगा है कि उसकी मृत्यु हो गई है।

५—वादी और मृतक जुगुलकिशोर का सम्बन्ध यह है :—

६—वादी मृतक जुगल किशोर का पश्चात दायभागी है और श्रीमती पार्वती की मृत्यु होने पर इस मकान का मालिक होगा।

७ प्रतिवादी श्रीमती पार्वती ने, यह मकान बिना किसी अधिकार के और झूठे

बयान से ता० २२ अगस्त सन् १६......ई० को बैनामा लिख कर प्रतिवादी नम्बर २ के हाथ बेच दिया और प्रतिवादी नं० २ ने प्रतिवादी नम्बर १ के साथ ता० १० दिसम्बर सन् १६......ई० को इसी मकान को बैनामा लिख कर बेच दिया।

८—प्राय. तीन महीने से, १० दिसम्बर सन् १६ .. ..ई० के विक्री पत्र के अनुसार प्रतिवादी नम्बर १ ने कब्जा करना शुरू किया है और लगभग १००) रुपया का सामान वहाँ से हटा कर अपने काम में ले लिया है।

६—२२ अगस्त सन् १६......ई० और १० दिसम्बर सन् १६......ई० के बैनामा से प्रतिवादी नम्बर १ को मकान पर अधिकार करने और उसका सामान अपने काम में लाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ और उसकी यह कार्रवाई अनुचित है।

१०—वादी उस मकान पर दखल पाने और प्रतिवादी नम्बर १ के लिये हुए सामान की क़ीमत पाने का हक़दार है।

३१—पश्चात् दायभागी और हिन्दू विधवा या अन्य जीवन दायभागी

हिन्दू धर्मशास्त्र के अनुसार कुटुम्ब की विधवा स्त्री अचल सम्पत्ति पर अपने जीवन भर अधिकारिणी होती है और उसकी मृत्यु के बाद कुटुम्बी सम्पत्ति उसके दायभागियों को न मिलकर सम्पत्ति के पिछले पूर्ण स्वामी के दायभागियों को मिलती है। प्रायः विधवा, पुत्री या मां, कुटुम्ब में किसी पुरुष के न होने पर कुटुम्बी सम्पत्ति की अधिकारिणी होती हैं। उनको अपने जीवन में ऐसी सम्पत्ति की आमदनी को खर्च करने का अधिकार होता है और यदि किसी पूर्वज का ऋण अदा करना हो या कुटुम्ब की उचित आवश्यकता के लिये वह कुटुम्बी सम्पत्ति का या उसके किसी भाग का परिवर्त्तन कर सकती है, परन्तु वह अपने ज़ाती खर्चे के लिये उसके ऊपर कोई अनुचित भार नहीं डाल सकती और न ऐसी सम्पत्ति को बरबाद कर सकती है।

यदि जीवन दायभागी स्त्री अपने अधिकार विरुद्ध जायदाद को इन्तकाल करे तो पश्चात् दायभागी अपने हक़ के इस्तक़रार का दावा कर सकते हैं कि विधवा की मृत्यु के बाद उस इन्तकाल की पाबन्दी उनके ऊपर न होगी। ऐसे दावे का फायदा विधवा की मृत्यु के समय जो नज़दीकी पश्चात दायभागी हो वह उठा सकता है।[1] यह दावा क़रीबी जीवित पश्चात् दायभागी की तरफ से दायर होना चाहिये, परन्तु यदि क़रीबी दायभागी विधवा से मेल में हो तो उससे नीची

---

1 I. L. R. 44 All. 19 F. B , I. L. R. 9 Lah. 106

श्रेणी वाला दायभागी दावा दायर कर सकता है।[1] पश्चात् दायभागी विधवा के जायदाद नष्ट करने पर उसको रोकने के लिये और जायदाद का रिसीवर नियत कराने के लिये दावा दायर करा सकता है।

विधवा के जायदाद बेचने या अन्य प्रकार से परिवर्तन करने पर पश्चात दायभागी उसको नाजायज करार देने के लिये दावा कर सकता है। अर्जीदावा में नम्बर (१) वादी का प्रथम पश्चात् दायभागी होना (२) यह कि परिवर्तन कर्त्ता अपने जीवन भर ही के लिये जायदाद की मालिक थी और (३) यह कि बिना उचित आवश्यकता के परिवर्त्तन किया गया, लिखना चाहिये। ऐसे दावे कुल पश्चात् दायभागियों की ओर से समझे जाते हैं और उनमें वादी की प्रार्थना विधवा के परिवर्त्तन को कुल पश्चात् दायभागियों के विरूद्ध नाजायज और बे असर करार देने के लिये होनी चाहिये।

पश्चात् दाय भागी के दखल के दावे में, दखल विधवा की मृत्यु के बाद ही दिलाया जा सकता है। क्योंकि नाजायज इन्तकाल भी विधवा के हीन-हयाती-हक का परिवर्त्तन कर सकता है।[2] ऐसे दावों में ऊपर लिखी बातों के अतिरिक्त यह भी लिखना चाहिये कि विधवा की मृत्यु हो चुकी है और वादी दखल पाने का अधिकारी है। यदि विधवा के इन्तकाल की प्रार्थना न भी हो तब भी पश्चात् दायभागी जायदाद पर क़बज़ा पा सकता है क्योकि उसके हक़ पर विधवा के परिवर्त्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।[3] इन दावों में वासलात विधवा के परिवर्त्तन को नामंजूर करने की तारीख से या नोटिस की तारीख से मांगे जा सकते हैं।[4]

दत्तक पुत्र को भी हिन्दू धर्म्म शास्त्र से वही सब अधिकार प्राप्त हैं जो कि जनित पुत्र को हैं क्योंकि वह गोद लेने के पश्चात् कुटुम्ब का सदस्य हो जाता है इसलिये दत्तक पुत्र भी ऐसा दावा कर सकता है।[5]

कोर्ट फीस—विधवा की मृत्यु के बाद पश्चात दायभागी के दखल के दावे पर कोर्ट फीस दफा 6 (B) कानून कोर्ट फीस के अनुसार लगाना चाहिये।[6] यदि परिवर्त्तन गृहीता ने विधवा से जमीन खरीद कर उस पर इमारत बनवा ली हो तब भी वादी सिर्फ जमीन की मालियत पर ही कोर्ट फीस दे सकता है।[7]

मियाद—दखल का दावा विधवा या अन्य जीवन अधिकारी की मृत्यु के १२ साल के अन्दर दायर किया जा सकता है।[8] परन्तु यदि चल सम्पत्ति के लिये

1 8 I A 14 P C; I L R 49 All 815, A I R 1931 Mad 699 F B, 24 A L J 1 P C

2 I L R 49 All 334, I L R 39 Mad 1035

3 A I R 1924 P C 56.

4 34 I A 87, 1927 Nag 305

5 I. L R 41 Mad 75 F. B, I L R 33 Bom 88

6 I L R 2 Pat 125 F B

7 A I R 1928 Lah 852

8 Art 141, Limitation Act, I L R 23 Cal 460; 19 All 357

दावा हो तो जीवन-अधिकारी की मृत्यु के ६ साल के अन्दर।[1] यदि दत्तक पुत्र की ओर से दावा हो तो गोद लेने के १२ साल के अन्दर।[2] इस्तक़रार के दावे के लिये Article 125 लागू होता है और मियाद १२ साल की होती है परन्तु यदि दावा प्रथम पश्चात् दायभागी के बजाय अन्य पश्चात् दायभागी की तरफ से हो तो कुछ हाईकोर्टों की राय में मियाद केवल ६ साल होती है।[3]

(१) हिन्दू विधवा के जीवित रहते हुए, उसके लिखे हुए बैनामे को, उसकी मृत्यु के बाद बेअसर क़रार देने के लिये पश्चात् दायभागी का दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—नीचे लिखी हुई जायदाद, और अन्य बहुत सी जायदाद का एक मनुष्य पूरनमल मालिक था।

२—उक्त पूरनमल का सन् . . . .में पुत्रहीन देहान्त हो गया और उसकी सम्पत्ति पर उसकी विधवा रामदुलारी अधिकारी हुई।

३—पूरनमल की मृत्यु के समय उसके ऊपर कोई ऋण नहीं था। उसकी सम्पति की आमदनी उसकी विधवा रामदुलारी के मामूली ख़र्चे इत्यादि से कहीं अधिक है।

४—रामदुलारी ने बिना किसी उचित आवश्यकता के नीचे लिखी हुई जायदाद का बैनामा प्रथम प्रतिवादी के नाम ता० . को करके उस जायदाद पर उसको काबिज करा दिया और दख़ल दे दिया।

५—वादी मृतक पूरनमल का नीचे लिखी वंशावली के अनुसार पश्चात् दाय भागी है।

(यहाँ पर शजरा देना चाहिये)

६ - यह बैनामा पूरनमल के पश्चात् दायभागियों की पाबन्दी के योग्य नहीं है और उसके बिना मन्सूख़ पड़े रहने पर भविष्य में हानि पहुँचने और साक्षी व प्रमाण न मिलने का भय है।

७—दावे का कारण (बैनामा लिखे जाने के दिन से उत्पन्न हुआ)।

८—दावे की मालियत (परन्तु नियत कोर्ट फीस इस्तक़रार के लिये लगेगा)।

---

1 Art 220, Limitation Act, 4 A L. J 39 P C

2 42 I C 245 F B

3 I L R 22 All 33 P C; 32 Cal 62, 1 Lah 69, A I R 1924 Oudh 281, Contra I L R 29 Mad 390 F B, 41 Mad. 650 F B

वादी की प्रार्थना है कि—

(अ) अदालत से यह घोषणा की जावे कि प्रतिवादिनी रामदुलारी का ता० . . . . का लिखा हुआ प्रथम प्रतिवादी के नाम बैनामा उक्त रामदुलारी की मृत्यु के बाद मृतक पूरनमल के पश्चात दायभागी, वादी के विरुद्ध खण्डित और बेअसर है।

(२) विधवा के जीवित होते हुए उसके लिखे हुए दान पत्र को खंडित कराने के लिये पश्चात् दायभागी का दावा

१—वादी के पिता मोहनलाल के ठाकुरदास व टीकाराम दो सगे भाई थे। टीकाराम की सन्तान हीन मृत्यु हो गई और ठाकुरदास के दो लड़के हीरालाल व मूलचन्द और उनकी स्त्री मुसम्मात विलासू थी।

२—प्रतिवादी न० १ हीरालाल की और प्रतिवादी न० २ मूलचन्द की विधवा है और प्रतिवादी नं० ६ मु० बिलासी ठाकुरदास की विधवा है।

३—उक्त ठाकुरदास नीचे लिखी हुई जायदाद के मालिक थे।

४—१२ मार्च सन् १९ . ई० को ठाकुरदास ने मुसम्मात विलासू और अपने दोनों पुत्र हीरालाल और मूलचन्द के नाम एक दान पत्र इस तरह लिखा कि दान की हुई जायदाद की मालिक और अधिकारी अपने जीवन भर मुसम्मात विलासी रहेगी और उसकी मृत्यु के बाद हीरालाल और मूलचन्द उस जायदाद के मालिक होंगे।

५—मूलचन्द की मई सन् १९३३ ई० में, मुसम्मात विलासू के जीवित होते हुये मृत्यु हुई। उसके पश्चात मुसम्मात विलासू और हीरालाल ने उस जायदाद का हिबा नामा (दानपत्र) १४ जनवरी सन् १९......ई० को प्रतिवादी न० १ व २ के नाम लिख दिया और उसके बाद हीरालाल का भी देहान्त हो गया।

६—इस हिबानामे के लिखे जाने के समय हीरालाल को उस जायदाद में कोई हक हासिल नहीं हुआ था और मुसम्मात विलासू जीवन भर की दायभागी के कारण ऐसा दानपत्र लिखने का अधिकार नहीं रखती थी जो उसकी मृत्यु के बाद स्थिर रह सके।

७—वादी मृतक ठाकुरदास का पश्चात दायभागी है और इस दान पत्र से उसको हानि होने का डर है।

(३) विधवा के जीवित होते हुये उसके लिखे हुये दखली रहन को मन्सूख और बेअसर क़रार दिये जाने के लिये पश्चात दायभागी का दावा।

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी और द्वितीय प्रतिवादी का सम्बन्ध नीचे लिखी शाखावली से प्रगट होगा।

२—द्वितीय प्रतिवादी मु० जमुना कुंवरि का पति हरसरन बहुत सी जायदाद, ज़मीदारी व मकान इत्यादि का मालिक व अधिकारी था जिसकी वार्षिक आमदनी प्रायः ३०००) रुपया है।

३—उक्त हरसरन का बिना औलाद जून सन् १९......ई० में देहान्त हो गया और कुल मृत सम्पति पर उसकी विधवा जमुना कुँवरि काबिज़ व अधिकारी हुई।

४—मु० जमुना कुवर ने इस जायदाद में से नीचे लिखी हुई ज़मीदारी का दखली रहन १०,०००) रुपया में प्रथम प्रतिवादी के नाम लिख कर उसको जायदाद पर दखल दे दिया है।

५—यह रहननामा बिना किसी उचित आवश्यकता के किया गया है। जो आवश्यकता उसमें लिखी हुई है वह दिखावटी और झूठी हैं यथार्थ में हरसरन के सामने का कोई कर्ज़ा नहीं था और न कोई आवश्यकता मु० जमुना कुँवरि को जायदाद रहन करने की थी।

६—वादी ऊपर लिखी वंशावली के अनुसार मृतक हरसरन का पश्चात दायभागी है। यह रहननामा बिना मन्सूख पड़े रहने से पश्चात दायभागियों को हानि पहुँचने और साक्षी व प्रमाण नष्ट हो जाने का भय है।

७—बिनाय दावा—(रहननामा लिखे जाने के दिन से)।

८—दावे की मालियत—(मालियत १०,०००) रुपया होगी परन्तु इस्तकरार के लिये नियत कोर्टफीस लावेगा)।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) इस बात का इस्तक़रार किया जावे कि द्वितीय प्रतिवादी जमुना कुंवरि का लिखा हुआ ता०......का रहननामा उक्त जमुना कुंवरि के देहान्त के बाद मृतक हरसरन के पश्चात दायभागी वादी के विरुद्ध खडित और बेअसर है।

(ब) यदि अदालत के निर्णय से रहननामे के रुपये का कोई हिस्सा उचित और वादी से दिलाने योग्य समझा जावे तो उस रुपये के अदा करने पर रहननामा खंडित और बेअसर करार दिया जावे।

(जायदाद का विवरण)

(४) विधवा के, बिना उचित आवश्यकता के लिखे हुए दस्तावेज़ की मन्सूखी के लिये पश्चात दायभागी का दावा

१—द्वितीय प्रतिवादी मु० रामकुँवर नीचे लिखी जायदाद की अपने जीवन भर के लिये वारिस थी।

२—इस जायदाद का असली मालिक, मु० रामकुंवर का पति रामनारायण था और उसके देहान्त के बाद प्रतिवादी को नीचे लिखी जायदाद और उसके अतिरिक्त और भी सम्पत्ति दायभागी होने के कारण जीवन भर के लिये मिली और उसी समय से जिसको लगभग १५ वर्ष हुये होंगे, उक्त प्रतिवादी उस पर अधिकारी है।

३ द्वितीय प्रतिवादी ने इस जायदाद को बिना किसी उचित आवश्यकता के ता० .. को... · रु० में प्रथम प्रतिवादी के पास दस्तावेज लिख कर आड़ कर दिया है।

४—जो आवश्यकता इस दस्तावेज़ में लिखी गई है वह झूँठी और दिखावटी है असलियत में रामनारायण पर कोई कर्ज़ नहीं था और न कोई आवश्यकता मु० रामकुँवर को कर्जा लेने और जायदाद आड़ करने की थी।

५—प्रथम प्रतिवादी मु० रामकुँवर के सगे भाई का लड़का है और दोनों प्रतिवादियों ने मिल कर मृतक रामनारायण के पश्चात दायभागियों को हानि पहुँचाने के लिये यह धोखा किया है (यहाँ पर पूरा विवरण लिखना चाहिये)।

६ –वादी मृतक रामनारायण का पश्चात दायभागी है जैसा कि नीचे लिखी वंशावली से प्रत्यक्ष होगा।

(यहाँ पर शजरा लिखना चाहिये)

७–ता०......का लिखा हुआ आड़ का दस्तावेज वादी के विरुद्ध नाजायज़ और बेअसर है और वादी इस बात का इस्तक़रार कराने का हक़दार है।

(५) विधवा के लिखे हुये पट्टे को उसकी मृत्यु के बाद बेअसर क़रार दिये जाने और निषेध आज्ञा निकलवाने के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—द्वितीय प्रतिवादी श्रीमती लाड़ो एक मनुष्य हरचरण लाल की लड़की है। उक्त हरचरण लाल वादी का कुटुम्बी भाई (या जो सम्बन्ध हो) नीचे लिखी वंशावली के अनुसार था।

(यहाँ पर शजरा लिखना चाहिये)

२—लगभग... साल हुये होंगे कि हरचरण लाल की पुत्रहीन मृत्यु हुई और श्रीमती लाड़ो जीवन दायभागी की हैसियत से मृत सम्पति की अधिकारी चली आती है।

३—श्रीमती लाड़ो के कोई औलाद नहीं है और उसके देहान्त के बाद वादी और उसका पुत्र . हरचरण लाल के दायभागी हैं।

४—मुसम्मात लाड़ो एक अनपढ़ और वृद्ध स्त्री है और प्रथम प्रतिवादी रामस्वरूप, जो उसके पति का भतीजा है और उसका कारोबार करता है, के कहने और काबू में है।

५—रामस्वरूप ने मृतक हरचरण लाल की नीचे लिखी हुई सम्पति का ३० साल का पट्टा .....रु० सालाना लगान पर ता० ..को अपने नाम लिखा लिया है और उसके आधार पर उस जायदाद पर क़ाबिज़ है

६—उस हक़ीयत की साधारण आय रुपया वार्षिक है और पट्टे में कम और अनुचित लगान बहुत दिनों के लिये होने के अतिरिक्त पट्टेदार को पेड़ काटने और नज़राना देकर रिआया आबाद करने का भी अधिकार दिया गया है।

७ यह कुल कार्रवाई दोनों प्रतिवादियों ने पश्चात दायभागी वादी और जायदाद को हानि पहुँचाने के लिये की है।

८—प्रतिवादी रामस्वरूप ने पट्टे के अनुसार .. नग शीशम और नीम के पेड़ जिनका मूल्य १२००) रुपया के लगभग होगा उस जायदाद से काटकर अपने काम में लगा लिये हैं और उनके अतिरिक्त और पेड़ काटने का विचार करता है।

९—प्रतिवादी की यह कारवाई नाजायज़ और वादी के स्वत्व के विरुद्ध है और पट्टा बिना आक्षेप पड़े रहने से जायदाद के नष्ट होने और पश्चात दायभागी वादी को हानि पहुँचने का भय है।

१०—बिनाय दावा (पट्टा लिखने के दिन से और पेड़ काटने के दिन से)।

११—दावे की मालियत—(परन्तु कोर्टफीस पृथक पृथक दिया जावेगा ; हुक्म इमतनाई......रु०; हरजाना पर... रु० इस्तक़रार.. . रु०, कुल . रु०)।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) यह हुक्म दिया जावे कि द्वितीय प्रतिवादी का प्रतिवादी रामस्वरूप के नाम ता०......का लिखा हुआ पट्टा, मु० लाड़ो की मृत्यु के पश्चात वादी के विरुद्ध बेअसर है।

(ब) प्रतिवादी रामस्वरूप के नाम निषेध आज्ञा जारी की जावे कि वह उस हक़ीयत ज़मीदारी के पेड़ न काटे और न कोई ऐसा काम करे कि जिससे उसकी मालियत को हानि पहुँचने का भय हो।

(क) १२००) रु० या जितना मतालबा, अदालत उचित समझे रामस्वरूप प्रतिवादी से जमा कराये जाने की आज्ञा दी जावे।

(ख) नालिश का खर्च ब्याज सहित दिलाया जावे।

(६) विधवा के जीवित होते हुये, पुत्र उचित रूप से गोद न लिये जाने के इस्तक़रार के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—प्रतिवादी न० १, मुसम्मात चैन कुँअर, अपने पति रामलाल की मृत सम्पति पर उसके देहान्त होने के समय से जिसको प्रायः ३० साल हुये होंगे, जीवन भर दायभागी की हैसियत से अधिकारी है।

२—वादी नीचे लिखे शजरे के अनुसार उक्त रामलाल का पश्चात दायभागी है।

(यहाँ पर शजरा लिखना चाहिये)

३ - मुसम्मात चैन कुँवर की इच्छा यह है कि उसकी मृत्यु पर वादी को जायदाद न मिले इसलिये उसने अपनी बहिन का लड़का प्रतिवादी नं० २ अपने पास रख लिया है और प्रकाशित करती है कि उसने प्रतिवादी न० २ को अपने पति की आज्ञानुसार गोद ले लिया है और वह शास्त्रानुसार रामलाल का दत्तक पुत्र है।

४ इस बात को पुष्ट करने के लिये उसने मार्च १६३६ ई० में गोद लेने की रसम भी की और कुल बिरादरी में उसका गोद लेना सूचित किया।

५ उक्त रामलाल का एक रेल की दुर्घटना में जब कि वह प्रायः ३० साल के थे, देहान्त हो गया। उन्होंने कोई आज्ञा मु० चैन कुँवर को पुत्र गोद लेने के लिये नहीं दी। प्रतिवादी न० २ के गोद लिये जाने की रसम होने और उसके प्रकाशित किये जाने से वादी

को भविष्य में हानि होने का भय है और उसके पश्चात दायभागी होने पर इसका अनुचित प्रभाव पड़ता है।

६—बिनाय दावा (मार्च १९३९ अर्थात् गोद लिया जाना प्रकाशित होने के दिन से)।

७—दावे की मालियत –

वादी प्रार्थी है कि—

इस बात का इस्तकरार किया जावे कि प्रतिवादी न० १ को उसके पति रामलाल ने कोई आज्ञा पुत्र गोद लेने की नहीं दी थी और यह कि प्रतिवादी न० २ मृतक रामलाल का गोद लिया हुआ पुत्र नहीं है।

(७) गोद लिये हुए लड़के की ओर से विधवा के विरुद्ध उचित गोद लिये जाने के इस्तक़रार के लिये

१ वादी, मृतक मोहनलाल का दत्तक पुत्र है।

२ उक्त मोहनलाल ने अपनी मृत्यु से पहिले प्रतिवादनी को ता०...... को आज्ञापत्र से (या वसीयतनामे से, अथवा ज़बानी) गोद लेने की आज्ञा दी कि वह उसके पुत्र हीन मर जाने पर किसी बिरादरी के लड़के को उसका दत्तक पुत्र कर लेवे।

३—प्रतिवादनी ने इस आज्ञानुसार जून १९ . ...ई० में वादी को जब कि वह प्रायः ५ वर्ष की आयु का था उचित संस्कार के पश्चात दत्तक पुत्र बनाया और गोद लिया।

४—गोद लेने के समय से वादी प्रतिवादिनी के पास सम्मिलित रूप से मोहनलाल के दत्तक पुत्र की हैसियत से रहता है और मोहनलाल की कुल जायदाद पर इसी हैसियत से अधिकारी और काबिज़ है।

५—कुछ समय से प्रतिवादिनी को उसके कुटुम्बियों ने भड़का दिया है और वह वादी के जायदाद के प्रबन्ध में हस्तक्षेप करती है और वादी के गोद लिये जाने को अस्वीकार करके अपने आप को उस कुल जायदाद का मालिक प्रकाशित करती है।

६—प्रतिवादी के इस कार्य्य से वादी को भविष्य में हानि पहुँचने का भय है।

(८) विधवा को, जायदाद नष्ट करने से रोकने और रिसीवर नियत किये जाने के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—कुंवर उमरावसिंह वादी के कुटुम्बी चचा थे जैसा कि निम्नलिखित वंशावली से प्रत्यक्ष होगा—

२—कुँवर उमरावसिंह की जमींदारी व हक्कीयत कई मौजों में थी जिसकी आमदनी, मालगुज़ारी व खर्च इत्यादि काटकर प्राय: १२०००) रुपया सालाना थी।

३-जमींदारी के अतिरिक्त उनका बहुत से मनुष्यों पर कर्जा चाहिये था जो लगभग १०,००,००) रु० के था जिसका सूद सालाना ६०००) रु० वसूल होता था और उनके पास जेवर व नकद रुपया और सवारी इत्यादि भी थी और रहने का मकान व नोहरा बहुत मूल्य का था।

४-उक्त उमरावसिंह की ता० ८ फरवरी सन् १६......ई० को मृत्यु हुई और हर प्रकार की चल व अचल सम्पति पर उनकी विधवा प्रतिवादी श्रीमती निहाल कुंअर दायभागी की हैसियत से जीवन भर के लिये अधिकारी हुई।

५—श्रीमती निहाल कुवर से कु० उमरावसिंह का तीसरा विवाह जिस समय कुवर उमरावसिंह की अवस्था ५० साल की थी हुआ था। चूँकि उक्त मुसम्मात की अवस्था कम थी इस लिये कुवर उमरावसिंह की मृत्यु के पश्चात् उसका चाल चलन खराब हो गया और वह कुछ बदचलन मनुष्यों के जाल में पड़कर उन्हीं के कहने व क़ब्जे में है।

६—उक्त निहाल कुवर ने तीन वर्ष के समय में कुल नक़द रुपया व जेवरात को नष्ट कर दिया और उसके अतिरिक्त कर्जे में से भी आधे से अधिक हिस्सा वसूल करके फिजूल खर्च कर डाला और रियासत की आमदनी भी खर्च कर डाली।

७—वादी को इस बात का पता लगा है कि उक्त मुसम्मात कुचाली मनुष्यों के वहकाने से कुछ जायदाद को मुन्तकिल करने का प्रबन्ध कर रही है और उसके सम्बन्ध में कुछ मनुष्यों से बात चीत भी की है।

८—मुद्दई, कुवर उमरावसिंह की मृत सम्पत्ति का पश्चात् दायभागी है और मुसम्मात निहाल कुवर के कुचलन से भविष्य में उसको हानि पहुँचने का डर है।

९—बिनायदावा—

१०—दावे की मालियत—

मुद्दई प्रार्थी है कि—

(अ) कुंवर उमरावसिंह की कुल मृत सम्पति का रिसीवर नियत किया जावे और रियासत का कुल प्रबन्ध उसके सुपुर्द किया जावे और वह मुसम्मात निहाल कुंवर को जायदाद की आमदनी, रियासत का खर्चा निकालने के बाद, अदा करता रहे।

(९) विधवा की मृत्यु पर, अन्य पुरुष से जायदाद का दखल पाने के लिए

(सिरनामा)

१—वादी नं० १ और मृतक बालकिशुन का सम्बन्ध नीचे लिखी वंशावली से सूचित होगा।

राजाराम

२—उक्त बालकिशुन निम्नलिखित सूची (अ) में अंकित सम्पत्ति का मालिक था।

३—बालकिशुन का सन् १६३४ ई० में देहान्त हो गया और उसकी पुत्री श्रीमती जरदेवी [illegible] के दायभागी होने के कारण सम्पति की मालिक व अधिकारी हुई।

४—श्रीमती जरदेवी एक अनपढ़ स्त्री थी। प्रतिवादी के पूर्वाधिकारी लाला शिवसुखराय ने उससे अपनी चाल पट्टी में लाकर इस सम्पत्ति का बैनामा ता० . ...नवम्बर सन् १६ .... ई० को अपने नाम करा लिया और अब प्रतिवादी मृतक शिवसुखराय का दायभागी होने के कारण उस पर अधिकारी है।

५—श्रीमती जरदेवी का १६ जुलाई सन १६४२ ई० को देहान्त हो गया वादी नं० १ मृतक बालकिशुन का पश्चात दायभागी होने के कारण इस सम्पत्ति का मालिक और दखल पाने का अधिकारी है।

६—श्रीमती जरदेवी को सम्पत्ति की बिक्री करने की कोई उचित आवश्यकता नहीं थी। उसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी का उस जायदाद पर कब्जा बिना किसी अधिकार के है और वह बेदखल होने और पिछले तीन साल के वासिलात अदा करने का देनदार है।

७—वादी एक निर्धन आदमी है और मुकदमे में खर्चा नहीं कर सकता उसने [illegible] और वासिलात का आधा हिस्सा वादी नं० २ के हाथ बेच दिया है, और नालिश दोनों की तरफ से की जाती है।

(१०) इसी प्रकार का दूसरा दावा जबकि जायदाद पर क़ाबिज़ मनुष्य अपने आप को दत्तक पुत्र बतलावे

१—नीचे लिखी हुई जायदाद का मालिक व अधिकारी एक पुरुष देवकर्ण था।

२—देवकर्ण व वादी का सम्बन्ध नीचे लिखी वंशावली से ज्ञात होगा।

(यहाँ पर वंशावली लिखनी चाहिये)

३—उक्त देवकर्ण का ता०......को पुत्र हीन देहान्त हो गया। उसकी स्त्री पहिले ही मर चुकी थी।

४—ऊपर लिखी वंशावली के अनुसार वादी देवकर्ण की मृत सम्पत्ति का मालिक और उसका दायभागी है।

५—प्रतिवादी अपने आपको मृतक देवकर्ण का दत्तक पुत्र प्रकाशित करता है और उसने देवकर्ण की सम्पत्ति पर अन्याययुक्त अधिकार कर लिया है।

६—देवकर्ण ने प्रतिवादी को गोद नहीं लिया और न कोई गोद लेने का संस्कार किया गया।

७—प्रतिवादी देवकर्ण की बहन का लड़का है उसका गोद लिया जाना शास्त्र विरुद्ध और अनुचित है।

८—प्रतिवादी ने देवकर्ण की सम्पति पर बल पूर्वक अधिकार कर लिया है। वादी उस पर दख़ल पाने और देवकर्ण की मृत्यु के दिन से उसका मुनाफा पाने का दावेदार है।

(११) विधवा के दिये हुए सर्वकालिक दवामी पट्टेदार के विरुद्ध दख़ल के लिये

१—नीचे लिखी हुई जायदाद पर, उसके असली मालिक रामलाल की मृत्यु के बाद उसकी विधवा श्रीमती रामप्यारी जीवन भर की दायभागी होने के कारण, अधिकारिणी हुई।

२—श्रीमती रामप्यारी ने ता० .....को प्रतिवादी के नाम इस जायदाद का एक सर्व कालिक पट्टा .....रुपया वार्षिक लगान पर लिख दिया और उसी दिन से जायदाद पर प्रतिवादी का अधिकार करा दिया।

३—श्रीमती रामप्यारी का ता०......को देहान्त हो गया और वादी, रामलाल का सगा भतीजा और उसका दायभागी होने के कारण उसकी कुल सम्पति का स्वामी हुआ।

४—यह पट्टा श्रीमती रामप्यारी ने अपने अधिकार विरुद्ध, बिना किसी उचित आवश्यकता के, बहुत कम लगान पर प्रतिवादी को दे दिया था। वह पश्चात् दायभागी, वादी के विरुद्ध खण्डित और बे असर है।

२—वादी के पति प्यारे लाल और उनके दोनों भाई मोहनलाल व सोहनलाल के बीच में कुटुम्बी सम्पत्ति जून १६३२ ई० में बाँटी गई। उसके पश्चात् प्रत्येक भाई अपना पृथक २ कार्य व व्यापार करते रहे और अपने २ हिस्से की ज़मीदारी पर पृथक २ अधिकारी थे।

३ ग्राम जरारा की तीनों भाइयों की संयुक्त जमीदारी का मोहन लाल नम्बरदार था और वादी के पति प्यारे लाल को, लाभ न देने के कारण उसके ऊपर नालिशें करनी पड़ीं।

४—इसके पश्चात् जुलाई सन् १६३५ ई० में, कुटुम्ब के पृथक होते हुये प्यारेलाल का देहान्त हो गया और उसकी विधवा, वादी कुल मृत सम्पत्ति की स्वामिनी हुई।

५—प्रतिवादी ने मृतक प्यारे लाल की जमींदारी पर बिना किसी अधिकार के बल पूर्वक कब्ज़ा कर लिया है और अविभक्त कुल प्रगट करके दाखिल ख़ारिज़ की दरख्वास्त अदालत माल में पेश की है।

६—वादी ने उस दरख्वास्त का विरोध किया परन्तु प्रतिवादी का कब्ज़ा होने के कारण ता०...... को उनका नाम दर्ज होने के लिये अदालत से हुक्म हो गया।

७—वादी जायदाद पर दख़ल पाने और नाम दर्ज कराने के दिन से वासलात पाने की अधिकारी है।

३२—पति और पत्नी

पति की ओर से पत्नी के विरुद्ध प्राय: दावे विवाह सम्बन्धी अधिकार प्राप्त करने के होते हैं और ऐसे दावे स्त्री भी पति के विरुद्ध कर सकती है परन्तु स्त्री की ओर से अधिकतर दावे पति के विरुद्ध निर्वाह व्यय पाने या पति के निवास-गृह में रहने के इस्तक़रार के होते हैं। इन सब दावों में वादी व प्रति वादी का विवाह होना और उनका पति और पत्नी की तरह रहना और प्रतिवादी का वादी से पृथक् हो जाना या जो अन्य शिकायत की बातें हों अर्जीदावे में लिखना चाहिये क्योंकि वह सब घटनाएँ तत्व मुक़द्दमा होती हैं।[1]

विवाह सम्बन्धी अधिकार प्राप्त करने के दावों में जो पुरुष प्रतिवादी को वादी के पास आने में रुकावट डालें उनको फरीक मुकद्दमा बनाया जा सकता है और उनके विरुद्ध निषेध आज्ञा (हुकुम इम्तनाई) की प्रार्थना की जा सकती है परन्तु प्रार्थना यही होनी चाहिये कि वह प्रतिवादी को वादी के पास आने से न रोकें।[2] न कि यह कि वह प्रतिवादी को अपने पास न रहने दें।[3] विवाह सम्बन्धी अधिकार

---

1 I. L. R 8 All 199 F. B
2 A. I. R 1920 Pat. 798
3 I. L. R 44 Bom 454

के दावे पति और पत्नी दोनों की ओर से एक दूसरे के विरुद्ध किये जा सकते हैं। परन्तु ध्यान रहे कि ऐसे दावे के डिगरी हो जाने पर भी उसकी इजराय में प्रतिवादी, चाहे पति हो या पत्नी जेल नहीं भेजा जा सकता परन्तु उसकी सम्पत्ति के विरुद्ध उचित आज्ञा दी जा सकती है।[1]

दावा उस अदालत में दायर होना चाहिये जिसकी अधिकार सीमा में पति रहता हो और जहाँ पर पत्नी रहने से इन्कार करे।[2] शादी की विशेष पूर्ति के लिये दावा दायर नहीं किया जा सकता।[3] परन्तु जहाँ ऐसी प्रतिज्ञा का उल्लङ्घन किया जाना प्रमाणित हो जावे वहाँ पर एक पक्ष से दूसरे पक्ष को हर्जा और नुक़सान दिलाया जा सकता है।[4] इस तरह के दावे इस पुस्तक के उचित खण्ड में दिये गये हैं (देखो—)

कोर्टफीस—विवाह सम्बन्धी अधिकार प्राप्त करने के दावे में यदि इस्तक़रार की प्रार्थना न हो तो कानून कोर्ट फीस की परिशिष्ट २, आर्टिकल १७ (६) के अनुसार १०) का नियत कोर्ट फीस लगता है। संयुक्त प्रान्त और पंजाब में कानून के संशोधन के बाद २००) रुपये की मालियत पर कोर्ट फीस लगता है। अदालत के अधिकार के लिए वादी दावे की मालियत स्वयं नियत कर सकता है।[5]

मियाद—इन दावों में मियाद का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि कानून मियाद की धारा २३ व आर्टिकल १२० लागू होते हैं और जब तक पति या पत्नी एक दूसरे से पृथक रहें तब तक वादी को प्रतिदिन अभियोग कारण (बिनाय मुख़ासमत) उत्पन्न होता है।[6]

(१) पति का पत्नी के ऊपर विवाह सम्बन्धी अधिकार प्राप्त करने के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—प्रतिवादी वादी की विवाहिता पत्नी है।

२—फरीकैन कुछ समय तक स्त्री व पति की हैसियत से रहते रहे और दो वर्ष

---

1 A I. R 1936 All 65, 150 I C 307

2 I L. R 59 Mad 392, 18 Bom 316

3 I L R I Cal 74, 21 Bom 23

4 A. I R 1934 Lah 54

5 I. L. R 28 All. 545

6 Recurring Cause of Action. See I L R 13 All 126

का समय हुआ होगा कि वादी के यहाँ एक आयशा बेगम नाम की लड़की प्रतिवादी के पेट से पैदा हुई जो अब तक जीवित है।

३—प्रतिवादी ६ महीना का समय हुआ होगा कि अपने पिता के यहाँ किसी कार्य का बहाना करके गई थी। उस समय से प्रतिवादी अपने पिता व रिश्तेदारों के बहकाने में आकर वादी के यहाँ नहीं आती।

४—प्रतिवादी बिना किसी कारण के वादी के साथ रहने अथवा स्त्री पुरुष का हक़ पूरा करने में परहेज़ करती है इसलिये वादी विवाह सम्बन्धी अधिकार प्रतिवादी पर हासिल करने का दावेदार है।

५—अभियोग कारण (प्रतिवादी के इनकार करने के दिन से)।

६—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) वादी को प्रतिवादी पर विवाह सम्बन्धी अधिकार दिलाये जावें और प्रतिवादी को हुक्म हो कि वह यह अधिकार पूरा करे।

(२) इसी प्रकार का दूसरा दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखिति निवेदन करता है—

१—फरवरी सन् १९२३ ई० में वादी का प्रतिवादी के साथ विवाह हुआ।

२—विवाह के समय से प्रतिवादी के घर में रहती रही और वह पति व पत्नी के रूप से रहन, सहन करते थे।

३—मार्च सन् १९२७ ई० में प्रतिवादी का पिता प्रतिवादी न० २, उसको अपनी दूसरी लड़की की शादी में सम्मिलित होने के लिये लिवा ले गया और एक महीना में वापस करने का वायदा कर गया था।

४—प्रतिवादी नं० १ अपने पिता के कहने और वश में है वह उसको वादी के मकान पर आने से रोकता है।

५—प्रतिवादी नं १ भी वादी के घर पर आने और विवाह सम्बन्धी अधिकार की पूर्ति करने से इनकार करती है।

६—वादी कई बार प्रतिवादी न० १ को लिवाने के लिये प्रतिवादी नं० २ के घर पर गया परन्तु प्रतिवादी, वादी के साथ नहीं आई और उसके पिता ने भी उसको भेजने से इनकार किया।

७—अभियोग कारण (आख़िरी इनकार के दिन से)।

८—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) प्रतिवादी को आज्ञा हो कि वह वादी के साथ विवाह-सम्बन्धी अधिकार पूरा करे।

(ब) प्रतिवादी न० २ को निषेध आज्ञा दी जावे कि वह प्रतिवादी को वादी के गृह पर आने और विवाह सम्बन्धी अधिकार पूरा करने से न रोके।

(३) स्त्री की ओर से खान पान के खर्च के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करती है—

१—वादी प्रतिवादी की विवाहिता स्त्री है।

२—फ़रीकैन मई सन् १६३३ ई० तक पति व पत्नी की हैसियत से रहते रहे।

३—प्रतिवादी ने जून सन् १६३३ ई० में दूसरा विवाह कर लिया और उसी समय से वह दूसरी स्त्री के साथ रहने लगा और उसने वादी की रक्षा करना व उसके पास आना छोड़ दिया।

४—वादी को पेट पालने और जीवन व्यतीत करने में अत्यन्त कठिनाई उठानी पड़ती है।

५—प्रतिवादी को, जायदाद इत्यादि से ६००) रुपया मासिक आमदनी है।

६—वादी के पिता धनाढ्य व रईस मनुष्य थे, वादी के रहन सहन के ढग और प्रतिवादी की हैसियत के अनुसार वादी का मामूली खर्चा २००) रुपया माहवारी होता है। खान पान का खर्चा प्रतिवादी अदा नहीं करता।

७—अभियोग कारण (खान पान का खर्चा न देने के दिन से)।

८—दावे की मालियत -

वादी की प्रार्थना—

(अ) इस बात का इस्तक़रार किया जावे कि वादी २००) रुपया माहवारी खान पान का खर्चा प्रतिवादी से पाने की हक़दार है।

(ब) खान, पान का पिछले तीन साल के बाबत रुपया प्रतिवादी से दिलाया जावे।

(४) पत्नी का रहायशी मकान में रहने व दख़ल के इस्तक़रार के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करती है :—

१—वादी का विवाह सन् १६३७ ई० में प्रतिवादी के साथ हुआ। उस समय से

फ़रीक़ैन स्त्री व पति की हैसियत से एक मजिल मकान में जो . शहर ...मुहल्ले में स्थित है रहते रहे और वह प्रतिवादी के कुटुम्बी का रहायशी मकान है।

२ प्रतिवादी जुलाई सन् १९४२ ई० से अनुचित सम्बन्ध के कारण दूसरी स्त्री के घर पर निवास करता था और उस समय से वादी इस मकान में अकेली रहा करती थी।

३—प्रतिवादी का वादी से अपनी बदचलनी की वजह से कोई प्रेम नहीं था इसलिये प्रतिवादी इस फिकर में था कि वादी को उस मकान से बेदख़ल कर देवे।

४—वादी एक विवाह में सम्मिलित होने के लिये मार्च सन् १९४३ ई० में मकान का ताला बन्द करके जालन्धर गई हुई थी। प्रतिवादी ने वादी की अनुपस्थिति में ताला तोड़ कर घर पर अधिकार कर लिया।

५—वादी मई सन् १९४३ ई० में वापस आई परन्तु प्रतिवादी ने वादी को मकान में घुसने नहीं दिया और वादी के उसमें रहने के अधिकार से इनकार किया और अब भी इनकार करता है।

६—वादी को मकान में निवास करने का अधिकार प्राप्त है।

७—अभियोग कारण......

८—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) यह घोषणा की जावे कि वादी को उस मकान में निवास करने का अधिकार प्राप्त है।

(ब) वादी को उस मकान पर दख़ल दिलाया जावे।

३३—मुस्लिम शास्त्र

इस भाग में प्रायः उन्हीं वाद-पत्रों के नमूने दिये गये हैं जिन नालिशों में मुस्लिम शास्त्र विशेष रूप से लागू होता है जैसे निकाह तोड़ने के दावे; देन महर या तर्का शरई के दावे।

१—विवाह-विच्छेद या फ़िस्क़-निकाह

निकाह तोड़ने के लिये, मुस्लिम शास्त्र के अनुसार पुरुष की ओर से दावा करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि पति पत्नी को स्वयं ही तलाक़ दे सकता है। वह ऐसा तलाक़ उचित कारण बिना भी दे सकता है।[1] इसलिये फ़िस्क़-निकाह के दावे प्रायः पत्नी की ओर से पति के विरुद्ध दायर किये जाते हैं। ऐक्ट न० ८ सन् १९३९[2] के अनुसार पत्नी को निकाह फ़िस्क़ कराने का अधिकार उन कारणों पर दिया गया है जो

---

1 I L R 59 Cal. 539

2. Dissolution of Muslim Marriage Act

उस ऐक्ट की धारा २ में दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त आपस के इकरार से भी पत्नी को तलाक देने का अधिकार दिया जा सकता है।[1]

इस ऐक्ट के पहले पति के नामर्द होने या उसका पत्नी पर झूठा इलजाम लगाने पर, पत्नी को तलाक लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता था।[2] यदि निकाह पत्नी की नाबालिगी में उसके पिता के अतिरिक्त किसी अन्य रिश्तेदार की अनुमति से किया गया हो और बालिग होने पर वादी ने उसको अस्वीकार किया हो तब भी दावा किया जा सकता है।

इन दावों में यह कि वादी की प्रतिवादी के साथ शादी हुई और वह कारण जिनकी वजह से निकाह फिस्क कराना मन्जूर हो लिखना चाहिये। ध्यान रहे कि यदि पति के नपुंसकता होने के कारण दावा हो तो अदालत समय दे सकती है और यदि पति की नपुंसकता तब भी बनी रहे तो दावा डिगरी किया जाता है।

मियाद—कानून मियाद के आर्टिकल १२० के अनुसार मियाद ६ साल की होती है।

(नोट—नमूने नम्बर १ से लेकर ३ तक इस विषय के हैं।)

(२) दैन-महर

महर दो प्रकार का होता है :—१—"महर मोअज्जल" जो फौरन वाजिबुलअदा हो २—"महर मोवज्जल" जो बाद को वाजिबुल अदा हो।

महर के दावे में महर का इकरार और उसकी रकम और यदि महर दोनों प्रकार का हो तो कितना किस प्रकार का था और वह कब वाजिबुल अदा हुआ, यह सब बातें अर्जीदावे में जाहिर करना जरूरी है। मुस्लिम शास्त्र के अनुसार महर शादी का एक आवश्यक अङ्ग है और यदि वह किसी विशेष इकरार से नियत भी नहीं किया गया तब भी अदालत उचित संख्या (महर-मिस्ल) नियत करके डिगरी दे सकती है।

महर का रुपया कर्जे की तरह होता है और पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा उसकी जायदाद से अपने महर का रुपया वसूल करने की हकदार होती है और वह उसका दावा दूसरे दायभागियों के खिलाफ कर सकती है। जब तक महर का रुपया वसूल न हो जावे वह शौहर की जायदाद पर काबिज भी रह सकती है।[3] लेकिन वह उस जायदाद या उसके किसी भाग को मुन्तकिल नहीं कर सकती। विधवा के वारिस भी उसके महर के एवज में जायदाद पर काबिज रह सकते हैं।[4]

---

1. A. I R 1931 Lah 135, 1933 Lah 885, I L. R. 46 Cal 141
2 I L. R. 55 Bom 160, 48 All 834, 17 A L. J 78.
3 1930 A L. J 1567, I L. R. 55, All 139, 43 Mad 214 F B, A I R 1924 Cal. 508
4 I. L. R. 49 All 127, 7 Pat 141

मियाद—महर के दावों में मियाद प्रायः ३ साल की होती है। वह मियाद महर तलब करने के दिन से या महर मुअज्जल के लिये तलाक़ या पति की मृत्यु के दिन से शुमार की जाती है।[1] जहाँ पर रजिस्ट्री युक्त क़ाबीननामें से महर नियत किया गया हो तो मियाद ६ साल की हो जाती है।[2]

(नोट:—नमूने अर्जीदावे नं० ४ से लेकर १० महर के दावों के हैं।)

(३) तर्का-शरई

मुस्लिम शास्त्र के अनुसार दायभागियों के हिस्से नियत हैं। इन हिस्सों में हनफी (सुन्नी) और शिया शास्त्रों में भेद है। इस पुस्तक में वारिसों के हिस्से की बाबत कोई नोट देने की आवश्यकता नहीं है। वकील को चाहिये कि तर्के के दावे में किसी प्रसिद्ध मुस्लिम शास्त्र की किताब से सहायता ले और वादी का हिस्सा नियत करके अर्जीदावा तैयार करे। नमूने नं० ११ से लेकर १३ तक विरासत के सम्बन्ध के हैं और ध्यान से देखने चाहिये।

(१) स्त्री की ओर से निकाह तोड़ने के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करती है :—

१—प्रतिवादी सन् १९४५ ई० में नाबालिग थी और उसके पिता का सन् १९४५ ई० से पहिले देहान्त हो चुका था।

२—मुहम्मद हुसेन वादी के माँमू ने जून सन् १९४५ ई० में उसकी नाबालिगी के समय वादी की माता की बिना सलाह के जो उस समय जीवित थी, प्रतिवादी से उसका निकाह कर दिया।

३—वादी ने बालिग़ होने पर निकाह को तुरन्त अस्वीकार कर दिया और फरीकैन कभी पति पत्नी की हैसियत से नहीं रहे और न निकाह की पूर्ति हुई।

४—वादी उस निकाह के संबन्ध को तोड़ने और रद्द कराने की दावेदार है।

५—अभियोग कारण (बालिग़ होने व निकाह को अस्वीकार करने के दिन से)।

६—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

वादी का निकाह जो प्रतिवादी के साथ सन् १९४५ ई० में हुआ था, मन्सूख रद्द और बेअसर करार दिया जावे।

---

1. Arts 103, 104, Limitation Act
2 Art. 116, Limitation Act, A I. R 1923 Cal 507.

(२) इसी प्रकार का विवाह विच्छेद के लिये दूसरा दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करती है—

१—वादी की प्रतिवादी के साथ मार्च सन् १९४५ ई० में शादी हुई।

२—प्रतिवादी नामर्द है और सहवास नहीं कर सकता।

३—शादी के बाद वादी प्रतिवादी के साथ दो साल तक रही इस काल में वह वादी के साथ सहवास नहीं कर सका।

४—वादी की प्रतिवादी के साथ शादी शास्त्रानुसार खडित और बेअसर है और वादी उसको रद्द व मन्सूख कराने की हक़दार है।

५—दावे का कारण—

६—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

यह इस्तकरार किया जावे कि वादी की प्रतिवादी के साथ मार्च सन् १९४५ ई० में हुई शादी शास्त्रानुसार खडित व बेअसर है।

(३) ऐक्ट ८ सन् १९३९ की धारा २ के अनुसार निकाह फिस्क कराने का दावा

उपर्युक्त वादी निम्नलिखित प्रार्थना करती है :—

(१) यह कि वादी की शादी प्रतिवादी के साथ मार्च सन् १९४० ई० में हुई थी।

(२) यह कि प्रतिवादी शादी के ६ महीने बाद अक्तूबर सन् १९४० में अपने व्यापार के सिलसिले में कलकत्ता चला गया और उस तारीख से आजतक .. ..पाँच वर्ष से उसका कोई पता नहीं है।

या

(२) यह कि प्रतिवादी ने पाँच साल से (या दो वर्ष से अधिक से) वादी को छोड़ रखा है और उसकी परवरिश और निर्वाह का कोई प्रबन्ध नहीं किया है।

या

(२) यह कि प्रतिवादी को तारीख ....को दो वर्ष से अधिक की सज़ा अदालत .... के हुक्म से हो गयी है।

या

(२) यह कि प्रतिवादी वादी के साथ बहुत सख्ती और बेरहमी का बर्त्ताव करता है, मारता पीटता है और तरह तरह से उसको कष्ट देता है इत्यादि।

(मज़मून फिकरा नम्बर ४ व ५ लिखना चाहिये)

वादी प्रार्थी है कि उसका निकाह जोकि प्रतिवादी के साथ तारीख........ मार्च सन् १९४० को हुआ अदालत से फिस्क करार दिया जावे।

(४) स्त्री का पति के ऊपर " महर मोअज्जल " के लिये दावा

(सिरनामा)

मुद्दैया नीचे लिखी अर्ज करती है—

१—मुद्दैया प्रतिवादी की विवाहिता स्त्री है।

२—मुद्दैया की शादी मुद्दायलह से ता०... ..को हुई और " दैन महर " का...... रुपया देना क़रार पाया जोकि माँगने पर अदा करना ठहरा।

३—मुद्दैया ने प्रतिवादी से अपना दैन महर ता०......को माँगा।

४—प्रतिवादी ने यह मतालबा अभी तक अदा नहीं किया।

५—बिनाय दावी (तलब करने के दिन से)।

६—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

"दैन महर" का......रुपया मय खर्च नालिश और सूद दौरान व आइंदा रुपया वसूल होने के दिन तक प्रतिवादी से उसको दिलाया जावे।

(५) निकाह मन्सूख हो जाने पर स्त्री का " महर मोवज्जल " के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी नीचे लिखी प्रार्थना करती है—

१—वादी का प्रतिवादी के साथ ता० .. ..को निकाह हुआ और " महर मोवज्जल " का ...रुपया देना क़रार पाया (या अगर महर के निस्बत कोई दस्तावेज़ लिखा गया हो तो उसका हवाला देना चाहिये।)

२—फरीकैन कई साल तक पति व पत्नी की तरह रहते रहे। इसके बाद प्रतिवादी ने वादी को तलाक़ कर दिया जो इद्दत की मियाद खत्म होने पर अटल हो गया और फरीकैन का निकाह मनसूख और रद्द हो गया।

३ - प्रतिवादी ने " दैन महर " वादी को अभी तक अदा नहीं किया।

(६) मुसलमान विधवा का 'महर' के लिये मृतक पति के दायभागियों पर दावा

१—वादी मृतक मुहम्मदअली की विवाहिता स्त्री है।

२—वादी का मुहम्मदअली के साथ ता०.... ..को निकाह हुआ और महर का .... . रुपया क़रार पाया जो इन्दुल तलब देना ठहरा।

३—वादी के पति की ता० . ....को बिना महर दिये हुए मृत्यु हो गई और प्रतिवादी मुसलिम शास्त्र के अनुसार उसके दायभागी हैं और उसकी मृत सम्पत्ति पर अपने २ हिस्से के अनुसार क़ाबिज़ व अधिकारी हैं।

४—वादी अपने हिस्से में . ..रुपया काट कर महर का बाक़ी रुपया मृत सम्पत्ति से, जो कि प्रतिवादी के कब्ज़े में है पाने की हक़दार है।

५—इस मतालबे पर वादी . रुपया सैंकड़ा माहवारी हिसाब से सूद पाने की भी दावेदार है जो कि उसके पति के देहान्त के दिन से लगाया जावे।

(७) इसी प्रकार का दूसरा दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करती है—

१ – वादी के पति इमामबख्श की ता०... को मौत हो गई और उसने वादी के अतिरिक्त अपने लड़के प्रतिवादी नम्बर १ और दो पुत्री प्रतिवादी न० २ व ३ को अपना दायभागी छोड़ा।

२—नीचे लिखी हुई जायदाद मृतक इमामबख्श की सम्पत्ति है जिसमें प्रतिवादी का हिस्सा ३२ भागों में से २८ भाग का है।

३—वादी के महर का १०००) रुपया इमामबख्श की मौत होने के समय तक अदा नहीं हुआ था।

४—वादी अपने महर का ⅞ हिस्सा मृत सम्पत्ति के २८ भागों से, जो कि प्रतिवादियों के कब्ज़े में है वसूल करने की हक़दार है।

५ – बिनायदावी–, इमामबख्श की मृत्यु के दिन से)।
६—दावे की मालियत—

७—वादी प्रार्थी है कि......रु० दिलाने के लिये दावा, इमामबख्श की जायदाद के कुल ३२ भागों में से २८ भाग पर जिन पर कि प्रतिवादी क़ाबिज़ हैं, डिग्री किया जावे।

(८) मृतक पत्नी के दायभागी की ओर से पति के ऊपर 'महर' के विभाग के लिये दावा

१—वादी की बहन मुसम्मात .. का निकाह प्रतिवादी के साथ ता० ..को हुआ और महर का रुपया क़रार पाया जिसकी बाबत एक काबीननामा प्रतिवादी ने ता० ..को लिख दिया

२—उक्त मुसम्मात ... का ता० ....को देहान्त हो गया। उसकी जायदाद का .... हिस्से में, नीचे लिखे शजरे के अनुसार बटवारा हुआ।

(यहाँ पर शजरा मय हिस्सों के लिखना चाहिये)

३—मुसम्मात ...के देहान्त के समय तक महर नहीं दिया गया था। महर में वादी का हिस्सा......रुपया है।

४ प्रतिवादी ने यह रुपया अभी तक अदा नहीं किया।

(९) वारिस का ि ।के ऊपर जो महर के बदले में जायदाद पर क़ाबिज़ हो दख़ल के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है :—

१—वादी का पिता (क ख) नीचे लिखी जायदाद का मालिक और अधिकारी था।

२—(क - ख) की ता०... को मृत्यु हो गई।

३—प्रतिवादी क—ख—की विधवा है और उसके महर का २५००) रुपया क—ख— की मृत्यु के वक्त वाजिब था।

४—प्रतिवादी ने क—ख— के मतरूके पर उसकी मृत्यु के दिन से, महर के मतालबे के बदले में क़ब्ज़ा कर लिया है और अब तक उस पर क़ाबिज है और उसकी आमदनी वसूल करती है।

५—मृतक क—ख—की जायदाद में कुल ३२ भाग में से ४ भाग की मालिक प्रतिवादी और १४ भागों का मुद्दई और बचे १४ भागों की मालिक उसकी दो लड़कियाँ फ़हीमुलनिसाँ और अमीरुलनिसाँ हुईं।

६ इस मतरूके की आमदनी से बहुत दिन हुये कि महर का रुपया बेबाक़ हो गया और उसके बेबाक हो जाने के दिन से मुद्दायलहा का वादी के हिस्से पर कब्ज़ा बिना किसी अधिकार के है।

७ – बिनाय दावी —(महर का मतालबा बेबाक़ हो जाने के दिन से)।

९—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि मृतक क—ख — की नीचे लिखी हुई जायदाद के कुल ३२ हिस्सों में से, उसको १४ हिस्सों पर बिना 'महर' का कोई मतालबा दिलाये हुए, या जो मतालबा अदालत तजवीज़ करे दिला कर, दखल दिलाया जावे।

(१०) वारिसों का महर के ऐवज में क़ाबिज़ बेवा के ऊपर दखल के लिये दावा

(शिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१ - फरीकैन की वंशावली नीचे लिखी हुई है (यहाँ पर शजरा जिससे रिश्तेदारी व वादी का वारिस होना ज़ाहिर हो लिखना चाहिये)।

२—फ़रीकैन के मूरिस अहमद अली का ता०... ..को देहान्त हुआ और नीचे लिखी हुई जायदाद उनका मतरूका है।

३ - मुद्दायलह ने इस जायदाद पर, मौत के दिन से अपने "देन महर" को ज़ाहिर करके क़ब्ज़ा कर लिया और आज तक काबिज़ है और उसकी तहसील वसूल करके खर्च करती है।

४—इस जायदाद की सालाना आमदनी . . रुपया है। मुद्दायलहा के महर का .. ..रुपया वाजिब था जो जायदाद की आमदनी से अदा हो गया, इसके अलावा प्रतिवादी के क़ब्जे में कुछ मतालबा ज़ायद पहुँच गया है।

५—वादी का शरई हिस्सा ऊपर लिखे शजरे के मुताबिक कुल...सहाम में...... सहाम है और वादी जायदाद में से अपने हिस्से पर दखल पाने का हक़दार है।

६ वादी इस बात पर भी राज़ी है कि अगर 'महर' का कुछ मतालबा हिसाब से वाजिब हो तो उस मतालबे को अदा करने पर उसको जायदाद का रसदी भाग दिलाया जावे।

७—प्रतिवादी हिसाब करने और मुद्दई का हिस्सा छोड़ने को तय्यार नहीं होती।

८—बिनायदावा—(इन्कार के आखिरी दिन से)।

९—दावे की मालियत —(जायदाद की क़ीमत और कोर्टफीस रसदी जायदाद की पच गुनी मालगुजारी पर अदा किया जावेगा)।

वादी प्रार्थी है कि —

(अ) वादी को......कुल भागों में से......भागों पर दखल दिलाया जावे (या "दैन महर" का जो कुछ मतालबा हिसाब से वाजिब हो उसके अदा करने पर दखल दिलाया जावे)।

(ख) जो कुछ मतालबा रसदी से वादी का निकलता हो उसकी डिग्री प्रतिवादी के उपर कोर्टफीस लेकर सादिर की जावे।

(क) खर्चा नालिश इत्यादि दिलाया जावे।

(जायदाद की तफ़सील)

(११) एक वारिस का, दूसरे क़ाबिज वारिसों पर, दख़ल व वासलात के लिए दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :

१—मुसम्मात अहमदी, वादी की स्त्री, अलीमुहम्मद खाँ की लड़की थी, जोकि नीचे लिखी हुई जायदाद के मालिक और अधिकारी थे।

२—अलीमुहम्मद खाँ की ता०......को मृत्यु हो गई और उनका मतरूका ८४ भागों में बटकर नीचे लिखी वंशावली के अनुसार विभाजित हुआ।

(यहाँ पर वंशावली और हर दायभागी का हिस्सा लिखना चाहिये)।

३—मुसम्मात अहमदी बेगम इस जायदाद के कुल ८४ भागों में से १२ भाग की मालिक व अधिकारी हुई।

४—मुसम्मात अहमदी बेगम का ता० ....को देहान्त हो गया और उसकी जायदाद नीचे लिखी वंशावली के अनुसार......भागों में बाँटी गई जिसमें वादी का .. ..भागों का हिस्सा होता है।

५—वादी अहमदी बेगम का शरई वारिस होने की वजह से अलीमुहम्मद के ८४ भागों में से तीन भाग का मालिक है।

६—प्रतिवादी अलीमुहम्मद खाँ के अन्य वारिस हैं और उनके मतरूके पर काबिज है।

७—प्रतिवादी वादी के बार बार कहने और माँगने पर भी उसके हिस्से का क़ब्ज़ा उसको नहीं देते।

८—वादी अपने हिस्से के वासलात का भी दावेदार है।

९—बिनायदावी (अलीमुहम्मद खाँ और मुसम्मात अहमदी की मृत्यु के दिन से।)

(जायदाद की तफ़सील)

(१२) इसी प्रकार का दूसरा दावा

१—वादी एक पर्दानशीन स्त्री है और नीचे लिखी जायदाद के ४२ हिस्सों में से ७ हिस्सों की मालिक व क़ाबिज़ है।

२—यह जायदाद वादी को, क़रीब १० साल हुई जायदाद के कुल ३२ हिस्सों मिली। जायदाद के बकाया हिस्सों के प्रतिवादी फरीक़ अद्लिलाये हुए, या जो मतालबा दायभागी हैं, मालिक हैं और वादी और उनका उस जायदाद

३—वादी रहायशी मकान में कभी २ जाकर ठहरती है प्रतिवादी नम्बर १ से जो कि नम्बरदार है और तहसील वसूल करता बेवा के ऊपर

४—प्रतिवादी फरीक़ अव्वल ने कुल जायदाद का ता०.... फ़रीक़ दोयम के नाम लिख कर उनको उस जायदाद पर कब्ज़ा (देखो नोट)

५—प्रतिवादी फरीक़ अव्वल को वादी के हिस्से को बै करने का को था। और जहाँ तक उसका वादी के हिस्से से सम्बन्ध है वह खंडित और नसे रिश्तेदारी प्रतिवादी फरीक़ दोयम का वादी के हिस्से पर क़ब्ज़ा बिना किसी इसतहक़ाक के

६—वादी अपने हिस्से पर दखल और बैनामे के दिन से वासलात, प्रतिवा और नीचे दोयम स पाने की हक़दार है।

(१३) वारिस लड़की का, दूसरे वारिसों पर जिन्होंने रहन से जायदाद छुड़ा ली हो, दखल के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी अर्ज़ करती है :—

१—वादी के पिता क़ाज़ी लताफ़तहुसेन एक कमरा और सात दो खनी दूकानों के जिनकी चौहद्दी नीचे दर्ज है और जो मुहल्ला मदार दरवाजा शहर अलीगढ में वाक़ै हैं मालिक व काबिज़ थे।

२—काजी लताफ़तहुसेन ने वह कमरा और दूकानें ७ मई सन् १९१९ ई० को रहननामा लिख कर ३०००) रुपया में मुसम्मात नायाब के पास दखली रहन कर दीं और उन पर उसी दिन से मुरतहिन काबिज़ हो गई।

३—काज़ी लताफ़तहुसेन का १९२० ई० में देहान्त हो गया और उन्होंने अब्दुल-मजीद, लड़का, मुसम्मात अलिमुलनिसा लड़की, मुसम्मात मरीयमउलनिसाँ लड़की (वादी) और मुसम्मात शरीफ़ुलनिशाँ, बेवा को अपना दायभागी छोड़ा।

४—क़ाज़ी लताफ़तहुसेन की मौत के बाद उनके कुल दायभागी संयुक्त रूप से मृत सम्पत्ति पर अधिकारी हुये।

---

* नोट—यदि वादी का हिस्सा अन्य वारसों ने रहन सादा या दखली कर दिया हो तो धारा नं० ४ व ५ में आवश्यक शब्द बदलने के बाद यही फ़ारम काम में लाया जा सकता है।

५—अब्दुलमजीद ने जो कि, प्रतिवादी फरीक़ दोयम का मूरिस था ६ जनवरी सन् १६३२ ई० को बैनामा लिखकर बिना किसी प्रकार से सूचित किये और खिलाफ अख्तयार कुल जायदाद को प्रतिवादी फरीक़ अव्वल के नाम बेच दिया और उसके कुछ महीने बाद से प्रतिवादी फरीक़ अव्वल कमरे और दूकानों पर काबिज हैं।

६—वादी का ३२ भागों में से सात भाग का हिस्सा है और वह प्रतिवादी फरीक अव्वल को अपने हिस्से का रुपया अदा करने पर दखल पाने की दावीदार है।

७—वादी ने अपने हिस्से का रहन का मतालबा अदा करके अपने हिस्से पर दखल लेने के लिये प्रतिवादी फरीक अव्वल से कहा परन्तु उन्होंने ध्यान नहीं दिया।

८—बिनायदावी (कब्जा न देने और इनकार करने के दिन से)।

६—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि (जैसा कि फिक्रा नम्बर ६ में)।

(रहन की हुई जायदाद की तफसील)

(१४) अपने हिस्से को बचाने के लिये, एक शरई हिस्सेदार का दूसरे शरई हिस्सेदारों पर दावा

(सिरनामा)

वादी नीचे लिखी प्रार्थना करती है--

१—वादी और प्रतिवादी फरीक दोयम का शजरा यह है—

(यहाँ पर शजरा लिखना चाहिये)

२—प्रतिवादी फरीक दोयम और वादी के मूरिस अहमदयारखॉ की ता०...... को मृत्यु हुई और मृत सपत्ति पर वादी और प्रतिवादी द्वितीय पक्ष अपने अपने शरई हिस्सों के हिसाब से काबिज व अधिकारी हुये।

३—वादी की जायदाद के कुल ७२ भागों में १२ भाग का हिस्सा है। वादी अपने हिस्सेदारी का मुनाफा प्रतिवादी द्वितीय पक्ष से पाती रही और अब भी पाती है और रहायशी मकान में जब कभी जाकर रहती है और अपने हिस्से पर अब भी काबिज़ है।

४—प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने वादी के बिना किसी ज्ञान या सूचना के, अहमदयारखाँ का कुल मतरूका प्रतिवादी द्वितीय पक्ष से अपने यहाँ आड़ करा लिया और इस किफालत की बिनाय पर डिग्री नंबरी .. अदालत... से प्रतिवादी के खिलाफ हासिल करके कुल जायदाद को नीलाम कराया है।

५—वादी श्रांड़ के दस्तावेज या डिग्री में कोई फरीक नहीं है और न डिग्री के मतालबे की देनदार है। उसका हिस्सा उस डिग्री की इजराय में नीलाम नहीं हो सकता।

६—बिनायदावा—(इजराय और नीलाम की कार्रवाई की सूचना होने के दिन से)।

७—दावे की मालियत (नियत कोर्ट फीस इस्तक़रार के लिये लगेगा)

वादी की प्रार्थना—

(अ) यह इस्तकरार किया जावे कि नीचे लिखी हुई जायदाद में वादी का १२ वाँ हिस्सा इजराय डिग्री नम्बरी .....अदालत .... से नीलाम नहीं हो सकता।

(ब) नालिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे।

३४—हक़-शफा

शफे के दावे (१) मुस्लिम-शास्त्र, (२) रिवाज या (३) किसी विशेष प्रतिज्ञा या इक़रार की बिनाय पर होवे हैं।

१—सुन्नी मुस्लिम शास्त्र के अनुसार शफा करने वाले तीन प्रकार के होते हैं, (i) शफी-शरीक या हिस्सेदार (ii) शफी-खलीद और (iii) शफी-गार और शफा करने वाले की दो जरूरी मांग, ' तलब-मवासबत' जिससे शफा करने वाला इन्तकाल की हुई जायदाद को खरीदने की इच्छा प्रकट करता है और, 'तलबे-इश्तशात', जिससे वह जायदाद लेने और उसका मुआवजा देने के लिये तत्पर होता है, का होना जरूरी है क्योंकि बिना इनके दावा चल नहीं सकता।[1] इनके बाबत अर्जीदावा लिखने वाले का ध्यान सही व ठीक होना चाहिये और उचित है कि नालिश लिखने से पहले किसी मुस्लिम शास्त्र की सहायता ले ली जावे।

अर्जी दावे में (१) यह कि शुफा करने वाला किस श्रेणी का है और खरीदने वाला किसी श्रेणी का शफी नहीं है या कि नीची श्रेणी का है, (२) और खरीदारी की तफसील, लिखनी चाहिये। यदि प्रकट किया हुआ मतालबा मंजूर न हो तो यह दिखाना चाहिये कि असली खरीदारी का मतालबा क्या था। दोनों तलबों के अलावा और किसी नोटिस देने की जरूरत नहीं होती लेकिन जो मतालबा मंजूर किया जावे उसको अदा करने के लिये रजामन्दी अर्जी दावे में दिखाना चाहिये।

---

1 I L R 5 Pat 96

सुन्नी व शिया मुस्लिम शास्त्रों में शफा के सम्बन्ध में कुछ अन्तर है इसलिये यह ध्यान रखना चाहिये कि झगड़े वाले व्यवहार पर कौन सा क़ानून लागू होगा। जहाँ पर बेचने वाला और शफा करने वाला दोनों सुन्नी हों वहाँ पर सुन्नी कानून लागू होगा और जहाँ पर यह दोनों शिया हों वहाँ पर शिया क़ानून लागू होगा।[1] लेकिन जहाँ पर विक्रेता सुन्नी हो और शफा करने वाला शिया हो वहाँ पर शिया-शास्त्र के अनुसार ही हक़ माँगा जा सकता है।[2] जहाँ बेचने वाला शिया हो और शफा करने वाला सुन्नी हो वहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की राय में शिया-शरह लागू होना चाहिये।[3] लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट की राय में उसका फैसला सुन्नी शरह के अनुसार होना चाहिये।[4]

सुन्नी शास्त्र के अनुसार शफा करने वालों की ऊपर लिखी तीन श्रेणियों में प्रथम श्रेणी का दूसरी श्रेणी से और दूसरी श्रेणी से और दूसरी श्रेणी का तीसरी श्रेणी से शफा का हक़ उत्तम होता है। शिया शास्त्र के अनुसार सिर्फ प्रथम श्रेणी वाले हिस्सेदार ही शफा कर सकते हैं और वह भी तभी जब कि उस जायदाद में दो हिस्सेदार से अधिक हिस्सेदार न हों।[5]

ध्यान रखना चाहिये कि हक़ शफा तभी उत्पन्न होता है जब कि जायदाद पूर्ण रूप से बिक्री कर दी गयी हो। अन्य प्रकार के परिवर्तन से शफे का हक़ पैदा नहीं होता[6] इसलिये जहाँ पर जायदाद दान की गयी हो या दवामी पट्टा लिखकर हमेशा के लिये किराये पर दी गयी हो या एक जायदाद का दूसरी जायदाद से तबादला किया गया हो वहाँ पर हक़ शफा पैदा नहीं होगा।[7] यदि महर के रुपये के बदले में पति पत्नी के हक़ में अपनी जायदाद फरोख्त कर देवे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की राय में हक शफा पैदा हो जाता है।[8] परन्तु अवध चीफकोर्ट में और बाद के इलाहाबाद के कुछ मुक़दमों में ऐसे इन्तकाल को हिबा-बिल एवज तजवीज़ किया गया है जिससे हक़ शफा पैदा नहीं होता।[9]

२—रिवाज

जहाँ पर शफा, रीति या चलन के अनुसार माँगा जावे वहाँ पर ऐसी रीति या चलन का साबित करना वादी का कर्त्तव्य होता है। ऐसे रिवाज मुसलमानी प्रथा के अनुसार बहुत से शहर, कस्बों या उनके हिस्सों में अब भी प्रचलित हैं। रिवाज

1 I L R. 7 All 775, 12 All 229
2 I L R 22 All. 102
3 I. L. R 36 All 486
4 I L R 32 Cal 982
5 23 A L J 617
6 A. I R 1929 Bom 206
7 I L R 15 Cal 184, 1930 A. L J 1478, but see I. L R 40 All 322
8 A I R 1932 All 596, A I R 1937 P C. 174, I L R 5 All 65
9 I L R I Luck 83, 2 Luck. 575, A I R 1937 All. 25, 1936 A L J 1027.

प्रमाणित करने के लिये वादी पहली ऐसी घटनाओं की शहादत दे सकता है जहाँ पर शफे से एक की खरीदी हुई जायदाद दूसरे को दिलाई गयी हो या अदालत की तजवीज से शफा का रिवाज माना गया हो। स्थानीय-रीति या मुक़ामी रिवाज की एक विशेषता यह है कि कहीं पर तो वह सब निवासियों पर लागू होता है और कहीं पर सिर्फ मुसलमान निवासी ही उसका फायदा उठा सकते हैं।

शफे का रिवाज प्रायः सरकारी कागजात जैसे, वाजिबुलअर्ज, दस्तूरदेही इत्यादि में दर्ज होता है लेकिन ऐसा रिवाज फरीकैन अपने खाली कागजात में भी लिख सकते हैं। यदि सम्मिलित सम्पत्ति विभाजित की जावे तो हिस्सेदार यह शर्त कर सकते हैं। किसी हिस्सेदार के जायदाद बेचने पर अन्य हिस्सेदारों को उसके खरीदने का प्रथम हक़ होगा।

पंजाब व अवध प्रान्तों में शफे के दावे वहाँ के स्थानीय कानून के अनुसार दायर होते हैं। (Punjab Pre-emption Act and Oudh Laws Act) लेकिन वहाँ पर भी हक़ शफा शरह-मोहम्मदी के अनुसार कहीं कहीं पर पैदा होता है। मद्रास प्रांत में यदि फरीक़ैन मुसलमान भी हो तब भी मुस्लिम शास्त्र-नुसार हक शफा पैदा नहीं होता जब तक कि कोई स्थानीय रिवाज न हो। मुस्लिम शास्त्र के अनुसार हक़ शफा माँगने के लिये यह जरूरी है कि जायदाद बेचने वाला और शफा करने वाला दोनों मुसलमान हो। इलाहाबाद व पटना हाईकोर्ट की राय में खरीदार का मुसलमान होना जरूरी नहीं है।[1] परन्तु इसके विरुद्ध व बम्बई के हाईकोर्टों की राय में खरीदार का भी मुसलमान होना जरूरी है।[2]

जमींदारी से सम्बन्ध रखने वाले शफा के दावे इस प्रान्त में प्रायः Agra Pre-emption Act के अनुसार फैसले होते हैं। इस ऐक्ट की धारा ५ के अनुसार रिवाज का वाजिबुल अर्ज या दस्तूरदेही में इन्दराज होना उसको प्रचलित करने के लिये पर्याप्त होता है। -

आगरा प्रीएम्पशन एक्ट के दावों में धारा ५ के अनुसार उस महाल के अन्दर शफा का हक़ होना और धारा १२ के अनुसार वादी का अधिकारी होना अर्जी दावे में दिखाना चाहिये। जायदाद बेचने वाला इन मुक़दमों में जरूरी फरीक़ नहीं होता यद्यपि उसके फरीक़ बनाने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन अगर किसी दूसरे हक़दार ने भी शफा का दावा किया हो तो उसको फरीक़ बनाना चाहिये।

मियाद—खरीदार का जायदाद पर दखल पाने के दिन से, शफा का दावा एक साल के अन्दर दायर होना चाहिये।[3] जहाँपर बिक्री की हुई जायदाद ऐसी हो जिस पर दखल न हो सकता हो वहाँ पर बैनामा रजिस्ट्री कराने के दिन से एक साल की मियाद होती है। यह मियाद किसी वजह से बढ़ाई नहीं जा सकती।[4]

---

1 I L R 7 All 772 F B , I L R 1 Pat 578

2 4 Beng L R 134 F B , A. I R 1929 Bom 206

3 Art 10, Limitation Act

4 Sec. 8, Limitation Act

कोर्ट-फीस—रहायशी मकान और मुस्लिम शास्त्र के शफा के दावे में वादी की नियत की हुई जायदाद की मालियत पर पूरा कोर्ट फीस देना होता है और जहाँ दावा जमीदारी के निस्वत हो जिस पर मालगुजारी अदा की जाती है वहाँ वार्षिक मालगुजारी की पाँचगुनी मालियत पर।

(१) सम्मिलित शफी का मुसलमान शास्त्र के अनुसार शफ़ा का दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—मौज़ा राजपुर में एक मुहाल .....नाम का है जिसमें वादी और प्रतिवादी फरीक़ दोयम हिस्सेदार है और वादी कुल मौजा का नम्बरदार है। प्रतिवादी प्रथम पक्ष का उसमें कोई हिस्सा नहीं है।

२—प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने अपनी नीचे लिखी हुई, उस मौज़े की ज़मीदारी, ता० १२ अक्टूबर सन् १६......ई० को १५,०००) रुपया में बैनामा लिख कर एक अन्य पुरुष प्रतिवादी प्रथम पक्ष के हाथ बेच दी। वादी को जब उस बै की इत्तला मिली तो उसने फौरन "तलब मवासिबत" और "तलब इस्तशहाद" अपने मुख्ताराम से कराई लेकिन प्रतिवादी-फरीक़ अव्वल कीमत का मतालबा लेने और बै की हुई ज़मीदारी छोड़ने पर तय्यार नहीं हुए।

३—फरीकैन दोनों मुसलमान और, हनफी सुन्नी हैं। वादी को बेची हुई जायदाद में शरीक होने की वजह से एक अजनबी आदमी के ख़िलाफ़ शफा करने का हक़ हासिल है।

४—बिनायदावा (बैनामा लिखने के दिन, ता० १२ अक्टूबर सन् १६......ई० को पैदा होकर ता० १७ अक्टूबर सन् १६......ई० से यानी उसके रजिस्ट्री कराने के दिन से प्रगट हुई)।

५—दावे की मालियत (१५,०००) रुपया, परन्तु कोर्ट फीस पचगुनी मालगुजारी पर लगेगा)।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) वादी को नीचे लिखी जमींदारी का मुसलिम शरह के अनुसार १५,०००) रुपया दिला कर मालिक क़रार दिया जावे और दखल दिलाया जावे और इस मतालबे में जितना रुपया बतौर अमानत प्रतिवादी प्रथम पक्ष के पास छोड़ा गया हो वह वादी के पास छोड़ा जावे।

(ब) नालिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे।

(शफ़ा की हुई जायदाद की तफसील)

(२) वाजिबुल अर्ज़ के आधार पर शफ़ा का दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी और प्रतिवादी द्वितीय पक्ष पास के रिश्तेदार और मौजा नूरपुर थोक कलंदर बख्श तहसील हाथरस के सम्मिलित हिस्सेदार हैं।

२—यह कि मौजा नूरपुर में शफे का रिवाज है जिसकी बावत वाजिबुल अर्ज़ में यह लिखा है कि "हर एक हिस्सेदार को अपने अपने हिस्से को हर प्रकार से बेचने का हक है, पहिले तो अपने पास के रिश्तेदारों के हाथ जो हिस्सेदार भी हों और यदि वह न लें तो उसी थोक के हिस्सेदारों के हाथ और यदि वह भी न लें तो जिसके हाथ चाहेगा, बेचेगा"।

३—यह कि प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने, वादी के बिना ज्ञान और सूचना के और बिना उसको खरीदने का अवसर दिये हुये रिवाज के खिलाफ नीचे लिखी जायदाद ता०......को बैनामा लिखकर एक अन्य पुरुष प्रतिवादी प्रथम पक्ष के हाथ बेच दी और असली क़ीमत १६००) रुपया के बजाय ११००) रुपया बनावटी क़ीमत शफे से बचने के लिये बैनामे में लिखा दी।

४—यह कि वादी, प्रतिवादी द्वितीय पक्ष का निकट सम्बन्धी और उसके मुकाबले एक अन्य पुरुष को उस जायदाद के खरीद करने का कोई हक नहीं है।

५—दावे का कारण (बैनामे की रजिस्ट्री होने के दिन से)।

६—दावे की मालियत (अदालत के अधिकार के लिये जायदाद की क़ीमत, लेकिन कोर्ट फीस ५ गुनी मालगुजारी पर लगेगा)

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) उसको शफे की रिवाज के अनुसार १६००) रुपया या जितनी क़ीमत अदालत तजवीज करे दिलाकर और प्रतिवादी को बेदखल करा कर वादी को दखल दिलाया जावे और बैनामे की शर्तों का वादी के हक में होना करार दिया जावे।

(शफ़ा की हुई जायदाद की तफसील)

(३) वाजिबुल अर्ज़ के आधार पर शफे का दावा

१—मौजा रामपुर परगना सहावर जिला एटा में मुहाल अहमदनूर खाँ में वादी और द्वितीय प्रतिवादी मिले हुये हिस्सेदार (जिनकी जायदाद मिली हुई है) हैं।

प्रथम प्रतिवादी भी उस मुहाल का हिस्सेदार है परन्तु उसकी जमीन द्वितीय प्रतिवादी से मिली हुई नहीं है।

२—द्वितीय प्रतिवादी ने अपनी उस मुहाल की नीचे लिखी हुई हक़ीयत (यहाँ पर तफ़सील देनी चाहिये) ता० . . . .को ६०००) रुपया में प्रथम प्रतिवादी के नाम बेच दी और बैनामा लिख दिया और शफा के डरसे बैनामे में दिखाने के लिये कीमत ७०००) रुपया लिखा दी।

३—इस मौजे में प्राचीन काल के शफा का रिवाज प्रचलित है और पिछले बन्दोबस्त के वाजिबुल अर्ज में उसके बाबत यह लिखा है "हर एक हिस्सेदार को अपनी हक़ीयत बेचने का अधिकार है लेकिन पहले वह अपने मिले हुये हिस्सेदार के हाथ और उसके इनकार करने पर मुहाल के अन्य हिस्सेदारों के हाथ और उनके भी इनकार करने पर अन्य पुरुषों के हाथ बेच सकता है"।

४ यह बैनामा वादी के बिना ज्ञान और सूचना के लिखा गया था। वादी को, वाजिबुल अर्ज के अनुसार मिले हिस्सेदार होने के कारण नियत कीमत देकर जायदाद स्वय खरीदने का अधिकार है।

५—वादी, शुफा की हुई जायदाद पर असली और वाजिबी क़ीमत देकर दखल पाने का दावेदार है।

(४) शरअ और वाजिबुल अर्ज के बिनाय पर शफे का दावा

(सिरनामा)

वादी नीचे लिखी अर्ज करता है—

१—वादी और प्रतिवादी फ़रीक दोयम बेलपुर और बाहनपुर परगना अतरौली जिला अलीगढ़ में मिले हुये हिस्सेदार हैं और प्रथम प्रतिवादी उन मौज़ों में हिस्सेदार नहीं है और एक अजनबी मनुष्य है।

२—दोनों मौजों में शफ़ा की रीति प्राचीन काल से प्रचलित है और पहिले के बन्दोवस्त में तैयार किये वाजिबुल अर्ज में भी शफ़ा की रीतिदर्ज है।

३—वादी को वाजिबुल अर्ज के मुताबिक़ और मिले हुये हिस्सेदार और भाई होने की वजह से दोनों मौज़ों की हक़ीयत ख़रीदने का हक़ हासिल है।

४—प्रथम प्रतिवादी ने २७ फरवरी सन् १६ .....ई० को बैनामे से नीचे लिखे हुये मौजे १४२५३) रुपया आठ आना ४ पाई में द्वितीय प्रतिवादी से ख़रीद की और बैनामे में जर समन फर्ज़ी व शफा के डर की वजह से २०००) रुपया दर्ज कराया।

५—इस हक़ीयत का वादी शरई शफी है और उसने बै की इत्तला होने पर "तलब मुवास्वत" व "तलब इस्तशाद" अदा की।

६—प्रथम प्रतिवादी वादी के बार बार कहने पर भी वाजिबी क़ीमत लेने और हक़ीयत छोड़ने पर तैय्यार नहीं होता।

७—वादी उचित क़ीमत देने पर, हक़ीयत का दख़ल पाने का हकदार है।

८—दावे का कारण—

९—दावे की मालियत (अदालत के अधिकार के लिये १४३५३॥) ४ पाई, और कोर्ट फीस मालगुजारी से पचगुना अदा किया गया है।

१०—ज़रसमन में से १२३५३॥) ४ मुख्य रहन की अदायगी के लिये प्रथम प्रतिवादी के पास अमानत के रूप में छोड़ा गया था। यह रुपया उसने अभी तक अदा नहीं किया और डिग्री के दिन से मय सूद शफा के मतालबे से कटना चाहिये और वादी के पास अमानत में छोड़ा जावे।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) नीचे लिखी हुई हक़ीयत पर वादी को १४३५३॥) ४ पाई या जितना रुपया अदालत उचित तजवीज़ करे दिलवा कर दख़ल दिलवाया जावे और इसमें से १२३५३॥) ४ पाई डिग्री की तारीख़ से मय सूद वादी के पास अमानत में छोड़ा जावे और बक़ाया रुपया प्रथम प्रतिवादी को दिला दिया जावे।

(ब) ख़र्चा नालिश मय सूद दिलाया जावे।

(दोनों मौजों की तफ़सील देनी चाहिये)

(५) वाजिबुल अर्ज व मु ी शास्त्र के अनुसार बैनामे व शफ़ा की मंसूखी के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—एहतशामअली का बाप माजिदअली खाता खेवट नम्बर ४५५ पट्टी रहमानखाँ कस्बा कोल ज़िला अलीगढ़ का मालिक था।

२—उसकी मृत्यु के बाद एहतशामअली, उसकी पाँच बहिन और माँ उसके हिस्सेदारान हुये।

३—मुसम्मात नसीमबेगम, माजिदअली की एक लड़की कुल ७२ भाग में से सात भाग की मालिक थी। उसने अपना हिस्सा १४ अक्टूबर सन् १९...ई० को बैनामा लिख कर वादी के हाथ बेच दिया और वादी उस रोज़ से उस हिस्से मालिक और क़ाबिज़ हो गया।

४—क़स्बा कोल में बहुत दिनों से शफे का रिवाज है और उसके बाबत वाजिबुल अर्ज में यह लिखा है—"हर एक हिस्सेदार को अपना हिस्सा इस प्रकार इन्तक़ाल

करने का हक़ है—पहिले तो वह अपने मिले हुये हिस्सेदार को और यदि वह न ले तो अन्य हिस्सेदारों को दे और जो वे भी इनकार करें तो जिसके हाथ चाहे क्रय कर सकता है। यदि हिस्सा बेचने वाले और शफे के हक़दार में कीमत की बाबत कोई झगड़ा हो तो जो क़ीमत एक अन्य पुरुष देने को तय्यार होगा वही क़ीमत शफे के हक़दार को देनी होगी।"

५—६ मई सन् १६......ई० को एहतशामअली (प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने कुल खाता खेवट नम्बर ४५५ में से ३ बीघा दस बिस्वा पक्की आराज़ी, वादी के सात भाग बिना अलग किये हुये माधो प्रसाद प्रतिवादी प्रथम पक्ष के नाम बैनामा लिखकर १२००) रुपया में बेच दी और बैनामे में झूँठी क़ीमत १५००) रुपया लिख दी।

६—यह बैनामा वादी के हिस्से के सात भागों की बाबत अप्रभावयुक्त व खंडित है और बक़ाया की बाबत वादी क़ानून और रिवाज के अनुसार शफे का हक़दार और उचित क़ीमत देने पर दख़ल पाने का अधिकारी है।

७—वादी ने क्रय की सूचना पाने पर "तलब मोवासिबत" और "तलब इस्तशाद" की, लेकिन प्रतिवादी प्रथम पक्ष हक़ीयत छोड़ने व उचित क़ीमत लेने पर राजी नहीं होता।

८—बिनायदावा (रजिस्ट्री होने के दिन से)।

९—दावे की मालियत (जैसा कि पहिले अर्ज़ी दावों में है)।

वादी प्रार्थी है की—

(अ) वादी को नीचे लिखी हुई ज़मींदारी के ७२ भागों में से ७ भाग पर ता० १६ मई सन् १६......ई० के बैनामे को मंसूख करके और बक़ाया ६५ भागों पर शफे का हक़दार होने की वजह से असली कीमत १२००) रुपया के अनुसार या जो अदालत तजवीज़ करे दिला कर दख़ल दिलाया जावे।

(ब) ख़र्चा नालिश इत्यादि दिलाया जावे।

(हक़ीयत की तफ़सील)

३५—ज़मींदार और प्रजा

(इस सिलसिले में "मालिक व किरायेदार" पद १० का नोट देख लेना चाहिये)

ज़मींदार व रिआया के सम्बन्ध और मालिक व किरायेदार के सम्बन्ध में अन्तर होता है। प्रायः रिआया के मकान की वहती जमीन का मालिक ज़मींदार होता है, लेकिन रिआया को उस जमीन पर रहने और कब्ज़ा रखने का हक़ होता है और वह जब तक अपने निवास-गृह या अन्य मकान को उस शकल में क़ायम रखे ज़मींदार, उसको बेदख़ल नहीं कर सकता, सिर्फ़ अपना लगान वहती ज़मीन के लिये वसूल कर सकता है। यह लगान कहीं पर टकौना, कहीं पर पंजवट और कहीं पर घर महना इत्यादि के नाम से पुकारा जाता है।

जब तक कि कोई आपसी इकरार या स्थानीय रिवाज न हो, रिआया को अपना मकान या उसमें रहने के हक़ व कब्जा को इन्तकाल करने का अधिकार नहीं होता और ऐसा करने पर ज़मींदार रिआया और उससे ख़रीदने वाले दोनों को बेदख़ल करा सकता है।[1] रिआया के लावारिश हो जाने पर, या उसके रहायश छोड़ देने पर ज़मींदार उस मकान का मय भूमि के मालिक हो जाता है। कहीं कहीं पर प्रजा कच्चे मकान को बिना ज़मींदार की आज्ञा लिये या उचित नज़राना दिये पक्का नहीं बनवा सकती और न उसमें कोई तबदील करा सकती है।[2] यहाँ पर ज़मींदार व रिआया के सम्बन्ध के कुछ नमूने दिये गये हैं।

प्रचलित विधान के अनुसार संयुक्त प्रान्त व अवध में कृषी (ज़रआती) मौज़ों में जहाँ पर प्रायः काश्तकार ही रहते हों ज़मींदार कुल गाँव की ज़मीन का मालिक माना जाता है जिसमें आबादी की ज़मीन भी शामिल होती है जिस पर रिआया के मकान बने हुए हों। ऐसे गाँव में रिआया अपने मकान के मलबा, मिट्टी, लकड़ी, खपड़ा, इत्यादि, के ही मालिक होते हैं और उस ज़मीन का मालिक, जिस पर मकान खड़ा हो ज़मींदार होता है।[3] यदि गाँव या उसका कोई हिस्सा किसी म्युनिसीपैलिटी या टाउन एरिया की अधिकार सीमा के अन्दर आ जावे तब भी उस ज़मीन में ज़मींदार का हक़ बदस्तूर कायम रहता है।[4] लेकिन ऐसी ज़मीन के बाबत यह कानूनी क़यास कि ज़मींदार

1. A I. R 1939 All 392, 1935 All 720; 1 I L. R. 3 Luck 107; 20 All 248.
2. 1936 A. L. J. 508; A. I. R. 1929 All. 439; 1936 All. 553.
3. A. I. R. 1935 All. 720.
4. A. I. R. 1927 All. 606 and 609.

उसके हर टुकड़े का मालिक है स्थिर नहीं रहता।[1] ज़मींदार की बिना आज्ञा या अनुमति के प्रजा अपने बाहिरी सहन पर कोई अन्य नई तामीर नहीं कर सकता।[2]

मियाद—प्रजा से मकान खरीदने वाले के विरुद्ध दावा में Art. 44 क़ानून मियाद के अनुसार मियाद १२ साल की होती है। यदि सहन की तामीर हटाने का दावा हो तो आर्टीकल ३२ लागू होता है।[3]

(१) ज़मींदार की ओर से मुन्तक़िल किये हुये मकान की बेदख़ली के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी गाँव साखनी परगना अनूपशहर की पूरी ज़मींदारी का मालिक है।

२—द्वितीय प्रतिवादी उस गाँव में वादी की प्रजा की हैसियत से आबाद है और लोहारगीरी का काम करता है।

३—१७ मई सन् १९३७ ई० को बैनामा लिखकर उक्त प्रतिवादी ने उसी गाँव में अपना रहने का मकान (उसकी तफ़सील होनी चाहिये) प्रथम प्रतिवादी के हाथ बेच दिया और उसी तारीख़ से वह मकान पर क़ाबिज़ है।

४—वाजिबुल अर्ज़ और वहाँ की रिवाज के अनुसार प्रजा को मकान के मलबे के अतिरिक्त मकान इत्यादि बेचने का हक़ नहीं होता।

५—१७ मई १९३७ ई० का बैनामा ज़मींदार के विरुद्ध खंडित और बेअसर है और प्रथम प्रतिवादी का मकान पर क़ब्ज़ा अनुचित और बिना किसी अधिकार के है।

६—वादी मकान के नीचे की ज़मीन पर, मकान का सामान व मलबा हटाने के बाद, दख़ल पाने का अधिकारी है।

७—अभियोग कारण—

८—दावे की मालियत—

---

1 A I R. 1936 All 442, 1938 Oudh 251, I L R 54 All 379

2. A I. R. 1937 All 472, I L R 1 Luck 469, 55 All. 204.

3 A I. R. 1937 All 427

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) वादी को मकान के नीचे की जमीन पर दखल दिलाया जावे और प्रथम प्रतिवादी को हुक्म हो कि वह मकान का मलबा अदालत से नियत किये हुये समय के अन्दर वहाँ से हटा लेवे और उसके वहाँ से न हटाने पर वादी को मलबे सहित जमीन पर दखल दिलाया जावे।

(२) जमींदार की बिना इजाज़त बनवाये हुए मकान के गिरा देने के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है—

१—वादी क़स्बा कोल में मुहल्ला सराय दुवे का ज़मींदार है।

२—इस मुहल्ले में रिआया वादी की तरफ से बसी हुई है जो अपने मकानों की ज़मीन के लिये वादी को टकीना देती है।

३—कोई प्रजा वादी की बिना आज्ञा पुराने मकान के बजाय नया मकान नहीं बनवा सकता और आज्ञा मिल जाने पर ज़मींदारी की रीति के अनुसार सवा रुपया फी दरवाजा देना पड़ता है।

४—यह रिवाज व चलन इस सराय में प्राचीनकाल से चला आता है और रिवाज कोल की वाजिबुल अर्ज़ में भी लिखा हुआ है।

५—प्रतिवादी बहुत दिनों से वादी की प्रजा की हैसियत से एक मकान में रहता था और =) आने माहवारी टकीना दिया करता था।

६—प्रायः तीन साल हुये कि मकान को खाली छोड़ कर और ताला बन्द करके प्रतिवादी बाहर चला गया और जुलाई १९......ई० में वापस आया।

७—प्रतिवादी की अनुपस्थिति में वह मकान वर्षा से गिर कर बर्बाद हो गया। प्रतिवादी ने वादी की बिना आज्ञा उसको नया बनवाना शुरू किया है और कोई ज़मींदारी का हक़ अदा नहीं किया।

८—अभियोग कारण—

९—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) प्रतिवादी के नाम निषेध आज्ञा निकाली जावे कि वह वादी की बिना आज्ञा के और बिना हक अदा किये हुए मकान न बनावे।

(ब उसके ऐसा न करने पर प्रतिवादी को बेदखल कर के दखल दिलाया जावे।

(३) ज़मींदार का, उत्तराधिकारी न रहने पर, मकान पर दखल पाने के लिये दावा

१—वादी गाँव फरीदनगर मुहाल सफेद में दो बिस्वा का मालिक व ज़मींदार है।

२ उस मुहाल की अबादी जुदागाना है और आबादी वाले हिस्से में एक हीरा लोधा रहता था।

३ क़रीब २५ साल हुये होंगे कि उक्त हीरा बिना वारिस छोड़े मर गया और उसकी विधवा मु० जमना उस मकान में रहती रही।

४—मई सन् १९३८ ई० में मुसम्मात जमना का भी देहान्त हो गया और वादी ज़मींदार होने की वजह से उस लावारिस मकान का मालिक है।

५—प्रतिवादी उस मकान के पास रहता है और उसने हीरा वाले मकान को खाली पाकर जुलाई सन् १९३८ ई० से उस पर नाजायज कब्ज़ा कर लिया है।

६ वादी उस मकान पर प्रतिवादी को बेदख़ल करा कर दखल पाने का अधिकारी है।

(४) जमींदार का हक़ चहारुम के लिये दावा

१—वादी ज़िला इलाहाबाद परगना चाइल में गाँव दरियाबाद का जमींदार है।

२—उस गाँव में वादी की रिआया आबाद है जो अपने मकान इत्यादि के निसबत वादी को सालाना "पर्जवट" दिया करती है।

३—मकानों के मलबे और हक़ रिहायश की बाबत प्राचीन काल से यह रिवाज चला आता है कि किसी रिआया के मकान का मलबा या रहने का हक़ बेचने पर वादी जमींदार होने के कारण, क़ीमत का एक चौथाई हिस्सा पाने का हक़दार होता है।

४—प्रतिवादी द्वितीय पक्ष उस गाँव में एक मकान में (जिसकी चौहद्दी नीचे दी गई है, वादी की रिआया की हैसियत से रहता है।

५—प्रतिवादी ने १० फरवरी सन् १६......ई० को वह मकान २००) रुपया में बैनामा लिख कर प्रतिवादी प्रथम पक्ष के हाथ बेच दिया और उसी दिन से प्रतिवादी प्रथम पक्ष उस मकान पर क़ाबिज़ है।

* (५) ज़मींदार की ओर से रसम और टकीने के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—प्रतिवादी ज़िला बुलन्दशहर में गाँव गंगावाँस के मुहाल राम सहाय में रिआया की हैसियत से आबाद है और अपने रहने के मकान की ज़मीन के लिये ।||) आना सालाना वादी को, जो कि वहाँ का ज़मींदार हैं, टकीना देता है।

२—वाजिबुल अर्ज़ और गाँव के रिवाज के अनुसार टकीना के अलावा हर एक रिआया को लड़की की शादी में एक रुपया नक़द, ५ सेर चावल, दो सेर शकर, ज़मींदार को देना पड़ता है।

३—प्रतिवादी के ऊपर ३ साल का टकीना २।) रुपया बाक़ी है।

४—प्रतिवादी ने पिछली जनवरी में लड़की का विवाह किया और उसकी बाबत प्रतिवादी ने ज़मींदार को रसम अदा नहीं की। पाँच सेर चावल और दो सेर शकर की ५) रुपया क़ीमत होती है।

५—अभियोग कारण—

६—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना (टकीने और ज़मींदारी की रसम के लिये)।

---

* नोट- ऐसी प्रथाएँ अब बन्द होती जा रही हैं। ज़मींदारी की अन्य प्रथाओं के लिये भी, जहाँ ऐसी प्रथाएँ प्रचलित हों, जैसे कि भूसा या करबी देना या गाय भैंस चराना इत्यादि, यही अर्जीदावा, आवश्यक संशोधन करने पर काम में लाया जा सकता है।

३६—दखल व (पूर्व)

यदि कोई मनुष्य वादी की जमीन पर बिना अधिकार दखल कर ले, या उचित प्रकार का दखल हो जाने पर भी काबिज रहे तो ऐसी में दरम्यानी मुनाफे और दखल के लिये दावे किये जाते हैं।

यह दावे यदि दफा ९ कानून दादरसी खास (Specific Relief Act) के मुताबिक किये जावें तो बेदखली के दिन से छः ६ महीने की मियाद होती है नहीं तो मामूली दावा १२ साल के अन्दर किया जा सकता है। पहिली तरह के दावों में वादी को दखल दिला दिया जाता है और यह नहीं देखा जाता कि असलियत में जायदाद का मालिक कौन है।[1]

धारा ९ के दावे के फैसले की कोई अपील नहीं होती परन्तु प्रतिवादी अपनी मिल्कियत का नम्बरी दावा बेदखल होने पर दायर कर सकता है।[2] इन दावों में किसी पक्ष की मिल्कियत का निर्णय नहीं किया जाता और असली मालिक भी ऐसा प्रश्न नहीं उठा सकता।[3] वह अपनी मिल्कियत के पर दूसरा दावा दायर कर सकता है, परन्तु एक ही दावे मे दोनों बातों का फैसला नहीं किया जा सकता, जैसे, यदि प्रतिवादी जायदाद का मालिक हो परन्तु वादी का उस पर ६ महीने से कब्जा हो, ऐसी हालत में वादी को दफा ९ कानून दादरसी खास के दावे में डिगरी मिल सकती है लेकिन मिल्कियत के दावे में कोई डीगरी नहीं मिल सकती।[4]

इन दावों में यह कि (१) वादी का जायदाद पर कानूनी कब्जा था (२) यह कि प्रतिवादी ने दावे के दिन से ६ महीने के अन्दर उसको बेदखल कर दिया है और यह कि (३) बेदखली उसकी बिला रजामन्दी के की गई, लिखना चाहिये।

धारा ९ की नालिश में वासलात नहीं दिलाया जा सकता इसलिये इन दावों में पुराने मुनाफा की प्रार्थना करना व्यर्थ होता है। ऐसे दावे गवर्नमेन्ट के खिलाफ दायर नहीं किये जा सकते और इनका अपील या निगरानी नहीं हो सकती।

---

1. 7 I. C 700.
2. I. L. R. 33 All. 174 F B; 46 All. 903.
3. I. L. R. 56 Cal. 39; A. I. R. 1922 Bum. 316.
4. I. L. R. 33 All. 174 F. B; 25 A. L. J. 847; 46 All. 903.

दफा ९ के दावों के अतिरिक्त यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जायदाद पर बिना अधिकार काबिज हो या उसका जायज कब्जा रखने का हक खतम हो जाने पर नाजायज तरह पर काबिज रहे तो मालिक को उसकी बेदखली के दिन तक जायदाद के मुनाफा वसूल करने का हक हासिल होता है।[1]

नम्बरी दावों में वह हक (स्वत्व) जिसके बिनाय पर दावा किया गया हो दिखाना जरूरी है। इसके बाद प्रतिवादी का बेदखल करना या वादी का अपने आप दखल छोड़ देना और प्रतिवादी का दखल कर लेना दिखाना चाहिये।

मुशतर्का दखल पाने के लिये अर्जीदावे में फरीकैन का मुशतर्का मालिक होना और वह घटनाएँ जिनसे ऐसे दखल में अंतर पड़ा हो, और जिस तारीख से प्रतिवादी का विरुद्ध अधिकार हुआ हो दिखाना चाहिये।

कोर्टफीस—दफा ६ कानून दादरसी खास के दावों में कानून कोर्टफीस की परिशिष्ट १ के आर्टिकल २ के अनुसार मालियत पर आधी कोर्ट फीस लगती है। अन्य दखल के दावों में दफा ७ V, (५) कानून कोर्ट फीस के मुताबिक रसूम लगाना चाहिये।

मियाद—दफा ६ कानून दादरसी खास के मुकदमें बेदखली के दिन से ६ महीने के अन्दर दायर होने चाहिये।[2] दखल के अन्य दावे बेदखली की तारीख से १२ साल के अन्दर[3] एक हिस्सेदार का दूसरे हिस्सेदार के विरुद्ध दखल का दावा भी १२ साल के अन्दर दायर होना चाहिये उस तारीख से जब कि प्रतिवादी का कब्जा वादी के खिलाफ हुआ हो[4] इस सम्बन्ध में कानून मियाद की धारा १४२ व १४४ का अन्तर अच्छी तरह से जानना चाहिये।[5]

नोट :—दखल व वासलात के नमूने भिन्न भागों में पहले भी दिये जा चुके हैं। आवश्यकतानुसार वे काम में लाये जा सकते हैं।

---

1 25 A. L. J 857; I. L. R 49 All. 191, 6 Bom 215 F. B, 8 Pat 351, 10 Luck. 659, A. I. R. 1930 Lah: 220; But see 50 Cal 23 and 61 Cal. 419

2. Art. 3 Limitation Act.

3. Art 142 Limitation Act.

4 Art. 144 Limitation Act.

5. 1934 A. L. J 973 F. B; I. L. R. 55 All. 209.

† (१) दखल के लिये निर्दिष्ट प्रतिकार विधान की धारा ९ के अनुसार नालिश

(UNDER SEC 9 OF SPECIFIC RELIEF ACT)

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है —

१—वादी एक मंज़िल पक्के मकान पर जो कि गाँव सेारों ज़िला एटा में स्थित है बहुत दिनों से काबिज़ है।

२—उस मकान में वादी की रहाइश थी और वह उसमें बाल बच्चों सहित रहता था।

३—जून सन् १६३० ई० में वह कार्य्यवश अपने परिवार सहित मकान में ताला लगा कर बाहर गया हुआ था। प्रतिवादी ने उसकी अनुपस्थिति में मकान का ताला तोड़ कर उस पर कब्जा कर लिया।

४—प्रतिवादी को बलपूर्वक कब्ज़ा करने का कोई अधिकार नहीं था। वादी उस मकान पर दखल पाने का दावेदार है।

५—अभियोग कारण (कब्जा के दिन से छः महीने के अन्दर)।

६—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना है कि उस मकान पर प्रतिवादी को बेदखल करके वादी को दखल दिलाया जावे और नालिश का खर्चा दिलाया जावे।

(२) असली मालिक का, कब्ज़ा करने वाले पर, अन्तर्गत लाभ के लिए दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है —

१—वादी, ६१ बीघा १ बिस्वा जमींदारी जो ग्राम पला साहबाद परगना कोल खाता खेवट नम्बर १ जमई १२५) रुपया का, १६ सितम्बर सन् १६३१ ई० के रहननामे के अनुसार जो मुसम्मात बसंती बेगम बेवा हुरमतखाँ ने लिखा, से दखली मुर्तहिन है।

† नोट—दखल और अन्तर्गत लाभ वासलात के लिये बहुत से नमूने भिन्न भिन्न भागों में पहिले दिये जा चुके हैं और वह आवश्यकतानुसार काम में लाये जा सकते हैं।

२—नाबालिग़ी के दिनों में वादी की माँ उसकी वली थी और दुर्गासिंह वादी का मामा सरबराकार था और वह रहन की हुई जायदाद की तहसील वसूल करता था।

३—दुर्गासिंह, केदारनाथ के यहाँ नौकर था। केदारनाथ ने अनुचित दबाव डाल कर दुर्गासिंह से मुर्तहनी हक का एक बैनामा लिखाया जिसमें उस रहन की हुई जायदाद का उसको असली मालिक और वादी को फर्जी मालिक जाहिर करके ता० ३ सितम्बर सन् १९३२ ई० को ज्वाला प्रसाद को रहन की हुई जायदाद पर अधिकारी बना दिया।

४—फसल रबी सन् १३४० फ० से उक्त दुर्गासिंह ने रहन की हुई जायदाद का मुनाफा वादी को देना बन्द कर दिया इस पर वादी को ३ सितम्बर सन् १९३२ ई० के बैनामे की तहरीर का हाल मालूम हुआ।

५—वादी ने ३ सितम्बर सन् १९३१ ई० के बैनामे को मसूख करने के लिये अदालत सिविल जजी अलीगढ़ में दुर्गासिंह व ज्वाला प्रसाद के मुकाबले में दावा किया वह १८ मार्च सन् १९३७ ई० को डिसमिस हुआ परन्तु अदालत अपील से वह फैसला ता० २४ मार्च सन् १९३८ ई० को मसूख होकर वादी का दावा डिग्री हुआ वह बैनामा बेअसर करार दिया गया और वही फैसला हाई कोर्ट से भी स्थिर रहा।

६—वादी ने ६ मई सन् १९३८ ई० को अदालत अपील के फैसले के अनुसार रहन की हुई जायदाद पर अधिकार प्राप्त कर लिया।

७—ज्वाला प्रसाद, १३४० फसल रबी से खरीफ सन् १३४५ फ० तक रहन की हुई जायदाद पर अनुचित रीति से अधिकार किये रहा। इस दौरान की बाबत वासलात के निसबत रहन की हुई जायदाद के वसूल करने का हक वादी को ज्वाला प्रसाद प्रतिवादी से है।

८—वादी परन्तु झगड़ा दूर करने के लिये नालिश करने के दिन से दखल पाने के दिन तक दावा करता है।

९—वासलात की संख्या असल व सूद १) रुपया माहवारी के हिसाब से १०००) रुपया है और यही संख्या दावे का मूल्य कोर्ट फीस के लिये निर्धारित किया जाता है।

१०—अभियोग कारण—१ अगस्त सन् १९२५ ई० व १ अगस्त १९२६ ई० व १ अगस्त १९२७ ई० व १ अगस्त सन् १९२८ ई० को पैदा हुई है।

११—वादी १३ दिसम्बर सन् १९३८ ई० को बालिग हुआ है और अन्तर्गत लाभ उसकी अवयस्कता के समय में देय योग्य हुई इसलिए दावा में तमादी का कोई प्रभाव नहीं है।

मुद्दई प्रार्थी है कि—

१०००) रुपया असल व सूद नीचे लिखे हिसाब के अनुसार खर्चा नालिश सहित का दावा ज्वाला प्रसाद प्रतिवादी के ऊपर डिग्री किया जावे।

(३) अन्तर्गत लाभ और दखल के लिये, दाद के मालिक की ओर से अन्य पुरुषों के ऊपर जो कि उस जायदाद पर कब्ज़ा किये हुए हों, नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है —

१—वादी एक मंजिला पक्के मकान का, स्थित मुहल्ला .. . शहर......मालिक व काबिज़ था।

२—वादी कार्य्यवश जून सन् '१९४० ई० में बम्बई आदि स्थानों को मकान में ताला लगा कर गया था।

३ प्रथम प्रतिवादी ने वादी की अनुपस्थिति में दिसम्बर सन् १९४० ई० में उस मकान पर अनुचित प्रकार से कब्ज़ा कर लिया और अपनी ओर से द्वितीय प्रतिवादी को किराये पर दे दिया। इस समय उस मकान में द्वितीय प्रतिवादी प्रथम प्रतिवादी की ओर से, किरायेदार की हैसियत से रहता है।

४—वादी सन् १९४२ ई० में वापिस आया और प्रतिवादी से मकान का कब्ज़ा माँगा। वह लोग वादी के हक़ को नहीं मानते और कब्ज़ा देने से इनकार करते हैं।

५— प्रतिवादी का उस मकान पर कब्ज़ा नाजायज़ और बिना किसी अधिकार के है। वादी उस मकान पर दखल और हर्जा पाने का दावेदार है।

६—अभियोग कारण—दिसम्बर सन् १९४० ई०, नाजायज़ कब्ज़ा करने के दिन से।

७—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) वादी को मकान पर दखल दिलाया जावे।

(ब) ...रुपया दिसम्बर सन् १९४० ई० से लेकर नालिश करने की तिथि तक अन्तर्गत लाभ और दखल मिलने के दिन तक का हर्जा दिलाया जावे।

(४) उत्तराधिकारी की ओर से क़ाबिज़ अजनबी पुरुष पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करते हैं :—

१—बिशुनसिंह १५ बिस्वा की असली जमींदारी खाता खेवट नम्बर १; तादादी ३ बिस्वा; रक्बा १२६ बीघा ३ बिस्वा, लगान ८९||-) ; वाके मौज़ा हरनोट परगना शिकारपुर का मालिक था।

२—त्रिशुनसिंह की १६१६ ई० में मृत्यु हुई और उसकी विधवा श्रीमती फूलो जीवन भर दायभागी की हैसियत से काबिज हुई और उसका नाम माल के काग़ज़ात में त्रिशुनसिंह की जगह दर्ज हुआ।

३—श्रीमती फूलो का भी मार्च सन् १६२६ ई० में देहान्त हो गया। वादी त्रिशुनसिंह के सगे भाई दीवानसिंह के लड़के हैं और प्रतिवादी त्रिशुनसिंह के सगे भाई धर्मसिंह के नाती हैं।

४—धर्म शास्त्र के अनुसार त्रिशुनसिंह के भतीजे होने के कारण, वादी प्रतिवादियों के विरुद्ध उसके निकट दायभागी है जो कि एक श्रेणी अधिक दूर हैं।

५—श्रीमती फूलो के देहान्त के बाद प्रतिवादियों ने यह प्रगट किया कि वह भी त्रिशुनसिंह के दायभागी हैं और इस धोके से प्रतिवादियों ने वादियों के साथ साथ ता० २० अपरैल सन् १६३० ई० को अपना नाम अदालत माल के कागज़ों में दर्ज करा लिया।

६—जून सन् १६३२ ई० में प्रतिवादियों ने बटवारे के लिये अदालत माल में दरख्वास्त पेश की उस समय वादियों को मालूम हुआ कि वादियो के होते हुये श्रीमती फूलो के देहान्त पर त्रिशुनसिंह की मृत सम्पति में प्रतिवादियों का कोई स्वत्व नहीं था और उन्होंने अपना नाम अनुचित रीति से माल के काग़ज़ों में दर्ज करा लिया है

७—वादियों ने अदालत माल में बटवारे के विरुद्ध उज़्रदारी पेश की और वहाँ से ता० ... को इस झगड़े का अदालत दीवानी से निर्णय कराने के लिये आज्ञा हुई।

८—अभियोग कारण (प्रतिवादियो का नाम दर्ज होने, और विशेष कर ता० ... को अदालत माल के हुक्म के दिन से)।

९—दावे की मालियत (कोर्ट फीस मालगुज़ारी से पचगुने पर दिया जावेगा)।

वादी की प्रार्थना —

(अ) वादियो को आधा हिस्सा कुल १५ बिस्वांसी ज़मीदारी खाता खेवट नम्बर १ तादादी ३ बिस्वा रकबा १२६ बीघा ३ बीस्वा, लगान ८९॥), वाक़े मौजा हरनोट परगना शिकारपुर पर दखल दिलाया जावे।

(५) अधिकारी दायभागियों की ओर से अन्य दायभागियों पर दखल के लिये दावा

१—भीमसिंह }
२—गंगाराम } वादी, बनाम

१ धान्धूसिंह
२ ढालसिंह
३- दवंगरसिंह
४- भूरा
५—तोता
६—सुन्दरा
७—मुरलीसिंह
} प्रतिवादी

वादी निम्नलिखित निवेदन करते हैं —

१—वादियों का चचेरा भाई अजयराम नीजे लिखी जायदाद का जो ग्राम नहट्टी परगना कोल में स्थित है, मालिक व अधिकारी था।

२—छैः या सात महीने हुये होंगे कि अजयराम का देहान्त हो गया और उसकी विधवा श्रीमती कमला उस जायदाद पर जीवन भर दाय भागी होने के कारण अधिकारी हुई।

३—पिछले चैत्र में श्रीमती कमला का भी देहान्त हो गया। और उस जायदाद के पश्चात् दायभागी, वादी, निम्नलिखित वंशावली के अनुसार मालिक हुये—

४—प्रतिवादी नं० १ व २ परसराम के लड़के और न० ३ परसराम के नाती हैं जो कि आरामी का पुत्र था परन्तु एक मनुष्य सीताराम ने उसको गोद ले लिया था और उसने उक्त सीताराम की मृत सम्पत्ति को पाया जिस पर उक्त तीनो प्रतिवादी अब भी अधिकारी हैं। उनका कोई स्वत्व अजयराम की मृत सम्पत्ति में नहीं हो सकता।

५—प्रतिवादी न० ४ से ७ तक मृतक अजयराम के कुटुम्बी भतीजे हैं परन्तु वादियो के विरुद्ध जो कि उसके चचेरे भाई हैं उनको कोई दायभाग नहीं पहुँचता। उनके पिता कल्यान व खूबीराम श्रीमती कमला की मृत्यु होने के समय जीवित नहीं थे।

६—अजयराम की मृत सम्पत्ति के तीन मकानों में से दो मकानो पर तो वादी काबिज़

हैं और तीसरे मकान पर (जिसकी चौहद्दी नीचे लिखी हुई है) प्रतिवादियो ने अनुचित अधिकार कर लिया है और अदालत माल ने अनुचित रीति से वादियों के साथ साथ उनका नाम, भी अजयराम की जायदाद के कागज़ों में दर्ज कर दिया है जिससे कि वादियों को, उनके अधिकार में प्रत्यक्ष हानि पहुँचती है।

७—वादियो का नाम बजाय कुल ज़मींदारी के सिर्फ १ तिहाई हिस्से पर दर्ज हुआ है इसलिये वह बाक़ी हिस्सो पर और उस मकान पर दख़ल पाने के अधिकारी हैं जिस पर कि प्रतिवादियो ने अनुचित दख़ल कर रक्खा है।

८ अभियोग कारण—

९—दावे की मालियत (कोर्ट फीस हिस्से की पचगुनी मालगुज़ारी पर)।

वादियो की प्रार्थना (धारा नम्बर ७ के अनुसार)।

(जायदाद की तफ़सील)

(६) उत्तराधिकारी का दख़ल व अन्तर्गत लाभ के लिये क़ाबिज़ पुरुष के ऊपर दावा।

१—एक मनुष्य नन्हे खाँ नीचे लिखी हुई जायदाद (यहाँ पर जायदाद का ब्योरा लिखना चाहिये) का मालिक व अधिकारी था।

२—पचास वर्ष के लगभग हुये होंगे कि नन्हे बाहर चला गया और प्रतिवादी का नाम जो उक्त नन्हे का कुटुम्बी भाई लगता था माल के कागजों में क़ाबिज़ होने की हैसियत से दर्ज हुआ और उस हैसियत से आज तक दर्ज चला आता है।

३—उक्त नन्हे खाँ कभी गाँव छोड़ने पर भी मिलता रहा। वह लगभग ८ वर्ष से बिल्कुल लापता है। मालूम हुआ है कि उसका १९३६ ई० में या उसी के लगभग देहान्त हो गया है।

४—वादी व उक्त नन्हे खाँ की वंशावली नीचे लिखी हुई है (यहाँ पर वंशावली लिखनी चाहिये)।

५—वादी वंशावली के अनुसार उक्त नन्हे का उत्तराधिकारी है और उसकी मृत सम्पत्ति का मालिक है।

६—प्रतिवादी वादी के मुक़ाबले में मृतक नन्हे का उत्तराधिकारी नहीं है। उसका अधिकार नन्हे की जायदाद पर बिना किसी हक़ के और अनुचित है।

७—वादी ने अदालत माल में दरख़्वास्त प्रतिवादी के नाम को काटने व अपने नाम को दर्ज करने की दी थी उस का प्रतिवादी ने विरोध किया और दरख़्वास्त १६ दिसम्बर सन् १९४३ ई० को नामंज़ूर हुई।

८—वादी निजाई जायदाद का पिछले ३ साल का अन्तर्गत लाभ व दखल पाने का हकदार है।

(७) असली मालिक का दखल और अन्तर्गत लाभ के लिये अधीकृत पुरुष और उसके खरीदार पर दावा

१—मृतक केहरीसिंह, वादिनी का ससुर और नीचे लिखी हुई जायदाद का अकेला मालिक व अधिकारी था। केहरीसिंह का सगा भाई नौबतसिंह प्रतिवादी नं० १ उससे बिल्कुल विभक्त था और उसका केहरीसिंह की जायदाद से कोई संबन्ध नहीं था।

२—३ मार्च १६......ई० के लिखे हुये दानपत्र (हिबानामा) से केहरीसिंह ने अपनी इस जायदाद को वादिनी के नाम दान कर दिया और उसी तारीख से वादिनी उसकी मालिक हो गई।

३—केहरीसिंह की सन् १६......ई० में मृत्यु हो गई और प्रतिवादी नं० १ ने वादिनी की असहायता और इन बातों से परिचित न होने का अनुचित लाभ उठा कर अपना नाम अदालत माल के कागज़ों में केहरीसिंह के बजाय दर्ज करा लिया और वादिनी को यह विश्वास दिलाया कि उसने उन्हीं का नाम कागज़ों में दर्ज करा दिया है।

४—प्रतिवादी नं० २ ने बकाया लगान की एक डिगरी की इजराय में प्रतिवादी नं० १ से मिल कर धोके से उस ज़मींदारी को नीलाम कराया और स्वयं खरीद लिया, इस मिलावट और धोके की कार्रवाई का भी वादिनी को पता नहीं चला और न वह उसमें कोई फरीक थीं।

५—वादिनी केहरीसिंह की जायदाद की मालिक है और उस पर दखल और उसका अंतर्गत लाभ पाने की अधिकारी हैं। प्रतिवादी नं० १ का अपना नाम दर्ज करा लेने से और प्रतिवादी नं० २ के नाम नीलाम हो जाने से वादिनी के विरुद्ध न्याय से कोई प्रभाव नहीं है।

६—अभियोग कारण (हिबानामा लिखे जाने के दिन से और मिलावट और धोके की कार्रवाही की सूचना होने के दिन से)।

७—दावे की मालियत—

वादिनी प्रार्थी हैं कि—

(अ) नीची लिखी जायदाद पर उसको दखल दिलाया जावे।

(ब) मुबलिग ६००) रु० वार्षिक अन्तर्गत लाभ दिलाया जावे।

(क) नालिश का खर्चा दिलाया जावे।

(८) नीलाम खरीदने वाले का, दखल और वासलात के लिये मदयून और उससे मिले हुये खरीदार पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी ने १४ अगस्त १९३४ ई० के लिखे हुए एक तमस्सुक के आधार पर प्रतिवादी नं० २ के ऊपर ७ अगस्त १९३७ ई० को दावा दायर किया और उसमें पेशी के लिये ५ सितम्बर १९३७ ई० नियत हुई, परन्तु सम्मन तामील न होने के कारण से पेशी नहीं हो सकी।

२—वादी को उस समय मालूम हुआ कि प्रतिवादी नम्बर २ उसको हानि पहुँचाने के लिये अपनी जमींदारी बेचने का इरादा कर रहा है इसलिये उसने ७ सितम्बर १९३७ ई० को प्रतिवादी नं० १ की ज़मींदारी की, फैसले से पहिले ही कुरकी के लिये दर्ख्वास्त पेश की, जिसको अदालत ने जायदाद का उचित मूल्य न लिखने के कारण अस्वीकार कर दिया।

३—यह कि अन्त में प्रतिवादी नं० २ के प्रतिवादी के बाद ६ नवम्बर १९३७ ई० को वादी का दावा डिगरी हुआ।

४—वादी ने जिस डर से कुरकी की दरख्वास्त दी थी वह ठीक था और प्रतिवादी नं० २ ने डिगरी होने के ५ दिन पहिले ही नवम्बर १९३७ ई० को उसका ठेका धोके से प्रतिवादी न० १ के नाम बहुत कम लगान पर लिख दिया।

५—यह कि वादी ने १२ दिसम्बर सन् १९३७ ई० को कुर्की की दरख्वास्त ४३३ बीघा कुल रियासत जमींदारी की दी थी जिसको अदालत ने ता० ७ दिसम्बर सन् १९३७ ई० को उचित रूप से प्रमाणित न होने के कारण नामजूर कर दिया।

६—यह कि प्रतिवादी नम्बर २ को इस कार्रवाई की सूचना मिलती रही और उसने १२ दिसम्बर सन् १९३७ ई० को उस जायदाद में से, पुख्ता २१ बीघा ६ बिस्वा आराज़ी का बैनामा और दूसरा बैनामा सन् १३४५ ई० से लेकर सन् १३४७ ई० तक के मुनाफे का प्रतिवादी नम्बर ३ के नाम फर्ज़ी रूप से लिख दिये।

७—यह कि प्रतिवादी नं० २ का प्रतिवादी नम्बर १ देवर, और प्रतिवादी नम्बर ३, समधिन और प्रतिवादी नम्बर ४ भाई व करिन्दा हैं, इसके अतिरिक्त प्रतिवादी नम्बर ४, सूरजपुर गाँव के पटवारी का भाई है।

८—यह कि वादी ने तीसरी बार दिसम्बर सन् १९३७ ई० के अन्त में कुल ४३१ बीघा जमींदारी की कुर्की के लिये दरख्वास्त दी और ता० २२ नवम्बर

सन् १९३८ ई० को उसका नीलाम हुआ जो वादी ने खरीद किया और सार्टिफिकट हासिल करने के बाद वादी ने २३ मार्च सन् १९३९ ई० को दखल हासिल किया।

९—यह कि ठेकानामा और बैनामा दोनो दिखावटी हैं और मिलावट से लिखाये गये हैं और वह वादी के विरुद्ध बे असर हैं। वादी कुल हक़ीयत पर पूरा दखल पाने का हक़दार है।

१०—यह कि प्रतिवादियो ने वादी का पूरा दखल नहीं होने दिया इसलिये खरीदने की तारीख से नालिश करने के दिन तक, वादी अन्तर्गत लाभ पाने का हक़दार है जिसकी सख्या नीचे लिखे हुये हिसाब से प्रगट होगी।

११—बिनायदावी (ख़रीदारी के दिन और जाब्ते का दखल मिलने के दिन से)।

१२—दावे की मालियत—

(अ) वादी को नीचे लिखी हुई हक़ीयत जमींदारी पर दखल दिलाया जावे और पहिली नवम्बर सन् १९३७ ई० का ठेका नामा और १३ नवम्बर सन् १९३७ ई० का बैनामा वादी के विरुद्ध बेअसर क़रार दिये जावें। (हिसाब वासलात)

(९) मालिक का, ज़मीन पर दखल पाने और तामीर गिरवाने के लिये, नाजायज़ कब्ज़ा करने वाले के ऊपर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है :—

१—मुहल्ला कड़ोरी फिरोज़ाबाद में प्रतिवादी का निवासगृह है और उससे मिली हुई पूरब की ओर वादी की खाली जमीन है। मौके की कुल स्थिति दावे के साथ दिये हुये नक्शे से मालूम होती है।

२—प्रतिवादी ने सितम्बर सन् १९......ई० में अपना मकान गिराकर फिर से बनवाया और ऐसा करने में वादी की, उत्तर-दक्खिन दो गज़ आराज़ी और १२ गज़ जमीन पूरब-पच्छिम अपने मकान में दबा ली जो नक्शे में अ, ब, क, ख, अक्षरो से दिखाई गई है।

३—वादी उस समय बाहर गया हुआ था, जब वापस आया तो प्रतिवादी के मकान की उत्तरी बुनियाद भरी जा रही थी।

४—वादी ने जमीन को अनुचित रूप से मकान में दबा लेने से प्रतिवाद को मना किया लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और, झगड़ा करने को तैयार हुआ।

५—प्रतिवादी, वादी के नालिश करने के विचार की खबर पाकर दीवाल को बहुत जल्दी बनवा रहा है।

६—अभियोग कारण—

७—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) वादी को २४ वर्ग गज भूमि (उत्तर-दक्खिन, २ गज और पूरब-पच्छिम १२ गज़) पर प्रतिवादी की बनाई हुई दीवार इत्यादि को गिरवा कर दखल दिलाया जावे।

(ब) नीचे लिखी हुई कुल तामीर प्रतिवादी के खर्चे से गिरा दी जावे और वादी की ज़मीन पहिले की सी हालत में करा दी जावे।

(१०) गोद लेने वाली स्त्री की ओर से, वसीयतनामे को मनसूख करके, गोद लिये हुये लड़के और उसके वसीयत किये हुए मनुष्य के विरुद्ध, दखल के लिये दावा

ठकुरानी मान कुँअर वादिनी

बनाम,

१—द्रगपालसिंह }
२—कल्यानसिंह } प्रतिवादी

वादिनी निम्नलिखित निवेदन करती है :—

१—वादिनी के पति ठाकुर रामप्रसादसिंह, हसनगढ़ी की नीचे लिखी हुई जायदाद के मालिक व काबिज़ थे।

२—रामप्रसाद सिंह का २ अप्रैल सन् १९१३ ई० को देहान्त हुआ और उन्होंने अपनी मृत्यु से पहिले अपने कुटुम्ब और वादनी को वह वसीयन की थी जिसका विवरण १७ अपरैल सन् १९१३ ई० के लिखे हुये इक़रारनामे में दर्ज है।

३—यह कि अपने पति के वसीयतनामे (मृत्यु लेख) के अनुसार वादनी ने ता० २१ मार्च सन् १९१७ ई० को सर्दारसिंह के लड़के गोविन्दपालसिंह को इस शर्त पर गोद लिया कि यदि उसकी वादनी के जीवित होते हुये मृत्यु हो जाय तो वादिनी उसी कुटुम्ब से दूसरा पुत्र गोद कर ले और इन शर्तों को मंज़ूर करके सर्दारसिंह ने गोविंदपालसिंह को इक़रार नामा लिख कर गोद दिया, और उसको वादनी के जीवित होते हुए उसके पति रामप्रसादसिंह की मृत सम्पत्ति को परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था।

४—गोविन्दपालसिंह शुरू से ही एक निर्बुद्धि लड़का था और उसको अपनी हानि-लाभ समझने या विचार करने की योग्यता नहीं थी और नशेबाज़ी और शराब पीने के कारण उसकी तन्दुरुस्ती भी बिलकुल खराब थी।

५—कल्यान सिंह प्रतिवादी नम्बर २ ने, जिसकी धेवती गोविन्दपालसिंह को ब्याही थी और जो उसकी स्थिति जानता था, यह विचार करके कि गोविंदपाल और हसनगढ़ी की जायदाद उसके कब्जे में आजावे उसको सन् १९२५ ई० से अपने पास रक्खा और उससे झूँठे कर्जों का इकबाल कराया और रामप्रसादसिंह की जायदाद का अपने नाम ७ साल के लिये ठेकानामा लिखा कर उस पर अनुचित अधिकार कर लिया।

६—इसके पश्चात् गोविन्दपाल की, कुसंगति से दशा और भी खराब हो गई और वह बीमार रहने लगा। अस्वस्थता, नशेबाज़ी और शराब की वजह से उसको अपने हानि-लाभ समझने और किसी बात पर विचार करने की बिल्कुल शक्ति नहीं रही और प्रतिवादी नम्बर २ ने सन् १९२५ ई० से उसको अपने मकान से बाहर जाने या वादी अथवा अन्य किसी कुटुम्बी से मिलने का अवसर नहीं दिया।

७—गोविन्दपालसिंह की ता०......को मृत्यु हो गई। उसकी स्त्री भी उसके सात आठ महीने पहिले ही इसी दुःख में मर चुकी थी।

८—गोविन्दपालसिंह के मरने से कुछ दिन पहिले प्रतिवादी नम्बर २ ने उसके जीवित रहने की आशा न देख कर लालच और जायदाद पर अनुचित अधिकार रखने के हेतु से गोविन्दपाल की बेहोशी और बदहवासी की दशा में उससे एक वसीयतनामा द्रुगपालसिंह के नाम गवाहों को मिला कर जो कि उसी के मित्र थे, तैयार कराया और उसमें कई कर्जों का भी मिथ्यावर्णन करा लिया। हसनगढ़ी की आमदनी और गोविन्दपाल सिंह के कम खर्च होने से कर्ज़ लेने की न कोई आवश्यकता थी और न कोई वास्तव में कर्जा लिया गया।

९—यह कि १७ अगस्त सन् १९२६ ई० का लिखा हुआ बैनामा बनावटी और झूँठा है और गोविन्दपालसिंह के ठीक होश हवास होते हुये बिक्री पत्र नहीं लिखा गया और न गोविन्दपाल को वसीयतनामे का मजमून मालूम था। इसके अतिरिक्त वादनी के पति का वसीयत के अनुसार और सर्दार सिंह के प्रतिज्ञा पत्र के अनुसार वह इस सम्पत्ति का पूरा मालिक नहीं था और न उसको वसीयत या परिवर्तन का अधिकार था और न उसने ऐसी कोई वसीयत की, क्योंकि उसको इतना समझने का विचार करने की शक्ति ही नहीं थी।

१०—इसके पश्चात् प्रतिवादी ने कई कार्रवाई ऐसी की जिससे रामप्रसादसिंह की मृत सम्पति का एक भाग बर्बाद हो चुका है और दिखावटी कर्ज़ों की वजह से अन्य पुरुषों को हक़दार दिखाया जाता है। गोविन्दपालसिंह के किसी ठेकेनामे

इत्यादि के बिनाय पर प्रतिवादी को उस पर क़ाबिज़ रहने का कोई अधिकार नहीं है।

११—गोविन्दपालसिंह की मृत्यु के बाद वादी ने दाख़िल ख़ारिज की दरख्वास्त दी और प्रतिवादी के एतराज करने पर उसको इन सब बातों का और वसीयतनामे के लिखाये जाने का ज्ञान हुआ।

१२—प्रतिवादी की इस अनुचित कार्रवाई से वादी के पति की इच्छा की पूर्ति नहीं हुई और अन्य पुरुषों के पास जायदाद चले जाने का भय है और रामप्रसादसिंह की कुटुम्बी पीढी स्थिर नहीं रह सकती और न उसका कोई श्राद्ध और तर्पण करने योग्य पुरुष रहता है।

१३—वादी के पति की वसीयत के अनुसार गोविन्दपाल की मृत्यु के बाद वादिनी उस जायदाद पर क़ब्ज़ा पाने और दूसरा लडका गोद लेने की अधिकारी है और प्रतिवादी का क़ब्ज़ा नाजायज़ है। उससे कब्ज़ा छोडने के लिये कहा गया लेकिन वह ध्यान नही देता।

१४—अभियोग कारण (गोविन्दपाल की मृत्यु के दिन से और वसीयतनामे इत्यादि की कार्रवाई की सूचना होने के दिन से)।

१५—दावे की मालियत—

वादिनी प्रार्थी है कि—

(अ) उसको रामप्रसादसिंह की नीचे लिखी हुई जायदाद पर दखल व कब्ज़ा दिलाया जावे।

(ब) प्रतिवादी के नाम वसीयतनामा, वादिनी के विरुद्ध बेअसर और मसूख़ क़रार दिया जावे।

(जायदाद का विवरण)

३७—स्वत्व घोषणा (इस्तकरार) की साधारण नालिशें

यदि एक पुरुष की मिल्कियत या किसी दूसरे हक़ पर किसी अन्य पुरुष के किसी कार्य के कारण कोई क्षति पहुँचती हो या भविष्य में क्षति पहुँचने का भय होता हो, तो वह इस्तकरार की नालिश कर सकता है। परन्तु ध्यान रहे कि यदि प्रतिवादी के शिकायती काम से वादी जायदाद से बेदखल हो या वह इस्तकरार के अतिरिक्त अदालत से अन्य प्रार्थना भी कर सकता हो तो ऐसी नालिश नहीं चल सकती।[1] हिन्दुस्तान के प्रायः सभी हाई कोर्टों की पहले यह राय थी कि इस्तकरार की डिगरी धारा ४२ निर्दिष्ट प्रतिकार विधान (दफा ४२ कानून दादरसी खास) के अनुसार ही सादिर की जासकती है और अदालत उस दफा के अतिरिक्त डिगरी सादिर नहीं कर सकती।[2] परन्तु मद्रास हाईकोर्ट की राय शुरू से ही यह है कि अदालत दफा ४२ क़ानून दादरसी खास के अतिरिक्त भी इस्तकरार की डिगरी सादिर कर सकती है।[3] इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक फुलबेन्च फैसले से यही राय ग्रहण की है।[4]

दफा ४२ कानून दादरसी खास के अनुसार प्रायः दो ही प्रकार के इस्तकरार हो सकते हैं, (१) किसी कानूनी हैसियत के निसबत और (२) किसी जायदाद में किसी हक़ या अधिकार के निस्बत, इसलिये उस दफे के अनुसार यह इस्तकरार नहीं किया जा सकता कि वादी अमुक परीक्षा में सफल या उत्तीर्ण हो चुका है।[5] या कि वादी किसी जायदाद पर बलपूर्वक काबिज़ है।[6] इसलिये वादी को दफा ४२ के दावा में लिखना चाहिये कि उसका क्या हक़ है जैसा हक़ मिल्कियत या पट्टा या हक़ मुर्तहिन इत्यादि या कि वादी कोई क़ानूनी हैसियत रखता है जैसे कि किसी का दत्तक पुत्र या किसी नाबालिग (अवयस्क) का वली या ट्रस्टी इत्यादि। यह भी लिखना चाहिये कि प्रतिवादी वादी का हक़ स्वीकार नहीं करता या कि उसके विरुद्ध कार्य करता है।

इस्तकरार के लिये वादी का जायदाद पर काबिज़ होना जरूरी होता है और यह अर्जीदावा में लिखना चाहिये वरना इस्तकरार का दावा नहीं चल सकता।[7] और वादी को दखल की प्रार्थना करनी चाहिये।[8] ऐसी प्रार्थना उचित कोर्ट

1 Sec 42, Specific Relief Act
2 A I R 1931 All 83, 1928 Cal 68, I L R 12 Pat 359
3 A I R. 1935 Mad 964.
4 1933 A L. J 673, F B
5 23 A L J 219
6 45 I C 303
7 I L R 3 Pat 915
8 I L. R 36 All 312

फीस देने पर ही दावे में बढ़ाई जा सकती है।[1] परन्तु जहाँ झगड़े वाली जाय-
दाद पर वादी और प्रतिवादी में से किसी का कब्जा न हो तो वादी को दखल की
प्रार्थना आवश्यक नहीं है।[2]

इस्तकरार की आवश्यकता भिन्न भिन्न दशाओं में प्रतीत होती है। एक
साधारण दशा यह है जब कि डिगरीदार अपनी डिगरी में किसी जायदाद को
अपने निर्णीत ऋणी (मदयून) की कह कर कुर्क व नीलाम कराता है और
जायदाद के मालिक की उजरदारी इजराय डिगरी में खारिज हो जाती है या
किसी अन्य पुरुष की उजरदारी पर अदालत उस जायदाद को छोड़ देवे, दोनों
दशाओं में उजरदार या डिगरीदार इस्तकरार का दावा आर्डर २१ नियम ६३
जाब्तादीवानी के अनुसार दायर कर सकते हैं । इसी प्रकार नीलाम
होने के बाद आर्डर २१ कायदा १०३ व्यवहार-विधि-संग्रह (जाप्ता दीवानी) के
मुताबिक इस्तकरार के दावे किये जा सकते हैं आर्डर २१ कायदा ६३ के मुकदमों
में यदि दावा डिगरीदार की तरफ से हो तो मदयून डिग्री का फरीक बनाना
जरूरी नहीं होता लेकिन यदि दावा किसी अन्य पुरुष की तरफ से हो तो मदयून
डिग्री को मुकदमें में फरीक बनाना चाहिये।[3] इन दावों में सबूत का भार प्रायः
वादी पर होता है।

सम्पत्ति परिवर्त्तन विधान की धारा ५३[4] के अनुसार परिवर्त्तन को
खंडित कराने और इस्तकरार के लिये दावे किये जाते हैं और इन्साल्वेन्सी के
रिसीवर भी इस्तकरार और परिवर्त्तन को खंडित कराने के दावे करते हैं। इसी
प्रकार धोखा या फरेब से प्राप्त की हुई डिगरी के विरुद्ध इस्तकरार कराने की
आवश्यकता होती है। इस भाग में इन सब प्रकार की नालिशों के नमूने दिये
गये हैं। ध्यान रहे कि इस्तकरार करना अदालत की विचार शीलता उपशमन
(अख्तयारी दादरसी) है और इस्तकरार स्वत्वारूप नहीं मांगा जा सकता। यदि
कोई उससे लाभ न हो तो इस्तकरार नहीं दिया जाना चाहिये !

मियाद—इस्तकरार की नालिश के लिये कानून मियाद की परिशिष्ट १ में
कोई विशेष आर्टिकिल नहीं है इसलिये ये दावे साधारण आर्टिकल १२० के अनुसार
६ साल के अन्दर दायर किये जाते हैं।[5] परन्तु आर्डर २१ नियम ६३ व १०६
जाप्ता दीवानी की नालिशों के लिये १ साल की मियाद नियत है।[6] और डिगरी
व हुक्म की मन्सूखी के इस्तकरार के लिये एक साल की मियाद है। दस्तावेजों को
मन्सूख कराने के लिये मियाद ३ साल है।

---

1 A I R 1932 Lah 255
2 A I R 1926 Oudh 43, 1933 Pat 259
3 I L R 28 All 41
4 Sec. 53, Transfer of Property Act
5 I. L R 54 Bom 4, 2 Pat 391, 20 Cal 906
6 Art 11, Limitation Act

कोर्ट-फीस—आर्डर २१ नियम ६३ व्यवहार-विधिसंग्रह के दावों में जहाँ पर जायदाद की मालियत डिगरी की मुतालबे (रुपये) से अधिक हो तो मुकदमें की मालियत डिगरी का रुपया नियत करना चाहिये, लेकिन जहाँ पर ऐसी जायदाद की मालियत डिगरी के मुतालबे से कम हो तब अदालत के दर्शनाधिकार के लिये वही मालियत नियत करनी होती है लेकिन नियत कोर्टफीस अर्टिकल १७ (१) कोर्टफीस एक्ट से लगता है (संयुक्त प्रान्त में दावे की मालियत पर आधा कोर्ट-फीस लिया जाता है)।[1]

(१) व्यवहार-विधि-संग्रह के आर्डर २१ नियम ६३ के अनुसार असफल उज्रदार का इस्तक़रार के लिये दावा

(ORDER XXI, RULE 63, C. P. C.)

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—नीचे लिखी हुई जायदाद का वादी पूरा मालिक है।

२—इस जायदाद को प्रतिवादी (अ—ब—) ने अपनी डिग्री नम्बरी ..... अदालत.... . बनाम (क—ख—) की इजराय में ता० . ...को कुर्क कराया।

३—वादी ने इस कुर्की की निसबत जाब्ता दीवानी के आर्डर २१ क़ायदा ५८ के अनुसार उज्रदारी पेश की लेकिन अदालत ने उसको सरकारी तौर से ता०... ..को नामजूर कर दिया।

४—इस जायदाद में (क—ख—) मदयून का कोई हक़ नहीं है और वादी जायदाद की मिलकियत के बारे में अपने हक़ का इस्तक़रार करा सकता है।

५—बिनायदावी (उज्रदारी नामजूर होने के दिन से)।

६—दावे की मालियत (अदालत के अधिकार के लिये जायदाद की क़ीमत या डिग्री का रुपया होगी, लेकिन इस्तक़रार का नियत कोर्ट फीस दिया जावेगा)।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) इस बात की घोषणा की जावे कि नीचे लिखी हुई जायदाद का वादी पूरा मालिक है और डिग्री नम्बरी......अदालत......(अ—ब—) डिग्रीदार बनाम (क—ख—) मदयून की इजराय में वह जायदाद कुर्क व नीलाम नहीं हो सकती।

(जायदाद का विवरण)

---

1 Sec. 7 (III) Court Fees Act

(२) इसी प्रकार का डिग्रीदार की ओर से इस्तक़रार के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी की एक डिग्री नम्बरी . . अदालत .....की सादिर की हुई (क—ख—) के ऊपर है।

२—इस डिग्री के इजराय में वादी ने नीचे लिखी हुई जायदाद को (क—ख—) ऋणी के नाम से कुर्क कराया।

३—प्रतिवादी ने अपने आपको उसका मालिक और उसको कुर्क न होने के योग्य प्रगट किया और उज्रदारी की जो ता०.. ...को सरसरी में मजूर हो गई और जायदाद कुर्की से बच गई।

४—कुर्क की हुई जायदाद का असलियत में (क ख—) मदयून वादी का निर्णीत-ऋणी मालिक व काबिज़ है और वह वादी की डिग्री में कुर्क व नीलाम हो सकती है।

५—दावे का कारण (उज्रदारी मजूर होने के दिन से)।

६—दावे की मालियत (जैसा कि नमूना नम्बर १ मे है)।

वादी की प्रार्थना (ऊपर की धारा नम्बर ४ के अनुसार)

(३) डिग्रीदार और मदयून के ऊपर, परिवर्तन करने के हक़ के इस्तक़रार के लिये नालिश

(ORDER XXI, RULE 63, C P C)

(सिरनामा)

वादी नीचे लिखी अर्ज करती है .—

१—वादी का निकाह प्रतिवादी द्वितीय पक्ष से मई सन् १९३२ ई० में हुआ और उसका " दैन महर मुवज्जल ".. मुवलिग ...रु० क़रार पाया।

२—" दैन महर " के कुछ हिस्से के बदले में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने अपनी कुछ जायदाद वादी के हाथ ता० १० जून सन् १९३५ ई० को बै कर दी जिस पर उसी रोज़ से वादी क़ाबिज़ है।

३—बकाया दैन महर के बदले में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने अपनी जायदाद स्थित .. . .जिसकी तफसील नीचे दी जाती है ता०... . को बैनामा लिखकर बै कर दी और उस पर उसी रोज़ से वादी क़ाबिज़ है।

४—नीचे लिखी हुई जायदाद को प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने अपनी नक़द रुपये की डिग्री नम्बरी......ता०.... अदालत......की इजराय में अपने निर्णीत ऋणी, प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के नाम से कुर्क कराया।

५—वादी ने आर्डर २१ नियम ५८ व्यवहार-विधि-संग्रह के अनुसार उज्रदारी पेश की लेकिन वह ता०......को सरसरी तौर पर नामंजूर हो गई।

६—इस जायदाद में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष का कोई हक़ नहीं है और न वह उस पर क़ाबिज़ है। वादी उसकी मालिक और क़ाबिज़ है और इसी का इस्तक़रार कराने की हक़दार है।

७—बिनायदावा (उज्रदारी नामजूर होने के दिन से)।

८—दावे की मालियत (जैसा कि नमूना नम्बर १ में है)।

वादी की प्रार्थना—

(धारा नम्बर ६ के अनुसार)

(४) किसी जायदाद के एक हिस्से के नीलाम के क़ाबिल न होने के इस्तक़रार के लिए नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करते हैं—

१- एक मंज़िल पक्का मकान स्थित मुहल्ला.....शहर......वादिनी और प्रतिवादी नम्बर २ का मौरूसी व मुश्तर्का था और उसमें वादी का ½ हिस्सा और प्रतिवादी नं० २ का ½ हिस्सा नीचे लिखी वंशावली के अनुसार था।

(यहाँ पर वंशावली देनी चाहिये)

२—वादी को मालूम हुआ है कि प्रतिवादी नम्बर २ ने अपने अधिकार विरुद्ध कुल मकान को प्रतिवादी नम्बर १ के यहाँ आड़ कर दिया है और उसने डिग्री हासिल करके २६ सितम्बर सन् १६३५ ई० को कुल मकान नीलाम के लिये चढ़वाया है।

३—प्रतिवादी नम्बर २ को ½ हिस्से के अतिरिक्त मकान आड़ करने का कोई अधिकार नहीं था।

४—कुल मकान के नीलाम हो जाने से वादी के अधिकार व हक़ पर हानि पहुँचने का भय है।

५—अभियोग कारण (२४ सितम्बर सन् १६३५ ई०, नीलाम की कार्रवाई मालूम होने के दिन से)।

६—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) इस बात का इकरार किया जावे कि एक मंज़िल पक्का मकान स्थित मुहल्ला......शहर.........में से ½ हिस्से के वादीगण मालिक व क़ाबिज़ हैं और वह इजराय डिग्री नम्बरी......अदालत......... दीवानी डिग्रीदार बनाम खुशहालीराम मदयून में नीलाम नहीं हो सकता।

(५) उत्तराधिकार के घोषित किये जाने के लिये दावा।

(See Sec. 25. Succession Certificate Act)

श्रीमती पार्वती वादी बनाम
१—मुसम्मात रामप्यारी
२—मुसम्मात कटोरी
३—अयोध्या प्रसाद
४—मुसम्मात श्यामवती } प्रतिवादी

श्रीमती पार्वती वादी निम्नलिखित निवेदन करती है—

१—दोनों पक्षों की वंशावली यह है—

२—दोनों पक्षों के पुरखा मच्चूमल नीचे लिखी हुई जायदाद स्थित कस्बा कासगंज के मालिक व अधिकारी थे।

३—मच्चूमल का पुत्र रामचरण उनके जीवित रहते ही मर गया था। श्रीमती श्यामवती रामचरण की विधवा है।

४—मच्चूमल ने अपनी दोनों पुत्रियों, मुसम्मात रामप्यारी व कटोरी का विवाह अपने जीवन ही में कर दिया था और मार्च सन् १९२१ ई० में उनकी मृत्यु हो गई।

५—मच्चूमल की मृत्यु के समय वादी अवयस्क (नाबालिग) और अविवाहित थी। वह कुल मृत सम्पत्ति की मिताक्षर धर्मशास्त्र के अनुसार मालिक व अधिकारिणी हुई।

६—वादी का विवाह श्री कुन्दनलाल के साथ हुआ जो कि उसका संरक्षक है और कुन्दनलाल ने जजी अलीगढ़ में पार्वती की ज़ात व जायदाद के संरक्षक होने का सार्टीफिकट के लिये दरख्वास्त पेश की और उसमें उसके पिता से मिली हुई कुल जायदाद दिखलाई।

७—प्रतिवादी नम्बर १ व २ ने उज्रदारी की और ता० २० दिसम्बर सन् १९३३ ई० को कुन्दनलाल को श्रीमती पार्वती की व्यक्ति और मच्चूमल की मृत सम्पति में से एक तिहाई हिस्से के संरक्षक होने का सार्टिफिकट मिल गया और दो तिहाई हिस्से की बाबत उसको उचित अदालत से इस्तक़रार कराने की आज्ञा हुई।

८—वादी कुल मृत सम्पत्ति की मालिक व काबिज़ है और अपने हक़ का इस्तक़रार करने की हक़दार है।

९—प्रतिवादी नम्बर ३ व ४ का उस जायदाद में कोई हक़ नहीं हैं लेकिन आगे का झगड़ा मिटाने के लिये उनको भी फरीक़ बनाया गया है।

१०—अभियोग कारण मच्चूमल के देहान्त के दिन से उत्पन्न हुआ है परन्तु उसका प्रभाव २० दिसम्बर सन् १९३३ ई०, दायभागी की दरख्वास्त मंजूर होने के दिन से हुआ।

११—दावे की मालियत (जैसा कि नम्बर १ में)।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) अदालत से यह घोषित किया जावे कि मच्चूमल की नीचे लिखी हुई मृत सम्पत्ति में एक तिहाई हिस्से के अतिरिक्त जिसका सार्टिफिकट वादी को मिल गया है बक़ाया दो तिहाई हिस्सो में प्रतिवादियों का कोई स्वत्व नहीं है और उन हिस्सो की भी मालिक व अधिकारिणी वादी है।

(ब) खर्च नालिश इत्यादि दिलाया जावे।

(जायदाद का विवरण)

(६) लेनदारों से बचने के लिये किये हुए परिवर्तन की मन्सूखी के लिये, एक लेनदार का दावा

(Sec. 53, Transfer of Property Act.)

(सिरनामा)

अ—ब—वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—प्रतिवादी नं० २ वादी और दूसरे मनुष्यों का कर्ज़दार है और उसके ऊपर २००००) रुपया के करीब कर्ज़ा है।

२—प्रतिवादी नं० २ के पास नीचे लिखी हुई जायदाद है, जिसकी क़ीमत क़रीब १५०००) रु० होती है।

३—उक्त प्रतिवादी ने क़र्ज़ा मारने व लेनदारों को परेशान करने की नीयत से इस कुल जायदाद का ता०......को प्रतिवादी नम्बर १ के नाम बैनामा लिख दिया।

४—प्रतिवादी नं १, प्रतिवादी नं० २ की स्त्री है। उसका "देन महर" का मतालबा बहुत थोड़ा था सो कि बहुत दिन हुये बेबाक़ हो गया था। ता०...... का लिखा हुआ १००००) रु० में " देन महर " की बाबत बैनामा फ़र्ज़ी व दिखावटी है।

५—प्रतिवादी नम्बर २ का उस जायदाद पर क़ब्ज़ा जैसे पहिले था वैसे ही चला आता है और वही उसकी तहसील वसूल, मालगुज़ारी व बन्दोबस्त करता है।

६—बैनामा के बिना एतराज पड़े रहने से वादी व दूसरे क़र्ज़ देने वाले मनुष्यों को हानि पहुँचने का भय है।

७—प्रतिवादी नम्बर ३ व ४ प्रतिवादी नम्बर २ को क़र्ज़ा देने वाले मनुष्यों में से हैं। चूँकि वह नालिश में शामिल नहीं हुये इसलिये नालिश की तरतीब के लिये उनको भी प्रतिवादी बना लिया गया है।

८—अभियोग कारण (बैनामा लिखने के दिन से)।

९—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(अ) ता०......का, द्वितीय प्रतिवादी का लिखा हुआ बैनामा वादी और दूसरे लेनदारों के विरुद्ध खंडित और बेअसर घोषित किया जावे।

(७) लेनदार का ऋणी के परिवर्तन को मन्सूख़ करने के लिये दावा

१—प्रतिवादी नम्बर २ वादी का ऋणी है और उसकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है।

२—उक्त प्रतिवादी ने ता० .. ..को अपनी कुल जायदाद का एक दान पत्र प्रतिवादी नम्बर १ एक मूर्ति के नाम लिख दिया और उससे अपने आप को मुतवल्ली और प्रबन्धक नियत करके उस पर स्वयं अधिकारी बन गया और उससे लाभ उठाता है।

३—वह दानपत्र प्रतिवादी न० २ ने अपनी जायदाद ऋण-दाताओं से बचाने के लिये और उनका रुपया मारने के लिये लिखा है। वास्तव में वह स्वयं उस जायदाद

पर मालिक की हैसियत से क़ाबिज़ है और उसकी आमदनी अपने काम में लाता है।

४—वह दानपत्र बिना मन्सूख़ पड़े रहने से वादी को हानि पहुँचने का भय है।

(८) लेनदार का, मदयून और उसके पट्टेदार के ऊपर पट्टे के बेअसर और खंडित घोषित किये जाने के लिये नालिश

(T. P. Act, Sec. 53.)

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है:—

१—प्रतिवादी न० २ मौरूसी किसान है और उस पर वादी का कर्ज़ा लगभग १५००) रु०, ता० १० फरवरी सन् १९३३ ई० के लिखे हुये सादा दस्तावेज़ के बिनाय पर है।

२—वादी ने उस दस्तावेज़ की नालिश प्रतिवादी नम्बर २ पर ता० ८ जनवरी १९३६ ई० को दायर की लेकिन प्रतिवादी ने उसके सम्मन की तामील जान बूझ कर बहुत दिनों तक नहीं होने दी।

३—नालिश के दौरान में ता० ११ मार्च सन् १९३६ ई० को प्रतिवादी नं० २ ने अपनी कुल ज़मीन का पाँच साल के लिए पट्टा २५०) रु० सालाना लगान पर प्रतिवादी नम्बर १ के नामे लिख दिया।

४—इसी २५०) रु० में से १९०) रु० ज़मींदार को लगान और १५) रु० मुनाफा काश्तकारी प्रतिवादी नम्बर २ को देना पट्टे में लिखा गया है। असलियत में वह ज़मीन ५००) रु० सालाना लगान की है।

५—प्रतिवादी न० १, प्रतिवादी नं० २ का सम्बन्धी है और उसको वादी का प्रतिवादी नं० २ पर कर्ज़ा होने का ज्ञान है।

६—यह पट्टा वादी की नालिश दायर हो जाने के बाद उसका रुपया मारने और उसको झगड़े में डालने के लिये लिखा गया है और उसके बिना एतराज़ पड़े रहने से वादी को हानि पहुँचने का डर है।

७—अभियोग कारण......(पट्टा लिखने के दिन से)।

८—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—(पट्टे के नाजायज़ और बेअसर होने के इस्तक़रार के लिये)।

(९) रिसीवर का, इन्साल्वेन्ट के फ़र्ज़ी इन्तक़ाल को नाजायज़ क़रार दिये जाने के लिये दावा

(सिरनामा)

पं० कन्हैयालाल, रिसीवर रियासत सालिगराम इन्सालवेन्ट—वादी।

बनाम

१—बद्रीदास
२—श्रीमती मेहरी
३—जैशंकर
४—सालिकराम
} प्रतिवादी

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—प्रतिवादी नम्बर ४ अदालत जजी अलीगढ़ से ता० १४ मार्च सन् १९३४ ई० को देवालिया क़रार दिया गया और वादी उसकी रियासत का अदालत से रिसीवर नियत किया गया और उसी ता० ...से रिसीवरी का कार्य करता है।

२—ता० १० अगस्त सन् १९२० ई० का जैशकर, प्रतिवादी नम्बर ३ का लिखा हुआ सालिकराम के नाम ५००) रुपया का एक रहननामा था जिसमें ऋणी की नबीपुर की कुछ हकीयत आड़ थी।

३—सालिकराम की आर्थिक दशा देवालिया क़रार दिये जाने से दो तीन साल पहिले बहुत खराब थी और उसने बेईमानी से अपने ऊपर ऋण का रुपया मारने के लिये, उस दस्तावेज़ की नालिश, नम्बरी ३१ सन् १९३२ ई० अपनी बहिन श्रीमती मेहरी के नाम से जैशकर के ऊपर इस बयान से कराई की वास्तव में उसकी मालिक श्रीमती मेहरी है और उसका नाम फ़र्ज़ीतौर से लिख दिया गया है।

४—सालिकराम ने उस नालिश में ९ फरवरी सन् १९३२ ई० को इसी प्रकार का बयान देकर उसकी डिग्री श्रीमती मेहरी के नाम सादिर करा दी।

५—इसके बाद सालिकराम ने उस डिग्री का दिखावटी और फ़र्ज़ी बिक्री-पत्र श्रीमती मेहरी से अपने पास के सम्बन्धी बद्रीदास प्रतिवादी नम्बर १ के नाम २९ फरवरी सन् १९३२ ई० को लिखा कर रजिस्ट्री करा दिया और उस नालिश की इजराय की कार्रवाई बद्रीदास डिग्रीदार के नाम से होती रही और अब उसी इजराय में आड़ की हुई सम्पत्ति नीलाम पर चढ़ी हुई है।

६—श्रीमती मेहरी के नाम से डिग्री और बद्रीदास के नाम से इजराय डिग्री और बैनामे की कार्रवाई सालिकराम ने धोके से दिखावटी और फ़र्ज़ी अपने क़र्ज़दारों का रुपया मारने के लिये की है। यह सब कार्यवाही उसकी रियासत के रिसीवर वादी के विरुद्ध नाजायज़ और बेअसर है और वादी उसको मन्सूख़ कराने का अधिकारी है।

७—विनायदावी (फर्जी कार्रवाई की इत्तला होने के दिन से)।
दावे की मालियत (जैसा कि इस भाग के नमूना नम्बर १ में है)।

वादी प्रार्थी है कि —

इस बात का इस्तक़रार किया जावे कि १० अगस्त सन् १९३२ ई० के लिखे हुये रहननामे और उसकी डिग्री नम्बरी .. अदालत......का मालिक सालिकराम प्रतिवादी नम्बर ४ है और वादी उसकी रियासत का रिसीवर होने की हैसियत से डिग्री जारी कराने का हक़दार है।

(१०) असफल उज्रदार या इन्साल्वेन्ट के रिसीवर के ऊपर दावा

(सिरनामा)

१—वादी नीचे लिखी जायदाद का मालिक और उसके ऊपर क़ाबिज़ है (यहाँ पर जायदाद का विवरण देना चाहिये)।

२—वादी ने यह जायदाद ता०.... . को बैनामा लिखा कर एक मनुष्य रूपराम से खरीद की थी और उसी दिन से उस पर वह क़ाबिज़ और अधिकारी है।

३—(यदि वादी ने कोई मकान इत्यादि बनवाया हो या कोई तब्दील कराई हो तो वह भी लिखना चाहिये)।

४—रूपराम का, लगभग एक साल हुआ कि दिवाला निकल गया और वह अदालत जजी से इन्सालवेन्ट क़रार दिया गया और उसी अदालत से प्रतिवादी उसकी रियासत का रिसीवर नियत किया गया।

५—प्रतिवादी ने उस जायदाद पर यह कह कर कि वादी के नाम लिखा हुआ बैनामा फर्जी व नुमायशी है और असलियत में उस जायदाद का मालिक रूपराम इन्सालवेन्ट है कब्जा करना चाहा और कब्ज़ा दिलाने के लिये साहब जज को रिपोर्ट भी की।

६—उस अदालत से वादी के नाम नोटिस जारी हुआ और वादी ने अपने हक़ की बाबत मालिक व क़ाबिज़ होने की उस अदालत में उज्रदारी पेश की।

७—परन्तु उस अदालत ने वादी की उज्रदारी को नामन्जूर करके रिसीवर को क़ब्ज़ा दिलाने का हुक्म दिया और वादी को नम्बरी नालिश करके अपना स्वत्व प्रमाणित करने की हिदायत की।

८—वादी के नाम का बैनामा सही और असली है और मुआवज़ा देकर लिखाया गया है। वादी अब तक उस जायदाद पर क़ाबिज़ है और अपने मालिक होने का इस्तक़रार कराने का हक़दार है।

(११) अनाधिकारी पुरुष के लिखे हुए बैनामे का नाजायज़ क़रार देने के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है—

१—वादी और प्रतिवादी न० २ की वंशावली नीचे लिखी है—

हरलाल

श्री मती पार्वती विधवा प्रतिवादी न० २

२—हरलाल और उसके दो लड़के एक हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्य थे और २१ बिस्वा नीचे लिखी हुई जमीदारी खाता खेवट न० १ पट्टी जीवाराम स्थित मौज़ा हेतपुर परगना.... ज़िला .....में उनकी जायदाद थी।

३—नौबत को तीन और हरलाल को एक वर्ष के लगभग हुए होंगे कि कुटुम्ब के अविभक्त रहते हुये दोनों का देहान्त हुआ और वादी बची हुई जायदाद का मालिक व अधिकारी हुआ।

४—वादी नाबालिग़ (अवयस्क) है और वादी की माँ अर्थात् प्रतिवादी न०२ एक अनपढ़ व बेसमझ स्त्री है। प्रतिवादी न० १ ने प्रतिवादी न० २ को बहका कर और धोके में डाल कर उस जायदाद का बैनामा ता०......को लिखाकर अपने नाम करा लिया और उसमें अपने मतलब के लिये असत्य बातें लिखाली हैं।

५— झगड़ेलू जायदाद की क़ीमत लगभग ५०००) रु० होगी और तीन हजार रुपया में बैनामा लिखा दिखाया गया है परन्तु कोई रुपया प्रतिवादी न० २ को नहीं दिया गया। यदि कोई अंशित रुपया प्रतिवादी नम्बर २ को दिया भी गया हो तो वादी के लिये उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी और न उससे वादी को किसी प्रकार का लाभ पहुँचा।

६—प्रतिवादी न० २ को बै करने का कोई अधिकार नहीं था। बैनामा बिना आवश्यकता के कम क़ीमत पर धोका और फ़रेब में डाल कर लिखाया गया है इसलिये वह खंडित व बे असर है।

७—उस जायदाद पर प्रतिवादी नम्बर १ का नाम दाखिल खारिज नहीं हुआ उस पर "वास्तविक अधिकार" ठेकेदार का है जो हरलाल के ज़माने से १५ साल के ठेकानामा के अनुसार सन्......फ़० से......फ़० तक अधिकार चला आता है।

८—बैनामा के बिना मंसूख रहने से वादी के हानि पहुँचने का भय है।

९—बिनायदावा (बैनामा के रजिस्ट्री होने के दिन से)।

१०—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(अ) प्रतिवादी न० २ का प्रतिवादी नं० १ के नाम ता०..... का लिखा हुआ बैनामा वादी के विरुद्ध खंडित और बेअसर घोषित किया जावे।

(ब) नालिश का खर्चा दिलाया जावे।

(१२) डिग्री के मदयूनों में आपसी जुम्मेदारी के इस्तक़रार के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है—

१—वादी का पूर्वाधिकारी, डाली नीचे लिखी हुई जमीन (या सपत्ति) न० १, २ व ३ स्थित ग्राम या नगर..... .. का मालिक व क़ाबिज़ था।

२—यह तीनों ज़मीन डाली की तरफ़ से ७ जनवरी सन् १९३३ ई० के लिखे हुये रहननामे से २०००) रुपया में सूद दर १) रुपया सैकड़ा माहवारी के हिसाब से एक मनुष्य केवलराम के पास बिना दखली रहन थीं।

३—उक्त डाली ने जायदाद नम्बर २ व ३ के बचाने के लिये जायदाद नम्बर १ के १९ जून १९३४ ई० के बैनामा लिख कर प्रतिवादी के हाथ बेच दिया और क़ीमत के रुपया में से १७५०) रुपया ७ जनवरी सन् १९३३ ई० के रहननामे की बेबाक़ी के लिये प्रतिवादी के पास अमानत में छोड़े।

४—इस बैनामे की तारीख से प्रतिवादी उस जायदाद पर काबिज व मालिक हैं और उसकी आमदनी से लाभ उठाते हैं परन्तु उन्होंने ७ जनवरी सन् १९३३ ई० के रहननामे का रुपया बेबाक नहीं किया।

५—उक्त रहननामे की व अन्य दो रहननामो के आधार पर, जो डाली के लिखे हुये थे और जिसमें १ व २ नम्बर की जायदाद रहन थी, केवलराम ने अदालत......में दावा नम्बरी ६१ सन् १९४० ई० दायर किया, जो १५ जून सन् १९४० ई० को डिग्री हुआ।

६—उस डिग्री में ३३८१) रु० ७ जनवरी सन् १९३३ ई० के लिखे हुये किफालती दस्तावेज़ की बाबत और १५ सितम्बर सन् १९४० ई० से लेकर वसूल होने के दिन तक सूद

३) रु० सै० सालाना की दर से अदा करने और व्याज न अदा करने की हालत में आड़ की हुई जायदाद नम्बरी १ व २ व ३ के नीलाम होने का हुक्म हुआ।

७—डिग्री के मतालबा के अदा होने की अवधि समाप्त हो गई और प्रतिवादियों ने रजिस्ट्री नोटिस देने पर भी मतालबा अदा नहीं किया और न अदालत में जमा किया।

८—प्रतिवादी मतालबा अदा करने के जुम्मेवार हैं। वह ऋण अदा करने से इनकार करते हैं और वादी को हानि पहुँचाने और कुल जायदाद उस ऋण के अदा होने के लिये नीलाम पर चढ़वाना चाहते हैं।

९—बिनाय दावा (डिग्री सादिर होने और अदायगी की मियाद के दिन से)।

१०—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) इस बात का इस्तक़रार किया जावे कि ७ जनवरी सन् १९३३ ई० के रहननामे की बाबत जो डिग्री अदालत सिविल जजी अलीगढ़, नम्बरी ६१ सन् १९४० ई०, ता० १५ जून सन् १९४० ई० को सादिर हुई है उसके देनदार प्रतिवादी हैं।

(ब) नालिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे।

(१३) धोखे से नीलाम के सार्टीफिकेट में नाम लिखा लेने पर इस्तक़रार के लिये

(Sec 66, Civil Procedure Code)

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी नाबालिग है और वादी की सरक्षक (वली) उसकी माँ, एक पर्दानशीन स्त्री है।

२—प्रतिवादी, वादी का सौतेला भाई है। वह वादी की माँ की तरफ से कारिन्दा के रूप में वादी का काम करता था।

३—इजराय डिग्री न०... ..अदालत... ....बनाम......में मदयून ... की जायदाद नीलाम पर चढ़ी और वादी के सरक्षक ने उसको वादी के वास्ते खरीदना चाहा।

४—ता० . . को, नीचे लिखी हुई जायदाद (यहाँ पर जायदाद का विवरण लिखना चाहिये) वादी ने प्रतिवादी की मारफत......रु० मे नीलाम में, खरीद ली और नीलाम के दिन चौथाई धन, और शेष तीन हिस्सा अदालत में दाखिल किया और ता० .....को नीलाम मन्ज़ूर हो गया।

५—वादी के वली ने उक्त सपत्ति खरीदने का सारटीफिकेट अदालत से ता०...... को प्राप्त किया। उसके देखने से मालूम हुआ कि प्रतिवादी ने बदनीयती और धोखे से सारटिफिकेट नीलाम में अपना नाम बतौर ख़रीदार दर्ज करा लिया है।

६—नीलाम की खरीदारी में प्रतिवादी ने वादी के रुपये से, उसी के लिये उसके कारिन्दा होने की वजह से अपना नाम सार्टिफिकेट नीलाम में बेईमानी और धोखे से दर्ज कराया है और वादी इसी बात का इस्तक़रार कराने का अधिकारी है।

७—बिनायदावा (धोखे की कार्रवाई मालूम के होने के दिन से)।

८—दावे की मालियत (जैसा कि नमूना नं० १ में)।

बादी प्रार्थी है कि—

यह इस्तक़रार किया जावे कि नीचे लिखी हुई जायदाद का खरीदार वादी है और नीलाम के सार्टिफिकेट में प्रतिवादी का नाम धोखे से दर्ज हो गया है।

(१४) धोखे से हासिल की हुई डिग्री को मन्सूख व बेअसर क़रार दिये जाने के लिये नालिश

१—प्रतिवादी ने एक नालिश नं०. . . .सन्.....अदालत......में वादी और एक मनुष्य (अ—ब) के ऊपर एक प्रामेसरी नोट के ऊपर दायर की।

२—इस नालिश में वादी के रहने की जगह प्रतिवादी ने स्थान......लिखी थी, असलियत में वादी प्रायः......साल से स्थान . . . .में लगातार रहा है और पहिले स्थान में उसकी कोई रहने की जगह नहीं है।

३—वादी को इस नालिश की सूचना नहीं हुई और न उसके पास कोई सम्मन या इत्तलानामा पहुँचा और न तामील हुआ।

४—प्रतिवादी ने चालाकी और धोके से नालिश के सम्मन की ऊपरी तामील कराकर वादी के विरुद्ध में एकतरफा (ex-parte) डिग्री हासिल कराली।

५—उस डिग्री का सार्टिफिकेट प्रतिवादी अदालत...........को ले गया और ता०... ..को जब उसकी इजराय में वादी की चल सम्पत्ति नीलाम में चढा कर कुर्क कराया, तब उस समय वादी को, डिग्री के सादिर होने का हाल मालूम हुआ।

६—डिग्री नम्बरी......सन्.... . अदालत......से प्रतिवादी ने अदालत को धोखा व फरेब में डाल कर वादी के विरुद्ध प्राप्त की है। वह वादी पर किसी तरह पाबन्दी के योग्य नहीं है।

७—अभियोग कारण —(कुर्क़ी होने व कार्रवाई डिग्री के मालूम होने के दिन से)।

(१५) जायदाद के स्वामी घोषित किये जाने का दावा जब कि बटवारे का मुकदमा अदालत माल में चल रहा हो

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है:—

१—वादी मौज़ा चरगवाँ तहसील डिबाई ज़िला बुलन्दशहर के मुहाल राजकुआँर में, तीन बिस्वा की हक़ीयत ज़मींदारी का मालिक व अधिकारी है।

२—वादी की उस हक़ीयत में से दो बिस्वा पैतृक सम्पत्ति है और उसने एक बिस्वा ता० १६ मई सन् १६२५ ई० के बैनामे के अनुसार प्रतिवादी के फर्ज़ी नाम से खरीदी थी जो खरीदने के समय वादी का कारिन्दा था, मगर वादी खरीदने की तारीख से उस पर मालिक की हैसियत से अधिकारी है और प्रतिवादी का उससे सम्बन्ध नहीं है।

३—उस मौजे में मुहाल राजकुआँर दस बिस्वा का है उसके एक हिस्सेदार ने हाल ही में बटवारे की दरख्वास्त अदालत माल में दी और बटवारे के इश्तहार हिस्सेदारो के नाम जारी हुए।

४—वादी ने अपने ३ बिस्वा का मुहाल पृथक् कराना चाहा परन्तु प्रतिवादी ने एक बिस्वा हक़ीयत के सम्बन्ध में, जिस पर उसका फर्ज़ी नाम चला आता है, उज्रदारी की और अपने आपको उसका मालिक प्रगट किया।

५—वादी को अदालत माल से ता०. . . . को उस जायदाद के मालिक होने का तीन महीने के अन्दर इस्तक़रार कराने का हुक्म हुआ।

६—उस जायदाद में प्रतिवादी का कोई हक़ नहीं है। वादी उसका खरीदने के दिन से ही, जिसको १२ साल से अधिक हो गये मालिक है और उस पर मालिक की हैसियत से काबिज़ है। यदि प्रतिवादी का कोई हक़ मान भी लिया जावे तो वह नष्ट हो गया। वादी अपनी मिलकियत का इस्तक़रार कराने का अधिकारी है।

७— बिनायदावा (अदालत माल के हुक्म के दिन से)।

८—दावे की मालियत (जैसे कि नमूना न० १ में)।

वादी की प्रार्थना (इस्तक़रार के लिये)।

३८—लिमिटेड या रजिस्ट्री की हुई कम्पनी

जहाँ पर किसी साझे में बीस से अधिक हिस्सेदार हों, ऐसी शराकत बिना रजिस्ट्री किये स्थापित नहीं हो सकती। रजिस्ट्री हो जाने पर वह लिमिटेड कम्पनी कहलाती है।

लिमिटेड कम्पनी के हिस्सेदारों को किसी हालत में अपने हिस्से से ज्यादा रुपया नहीं देना पड़ता और कुप्रबन्ध इत्यादि होने पर कोई हिस्सेदार कम्पनी को समाप्त करने के लिये लिक्वीडेशन (Liquidation) का दावा कर सकता है।

यहाँ पर कुछ आवश्यक शब्द जानना जरूरी है।

हिस्सो के लिये दरख्वास्त के साथ जो रुपया दिया जाता है उसको Application money कहते हैं। दरख्वास्त मंजूर होने पर जो रुपया कम्पनी को अदा किया जाता है उसको Allotment money कहते हैं और इसके बाद कम्पनी हिस्सों का बक़ाया रुपया कई बार में माँग सकती है। पहिली माँग को, First call, दूसरी को Second call इत्यादि कहते हैं। कम्पनी स्थापित करने वालों को प्रोमोटर्स (Promotors) और चुने हुए प्रबन्ध कर्त्ताओं को डाइरेक्टर (Directors) कहते हैं। कम्पनी के नियमों को (Rules of Association) और उसके कारबार के इश्तहार को Prospectus कहते हैं और कम्पनी खतम होने पर जो रिसीवर नियत होता है वह लिक्वीडेटर (Liquidator) कहलाता है।

लिमिटेड कम्पनी की स्थिति कानून की निगाह में किसी एक व्यक्ति की तरह है। ऐसी कम्पनी अपने नियमों के अनुसार Articles of Association नियत किये हुए किसी पुरुष के मारफत दावा दायर कर सकती है और उस पर दावा किया जा सकता है कम्पनी की ओर से हिस्सेदारों पर एलाटमेन्ट और मांग (Call) के रुपये की नालिश दायर होती है। इसी तरह हिस्सेदारों की तरफ से मुनाफा वसूल करने की और अन्य नालिशे होती हैं। कभी कभी प्रासपेक्टस (Prospectus) में असत्य वर्णन से कम्पनी स्थापित करने वाले धोखा देकर हिस्सें बेच लेते हैं और हिस्सेदारों को जब असली स्थिति का पता लग जाता है तो वह अपनी बचत के लिये दावा दायर करते हैं। इसी प्रकार कम्पनी के डाइरेक्टरों में झगड़ा होने पर अथवा कुप्रबन्ध होने पर, कम्पनी के भंग (Liquidation) कर देने के लिये, इंडियन कम्पनी एक्ट के अनुसार हाईकोर्ट में दरख्वास्त दी जाती है।

यहाँ पर सिर्फ उन्हीं नालिशों के नमूने दिये गये हैं जो अदालत दीवानी में प्रायः नम्बरी दावे किये जाते हैं।

यह दावे हर एक कम्पनी के नियमों (Articles of Association) के अनुसार किये जाते हैं। जब कोई पुरुष हिस्सों के लिये दरख्वास्त देता है और वह मंजूर हो जाती है तब वह पुरुष कम्पनी का हिस्सेदार हो जाता है और आपसी प्रतिज्ञाओं के अनुसार वह कम्पनी पर, और कम्पनी उस पर, दावा कर सकती है।

*(१) कम्पनी का, हिस्सेदार पर एलाटमेंट और माँग के रुपये के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी कम्पनी निम्नलिखित निवेदन करती है—

१—वादी कम्पनी Indian Companies Act of 1913 के अनुसार एक रजिस्ट्री की हुई कम्पनी है।

२—उक्त कम्पनी के नियम ६६ व ६७ के अनुसार कम्पनी के डाइरेक्टरों को अधिकार दिया गया है कि जिन हिस्सों का पूरा रुपया अदा न हुआ हो उनकी माँग करें और हर प्रकार का रुपया जो कि कम्पनी को लेना हो मय ६) रुपया सैकड़े सालाना सूद के हिस्सेदारों से वसूल करें।

३—प्रतिवादी ने २५ अगस्त सन् १९३७ ई० को, २५) रु० प्रति हिस्से के हिसाब से ५० हिस्से खरीदने के लिये दरख्वास्त पेश की और १००) रुपया दरख्वास्त के साथ Application money कम्पनी को अदा किए और इन हिस्सों का बकाया रुपया एलाटमेंट (Allotment) होने पर और कम्पनी की माँग आने पर अदा करने की प्रतिज्ञा की।

४—प्रतिवादी की दरख्वास्त के अनुसार २९ अगस्त सन् १९३७ ई० को ५० हिस्से प्रतिवादी को दे दिये गये लेकिन प्रतिवादी ने अपने हिस्सों पर ५) रुपया फी हिस्से के हिसाब से एलाटमेंट का रुपया अदा नहीं किया।

५—३१ अक्टूबर सन् १९३७ ई० को डाइरेक्टरों ने कुल हिस्सेदारों से ५) रुपया फी हिस्से की पहिली माँग की जो कि २५ दिसम्बर सन् १९३७ ई० को देना वाजिब थी और उन्होंने ५) रु० फी हिस्से की दूसरी माँग कुल हिस्सेदारों से ३१ जनवरी सन् १९३८ ई० को तलब की, जो १ मार्च सन् १९३८ ई० तक देनी वाजिब थी। दोनों माँगों का उचित नोटिस प्रतिवादी को दिया गया परन्तु उसने उनका रुपया अदा नहीं किया।

---

* नोट—यदि अकेले एलाटमेंट या किसी माँग के रुपया का दावा हो तो इसी प्रकार से अर्जीदावा लिखा जा सकता है।

६—अभियोग कारण (एलाटमेंट के रुपया का २२ अगस्त सन् १९३७ ई०, और पहिले माँग के मतालवे का १५ दिसम्बर सन् १९३७ ई०, और दूसरी माँग के रुपया का १५ मार्च सन् १९३८ ई०, को पैदा हुआ)।

७—दावे की मालियत—

वादी कम्पनी प्रार्थी है कि—

......रुपया असल व सूद की नीचे लिखे हुये हिसाब के अनुसार मय खर्च नालिश और सूद दौरान व आइंदा रुपया वसूल होने के दिन तक, प्रतिवादी के ऊपर डिग्री का जावे।

हिसाब का विवरण—

एलाटमेंट का रुपया	२५०) रु०	२२ अगस्त सन् १९३७ ई० से सूद दर ६) रु० सैकड़ा रु०
पहिली माँग	२५०) रु०	१५ दिसम्बर सन् १९३७ ई० से सूद दर ६) रु० सै० . रु०
दूसरी माँग	२५०) रु०	१५ मार्च स० १९३८ ई० से सूद दर ६) रु० सै० . रु०
	जोड़ ७५०) रु०	जोड़ सूद......रु०

(२) डायरेक्टरों के झूँठा प्रास्पेक्टस प्रकाशित करके हिस्सा बेचने पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—प्रतिवादी ने... ......नाम की कम्पनी की बाबत, जिसका हैडआफिस स्थान......पर था एक *प्रास्पेक्टस......सर्व साधारण* के लिये निकाला और प्रकाशित किया।

२—ता०......को वादी को, उस प्रास्पेक्टस......की एक प्रति मिली।

३—उस प्रास्पेक्टस में लिखी हुई बातो को सत्य समझ कर और उन पर विश्वास करके वादी ने ता०.....को कम्पनी के २५ हिस्से खरीद किये। प्रत्येक हिस्सा १००) रु० का था और उनकी बाबत १०) रु० प्रति हिस्सा, प्रार्थना पत्र के साथ अदा किया गया था।

४—इसके पश्चात् वादी को मालूम हुआ कि प्रास्पेक्टस में बहुत सी असत्य बातें लिखी हुई हैं वादी जहाँ तक मालूम कर सका है वह यह है :—

(अ) प्रास्पेक्टस में लिखा है कि ५०) रु० सैकड़ा वार्षिक लाभ होता है वास्तविक में पिछले तीन वर्ष में ५) रु० सैकड़ा लाभ हुआ है और गलत हिसाब बना कर अधिक लाभ दिखाया गया है।

(ब)) इसी प्रकार से और जो २ बातें हों) इत्यादि।

५—प्रतिवादी डायरेक्टर होने के कारण से असली हालत जानता था।

६—इसके अतिरिक्त उक्त कम्पनी की बाबत नीचे लिखी बातें प्रगट करना आवश्यक थीं जिनकी बाबत, प्रास्पेक्टस में कुछ नहीं कहा गया—

(१) कम्पनी ने एक पुराना कारखाना खरीद किया है जिसका मालिक प्रतिवादी था।

(२) यह पुराना कारखाना बहुत गिरी हुई और दुर्दशा में था और उसके लिये .... लाख रुपया कहीं अधिक मूल्य अदा किया गया।

(३) . रु० सालना लगान सिर्फ दो बीघे ज़मीन का दिया जाता है जिसका मालिक प्रतिवादी है।

७—वादी, प्रार्थना पत्र के साथ दिये हुए रुपये के अतिरिक्त २५) रु० प्रति हिस्सा एलाटमेंट पर, और २०) रु० फी हिस्सा पहिली मॉग का अदा कर चुका है। वादी का कुल दिया हुआ १३७५) रु० है।

८—अभियोग कारण—

९—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(अ) १३७५) रु० सूद सहित प्रतिवादी से वापिस दिलाया जावे।

(ब) इस बात का इस्तक़रार किया जावे कि इन हिस्सो की बाबत भविष्य में वादी अन्य किसी मतालबे का देनदार न होगा।

(क) खर्च नालिश इत्यादि दिलाया जावे।

(३) कम्पनी के स्थापित करने वाले (Promotor) पर हिस्से बेचने के लिये, असत्य वर्णन करने पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—प्रतिवादी बहुत दिनो से चूने की तैयारी और बिक्री का काम साझे में फर्म.. . ..के नाम से करते थे।

२—मार्च सन् ..में प्रतिवादी ने "कानपुर लाईम वर्क्स" के नाम से लिमिटेड कम्पनी खोलने और उस कम्पनी के हाथ अपने पुराने कारखाना को......रु० में बेचने का

विचार किया। वास्तव में यह कारखाना शोचनीय दशा में था और उसका उचित मूल्य......रु० से अधिक नहीं था।

३—इसी विचार से प्रतिवादी ने काम शुरू किया और ता०.. ...को "कानपुर लाइम वर्क्स" के नाम से एक कम्पनी रजिस्ट्री करा ली।

४—प्रतिवादी ने सर्व साधारण को उक्त कम्पनी के हिस्से मोल लेने के लिये आकर्षित करने को ता०......को एक प्रास्पेक्टस प्रकाशित किया और उसमें यह असत्य बयान किये—

(१)—
(२)—
(३)—
} झूँठे बयानों का पूरा विवरण।

५—इस प्रास्पेक्टस की एक कापी प्रतिवादी न० १ ने, मैनेजिंग एजैन्ट की हैसियत से, अपने और कुल प्रतिवादिओं की ओर से ता०... .....को वादी के पास भेजी।

६—इसके अतिरिक्त ता०......को प्रतिवादी न० १ ने मैनेजिंग एजैन्ट की हैसियत से इस अभिप्राय से कि वादी कम्पनी के हिस्से खरीदे, वादी से ज़बानी भी वे ही बातें कहीं जो कि प्रास्पेक्टस में लिखी थीं (यदि उसके किसी एजैन्ट या मुख्तार आदि ने कहीं हो तो, यही लिखना चाहिये)।

७—वादी ने प्रास्पेक्टस में लिखी हुई और प्रतिवादी नं० १ की बयान की हुई बातों को सच समझ कर और उनका विश्वास कर के उक्त कम्पनी के सौ हिस्से ता० ..... को मोल ले लिये और उनकी बाबत......रुपया प्रार्थनापत्र व एलाटमेंट का अदा कर दिया।

८—यह सब बयान गलत और झूँठे थे और प्रतिवादी इनका झूठा होना जानते थे।

९—यह बयान प्रास्पेक्टस में, और विशेष रूप से वादी से इस लिये किये गये थे कि वादी कम्पनी के हिस्से ख़रीद करे और उसका हिस्सेदार हो जावे।

१०—इन हिस्सों का इस समय कुछ मूल्य नहीं है, वह बिल्कुल बेकार हैं और उनकी बाज़ार में कोई क़ीमत वसूल नहीं हो सकती।

११—वादी की... ..रु० की हानि हुई और उसका सूद इत्यादि का नुक़सान हुआ।

(४) डाइरेक्टर की ओर से फ़ीस के लिये कम्पनी के ऊपर दावा

१—ता०..... को वादी, प्रतिवादी कम्पनी का डाइरेक्टर नियत हुआ और अब भी डाइरेक्टर है।

२—उक्त कम्पनी के नियमों के अनुसार (Articles of Association) प्रत्येक डाइरेक्टर को ५०) रुपया प्रतिदिन फ़ीस और दुगना सेकेंड क्लास का किराया हर डाइरेक्टरों की मीटिङ्ग में सम्मिलित होने का मिलता है।

३—वादी ता०......से ता०......तक डाइरेक्टरों की ६ मीटिंगों में सम्मिलित हुआ और उनमें भाग लिया।

४—नीचे लिखे हुये हिसाब से वादी के प्रतिवादी कम्पनी पर......रु० निकलते हैं जो उन्होंने अभी तक अदा नहीं किये। (हिसाब का ब्योरा)।

५—दावे का कारण (मीटिंग होने की तारीखों से)।

(५) कम्पनी के लीक्वीडेटर (Liquidator) की ओर से माँग के बक़ाया रुपये के लिये हिस्सेदार पर नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—एक्ट ७ सन् १९१३ ई० के अनुसार रजिस्ट्री की हुई एक कम्पनी "मैटल वर्क्स लिमिटेड" के नाम से प्रचलित थी जिसका हेडआफ़िस स्थान...... पर था और वहीं पर कम्पनी का लोहे की चद्दर, नलटी इत्यादि बनाने का कारखाना था।

२—उक्त कम्पनी का प्रत्येक हिस्सा ५००) रु० का था और प्रतिवादी के इस कम्पनी में १० हिस्से थे जिनकी बाबत वह कुल १०००) रु० प्रार्थना-पत्र के साथ और १०००) रु० पहिली माँग पर अदा कर चुका था।

३—कम्पनी कुछ दिनों तक काम करती रही लेकिन सन् १९३३ ई० में उसका काम बन्द हो गया और उसका अदालत से लिक्वीडेशन (Liquidation—परसमाप्ति) होने लगी और वादी ता०......को उक्त कम्पनी का Liquidator नियत हुआ।

४—उक्त कम्पनी पर बहुत सा ऋण था जो कम्पनी की पूँजी से किसी प्रकार बेबाक़ नहीं हो सकता था। वादी ने साधारण हिस्सेदारों की मीटिंग में, जो कि ता०......को सर्वसाधारण को सूचना देने के बाद हुई थी अदायगी की स्कीम और बक़ायादार हिस्सेदारों की सूची तैयार की।

५—वादी ने क़र्ज़ा व खर्च इत्यादि निपटाने के लिये प्रत्येक हिस्से पर १००) रु० की दूसरी माँग ता०......को तलब की और प्रतिवादी से उसके १० हिस्सों की बाबत १०००) रु० रजिस्ट्री किया हुआ नोटिस भेज कर माँगे।

३६—बीमा (Insurance)

बीमा भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, जैसे आजीवन बीमा, आग लगने का बीमा, पानी या बाढ़ से क्षति का बीमा, आकस्मिक दुर्घटना का बीमा इत्यादि। ये बीमे इन्श्योरेन्श कम्पनी भिन्न भिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न शर्तों और प्रतिज्ञाओं के साथ करती हैं जो कि उनकी लिखित बीमा पालिसी (Insurance Policy) में लिखी जाती है। और उन शर्तों के अनुसार बीमा कराने वाला (Policy Holder) किस्तों (Premia) का देना, और कम्पनी इकरार की हुई घटनाओं के लिये अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करती है। दोनों पक्ष उन शर्तों के पाबन्द होते हैं और ऐसी नालिशें उन्हीं शर्तों के अनुसार दायर करनी चाहिये। उनके अर्जी दावों में वे सब बातें लिखनी चाहिये जो कि साधारण प्रतिज्ञाओं पर निर्धारित दावों में लिखी जाती हैं और उनके अतिरिक्त वह विशेष शर्त या शर्तें जिनके उल्लंघन करने पर दावा किया गया हो।

बीमा पालिसी का, यदि उसमें इसके विरुद्ध कोई शर्त न हो, परिवर्तन या इन्तकाल किया जा सकता है और परिवर्तन गृहीता या वह मनुष्य जिसको ऐसा अधिकार दिया गया हो, पालिसी-होल्डर के तुल्य उससे लाभ उठा सकता है।

* (१) मृतक के दायभागी का बीमा करने वाली कम्पनी पर दावा

(सिरनामा)

(अ—ब) वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—(ज—द) ने ता०. .... . को प्रतिवादी कम्पनी के यहाँ अपनी आयु का बीमा ५०००) रुपया का कराया और उक्त कम्पनी ने पालसी नम्बर......उस पालसी के अनुसार अदायगी के बदले में दे दी।

२—(ज—द) की मृत्यु ता०.. ...को हो गई।

---

* नोट—यदि दावा पालसी के खरीदार की ओर से हो तो धारा न० ३ इस प्रकार लिखी जायगी।

३—ता०..... को (ज—द) ने अपने जीवन ही में उस पालसी को तहरीर करके वादी के हाथ बेच दिया था और वादी ने ता० . .को प्रतिवादी कम्पनी को रजिस्ट्री किया हुआ नोटिस इस बात का दे दिया था।

३—वादी उसका पुत्र और उत्तराधिकारी है और उसने उत्तराधिकारी होने का सार्टिफिकट (Succession Certificate) नियम के अनुसार प्राप्त कर लिया है जो नालिश के साथ दाखिल किया जाता है।

४—दावे का कारण (ज—द—की मृत्यु के दिन से)

५—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(२) बीमा के रुपये के लिये मृतक के निष्ठाकर्ता का इनश्योरेन्स कम्पनी पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—(ज—द) ने ता०... .को प्रतिवादी कम्पनी के यहाँ......रु० के लिये अपने जीवन का बीमा कराया और प्रतिवादी ने उसको पालिसी न०.. ...उन रुपयों के बदले में जो कि उस पालिसी के अनुसार अदा किये गये और अदा किये जाने को थे, दी।

२—(ज—द) ने अपनी अन्तिम वसीयत ता०......को की और इसके अनुसार वादी को वसी (निष्ठाकर्ता) नियत किया।

३—उक्त (ज—द) की ता०... को मृत्यु हो गई।

४—वादी ने नियमानुसार उक्त वसीयत का प्रोबेट हासिल कर लिया है और वह दावा कर सकता है।

(३) अन्य पुरुष के जीवन के बीमे का रुपया वसूल करने के लिये नालिश, जब कि अदायगी दावा करने वाले ने की हो

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—(ज—द) वादी का पिता था।

२—वादी ने (ज—द) के जीवन का बीमा ५०००) रु० का प्रतिवादी कम्पनी के यहाँ किया और प्रतिवादी कम्पनी ने पालिसी न०... ..वादी को उसके अनुसार अदायगियों के बदले में दी।

३—वादी ने यह बीमा सिर्फ (ज—द) के क्रिया करम और तेरहवीं के लिये कराया था और वह इस मतालबे को उसकी तेरहवीं ही में लगाना चाहता था।

४—वादी के पिता (ज—द) की ता०... . को मृत्यु हो गई।

४०—प्राकृतिक स्वत्व व सुखाधिकार

(हकूक़ क़ुदरती व आसाइश Natural rights and rights of easement)

प्राकृतिक स्वत्व और सुखाधिकार में बड़ा अन्तर है, प्रत्येक मनुष्य को हवा में चलने, हवा में स्वाँस लेने, आम रास्ते पर आवागमन करने और नदी से पानी पीने या स्नान करने का अधिकार बिना रोक टोक के प्राप्त है इसलिये कोई अन्य मनुष्य उसको बिना उचित कारण के इन कामों से नहीं रोक सकता न उसको ऐसा करने पर नुकसान पहुँचा सकता है या उसकी स्वतन्त्रता में बाधा डाल सकता है।

ये सब प्राकृतिक स्वत्व हैं जो प्रकृति ने मनुष्य को दान दिये हैं। इसके विरुद्ध सुखाधिकार वह स्वत्व हैं जो किसी व्यक्ति को प्रतिज्ञा मोआहिदे या इकरार से, किसी रीति या रिवाज से, या किसी विशेष समय तक इस्तेमाल से, सुख पाने या किसी वस्तु से लाभ उठाने का प्राप्त हो जाता है।

इन दोनों प्रकार के स्वत्वों में बाधा होने पर स्वत्वाधिकारी दावा कर सकता है और ऐसे दावों के नमूने इस खंड में दिये गये हैं। इन दावों में वादी दो प्रकार की प्रार्थना कर सकता है। एक तो यह कि निषेध आज्ञा (अदालत हुक्म इम्तनाई) से प्रतिवादी को शिकायती काम करने से आगे के लिये रोके और दूसरी यह कि शिकायती काम से जो कुछ वादी का हर्जा हुआ हो वह उसको दिलाये।[1]

सुखाधिकार का स्वत्व कहीं कहीं किसी वस्तु की मिल्कियत से पृथक् होता है, इसलिये हर फरीक़ को चाहिये कि वह अपने दावे या जवाब दावे में, जब ऐसे स्वत्व से लाभ उठाना हो, उसको पूरे विवरण के साथ लिखे और यह भी प्रगट करे कि वह अधिकार किस प्रकार से उत्पन्न या उसको प्राप्त हुआ जैसे—

हकूक़ आसायश के मुकद्दमे में वादी को उस हक़ (स्वत्व) का अधिकार होना और उससे रोके जाने, या उसमें विघ्न डालने की कुल घटनाएँ बयान करना चाहिये। यदि हरजाना या हुक्म इम्तनाई भी माँगा जाय तो विघ्न डालने से जो नुक़सान हुआ हो या जिसका भविष्य में डर हो, अर्जीदावे में लिखना चाहिये।

जहाँ पर हरजाना दिलाया जावेगा वहाँ पर फिर विघ्न न डालने के लिये निषेध आज्ञा (हुक्म इम्तनाई) भी मिल सकता है परन्तु यदि उस विघ्न का नक़द रुपये में मुआवज़ा उचित हो तो अदालत नहीं देगी।

---

1 Sec 33, Indian Easements Act

रास्ता रोकने के मुक़दमे में रास्ते दो प्रकार के होते हैं, और अर्जीदावे में ऊपर लिखी हुई बातों के अतिरिक्त यह भी दिखाना चाहिये कि वह रास्ता आम है या खास। यदि रास्ता खास हो तो रोक डालना ही काफी होता है लेकिन आम रास्ते के लिये वादी को कोई विशेष हानि दिखानी चाहिये।

रोशनी व हवा के रोकने के दावों में धारा ३३ में लिखी हुई बातें और दिखाना चाहिये।

१—यह कि वादी के हकूक़ में प्रतिवादी के अनुचित कार्य से क्षति हुई।
२—वादी की जायदाद की मालियत में कमी हुई।
३—वादी के सुख में विघ्न हुआ।
४—वादी अपना काम या रोज़ी सुख पूर्वक न कर सका।[1]

हानिकर कार्य के हटाने के दावों के नमूने भी इसी खंड में दिये गये हैं। हानिकर कार्य प्रायः यह होते हैं :—

१—किसी रास्ते में रुकावट डालना या जहाँ प्रतिवादी का रास्ते को ठीक रखने का कर्त्तव्य हो, उसकी मरम्मत न करना।

२—आबादी में या उसके निकट कोई ऐसा कार्य्य करना जिससे आस पास के निवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव हो जैसे धुआँ पैदा करना, बहुत शोरगुल या आवाज़ करना या दुर्गन्ध फैलाना इत्यादि।[2] हानिकर कार्य के विरुद्ध वादी का दावा तभी चल सकता है जब कि उसको ऐसे कार्य से विशेष क्षति हुई हो। यदि उसका कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ तो ज़ाब्ता दीवानी की धारा ९१ के अनुसार प्रांत के एडवोकेट जनरल की अनुमति प्राप्त करके जनता की ओर से दावा किया जा सकता है।[3]

मियाद—मुआवजे के लिये क़ानून मियाद की धारा ३६[4] के अनुसार विघ्न पड़ने के दिन से मियाद दो साल की है और हुक्म इमतनाई के लिये धारा १२०[5] से ६ साल की मियाद है। लेकिन इसी सिलसिले में दफ़ा २३ कानून मियाद[6] और दफ़ा १५ कानून आशायश[7] देखना चाहिये। हुक्म इम्तनाई के लिये दावे की मालियत वादी को नियत करनी होती है।

---

1 I L R 15 All. 270, 17 Bom 648
2 I. L R 55 All 711, 22 A L J 314
3 A I R 1937 Pat. 302, 1929 All 767 Sec. Expl to Sec 33, Easement Act.
4 Art 36
5. Art 120
6 Sec 23, Limitation Act
7. Sec 15, Easements Act.

*(१) पानी को नष्ट व अपवित्र करने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी .. .भूमि पर स्थित .. और उसके कुआँ पर और उस कुएँ के पानी पर क़ाबिज है और सर्वदा उसका अधिकारी रहा है और उससे लाभ उठाने का हक़दार है। इस के अतिरिक्त उसका यह भी हक़ है कि जो चश्मे या सोते उस कुएँ में बह कर आते हैं और गिरते हैं वह इस प्रकार से बह कर आये कि पानी गन्दा या अपवित्र न होने पावे।

२—प्रतिवादी ने ता० .....को अनुचित रीति से उन सोतों को जो उसमें गिरते हैं अपवित्र कर डाला और बन्द कर दिया।

३—इससे कुएँ का पानी अपवित्र हो गया जिससे वह घर के खर्च व काम काज के योग्य न रहा और वादी और उसके घर वाले उस पानी को काम में लाने से वञ्चित रहे।

४—अभियोग कारण—

५.—दावे की मालियत—

(वादी का प्रार्थना)

(२) नदी का पानी अपवित्र व नष्ट करने पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है—

१—वादी जरगवाँ तहसील .. ..की पूरी जमींदारी व रियासत का मालिक व क़ाबिज़ है।

२—इस गाँव के पच्छिम ओर, ग्राम सगृली की ज़मींदारी है जिसका मालिक व काबिज प्रतिवादी है।

३—यमुना नदी प्रतिवादी की जमींदारी सगृली में होती हुई वादी की जमींदारी में बहती है।

४—प्राचीनकाल से उस नदी का पानी वादी के गाँव के मवेशी पीते हैं और वहाँ के रहने वाले खेत सींचने इत्यादि काम काज में लाते हैं और वादी को नदी से, प्राकृतिक

---

* नोट—यह ज़ाब्ता दीवानी के प्रथम परिशिष्ट के अपेन्डिक्स (अ) का नमूना न० २३ है।

दशा में, बिना उसके किसी प्रकार अपवित्र अथवा नष्ट किये जाने के, पानी लेने का व उससे सिंचाई इत्यादि करने का अधिकार प्राप्त है।

५—प्रतिवादी का मौजा सगूली में यमुना नदी के किनारे एक रंगसाज़ी का कारख़ाना है जो ता०......से जारी हुआ है और जिसका अपवित्र व गन्दा पानी प्रतिवादी यमुना नदी में बहा देता है।

६—प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य्य से नदी का पानी, जो उस गाँव में होकर बहता है जहाँ वादी की ज़मींदारी है, बदबूदार और अपवित्र हो जाता है। उसको न जानवर इत्यादि पीते हैं और न सींचने इत्यादि के काम में आता है।

७—प्रतिवादी इस अनुचित कार्य को नहीं छोड़ता जिसके कारण से वादी को पानी एकत्रित करने में अत्यन्त कठिनाई उठानी पड़ी जिससे......रु० की उसको हानि हुई।

८—अभियोग कारण—(कारखाना स्थापित करने के दिन से, और कारखाना चालू रहने पर प्रतिदिन से)

९—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(अ) प्रतिवादी को निषेधाज्ञा (हुक्म इमतनाई) दी जावे कि वह अपने रंगसाजी के कारख़ाने का अपवित्र व गन्दा पानी यमुना नदी में न बहावे और न उस नदी का पानी किसी अन्य प्रकार से नष्ट करे।

(ब) वादी को प्रतिवादी से......रु० हर्जाना दिलाया जावे।

(स) प्रतिवादी से वादी को नालिश का ख़र्चा दिलाया जावे।

*(३) गूल फेरने या पानी काट लेने पर

१—नदी......के किनारे स्थान......पर एक पनचक्की पर वादी क़ाबिज़ है और बहुत दिनों से क़ाबिज़ था।

२—इस कब्ज़े के कारण वादी अधिकारी है कि पनचक्की चलाने के लिये वह नदी बहती रहे।

३—ता०....को प्रतिवादी ने उस नदी का किनारा काट कर उसका पानी अनुचित प्रकार से इस तरह फेर दिया है कि वादी की पनचक्की की तरफ बहुत कम पानी आता है।

४—इसके कारण वादी......मन अनाज प्रति दिन से अधिक नहीं पीस सकता और पानी फेर देने से पहिले......मन अनाज पीसता था।

---

*नोट—See Civil Procedure Code Schedule I, Appendix A, Form No. 27.

*(४) बहते हुये पानी के फेरने से रोकने की आज्ञा प्राप्त करने के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

(ऊपर लिखे नमूना नम्बर ३ के अनुसार)

वादी अधिकारी है कि प्रतिवादी को निषेधाज्ञा (हुक्म इमतनाई) से उस पानी को फेरने से रोक दिया जावे।

(और यही वादी की प्रार्थना में भी जोड़ना चाहिये)

†(५) आबपाशी के लिये पानी लेने में रोक डालने पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी भूमि......स्थित स्थान... ..पर क़ाबिज़ है और उस समय भी क़ाबिज़ था जिसका ब्योरा दिया जाता है और उसको अधिकार प्राप्त है कि......नदी या (नहर) के पानी को उस ज़मीन के सींचने के काम में लावे।

२—ता०......को प्रतिवादी ने अनुचित रीति से उस नदी (या नहर) की धार को दूसरी तरफ फेर दिया और इस तरह वादी के खेत सींचने और पानी काम में लाने से वंचित रक्खा।

३—अभियोग कारण—

४—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(६) पानी लेने के अधिकार में विघ्न डालने पर हर्जे व निषेधाज्ञा के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी ग्राम......परगना ......की २० बिस्वा ज़मीन का मालिक व क़ाबिज़ है।

---

* नोट—See C. P. C Sch. I, App. A, Form No. 38.

† नोट—See C. P. C. Sch. I, App A, Form No. 28.

२—इस गाँव में होकर सोन नदी बहती है और उसी से उस गाँव की ज़मीन जो कि नदी के किनारे है सींची जाती है और हमेशा से सींची जाती रही है और वादी को उस गाँव के ज़मींदार होने के कारण नदी के बहाव और पानी को काम में लाने का अधिकार है।

३—प्रतिवादी ने ता०......से उस नदी में बाँध लगा कर पानी का विशेष भाग दूसरी तरफ़ फेर दिया जिसके कारण नदी में पानी बहुत कम हो गया है और गाँव की आबपाशी अच्छी तरह से नहीं हो सकती। प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी को नदी के बहाव और पानी से उतना लाभ नहीं पहुँचता जितना पहिले पहुँचता था।

४—प्रतिवादी अब भी उस बाँध को कायम रख रहा है और उसका इरादा उसको क़ायम रखने का है।

५—प्रतिवादी की इस अनुचित कारंवाई से क़रीब ३०० बीघा पक्की ज़मीन रब्री सन्......की फसल में बिना सींची हुई रह गई और क़रीब ३०००) रु० की वादी की पैदावार की हानि हुई।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) हर्जे का......रु० प्रतिवादी से वादी को दिलाया जावे।

(ब) प्रतिवादी को हुक्म हो कि नदी में कोई बाँध न लगावे या ऐसा काम न करे जिससे सोन नदी का बहाव या उसका पानी वादी की ज़मीन में कम हो जाय या और किसी तरह से उसको नुक़सान हो।

(क) नालिश का खर्चा दिलाया जावे।

(७) एक तरफ का सहारा हटा लेने और नुक़सान होने पर हर्जे का दावा

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है—

१—मुहल्ला दरियागज शहर कानपुर में फरीकैन के पक्के मकान एक दूसरे से मिले व सटे हुये हैं और प्रतिवादी का मकान वादी के मकान के पच्छिम ओर है।

२—दोनों मकान बहुत पुराने, प्रायः ३० साल के बने हुये हैं और वादी को प्रतिवादी के मकान और ज़मीन से अपने मकान और उसके नीचे की ज़मीन के लिये सहारा लेने का अधिकार है।

३—प्रतिवादी ने मार्च सन्......में अनुचित रूप से वादी के मकान का सहारा अपने मकान को गिरवा कर हटा लिया और किसी प्रकार का सहारा वादी के मकान को पहुँचा देने का प्रबन्ध नहीं किया।

४—प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य का फल यह हुआ कि वादी के मकान की दीवार अपनी जगह से हट कर टेढ़ी और कमज़ोर हो गई और कई जगह से मकान की छतों व डाटों को नुक़सान हुआ।

५—कुल नुक़सान और हर्जे के रुपये की लगभग सूची यह है—

(अ) दीवारों को नुक़सान ......रु०।

(ब) छत को नुक़सान ......रु०।

(क) दर्वाज़े इत्यादि को ... रु०।

६—अभियोग कारण—(प्रतिवादी के मकान गिरवाने के दिन से)।

(८) इसी प्रकार का, हर्जे व निषेधाज्ञा के लिये अन्य अभियोग

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—गाँव अमृतपुर ज़िला गुड़गाँव मुहाल तोताराम में वादी एक नग भूमि नम्बरी ३६५ का मालिक व क़ाबिज है।

२—इस भूमि से मिला हुआ नम्बर ३६६ प्रतिवादी का खेत है। प्रतिवादी ने कंकड़ निकालने के लिये उस खेत को फ़रवरी सन् १९४२ ई० से खोदना शुरू किया और उसी समय से बराबर उस खेत को खोदता और कंकड़ निकालता चला जाता है।

३—प्रतिवादी ने ऐसा करने में भूमि नम्बर ३६५ के आस पास काफी ज़मीन नहीं छोड़ी जिससे उस आराज़ी का, दोनों तरफ से यानी नीचे और बग़ल से (Lateral and vertical) सहारा रहे।

४—प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी की भूमि नम्बरी ३६५ की सतह बैठ गई है और उसका बहाव रुक कर उसमें पानी इकठा हो जाता है जिससे उसमें बोई हुई फसल बिल्कुल ख़राब हो जाती है और कम क़ीमत की होती है इसके अतिरिक्त उस ज़मीन की मालियत भी बहुत कम हो गई है।

५—वादी की हानि इस प्रकार हुई है।

(अ) फसल का नुकसान......रु०।

(ब) ज़मीन की कम क़ीमत ...रु०।

६—प्रतिवादी अब भी खेत को खोद रहा है और उसका इरादा कंकड़ निकालने और खुदाई जारी रखने का है। यदि उसको न रोका जाय तो वादी को और भी हानि पहुँचने का भय है।

७—अभियोग कारण—

८—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(अ) वादी को हर्जे का......रु० प्रतिवादी से दिलाया जावे।

(ब) प्रतिवादी को निषेधाज्ञा दी जावे कि वह कोई ऐसा काम न करे जिससे वादी की भूमि को हानि पहुँचे।

(ज) नालिश का खर्चा दिलाया जावे।

*(९) हानिकारक कारखाना जारी रखने पर दावा

१—वादी......नामक जमीन वाके स्थान..... पर क़ाबिज़ है और उन सब अवसरों पर जिनकी बाबत इस अर्जी दावे में बयान किया गया है क़ाबिज़ रहा।

२—ता०......से प्रतिवादी के धातु गलाने के कारखाने से धुआँ और बदबू इत्यादि हानिकारक चीजें अधिक तादाद में निकलनी शुरू हुई जो उस जमीन पर फैलती हैं जिससे हवा खराब होती है और वह जमीन की मिट्टी पर जम जाती है।

३—इसकी वजह से उस ज़मीन की फसल इत्यादि को बहुत नुक़सान पहुँचता है और उनकी क़ीमत भी कम आती है। वादी के पशु व जानवर इत्यादि उससे दुर्बल व बीमार हो जाते हैं और बहुत से उसके ज़हर से मर भी गये।

४—वादी उस ज़मीन में इसी कारण से अपने चौपाये, भेड़, बकरी इत्यादि नहीं चरा सकता, जो कि वह कारखाने के न होने पर कर सकता था और उसको अपने पशु, भेड़, बकरी इत्यादि वहाँ से ले जाने पड़े और उस जमीन के लाभ व अधिकार से वंचित रहा।

(१०) हानिकारक कारखाना शुरू करने पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—प्रायः १५ साल से क़स्बा खुर्जा में भूमि नम्बरी.. ...वादी का फल फूल का बाग है जिसमें फसल में तरह २ के फल फूल उत्पन्न होते हैं।

२—इस भूमि के ठीक पश्चिम की ओर उससे २० गज की दूरी पर भूमि नम्बरी .. ..है जिसका रक़बा ५ बीघा है और जिसका कि मालिक व क़ाबिज प्रतिवादी है।

३—यह ज़मीन सदा से खेती बारी के काम में आती रही परन्तु पिछले अक्टूबर से प्रतिवादी ने उस जमीन में ईंट पकाना और उसके पकाने के लिये एक ८० गज़ लम्बा

---

* नोट—See C. P. C. Sch. I, App. A, Form No. 24

भट्ठा वादी की ज़मीन के सहारे २ तैयार करना शुरू किया है और उसके लिये लोहे की चिमनी तैयार हो रही है।

४—प्रतिवादी का उस भट्ठे में ईंट पकाने का इरादा है। भट्ठे की हवा वादी के फल फूल दार पेड़ों को अत्यन्त हानिकारक होगी, और बहुत से पेड़ों के जलने का डर है और चिमनी की राख और धुएँ से बाग व पेड़ इत्यादि की सफाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।

५—प्रतिवादी को ऐसा काम शुरू करने का कोई अधिकार नहीं है और वह वादी के मना करने पर भी नहीं मानता।

६—अभियोग कारण—

७—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(अ) प्रतिवादी को निषेधाज्ञा दी जावे कि वह अपनी भूमि नं०......में कोई भट्ठा न बनावे और न उसको चलावे।

(ब) खर्चा व सूद दिलाया जावे।

* (११) विशेष रास्ता बन्द करने पर

१—वादी एक मकान का, जो ग्राम .. ..में स्थित है, अधिकारी है और प्राचीन काल से उस पर क़ाबिज़ रहा है।

२—वादी इस बात का हक रखता है कि प्रत्येक फसल में स्वयं अथवा अपने नौकरों के (चाहे घुड़सवार या प्यादा) सहित अपने घर से......खेतों में होकर ग्राम सड़क तक जाया करे और वहाँ से उसी रास्ते से होकर लौट कर आवे।

३—प्रतिवादी ने ता० . . को उस गली (रास्ता) को अनुचित रीति से बन्द कर दिया जिससे वादी सवारी पर या पैदल या किसी प्रकार से आ जा नहीं सकता (और उसी समय से उस रास्ते को अनुचित रीति से बन्द कर रक्खा है)।

४—(यदि कोई विशेष हानि हुई हो तो लिखी जावे)।

(१२) सार्वजनिक रास्ता बन्द करने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—प्रतिवादी ने सार्वजनिक रास्ते में अनुचित व बेढंगे तरह से एक खाई खोद

---

* नोट—यह ज़ाब्ता दीवानी के परिशिष्ट (१) के अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नं० २५ है।

कर मट्टी और पत्थर जो......से......तक है इस प्रकार से एकत्रित कर रक्खा है कि रास्ता बन्द हो गया है ।

२—वादी, जो उस रास्ते पर न्याययुक्त और उचित कार्य से निकलता था उस मिट्टी और पत्थर के ढेर पर (या उस खाई में) गिर पड़ा जिससे वादी का हाथ टूट गया और उसने बड़ा कष्ट उठाया और अपना काम काज करने से भी बहुत समय तक लाचार रहा और इलाज करने में भी खर्चा लगाना पडा ।

३—अभियोग कारण—

४—दावे की मालियत—

* वादी की प्रार्थना—

†(१३) हानिकारक वस्तु के हटाने के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है ।

१—वादी मकान नम्बर......स्थित सड़क......शहर......का पूरा मालिक है और सदैव उस सम्पूर्ण समय में जिसका बयान नीचे दिया हुआ है, मालिक रहा ।

२—प्रतिवादी उस भूमि का पूरा मालिक है जो...... सड़क पर स्थित है और उस सम्पूर्ण समय के लिये जिसका बयान है मालिक रहा ।

३—प्रतिवादी ने उस भूमि पर ता०......से पशु-वध का एक स्थान नियत किया है और वह ज़िबह करने का स्थान अब भी मौजूद है । वह उसी समय से जानवरों को वहाँ मँगा कर जिबह कराया करता है और खून व हड्डी इत्यादि उस सड़क पर फिकवा देता है जो वादी के मकान के सामने है ।

४—उपरोक्त कारणों से वादी को मकान छोड़ना पड़ा और वह उसको किराये पर भी नहीं चला सकता ।

(१४) इसी प्रकार का अन्य अभियोग

१—दोनों पक्षों के घर, कस्बा कासगंज मे एक दूसरे से मिले व सटे हुए हैं, सिर्फ एक दीवार बीच में स्थित है ।

२—वादी, वैद्यक का पेशा करता है और मकान के एक हिस्से में निवास करता है

* नोट—यह ज़ाब्ता दीवानी के परिशिष्ट १ के अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नं० २६ है ।

† नोट—यह जाब्ता दीवानी के परिशिष्ट १ के अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नं० ३६ है ।

और मकान के दूसरे हिस्से में उसकी बैठने की जगह है जहाँ पर वादी के पास हर प्रकार के रोगी इलाज कराने के लिये आते हैं और बैठते उठते हैं।

३—प्रतिवादी मिले हुये मकान को अभी तक उठने बैठने के काम में लाता था परन्तु ४—६ महीना से उसने उस मकान में लोहे की कड़ाही बनाने का कारखाना खोल रक्खा है।

४—उस मकान में रात दिन लोहार व मजदूर बड़े २ हथौड़ों से लोहे के तवों को पीटते हैं जिसके कारण से ऐसा शोर रहता है कि वादी के मकान में साधारण बोल चाल सुनाई नहीं देती और हथौड़ों की आवाज़ के कारण मनुष्य सुख से सो नहीं सकते। अधिक शोर होने के कारण से वादी के हर काम में विघ्न पड़ता है और कानों को भी उसकी आवाज़ बुरी मालूम होती है जिससे कानों को सुनने में और तन्दुरुस्ती में बहुत बुरा प्रभाव पड़ने का भय है।

५—प्रतिवादी से उस कारखाने के हटाने के लिये कहा गया परन्तु वह ध्यान नहीं देता है।

(१५) हानिकारक व दुखदाई वस्तु के हटाने के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—स्थान हरदुआगंज जिला अलीगढ़ में गली मानसिंह के अन्दर प्रतिवादी का मकान गली के किनारे पर ही है।

२—वह बहुत दिनों का बना हुआ, और टूटी फूटी हालत में है। उसकी दो मंज़िला दीवार जो रास्ते के किनारे है तीन चार जगह फट गई है और कई जगह ईंटों की छाल गिर पड़ी है और दोनों कोनों की दीवारों से उसका जोड़ १—४ इंच हट गया है।

३—वादी का मकान गली मानसिंह में अन्दर की ओर स्थित है और उसका दूकान के लिये रास्ता, जो कि बाज़ार में है, प्रतिवादी की दीवार के नीचे हो कर है और प्रति दिन वादी वहाँ होकर आया जाया करता है।

४—उस दीवार के गिर जाने और उसके नीचे आदमी दब जाने या हानि पहुँचने का भय हर समय रहता है। चूँकि अब बरसात शुरू होने वाली है इसलिये दीवार के गिरने का और भी डर है।

५—वादी ने उस दीवार को एक अनुभवी इनजीनियर को दिखाया जिसकी रिपोर्ट साथ २ पेश की जाती है। उससे प्रगट होगा कि दीवार का इस हालत में रहना ख़तरनाक है और रास्ता निकलने वालों के दब जाने का डर है और बरसात में वह खड़ी नहीं रह सकती है।

६—प्रतिवादी से कई बार उसके तोड़ने या उसकी रक्षा के लिये और कुछ प्रयत्न करने के लिये कहा गया परन्तु वह ध्यान नहीं देता।

७—अभियोग कारण—(प्रतिवादी को सूचित करने के दिन से)।

८—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) प्रतिवादी को आज्ञा दी जावे कि वह अपने मकान की दो मजिला दीवार को, जो कि गली मानसिंह के किनारे है गिरवा दे या उसकी रक्षा के लिये ऐसा प्रयत्न करे कि वह भयप्रद (खतरनाक) न रहे और उसके ऐसा न करने पर वह दीवार प्रतिवादी के खर्चे से गिरवा दी जावे।

(ब) नालिश का खर्चा इत्यादि दिलाया जावे।

(१६) मछली पकड़ने के स्वत्व के सम्बन्ध में

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—ग्राम......जिला.. ...में एक बहुत लम्बा चौड़ा तालाब है जिसके मालिक उसी गाँव के जमींदार लोग हैं।

२—उस तालाब में मछली पकड़ने का पहिली जनवरी से ३१ दिसम्बर सन् . .. का ठेका उन जमींदारों की ओर से वादी के पास था और वादी ठेकेदार की हैसियत से उस तालाब से मछली पकड़ता और बेचता है। असली ठेकानामा साथ साथ पेश किया जाता है।

३—ता० ..... को प्रतिवादी ने अपने अधिकार विरुद्ध उस तालाब में मछलियों का शिकार किया और वादी के रोकने पर भी नहीं माना और लगभग हर प्रकार की दो मन मछली पकड़ ले गया और अपने काम में लाया।

४—इन मछलियों का मूल्य लगभग . . रुपया है।

५—व्यवहार कारण—ता० .. . (मछली पकड़ने के दिन से) अदालत की अधिकार सीमा में उत्पन्न हुआ।

६—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना यह है कि—

(अ) प्रतिवादी को आदेश दिया जावे कि वादी के ठेका जारी रहने तक उस तालाब में मछली का शिकार न करे।

(ब) ......रु० हर्जा और नालिश का खर्चा इत्यादि दिलाया जावे।

(१७) पुल के ठेके में विघ्न डालने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी के पास स्थान अनूपशहर ज़िला बुलन्दशहर में गंगा नदी के पुल का १ अप्रैल सन् १६—से लेकर ३१ मार्च सन् १६—ई० तक का ठेका है।

२—उस ठेके की शर्तों के अनुसार किसी मनुष्य को यात्री, मवेशी या गाड़ी इत्यादि का अनूपशहर की सीमा से दो मील तक नौका, किश्ती या बोट या और किसी प्रकार से गंगा पार करने का अधिकार नहीं है। असली ठेकानामा नालिश के साथ २ पेश किया जाता है।

३—वादी के ठेके में प्रतिवादी रुकावट डालता है और पुल से दो फर्लाङ्ग की ही दूरी पर मवेशी और यात्रियों को प्रतिवादी नावों में गंगा पार ले जाता है और वहाँ से उनको वापिस लाता है।

४—वादी को जहाँ तक मालूम हुआ है प्रतिवादी ने नीचे लिखी हुई ठेके के विरुद्ध कार्रवाई की है—

(१) ता० . ..को प्रतिवादी .. ..यात्री गंगा पार ले गया।
(२) ता० . ..को प्रतिवादी .. ..मवेशी गंगा पार ले गया।
(३) ता०..... को प्रतिवादी . मुसाफिर गंगा पार से लाया।

५—प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी को हानि हुई और वह अपनी उस आमदनी से वञ्चित रहा जो उसको मिलती।

६—दावे का कारण, (धारा ४ में लिखी हुई तारीखों से)।

७—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है—

(अ) प्रतिवादी के नाम निषेध आज्ञा (हुक्म इमतनाई) घोषित हो कि वह अनूपशहर से दो मील की सीमा के अन्दर यात्री या मवेशी गंगा पार, किश्ती या किसी अन्य प्रकार से न ले जावे और न उस पार से अनूपशहर को लावे।

(ब) हर्जे का . ..रु० प्रतिवादी से दिलाया जावे।

(१८) पैठ या बाजार में रुकावट डालने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी जहाँगीराबाद ज़िला बुलन्दशहर की २० बिस्वा ज़मींदारी का मालिक है।

२—इस क़स्बे में सैकड़ो साल से वादी की जमीन में हर हफ्ते बुध के दिन आस पास के गाँव के दूकानदार और जुलाहे, चमार, दर्जी इत्यादि अपना माल लाकर बेचते हैं और मवेशियों का क्रय विक्रय होता है।

३—वादी बाज़ार की जमीन का मालिक होने के कारण दूकानदार और माल बेचने वालों से किराया और मवेशी इत्यादि बेचने वालों से जमींदारी का हक़ वसूल करता है।

४—प्रतिवादी ने उस स्थान के पास जहाँ कि वादी का बाज़ार लगता है दो महीने से हर हफ्ते बुधवार के दिन एक दूसरा बाज़ार, अपने अधिकार विरुद्ध, लगाना शुरू कर दिया है जिससे वादी के बाजार में बहुत खराबी पैदा होती है और उसके किराये और हक़ ज़मींदारी में बहुत कमी हो गई है।

५—प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी का यह नुक़सान हुआ—

(यहाँ विवरण देना चाहिये)।

६—बिनायदावा—

७—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(अ) ......रु० हर्जा, प्रतिवादी से दिलाया जावे।

(ब) प्रतिवादी के नाम निषेध आज्ञा घोषित की जावे और उसको वादी के बाज़ार के पास दूसरा बाज़ार लगाने से या उसके बाज़ार में रुकावट डालने से रोका जावे।

(१९) पानी सींचने में रुकावट डालने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी, मुहाल रामबक्स, ग्राम.........में भूमि नम्बरी ३६६-३६८ का पैतृक अधिकार प्राप्त काश्तकार है।

२—इन दोनों टुकड़ो की सिंचाई, सदा से, भूमि नं० ३६७ के कुएँ से होती है और वादी को इनकी आबपाशी के लिये उस कुएँ से पानी लेने का अधिकार है।

३—रबी......फसली में वादी ने इन दोनों टुकड़ों में गेहूँ की खेती की थी और दिसम्बर...—ई० में फसल को सींचने की अत्यन्त आवश्यकता थी।

४—प्रतिवादियों ने बलपूर्वक वादी को यह फसल नहीं सींचने दी। उसको सींचने का कोई और प्रबन्ध नहीं था।

५—प्रतिवादियों की इस अनुचित कारवाई का यह फल हुआ कि गेहूँ की वह कुल फसल सूख गई और कुछ पैदावार नहीं हुई और वादी की गेहूँ की फसल और उसके भूसे की हानि हुई जो प्रायः... ..रु० की थी।

६—अभियोग कारण—(दिसम्बर सन् . . .से)।

७—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) . .रु० हर्जे का प्रतिवादी से वादी को दिलाया जावे।

(ब) प्रतिवादी के नाम आज्ञा घोषित की जाय कि वह कभी वादी को नं० ३६६-३६८ के सींचने के लिये नं० ३६७ के कुएँ से, पानी लेने से न रोके।

(२०) पानी बहने में रुकावट डालने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी एक इकमंजिला पक्के मकान (जिसकी चौहद्दी नीचे लिखी है) जो मुहल्ला मीरगंज इलाहाबाद में स्थित है, का मालिक व काबिज है।

२—यह मकान २० साल से अधिक का बना हुआ है और उसके दक्खिन की ओर बहुत दिनों से खाली ज़मीन पड़ी हुई थी जिसको लेकर प्रतिवादी ने..... ई० में मकान बनवाया है।

३—प्रतिवादी के मकान की उत्तरी दीवार वादी की दीवार के सामने है और बीच में प्रतिवादी ने सिर्फ २ फिट चौड़ी गली छोड़ी है जिसमें उसके मकान की ३ मोरी और २ परनाले गिरते हैं।

४—उस गली में इन परनाले व मोरियों के पानी निकलने का बहाव और निकास ठीक नहीं है जिसकी वजह से पानी वादी के मकान की दक्खिनी दीवार तक पहुँच जाता है।

५—सन्.. .. ई० में प्रतिवादी ने मिट्टी डलवाकर उस गली को ऊँचा करवा दिया है जिसके कारण पिछली बरसात में वादी की दक्खिनी दीवार एक फिट की ऊँचाई तक बिल्कुल गल कर खराब और कई जगह से फट गई है और उसमें होकर वादी के मकान में पानी चला आया और जिससे दीवार और फर्श को बहुत नुक़सान पहुँचा।

६—प्रतिवादी से इसके कारण को दूर करने को कहा गया लेकिन वह ध्यान नहीं देता।

७—दावे का कारण—

८—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) . .रु० हर्जा प्रतिवादी से वादी को दिलाया जावे।

(घ) इस बात की घोषणा कर दी जावे कि प्रतिवादी को बीच की गली इस प्रकार से रखने का या उसको ऊँचा कर देने का, जिससे बहाव का पानी वादी की दक्खिनी दीवार तक आ जावे, कोई अधिकार नहीं है।

(क) प्रतिवादी के नाम सर्वकालिक निषेधाज्ञा जारी किया जावे कि वह उस गली और अपने मकान को इस प्रकार से न रक्खे कि जिससे वादी को हानि पहुँचे।

(ख) इस नालिश का खर्चा इत्यादि दिलाया जावे।

(२१) प्रकाश के सुखाधिकार पाने के लिये निषेधाज्ञा का दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी एकमंजिला पक्का मकान, स्थित मुहल्ला लखपती शहर हाथरस (जिसकी चौहद्दी नीचे लिखी है) का मालिक और काबिज़ है।

२—इस मकान की पहिली मंज़िल की दक्खिनी दीवार में, रसोईघर में हवा और उजेला आने और धुआँ निकलने के लिये दो जंगलें हैं और दूसरी मंज़िल में उसी ओर बैठने के कमरे में हवा और रोशनी आने के लिये दो जंगलें हैं और यह चारों जंगलें २० साल से अधिक से इसी दशा में स्थित हैं और वादी के काम में आते हैं और उनको स्थापित रखने का उसको अधिकार प्राप्त है।

३—दस दिन हुए कि प्रतिवादी ने उस दीवार से मिला हुआ मकान बनवाना शुरू किया है कि जिसके न रोके जाने पर चारों जंगलों से हवा और उजेले का आना और रसोई-घर से धुएँ का निकलना बिल्कुल बंद हो जावेगा।

४—प्रतिवादी से तामीर रोकने के लिये कहा गया परन्तु वह ध्यान नहीं देता।

५—अभियोग कारण—

६—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) प्रतिवादी को आज्ञा दी जावे कि वह उस मकान को इस प्रकार से न बनवाये जिससे वादी के जंगलों से रोशनी व हवा आना बंद हो जाय।

(ब) यदि नालिश फैसिल होने तक वह तामीर पूरी हो जावे तो वह गिरवा दी जावे और उसके न तोड़ने पर जो वादी को हानि हो, दिलाई जावे।

(ज) नालिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे।

(२२) विशेष मार्ग से आने जाने की बाबत

१—मुहल्ला काजीपाड़ा शहर आगरा में वादियों के मकान . . कूचे में स्थित हैं। वादियों के अतिरिक्त, और किसी आदमी का उस कूचे में आना जाना नहीं होता।

२—यह कूचा पश्चिम की ओर आम सड़क पर निकलता है। उसमें होकर बहुत से बाजार के मवेशी, जो कि पास ही में हैं वादियों के सामने लगी हुई फुलवाड़ी और बगीचे को नाश कर जाते थे, इसके रोकने के लिये वादियों ने बहुत दिनों से उस कूचे में एक फाटक लगवा दिया।

३—ता०. . ...को प्रतिवादी बिना अधिकार घोड़ा गाड़ी समेत उस कूचे में घुस गया और वादियों के लगाये हुए फाटक और दरवाजे को गिरवा कर उसने अनुचित रूप से रास्ते का प्रयोग किया।

४—वादियों के मना करने पर भी प्रतिवादी अपनी अनुचित कार्रवाई जारी रखता और उस रास्ते से आता जाता है।

(हुक्म इम्तनाई व हर्जे के लिये प्रार्थना होगी)

४१—असावधानी, गफलत या लापरवाही

(Negligence)

असावधानी या गफलत के दावे या जवाबदावे में वे घटनाएँ लिखी जानी चाहिये जिनसे एक पक्ष के अनुसार दूसरे पक्ष की असावधानी प्रमाणित हो। ऐसी घटनाओं का उल्लेखन किये बिना सिर्फ यह लिख देना कि दूसरे पक्ष ने गफलत या लापरवाही की, पर्याप्त नहीं होता। उन घटनाओं से यह प्रगट होना चाहिये कि उत्तरदायी पक्ष का अमुक कर्त्तव्य था और उसने उसकी पूर्त्ति नहीं की या कि उसके विरुद्ध कार्य्य किया।

असावधानी के लिये जिम्मेदारी उसी व्यक्ति पर होती है जो कि असावधान था परन्तु विशेष दशाओं में एजेन्ट और नौकर की ग़फलत के लिये भी उसका मालिक जिम्मेदार होता है। अदालत दीवानी के मुक़दमों में गफलत से प्राय: हर्जा लेने की जिम्मेदारी पैदा होती है और हर्जे की संख्या अदालत शारीरिक व मानसिक कष्ट और आर्थिक क्षति का अनुमान करके नियत करती है इसलिये गफलत व असावधानी के दावों में जो हर्जा माँगा जावे उसमें हर प्रकार के हर्जे का विवरण देना चाहिये जिससे अदालत प्रत्येक प्रकार के हर्जे की संख्या उचित रूप से नियत कर सके। वही पुरुष हर्जा पा सकता है जिसको शिकायत की हुई गफलत से शारीरिक या मानसिक कष्ट हुआ या जिसके माल या जायदाद को नुकसान पहुँचा।

यदि नालिश के पहले या नालिश करने के बाद उसकी मृत्यु हो जावे तो उसके उत्तराधिकारियों को, वादी की विशेष दशाओं के अतिरिक्त हर्जा पाने का स्वत्व नहीं रहता। परन्तु रेल या मोटर की दुर्घटनाओं में, प्रतिवादी की गफलत या लापरवाही से किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिस एक्ट १३ सन् १८५५ (Fatal Accidents Act) के अनुसार हरजाने का दावा कर सकते हैं पर वह उसी हालत में हो सकता है जब कि यदि मृतक की मृत्यु न हुई होती तो वह हानि पहुँचने का दावा कर सकता। यह दावे स्त्री, पुरुष, माता, पिता, पुत्र, पुत्री, इत्यादि की तरफ ही से लाये जा सकते हैं इसलिये अर्जीदावे में वादी का मृतक से सम्बन्ध और मुआवज़े की तफ़सील देनी चाहिये। मृतक की मृत्यु से वादी को क्या हानि पहुँची और उसका कितना नुक़सान हुआ इन्हीं बातों के अनुसार मुआवज़ा दिलाया जाता है।

विधान की दृष्टि में ग़फ़लत या असावधानी तब ही उत्पन्न होनी कही जाती है जब प्रतिवादी कोई ऐसा काम न करे जो किसी विशेष अवसर पर या विशेष अवस्था में एक साधारण समझदार आदमी करता, या कोई ऐसा काम करदे जो एक साधारण समझ का आदमी उस दशा में न करता या यों कहना चाहिये कि प्रतिवादी का यह कर्त्तव्य होता है कि वह सावधानी बर्ते कि उसके किसी कार्य करने या उसके किसी कार्य न करने से दूसरे को क्षति न पहुँचे।[1] ऐसा कर्त्तव्य या तो आपस में प्रतिज्ञा से उत्पन्न होता है या साधारण प्रकार से किसी कानून या विधान से उत्पन्न होता है और प्रायः सभी को बर्तना होता है जैसे एक व्यक्ति के आम रास्ते को इस्तेमाल करने में दूसरे रास्ता चलने वालों को नुक़सान या चोट न पहुँचे।

प्रतिवादी, उसके नौकर या उसके एजैन्ट की असावधानी या लापरवाही से नुक़सान पहुँचने पर वादी को यह बातें दिखाना ज़रूरी हैं—

(१) वे घटनाएँ जिनसे प्रतिवादी का वादी के लिये कोई फर्ज़ साबित हो। अगर मुआहिदे से फर्ज़ पैदा हुआ हो तो अर्जीदावे में मुआहिदे का होना दिखाना चाहिये वरना ग़फ़लत या लापरवाही दिखाना चाहिये।

(२) वे घटनाएँ जिनसे इस फर्ज़ को अदा न होना ज़ाहिर हो।

(३) यह कि इस लापरवाही या ग़फ़लत से वादी को हानि पहुँची और उसका नुक़सान हुआ।[2]

रेल व मोटर के दुर्घटना इत्यादि के मामलों में ऐसी दुर्घटना से ही प्रतिवादी कम्पनी या उसके कर्म्मचारियों की असावधानी नहीं मान ली जाती, परन्तु यदि घटना ऐसी हो जो प्रायः बिना असावधानी के नहीं हो सकती थी, वहाँ पर

---

1 A I R. 1928 Cal 504, 1938 Rang 185

2 I L R 58 Bom 189, 175 I C 804

साधारण प्रमाण होने पर भी ऐसी असावधानी मान ली जाती है।[1] जहाँ पर आबादी के पास रेल की लाइन का फाटक हो और रेलवे कम्पनी फाटक को खुला रखे तो उसके अर्थ ये होंगे कि उसकी लाइन पर कोई गाड़ी इत्यादि आने जाने वाली नहीं है और जनता रास्ते को इस्तेमाल कर सकती है और यदि फाटक खुला होने पर रास्ता चलने वाले को रेल या ट्रोली इत्यादि से नुकसान पहुँचे तो रेलवे कम्पनी की असावधानी आसानी से मान ली जावेगी।[2]

मियाद—गफलत या असावधानी के दावों में कानून मियाद का आर्टिकिल ३६ लागू होता है और उसके अनुसार मियाद दो साल की होती है।

*(१) लापरवाही से गाड़ी हाँकने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी मोची है और अपना कारखाना स्थान ..में चलाता है और प्रतिवादी (स्थान) का सौदागर है।

२—ता० . ..को शहर कलकत्ते में दोपहर के तीन बजे वादी चौरंगी की सड़क पर होकर दक्खिन की ओर पैदल जा रहा था और उसको मिडिलटन स्ट्रीट को, जो चौरंगी को आती है, पार करना पड़ा। जब कि वह इस सड़क को पार कर रहा था और दूसरी तरफ की पटरी (पैदल चलने वालो के लिये रास्ता) पर पहुँचने ही को था, कि प्रतिवादी की एक गाड़ी जिसमे दो घोड़े जुते हुए थे और जिसको कि प्रतिवादी के नौकर हाँक रहे थे यकायक लापर्वाही से बिना रास्ता चलने वालो को होशियार किये, तेजी के साथ मिडिलटन स्ट्रीट से निकल कर चौरंगी में आई। इस गाड़ी की बम्ब से वादी को चोट लगी और उसके धक्के से वादी गिर पड़ा और घोड़ो के पाँव तले दब गया।

३—गिर पड़ने, कुचल जाने, और उसके धक्के से वादी का बाँया हाथ टूट गया और उसके पहलू और पीठ में और शरीर के अन्दर भी धक्का पहुँचा जिसकी वजह से वह घर में .. महीने तक बीमार पड़ा रहा और बहुत कष्ट उठाता रहा और अपना कामकाज न कर सका। इसके अतिरिक्त डाक्टरो की फीस व दवा इत्यादि में .. रु० खर्च हुआ और उसके कारोबार के लाभ में बहुत कमी हो गई।

४—अभियोग कारण—

५—दावे की मालियत—

(वादी की प्रार्थना)

---

1 Scot v L D Company, 13 W R. 410 also 5 Q B 747

2 I. L R. 53 All 943; 16 Pat. 672, 41 Cal 708

* नोट—See C P. C Sch I, App A, Form No. 30.

(२) मोटर लापरवाही से हाँकने पर हर्जे का दावा

(सिरनामा)

१—वादी एक ताल्लुकेदार है और लगभग ४००००) रु० सालाना मालगुजारी सरकारी देता है और प्रथम श्रेणी का आनरेरी मजिस्ट्रेट और प्रांत की कौंसिल का सदस्य है।

२—ता०......को वादी अपनी जोड़ी में शहर अलीगढ़ से आगरे को जाने वाली सड़क पर हवा खाने के लिये जा रहा था।

३—अलीगढ़ से लगभग ४ फर्लांग की दूरी पर यह सड़क एक दूसरी सड़क से, जो हाथरस से अलीगढ़ को आती है, मिल जाती है। उसी तारीख को प्रतिवादी उस समय अपनी मोटरकार में हाथरस वाली सड़क पर अलीगढ़ की तरफ आ रहा था।

४—जबकि वादी की गाड़ी दोनों सड़कों के चौराहे से गुज़र रही थी, प्रतिवादी के मोटर हाँकने वाले ने मोटर को ऐसी लापरवाही और असावधानी से चलाया कि वह बड़े ज़ोर और तेजी के साथ वादी की गाड़ी से टकरा गई जिसका नतीजा यह हुआ कि वादी गाड़ी से गिर गया और उसके बहुत चोट आई।

५—वादी को इस चोट के कारण डाक्टरी इलाज में रुपया खर्च करना पड़ा और उसकी गाड़ी को नुकसान पहुँचा, घोड़े के घाव और खुर्सट हो गई और वादी तीन हफ्ते तक अपना मामूली कारोबार नहीं कर सका।

६—प्रतिवादी की लापरवाही यह थी कि उसने कोई सूचना देने का बिगुल नहीं बजाया और एकबारगी तेज़ी के साथ मोटर को वादी की गाड़ी से लड़ा दिया।

७—वादी को नीचे लिखी हुई हानि हुई—

(यहाँ पर हर्जा व हानि लिखना चाहिये)।

*(३) रेल की सड़क पर, प्रतिवादी की लापरवाही से चोट लगने पर

(सिरनामा)

(अ—ब) वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—ता०......सन्......को प्रतिवादी साधारण रूप से यात्रियों को रेलगाड़ी से, स्थान......से स्थान......को पहुँचाया करते थे।

२—उस ता०......को वादी प्रतिवादी की रेल गाड़ियों में से, एक गाड़ी पर सवार था।

---

*NOTE—See C. P- C Sch. I, App A, Form No. 29.

३—इसी यात्रा में स्थान... ..पर (या स्टेशन .....के पास, या स्टेशन......और स्टेशन......के बीच में) प्रतिवादी के नौकरों की भूल और असावधानी से रेल लड़ गई जिसके कारण से वादी को बहुत चोट पहुँची (टाँग टूट गई या सर फट गया या जो कुछ हानि पहुँची हो) और उसके इलाज में बहुत खर्चा हुआ और वादी हमेशा के लिये अपना कारबार करने से मजबूर हो गया।

या

४—उस ता० . ..को प्रतिवादी के नौकरों ने ऐसी लापरवाही और भूल से एञ्जन और उसके पीछे लगी हुई गाड़ियों को प्रतिवादी की रेलवे पर जिससे वादी उस समय अधिकार युक्त जा रहा था, हाँका व चलाया कि वादी को धक्का लगा और उसको यह चोट लगी (यहाँ पर चोट का विवरण देना चाहिये)

(४) गाड़ी लड़ जाने से चोट आ जाने पर यात्री का हर्जे के लिये रेलवे पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—ता०......को वादी प्रतिवादी कम्पनी की रेलवे पर अलीगढ़ स्टेशन से गाज़ियाबाद के लिये दो बजे की गाड़ी पर दूसरे दर्जे का किराया देकर एक द्वितीय श्रेणी के डब्बे में सवार हुआ।

२—प्रतिवादी कम्पनी के नौकरों की लापरवाही और भूल से चोला और सिकन्दराबाद स्टेशनों के बीच में यह गाड़ी गाजियाबाद से अलीगढ़ को आती हुई माल गाड़ी से टकरा गई और उसके धक्के से वादी अपने स्थान से नीचे गिर गया, उसकी दाहिनी बाँह की हड्डी टूट गई और दो दाँत हिल गये और कुल शरीर को धक्का लगा।

३—इस चोट लगने के कारण वादी दो हफ्ते तक अस्पताल में पड़ा रहा और अपनी नौकरी पर नहीं जा सका। इसके अतिरिक्त डाक्टरों की फीस इत्यादि में खर्चा करना पड़ा जिसका विवरण यह है—

(अ) १५ दिन ता०......से ता०... ..तक का हर्जा .....२५०) रु०

(ब) दस बार की डाक्टर की फीस ५०) रु०।

(क) नौकर व दवाई इत्यदि का खर्चा १००) रु०।

४००) रु०

(५) मृतक के दायभागियों की ओर से हर्जे के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करते हैं—

१—श्री मोहनलाल, वादी नं० १ का पति और वादी २ व ३ का पिता था और डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर के ओहदे पर ६००) रु० मा० के हिसाब से सरकारी नौकर था और उसकी आमदनी से कुटुम्ब का पालन-पोषण होता था।

२—उक्त मोहनलाल अम्बाले से कानपुर के लिये प्रतिवादी कम्पनी की रेलवे पर ता०......को दो बजे दिन को सवार हुआ।

३—वह गाड़ी पानीपत और देहली स्टेशनों के बीच में एक दूसरी तरफ की आने वाली माल गाड़ी से टकरा गई और उक्त श्री मोहन लाल की, जो कि एञ्जिन के बाद की गाड़ी में बैठा हुआ था उस गाड़ी के साथ जल कर मृत्यु हो गई।

४—यह घटना प्रतिवादी कम्पनी के नौकरों की असावधानता और भूल से हुई क्योंकि उन्होंने एक ही समय पर दो गाड़ियों को लाइन पर छोड़ दिया और लाइन खाली होने की बाबत उचित सावधानी नहीं की।

५—मोहनलाल की असमय मृत्यु से वादी असहाय और बिना रक्षा व परवरिश रह गये। वादी नं० १ एक वृद्धा और अनपढ़ स्त्री है और वादी नं० २ व ३ अभी अवयस्क (नाबालिग़) हैं और स्कूल में पढते हैं।

६—वादियो का उक्त मोहन लाल की मृत्यु हो जाने के बाद इस प्रकार खर्चा व हर्जा हुआ है (खर्चे और हर्जे की तफसील)।

७—दावे का कारण (दुर्घटना के दिन से)

८—दावे की मालियत—

वादियों की प्रार्थना—

(६) रेलवे कम्पनी पर माल न हवाला करने का दावा

१—ता०...... को वादी ने २०० बोरे सरसो जौनपुर से फिरोजाबाद को किराया देकर ले जाने और वहाँ पर अब्दुलमजीद अब्दुलहमीद सौदागरो को डिलीवर (हवाला) करने के लिये प्रतिवादी कम्पनी के नौकरों के हवाले किये और उचित रीति से रेलवे रसीद नम्बरी......प्राप्त की।

२—प्रतिवादी कम्पनी ने कुल २०० बोरियो में १५० बोरी उक्त सौदागरों को

हवाला कर दीं और बक़ाया ५० बोरी प्रतिवादी कम्पनी या उसके नौकरो ने या तो स्वयं रखलीं या लापरवाही से वादी की आज्ञा विरुद्ध किसी दूसरे पुरुष के हवाले कर दी।

३—वादी का हर्जा इस प्रकार हुआ—

(हर्जे की तफ़सील)

४—प्रतिवादी को वादी के दावे की सूचना नियमानुसार धारा ७७ रेलवे एक्ट के अनुसार दी जा चुकी है।

(७) माल न हवाला करने और हानि होने पर, रेलवे कम्पनी पर दावा

१—ता०......को वादी ने २०० बोरी गेहूँ......स्टेशन पर प्रतिवादी कम्पनी को किराया देकर..... स्टेशन ले जाने और वहाँ वादी को हवाला करने के लिये दिये और रेलवे रसीद नं०......उसी तारीख़ को प्राप्त की।

२—यह माल ता०......को स्टेशन......पर पहुँचा लेकिन २०० बोरी में से २५ बोरी कम थीं और ४५ बोरी पानी से भीगी हुई थीं जिससे उनका अनाज बिल्कुल सड़ गया था और किसी काम का नहीं रहा, कुल १३० बोरी अच्छी दशा में थी।

३—जांच करने पर मालूम हुआ कि उस वैगन (Wagon) की, जिसमें कि प्रतिवादी कम्पनी ने लाद कर यह बोरियाँ भेजी थीं छत टूटी हुई थी और बरसात होने के कारण से मेंह का पानी वैगन में भर जाने से बोरियाँ भीग गईं और अनाज खराब हो गया। वादी को यह हानि प्रतिवादी कम्पनी के नौकरों की भूल और लापर्वाही से हुई और २५ बोरी या तो प्रतिवादी कम्पनी के नौकरों ने चोरी कर ली या उनकी असावधानता और बे एहतयाती से कम हो गईं। वादी को सिर्फ १३० बोरी की डिलीवरी दी गईं।

४—धारा ७७ रेलवे एक्ट के अनुसार वादी ने अपने दावे की सूचना उक्त रेलवे कम्पनी के एजेन्ट को छः महीने के अन्दर दी थी परन्तु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया।

५—वादी का हर्जा इस प्रकार हुआ—

(हर्जे का विवरण)

(८) अधिक किराये की वापसी के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी ने ता०... ..माह..... सन्......ई० को प्रतिवादी कम्पनी की मारफत २५० बोरी गेहूँ किराया देकर अलीगढ़ से बनारस भेजने का मुआहिदा किया और उक्त कम्पनी ने वह माल अलीगढ़ से बनारस पहुँचा दिया।

२—प्रतिवादी कम्पनी ने इन बोरियों का रेलवे की किताब में लिखी हुई दर से जो ऐसे माल पर लगती है अधिक किराया माँगा, और जबतक कि वादी इस अधिक दर से किराया अदा न करे माल की डिलीवरी देने से इनकार किया।

३—वादी को अधिक किराया अदा करना पड़ा और उसने ता०...मा०...सन् ......ई० को किराया देकर माल की डिलीवरी ले ली।

४—प्रतिवादी कम्पनी ने इस प्रकार अधिक किराया वसूल किया –

सख्या बोरी..............................	बोरा
वज़न माल..............................	मन
नियम पूर्वक दर..............................	रु०
नियम के दर से कुल किराया..............................	रु०
किराया जो कम्पनी ने वसूल किया..............................	रु०
किराया जो कम्पनी पर अधिक पहुँचा..............................	रु०

५—अधिक दिये हुए रुपये पर वादी हर्जा के रूप में १) रुपया सै० मा० का सूद पाने का हकदार है।

६—अभियोग कारण—(......किराया वसूल करने के दिन से)।

७—दावे की मालियत—

८—प्रतिवादी कम्पनी के एजेन्ट को धारा ७७ रेलवे एक्ट के अनुसार ता०......ई० को, वादी नोटिस दे चुका है।

(वादी की प्रार्थना)

(९) रेलवे कम्पनी के ऊपर, भूल से फाटक न बन्द करने और हानि पहुँचने पर दावा।

१—प्रतिवादी कम्पनी की रेलवे लाइन, अलीगढ़ से रामघाट को जाने वाले पक्की सड़क को उत्तर-पूरब कोण की तरफ़ स्टेशन से लगभग दो फर्लांग के फासले पर, पार करती है और उस स्थान पर एक फाटक है जिसको फाटक रामघाट कहते हैं।

२—उस फाटक के ऊपर एक लैम्प लगी हुई है जो रात के समय फाटक खुला होने पर सफेद और बन्द होने पर लाल रोशनी दिखलाती है।

३—ता०......को वादी आगरे की गाड़ी से सवार होने के लिये रात के ११ बजे अपनी टमटम पर जा रहा था। वादी दूर से सफेद रोशनी देख कर और फाटक खुला पाकर बे रोक, टमटम को हाँके हुये रेलवे लाइन पर चला जा रहा था।

४—रेलवे लाइन पर उस समय एक माल गाड़ी शनटिंग (Shunting) कर रही थी। उसका धक्का बड़े जोर से वादी की गाड़ी को लगा।

५—धक्के से वादी टमटम से दूर जा पड़ा और उसकी सीधी बाँह और सीधी टाँग में गहरी चोट आई और कुल शरीर को झटका पहुँचा। घोड़ा घायल होकर एक तरफ़ गिर कर मर गया और टमटम चूर २ हो गई।

६—वादी को प्रतिवादी कम्पनी के नौकरों की भूल और असावधानी से अत्यन्त शारीरिक कष्ट और हानि हुई, क्योंकि उन्होंने लाइन को साफ़ नहीं रक्खा और न फाटक को उचित समय पर बन्द किया और वादी को टमटम हाँके हुये बिना रोक लाइन पर चला आने दिया।

७—वादी का हर्जा इस प्रकार हुआ।

शारीरक कष्ट व इलाज इत्यादि...... रु०।
टमटम को नुकसान.... . ... रु०।
घोड़े का मूल्य .... रु०।
कुल जोड़........ .... रु०।

(१०) लापरवाही से लोहे का तार और लाइन का दोरा ठीक न रखने पर रेलवे कम्पनी पर दावा

१—मुहाल......ग्राम......जिला......में भूमि नम्बरी......का वादी बहुत दिनों से दखीलकार काश्तकार है।

२—उस ज़मीन के एक हिस्से में छप्पर और फूस के बने हुए कई मकान हैं जिसमें वादी के चौपाये रहते हैं।

३—उस भूमि के उत्तर की ओर, कुल लम्बाई में प्रतिवादी कम्पनी की रेलवे लाइन है।

४—उस ज़मीन और लाइन के बीच में प्रतिवादी कम्पनी के लोहे के तार की रोक लगी हुई थी और उस तार के बाद कच्चा दोरा था जिस पर केवड़े की झाड़ी लगी हुई थी जिससे कि वादी के मवेशी लाइन पर जाने और कटने से बच जावें।

५—लगभग तीन महीने हुये कि लाइन का तार बिल्कुल टूट गया। कच्चा दोरा पहिले ही से जगह २ पर टूटा हुआ था और केवड़े के सूख जाने से चौपाये आसानी से रेलवे लाइन पर जा सकते थे। रेलवे कम्पनी ने इसको ठीक करने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया।

६—ता०......को वादी के दो बैल और एक भैंस जो कि उस भूमि में चर रहे थे प्रतिवादी की रेलवे लाइन पर चले गये और एक सवारी गाड़ी के हाँकने वाले की लापरवाही से कट कर मर गये।

७—दोनों बैल और भैंस की बाज़ारू क़ीमत......रु० थी।

८—विनायदावा (बैलों के कटने के दिन से)।

९—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(११) रोशनी न होने से शारीरिक चोट पहुँचने पर यात्री का रेलवे पर दावा

१—प्रतिवादी कम्पनी के चोला रेलवे स्टेशन पर टिकट घर से प्लेटफार्म जाने के लिये कुछ सीढियों पर होकर जाना पड़ता है।

२—ता०... ..वादी ने रात के दो बजे देहली जाने वाली गाड़ी के लिये टिकट घर से टिकट लिया और प्लेटफार्म की ओर गाड़ी पर चढने के लिये चला।

३ —वादी रास्ते से अपरिचित था और काफी रोशनी न होने से सीढ़ियों को न देख सका और न रोशनी इतनी थी कि सीढियाँ दिखाई देतीं।

४—वादी गिर गया और उसके कई जगह चोट आई, चोट की वजह से वादी अपना काम एक हफ्ते तक नहीं कर सका और उसका, इलाज में .....रु० खर्च हुआ जिसका विवरण यह है—

(यहाँ पर विवरण देना)

४२—स्वत्व आविष्कार (Patent)

पेटेन्ट एक ऐसा स्वत्व है जो किसी कल, मशीन या अन्य वस्तु के आविष्कार को एक विशेष अवधि तक, उस आविष्कार को सुरक्षित रखने और उससे लाभ उठाने का विधान से प्राप्त होता है। इससे ईजाद करने वाला अपनी मेहनत का फल भोग सकता है और अन्य पुरुष उसकी नक़ल करने या उससे अनुचित लाभ उठाने से रोके जा सकते हैं।

इस प्रकार का अधिकार किन दशाओं में और कहाँ तक आविष्कारक को प्राप्त है उसके सम्बन्ध में एक्ट २ सन् १९११ [1] देखना चाहिये। अर्जीदावे में वादी का पेटेन्ट का अधिकारी होना और प्रतिवादी का उसमें विघ्न डालना, कुल घटनाओं के साथ लिखना चाहिये। वादी हर्जा माँग सकता है या प्रतिवादी के मुनाफे का हिसाब तलब कर सकता है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी को रोकने के लिये निषेधाज्ञा (-हुक्म इमतनाई) भी निकलवा सकता है। [2]

---

1 Patent and Designs Act, II of 1911

2 A I R. 1936 Bom 99, 1938 Bom 347, I L. R 60 Bom 261

(१) पेटेन्ट ताले की नक़ल करने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी " जेवलाक " के नाम से प्रसिद्ध ताले की कारीगरी व बनावट का प्रथम और असली आविष्कारक है। इस ताले की कारीगरी और बनावट का विवरण सूची नं० १ में लिखा हुआ है जो साथ २ पेश की जाती है।

२—ता०..... को वादी ने इस ताले को पेटेन्ट नं०......करा लिया जो...... साल के वास्ते था और उसकी अभी तक अवधि समाप्त नहीं हुई।

३—प्रतिवादी ने पेटेन्ट के विरुद्ध कार्रवाई की और वादी के 'जेव-लाक' की तरह का और उससे शकल में मिलता हुआ ताला बनवा कर उसको 'जेवलाक' के नाम से प्रसिद्ध किया और बाज़ार में वेचता है।

४—ताले के उसी प्रकार के होने, शकल में मिलने और प्रायः नम्बर के अक्षर एक से होने से ग्राहकों को धोका हो जाता है।

५—वादी के ताले का मूल्य फी नग ५)रु० है और प्रतिवादी अपने तालों को ३) रु० के हिसाब से वेचता है। इस अनुचित कार्य से वादी को बहुत हानि हुई है।

६—अभियोग कारण—

७—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(अ) प्रतिवादी के नाम एक सर्वकालिक आज्ञा निकाली जावे कि वह अपने 'जेवलाक' नामक ताले को बनाने और वेचने से रोकदिया जावे और कभी कोई ऐसा कार्य न करे कि जिससे वादी के पेटेन्ट के अधिकार में विघ्न पड़े।

(ब) हर्जा व नालिश का खर्चा दिलाया जावे।

(२) मशीन के पेटेन्ट में विघ्न डालने पर

१—आसाम देश में वर्षों से वंसलोचन तैयार किया जाता है और उसके बनाने की कई रीतियाँ है।

२—वादी ने सन् १९२५ ई० में वंसलोचन बनाने और उसको शुद्ध करने का आविष्कार किया और एक मशीन बनाई और उसकी पेटेन्ट व डिज़ाइन्स एक्ट (Patent and Designs Act) के नियमानुसार रजिस्ट्री करा ली और सार्टिफिकट नं०... ..प्राप्त किया।

३—इस रीति से बंसलोचन साफ करने में बहुत कम लागत लगती है और स्वच्छ और उत्तम माल तैयार होता है।

४—प्रतिवादी बहुत दिनों से बंसलोचन के बनाने और सफाई का काम एक पुराने ढग से किया करता था। उसने वादी की रीति को उत्तम व लाभदायक देख कर उसकी नक़ल की और वादी की बंसलोचन साफ करने वाली मशीन के प्रकार की एक दूसरी मशीन बनवा कर उससे काम करने लगा।

५—प्रतिवादी की इस अनुचित कार्रवाई से वादी के व्यापार को बहुत हानि हुई और माल की बिक्री कम हो गई।

६—वादी का हर्जा इस प्रकार हुआ—

(यहाँ पर हर्जे का विवरण देना चाहिये)

७—वाद-कारण—(प्रतिवादी के मशीन बनाने और काम में लाने के दिन से)।

४३—कापीराइट (Copyright)

(पुस्तक प्रकाशित करने का अधिकार)

कापीराइट वह स्वत्व है जो किसी ग्रन्थकार, अनुवादक या उपदेशक को किसी पुस्तक, या निबन्ध या लेक्चर के प्रकाशित करने का एक नियत समय तक प्राप्त होता है। यह अधिकार भारत संघ में सुरक्षित है और ये दावे एक्ट ३ सन् १९१४ ई०[1] जिससे विलायत के क़ानून[2] की विशेष धारायें भारत संघ में प्रचलित कर दी गयी हैं; के अनुसार दायर किये जाते हैं। इन दावों में वादी हर्जा हिसाब और निषेधाज्ञा की प्रार्थना कर सकता है और जो किताब प्रतिवादी के पास हों उनके दिलाये जाने की प्रार्थना कर सकता है (इस सिलसिले में पद ४२ Patent का नोट भी देख लेना चाहिये)।

ग्रन्थकार या प्रकाशक के अधिकार की रक्षा का अभिप्राय यही होता है कि प्रतिवादी, वादी के परिश्रम का अनुचित लाभ न उठा सके। कापी राइट में विघ्न डालने पर वादपत्र (अर्जीदावे) में यह लिखना आवश्यक होता है कि प्रतिवादी ने, वादी के लिखे हुए ग्रन्थ, निबन्ध इत्यादि को, पूर्ण रूप से या अंशित रूप से स्वयं अपना लिखा हुआ प्रगट करके प्रकाशित किया अथवा उसकी ऐसी नक़ल की जिससे वादी के परिश्रम के फल को अपने परिश्रम का फल प्रगट किया।[3] यदि कोई

---

1 Indian Copyright Act

2 Imperial Copyright Act of 1911, 1 and 2 George 5 Ch. 46.

3. A. I R. 1924 P C 75, 22 A L J 473.

पुस्तक दूसरी पुस्तक या पुस्तकों की सहायता से तैयार की गई हो, जैसे कोई अनुवाद इत्यादि तो अन्य मनुष्य को भी वैसी ही पुस्तक तैयार करने का अधिकार होता है यदि वह स्वयं अपने परिश्रम और मिहनत से उसे तैयार करे और पहली प्रकाशित पुस्तक की नक़ल न करे या उसके विचारों का अनुचित लाभ न उठावे।[1]

वादपत्र में (१) वादी का कापीराइट का मालिक होना (२) और यह कि प्रतिवादी ने उसमें विघ्न डाला, लिखना जरूरी होता है। जिस प्रकार से विघ्न डाला हो उसका विवरण देना चाहिये। ऐसे दावे जिला जज की अदालत में दायर किये जाते हैं।[2] और दावा उस अदालत में दायर होना चाहिये जिसकी अधिकार सीमा में दावा करने का अधिकार पैदा हुआ या जहाँ पर विघ्न डाला गया।[3]

मियाद—विघ्न डालने की तारीख से मियाद ३ सालकी होती है।[4]

नोटः—कापीराइट के मुकदमें मुफ़स्सिल की अदालतों में बहुत कम होते हैं। यदि ऐसा मुकदमा दायर करना पड़े तो इंडियन कापीराइट एक्ट नं० ३ सन् १९१४ और इङ्गलिश कापीराइट एक्ट सन् १९११ की वे धारायें जो इस देश में प्रचलित हैं, देख लेनी चाहिये।

(१) दूसरी पुस्तक प्रकाशित करके कापी राइट में विघ्न डालने पर।

सिरनामा

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी......नामक पुस्तक का रचयिता और उसके कापीराइट का अधिकारी है।

२—प्रतिवादी ने उक्त पुस्तक से बहुत से निबन्ध लेकर......नामक एक नई पुस्तक बनाई और उसको छपवा कर स्वयं बेचता है।

३—इन निबन्धों का विवरण जहाँ तक वादी को मालूम हो सका है यह है—

(यहाँ पर नक़ल किये हुए विषय का, दोनों पुस्तकों के पृष्ठ इत्यादि सहित विवरण देना चाहिये)।

४—वादी की पुस्तक का मूल्य २) रु० प्रति है और प्रतिवादी अपनी पुस्तक १) रु० प्रति बेचता है।

---

1 1938 A. L. J. 390, I. L. R. 17 Cal 951

2 Sec. 13, Ind. Copyright Act

3 I. L. R. 33 All 24

4 Art. 40, Limitation Act

५—प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी की पुस्तक की बिक्री बहुत कम हो गई है और प्रतिवादी की छपवाई हुई ५०० पुस्तकों में से लगभग दो सौ बिक चुकी हैं और ३०० पुस्तक अब भी उसके पास मौजूद है।

६—प्रतिवादी से बिकी हुई किताबों का मूल्य अदा करने और शेष पुस्तकों को वादी के हवाले करने के लिये कहा गया और रजिस्ट्री किया हुआ नोटिस भी दिया गया लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और अब भी वादी के कापीराइट का उल्लंघन करके अपनी पुस्तक की बिक्री कर रहा है।

७—वाद-कारण—

८—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(अ) प्रतिवादी को आज्ञा हो कि वह......नामक पुस्तक की बिक्री का हिसाब पेश करे और जितनी किताब उसने बेची हों, उनकी क़ीमत हानि के बदले में वादी को दिलाई जावे।

(ब) प्रतिवादी को हुक्म दिया जावे कि.. ...नामक पुस्तक, जितनी उसके कब्जे में हों वादी के हवाले कर दे।

(क) प्रतिवादी के नाम एक सर्वकालिक निषेधात्मक आज्ञा (हुक्म इम्तनाई) जारी की जावे कि वह भविष्य में कभी... ..नामक पुस्तक की बिक्री न करे और न कोई ऐसा कार्य करे जिससे वादी के कापीराइट का उल्लघन हो।

*(२) नाटक के कापीराइट के सम्बन्ध में

१—वादी "मकतूल" नामक एक नाटक का ग्रथकर्ता और उसके कापीराइट का मालिक है। केवल उसी को थियेटरों में उस नाटक के खेलने का अधिकार है।

२—प्रतिवादी देहली के रामा थियेटर का मालिक है। उसने ता०..... को और लगातार उसके तीन दिन बाद तक वादी की बिना आज्ञा के और यह जानते हुए कि उसको बिना आज्ञा ऐसा खेल करने का अधिकार नहीं है, वह नाटक अपने थियेटर में खेला।

३—प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी का.........रु० का हर्जा हुआ।

---

*नोट—यदि दावा कला इत्यादि की किताब के बारे में हो तो इसी प्रकार का वादपत्र (अर्जीदावा) जरूरी काट छाँट करके लिखना चाहिये।

(३) संगीत के कापीराइट का उल्लंघन करने पर

(वाद शीर्षक)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी "रामगीतावली" नामक एक पुस्तक का ग्रन्थकर्ता है।

२—वादी उसके कापीराइट का भी मालिक है और अकेले उसी को यह स्वाँग गाने के साथ सर्वसाधारण के सामने खेलने का अधिकार है।

३—प्रतिवादी ने उक्त संगीत का खेल गाने बजाने के साथ......में ता०......को और उसके दो रोज़ बाद तक, वादी से बिना आज्ञा लिये हुये किया और उसके कापीराइट के अधिकार का उल्लंघन किया।

४—प्रतिवादी अब भी यह अनुचित कार्य्य करता है और उसका विचार इसको जारी रखने का है और मना करने पर नहीं मानता।

५—वाद-कारण—

६—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(हर्जा व निषेधात्मक आज्ञा के लिये)

४४—ट्रेड-मार्क (Trade-Mark)

(व्यापारी छाप या तिज़ारती निशान)

जब कोई मिल मालिक, व्यापारी या दूकानदार अपने कारखाने, कोठी या दूकान की बनी हुई या वहाँ से बिकने वाली वस्तु पर कोई विशेष चिन्ह या निशान अपना नियत करके लगाता है तो उसको ट्रेडमार्क, व्यापारी छाप या तिजारती निशान कहते हैं। ऐसे चिन्ह या निशान से सामान खरीदने वाला जान लेता है कि यह अमुक कारखाने का बना हुआ माल है और इससे कारखाने वाला या दूकानदार अपने व्यापार को सफल और लाभदायक बना सकता है और दूसरे व्यापारियों को उनकी बनाई हुई वस्तु पर वैसा चिन्ह या निशान लगाने से रोक सकता है।[1]

भारत में ट्रेड मार्क की रजिस्ट्री कराने के लिये विलायत की तरह कोई क़ानून नहीं है।[2] इस लिये वादपत्र में यह दिखाना होता है (१) कि

1 I L R 37 Cal 204, A I R 1940 Lah 909, 1930 Cal 678

2 I L R. 57, All 510, A I R. 1928 Cal 216.

यह माल किसी विशेष छाप या नाम से बाजार में प्रसिद्ध हो गया है और जनता उसको उस बनाने वाले ही का माल समझ कर खरीदती है [1] (२) और यदि प्रतिवादी ने उसकी नकल की हो तो यह कि प्रतिवादी ने ऐसा ट्रेडमार्क ग्रहण किया है जो वादी की छाप के रूप का और उससे मिलता हुआ है जिससे जनसाधारण को धोखा हो जाता है और वह उसको वादी का माल समझ कर खरीद लेते हैं।[2] (३) यह कि वादी को इससे क्षति हुई और उसको भविष्य में हानि होने की सम्भावना है। कापी राइट और पेटेन्ट के मुकदमों की तरह इन दावों में भी हर्जाने, हिसाब और निषेधात्मक आज्ञा के लिये वादी प्रार्थना कर सकता है।

वादपत्र में यह दिखाना आवश्यक नहीं होता कि प्रतिवादी का अभिप्राय धोखे से अपना माल वादी का माल प्रगट करके बेचने का था, केवल यह दिखाना यथेष्ट होता है कि प्रतिवादी का माल वादी के माल से रूप में इतना मिलता जुलता था कि असचेत खरीदार उसको वादी का माल समझते थे।[3] जहाँ वादी और प्रतिवादी दोनों का बनाया हुआ माल एक शकल का हो वहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य बात यह होती है कि एक साधारण खरीदार दोनों पक्षों के तैयार किये हुए माल में अन्तर तुरन्त ही समझ सकता है या नहीं।[4]

मियाद—इन दावों के लिये भी कानून मियाद के आर्टिकिल ४० के अनुसार विघ्न डालने की तारीख से ३ साल की मियाद होती है।[5] यदि प्रतिवादी विघ्न डालना जारी रक्खे तो ऐसी हर तारीख से तीन साल की मियाद बढ़ती रहती है।[6]

(१) ट्रेडमार्क उल्लंघन करने पर दावा

(वादशीर्षक)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी नीचे लिखी हुई व्योपारिक छाप (Trade Mark) नम्बर १ का मालिक व काबिज़ है।

२—वादी ने इस ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री .....(कानून) के अनुसार कराई थी और उसको मिला हुआ रजिस्ट्री का सार्टिफिकट (प्रमाण-पत्र) साथ साथ पेश किया जाता है।

1. I. L. R 59 Bom 373, A I R 1936 Mad 8
2 A I R 1939 P C 272, I L R 12 Rang 534
3 I L R 49 All 92, 57 Mad 600, 52 Bom 228
4 I L R 51 All 182, A I R 1935 Bom 101, I L. R 1937 Bom 183 F B
5 A I R 1919 P C 45
6 1913 P R 97

३—प्रतिवादी ने वादी के हानि पहुँचाने और स्वयं लाभ उठाने की नीयत से वादी के ट्रेडमार्क की तरह का एक दूसरा ट्रेडमार्क जो कि नीचे न० २ दिया गया है, लगा कर जनवरी सन्......से बेचना शुरू किया।

४—दोनों ट्रेडमार्क एक ही प्रकार के होने के कारण, ग्राहकों के धोखा हो जाता है और प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी के व्यापार के बहुत हानि पहुँची है।

५—प्रतिवादी के इस प्रकार का ट्रेडमार्क लगाने का कोई अधिकार नहीं है।

६—व्यवहार कारण—

७—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(अ) प्रतिवादी के नाम एक सर्वकालिक आज्ञा जारी की जावे कि वह नीचे लिखे ट्रेडमार्क नम्बरी २ के या वादी के ट्रेडमार्क न० १ से मिलते जुलते और किसी ट्रेडमार्क के काम में न लावे।

(ब) प्रतिवादी से, जनवरी सन्.. .से लेकर माल की बिक्री का हिसाब लिया जावे और जितना प्रतिवादी ने लाभ उठाया हो वह वादी के हर्जा के रूप में दिलाया जावे।

(क) खर्चा नालिश इत्यादि दिलाया जावे।

(विवरण ट्रेडमार्क न० १)

(विवरण ट्रेडमार्क न० २)

(२) इसी प्रकार का दूसरा वाद-पत्र

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी मक्खन की तैयारी और विक्रय का कारोबार करता है।

२—जो मक्खन के डिब्बे वादी के कारखाने में तैयार होकर निकलते हैं उन पर वादी की नीचे लिखी हुई व्यापारी छाप (ट्रेडमार्क) लगती है।

(यहाँ पर उस छाप का पूरा विवरण लिखना चाहिये)

३—यह छाप लगभग २५ वर्ष से वादी के यहाँ काम में लाई जा रही है और ग्राहक उससे वादी के माल की पहचान आसानी से कर लेते हैं और माल के शुद्ध और अच्छा समझ कर खरीदते हैं।

४—प्रतिवादी ने कुछ दिनों से मक्खन की तैयारी व बिक्री का काम शुरू किया है और वादी के व्यापार के हानि पहुँचाने के अभिप्राय से वादी के ट्रेडमार्क की तरह का एक ट्रेडमार्क अपने डिब्बों पर लगाता है जिसका विवरण यह है—

(यहाँ पर नकली छाप का विवरण लिखना चाहिये)

५—इस ट्रेड मार्क का वादी के ट्रेडमार्क से हमशकल होने और मिलने की वजह से ग्राहकों को धोका हो जाता है और वह प्रतिवादी के माल को वादी के कारखाने का माल समझ कर खरीद लेते हैं।

६—प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी को हानि हुई और उसकी बिक्री बहुत कम हो गई है।

७—हर्जे का विवरण यह है—

८—प्रतिवादी इस काम के करने से अभी बाज नही आता है और उसका इरादा इसके जारी रखने का है।

९—विनाय दावा—

१०—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना (हर्जा व हुक्म इम्तनाई के लिये)।

४५—गुडविल (Good-will)*

(व्यापार की नेक नामी)

जब कोई व्यापारी, दूकानदार या कारखाना एक समय तक स्थित रहे या किसी विशेष वस्तु को उत्तम प्रकार से बनाने के लिये प्रसिद्ध हो जावे तो ऐसी नेकनामी से उसको आमदनी होती है जैसे बहुत से प्रेस छपाई के काम के लिये प्रसिद्ध होते हैं, बहुत से दूकानदार अपनी ईमानदारी के लिये और बहुत से कारखाने अपने प्रत्युत्पादित वस्तुओं के लिये। ऐसी नेकनामी पर प्रतिवादी के अनुचित कार्य से बट्टा लगता है अथवा वादी के कार्य में विघ्न होता है और वह हर्जे का दावा दायर कर सकता है। एक व्यापारी या फर्म अपने नाम की गुड-विल या नेकनामी को दूसरे के हित में बेच सकते हैं अथवा परिवर्तन कर सकते हैं और परिवर्तन प्राप्त फर्म या व्यक्ति भी ऐसा दावा कर सकता है।

(१) व्यापार की नेकनामी का उल्लङ्घन करने पर

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है—

१—वादी बाजार अलीगढ में मगनीराम साधोराम के नाम से पसरहट्टे की दूकान करता है।

---

*नोट :—इन दावों के लिये भी खण्ड ४४ ट्रेड-मार्क का नोट देखना चाहिये। इस प्रकार की नालिशे बहुत कम होती हैं, यहाँ पर एक नमूना जानकारी के लिये दे दिया गया है।

४६—शारीरिक व सम्पत्ति सम्बन्धी अन्य अधिकार

इस भाग में आघात करने और चोट पहुँचाने (Assault and battery), अनुचित रुकाव डालने (False imprisonment), अपमान करने (Defamation) और अदालत में फौजदारी का मुक़दमा चलाने (Malicious prosecution) इत्यादि के दावे दिये गये हैं।

हमला व चोट पहुँचाने के दावों में प्रतिवादी का आघात करना, वादी को चोट पहुँचना और उसके कारण जो कुछ नुक़सान हुआ हो वाद-पत्र में लिखना चाहिये। अदालत फौजदारी से प्रतिवादी को उसी जुर्म के लिये दण्ड मिल जाने पर भी यह दावे किये जा सकते हैं लेकिन वहाँ से वादी को यदि कोई प्रतिकार या मुआवज़ा दिलाया गया हो तो वह हरजाना दिलाते समय अदालत ख्याल करेगी।[1]

ध्यान रहे कि जहाँ पर एक ही घटना या वारदात की बाबत अदालत फौजदारी में मुकदमा चल चुका हो और बाद को अदालत दीवानी में मुकदमा चले तो अदालत फौजदारी की तजवीज़ का कोई प्रभाव अदालत दीवानी की तजवीज पर नहीं होना चाहिये और अदालत दीवानी उस प्रमाण पर जो उसके सामने पेश किया जावे स्वयं निर्णय करेगी।[2] अदालत फौजदारी के फैसले का प्रायः इतना ही ख्याल किया जाता है कि वहाँ से किसी पक्ष पर कोई जुर्म साबित हुआ या वह बरी हुआ।

अनुचित रुकाव या हिरासत या बेजा हिरासत के दावो में वादी को बलपूर्वक या भय दिखाकर बिना विधानाधिकार रोकना, अथवा उसकी स्वतन्त्रता में बाधा डालना दिखाना चाहिये। अदालत में फौजदारी का मुकदमा चलाने पर नीचे लिखी यह सब बातें दिखाना चाहिये। (१) यह कि प्रतिवादी ने वादी के विरुद्ध फौजदारी में दावा दायर किया। (२) यह कि वह दावा वादी के अनुकूल निर्णीत हुआ। (३) यह कि वह अदालत में बिना किसी उचित कारण के किया गया था और (४) वादी को जो हानि पहुँची हो उसका विवरण।

किसी विशेष हानि के अतिरिक्त वादी अपमान, मानहानि और शारीरिक व मानसिक कष्ट का हरजाना भी माँग सकता है।[3] वह खर्चा जो वादी ने फौजदारी के मुक़दमें में अपनी रक्षा के लिये किया हो वह विशेष हानि में दिखाया

---

1 Sec 546, Cr P Code
2 A. I R 1935 Mad 563
3 I L R. 57 Cal. 25

हो सकता है।[1] प्रतिवादी के किसी जानवर के नुकसान करने पर, प्रतिवादी का जानवर का मालिक होना और उसका खतरनाक होना जानना, अर्जी दावे में लिखना चाहिये।

मियाद—इन चारों प्रकार के दावों में मियाद एक साल की होती है।[2]

(१) हमला किये जाने व चोट लगने पर हर्जे का दावा

(वाद-शीर्षक)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—पक्षकारों में एक जायदाद की बाबत मुक़दमा चल रहा है और प्रतिवादी बहुत दिनों से वादी से दुश्मनी मानता है।

२—ता०......को वादी बाज़ार......में प्रतिवादी की दूकान के सामने से निकल रहा था कि प्रतिवादी ने वादी पर हमला किया और लाठी से उसको मारा। लाठी की चोट से वादी का सर फट गया, दाहिने हाथ की एक अंगुली टूट गई और बाँई आँख में घाव हो गया।

३—इन चोटों के कारण वादी को एक महीने तक अस्पताल में इलाज कराना पड़ा और शारीरिक और मानसिक कष्ट के अतिरिक्त उसके कारोबार में हानि हुई और उसका इलाज में खर्चा हुआ।

४—वादी के हर्जे का विवरण यह है—

(यहाँ पर हर्जे का विवरण देना चाहिये)।

५—वाद-कारण—

६—वाद-मूल्य—

वादी की प्रार्थना—

(२) अनुचित रुकाव और मानहानि होने पर हर्जे के लिये दावा

(वाद-शीर्षक)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी फर्रुखाबाद में एक सम्मानित पुरुष है और वह व्यापार का काम करता है। इसके अतिरिक्त वह फर्रुखाबाद और मैनपुरी के ज़िलों में ज़मींदार और १६००) रु० सालाना का मालगुज़ार आयकर है और ५००) रु० सालाना इनकमटैक्स देता है।

1 A. I. R. 1935 Bom 355; 1933 Nag. 299
2 See Arts. 19, 22 and 23. Limitation Act

२—प्रतिवादी फर्रुखाबाद में पुलिस इन्सपेक्टर है और शहर के पुलिस स्टेशन पर नियुक्त है।

३—प्रतिवादी ने ता०... ..को वादी को एक कास्टेबिल की मारफत बुलाया परन्तु वादी उस समय पूजा में लगा हुआ था इसलिये उसने कहला दिया कि वह पूजा समाप्त होने के बाद आवेगा।

४—प्रतिवादी ने बिना सोच विचार किये वादी के नाम सफीना काट दिया और वादी को कास्टेबिल से तुरन्त पुलिस स्टेशन में पकड़वा बुलाया।

५—वादी के पुलिस स्टेशन पर पहुँचते ही प्रतिवादी ने बिना किसी कारण के अत्यन्त अनुचित शब्द वादी से कहे और यह भी कहा कि उसको सरकार बहादुर बनाम रामभजन के मुक़दमे में धारा ४०८ के अनुसार गवाही सरकार की ओर से देनी होगी।

६—वादी ने उस मुकदमे के हाल से अपरिचित होने के कारण झूठी गवाही देना अस्वीकार किया इस पर वादी ने एक कास्टेबिल को आज्ञा दी कि वह वादी को एक घंटे तक हिरासत में रक्खे।

७—वादी को एक घंटे हिरासत में रखने के बाद प्रतिवादी ने एक मुहर्रिर से कुछ लिखाकर, जिसकी वादी को सूचना नहीं है, वादी के हस्ताक्षर लिये और मुचलका लेकर उसको जाने दिना।

८—इस अनुचित व बेजा हिरासत से वादी को शारीरिक व मानसिक कष्ट हुआ और उसकी मानहानि हुई और वह अपने बराबर वालों और सर्वसाधारण की दृष्टि में अपमानित हुआ।

९—वादी मानहानि व हर्जे का... ..रु० प्रतिवादी से पाने का अधिकारी है जिसका विवरण यह है—

(यहाँ पर विवरण देना चाहिये)

१०—वाद-कारण—

११—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना

(३) इसी प्रकार का दूसरा वाद-पत्र

१—ता०......को वादी किराया देकर ईस्ट इंडियन रेलवे की डाक गाड़ी पर, सेकिंड क्लास में इलाहाबाद से कानपुर को जा रहा था।

२—प्रतिवादी कम्पनी के नौकरों ने फतहपुर के स्टेशन पर वादी के ऊपर हमला किया और बलपूर्वक उसको सिकन्ड क्लास की गाड़ी से उतार लिया। और वहाँ पर तीन घंटे तक अनुचित रीति से रोक रक्खा।

३—वादी का हर्जा इस प्रकार हुआ—

(यहाँ पर हर्जे का विवरण देना चाहिये)।

(४) झूँठा दोष लगाने और अपमान करने पर हर्जे के लिये दावा

१—वादी डाक्टर है और फतेहपुर सरकारी अस्पताल का असिस्टेन्ट सर्जन है।

२—ता० १७ मई सन् १६ .. ..ई० को प्रतिवादी ने वादी के सम्बन्ध में (अ—ब), (क—ख) इत्यादि मनुष्यों से यह शब्द कहे (जैसे, वादी शराबी और बदचलन है और सज्जन आदमियों के घर में जाने के योग्य नहीं है) इत्यादि।

३—यह शब्द झूँठे थे और दुश्मनी की वजह से कहे गये थे। इनके कहने से प्रतिवादी का उद्देश्य यह था कि सभ्य और सम्मानित पुरुष अपने यहाँ वादी को इलाज के लिये न बुलाये और वादी की जीविका को हानि पहुँचे और इन शब्दों का यही अभिप्राय (अ—ब) और (क—ख) ने समझा।

४—इन शब्दों के प्रकाशित होने से वादी की प्रतिष्ठा, नेकनामी और ख्याति को बहुत हानि पहुँची और इसी कारण से शहर के कई मनुष्यो ने इलाज व औषधि के लिये उसे नहीं बुलाया और इससे वादी की हानि हुई।

(५) अदावत से फौजदारी का मुकदमा चलाने पर हर्जे के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—ता० . को प्रतिवादी ने वादी की गिरफ्तारी के लिये मजिस्ट्रेट स्थान.. से . जुर्म के अपराध में वारन्ट निकलवाया, जिस पर वादी गिरफ्तार किया गया और .. दिन या घंटे तक कैद रहा और उसको अपनी हाजिरी के लिये . ..रु० की जमानत देनी पडी।

२—प्रतिवादी ने यह काम दुश्मनी से, बिना किसी कारण या उचित शक के किया।

३—ता०......को उक्त मजिस्ट्रेट ने प्रतिवादी की नालिश खारिज करके वादी को छोड़ दिया।

४—बहुत से मनुष्यो ने, जिनके नाम वादी को मालूम नहीं है गिरफ्तारी का हाल सुन कर और वादी को मुजरिम ख्याल करके उससे कारोबार करना छोड़ दिया है (या इस गिरफ्तारी की वजह से वादी .. दफ्तर से क्लर्क की पदवी से निकाल दिया गया) और उसके कारण वादी को मानसिक व शारीरिक कष्ट और उसका अपमान हुआ और कैद से छूटने और मुकदमे की जवाबदेही में उसको खर्चा भी करना पड़ा।

५—वाद-कारण—

६—दावे की मालियत—

* वादी की प्रार्थना—

(६) इसी प्रकार का अन्य वाद-पत्र

१—वादी प्रतिवादी की दूकान पर नौकर था। प्रतिवादी ने ता०...... से एक झूँठा और बिना किसी कारण के, वादी के ऊपर मजिस्ट्रेट स्थान......के यहाँ यह अभियोग किया कि वादी ने उसके तीन सोने के जेवर चोरी कर लिये हैं।

२—इसी अभियोग के साथ २ प्रतिवादी ने वादी का वारन्ट जारी कराकर उसको ता०......को गिरफ्तार कराया।

३—वादी गिरफ्तार हो कर ता०......को मजिस्ट्रेट स्थान......के सामने पेश हुआ और प्रतिवादी ने आइन्दा तहकीकात के बहाने से उसको हिरासत में रखने की प्रार्थना की और वादी ता०......तक हिरासत में रहा।

४—अन्त में ता०......को मुकदमा निर्णीत हुआ और अदालत से वादी मुक्त किया गया।

५—प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी का यह हर्जा हुआ—

(यहाँ पर मानहानि व हर्जे का विवरण लिखना चाहिये)।

(७) इसी प्रकार का तीसरा वाद-पत्र

१-मुद्दई स्थान......में व्यापार का कारोबार करता है और वह एक सम्मानित और शरीफ़ आदमी है और २५००) रुपया सालाना आयकर (इनकमटैक्स) अदा करता है।

२—मुद्दायलह बिरादरी के झगड़ों की वजह से, मुद्दई से, बहुत दिनों से दुश्मनी रखता था और उसकी निन्दा और अपमान की फ़िकर में रहता था।

३—मुद्दायलह ने १० मई सन् १९......ई० को मुद्दई के विरुद्ध सिटी मजिस्ट्रेट अलीगढ़ की अदालत में दफे ३२३ व ३५२ भारतीय-दड-संग्रह (Indian Penal Code) के अनुसार हमला करने व चोट पहुँचाने का अभियोग किया।

४—यह अभियोग लगभग तीन महीने तक चलता रहा और उसकी कई पेशियाँ भिन्न २ स्थानों पर दौरे में हुई और मुद्दई को अपने वकील व गवाहों के साथ वहाँ जाना पड़ा।

५—अन्त में ६ अगस्त सन् १९......ई० को उस अदालत से अभियोग खारिज किया गया और मुद्दई बरी हुआ।

---

* नोट—देखो व्यवहार विधि संग्रह परिशिष्ट १, अपेन्डिक्स (अ) नमूना न० ३१

६—यह अभियोग झूँठा था और मुद्दायलह उसका झूँठा होना जानता था। उसके चलाने का कोई उचित कारण न था और मुद्दायलह ने मुद्दई को कष्ट देने और हानि पहुँचाने के लिये वह दायर किया था।

७—मुद्दायलह के इस बेजा काम से तीन महीने तक मुद्दई हैरान व परेशान रहा और उसको शारीरिक व मानसिक कष्ट हुआ और उसके कारोबार का हर्जा और मुकदमे की जवाबदेही करने में खर्चा हुआ। मुद्दायलह इस कुल खर्चे का देनदार है।

८—मुद्दई के हर्जे की तफसील यह है—

(अ) कारोबार में हर्जा. ...रु० ।

(ब) वकीलो की फीस......रु० ।

(क) गवाहों इत्यादि का खर्चा.... रु० ।

(ख) शारीरिक व मानसिक कष्ट .. .रु० ।

९—वाद-कारण—(अभियोग करने के दिन से)।

(८) नौकर भगा ले जाने पर

१—वादी की सुलतानपुर में आम सौदागरी (general merchandise) की दूकान है।

२—इस दूकान पर प्यारे लाल नाम का एक पुरुष वादी का नौकर था और हिसाब किताब लिखा करता था।

३—प्रतिवादी ने ता०......को प्यारे लाल को अनुचित रीति से बहकाया और उससे, वादी को बिना सूचना दिये या उसकी सहमति लिये, प्यारेलाल से नौकरी छुड़वा दी।

४—प्रतिवादी के इस अनुचित काम से वादी प्यारेलाल की नौकरी से लाभ नहीं उठा सका और उसको कष्ट होने के अतिरिक्त व्योपार में हर्जा हुआ।

५—हर्जे की तफसील—(यहाँ पर लिखना चाहिये)।

(९) हानिकारक जानवर रखने पर हर्जे का दावा।

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी गड़रिये का काम करता है और उसके यहाँ, एक अहाते में जो कि स्थान..... में है भेड़ और बकरी रहती हैं।

२—उस अहाते से मिला हुआ प्रतिवादी का खलिहान है जहाँ पर उसने एक भयङ्कर व खतरनाक कुत्ता रख छोड़ा है।

३—ता०......को प्रतिवादी का कुत्ता रात के समय वादी के अहाते में घुस गया। उसने वादी की भेड़ बकरियों पर आघात किया और उनमें से कई को काट खाया।

४—भेड़ के तीन बच्चे बिल्कुल मर गये और दो भेड़ और ५ बकरी के बच्चे उसके काटने से घायल हुये जिनमें से दो बच्चे बाद को मर गये।

५—वादी का हर्जा......रु० का हुआ।

(१०) इसी प्रकार का दूसरा दावा

१—स्थान बिसौली में प्रतिवादी का, सड़क के किनारे मकान है।

२—उस मकान पर प्रतिवादी ने एक लंगूर पाल रक्खा है जिसने ता० ..... को वादी के ऊपर, जब कि वह उस रास्ते से निकल रहा था हमला किया और उसको दो जगह काट लिया और घायल किया।

३—वह लंगूर एक डरावना और खतरनाक जानवर है और आदमियों पर हमला करने व काटने का आदी है।

४—प्रतिवादी उसकी इस आदत को खूब जानता था और यह जानते हुये भी उसने उसको ऐसी हालत में रख छोड़ा है।

५—वादी के हर्जे की तफ़सील—

(११) सड़क की ख़राबी से हानि पहुँचने पर

(वाद-शीर्षक)

१—प्रतिवादी-गण जिला बुलन्दशहर के डिस्ट्रिक्टबोर्ड के सदस्य हैं और उस जिले की सड़कें इस बोर्ड के प्रबन्ध और निगरानी में हैं।

२—बुलन्दशहर से अनूपशहर को जाने वाली पक्की सड़क का प्रबन्ध और निगरानी भी यही बोर्ड करता है और ता०......को उस सड़क की मरम्मत हो रही थी।

३—उस दिन शाम को प्रतिवादी के नौकर......ठेकेदार ने ग्राम......के पास सड़क पर कंकड़ों का ढेर लगा दिया और उस स्थान पर कोई रोशनी या ऐसा कोई यंत्र स्थापित नहीं किया जिससे सड़क खतरनाक और उपयोग के अयोग्य समझी जावे।

४—वादी उस रात को अपनी टमटम में उस सड़क पर जा रहा था। कोई सूचना न होने और उस स्थान पर रोशनी न होने के कारण से उसकी टमटम कंकड़ों के ढेर से टकरा कर उलट गई और वादी को बहुत चोट आई। इसके अतिरिक्त घोड़े और गाड़ी को हानि हुई।

५—वादी के हर्जे का विवरण यह है—

(यहाँ पर चोट और हानि का पृथक २ विवरण देना चाहिये)।

६—वादी की प्रार्थना—

———

४७—अदालत की नालिशें

(१) विना आज्ञा ज़मीन पर काबिज़ रहने पर, उचित लगान का दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी ग्राम मुहाल..... पट्टी, थोक, या ब्लॉक इत्यादि नम्बरी ...में हिस्सेदार, (ठेकेदार या अधिकार सहित रहनदार) है और इसी हैसियत से, या नम्बरदार होने की वजह से लगान वसूल करता है

२—मुहाल ...में नीचे लिखी हुई ७ बीघा १५ बिस्वा भूमि, खाली पड़ी हुई थी। प्रतिवादी ने वादी की बिना आज्ञा के साल १३ ....फसली में इस भूमि पर कब्जा करके उसको अपनी काश्त में रक्खा।

३—इस ज़मीन का उचित लगान १५५) रु० साल है (या कि पिछली १३ फसली में .. . मनुष्य के हाथ यह भूमि . रु० लगान पर दी गई थी)।

४—वादी यह लगान और १) रुपया सैकड़ा माहवारी सूद का, दखल लेने के दिन से देनदार है जो उसने अभी नहीं दिया।

५—विनायदावा खरीफ़ फसली १३ .....के लगान की बाबत ता०..... अक्टूबर सन्......को, और रबी १३ . ..फ० की बाबत ता० .. . अप्रैल सन्... ..को वाजिब होने के दिन से, पैदा हुई)।

६—दाव की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

उसको......रु० मय खर्चा नालिश और सूद रुपया वसूल होने के दिन तक प्रतिवादी से दिलाया जावे।

नाम फसल	भूमि का क्षेत्रफल	लगान	वसूल	बाकी	सूद	जोड़
खरीफ १३ ..	७ बी० १५ बि०	७७॥)	—	७७॥)	१०।-)	८७॥।)
रबी १३...	,,	७७॥)	—	७७॥)	७)	८४)

(२) नियत बकाया लगान के सम्बन्ध में

१—वादी ग्राम ....मु०......मु० पट्टी इत्यादि नम्बरी......में हिस्सेदार है और इसी हैसियत से (या नम्बरदार होने के कारण), नीचे लिखे हुये सालों में लगान वसूल करता रहा।

२—प्रतिवादी मुहाल......में, १८० बीघा १७ बिस्वा पक्की आराज़ी की जिसका विवरण नीचे दिया हुआ है, गैरदख़ीलकार काश्तकार साल बसाल (या पट्टे के अनुसार...... साल के लिये, या दख़ीलकार काश्तकार ६०) रु० सालाना लगान पर) इन सालों में था।

३—प्रतिवादी के ऊपर नीचे लिखे हिसाब के अनुसार......रु० बकाया लगान और १) रु० सैकड़े माहवारी सूद का......रु० निकलता है जो उसने अभी तक अदा नहीं किया।

४—वाद-कारण (नम्बर १ के अनुसार)।

(३) कृषक की ओर से खेती करने के अधिकार के इस्तक़रार के लिये

(वाद-शीर्षक)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी ग्राम......मुहाल......में......बीघे... ..बिस्वे पक्की भूमि नम्बरी... ...का साल बसाल कृषक .....रु० वार्षिक लगान पर था।

२—प्रतिवादी इस मुहाल का नम्बरदार व जमींदार है। उसने वादी के विरुद्ध अदालत माल से इस भूमि की बेदख़ली की डिगरी ता०.........को प्राप्त कर ली।

३—परन्तु वादी के इस भूमि से बेदखल होने के पहिले, प्रतिवादी ने ता०...... को, वादी को उस पर काबिज़ रहने की आज्ञा दे दी और सालाना लगान बजाय . ... रु० के......रु० आपस में निश्चित पाया।

४– वादी इस पिछली प्रतिज्ञा के अनुसार उस भूमि पर काबिज़ है और उसका कृषक, साल बसाल,......रु० लगान पर है।

५—प्रतिवादी ने वादी के विरुद्ध पूरा दख़ल लेने के लिये अदालत दीवानी में

नालिश दायर की और वहाँ से वादी के विरोध करने पर ३ महीने के अन्दर अदालत माल से उसको काश्त करने का इस्तक़रार कराने के लिये आज्ञा हुई।

६—बिनायदावा (वेदखली की नालिश दायर करने और आज्ञा होने के दिन से)।

(४) वेदख़ली के लिये ज़मींदार का अस्थाई कृषक के ऊपर

१—वादी ग्राम ..... मुहाल .....में हिस्सेदार है और लगान वसूल करता है।

२—प्रतिवादी इस मुहाल में. . बीघा पुख्ता भूमि का १ साल के लिये (खरीफ १३— फसली से रबी १३— फ० तक) गैरदखीलकार काश्तकार था।

३—इस पट्टे की अवधि ता० ..... को समाप्त हो गई (या इस साल के अन्त में समाप्त हो जायगी)। वादी, प्रतिवादी को अब काश्तकार रखना नहीं चाहता।

४—बिनायदावा (पट्टे की अवधि समाप्त होने के दिन से)।

* (५) पूरा दखल पाने के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—प्रतिवादी, वादी की ओर से नीचे लिखी हुई आराज़ी का (यहाँ पर खेतों के नम्बर लिखने चाहिये) जिसका क्षेत्रफल बीघा है और जो कि मुहाल मुहम्मद ईसाखाँ गाँव दतावली में है उसका अनस्थाई कृषक (गैरमौरूसी काश्तकार) था।

२—वादी ने इस भूमि से, प्रतिवादी को अदालत माल से वेदखल कराया और वह वेदखल हो गया और वेदखली की डिग्री वादी के नाम सादिर हो गई और २१ जुलाई सन् १६ . .. ई० को वादी ने भूमि पर दखल ले लिया।

३—दखल दिलाये जाने के समय उस भूमि पर फसल खड़ी हुई थी इससे प्रतिवादी को अधिकार था कि वह फसल क़ाट कर भूमि को खाली करे।

४—फसल काटने के बाद उस भूमि से प्रतिवादी का कोई सम्बन्ध नहीं रहा।

---

* नोट—यह नालिश अधिकतर दीवानी अदालत में होती है। इसी प्रकार की और नालिशों के सिलसिले में यहाँ लिख दी गई है।

वादी ने खेत कट जाने के बाद उस भूमि में खेती करानी चाही तो प्रतिवादी झगड़ा करने को तैयार हुआ और उसने अनुचित रूप से नवम्बर सन् १६४० ई० में भूमि पर अधिकार कर लिया।

५–प्रतिवादी का, बेदखली के बाद कब्ज़ा बलपूर्वक और बिना किसी अधिकार के है।

६—वादी भूमि पर दखल और नवम्बर सन् १६४० ई० से वासलात पाने का अधिकारी है।

७—वाद-कारण (अनुचित अधिकार कर लेने के दिन से)।

८—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—(दखल, पूर्वलाभ व खर्चे के लिये)।

* (६) हिस्सेदार का नम्बरदार के ऊपर लाभ के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१–वादी ग्राम......मुहाल...... में एक तिहाई का हिस्सेदार है और प्रतिवादी इसी मुहाल का नीचे लिखी हुई सालों में नम्बरदार था और लगान वसूल करता था।

२—वादी के हिस्से का १३४६ व १३४७ फसली का लाभ प्रतिवादी के ऊपर बाकी है जो उसने अभी तक अदा नहीं किया।

३—इस मुहाल में कुछ हिस्सेदारों और प्रतिवादी की ख़ुदकाश्त भी है। उसका लगान भी अवस्थाई कृषकों की दर से पट्टेबन्दी में दर्ज होना चाहिये।

४—प्रतिवादी ने लगान वसूल करने में उचित प्रयत्न नहीं किया, न नालिशें की और न कोई पञ्जरोजा लगाया जिससे कुछ पट्टेबन्दी के लगभग दो तिहाई हिस्से बटवारे के कागज़ों में बेजोते हुए दिखाये गये हैं और प्रतिवादी की भूल व उपेक्षा

---

* नोट नं० १—यदि प्रतिवादी नम्बरदार वसूल किया हुआ लगान दर्ज न करावे या किसी और ऐसी बेईमानी की बाबत झगड़ा हो तो वह धारा नं० ४ में दर्ज किया जा सकता है। परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि यदि वादी बटवारे के कागज़ों के अनुसार मुनाफा लेना स्वीकार नहीं करता और अधिक मुनाफा माँगता है तो उसको वह सब कारण और बातें लिखनी आवश्यक हैं जिनसे कि वह अधिक मुनाफे का अधिकारी हो सके।

नोट नं० २—जो आमदनी नम्बरदार को पोला-गाँडर, चरागाह, बाग, तालाब इत्यादि से हुई हो वह अतिरिक्त आमदनी में दिखानी चाहिये और उसका विवरण नीचे लिखना चाहिये।

से बहुत सा लगान वसूल नहीं हो सकता। वादी पट्टेबन्दी के हिसाब से मुनाफे का अधिकारी है।

५—उस हिसाब से जो कि नीचे दर्ज है वादी के... रु० प्रतिवादी के ऊपर निकलते हैं।

६—वाद कारण—

७ - वाद-मूल्य —

वादी प्रार्थी है कि ...... रु० मय खर्चा व सूद दौरान व आइन्दा वादी को प्रतिवादी से दिलाये जाँय।

हिसाब का विवरण

साल	... ..।	हकनम्बरदारी	.. ...।
पट्टाबन्दी	... . ।	खुदकाश्त	......।
मालगुज़ारी	. ...रु० ।	अतिरिक्त आमदनी	.. .. ।
कुल खर्चा	......रु० ।	वसूल	... . रु० ।
लाभ	......रु० ।	बाक़ी	... . रु० ।
वादी का भाग	. .. मु० ।	सूद	... रु० ।
		कुल	......रु० ।

(७) हिस्सेदारों में हिसाब समझने के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ग्राम..... मुहाल......में दोनों पक्ष हिस्सेदार हैं और उनके हिस्से इस प्रकार हैं :—

हिस्सा वादी	प्रतिवादी न० १	प्रतिवादी न०२ व ३	प्रति० न० ४
¼	¼	¼	¼

२—उस मुहाल में दोनो पक्ष अलग २ कृषको से लगान प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी नम्बर २ व ३ के अधिकार में......बीघा भूमि और प्रतिवादी नम्बर ४ के अधिकार में .....बीघा भूमि खुदकाश्त की तरह पर है जिसके लिये यह प्रतिवादी अनस्थाई कृषकों के हिसाब से लगान के देनदार हैं।

३—निम्नलिखित वर्षों में, दोनों पक्षों के हिस्से धारा नम्बर १ के अनुसार और खेती धारा नम्बर २ के अनुसार रही है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी नम्बर दो व तीन ने अविभक्त चरागाह और दो बागों की आमदनी वसूल की और प्रतिवादी नम्बर १ ने मेाला व गाँडर व वज़नकशी वसूल की है, और वादी को तालाब की आय प्राप्त हुई है, और दोनों पक्षों ने अपने अपने भाग की सरकारी मालगुज़ारी अदा की है।

४—दोनों पक्षों में आपस में साल १३— फ० और १३— फ० के सम्बन्ध में कोई हिसाब का निर्णय नहीं हुआ।

५—ऊपर लिखी रीति के अनुसार दोनों पक्ष हर साल की पहिली अगस्त को एक दूसरे से हिसाब समझने के अधिकारी होते हैं।

६—वादी अपने पास आई हुई आय को देने के लिये प्रस्तुत है।

७—वाद-कारण—

८—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है—

कि दोनों पक्षों के आपस का हिसाब समझाया जावे और हिसाब से जो कुछ मतालबा वादी का प्रतिवादी के ऊपर निकले उसकी डिग्री पृथक २ फरीक़ प्रतिवादी पर खर्च नालिश इत्यादि के साथ की जावे।

(हिसाब का विवरण जो वादी को मालूम हो लिखा जावे)।

(८) नम्बरदार की हिस्सेदारों पर खर्चा, मालगुजारी और हक़ नम्बरदारी की बाबत नालिश

१—वादी ग्राम......मुहाल......में हिस्सेदार है और कुल मुहाल का नम्बरदार है।

२—मुहाल.... में प्रतिवादीगण हिस्सेदार हैं और १३—व १३—फ० में हिस्सेदार रहे। उनके हिस्सों का विवरण यह है

प्रतिवादी नं० १ प्रतिवादी न० २ प्रतिवादी नं ३।

३—वादी ने इन सालों की कुल मुहाल की मालगुज़ारी और सिंचाई कर सरकार में अदा की और वह प्रतिवादियों से उनके हिस्सों के अनुसार रुपया पाने का अधिकारी है।

४—इसके अतिरिक्त मालगुज़ारी पर वादी का ५) रु० सैकड़ा हक़ नम्बरदारी है और वह २४) रु० वार्षिक खर्चा, प्रतिवादियों से, उनके हिस्सों के अनुसार विभाजित करके पाने का अधिकारी है।

५—नीचे लिखे हुये हिसाब से वादी को प्रतिवादियों से......रु० मिलना चाहिये।

(हिसाब का विवरण)

द्वितीय भाग

द्वितीय अध्याय

प्रतिवाद-पत्रों (तहरीर) के नमूने

साधारण प्रतिवाद

अस्वीकृत या इनकार (Denial or non-admission)—प्रतिवादी को इनकार है कि (घटनायें लिखो) ।

प्रतिवादी स्वीकार नहीं करता कि (घटनाएँ लिखो) ।

प्रतिवादी स्वीकार करता है कि ·· परन्तु कहता है कि . ...।

विरोध (Protest) या तरदीद—प्रतिवादी इससे इनकार करता है कि वह फर्म (नाम लिखो) में हिस्सेदार है ।

प्रतिवादी इससे इनकार करता है कि उसने वादी से वादी की बयान की हुई प्रतिज्ञा या अन्य कोई प्रतिज्ञा की ।

प्रतिवादी को (सम्पत्ति) का होना स्वीकार है परन्तु वह वादी का स्वत्व स्वीकार नहीं करता ।

प्रतिवादी इनकार करता है कि वादी ने उसको अर्जीदावा में लिखा हुआ माल या उसका कोई हिस्सा, बेचा ।

अवधि या तमादी (Limitation) दावे में धारा . ...का या आर्टिकिल ..... परिशिष्ट २ अवधि विधान सन् १९०८ (Limitation Act, Art ..) के अनुसार अवधि समाप्त हो गई है ।

दर्शनाधिकार (अखत्यार समाअत Jurisdiction)—अदालत को मुक़दमें सुनने का अधिकार इस कारण से नहीं है कि । (कारण लिखो) ।

बेबाकी (Payment) तारीख ·· ··महीना·· ·· सन् ·····को प्रतिवादी ने एक हीरे की अँगूठी वादी को दी और वादी ने उसको अपने बयान किये हुये वादस्वत्व के निपटारे में मन्जूर कर लिया ।

देवालियापन (Insolvency)—प्रतिवादी देवालिया निर्णय किया जा चुका है। या वादी दावा दायर होने से पहिले देवालिया क़रार दिया जा चुका है और नालिश करने का अधिकार उसकी सम्पत्ति के रिसीवर को है।

अप्राप्त वयस्कता (नाबालिगी Minority)—प्रतिवादी उस समय जब कि प्रतिज्ञा होना बयान किया जाता है नाबालिग था।

अदालत में अदायगी (Payment into Court) प्रतिवादी नें कुल दावे की बाबत (या दावे के रुपये का एक भाग, जैसी दशा हो) अदालत में······रु० दाखिल कर दिये हैं और वह बयान करता है कि यह रुपया वादी के दावे या ऊपर लिखे भाग) की बेबाकी के लिये पर्य्याप्त है।

पूरा कराने से दस्तबरदारी (Performance Remitted)—वादी ने बयान की हुई प्रतिज्ञा के पूरा कराने से ता०......को दस्तबरदारी कर दी।

मंसूखी (Recission)—वादी और प्रतिवादी ने आपस की रजामन्दी से प्रतिज्ञा मंसूख (रद्द) कर दी।

पूर्न्याय (Res Judicata)—वादी का दावा, डिगरी मुकदमा (उसका पता दो) से वर्जित है।

रोक वाद (Estoppel)—वादी इस बात की सचाई इन्कार करने से वर्जित है कि (यहाँ वह बयान लिखो जिसके विषय में रोक वाद का विरोध किया जाता है) क्योंकि (यहाँ वे घटनाएँ लिखो जिनसे रोक वाद उत्पन्न हुआ हो)।

प्रतिवादी के कारण जो नालिश दायर होने के बाद पैदा हुए हों (Grounds of defence subsequent to institution of suit)—दावा दायर होने के बाद, तारीख़..... महीना......सन्......को (घटनाएँ लिखो)।

१—ऋण या कर्जा

*(१) ऋण के दावे का साधारण प्रतिवाद-पत्र

(सिरनामा)

१ प्रतिवादी दावे के रुपये में से २००) रु० मुजरा पाने का अधिकारी है क्योंकि उसने २००) रु० का माल वादी को बेचा और हवाले किया।

उसका विवरण यह है—

ता० २५ जनवरी १९३८ ई०	१५०) रु० ।
, १ फरवरी १९३८ ई०	५०) रु० ।
कुल जोड़	२००) रु० ।

२ दावे का कुल रुपया (या .....रु०) प्रतिवादी ने नालिश दायर होने के पहिले ही वादी को देना चाहा और उसके लेने से इनकार करने पर ता०......को अदालत में जमा कर दिया।

(२) वाद पत्र पद १ नमूना नं० २ का प्रतिउत्तर, जब कि अदायगी और तमादी की आपत्ति हो

(वाद-शीर्षक)

१—वाद-पत्र की धारा न० १ में प्रतिवादी के पिता रमज़ानी का केवल १०००) रु० १६ जून सन् १९३५ को इस इक़रार से लेना कि वह १) रु० सै० माहवारी के साथ १६ जून सन् १९३६ को अदा कर दिया जावेगा स्वीकार है इसके अतिरिक्त और कोई रुपया लेने और उसके अदा करने के इक़रार से इनकार है।

२—धारा न० २ में रमज़ानी का १०००) रु० मय सूद १) रु० सै० मासिक देना स्वीकार है। और बाकी मतालबे का देनदार होने या कोई बक़ाया रहने से इनकार है इस अदायगी से कुल रुपया बेबाक़ हो गया।

३—धारा न० ३ स्वीकार है।

४—धारा नं० ४ से बिलकुल इनकार है। प्रतिवादी ने कोई रुपया सूद में नहीं दिया।

५—धारा न० ५ में ता० १७ जून १९३७ को रुपया अदा होना और वादी का उस तारीख से २० अगस्त १९४१ तक पागल होने से इनकार है। वादी प्रतिज्ञा करते समय बुद्धिहीन नहीं था और दावे में अवधि समाप्त हो गई है।

---

* यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह के परिशिष्ट १, अपेन्डिक्स (अ), भाग ४ का नमूना न० ४ है।

६—धारा नं० ६ से ६ तक और हिसाब के विवरण इत्यादि से प्रतिवादी को इनकार है और प्रतिवादी के ऊपर वादी का कोई रुपया बाकी नहीं है।

(३) दावा नं० ५ का प्रतिवाद पत्र जब कि ऋण व सूद के अदा करने से इनकार हो

१—वाद-पत्र की धारा न० १ व २ से प्रतिवादियों को इनकार है। राधेसिंह व गगाबक्स ने ऋण, जिस की नालिश की गई है या और कोई ऋण ता० २४ जून १६३७ ई० को या और किसी तारीख को वादी से नहीं लिया और न वादी के हक़ में यह प्रामेसरी नोट लिखा जिस पर नालिश की गई है।

२—धारा नं० ३ में गगाबक्स का देहान्त होना और प्रतिवादी न० २ व ३ का उसका उत्तराधिकारी होना स्वीकार है लेकिन किसी रुपये के देनदार होने की जिम्मेदारी से इनकार है।

३—धारा नं० ४ से इनकार है। सूद का कोई रुपया गगाबक्स या राधेसिंह ने अदा नहीं किया।

४—धारा नं० ५ से, तक स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी कोई रुपया देने के वादी को ज़िम्मेदार नहीं हैं।

*(४) तमस्सुक की नालिशों का साधारण प्रतिवाद-पत्र

(वाद-शीर्षक)

१—यह तमस्सुक प्रतिवादी का लिखा हुआ नहीं है।

२—यह कि प्रतिवादी ने ता०... को तमस्सुक के अनुसार कुल रुपया अदा कर दिया है।

३—यह कि प्रतिवादी, उस तारीख के बाद, परन्तु नालिश दायर होने से पहिले तमस्सुक का कुल रुपया, असल व सूद, वादी को अदा कर चुका है।

(५) वाद पत्र नं० ८ का प्रतिवाद पत्र जब कि कुल रुपये की बेबाकी की आपत्ति हो

१—धारा नं० १ से ३ तक स्वीकार हैं।

२—धारा नं० ४ से इनकार है। प्रतिवादी ने नालिश के दस्तावेज़ का कुल रुपया जो पहिली किस्त अदा करने के बाद बाकी रहा इस तरह बेबाक कर दिया कि मृतक अहमद

*यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह के परिशिष्ट १ भाग ४ का नमूना नं० २ है।

अली की सम्पत्ति में से एक मकान एक मंजिला जो मुहल्ला शाहपाड़ा में था, वादी के नाम ८००) रु० में विक्रय कर दिया और वादी ने उसका विक्रयपत्र फर्जी तौर पर अपनी स्त्री के नाम लिखा लिया। और १२००) रु० नक़द विक्रय पत्र लिखे जाने की तारीख को अदा कर दिये और वादी से उसकी हस्ताक्षरयुक्त रसीद लिखा ली जो इसके साथ दाखिल की जाती है।

३—धारा नं० ५ में रफीउद्दीन का मर जाना स्वीकार है, तारीख की खबर नहीं है। कर्जा वसूलयाबी के सार्टीफिकट का कोई ज्ञान नहीं है। प्रतिवादियों को उसकी कोई सूचना नहीं हुई।

४—धारा नं० ६ व ७ स्वीकार नहीं है।

५—धारा नं० ८ में विक्रयपत्र का लिखा जाना स्वीकार है लेकिन उसका रुपया नालिश के दस्तावेज की अदायगी में दिया गया था। प्रतिवादियों ने इसमें से कोई रुपया नहीं लिया और उनकी ज़ात और जायदाद किसी रुपये की देनदार नहीं है।

६—धारा नं० ९ से ११ तक और वादी की प्रार्थना और हिसाब का विवरण स्वीकार नहीं हैं।

(६) कुछ रुपया अदा करने की आपत्ति होने पर

(वाद-पत्र के नं० १३ का प्रतिवादपत्र)

(वाद-शीर्षक)

१—धारा नं० १ स्वीकार है।

२—धारा नं० २ स्वीकार है।

३—धारा नं० ३ से इनकार है। प्रतिवादी ने नीचे लिखी रकमें प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को अदा कीं—

ता० १६ जून सन् १९४८ ई० को ६३) रु०।

ता० ११ नवम्बर सन् १९४८ ई० को १५४||≈) रु०।

४—धारा नं० ४ स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी को वादी के नाम के बैनामे का कोई ज्ञान नहीं है।

५—धारा नं० ५ स्वीकार है।

६—धारा नं० ६ स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी धारा नं० ३ में लिखे हुए रुपये को काट कर दस्तावेज का बाक़ी रुपया वादी को देता था लेकिन उसने नहीं लिया।

७—धारा नं० ७ व ८ और वादी की प्रार्थना स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी ने जो कुछ रुपया हिसाब से निकलता था ता० .. ..को वादी को दिये जाने के लिये अदालत में जमा कर दिया और वह अब भी जमा है।

८—प्रतिवादी वादी से अपना खर्चा पाने का अधिकारी है।

२—अधिक अदायगी

(१) वाद पत्र नं० १, का प्रतिवाद पत्र जब दोनों पक्षों में प्रतिज्ञा की शर्तों पर मत भेद हो

१—वादी ने (अ—ब—) से जचवाने और अपना इतमीनान करने के बाद चाँदी की......सलाखें ......रु० प्रति सलाख की दर से प्रतिवादी से खरीदीं और क़ीमत अदा की। भाव फी तोले के हिसाब से क़रार नहीं पाया था और न प्रतिवादी को फी तोले के हिसाब से कीमत दी गई।

२—प्रतिवादी को नहीं मालूम कि (अ—ब) ने वादी को हर सलाख में खालिस चाँदी कितनी बतलाई थी और उनमें कितनी निकली। प्रतिवादी, वादी की दोनों बातों को स्वीकार नहीं करता।

३—प्रतिवादी को कोई रुपया अधिक नहीं दिया गया जिसको वह वापिस करता।

४—वादी के इस अस्वीकार बयान को सही मान कर भी, कि खालिस चाँदी अंदाज से कम निकली और रुपया देते समय वह यह बात नहीं जानता था, वादी को नालिश का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता।

३— की क़ी

* (१) माल के बेचने व हवाले किये जाने के मुक़दमे का साधारण प्रतिवाद पत्र

१—यह कि प्रतिवादी ने माल नहीं मँगवाया।

२—यह कि प्रतिवादी को माल हवाला नहीं किया गया।

३—यह कि माल की कीमत......रु० नहीं है।

या

४—यह कि प्रतिवादी ने केवल ...रु० का माल मँगवाया था।

---

* यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह के परिशिष्ट १, अपेन्डिक्स (अ) भाग ४ का नमूना नं० १ है।

५—यह कि प्रतिवादी को माल केवल........रु० का हवाला किया गया।

६—यह कि माल की कीमत......रु० नहीं परन्तु......रु० है।

७—यह कि प्रतिवादी (या उसके ऐजेन्ट (अ—ब) ने) दावे की बेबाकी में कुल रुपया वादी या उसके ऐजेन्ट (क—ख) को नालिश दायर होने से पहिले ता० .... को अदा कर दिया।

८—प्रतिवादी ने दावे की बेबाकी में कुल रुपया नालिश दायर हो जाने पर ता०..... को अदा कर दिया।

* (२) माल रोक लेने के सम्बन्ध की नालिश का प्रतिवाद पत्र

१—यह कि माल वादी का नहीं था।

२—यह कि माल इस कारण से रोका गया था कि प्रतिवादी उस पर अधिकारी है जिसका विवरण यह है –

बाबत किराया इत्यादि देहली से कलकत्ता तक, ४५ मन का दर २) रु० फी मन .. .. ९०) इत्यादि —

(३) वाद-पत्र पद ३ न० ६ का प्रतिवाद पत्र जब कि बेबाकी या हिसाब इत्यादि की आपत्ति हो

१—धारा न० १ वाद पत्र स्वीकार है।

२—धारा नं० २ इस अन्तर से स्वीकार है कि प्रतिवादी, वादी की दूकान से केवल लोहे पीतल का सामान अपने कारखाने के लिये खरीदते थे और उसकी कीमत बिना ब्याज अदा करते रहते थे। नक़द रुपया वादियों से प्रतिवादियों ने कभी नहीं लिया और न ब्याज देने की प्रतिज्ञा की और न कभी ब्याज दिया।

३—वाद पत्र की धारा न० ३ में जमा व खर्च की रकमों का जोड़ स्वीकार नहीं है। २५ अक्टूबर सन् १९३१ ई० के बाद कोई सामान वादियों की दूकान से प्रतिवादियों के यहाँ नहीं आया और हिसाब में जो रकमें इस तारीख के बाद लिखी हुई हैं वह गलत हैं और इसी तारीख के बाद प्रतिवादियों ने जो १३५०) रु० वादियों को अदा किये, हिसाब में जमा नहीं दिखाये।

---

* यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह के परिशिष्ट १, अपेन्डिक्स (अ), भाग ४ का नमूना न० ७ है।

४— वादियों की कोई रकम प्रतिवादियों पर बाकी होने से प्रतिवादियों को बिलकुल इनकार है।

५—धारा न० ४ स्वीकार है परन्तु प्रतिवादियों ने १३५०) रु० का माल (जिसका विवरण नीचे दिया हुआ है) वादी को अदा करके हिसाब बेबाक़ कर दिया।

(हिसाब का विवरण)

६—धारा न० ५ से ८ तक, अदालत के अधिकार के सिवाय स्वीकार नहीं हैं। वादियों को प्रतिवादियों के विरुद्ध किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है।

(४) वाद पत्र पद ४ न० १० का प्रतिवाद पत्र बिल्कुल इन्कार करने पर, या अन्य दशा में

प्रतिवादी ने ता० १६ मई १९४१ ई० या किसी अन्य तारीख को कोई प्रतिज्ञा वादी से ६ तसवीर बनवाने की, जैसा कि वादपत्र में लिखा है या कोई और तसवीरें १५०) रु० में या और किसी रकम में एक सप्ताह या किसी और मियाद के अन्दर लेने का नहीं की न उसको कोई नमूना दिया और न १०) रु० या और कोई रुपया बयाने के रूप में उसको दिया।

या

१—वादपत्र की धारा न० १, २ व ३ स्वीकार हैं।

२—धारा न० ४ में वादी का यह बयान असत्य है कि उसने १ सप्ताह में तसवीरें तैयार की और वे नमूने के अनुसार थीं।

३—प्रतिवादी शरीफनगर के राजा साहब का नौकर है। प्रतिवादी ने ये तसवीरें वादी से उक्त राजा साहब के राज्याभिषेक पर जो कि २५ मई १९४१ ई० को होने वाली थी भेंट करने के लिये तैयार कराई थीं और यह बात वादी को अच्छी तरह से ज्ञात थी।

४—वादी ने तसवीरें बिलकुल खराब और नमूने के विरुद्ध तैयार की और मियाद के अन्दर ही नहीं बल्कि २५ मई सन् १९४१ ई० राजगद्दी के दिन तक उनको तैयार करके प्रतिवादी को नहीं दे सका और प्रतिवादी उनको राज्याभिषेक पर भेंट नहीं कर सका।

५—धारा न० ५ से ८ तक स्वीकार नहीं हैं।

६—तसवीरें अब भी नमूने के अनुसार नहीं हैं और वह अब प्रतिवादी के किसी काम की नहीं हैं।

७—प्रतिवादी बयाने के १०) रु० और नमूने की वापिसी का और ५०) रु० हर्जे का दावेदार है।

४—मज़दूरी व नौकरी

(१) वादपत्र पद ४ न० २ का प्रतिवादपत्र जब कि आपत्ति गलत मतालबा और अदायगी की हो

१—वादी ने सिलाई की मजदूरी बहुत अधिक लगाई है।

२—नीचे दिये हुए हिसाब से उचित मजदूरी .. ..रु० होती है।

३—अदा किये हुए २५) रु० को काट कर वादी के......रु० निकलते हैं।

४—यह रुपया प्रतिवादी ने नालिश दायर करने के पहिले वादी को देना चाहा और उसके सामने पेश किया लेकिन उसने लेने से इनकार किया।

५—प्रतिवादी ने दावे की बेबाक़ी में यह कुल रुपया नालिश दायर होने के बाद अदालत में ता०.... ,को जमा कर दिया है।

५—हुन्डी व चैक

(१) साधारण प्रतिवाद-पत्र

१—प्रतिवादी ने हुन्डी, जिसके ऊपर नालिश की गई है, नहीं लिखी थी।

२—प्रतिवादी ने उस हुन्डी, को, जिसके ऊपर नालिश की गई है, कभी सही नहीं किया।

३—हुन्डी, जिसके ऊपर नालिश की गई है, सही करने के लिये पेश नहीं की गई।

४—हुन्डी जिसका कि दावा है, अदायगी के लिये पेश नहीं की गई या नियमानुसार पेश नहीं की गई।

५—प्रतिवादी ने हुन्डी का, जिसकी नालिश है बेचान नहीं किया।

या

(अ—ब) के नाम, जिसके द्वारा वादी दावेदार है, बेचान नहीं किया।

६—वादी के नाम (अ—ब) ने, जिसके द्वारा वादी दावेदार बनता कोई बेचान नहीं किया।

७—प्रतिवादी को हुन्डी न सिकरने की कोई सूचना नहीं दी गई। या नियमानुसार सूचना नहीं दी गई।

८—वादी नालिश करने के समय उस हुन्डी का मालिक नहीं था।

९—प्रतिवादी ने हुन्डी को इस शर्त के साथ सही किया था कि ...(यहाँ पर यह शर्त लिखनी चाहिये) और यह शर्त पूरी नहीं हुई।

१०—प्रतिवादी ने वादी की सुविधा के लिये हुन्डी सही कर दी थी उसका रुपया या सही करने का कोई धन प्रतिवादी को नहीं दिया गया।

(२) वाद पत्र नं० १ का प्रतिवाद-पत्र जब कि हुन्डी माल के ऊपर की गई हो

१—धारा नं० १ व २ स्वीकार हैं।

२—धारा नं० ३ से ५ तक और उपशमन के इनकार है।

३—प्रतिवादी ने हुन्डी, २०० बोरी गेहूँ कीमत के बदले में, जो कि वादी प्रतिवादी के यहाँ ता०......तक भेजने को था, सही कर दी थी।

४—वादी ने गेहूँ नहीं भेजे और इसलिये प्रतिवादी ने हुन्डी का रुपया अदा नहीं किया।

५—प्रतिवादी पर वादी का कोई रुपया नहीं निकलता है।

(३) वादपत्र पद ५ नमूना नं० २ का प्रतिवादपत्र जब कि वादी की मिलकियत से इन्कार हो और हुन्डी माल के ऊपर की गई हो

१—वादपत्र की धारा नं० १ स्वीकार है।

२—धारा नं० २ में इस बयान से इनकार है कि वादियों के नाम बेचान मतालबे के बदले में हुआ और वादी हुन्डी के स्वामी हैं।

३—धारा नं० ३ स्वीकार है लेकिन प्रतिवादी यह बयान करते हैं कि उन्होंने हुन्डी को ४ गाँठ रुई की कीमत की बदल में, जो कि फर्म रामचन्द्र हरप्रसाद, प्रतिवादी की दूकान पर अवधि पूर्ण होने से पहले ही भेजने को थे, सही कर दिया था।

४—उक्त फर्म ने यह माल प्रतिवादियों की दूकान पर नहीं भेजा इसलिये प्रतिवादियों ने हुन्डी का रुपया अदा नहीं किया।

५—वादी ने इस बात को अच्छी तरह जानते हुये (या बिला मुआवजा होना ज्ञात होते हुये) हुन्डी का बेचान अपने नाम कराया है।

६—धारा नं० ४ से इनकार है। प्रतिवादी दावे के रुपये के देनदार नहीं है।

(४) वादपत्र पद ५ नमूना नं० ४ के प्रतिवाद पत्र जब हुन्डी न पेश करने की आपत्ति हो

१—हुन्डी की अवधि पूर्ण हो जाने के .....महीने बाद तक फर्म रामसहाय गूदरमल, कानपुर जिसके ऊपर प्रतिवादी ने हुन्डी की थी, साल्वेन्ट हालत में थी और प्रतिवादी का हुन्डी के रुपये से अधिक रुपया उन पर चाहिये था।

२—वादी ने अवधि पूरी हो जाने के बाद ठीक समय पर अदायगी के लिये हुन्डी को फर्म रामसहाय गूदरमल पर उपस्थित नहीं किया। इसके बाद उक्त फर्म देवालिया (इनसालवेन्ट) हो गया।

३—प्रतिवादी हुन्डी के रुपये की अदायगी के उत्तरदायित्व से धारा......कानून हुन्डी (Negotiable Instruments Act) के अनुसार बरी हो गया।

४—प्रतिवादी हुन्डी के रुपये या निखरई, सिखरई व सूद देने का उत्तरदायी नहीं है और अपना खर्चा वादी से पाने का अधिकारी है।

(५) वादपत्र पद ५ नं० ८ का प्रतिवादपत्र जब कि जिम्मेदारी से इनकार हो

दुर्गादत्त द्वारकादास प्रतिवादियों की ओर से।

१—प्रतिवादी उक्त दूकान बालमुकन्द दुर्गादत्त झझर के स्वामी हैं। प्रतिवादी कुन्दन लाल व नरायनदास इस दूकान में सम्मिलित नहीं हैं और न उनका और प्रतिवादियों का कोई अविभक्त परिवार है.

२—उक्त प्रतिवादियों ने दूकान बालमुकन्द दुर्गाप्रसाद की ओर से वादियो के नाम कोई हुन्डी नहीं लिखी। कुन्दनलाल व नरायनदास को उक्त दूकान की ओर से ऐसी कोई हुन्डी लिखने का अधिकार नहीं था। यदि कोई ऐसी हुन्डी लिखी गई तो दूकान बालमुकन्द दुर्गादत्त से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

३—उक्त हुन्डी का कोई रुपया दूकान बालमुकन्द दुर्गादत्त को वसूल नहीं हुआ और न वह दूकान के कारबार के लिये लिखी गई।

४—प्रतिवादी किसी रुपये के, मूल या सूद इत्यादि वादी को देने के उत्तरदायी नहीं हैं।

(६) वादपत्र पद ५ नं० ९ का प्रतिवाद-पत्र जब कि चैक में परिवर्तन करने की आपत्ति हो

१—धारा नं० १ में चैक लिखे जाने की तारीख़ ग़लत है। प्रतिवादी ने चैक ता०... को लिखा था और उसी रोज़ वादी को दे दिया।

२—धारा न० २ में रुपये का अदा होना स्वीकार है लेकिन चैक का अपनी वास्तविक दशा में पेश होना स्वीकार नही है।

३—वादी ने, प्रतिवादी की सहमति बिना चैक में ता० . . . के बजाय ता० ..... लिख दी और उसमें परिवर्तन कर दिया और क़ानून हुन्डी की धारा ८७ से (एक्ट २६ सन् १८८१) उक्त चैक वेकार हो गया और प्रतिवादी का कोई उत्तरदायित्व नही रहा।

४—धारा न० ३ स्वीकार है।

५—धारा न० ४ से ७ तक स्वीकार नही हैं। वादी, प्रतिवादी से किसी उपशमन का अधिकारी नहीं है।

६—आपसी हिसाब

(१) वादपत्र पद ६ न० १ का प्रतिवाद-पत्र जब आपसी हिसाब होने से इन्कार हो और ग़लती इत्यादि की आपत्ति हो

१—वादपत्र की धारा न० १ स्वीकार है।

२—धारा न० २ इस अन्तर से स्वीकार है कि दोनों पक्षों में आपसी हिसाब नहीं था। प्रतिवादी फर्म, वादी के फर्म से ऋण लेती थी और सदा वादी के फ़र्म की बक़ाया प्रतिवादी फर्म पर रहती थी।

३—धारा न० ३ मे कातिक बदी १५ सन् १९९६ वि० को हिसाब का मिलान होना और बक़ाया निकलना स्वीकार है लेकिन वादी के फर्म की बक़ाया केवल......रु० थी। उसके बाद फर्म वादी के यहाँ से कोई रक़म नहीं गई बरन प्रतिवादी ने रक़में अदा कीं। कोई हिसाब खुला और जारी नहीं था।

४—धारा न० ४ स्वीकार है।

५—धारा न० ५ में वादपत्र के साथ दिया हुआ हिसाब गलत है। उसमें नीचे लिखी गलतियाँ हैं।

(यहाँ पर ग़लतियों का विवरण क्रमानुसार देना चाहिये)

६—हिसाब से वादी फर्म का प्रतिवादी फर्म पर कोई रुपया बाक़ी नहीं निकलता (या केवल... ..रु० निकलता है)।

७—धारा न० ६ स्वीकार नहीं है। वादी को कोई विनाय दावी पैदा नहीं हुई और प्रत्येक दशा में वादी की दी हुई तारीख गलत है।

८—हिसाब में दी हुई सब रक़में ३ साल से पहिले की हैं और इस लिये पद...... अवधि विधान से अवधि समाप्त हो चुका है।

७–अमानत का रुपया

साधारण प्रतिवाद

[जो विरोध चैक या अमानती रुपये के जवाब दावे में हो सकते हैं वह वही हैं जो हुन्डी की नालिशों में हो सकते हैं और पद ५ में दिये हुए हैं। प्रतिवाद-पत्र लिखने में उनसे सहायता लेनी चाहिये।]

(१) वादपत्र पद ७ न० १ का प्रतिवाद पत्र जब अमानत से इनकार हो और तमादी की आपत्ति हो

१—वाद पत्र की धारा नम्बर १ स्वीकार है।

२—धारा नम्बर २ में वादी का रुपया अमानत में जमा रहने से इनकार है प्रतिवादी की फर्म, वादी से रुपया उधार लेती थी और उसको सूद के साथ अदा कर देती थी सूद की दर आठ आना सैकड़ा थी और माग पर अदा करने का कोई इक़रार नहीं था।

३—धारा नम्बर ३ इस अन्तर के साथ स्वीकार है कि प्रतिवादी ऋण लेते और असल और सूद में रुपया अदा करते रहे।

४—धारा नम्बर ४ स्वीकार है।

५—धारा नम्बर ५ में वादी ने शेष रुपये की सख्या सही नहीं लिखी वादी का केवल ... ..रुपया निकलता है।

६—दावे में धारा ५७ अवधि विधान (Art 57 Limitation Act) के अनुसार अवधि समाप्त हो गई है। वादपत्र की धारा न० ६ में तारीख़ विनाय दावी गलत है और यह बयान भी सही नहीं है कि वह रुपया माँगने पर पैदा हुई।

७—वादी ने कोई रुपया प्रतिवादी फर्म से नहीं माँगा।

८—वादी के लिये वसूल किया हुआ रुपया

(१) वादपत्र पद ८ न० १ का प्रतिवाद पत्र जब उचित वसूलयाबी की आपत्ति हो

१—वादपत्र की धारा न० १ व २ स्वीकार हैं।

२—धारा न० ३ में लगान वसूल करना व रसीद देना स्वीकार है बाकी से इनकार है।

३—धारा न० ४ स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी मुक़दमे का कोई फरीक़ नहीं था।

४—धारा न० ५ से ७ तक और उपशमन स्वीकार नहीं है।

५—प्रतिवादी ता०.. .. से जमींदार का कारिन्दा था और उसने वादी से उचित तौर पर लगान वसूल किया।

६—प्रतिवादी ने ता० . को जमींदार की नौकरी छोड़ी और लगान का वसूल किया हुआ रुपया और रकमों के साथ हिसाब में उसको मुजरा दे दिया और दाखिला बही जिससे वादी को रसीद दी गई थी जमींदार के हवाले कर दी।

७—प्रतिवादी से जमींदार की शत्रुता है। वादी और जमींदार ने आपस में मिल कर बकाया लगान की डिगरी करवा ली है और यह डिगरी प्रतिवादी के विरुद्ध शहादत में पेश नहीं की जा सकती।

८—वादी कोई रुपया या सूद पाने का अधिकारी नहीं है और मुकदमे का खर्चा वह किसी दशा में नहीं पा सकता।

(२) वाद पत्र पद ८ न० ३ का प्रतिवाद पत्र जब प्रतिवादी अपने आपको मालिक बयान करता हो

प्रतिवादी का निवेदन है कि—

१—ता० .. के लिखे हुए तमस्सुक का मालिक प्रतिवादी था और उसी ने तमस्सुक के द्वारा (अ—ब) को कर्जा दिया था।

२—प्रतिवादी ने अपने खर्चे से डिगरी प्राप्त की और उसका रुपया ता०...... मदयून डिगरी ने अदालत के बाहर प्रतिवादी को बेबाक कर दिया और प्रतिवादी ने ता० ... को डिगरी कुल वसूल मे खारिज करा दी।

३—वादी का बयान कि वह तमस्सुक का स्वामी था, और उसके खर्च से नालिश हुई झूँठ है।

४—वसूल याबी की तारीख से तीन साल बाद यह दावा किया गया है और (Limitation Act) अवधि विधान, धारा ६२ के अनुसार अवधि के बाहर है।

९—इस्तेमाल और दख़ल

(१) वादपत्र पद ९ न० २ का प्रतिवाद पत्र जब कि हिसाब की गलती और रुपया अदा कर देने की आपत्ति हो

प्रतिवादी का बयान यह है कि—

१—प्रतिवादी के इस्तैमाल में मोटर केवल... ..दिन रही जिसका विवरण यह है (विवरण दो)।

२—जब कि मोटर प्रतिवादी के काम में थी तो वादी के मोटर ड्राइवर ने . . रु० तेल इत्यादि के वास्ते लिये। उसकी रसीदें पेश की जाती हैं।

३—इसी समय में मोटर २ दफे बिगड़ गई और उसकी मरम्मत के बिल का रुपया प्रतिवादी ने अदा किया। दोनों बिल और अदायगी की रसीद पेश की जाती हैं।

४—मोटर का रोजाना के हिसाब से किराया .....रु० से अधिक नहीं होता और मोटर की खराब हालत और उसमें बैठने में कष्ट होने के ख्याल से यह किराया उचित है।

५—हिसाब से . रु० वादी का निकलता है। यह वादी को मनीआर्डर से भेजा गया लेकिन उसने वापिस कर दिया इस लिये अदालत में जमा कर दिया गया है।

१०—पंचायत व पंचायती फैसला

(१) वादपत्र न० ४ का प्रतिवाद पत्र जब कि अनीति व्यवहार (Misconduct) की आपत्ति हो

१—पंच ने कोई पंचायत नहीं की और न कोई शहादत लिखी।

२—पंच वादी की सगी बहिन का दामाद है। प्रतिवादी को पंचायत के लिये इकरारनामा लिखते समय इसका ज्ञान नहीं था। वादी ने इस बात को जान बूझ कर छिपाया और प्रतिवादी ने पंच को बिलकुल सम्बन्ध रहित समझ कर पंचायती इकरारनामा उसके नाम लिख दिया।

३—पंच ने वादी की तरफ़दारी और रियायत की और सम्पत्ति में से अधिक भाग वादी के कुरे में लगा दिया और वादी का कुरा बजाय एक तिहाई (⅓) कीमत के लगभग आधी कीमत का कर दिया और प्रतिवादी का कुरा जो दो तिहाई (⅔) कीमत का होना चाहिये था आधी कीमत से भी कम कर दिया।

४—प्रतिवादी ने पंच से प्रार्थना की कि वह प्रतिवादी की शहादत कलमबन्द करले और इसी लिये गवाह तलब कराये और उनको पंच के सामने लाया लेकिन पंच ने शहादत लेने से इनकार कर दिया।

५—पंच ने मामले के तजवीज करने में छिपी हुई तहकीकात और निजी इत्तला से काम लिया है और अनीति व्यवहार (बदएमाली) किया है।

६—पंच का फैसला मनसूखी के योग्य है और उसके आधार पर वादी अदालत से डिगरी नहीं करा सकता।

११—विदेशी तजवीज़

(१) वादपत्र पद ११ नं० २ का प्रतिवाद-पत्र जब विरोध दर्शनाधिकार न होने का हो

प्रतिवादी का निवेदन है कि—

१—वादी ने जो दावा हाईकोर्ट रियासत जैपुर में किया था वह मन्सूखी शादी का था। उसके सुनने का उक्त न्यायालय को अधिकार नहीं था और उस मुकदमे में जो डिगरी हुई वह अधिकार विरुद्ध हुई।

२—प्रतिवादी ने डिगरी का रुपया वादी को उसके मुख़तार आम की मार्फत अदा कर दिया। रसीद इस प्रतिवाद पत्र के साथ नत्थी है।

३—वादी का दावा अधिकार विरुद्ध और अनुचित है।

१२—ज़मानत

साधारण प्रतिवाद

१—प्रतिवादी ने वादी की बयान की हुई जमानत नहीं की या कोई जमानत नहीं की।

२—वह लेख जिस पर वादी जमानत होने का भरोसा करता है, प्रतिवादी ने नहीं लिखा था कि वादी की बयान की हुई या कोई ज़मानत नहीं की।

३—वादी ने असल देनदार को मुआहिदा करके जिम्मेदारी से बरी कर दिया (धारा १३४ अनुबन्ध विधान—क़ानून मुआहिदा)।

४—वादी ने यह.. काम किया या यह .. ..काम नहीं किया जिसके करने या न करने से (जैसी दशा हो) असल देनदार (मदयून) अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। (धारा १३४ क़ानून मुआहिदा)

५—वादी ने प्रतिवादी की बिना अनुमति लिये असली देनदार से फ़ैसला कर लिया—

या उसको मुहलत देने या उस पर दावा न करने का उसने इक़रार कर लिया (दफा १३५ कानून मुआहिदा)।

६—वादी ने ऐसा कार्य किया (यहाँ पर वह लिखना चाहिये जिसको वादी ने जामिन प्रतिवादी के हक़ के खिलाफ़ किया था ऐसा काम नहीं किया जो ज़ामिन प्रतिवादी के हक की रक्षा के लिये उसको करना चाहिये था) और उसके कारण जामिन प्रतिवादी का असल देनदार के खिलाफ चाराकार जाता रहा। (धारा १३६ कानून मुआहिदा)

७—प्रतिवादी ने ता० . के नोटिस से आगे के मामलों की बाबत अपनी जमानत वापिस लेली (धारा १३० क़ानून मुआहिदा)।

८—यदि जमानत की प्रतिज्ञा वापिस हो सकती हो तो प्रतिवादी कह सकता है कि उसने वादी के कर्जदार के साथ मुआमला करने से पहिले जमानत ता० . ..को नोटिस के द्वारा या अन्य प्रकार से वापिस ले ली।

* (१) ज़ामिन के ऊपर मुक़द्दमे में प्रतिवाद जब कि अदायगी का विरोध हो

१—यह कि कुल रुपया . जिसकी जमानत प्रतिवादी ने की थी वाद स्थापित होने से पहिले अदा कर दिया गया।

नो —यह नमूना परिशिष्ट १ अपेन्डिक्स (अ) भाग ४ व्यवहार विधि संग्रह का नमूना न० ३ है।

२—यह कि प्रतिवादी को वादी ने जिम्मेदारी से छोड़ दिया और असल देनदार को ता०... . की तहरीर से मुहलत दे दी।

(२) जमानत से इनकार करने पर

(वाद-पत्र पद १२ न० ३ का प्रतिवाद पत्र)

प्रतिवादी का निवेदन है—

१—धारा नं० १ अर्जीदावा में लिखी हुई या और कोई जमानत प्रतिवादी ने, रामलाल की नहीं की।

२—प्रतिवादी ने वादी को रामलाल के सभ्य और माननीय पुरुष होने के बारे में एक शिफारसी पत्र लिख दिया था परन्तु उसमें प्रतिवादी ने अपने ऊपर जमानत की तरह पर कोई उत्तरादायित्व नहीं लिया था।

३ - वादी ने उस चिठ्ठी के ऊपर रामलाल को उस समय या उसके कई महीने बाद तक कोई माल नहीं दिया और वह चिठ्ठी बेकार रही।

४—वादी ने उस चिठ्ठी के बहुत दिनो बाद वह माल जिसका कि वर्णन धारा नं० १ अर्जीदावे में किया गया है अपने स्वय उत्तरदायित्व पर रामलाल को दिया। उसके बारे में प्रतिवादी ने कोई जमानत नहीं की।

५—प्रतिवादी दावे के रुपये का देनदार वादी को नहीं है।

(३) बेबाक़ी और जुम्मेदार न होने का विरोध होने पर

(वाद-पत्र पद १२ नं० ४ का प्रतिउत्तर)

मुद्दायलह का बयान इस प्रकार है—

१—मुद्दई के यहाँ अहमदउल्ला ६ मास तक नौकर रहा और उसने नौकरी छोड़ते वक्त कुल हिसाब वादी को समझा दिया और जो कुछ रुपया मुद्दई का उसके पास क्लर्क की हैसियत से था, मुद्दई को सुपुर्द कर दिया।

२—यदि अहमदउल्ला ने जमानत नामे के शर्तो की बमूजिब कुल रकमें जो क्लर्क की हैसियत से उसके पास थीं वादी को हवाला नहीं की या माहवारी हिसाब मुद्दई को नहीं समझाया तो प्रतिवादी निवेदन करता है कि अहमद उल्ला ने बेईमानी और गबन किया और यह बेईमानी और गबन एक महीने के बाद वादी के इल्म और इत्तला में हुआ। अर्जीदावे के फ़िकरा न० ३ में लिखी हुई सब रकमें इसी तरह की हैं।

३—वादी ने अहमदउल्ला की बेईमानी और गबन का इल्म और इत्तला होने पर भी उसको मौकूफ नहीं किया।

७—वादी ने स्वय प्रतिज्ञा भंग की (वादी ने जो कुछ किया हो वह लिखा जावे)।

८—प्रतिवादी दैवीकारण या शाही लड़ाई (या जो कुछ कारण हो जिससे वह कानूनी जुम्मेदारी से छूट सकता हो) से प्रतिज्ञा को पूर्ण या उसकी शर्त को पूरा नहीं कर सका।

९—हर्जा जो माँगा गया है गलत है या वादी उसके पाने का स्वत्व नहीं रखता, (जो कुछ वजह हो वह लिखी जावे जैसे कि वायदे की मिती का भाव नहीं लगाया गया या कि वादी ने हानि दूर या कम करने की कोशिश नहीं की जो विधानानुसार उसको करना चाहिये थी या कि हर्जा प्रतिवादी के काम का फल नही है इत्यादि)।

(१) वादपत्र पद १३ न० ३ का प्रतिवाद-पत्र जब आपत्ति इनकारी अन्यथा बेबाकी की हो

प्रतिवादी का बयान निम्नलिखित है—

१—प्रतिवादी इनकार करता है कि उसने वादपत्र में लिखी हुई तिथि या किसी दूसरी तिथि को वादी को १०० बोरे आटे या किसी बोरी आटे का वादपत्र में दी हुई तारीख या किसी और तारीख पर हवाले करने और उनकी बाबत······रुपये या कोई और रकम लेने की प्रतिज्ञा की।

२—अन्यथा प्रतिवादी निवेदन करता है कि ता०····· को दोनों पक्षों में सुलह होकर यह करार पाया कि प्रतिवादी दावे व खर्चे की बेबाकी में वादी को......रु० अदा करे और प्रतिवादी ने यह रुपये वादी को अदा कर दिया और उसने उस रुपये को दावे और खर्चे की बेबाकी में स्वीकार कर लिया।

(२) पूर्ण प्रतिज्ञा न होने की आपत्ति होने पर

(पद १३ वादपत्र न० ४ का प्रतिवाद-पत्र)

१—दोनों पक्षों के बीच में कोई पूर्ण अनुबन्ध नहीं हुआ—वादी की ओर से दलाल के मारफत अकुआ रुई की खरीद के लिए सदेशा इस शर्त पर मिला था कि वादी प्रतिवादी से १५१ मन रुई २३) रु० प्रति मन के हिसाब से बैसाख सुदी १ सवत १९९९ से लेकर जेष्ठ सुदी १५ संवत १९९९ तक तुलवा लेगा और जितना भी माल तुलता जावेगा उसकी कीमत वादी उसी वक्त अदा करता जावेगा और दोनों पक्ष ढाई २ सौ रुपया मदन मोहन या......के पास जमा कर दें जो किसी फरीक के वायदा तोड़ने पर दूसरे फरीक को हर्जा के रूप में दे दिया जावे।

२—वादी ने यह २५०) रु० मदन मोहन के पास जमा नहीं किया और इसलिये पूरा मुआहिदा नहीं होने पाया।

३—यदि यह व्यवहार पूर्णतया मान भी लिया जाय तो प्रतिवादी निवेदन करता कि वह वादी की ओर से पहिली शर्त पूरी न होने से रद्द हो गया।

४—यह व्यवहार जुआ की तरह था और अनुबंध विधान (Contract Act) की धारा ३० के अनुसार प्रभावहीन और प्रचार के अयोग्य है।

५—रुई का भाव वैशाख सुदी १ और जेष्ठ सुदी १५ सवत १९९९ के बीच में २१) रु० प्रति मन से कम रहा और वादी की कोई हानि नहीं हुई।

६—बयाने का १००) रु० वादी अपने आप मुआहिदा तोड़ने की वजह से पाने का अधिकारी नहीं है।

१४—प्रिन्सिपेल और एजेन्ट

साधारण प्रतिउत्तर

१—दोनों पक्षों में प्रिन्सिपेल और एजेन्ट का सम्बन्ध नहीं था।

या कि वादी, प्रतिवादी का या प्रतिवादी, वादी का (जैसी परिस्थिति हो) ऐजेन्ट नहीं था।

या कि प्रतिवादी ने वादी को या वादी ने प्रतिवादी को एजेन्ट नहीं रक्खा।

२—प्रतिवादी को वादी का या वादी को प्रतिवादी का (जैसी रिस्थिति हो) वादी की बयान की हुई शर्तों पर एजेन्ट होना स्वीकार नहीं है। दोनों पक्षों की नियत की हुई असली शर्तें यह थीं :—

(यहाँ पर एजेन्सी की शर्तें, स्पष्ट रूप से और विवरण सहित लिखी जावें, और यदि उनकी बाबत कोई लिखा पढी या पत्र व्यवहार हुआ हो तो उसका उल्लेख किया जावे और यदि किसी विशेष शब्द या वाक्यों का लिखना आवश्यक हो तो वह भी लिखा जावे)।

३—प्रतिवादी ने एजेन्सी की शर्तों के अनुसार काम किया। वादी जो शर्तों के विरुद्ध काम करना बयान करता है उससे इनकार है, (जैसे माल आदेश के अनुसार खरीदा व बेचा था हिसाब जैसे ठहरा था वैसे समझा दिया और रोकड़ व दस्तावेज़ या दूसरा माल सँवार दिया या तनख्वाह या कमीशन ठहरा हुआ दे दिया)।

४—वादी ने एजेन्सी की शर्तों को पूरा नहीं किया और इससे प्रतिवादी का इतने रुपये (संख्या लिखो) का हर्जा और नुक़सान हुआ।

(यहाँ पर वादी के शर्तों के तोड़ने और हर्जे इत्यादि की घटनाएँ विवरण सहित लिखी जानी चाहियें)।

१५—अपना स्वत्व बचाने के लिये दूसरे के ज़ुम्मेदारी की अदायगी

साधारण प्रतिउत्तर

१—यह कि वादी ने झगड़े वाली अदायगी नहीं की।

२—प्रतिवादी झगड़े की रक़म का देनदार नहीं था, या कि।
प्रतिवादी अपने ज़ुम्मे का मतालबा वादी की बयान की हुई तारीख़ अदायगी से पहिले दे चुका था।

३—यह कि वह अदायगी, वादी ने अपने आप अपना हिस्सा या स्वत्व प्रमाणित या क़ायम करने के लिये की।

४—प्रतिवादी को इस अदायगी से कोई लाभ नहीं पहुँचा।

५—माँगे हुए रुपये की संख्या या उसका हिसाब गलत है।

६—सूद अनुचित या अधिक लगाया गया है।

७—प्रतिवादी वादी के दावे का कुल रुपया या कुछ मतालबा अदा कर चुका है।

(१) वाद-पत्र पद १५ नमूना नं० १ का प्रतिवाद पत्र जब अदायगी और बेबाक़ी की आपत्ति है।

१—वाद पत्र की धारा नं० १ स्वीकार है।

२—वाद पत्र की धारा नं० २ से इनकार है। वादी ने इक़रारनामे की शर्तों के विरुद्ध ३४ मन धनियाँ १३६) रु० का और ४१ मन सौंफ २०५) रु० की, जो साझे की वादी के अधिकार में थी, प्रतिवादी को नहीं दी और साझे के कारख़ाने का सामान, जिसका विवरण इस प्रतिवाद पत्र के साथ दिया गया है, १६८) रु० का वादी ले गया।

३—धारा नं० ३ स्वीकार है।

४—धारा० नं० ४ स्वीकार नहीं है। वादी के पास ऊपर लिखी धारा नं० २ के अनुसार ५३०) रु० का माल और सामान रहा और केवल ४७६) रु० साझे की डिग्री का उसने अदा किया। इक़रारनामे की शर्त के अनुसार साझे के सामान का मूल्य तक के लिये, जो वादी के पास रहा, उसको दावा करने का अधिकार नहीं है। जो मतालबा वादी चाहता है वह बेबाक़ हो चुका है।

(२) प्रतिवादपत्र पद १५ नमूना नं० ३ का

जब जुम्मेदारी का झगड़ा हो

१—ठेकेनामे ता०.........महीना...   सन्.. ..... के द्वारा वादी और प्रतिवादी बराबर भाग के ठेकेदार थे। वादी का यह बयान कि अकेला प्रतिवादी ठेकेदार था और वादी ठेका लिखने में केवल इस लिये सम्मिलित हुआ कि ठेके के रुपये की अदायगी का विश्वास हो जावे सही नहीं है।

२—ठेके के वर्षो में वादी और प्रतिवादी दोनो ने ठेके वाली सम्पत्ति का लगान प्राप्त किया। प्रतिवादी ने अपने हिस्से के लाभ की संख्या तक लगान प्राप्त किया बाकी लगान वादी ने वसूल किया और जमींदार को ठेके का रुपया अदा नहीं किया।

३—जमींदार के ठेके के रुपये का देनदार जिसकी डिग्री सादिर हुई वादी था। उसके विषय में कोई मुतालबा प्रतिवादी पर वाजिब नहीं है।

४—प्रतिवादी इस बात पर भी सहमत है कि दोनों पक्षो के बीच लगान की वसूलयाबी और ठेके के रुपये की अदायगी का हिसाब करा दिया जावे और हिसाब से जो रुपया एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार के जुम्मे निकले उसकी डिग्री पाने वाले के अधिकार में कर दी जावे।

१६—रसदी

(Contribution)

साधारण प्रतिउत्तर

१—नालिश के रुपये की अदा करने की कोई सयुक्त जुम्मेदारी वादी और प्रतिवादी की नहीं थी।

२—प्रतिवादी दावे के रुपये का देनदार नहीं था।

या कि अकेला वादी ही उस रुपये के अदा करने का उत्तरदायी था।

३—वादी ने वह रुपया अदा नही किया।

४—वादी को रुपया अदा करने की कोई मजबूरी नही थी। उसने रुपया अपनी खुशी से अदा किया।

या उसने अपने आप अपना कब्जा या अधिकार प्रमाणित करने के लिये रुपया अदा किया।

५—वादी ने किराया या लगान या लाभ (या कोई अन्य मतालबा जिसके कारण दावे का रुपया अदा करने की जिम्मेदारी पैदा होती है,) वसूल किया और उससे दावे का कुल रुपया या उसका भाग बेबाक हो गया या प्रतिवादी का वादी के ऊपर और अधिक रुपया निकलता है।

६—प्रतिवादी ने अपने हिस्से का रुपया वादी को (या और किसी तरह पर) अदा और बेबाक कर दिया।

७ - दावे के रुपये का हिसाब इस भाँति है

(यहाँ पर ठीक हिसाब और मतालबा लिखा जावे)।

८—प्रतिवादी सूद का देनदार नहीं है क्योंकि:—

(यहाँ पर सूद की जिम्मेदारी से बचने का कारण लिखना चाहिये)।

(१) प्रति उत्तर, वादपत्र पद १६ न० २ का, जब कि उत्तरदायित्व की संख्या और अदायगी की आपत्ति हो

१ – वादपत्र की धारा १ स्वीकार है।

२ – वादपत्र की धारा २ स्वीकार नहीं है। दोनों पक्ष ने ऋण का रुपया आधा २ लिया था और आधे २ ऋण व ब्याज के देनदार दोनों पक्ष थे।

३ – वादपत्र की धारा न० ३ सही नहीं है। दोनों पक्षों ने २००) रु० साझे के कारोबार की आय से अदा किये थे और उसकी रसीद दोनों के नाम से दी गई थी जो इस प्रतिवाद पत्र के साथ पेश की जाती है।

४—वादपत्र की धारा ४ स्वीकार है।

५—वादपत्र की धारा ५ में रुपये की संख्या ठीक नहीं है और सूद देने के उत्तरदायित्व से इनकार है। प्रतिवादी के ऊपर केवल... ... रुपये चाहिये जो उसने वादी को देना चाहा और नोटिस भी दिया लेकिन वादी ने नहीं लिया। यह रुपयो अदालत में दाखिल किया जाता है।

६—जितना रुपया प्रतिवादी स्वीकार करता है उससे अधिक के सम्बन्ध में उपशमन से इनकार है।

७—वादी, प्रतिवादी के खर्चा का देनदार है।

(२) प्रतिवाद-पत्र, वादपत्र पद १६ न० ४ का, जब कुर्की मौजूद न होने की आपत्ति हो

१—वादी की डिग्री में नीलाम के समय कोई कुर्की क़ायम नहीं थी। डिग्री की इजराय ख़ारिज हो कर कुर्की छूट चुकी थी।

२—प्रतिवादी ने नीलाम का कुल रुपया उचित् रूप से वसूल किया। उसमें से वादी किसी हिस्से के पाने का अधिकारी नहीं है।

३—वादपत्र में लिखा हुआ हिसाब प्रतिवादी के स्वीकार नहीं है और ब्याज की देनदारी से बिल्कुल इनकार है।

१७—फरेब (प्रपन्च) और धोखा

(१) वाद-पत्र पद १७ न० ३ का प्रतिवादपत्र, इन्तक़ाल लेने वाले की ओर से जब कि नेकनीयती और धोखे की ख़बर न होने की आपत्ति हो

[नोट— धोखा या फरेब के रूप रङ्ग प्रत्येक मुक़दमे में भिन्न भिन्न होते हैं इसलिये अन्य घटनाओं की इन्कारी या स्वीकारी पर भी धोखे का ज्ञान न होना लिखना चाहिये।]

१—वाद-पत्र की धारा न० १ से ३ तक का कोई सम्बन्ध उत्तरदाता प्रतिवादी से नहीं है। वह उनको स्वीकार नहीं करता।

२—धारा न० ४ उत्तरदाता प्रतिवादी को एक सन्दूक चाय प्रतिवादी रामलाल से मोल लेना स्वीकार है। परन्तु इससे बिलकुल इनकार है कि प्रतिवादी को वादपत्र की धारा न० १ में लिखे हुए बयान या रामलाल के दूसरे किसी बयान के झूँठ होने का ज्ञान था।

३—उत्तरदाता प्रतिवादी ने चाय नेकनीयती से मामूली व्यौपार में बाजार भाव से.... रुपये में राम लाल से खरीद की और कीमत अदा की। उस समय उसको रामलाल के वादी से या किसी और आदमी से उस माल की बाबत झूँठ बयान करना बिलकुल ज्ञात नहीं था।

४—उत्तर दाता के कब्जे से माल दिलाये जाने की प्रार्थना विधान विरुद्ध है। वादी को इस प्रकार का कोई स्वत्व नहीं है और वादी की कोई हानि उत्तरदाता प्रतिवादी के किसी काम करने से नहीं हुई।

१८—चल सम्पत्ति

(१) वादपत्र पद १८ नं० ३ का प्रतिवाद-पत्र जब कि वादी के मालिक होने और माल हवाला करने से इनकार हो।

१—ता० . ..को जो चित्र (तस्वीर) प्रतिवादी को सावधानी से रखने को दिया गया था, वह शिवकुमार ने दिया था और उसने अपने आपको उसका स्वामी बतलाया था।

२—प्रतिवादी को, वादी का उस चित्र का मालिक होना स्वीकार नहीं है।

३—प्रतिवादी को इस बात से इनकार है कि चित्र सावधानी से रखने के लिये वादी ने प्रतिवादी के सुपुर्द कराया।

४—शिवकुमार और वादी दोनों उक्त चित्र को प्रतिवादी से माँगते हैं। प्रतिवादी चित्र को उस पुरुष को दिये जाने के लिये अदालत में दाखिल करता है जो उसका अधिकारी हो।

५—प्रतिवादी को... ..रु० चित्र को सावधानी से रखने और प्रतिउत्तर का खर्चा, उस मनुष्य से दिलाया जावे जो चित्र का अधिकारी निर्णीत किया जावे।

६—वादपत्र की धारा नं० ४ के बयान सही नहीं हैं और प्रतिवादी उनसे इनकार करता है।

१६—साझा या शरा

साधारण प्रतिउत्तर

१—वादी और प्रतिवादी के मध्य में वादी की बयान की हुई शराकत या और कोई साझा नहीं था।

२—प्रतिवादी को वादी की बयान की हुई शराकत से बिल्कुल इनकार है। जो साझा दोनों पक्षों में हुआ था वह ता०······क क़ायम हुआ या इतनी अवधि या साल तक क़ायम रहा और उसकी शर्तें यह थीं :—

(कुल शर्तें घटनाओं के साथ लिखी जावें और यदि कोई लिखा पढ़ी या पत्र व्यवहार उसके सम्बन्ध में हुआ हो तो उसका भी उल्लेख किया जावे)

३—साझे में (अ—ब) व (क—ख) इत्यादि साझी थे जिनको वादी ने हिस्सेदार प्रगट नहीं किया।

या कि (स—र) व (ल—य) इत्यादि साझी नहीं थे जिनको वादी साझी बयान करता है।

४—हिस्सेदारों के हिस्सो की संख्या वादी ने सही बयान नहीं की। हिस्सो की ठीक संख्या यह थी—

(यहाँ पर हिस्सों का विवरण लिखा जावे)।

५—ता०······को साझा टूट चुका था।

या ता० ···को टूट गया (किसी हिस्सेदार के मरने या दिवालिया (इनसालवेंट) हो जाने की वजह से या हिस्सेदारों की सहमति से या जो कुछ कारण हो लिखा जावे)।

६—साझे का हिसाब हिस्सेदारों में समझ कर तय हो गया। अब कोई हिसाब बाक़ी नहीं है।

७—प्रतिवादी को साझा तोड़ने में या हिसाब समझे जाने में कोई इनकार नहीं है।

८—वादी ने साझे की शर्तों के विरुद्ध काम किया जिससे साझे के कारोबार को हानि पहुँची, वादी उसका ज़ुम्मेदार है।

९—वादी हिसाब समझाने का ज़ुम्मेदार है और उसके कब्जे में साझे का बहीखाता या रोकड़ या दोनो रहते थे, या हैं।

१०—प्रतिवादी कुल साझियों की सहमति से ता०······के इक़रारनामे के द्वारा (या अन्य प्रकार से जैसी हालत हो) हिसाब समझने के बाद अपना हिस्सा लेकर (या अपने हिस्से की ज़ुम्मेवारी के··· रुपये देकर) पृथक हो गया। इक़रार नामे की तारीख से प्रतिवादी का साझे से कोई सम्बन्ध नहीं रहा।

(१) वाद-पत्र पद १९ नं० ४ का प्रतिवाद-पत्र, जब कि साझे की शर्तों के सम्बन्ध में झगड़ा हो

१—वाद पत्र की धारा १ स्वीकार है।

२—वाद पत्र की धारा २ स्वीकार है।

३—वाद पत्र की धारा ३ में यह शब्द "हिस्सेदारों के मन्ज़ूर किये हुये" स्वीकार नहीं है बाक़ी स्वीकार है।

४—वाद पत्र की धारा ४ स्वीकार है।

५—वाद पत्र की धारा ५ में लाला महावीर प्रसाद मैनेजर का देवालिया क़रार दिया जाना स्वीकार है।

६—वाद पत्र की धारा ६ में मैनेजर के भाग का नीलाम और प्रतिवादी नम्बर १ का खरीदना स्वीकार है बाक़ी स्वीकार नहीं है।

७—वाद पत्र की धारा ७ से ११ तक प्रत्येक से और सबसे, उपशमन सहित स्वीकार नहीं है।

अतिरिक्त आपत्तियाँ

८—ता० ६ जुलाई सन् १९३५ ई० के इक़रारनामे में यह शर्त है कि जिस समय तक साझे का कारखाना स्थापित रहे किसी साझीदार को साझे से पृथक होने का अधिकार न होगा। और यह भी शर्त है कि किसी समय किसी साझीदार या उसके स्थानापन्न को अपना हिस्सा अलग या बटवारा कराने का अधिकार न होगा और जब कोई हिस्सेदार दिवालिया क़रार दिया जावे तो उसके हिस्से का खरीदार हिस्सेदार मान लिया जावेगा और साझा स्थापित रहेगा। ऊपर लिखी शर्तों के विरुद्ध यह दावा नहीं चल सकता।

९—वादी का यह बयान कि महावीर प्रसाद के दिवालिया हो जाने से साझा टूट गया सही नहीं है।

१०—उत्तर दाता प्रतिवादी महावीर प्रसाद, जयशंकर और सागरमल के हिस्सों का खरीदार है और उसने उचित रूप से कारखाने पर अधिकार प्राप्त किया है।

११—उत्तरदाता प्रतिवादी महावीर प्रसाद मैनेजर का स्थानापन्न है और इक़रारनामे की शर्तों के अनुसार साझे के कारखाने का मैनेजर है।

१२—दखल लेते समय उत्तरदाता प्रतिवादी के अधिकार में कोई पहिला बहीखाता नहीं आया और उस समय कारखाने की बहुत बुरी हालत थी और बहुत सा सामान व कल इत्यादि पुरानी और खराब थीं और कुछ सामान व कल इत्यादि उपस्थित नहीं था। प्रतिवादी ने लगभग ८०००) रु० लगा कर जिसका हिसाब पेश किया जाता है कारखाने को चालू किया है।

१३—वादी का बयान कि कारखाने के सामान को विक्रय कर उसका रुपया प्रतिवादी ने अपने काम में लगा लिया है, झूँठ है।

१४—वादी कोई उपशमन पाने का अधिकारी नहीं है।

१५—हर दशा में उत्तरदाता प्रतिवादी अपनी लागत का रुपया पाने का अधिकारी है।

१६—वादी का भाग केवल दो आने का है। साझा तोड़ने से कारखाना बिल्कुल बेकार हो जायगा और उसका बटवारा किसी तरह नहीं हो सकता। साझा तोड़ने की दशा में कारखाने का नीलाम होना चाहिये।

(२) वाद-पत्र पद १९ न० ५ का प्रतिवादपत्र, जब दूसरे साझी होने और वसीयत हो जाने की आपत्ति हो

प्रतिवादी का प्रतिउत्तर इस प्रकार है—

१—झगड़े वाली दूकान जीवाराम कड़ेरमल में जीवाराम, कड़ेरमल, गुलाबराय और रघुबर दयाल एक २ चौथाई के साझी थे। वादी का यह बयान कि जीवाराम और कड़ेरमल आधे २ के साझी थे झूँठ है।

२—कड़ेरमल ने मरते समय यह वसीयत की कि उसके भाग की जो कुछ पूँजी हिसाब से निकले उससे एक धर्मशाला और कुँआ, बगीचा और प्याऊ बना दी जावे और उसके पूरा करने के लिये अपने भाँजे ख्याली राम और श्यामलाल वल्द मोहन लाल ब्राह्मण को कार्य्यकर्ता (मुहत्मिम) नियत किया।

३—उक्त वसीयत के अनुसार कड़ेरमल के भाग की, साझे की रकम जो हिसाब से निकली कार्य्यकर्ताओं के सुपुर्द कर दी गई। वह लोग कुँआ बना रहे हैं और दूसरे काम वसीयत के अनुसार करने को हैं।

४—प्रतिवादियों को वादी का कड़ेरमल का तयेरा (ताया़ज़ाद) भाई और उसका उत्तराधिकारी होना स्वीकार नहीं है।

५—वादी साझा तुड़वाने और हिसाब समझने का अधिकार नहीं रखता और न उसको कोई पूँजी पाने का अधिकार है।

६—वादी साझे की दूकान पर १५) रु० महीने का नौकर था और कड़ेरमल की मृत्यु के पीछे तक नौकर रहा। उसने कभी प्रगट नहीं किया कि वह कड़ेरमल का उत्तराधिकारी और मालिक है और अपने अकार्यता (तर्क फैल) से प्रतिवादी को वसीयत के अनुसार काम करने पर रुझान दिलाया। वादी का दावा रोक बाद (Estoppel) से वर्जित है।

२०—मालिक व किरायेदार

साधारण प्रति उत्तर

(अ) किरायेदार की ओर से

१—पट्टे की अवधि समाप्त नहीं हुई या कि वह घटना जो किरायेदारी समाप्त होने के लिये आवश्यक थी, नहीं हुई।

२— प्रतिवादी ता०..... महीना......सन् . ...से सम्पत्ति का स्वामी हो गया।

या कि वादी सम्पत्ति का स्वामी नहीं रहा (कुल घटनाएं विवरण सहित क्रमानुसार लिखी जावे)।

३—प्रतिवादी ने ता० . . . को गृह को वादी की सहमति से खाली कर दिया और वादी ने उस पर अधिकार कर लिया।

४—प्रतिवादी ने पट्टे की शर्तों के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कोई बेदखली आवश्यक होती हो।

५—प्रतिवादी ने वादी की मिलकियत से इनकार नहीं किया और न किसी तीसरे आदमी को मालिक प्रगट किया और न वादी ने नालिश दायर करने से पहिले कोई ऐसा कार्य किया जिससे उसका अभिप्राय किरायेदारी समाप्त करने का प्रगट होता हो।

६—वादी ने जायदाद खाली करने का कोई नोटिस प्रतिवादी को नहीं दिया।

७—खाली करने का नोटिस कानून के विरुद्ध था (नोटिस की त्रुटि स्पष्ट रूप से लिखी जावे जैसे नोटिस की अवधि तारीख खतम किरायेदारी पर समाप्त न होती हो या नोटिस अवधि विधान से कम दिन की अवधि का हो, इत्यादि)।

८—किरायेदारी के बीच में या उसके समाप्त होने पर, या नोटिस की अवधि के बीच में या उसके खतम होने पर वादी ने अपने बेदखली के हक से दस्तबरदारी करदी।

या नया मुआहिदा दोनों पक्षों में हो गया और पुरानी किरायेदारी क़ायम रही या नई किरायेदारी पैदा (जैसी परिस्थित हो) ता०······से हो गई और अब तक चल रही है। (इस सम्बन्ध में सम्पत्ति परिवर्तन विधान—एक्ट ४ स० १८८२—की धारा १०६, १११, ११२, ११३ का ध्यान रखना चाहिये)।

९—प्रतिवादी वह किराया जिसका दावा है या उसका कोई भाग वादी को (या वादी के कारिन्दे या ऐजेन्ट को) जो वसूल करने का अधिकार रखता था, अदा कर चुका है।

१०—किराये की दर गलत है असली किराये की दर......रुपये मासिक थी।

११—प्रतिवादी को पट्टे वाली जायदाद पर कब्ज़ा नहीं मिला।

या ता०......को वादी ने या (क—ख) असली मालिक ने प्रतिवादी को बेदखल कर दिया। बेदखली के दिनो के किराये का देनदार प्रतिवादी नहीं है

१२—किरायेदारी के दिनो में प्रतिवादी वह सब काम करता रहा जो किरायेदार की हैसियत से उसको करना चाहिये थे—

(जैसे किरायेदारी के दिनों में मरम्मत कराता रहा और जायदाद को रहने के योग्य बनाये रक्खा और उसका उपयोग ठीक और उचित रूप से किया)।

१३—प्रतिवादी ने वह कार्य नहीं किये जिनकी वादी शिकायत करता है

याकि पट्टे की शर्तों के अनुसार प्रतिवादी को उनको करने का अधिकार था।

१४—प्रतिवादी देनदार किराये या उसके भाग का जो वादी माँगता है, या देनदार हर्जा या उसके भाग का जो वादी चाहता है, नहीं है या उसकी सख्या ग़लत या अधिक है।

१५—यदि कोई विशेष कानून लागू होता हो जैसे सयुक्त प्रान्त में (U. P. Rent control and Eviction Act तो उसके अनुसार आपत्तियाँ की जावे।

(ग) मालिक की ओर से

१—पट्टा देने के समय प्रतिवादी पट्टे देने का अधिकारी नहीं था।

२—प्रतिवादी ने वादी को बेदखल नहीं किया।

३—बेदखल करने के समय किरायेदारी समाप्त हो चुकी थी—

या इस कारण से कि (कारण लिखा जावे) वादी को कब्ज़ा रखने का अधिकार नहीं रहा था।

४—प्रतिवादी ने पट्टे की शर्तों को भग नहीं किया या उनके विरुद्ध कोई अनुचित हस्तक्षेप नही किया।

(२) प्रतिवाद पत्र पद २० न० ५ का, जब वादी की मिल्कीयत से इनकार हो और वास्तविक स्वामी को किराया अदा करने की आपत्ति हो

प्रतिवादी का बयान इस प्रकार है—

१—वाद पत्र की धारा न० १ में दूकान वादी की होने से इनकार है। वह दूकान के मालिक नहीं हैं। बाकी स्वीकार है।

२—उक्त दूकान रामलाल की मिलकियत उसके पुरखों के समय से चली आती है और प्रतिवादी रामलाल और उसके पुरखों की ओर से उसमें किरायेदारी पर १५ वर्ष से रहता चला आता है।

३—धारा न० २ में किराये नामे का लिखना स्वीकार है लेकिन वह वादी के नाम रामलाल के सरक्षक होने की हैसियत से लिखा गया जो उस समय अवयस्क था और वादी उसके सार्टीफिकट प्राप्त सरक्षक थे।

४—धारा न० ३ वादपत्र में किसी किराये के बाक़ी होने से इनकार है प्रतिवादी हर महीने किराया रामलाल को, जो बहुत दिनों से वयस्क है अदा करता है। रसीद किराया साथ नत्थी हैं।

(३) प्रतिवाद पत्र पद २० न० ७ का, जब अदायगी और नोटिस अनुचित होने की आपत्ति हो

१—वाद पत्र की धारा १ और २ स्वीकार हैं।

२—वाद पत्र की धारा ३ में प्रतिवादी का अभी तक किरायेदार की हैसियत से आबाद होना स्वीकार है बाकी स्वीकार नहीं है—प्रतिवादी ने फर्वरी सन् १६३५ ई० का किराया मनीआर्डर के द्वारा २५ मार्च सन् १६३५ को वादी के पास भेजा। वादी ने उसको २ अप्रैल सन् १६३५ ई० को वापिस कर दिया जो प्रतिवादी को ७ अप्रैल सन् १६३५ ई० को मिला।

३—प्रतिवादी ने मार्च सन् १६३५ का किराया भी वादी के पास मनीआर्डर से भेजा वादी ने वह भी वापिस कर दिया। वादी का यह बयान कि फर्वरी से मार्च सन् १६३५ तक का किराया बाकी है सही नहीं है—प्रतिवादी ने नालिश की सूचना होते ही वह किराया वादी को दिये जाने के लिये अदालत में दाखिल कर दिया है।

४—प्रतिवादी ने किराया अदा करने में किरायेनामें की शर्तों को नहीं तोड़ा। वह किरायेनामे की शर्तों के अनुसार बेदखल नहीं होना चाहिये।

५—वादपत्र की धारा ४ में केवल नोटिस का आना स्वीकार है परन्तु नोटिस विधानानुसार नहीं थी और उसके द्वारा वादी को नालिश का स्वत्व उत्पन्न नहीं होता।

२१—दस्तावेजों की तरमीम (संशोधन) या मंसूखी

(१) साधारण प्रति उत्तर

१—उन कारणों की अस्वीकारी जिनके आधार पर मसूखी या तरमीम की प्रार्थना की गई हो जैसे वादी-अवयस्कता—पागलपन—वेहोशी इत्यादि या प्रतिवादी का अनुचित दवाव —वेजा असर—गलत बयानी— प्रपञ्च या धोखा—या फरीकैन की गलती इत्यादि (इनकार घटनाओं के विवरण के साथ लिखा जावे)।

२—झगड़े वाला मुआहिदा बिना बदल नहीं था।

या मुआहिदे का अभिप्राय विधानानुसार उचित था और सदाचार (Morality) या जननीति (Public policy) के विरूद्ध नहीं था।

या किसी कानून से वर्जित या किसी कानून की खिलाफ वर्ज़ी पर निर्भर नहीं था

या धोखा और फरेव से भरी हुई या दूसरे आदमी की ज़ात या जायदाद को हानि पहुँचाने का नहीं था (कुल घटनाएँ तफसील से लिखी जावें यदि इन कारणों से मुआहिदा मसूख या सशोधन कराने का दावा हो)।

३—झगड़े वाले मुआहिदे से कभी आदमी की शादी—पेशा—तिजारत कारबार या कोई कानूनी कारर‌वाई रोकने की गरज़ नहीं थी (वह घटनाऐ जिनसे असली अभिप्राय प्रकट होता हो लिखी जावें)।

४—झगड़े वाला मुआहिदा जुए का नहीं था (यदि इस बिनाय पर मसूखी चाही गई हो) इस सम्बन्ध में अनुबन्ध विधान (एक्ट ६ सन् १८७२) की धाराओं का ध्यान रक्खा जावे—

५—यदि परदानशीन—नासमझ या परामर्श न मिलने की शिकायत हो तो यह कि वादिनी परदानशीन नहीं है या पढ़ी हुई है और व्यवहार को समझने की योग्यता रखती है और उसने (अ — ब) और (क—ख) अपने सम्बन्धी या कारकुन इत्यादि से (जैसी सूरत हो) परामर्श लेकर सोच विचार के बाद झगड़े वाला व्यवहार किया और उसके प्रभाव को अपने हक़ पर अच्छी तरह समझकर उसकी लिखा पढ़ी की।

६—मुआहिदा या दस्तावेज़ जैसा कि मौजूद है दोनों पक्षों की मनशा और गरज को ठीक तरह से प्रकट करता है और कुल शर्तें—सम्पत्ति का विवरण या और बातें उसमें वही और उसी तरह लिखी हैं जैसी दोनों पक्षों में ठहरी थीं।

(२) वादपत्र पद २१ न० ४ का प्रतिवाद पत्र जब कि वयस्क होने की आपत्ति हो

१—वाद पत्र की धारा १ में वादी के अवयस्क (नाबालिग) होने से इनकार है उसकी माँ का सार्टीफिकट-प्राप्त संरक्षक होना प्रतिवादी को ज्ञात नहीं है।

२—वाद पत्र की धा० २ स्वीकार नहीं है।

३—धा० ३ और उसके सब बयानात और हर एक बयान से प्रतिवादी को इनकार है।

४ धारा ४ में चंद रुक्कों और दस्तावेजों का अपने नाम वादी से लिखाना प्रतिवादी को स्वीकार है, और घटनाओं से इनकार है, प्रतिवादी ने अपने किसी मित्र के नाम कोई रुक्का या दस्तावेज़ झूँठे नहीं लिखाये—प्रतिवादी के नाम जो रुक्के वादी ने लिखे वह पूरा बदल लेकर लिखे केवल ४००) रु० दिये जाने का बयान झूँठ है।

५—धा० न० ५ में विक्रय पत्र का लिखा जाना स्वीकार है और घटनाएँ स्वीकार नहीं है असल घटनायें अतिरिक्त बयान में लिखो हैं।

६ - धा० ६ व ७ से पूर्णतया इनकार है।

७—धा० ८ से लेकर १० तक उपशमन सहित स्वीकार नहीं हैं।

अतिरिक्त बयान

८—वादी अवयस्क नहीं हैं उसकी अवस्था २५ साल की है और वह बहुत दिन से अपना कार्य वयस्क की हैसियन से करता है।

९—वादी की ओर से गैर आदमी की संरक्षता से, जब कि सार्टीफिकट-प्राप्त उसकी संरक्षक माँ मौजूद है दावा दायर होना व्यवहार-विधि-संग्रह के आर्डर ३२ नियम ४ के विरुद्ध अनुचित है।

१०—वादी और प्रतिवादी की कोई मित्रता नहीं है और न एक साथ बैठना उठना था। वादी पर प्रतिवादी का कोई प्रभाव नहीं था।

११—कई साल से वादी वयस्क की तरह अपना कारोबार करता था और अपनी जमींदारी का नम्बरदार था और लगान की तहसील वसूल स्वय करता था।

१२—वादी के ऊपर कई आदमियों का ऋण रुक्के और दस्तावेजों का था और एक रुक्के और एक दस्तावेज का ऋण प्रतिवादी का भी था।

१३—वादी को ऋण अदा करने इत्यादि के लिये रुपयों की आवश्यकता थी और झगड़े वाली सम्पत्ति को विक्रय करना चाहता था उसने सम्पत्ति के कुल कागज़ उसके अधिकार में थे और एक वयस्क होने का सार्टीफिकट जो उसने सिविलसर्जन से कई वर्ष पहिले से ले रक्खा था, प्रतिवादी को दिखलाया। प्रतिवादी ने नेक नीयती से विक्रयपत्र का मामला उचित मूल्य पर तय किया। वादी ने उसकी लिखा पढी पूरी कर दी और प्रतिवादी ने उसका पूरा मुआवज़ा अदा कर दिया। 'रसीद और दूसरे अदायगी के कागज़ नत्थी किये जाते हैं।

१४—वादी का बयान फर्जी रुपया मुजरा करने और केवल २००) रुपया देने के विषय में झूँठ है।

१५—जायदाद पर वादी काबिज़ नहीं है। प्रतिवादी काबिज़ है और उसका नाम अदालत माल से दाखिल हो चुका है।

१६—वादी की ओर से, केवल मसूखी और इस्तक़रार का दावा धारा ४२ निर्दिष्ट उपशमन विधान (Specific Relief Act) के अनुसार नहीं चल सकता।

१७—प्रतिवादी को यह स्वीकार नहीं है कि वादी के संरक्षक बनने का कोई सार्टीफ़िकट उचित रूप से लिया गया। अगर कोई फरेबी और साजशी कार्यवाही उसके सम्बन्धियों ने की हो तो वह वादी पर पाबन्दी के योग्य नहीं हैं।

१८—बदल की तरह पर प्रतिवादी प्रार्थना करता है कि बैनामे के रुपये से वादी ने लाभ उठाया है यदि किसी वजह से बैनामा मंसूख किया जावे तो ऐसी हालत में प्रतिवादी को बैनामे का कुल रुपया और उसका सूद वादी और बै की हुई जायदाद से मिलना चाहिये।

२२—प्रतिज्ञा की विशेषपूर्ती

(Specific Performance)

(१) साधारण प्रतिउत्तर

१—प्रतिवादी ने वादी के साथ कोई आपसी प्रतिज्ञा नहीं की।

२—(अ—ब) प्रतिवादी का ऐजेन्ट नहीं था (यदि वादी ने ऐसा बयान किया हो)।

३—वादी ने नीचे लिखी शर्तें पूरी नहीं की (शर्तें लिखो)।

४—प्रतिवादी ने अंश पूर्ती (Part Satisfaction) के बयान किये हुये काम नहीं किये।

५—वादी का हक़ मिलिकियत जायदाद में जो बिक्री होना ठहरी थी ऐसा नहीं है जिसको प्रतिवादी नीचे लिखी बातों के कारण से मंजूर करने पर मजबूर हो (लिखो क्यों)।

६—आपसी प्रतिज्ञा नीचे लिखी बातों के विषय में अनिश्चित (Uncertain) है (वह बातें लिखो)।

७—वादी ढील करने का दोषी (Guilty of Laches) है।

८—वादी धोखा (या मिथ्या वाद—ग़लत बयानी) करने का दोषी है।

९—या प्रतिज्ञा न्याय विरुद्ध (Illegal and Unfair) है।

१०—या इक़रार दोनों पक्षों की ग़लती से हुआ।

११—धारा (७), (८), (९), (१०) की जैसी सूरत हो, घटनाऐं यह हैं :—

(यहाँ पर आवश्यक घटनाऐं लिखो)।

(उन मुक़दमों में जहाँ हर्जे का दावा हो और प्रतिवादी अपनी हर्जे की देनदारी न मानता हो तो उसको आपसी प्रतिज्ञा करने से इनकार करना चाहिये या प्रकट करना चाहिये कि कौन ऐसे कारण हैं जिन पर वह भरोसा करना चाहता है जैसे अवधि विधान—बेबाकी और अदायगी—दस्तबरदारी—धोखा इत्यादि)।

(२) वादपत्र पद २२ न० ४ का प्रतिवाद पत्र जब वादी के प्रतिज्ञा भंग करने की आपत्ति हो

१—वाद पत्र की धारा न० १, २ व ३ स्वीकार हैं।

२—वाद पत्र की धारा ४, ५ व ६ उपशमन सहित स्वीकार नहीं हैं।

३—जो झगड़े का निपटारा इस मुक़दमे के दोनों पक्षों में अदालत अपील से झगड़े वाली ज़मीन को एक हफ्ते के अन्दर बेचने का ठहरा था उसको पूरा करने के लिये उत्तर-दाता प्रतिवादी सदा प्रस्तुत रहा और वादी से मुआहिदा पूरा करने के लिये तक़ाज़ा करता रहा लेकिन उसने स्वय मुआहिदे को पूरा नहीं किया।

४—वादी उत्तरदाता प्रतिवादी के तक़ाज़ा करने पर भी एक दिखावटी नोटिस चाला-की से प्रतिवादी को ठहरी हुई अवधि समाप्त हो जाने के बाद ३१ मई सन् १९—को दिया जिसका जवाब प्रतिवादी ने ७ जून सन् १९—के नोटिस से भेजा कि उत्तरदाता प्रतिवादी बैनामा करने को तैयार है। रुपया देकर वादी उसकी रजिस्ट्री करा ले।

५—उत्तरदाता प्रतिवादी ने तारीख २१ जून सन् १९— को वादी को दूसरा नोटिस दिया लेकिन वादी ने दोनों नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और अब तक चुप रहा और बैनामे के बाकी ८०) रुपया अदा करके रजिस्ट्री नहीं कराई और स्वय मुआहिदे को तोड़ा।

६—वादी के बैनामा न कराने से प्रतिवादी की बहुत बड़ी हानि यह हुई कि प्रतिवादी अपनी बाकी ज़मीन पर जो मकान बनाना चाहता था वह नहीं बना सका और जो मलवा इत्यादि उसने तामीर के लिये इकठ्ठा किया था वह ख़राब और नष्ट हो गया।

(३) वादपत्र पद २२ न० ७ का प्रतिवाद पत्र पिछले खरीदार की ओर से जब सूचना न होने की आपत्ति हो।

श्यामलाल प्रतिवादी का प्रतिउत्तर निम्नलिखित है—

१—उत्तरदाता प्रतिवादी को वादी के नाम क्रय प्रतिज्ञा होना और विक्रय पत्र लिखा जाना स्वीकार नहीं है।

२—उत्तरदाता प्रतिवादी को कोई सूचना वादी के बयान किये हुए मुआहिदे की विक्रयपत्र ता० ४ अगस्त सन् १९... ..को अपने नाम लिखाते समय नहीं थी।

३—उत्तरदाता प्रतिवादी खरीदार नेकनीयत वाद अदा करने बदल के वादी के बयान किये हुये मुआहिदे की बिना सूचना और खबर के है और उसके विरुद्ध वादी प्रतिज्ञा की पूर्ती कराने या दखल पाने का अधिकारी नहीं है।

४—उत्तरदाता प्रतिवादी के नाम जो विक्रयपत्र लिखा गया है उसके रुपये का कोई भाग फर्ज़ी नहीं है।

५—उत्तरदाता प्रतिवादी ने केवल १०) एक काश्तकार से झगड़ेवाली जायदाद के वसूल किये हैं। वादी ने जो मुनाफे की सख्या नियत की है वह ग़लत है।

२३–२६ रहन की नालिशें

२३–नीलाम

(१) साधारण प्रतिउत्तर

१—वह सब आपत्तियाँ जो साधारण प्रतिउत्तरों पद १३ (प्रतिज्ञा भंग करना),२१ (तरमीम और मन्सूखी) और २२ (प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ती) में दिये जा चुकी हैं जहाँ तक वह झगड़े वाले व्यवहार से लागू होती हों, नीलाम की नालिश में भी की जा सकती है।

२—यदि नालिश जमानत के आधार पर हो तो वह सारी आपत्तियाँ जो साधारण प्रतिउत्तर पद १२ (जमानत) में लिखी जा चुकी हैं।

३—यदि नालिश रसदी की बिनाय पर हो तो वह सब आपत्तियाँ जो साधारण प्रति-उत्तर पद १६ (रसदी) में दी हैं।

४—यदि नालिश हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्यों के विरुद्ध हो तो यह कि जायदाद रहन की हुई मौरूसी अविभक्त कुल की जायदाद है और उसका रहन (या आड़) कुल के एक सदस्य की ओर से अनुचित है।

या कि वह बिना जरूरत खानदानी हुई है या कि कुटुम्ब के वयस्क सदस्यों की स्वीकृति बिना की गई है या किसी अन्य कारण से प्रचलित होने योग्य माननीय नहीं है।

५—यदि नालिश उत्तराधिकारियों के विरोध में हो तो यह कि आड़ की हुई जायदाद मृत पुरुष की छोड़ी हुई नहीं है या कि प्रतिवादी उसके उत्तराधिकारी नहीं है।

६—यदि नालिश परिवर्तन ग्रहीता या उत्तराधिकारी की ओर से दायर हुई हो तो उनको नालिश का स्वत्व न होने या सार्टिफिकट न लेने इत्यादि के सम्बन्ध में जो विरोध हों वह किये जावें।

७—यदि रहननामे की तहरीर और तसदीक़ के सम्बन्ध में कोई आपत्तिसम्पत्ति परिवर्तन विधान, की धारा ५६ के अनुसार हों तो वह किये जावें।

८—अदायगी की आपत्ति—नीचे लिखी रकमें अदा की गईं।

(रक़मों का विवरण तारीखवार दिया जावे)

९—वादी ने कुल ऋण या उसका कोई भाग तारीख......को छोड़ दिया या मुआफ कर दिया।

१०—वादी ने आड़ी जायदाद स्वय खरीद ली और ऋण बेबाक़ हो गया।

११—सूद की दर तावानी है या सूद का हिसाब गलत है।

१२—मुआमला अनीति व्यवहार (Unconscionab'e bargain) है।

१३—प्रतिवादी ने अपना हक़ आड़ी जायदाद में अ—ब के नाम हस्तान्तर (इन्तकाल) कर दिया।

(२) वाद पत्र पद २३ न० २ का प्रति उत्तर जब रहन स्वीकार न हो और पश्चात दाय भागी होने की आपत्ति हो।

प्रतिवादी का उत्तर इस प्रकार है—

१—धारा न० १ व २ स्वीकार नहीं हैं।

२—धारा न० ३ से इन्कार नहीं है।

३—धारा न० ४ में केसरीराम का देहान्त होना स्वीकार है परन्तु उसने कुछ सम्पत्ति नहीं छोड़ी। उत्तरदाता प्रतिवादी कुटुम्ब के पश्चात दायभागी की हैसियत से जायदाद के स्वामी हुये।

४—धारा न० ५ से लेकर ७ तक सबसे और प्रत्येक से इन्कार है।

विशेष बयान

५—दस्तावेज़ का जिसकी नालिश है बदल देकर लिखा जाना उत्तरदाता प्रतिवादी को स्वीकार नहीं है।

६—बलदेवसिंह, के तीन लड़के जलसिंह, मानसिंह और दूधराम थे और उनकी ४७ बीघा १७ बिस्वा पक्की भूमि हक़ियत ज़मींदारी की थी जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी मौरूसी चली आती थी।

७—केसरीराम बलदेवसिंह का लड़का था। वह अविवाहित था और अपने भाई भतीजों के साथ हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्य की हैसियत से रहता था और सब कारबार खेती और जमींदारी तीनों भाइयों और उनकी सन्तान की सम्मिलित थी।

८—केसरीराम का कुटुम्ब के अविभक्त होने की दशा में देहान्त हुआ और कुटुम्ब के दूसरे सदस्य पश्चात दाय भागी की हैसियत से कुल कुटुम्ब की जायदाद के स्वामी हुये।

९—केसरीराम को कोई आवश्यकता ऋण लेने की नहीं थी और न उसने कोई ऋण लिया।

१०—हर दशा में मौरूसी जायदाद की आड़ केसरीराम की ओर से बिना कुटुम्ब के अन्य सदस्यों की सहमति के, उचित और प्रचलित होने योग्य नहीं है।

(३) वाद पत्र पद २३ न० १४ का प्रतिवाद-पत्र जब रसदी के रुपये की संख्या के सम्बन्ध में आपत्ति हो

१—वाद पत्र की धारा नम्बर १ से लेकर ८ तक स्वीकार हैं।

२—धारा न० ६ स्वीकार नहीं है। वादी ने जायदादों का मूल्य अनुचित स्थिर किया है और हिसाब रसदी का गलत बनाया है। सही हिसाब नीचे लिखा है।

(यहाँ पर हिसाब विवरण सहित क्रमानुसार लिखा जावे)।

३—धारा नं० १० से बिलकुल इनकार है। प्रतिवादी ने जो रुपया सही हिसाब से उसके ज़ुम्में निकलता था वादी को देना चाहा और मुबलिग......रु० का मनीआर्डर वादी के पास भेजा परन्तु वादी ने उसको वापिस कर दिया। अन्य बयान प्रतिवादी ने वह मतालबा वादी के दिये जाने के लिये अदालत में जमा कर दिया है।

४—वाद पत्र के अन्य बयान और उपशमन से जहाँ तक कि उनका सम्बन्ध प्रतिवादी से है, स्वीकार नहीं है।

२४—प्रतिषेध (बन्धक मोचन या बेबात) (Foreclosure.)

*(१) साधारण प्रतिउत्तर

१—यह कि प्रतिवादी ने आड़ पत्र (रहननामा) नहीं लिखा।

२—यह कि रहननामा वादी के नाम हस्तान्तर (मुन्तकिल) नहीं हुआ (यदि कई इन्तकाल बयान किये जावें तो लिखना चाहिये कि किस इन्तकाल से इन्कार है)।

३—नालिश धारा......परिशिष्ट १ अवधि विधान सन् १६०८ ई०, के अनुसार दायर नहीं हो सकती।

४—निम्नलिखित रक़में अदा की गई—

(तारीख लिखो)........१०००) रु०।

(तारीख लिखो)........५००) रु०।

५—वादी ने ता०......महीना......सन्......को अधिकार प्राप्त किया और उस तारीख से किराया वसूल करता है।

---

* यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह के परिशिष्ट १ अपेनडिक्स (अ) पद ४ का नमूना न० ११ है।

६ – वादी ने अधिकार ता०......को छोड़ दिया।

७—प्रतिवादी ने अपना सारा अधिकार (अ—ब) के नाम ता०......म०...सन् ......की दस्तावेज़ के द्वारा हस्तान्तर मुन्तक़िल) कर दिया।

नोट—बैत्रात की नालिश में दूसरी आपत्तियाँ जो हो सकती हैं पद २३ (नालिश नीलाम) के साधारण प्रति उत्तर में और उन पदों में जिनका हवाला उसमें दिया हुआ है मिलेंगी।

(२) वाद पत्र पद २४ न० ३ का प्रतिवाद पत्र बहुत सी आपत्तियों से

१—धारा न० १ स्वीकार है।

२—धारा न० २ (ब) स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी ने मुबलिग़......रु० नीचे लिखे हिसाब के अनुसार अदा किये हैं। वह मुबरा नहीं किये गये। (अदायगी का विवरण तारीखवार दिया जावे।)।

३—रहननामा (आड़ पत्र) ता० १३ जून सन् १६—की बाबत केवल मुबलिग़ ......रु० वाजिब हैं।

४—धारा न० ३ की उपधारा (द) में बैत्रात होने की शर्त स्वीकार नहीं है और धारा (ह) स्वीकार नहीं है।

५—रहननामा ता० ११ सितम्बर सन् १६—के द्वारा मुर्तहिन को कोई अधिकार बैत्रात का नहीं दिया गया। उसकी बिना पर नालिश बैत्रात नहीं हो सकती।

६—उक्त रहननामा के विषय में प्रतिवादी ने मुबलिग......रुपये तारीख...... महीना..... सन्......को और मुबलिग़ .....रुपये तारीख. .महीना......सन्...... को श्रीमती नूरफातमा को अदा किये जिसकी रसीदें इस प्रतिवाद पत्र के साथ नत्थी की जाती हैं। वह वादी ने मुजरा नहीं दिया। हिसाब से केवल मुबलिग़......रुपये शेष हैं।

७—धारा न० ४ में दिलदार बख्श का देहान्त होना स्वीकार है परन्तु हिबा होना स्वीकार नहीं है और अकेले वादी को अधिकार नालिश दायर करने का नहीं है।

८—उत्तराधिकार-प्रमाण-पत्र (सार्टीफिकेट) प्राप्त किये बिना नालिश किसी तरह क़ायम नहीं रह सकती।

२५—रहन से मुक्त कराना

(इनफिकाक—Redemption)

(१) साधारण प्रतिवाद पत्र

१—वादी के वर्णन किये हुए रहन या किसी रहन के होने से प्रतिवादी को इनकार है।

२—यह कि वादी की बयान की हुई रहन या कोई दूसरी रहन अब स्थित नहीं हैं।

३—यह कि प्रतिवादी का सम्पत्ति पर अधिकार मालिकाना और मुख़ालिफ़ाना १२ साल से ऊपर से है और वादी का रहन छुड़ाने का अधिकार यदि हो भी तो उसमें अवधि समाप्त हो गई है।

४—वादी, रहन कर्ता या उसका प्रतिनिधि नहीं है और उसको रहन छुड़ाने का स्वत्व नहीं है।

(यदि वादी किसी इन्तक़ाल पर भरोसा करता हो तो उसके विषय में जो कुछ एत-राज़ हों वह लिखा जावे)।

५—प्रतिवादी ने इक़राहिनी बैनामे तारीख......महीना......सन्......के द्वारा से (या अन्य रूप से) प्राप्त कर लिया है और वह अब सम्पत्ति का स्वामी है।

६—यदि दावा अवधि के बाहर किसी देनदारी की स्वीकारी (Acknowledgement) या अदायगी के द्वारा अवधि बढ़ने की बिनाय पर दायर किया हो तो कहा जा सकता है कि देनदारी की स्वीकारी या अदायगी नहीं हुई वह अवधि बढ़ाने के लिये पर्याप्त नहीं है। (वह कारण जिससे वह काफ़ी नहीं लिखी जावें)।

७—वह कार्य जिनकी वादी शिकायत करता है प्रतिवादी ने नहीं किये (जैसे रहन की जायदाद को हानि पहुँचाना, वृक्ष काटना, मरम्मत न कराना इत्यादि)।

८—प्रतिवादी को जायदाद छुड़ाने के लिये हिसाब से... ..रुपये देने हैं।

९—रहन छुटाने का दावा अन्तिम महीने जेठ पर या रहननामे (आड़ पत्र) में ठहरे हुये समय पर दायर नहीं हुआ।

१०—प्रतिवादी को रहन छुड़ाने का नोटिस नहीं दिया गया या रहन का रुपया पेश (tender) नहीं किया गया (यदि ऐसी शर्त रहननामे में हो)।

११—हिसाब लाभ या सूद या हर्जा या वासलात का ग़लत है और प्रतिवादी उसका देनदार नहीं है और उसकी संख्या ग़लत और अधिक है।

(अन्य आपत्तियाँ अगले नमूने में दी गई हैं)

* (२) रहन छुड़ाने के मुकदमे में प्रतिउत्तर पत्र

१—वादी का रहन छुड़ाने का अधिकार आर्टिकिल......परिशिष्ट १ अवधि विधान सन् १९०८ के अनुसार जाता रहा।

२—वादी ने अपना कुल अधिकार जायदाद में (अ—ब) के नाम मुन्तक़िल कर दिया।

३—प्रतिवादी ने दस्तावेज तारीख......महीना......सन्......के द्वारा अपना कुल अधिकार रहन के रुपये और रहन की जायदाद का (अ—ब) के नाम मुन्तक़िल कर दिया।

४—प्रतिवादी रहन की जायदाद पर किसी समय क़ाबिज न था और न उसका किराया उसने कभी वसूल किया। (यदि प्रतिवादी चंद रोज के अधिकार का इक़रार करे तो उसको चाहिये कि अवधि लिखे और वाद के अधिकार से इनकार करे)।

(३) वाद पत्र पद २५ न० ६ का प्रतिवाद पत्र बहुत सी आपत्तियों में पूरे सिरनामे के साथ

अदालत सिविलजज बहादुर......

अलीगढ़ न० मुकदमा......सन् १९......

गंगा प्रसाद......वादी

बनाम

गंगाबख्श वग़ैरह......प्रतिवादी।

गंगाबख्श उत्तरदाता प्रतिवादी का प्रतिवाद पत्र।

१—वाद पत्र की धारा न० १, २ व ३ स्वीकार है।

२—धारा न० ४ में रहननामा मियादी ७ साल सन् १३४३ फसली तक होने और मुर्तहनों का अधिकार रहन की तारीख से जायदाद पर रखना और मालगुजारी की कमी बेशी राहनो के जुम्मे होना स्वीकार है बाकी स्वीकार नहीं है।

३—धारा न० ५ सूद सादा होना स्वीकार नहीं है बाकी स्वीकार है।

४—धारा न० ६ में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष का वादी के हक़ में बैनामा ता० २१ अप्रैल १९३९ को करना स्वीकार है बाकी स्वीकार नहीं है।

५—धारा न० ७ में मुर्तहनान का वक्त रहन से तहसील वसूल करना स्वीकार है शेष स्वीकार नहीं है।

६—धारा न० ८, ९, १० व ११ स्वीकार नहीं है।

---

* यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह के परिशिष्ट १ अपेनडिक्स (अ) पद ४ का नमूना न० १२ है।

७—धारा नं० १२ में वादी का ता० २५ मई सन् १६३६ को ५६७१) रु० दफ़ा ८३ कानून इन्तिकाल जायदाद के अनुसार दाखिल करना स्वीकार है बाकी स्वीकारनहीं है।

८ - धारा नं० ६ ,१३, १४, १५, और दादरसी स्वीकार नहीं हैं।

विशेष आपत्तियाँ—

६—उत्तरदाता प्रतिवादी का रुपया इस प्रकार निकलता है।

(अ) बाबत असल व सूद रहननामा व कमी सूद व बेशी मालगुजारी व खर्च गाँव रहननामे की शर्तों के अनुसार जिसका हिसाब इसके साथ नत्थी है।	११२४२।-)५
(ब) बाबत असल व सूद रहननामा मशरूतुलरहन।	२३४२।।।)
(ज) बाबत लागत पक्का कुआँ।	४७५)
(द) खर्च बटवारा व बेदखली।	७५)
जोड़	१४०३५।।≡)५

इस रकम के अदा करने के बाद रहन छूट सकता है।

१०—वादी का यह कथन कि प्रतिवादी ने आड़ पत्र (रहननामा) तारीख़ १६ अक्टूबर सन् १६—का कुल रुपया अदा नहीं किया ग़लत है। प्रतिवादी ने उक्त रहन का कुल रुपया अदा कर दिया है।

११—वादी का यह बयान कि आमदनी जायदाद से रहन का कुल रुपया बेबाक़ हो चुका है सही नहीं है।

१२—वादी का यह बयान कि उत्तरदाता प्रतिवादी ने आसामियों पर कोई लगान नहीं बढ़ाया और उससे अनुचित लाभ उठाया असत्य है, रहन वाली जायदाद की जमाबन्दी शरह बन्दोबस्त के हिसाब से अधिक है।

१३—उत्तरदाता प्रतिवादी ने कोई पेड़ रहन की जायदाद से नहीं काटे, वादी का बयान इस विषय में झूँठ है और वह पेड़ों के मूल्य के विषय में कोई रकम पाने का अधिकारी नहीं है।

१४—उत्तरदाता प्रतिवादी ने केवल लगान वसूल किया, कोई रकम सिवाय की वसूल नहीं की। बयान वादी इसके विरुद्ध सही नहीं है।

१५—वादी का यह बयान कि प्रतिवादी का अधिकार अनुचित है ग़लत है। वादी किसी पूर्व-लाभ के पाने का अधिकारी नहीं है और लाभ की संख्या वादी ने ग़लत और अधिक स्थित की है।

१६—असल रकम जो प्रतिवादी की वादी के ज़िम्मे निकलती है वादी ने जेठ से पहिले अधिकार पूर्ण (जिसको अधिकार है) अदालत में दाखिल नहीं की। वादी का दावा वर्तमान परिस्थति में चलने के अयोग्य है।

२६—राहिन व मुर्तहिन

(१) नालिश पद २६ न० १ का प्रतिवादपत्र बहुत से उज्रों से

१—धारा न० १ व २ स्वीकार नहीं है।

२—धारा न० ३, ४, व ५ स्वीकार है।

३—धारा न० ६ में वादी को दखल न मिलना स्वीकार है बाकी स्वीकार नहीं है।

४—धारा न० ७ स्वीकार है।

५—धारा न० ८, ९, व १० और दादरसी स्वीकार नहीं है, सब से और प्रत्येक से इनकार है।

विशेष आपत्तियाँ।

६—डिगरी न० २३ सन् १६—फर्जी और जाली थी जो राधाकिशन मज़कूर ने अन्य पुरुषों का ऋण मारने के लिये अपने बहनोई मोहनलाल के हक़ में एक बेवाक़ और अवधि प्राप्त दस्तावेज़ के आधार पर उत्तर दाता प्रतिवादी को बिना फ़रीक़ बनाये हासिल करा ली थी और उस डिगरी के इजरा में वादी के नाम जो राधाकिशन का दामाद है खरीद करा ली।

७—डिगरी न० २३ सन् १६—और इजराय की कार्रवाई जो उसके आधार पर हुई और वादी की उसमें खरीदारी, सब प्रतिवादी के विरुद्ध में बेअसर और बेकार हैं। वादी उस खरीदारी के ज़रिये से नालिश करने का अधिकारी नहीं है और न उसका हक़ प्रतिवादी के हक़ से बढ़ कर है।

८—प्रतिवादी किसी मतालबे का देनदार वादी को रहननामे ११ मई सन् १६२६ या डिगरी नम्बरी २३ सन् १६३६ की बाबत जो उस रहननामे के आधार पर हासिल हुई है, नहीं है।

९—वादी जब रहननामा ता० ११ मई सन् १६—की बिनाय पर प्रतिवादी के मुक़ाबले में डिगरी प्राप्त न करे कोई दादरसी नहीं पा सकता। नालिश वर्तमान परिस्थिति में चलने के लायक़ नहीं है।

(२) नालिश पद २६ न० ५ का प्रतिवाद पत्र जब आपत्ति रहन के फ़र्ज़ी होने की हो

१—प्रतिवादी के ऊपर बहुत सा ऋण कई आदमियों का चाहिये था और वह लोग मकान को कुर्क और नीलाम कराना चाहते थे।

२—वादी, प्रतिवादी का साला है। प्रतिवादी ने अपना मकान अपने से बचाने के लिये उसका फर्जी रहननामा वादी के नाम लिख दिया था। कोई प्रत्युपकार उसका प्रतिवादी ने वादी से नहीं लिया।

३—बाद को प्रतिवादी ने महाजनों से फैसला करके उनके ऋण बेबाक कर दिये और रहननामा (आड़पत्र) बेकार रहा और कार्यान्वित नहीं हुआ।

४—वादी दखल या किसी लाभ (मुनाफा) पाने का अधिकारी नहीं है।

२७—भार की पूर्ति (नि .)

(१) साधारण जवाब दावा

नोट—(वह सब विरोध जो पद २३ के साधारण जवाबदावे में दिये जा चुके हैं आवश्यक परिवर्तनों के साथ ऐसी नालिशों में भी किये जा सकते हैं)।

(१) नालिश पद २७ न० २ का प्रतिवाद-पत्र खरीदार से परिवर्तन-ग्रहीता की ओर से

१—वाद-पत्र की धारा न० १ से लेकर ६ तक कुल और प्रत्येक उत्तरदाता प्रतिवादी को स्वीकार नहीं हैं।

२—धारा नम्बर ७ स्वीकार है।

३—धारा नम्बर ८ से लेकर ११ तक कुल और प्रत्येक स्वीकार नहीं हैं।

विशेष आपत्तियाँ

४—उत्तरदाता प्रतिवादी को यह स्वीकार नहीं है कि पूरनमल और पीतम्बर का कोई ऋण था और वह उत्तरदाता प्रतिवादी के नाम लिखते समय बाक़ी था।

५—पूरनमल व पीतम्बर की नालिश में उत्तरदाता प्रतिवादी कोई फरीक़ नहीं था, डिग्री जिसको वादी प्रगट करता है वह उत्तरदाता-प्रतिवादी के विरुद्ध प्रभाव हीन है।

६—यदि वादी के बयान के अनुसार प्रतिवादी प्रथम पक्ष (खरीदार जायदाद) ने कोई प्रतिज्ञा भङ्ग की तो उसके आधार पर वादी को कोई अधिकार नालिश करने का उत्तरदाता प्रतिवादी के विरुद्ध नहीं हो सकता।

७—१४ दिसम्बर सन् १६—ई० के विक्रय पत्र को और ११ दिसम्बर सन् १६— की डिग्री को जिनके आधार पर वादी का दावा है, १२ साल से अधिक हो गये और दावा अवधि के अन्दर नहीं है।

८—जायदाद परिशिष्ट (अ) डिग्री ११ दिसम्बर सन् १६—ई० में आड़ नहीं थी जो उत्तरदाता प्रतिवादी के यहाँ रहन दखली है उसके मुकाबले में भार की पूर्ती का दावा अनुचित है।

६—वादी जीवाराम का उत्तराधिकारी नहीं है प्रमाणपत्र (सार्टिफिकट) उत्तराधिकारत्व प्राप्त किये बिना वह दावा नहीं कर सकता।

२८—ट्रस्ट (अमानत)

(१) नालिश पद २८ न० २ का प्रतिवाद-पत्र, एक दावेदार की ओर से दूसरे दावेदार के विरुद्ध

प्रथम प्रतिवादी का बयान इस प्रकार है—

१—उत्तर दाता प्रतिवादी मृतक रामदास का कुटुम्बी भतीजा नीचे लिखी वंशावली के अनुसार है और धर्मशास्त्र के अनुसार उसका उत्तराधिकारी है।

शिवकुँआर (प्रथम प्रतिवादी)

२—द्वितीय प्रतिवादी नामालूम किसका लड़का है जो अकाल के दिनों में मृतक रामदास ने पालने के लिये रख लिया था, वह उक्त रामदास का गोद लिया हुआ लड़का नहीं है।

३—उक्त रामदास ने द्वितीय प्रतिवादी को कभी गोद नहीं लिया और न कोई गोद लेने की रसम की और न गोद लिये हुए लड़के की तरह उसको रक्खा वह बिरादरी में रामदास का गोद लिया हुआ लड़का नहीं माना जाता।

४—द्वितीय प्रतिवादी की जाति न मालूम होने के कारण वह विधानानुसार गोद नहीं लिया जा सकता था और यदि उसकी गोद होती भी तो वह अनुचित थी और वह उत्तराधिकारी रामदास मृतक का नहीं हो सकता।

*(२) जवाब दावा मुक़दमा प्रबन्धक-पत्र जो वसीयत के आधार पर माल पाने वाले की ओर से दायर हुई हो

१—(अ—ब) की वसीयत में उसकी जायदाद पर ऋण था और वह देवालिया होने की

---

* यह नमूना ज़ाब्ता दीवानी के अपेन्डिक्स अ का नमूना नम्बर १४ है।

दशा में मरा। मरते समय उसकी कुछ अचल सम्पत्ति थी जिसको प्रतिवादी ने वेचा और उसकी बिक्री से......रु० प्राप्त हुए। उसके पास कुछ चलसम्पत्ति भी थी जिसको प्रतिवादी ने वेचा और जिसकी बिक्री से......रु०प्राप्त हुये।

२—प्रतिवादी ने वह रुपये और मुन्नलिग़......रु० जो प्रतिवादी को अचल सम्पत्ति के किराये से प्राप्त हुए, वह वसीयत करने वाले की मृत्यु के खर्च और वसीयतनामे के खर्च में लगाये और उसके कुछ ऋण अदा किये।

३—प्रतिवादी ने आमदनी और खर्च का हिसाब बना कर एक नकल उसकी वादी के पास तारीख......महीना......सन्......को भेज दी और वादी को रसीदों से हिसाब की सचाई जाँचने का अवसर दिया परन्तु उसने प्रतिवादी की इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया।

४—प्रतिवादी निवेदन करता है कि वादी को इस मुकदमे का खर्चा अदा करना चाहिये।

* (३) वसीयतनामे के प्रोबेट में जवाब दावा

१—यह कि मृतक का उक्त वसीयत नामा और उसका परिशिष्ट कानून एक्ट विरासत हिन्द (३६ सन् १६२५) (या एक्ट विसीयत हिन्दू सन् १८७०) के अनुसार उचित-रीति से नहीं लिखा गया।

२—जिस समय कि वसीयत नामा और उसका परिशिष्ट लिखे जाना प्रकट किये जाते हैं उस समय मृतक का मस्तिष्क, स्मरण-शक्ति और समझ ठीक नहीं थे।

३—वसीयतनामा और परिशिष्ट वादी ने (और दूसरे आदमियों ने जिनके नाम इस समय प्रतिवादी को मालूम नहीं हैं) मिल कर अनुचित दबाव से लिखवाये।

४—उक्त वसीयतनामा और परिशिष्ट वादी ने धोखे से लिखवाया और वह धोका जहाँ तक कि प्रतिवादी को अब तक मालूम हुआ है यह था (धोखे का वर्णन)।

५—मृतक उक्त वसीयतनामा और उसकी परिशिष्ट लिखते समय उनके मज़मून को (या उक्त वसीयतनामे से वितरण की हुई जायदाद सम्बन्धी धाराओं को, जैसी परिस्थित हो) नहीं जानता था और न उसको स्वीकार करता था।

६—मृतक ने अपनी सच्ची अन्तिम वसीयत पहिली जनवरी सन् १६—को की और उसके द्वारा अकेले प्रतिवादी को उसका कार्यकर्ता नियत किया।

---

* यह नमूना जाब्ता दीवानी के परिशिष्ट १ अपेन्डिक्स अ मद ४ का नमूना नम्बर १५ है।

प्रतिवादी प्रार्थी है :—

(अ) यह कि अदालत वादी के प्रकट किये हुए उक्त वसीयतनामे और परिशिष्ट के विरुद्ध निर्णय करे।

(ब) यह कि अदालत मृतक के वसीयतनामे तारीख १ जनवरी सन् १६—का प्रोबेट विधानानुसार दिये जाने की डिग्री सादिर करे।

(४) नालिश पद २८ न० ११ का बयान तहरीरी जब कि उचित प्रबन्ध की आपत्ति हो

१—विवाद-पत्र की धारा नम्बर १, २ व ३ स्वीकार हैं।

२—धारा न० ४ से इनकार है जो खर्च दरगाह के सदा से होते चले आये हैं वही खर्च प्रतिवादी प्रथा के अनुसार करता है, कोई कमी उनमें नहीं की गई। वादी का यह बयान कि वक़्फ (धार्मिक दान) की सम्पत्ति की आय प्रतिवादी के निजी खर्च में आती है बिल्कुल झूँठ है।

३—धारा न० ५ से इनकार है, वक़्फ की सम्पति की आय लगभग ३०००) रु० हुई है और उतना ही व्यय हुआ।

४—धारा न० ६ से पूर्णतया इनकार है प्रतिवादी का सदा यह बर्ताव रहा है कि वक़्फ की सम्पति की आमदनी वक़्फ के कामों में व्यय होती है।

५—वादपत्र की धा० न० ७ स्वीकार नहीं है वादी दरगाह के मुजाविर नहीं है बल्कि साधारण फकीर है जो अकसर दरगाह के समीप में रह कर भीख माँगते हैं और खैरात (दान) पर गुज़र करते हैं उनका कोई सम्बन्ध दरगाह से नहीं है और न उसकी बाबत उनको नालिश करने का अधिकार है।

६—वादी और उनके साथ दूसरे फकीरों का एक गिरोह (दल) बन गया है यह लोग दरगाह की ज़ियारत करने वालों को बहुत तंग करते हैं प्रतिवादी ने कुछ दिनों से दरगाह का इन्तज़ाम करने में इन लोगों के साथ कड़ा बर्ताव किया है और यह नालिश उन्होंने दुश्मनी से दायर की है।

(५) नालिश पद २८ न० १५ का प्रतिवाद-पत्र जब कि प्रतिवादी झगड़े वाले मन्दिर को अपनी निजी सम्पत्ति बयान करता हो

१—झगड़े वाला मन्दिर उत्तरदाता प्रतिवादी के बाप दादों का है और उसके पूर्वजों का बनवाया हुआ है।

२—उक्त मन्दिर प्रतिवादी और उसके पूर्वजों के मालकाना अधिकार में ५० वर्ष के ऊपर से चला आता है। उसके एक भाग में मूर्ति श्रीविहारी जी महाराज की है जिसकी पूजा सेवा प्रतिवादी और उसके पूर्वज करते रहे हैं और उसके चढ़ावे से अपना निर्वाह करते हैं और दूसरा भाग उनके रहने और मवेशी इत्यादि के कार्य में आता रहा है।

३—वादी का वह बयान कि उक्त मन्दिर उसके दादा ने बनवाया और वह उनकी पारिवारिक (कौटुम्बिक) पूजा का स्थान है और वह उसके प्रबन्धक हैं और प्रतिवादी और उसके पिता को उन्होंने पुजारी नियत किया, असत्य है।

४—वादी या उसके पुरखों का झगड़े वाली सम्पत्ति पर १२ साल के अन्दर अधिकार नहीं रहा प्रतिवादी और उसके पूर्वज उस पर ५० साल के ऊपर से मालिकाना और मुखालिफाना अधिकृत चले आते हैं, वादी के दावे में तमादी लगचुकी है।

५—वादी को न्यायालय से किसी सहायता पाने का अधिकार नहीं है।

२६—संयुक्त संपत्ति (जायदाद मुश्तर्का)

(१) साधारण जवाब दावा

१—जायदाद अविभक्त (संयुक्त या मुश्तर्का) नहीं है।

२—वादी का जायदाद में कोई भाग नहीं है।

३—वादी के भाग की संख्या कम है।

४—सम्पत्ति पहिले से बटी हुई है और हिस्सेदार अपने २ हिस्सों पर पृथक पृथक अधिकृत हैं और अब जायदाद का कोई हिस्सा साझे में नहीं है (या सिर्फ सहन या अन्य कोई भाग साझे का है और बटवारे के योग्य है)।

५—वादी १२ वर्ष से अधिक से काबिज़ नहीं है और प्रतिवादी उसके हिस्से पर उसके अधिकार से इनकार करता हुआ मालकाना और मुखालिफाना काबिज़ है वादी के दावे में तमादी है (पद १४४ परिशिष्ट १ अवधि विधान सन् १६०८)।

६—वादी किसी विशेष भाग पर अधिकार नहीं रखता था और वह अविभक्त (मुश्तर्का) दखल का अधिकारी नहीं है।

७—झगड़े वाली जायदाद बटवारा होने योग्य नहीं है (बहुत न्यून क्षेत्र होने या बहुत से हिस्सेदार होने इत्यादि के कारण से, जो कुछ हो लिखा जावे)।

८—झगड़े वाली जायदाद, प्रतिवादी के अविभक्त कुल का निवासगृह है और

धारा ४ एक्ट ४, सन् १८९३ ई० (विभाजन विधान) के अनुसार प्रतिवादी वादी के हिस्से के उचित मूल्य पर खरीदने का अधिकार रखता है।

९— प्रतिवादी ने कोई अनुचित उपयोग साझे की जायदाद का नहीं किया, या कि प्रतिवादी के किसी काम से वादी का कोई हर्जा नहीं हुआ या, कि यह काम वादी और दूसरे हिस्सेदारो की सम्मति से किया गया।

१०—प्रतिवादी ने वह काम जिसकी शिकायत की जाती है मैनेजर, प्रबन्धक या नम्बरदार की हैसियत से नेकनीयती से कुल हिस्सेदारो की ओर से उनके लाभ के लिये किया है और उससे कुल हिस्सेदारो का लाभ है।

(यहाँ पर वह घटनाएँ विवरण सहित लिखी जानी चाहिये जिनसे प्रतिवादी की हैसियत और अधिकार और हिस्सेदारों का लाभ प्रकट होता हो)।

(२) पद २९ न० १ का प्रतिवाद-पत्र जब कि उज्र बटे हुये होने का है।

१—विवाद-पत्र की धारा १ में हवेली का मुश्तर्का होना स्वीकार नहीं है बाकी स्वीकार है।

२—धारा २ व ३ का सम्बन्ध प्रतिवादी से नहीं है।

३—धारा ४ से ६ तक स्वीकार नहीं हैं।

विशेष बयानात

४—झगड़े वाली हवेली भूपालदास और नौबतराय और उनके उत्तराधिकारियो के बीच ५० साल से बटी हुई चली आती है। पच्छिम का हिस्सा भूपालदास और उनकी सन्तान का है जो उत्तरदाता प्रतिवादी हैं और पूरब का हिस्सा नौबतराय और उनकी सन्तान का है।

५—इस तरह पर दोनों हिस्सों के स्वामी अपने २ हिस्सों पर काबिज़ चले आते हैं और अपने हिस्सों को बनाते और उनकी मरम्मत कराते रहे हैं। एक को दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं रहा।

६—दस वर्ष के लगभग हुये कि उत्तरदाता प्रतिवादी ने अपने हिस्से मकबूज़ा पर बालाखाना तामीर किया और उस पर टीन का सायबान डाला और उसमें लगभग ५०००) रु० खर्च किये।

७—वादी का बयान कुल हवेली के अविभक्त होने के सम्बन्ध में सही नहीं है केवल सहन और दुवारी शामिल हैं और दूसरो मज़िल का एक ज़ीना मुश्तर्का (अविभक्त) है उनके बाँटने में प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है। वादी ने उनके बाँटने के लिये प्रतिवादी से कभी नहीं कहा।

(३) नालिश पद २९ नम्बर ७ का प्रतिवाद-पत्र जब कि नेकनीयती की आपत्ति हो

१ धारा नं० १ ज्ञात न होने के कारण स्वीकार नहीं है।

२—धारा नं० २, ३ स्वीकार हैं।

३—धारा नं० ४, ५ व ७ कुल और प्रत्येक स्वीकार नहीं हैं और दादरसी से इनकार है।

विशेष बयानात

४—झगड़े वाली जमीन, ऊसर और गाँव से बहुत दूर थी और उसकी भराई का कोई साधन नहीं था उसमें काश्त (कृषि) नहीं होती थी और न उससे किसी तरह की कोई आय थी।

५—प्रतिवादी ने नेकनीयती से उक्त ज़मीन को मुबलिग......रु० लगान पर २० साल की अवधि के लिये नम्बरदार से इस भरोसे पर लिया कि प्रतिवादी ऊसर जमीन को तोड़ कर जोतने लायक करेगा और कच्चे कुएँ बना कर उसकी आबपाशी करेगा और खाद वगैरह डाल कर कुछ दिनों बाद उससे लाभ प्राप्त करेगा।

६—प्रतिवादी का कोई रिश्ता प्रतिवादी नम्बर २ (नम्बरदार) से नहीं है। नम्बरदार ने झगड़े वाला पट्टा प्रतिवादी को नेकनीयती से सब हिस्सेदारों के लाभ के लिये उचित लगान पर दिया उसको ऐसा पट्टा देने का अधिकार था और वह वादी पर हिस्सेदार की हैसियत से क़ाबिल पाबन्दी है।

७—प्रतिवादी ने बहुत सी लागत लगा कर जमीन को तोड़ कर जोतने लायक किया है और उसमें दो कच्चे कुएँ बनाये हैं और बहुत लागत का खाद डाला है। वादी ने यह दावा अनुचित लाभ उठाने के लिये दायर किया है।

८—वादी २ साल तक जायदाद का लाभ झगड़े वाली ज़मीन का लगान शामिल करके वसूल करता और पट्टे को स्वीकार करता रहा है। अब वह दावा करने का अधिकारी नहीं है।

३०—हिन्दू अविभक्त कुल (ख़ानदान मुश्तर्का)

(१) पद ३० नं० २ का अभियोग उत्तर जब कि अविभक्त कुल होने से इनकार हो

१—धारा १ स्वीकार है।

२—धारा २ में द्वारकादास व मिठ्ठनलाल का अविभक्त कुल का सदस्य होना स्वीकार नहीं है और न किसी लेन देन का साझे में होना स्वीकार है। किराने की दूकान कल्याणमल द्वारकादास के नाम से होना स्वीकार है। वास्तविक हाल विशेष बयान में लिखा है।

३—धारा ३ में सम्पत्ति नम्बर १ व बालाख़ाना नम्बर २ का पैतृक होना स्वीकार है।

४—धारा ४ में सम्पत्ति नं० ३ का पैतृक होना स्वीकार है। बाक़ी स्वीकार नहीं है।

५—धारा ५ में द्वारकादास और कल्याणमल का देहान्त होना स्वीकार है। शेष बातें सत्य नहीं हैं।

६—धारा ६ में सम्पत्ति नं० ४ का विक्रय करना और दो मंज़िला दूकानों का रहन करना स्वीकार है, परन्तु यह स्वीकार नहीं है कि अविभक्त सम्पत्ति की आय से नीलाम ख़रीदा गया या दूकानें रहन कराई गईं और यह भी स्वीकार नहीं है कि फ़रीक़ैन उस पर अविभक्त रूप से क़ाबिज़ हैं।

७—अभियोग-पत्र की शेष सब धाराओं से कुल और प्रत्येक से इनकार है।

विशेष बयान।

८—दोनों पक्ष अविभक्त हिन्दूकुल के सदस्य नहीं हैं। लगभग ३० वर्ष हुए द्वारकादास व मिठ्ठनलाल के परिवार का बटवारा होकर केवल किराने की दूकान साझे में रही।

९—पैतृक सम्पत्ति में से मकान नं० ३ प्रतिवादियों के अधिकार में है और बालाख़ाना नं० २ वादियों के अधिकार में है और वह बटे हुये हैं।

१०—केवल दूकान किराना नम्बर १ सम्मिलित और अविभक्त है परन्तु उसमें से बहुत सा माल व असबाब व बहीखाते, दस्तावेज़, ज़ेवर इत्यादि जो विशेष कर प्रतिवादियों का था वादियों ने उनकी अनुपस्थिति में पृथक कर लिये हैं।

११—दूकान नं० ४ और रहन की हुई दो मंज़िला दूकानों से वादियों का कोई सम्बन्ध नहीं है। वह प्रतिवादियों की सम्पत्ति है और उनके बटवारा कराने का वादियों को कोई अधिकार नहीं है।

१२—गिरवीं रक्खे आभूषण, उघाई और डिगरियों के बटवारा कराने का वादियों को कोई अधिकार नहीं है। उनमें से कोई वस्तु साझे की नहीं है।

१३—साझे की कोई रोकड प्रतिवादियों के अधिकार में नहीं है।

१४ बटवारे की सम्पत्ति का विवरण वादियों ने असत्य और उसका मूल्य मनमाना नियत किया है।

१५—नालिश का वाद कारण जो वादियों ने स्थिर किया है गलत है।

१६—किराने की दूकान और बालाखाने के अतिरिक्त वादियों का अधिकार किसी अन्य सम्पत्ति पर नहीं है और अन्य सम्पत्ति पर कब्ज़ा अविभक्त होने का बयान असत्य है।

१७ प्रतिवादियों को किराने की दूकान बाँटने में कोई आपत्ति नहीं है और न कभी थी।

१८ - प्रतिवादी निवेदन करते हैं कि किराने की दूकान का बटवारा दोनों पक्षो में करा दिया जावे और प्रतिवादियों का खर्चा वादियों से दिलाया जावे।

(२) पद ३० न० ६ का प्रतिवाद पत्र जब गोद न लिये जाने और वादी के उत्पन्न न होने की आपत्ति हो।

प्रथम प्रतिवादी (डिग्रीदार) का प्रतिवाद पर निम्नलिखित है—

१ – वादी, द्वितीय प्रतिवादी का गोद लिया हुआ पुत्र नहीं है और न वह दोनों एक अविभक्त कुल के सदस्य हैं।

२—धरा १ में लिखी हुई सम्पत्ति द्वितीय प्रतिवादी की पैतृक है परन्तु उस पर वादी का कोई क़ब्जा किसी हैसियत से नहीं है और न वादी का उसमें अधिकार है। द्वितीय प्रतिवादी के ज़ुम्मे ऋण उसके पिता के समय से चला आता था। उस ऋण के अदा करने और लड़की की शादी के खर्च की आवश्यकता से उसने आड़ी दस्तावेज़ तारीख २२ अगस्त सन् १६२८ को, उचित रीति से प्रतिवादी के नाम लिखा।

३—प्रतिवादी ने उसी दस्तावेज़ के आधार पर नीलाम की डिग्री प्राप्त की है और उसकी इजराय में झगड़े वाली सम्पत्ति नीलाम के योग्य है।

४—उक्त दस्तावेज़ लिखने के समय तक वादी उत्पन्न नहीं हुआ था और न उसकी गोद हुई थी। यदि वादी का गोद लिया जाना मान भी लिया जावे तो भी उसको कोई अधिकार आपत्ति करने का दस्तावेज २२ अगस्त सन् १६२८ और डिग्री नम्बरी ३४६ सन् १६ .....पर, जो उसके आधार पर निर्माण हुई, नहीं है।

५ वादपत्र में जो बयान द्वितीय प्रतिवादी के विषय में भ्रष्ट और अव्ययी होने और प्रतिवादी के नाम बेज़रूरत और बिना कुल मुआवज़ा लिये प्रमाण पत्र लिखने, के किये गये हैं, वह सही नहीं हैं।

६—प्रतिवादी विश्वास करता है कि यह नालिश इस अभिप्राय से दायर की गई है कि प्रतिवादी की डिग्री की इजराय इस झगड़े में रुकी रहे और द्वितीय प्रतिवादी ने *यह नालिश* कराई है।

(३) नालिश पद ३० न० ८ का उत्तर जब कि अविभक्त कुल होने से इनकार हो

१—वाद-पत्र की धारा १ इस अन्तर के साथ स्वीकार है कि वादी और रामसहाय हिन्दू अविभक्त-कुल के सदस्य नहीं थे।

२—धारा २ में रामसहाय का जून सन् १६३६ में देहान्त होना स्वीकार है। बाक़ी स्वीकार नहीं है।

३ - धारा ३ में प्रतिवादिनी का नाम रामसहाय वाली आधी सम्पत्ति पर माल के कागज़ों में दर्ज होना स्वीकार है। बाक़ी स्वीकार नहीं है।

४—धारा ४ से इनकार है।

५—धारा ५, ६, व ७ स्वीकार हैं।

६—धारा ८, ९, व १० और वादी की प्रेरणा स्वीकार नहीं हैं।

विशेष प्रत्युत्तर

७ रामसहाय और वादी अविभक्त-कुल के सदस्य नहीं थे। उनकी कुल सम्पत्ति बटी हुई थी और सारा कारोबार, खेती इत्यादि का, पृथक पृथक था। केवल ज़मींदारी साझे में थी।

८—रामसहाय ने मुनाफे की कई नालिशे वादी के ऊपर उन ग्रामों के विषय में दायर *की जिनमें वादी नम्बरदार था और वह वादी के मुक़ाबले में डिगरी हुई और वादी* ने अपनी सम्पत्ति का एक अंश रामसहाय के हाथ बेचा।

९—रामसहाय का बटे हुये सदस्य की दशा में देहान्त हुआ और प्रतिवादिनी उसकी छोड़ी हुई कुल सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी व काबिज़ हुई और है। उसका नाम जायदाद जमींदारी पर माल के कागज़ात में दर्ज है।

१०—वादी का रामसहाय की छोड़ी हुई सम्पत्ति में कोई स्वत्व नहीं है और न उसका सम्पत्ति के किसी भाग पर अधिकार है।

११—वादी का व्यवहार प्रतिवादिनी के साथ अच्छा नहीं है। वह अपने भाग को अलग कराना चाहती है और इसीलिये उसने बटवारे के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है।

१२—वादी, अपने आपको कुल सम्पत्ति का स्वामी घोषित नहीं करा सकता।

(४) वाद-पत्र नं० ११ पद ३० का उत्तर अनेक आपत्तियों से

प्रतिवादी नं० १ का प्रतिउत्तर निम्नलिखित है।

१—धारा १ व २ स्वीकार है।

२—धारा ३ में जुगल किशोर का देहान्त होना स्वीकार है परन्तु जुगल किशोर को मरे हुए बीस वर्ष से अधिक हुये। श्रीमती यमुना का जीवन-पर्य्यन्त दायभागी और मकान पर अधिकृत (क़ाबिज़) होना स्वीकार है, परन्तु श्रीमती पार्वती का मकान में अन्य कोई स्वत्व होने से इनकार है। उसका मकान में रहना स्वीकार है।

३—धारा ४ असत्य है। श्रीमती यमुना स० १६२६ में हाथरस में मरी।

४—धारा ५ में वंशावली अधूरी है। जुगलकिशोर का एक दूसरा सगा भाई नन्नूमल और था। नन्नूमल का लड़का बल्देवदास है जो अब भी जीवित है।

५—धारा ६ में वादी के, जुगलकिशोर का पश्चात् दायभागी (Rever-ioner) होने से इनकार है। बल्देवदास के जीवित होते हुए वादी पश्चात् दायभागी नहीं हो सकता और न उसको नालिश करने का अधिकार है।

६—धारा ७ में ता० २२ अगस्त सन् १६३८ व ता० १० दिसम्बर सन् १६३८ के विक्रय पत्रों का लिखा जाना स्वीकार है परन्तु वह उचित रूप से लिखे गये। श्रीमती यमुना की मृत्यु के पश्चात श्रीमती पार्वती १२ साल से अधिक अवधि तक मालिकान और मुखालफाना मकान पर काबिज रही और मकान की पूरी मालिक हो गई और उसने उचित रूप से मकान को विक्रय किया।

७—धारा ८ इस अन्तर के साथ स्वीकार है कि उत्तरदाता प्रतिवादी का अधिकार १० दिसम्बर सन् १६३८ के विक्रयपत्र की तारीख से है। उससे पहिले प्रतिवादी नं० २ का ता० २२ अगस्त सन् १६३८ के विक्रयपत्र द्वारा अधिकार था।

८—धारा ६ से पूर्णतया इनकार है। प्रतिवादी का कब्जा स्वामी के रूप से उक्त मकान पर है।

६—धारा १० स्वीकार नहीं है। वादी को कोई प्रतिकार अदालत से नहीं मिल सकता।

१०—श्रीमती यमुना की मृत्यु के १२ साल से अधिक दिनों के बाद दावा दायर हुआ है और पद १२५ परिशिष्ट १ अवधि विधान के अनुसार उसमें अवधि समाप्त हो जाने के कारण अधिकार नष्ट हो गया है।

११—वादी ने श्रीमती पार्वती को १२ साल से अधिक तक झगड़े वाले मकान पर काबिज रहने दिया और वह उस पर मालिकाना कार्य्य करती रही। वादी ने नेकनीयत से पर्याप्त जाँच के बाद बदल देकर उसको खरीद किया।

३१—हिन्दू विधवा और पश्चातदायभागी या अन्य जीवन दायभागी

(१) वाद-पत्र पद ३१ न० २ का प्रतिउत्तर

जब उत्तरजीवित्व का विरोध हो

प्रतिवादी न० १ व २ का उत्तर इस प्रकार है—

१—धारा १ व २ स्वीकार हैं।

२—धारा ३ इस अन्तर से स्वीकार है कि ठाकुरदास अपने लड़कों के साथ हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्यों की हैसियत से सम्पत्ति के मालिक थे।

३—धारा ४ व ५ स्वीकार हैं।

४—धारा ६ व ७ स्वीकार नहीं है।

विशेष कथन

५—कुल जायदाद ठाकुरदास के पिता राजकरन के समय की थी जिसमें ठाकुरदास के लड़के हीरालाल व मूल चन्द को जन्म लेने के समय से ही स्वत्व प्राप्त था।

६—ठाकुरदास को कोई अधिकार पैतृक सम्पत्ति को दान (हिबा) करने का नहीं था और न वास्तव में कोई दान हुआ।

७—ता० १२ मार्च सन् १९—का दान-पत्र कभी कार्यरूप में परिणत नहीं हुआ और न श्रीमती बिलासी को उसके द्वारा कोई सम्पत्ति मिली। दान-पत्र नाजायज़ था और १२ साल से अधिक अवधि तक बिना कार्य रूप में परिणत हुये पड़े रहने से बेकार हो गया।

८—ठाकुरदास सन् १९२७ में मरे और हीरालाल और मूलचन्द हिन्दू अविभक्त कुल के बचे हुये सदस्यों की हैसियत से कुल जायदाद खानदानी के मालिक व काबिज हुये।

९—मूलचन्द की मृत्यु पर जो मई सन् १९३३ में हुई, हीरालाल उत्तर जीवी होने के कारण उसका मालिक हुआ और काबिज रहा।

१०—परिवार की स्त्रियों का नाम परिवार के सदस्यों के साथ केवल उनके विश्वास और सतोष के लिये माल के कागजों में दर्ज होता रहा, उनका कभी सम्पत्ति पर अधिकार नहीं हुआ और न उनका उसमें कोई स्वत्व था।

११—हीरालाल ने उचित रूप से झगड़े वाली जायदाद का दानपत्र उत्तरदाता प्रतिवादी के नाम किया और उसको दानपत्र लिखने का पूर्ण अधिकार था। श्रीमती बिलासी का नाम दानपत्र में इसलिये सम्मिलित करा लिया गया कि उसका नाम माल के कागज़ों में लिखा हुआ था।

१२—प्रायः २० वर्ष से हीरालाल हक़ीयत का नम्बरदार था। और उसका भाई मूलचन्द प्रतिवादी और उसका पिता मोहनलाल उसको हक़ीयत का मालिक स्वीकार करते और उससे मुनाफा वसूल इसी हैसियत से करते रहे और उसके विरुद्ध उन्होंने चल व अचल सम्पत्ति का बटवारा कराया। अब वादी को इसके विपरीत कहने का अधिकार नहीं है।

१३—वादी हीरालाल का उत्तराधिकारी नहीं है और उसको दानपत्र ता० १४ जनवरी सन् १९३५ को खण्डित करने का अधिकार नहीं है।

(२) वादपत्र पद ३१ न० ७ का प्रतिवाद-पत्र जब नियमानुसार गोद होने से इनकार हो

१—धारा १ स्वीकार है।

२—धारा २ में वंशावली स्वीकार नहीं है और वादी के पश्चात् दायभागी होने से इनकार है।

३ धारा ३ स्वीकार नहीं है। मृत रामलाल ने प्रतिवादी न० १ को मौखिक अनुमति गोद लेने की दी और मरने से एक सप्ताह पहिले एक वसीयतनामा भी लिखा और उसमें प्रतिवादी न० १ को पुत्र गोद रखने की आज्ञा दी। प्रतिवादी न० १ ने अपने पति की आज्ञानुसार प्रतिवादी न० २ को गोद लिया है और गोद लेने का संस्कार किया। गोद लेने की तारीख से वह प्रतिवादी के पास रहता है और वह रामलाल का दत्तक (गोद लिया हुआ) पुत्र है।

४—धारा ४ स्वीकार हैं।

५—धारा ५ में कुछ घटनाये असत्य रूप से वर्णित की गई हैं। रामलाल रेल लड़ जाने से घायल होकर दो महीने के लगभग बीमार रहे और इलाज कराते रहे। उन्होंने मृत्यु-लेख (वसीयत नामा) लिखा और गोद लेने की आज्ञा प्रतिवादिनी न० १ को दी। दूसरी घटनाये जो इस धारा में लिखी हैं उनसे इनकार है।

६ - धारा ६ स्वीकार नहीं हैं, वादी को दावे का अधिकार नहीं है और न वह कोई प्रतिकार पा सकता है।

(३) वादपत्र पद ३१ न० ९ का अनेक विरोध पर निर्भर प्रतिवाद-पत्र

सम्पत्ति विक्रेता प्रतिवादी का प्रतिउत्तर निम्नलिखित है—

१—धारा १ वादपत्र में दी हुई वंशावली स्वीकार नहीं है। विशेष करके इस बात से इनकार है कि वादी नम्बर १ रामचन्द्र का लड़का है।

२—वादपत्र की धारा २ के सम्बन्ध में सूची (अ) में जो सम्पत्ति का विवरण दिया है वह गलत है। ठीक विवरण विशेष बयान में दिया हुआ है।

३—धारा ३ स्वीकार है।

४—धारा ४ में इस बात से इनकार है कि लाला शिवसुखराय ने कोई चाल की।

शेष स्वीकार है। विक्रय पत्र तारीख ५ नवम्बर सन् १६२६ उचित रूप से लिखा गया।

५—धारा ५ में श्रीमती जय देवी की मृत्यु होना स्वीकार है परन्तु उसके मरने की ठीक तारीख ज्ञात नहीं है। बाकी से इनकार है।

६—धारा ६ से लेकर ६ तक स्वीकार नहीं हैं।

विशेष बयान

७—बालकिशुन एक अहाते के केवल अमले के मालिक थे जिसमें कुछ दूकानें और कच्चे मकान बने हुये थे। अहाते की भूमि उनके पास सर्वकालिक पट्टे पर थी जिसका वह वार्षिक लगान भूमि के स्वामी को दिया करते थे।

८—बालकिशुन की आर्थिक दशा बहुत दिनों से खराब थी वह सदा अन्य लोगों के ऋणी रहते थे।

६—बालकिशुन का लिखा हुआ अन्तिम प्रमाण पत्र १७ फरवरी सन् १६२३ ई० का पाँच सौ रुपये का था जिसमें इस अहाते का अमला आड़ था।

१०—बालकिशुन का ऋणी होने की दशा में सन् १६२४ ई० में देहान्त हुआ। उसके बाद से ही कुछ आदमियों ने जो अपने आपको असत्य रूप से बालकिशुन का कुटुम्बी प्रगट करते थे और एक पुरुष बुद्धू ने जो अपने आप को बालकिशुन का गोद लिया हुआ लड़का बतलाता था सम्पत्ति के अधिकार व दखल में अनुचित हस्तक्षेप करना आरम्भ किया।

११—इन पुरुषों से सन् १६२६ में मुक़द्‌माबाजी चल निकली जिसमें श्रीमती जय-देवी का, जो बालकिशुन की उत्तराधिकारिणी थी बहुत खर्चा पड़ा और श्रीमती जयदेवी को बालकिशुन का ऋण अदा करने और मुक़द्‌मेबाजी के व्यय और सम्पत्ति की मरम्मत के लिये, जिसकी दशा खराब और गिरी हुई हो गई थी, कई ऋण लेने पड़े।

१२—पहिला परिवर्तन श्रीमती जयदेवी ने ता० ३ नवम्बर सन् १६२८ को १५००) रुपये में गणेशीलाल बैजनाथ के पास किया और फिर उस ऋण को अदा करने और अपने निर्वाह के लिये उस सम्पत्ति को, विक्रय पत्र ता० ५ नवम्बर सन् १६२६ ई० के द्वारा प्रतिवादी के पूर्वाधिकारी लाल शिवसुखराय के हाथ विक्रय कर दिया।

१३—विक्रय पत्र ता० ५ नवम्बर सन् १६२६ उचित आवश्यकता से लिखा गया और वह बालकिशुन के दायभागियो पर जो कोई हों, पाबन्दी के योग्य है।

१४—वादी नम्बर १ मृत बालकिशुन का दायभागी नहीं है और झगड़े वाली सम्पत्ति में उसका कोई हक़ नहीं है।

१५—वादी नम्बर २ उत्तरदाता प्रतिवादी के यहाँ विक्रयपत्र लिख जाने के बाद तक नौकर रहा और बेईमानी के कारण बरखास्त कर दिया गया। उसने वादी नम्बर १ को फ़रजी उत्तराधिकारी कायम करके साज़िशी विक्रयपत्र बिना बदल दिये, आधी सम्पत्ति का अपने

नाम लिखा लिया है। उसका भी कोई अधिकार सम्पत्ति में नहीं है और दोनों वादी सम्पत्ति का दखल और पूर्वलाभ पाने के अधिकारी नहीं हैं।

१६—पूर्वलाभ की संख्या वादियों ने अनुचित और गलत कायम की है।

१७.—प्रतिवादी ने ४०००) रु० मकान बनाने में व्यय किया है। विक्रयपत्र का रुपया और तामीर की लागत दिये बिना वादी किसी दशा में उपशमन नहीं पा सकते।

३२—पति और पत्नी

(१) नालिश पद ३२ नम्बर २ का प्रतिउत्तर जब कि कठोरता और निर्दयता की आपत्ति हो

१—धारा १ स्वीकार है।

२—धारा २ इस अन्तर से स्वीकार है कि वादी एक बार दो साल तक अन्य देशों में नौकरी पर रहा और बहुधा बाहर रहता रहा और प्रतिवादी अधिकाँश अपने पिता के मकान पर रहती रही। सन् १९२६ से पहिले कभी एक दफे में दो महीना से अधिक वादी और प्रतिवादी एक साथ नहीं रहे।

३—धारा ३ में घटनाये असत्य रूप से वर्णन की गई हैं। अप्रैल सन् १९२६ से लगातार प्रतिवादी को वादी के साथ रहने का अवकाश मार्च सन् १९२७ तक हुआ। इस समय में वादी ने प्रतिवादी के साथ बड़ी निर्दयता और कठोरता का व्यवहार किया। उसको कई बार मारा पीटा और खाने पीने की कुछ खबर नहीं ली। प्रतिवादी इस कठोरता के व्यवहार और खाने पीने के दुख से फरवरी सन् १९२७ में बीमार हो गई और बहुत दिनो तक बीमार पड़ी रही। वादी ने उसका कोई इलाज नहीं कराया।

४—मार्च सन् १९२७ ई० में प्रतिवादी का पिता उसकी यह दशा देख कर उसको अपने घर लिवा ले गया और वहाँ उसका इलाज कराया और अभी इलाज करा रहा है। प्रतिवादी अब भी बहुत दुर्बल है।

५—धारा ४ स्वीकार नहीं है।

६—धारा ५ व ६ स्वीकार हैं। प्रतिवादी को वादी के साथ रहने में अपने जीवन का भय है। वह किसी प्रकार वादी का कठोर व्यवहार सहन नहीं कर सकती और उसके साथ रहना नहीं चाहती।

७—ऊपर लिखी हुई दशा में वादी को नालिश करने का अधिकार नहीं है और न उसको कोई प्रतिकार माँगने का अधिकार है।

३३-मुसलिम शास्त्र

(१) नालिश पद ३३ नं० १ का प्रतिवाद पत्र जब कि निकाह जायज़ होने का उज्र हो

१—दफा १ अर्जीदावा तसलीम है।

२—दफा २ में निकाह का होना तसलीम है। दूसरे वाक़आत तसलीम नहीं हैं। वादी का निकाह प्रतिवादी के साथ वादी की माँ ने वादी के मामा की सलाह और राय से किया।

३—दफा ३ से बिल्कुल इनकार है। वादी सन् १९४६ ई० में बालिग हुई उसने उस समय निकाह को नामन्जूर नहीं किया। उसके पहिले से वादी और प्रतिवादी पति पत्नी की तरह रहते थे और बालिग हो जाने के बाद भी वादी बराबर नवम्बर सन् १९४७ तक प्रतिवादी के साथ रही और फरीकैन मर्द औरत की तरह रहते रहे।

४—अर्जीदावे में वादी का यह बयान कि फरीकैन पति पत्नी की तरह एक साथ नहीं रहे और निकाह की पूर्ति नहीं हुई सही नहीं है।

५—वादी को मुसलिम शास्त्र (शरअ मुहम्मदी) के अनुसार निकाह तोड़ने और उसको खण्डित कराने का कोई अधिकार नहीं है और न था। अर्जीदावे की दफा ४ तसलीम नहीं है।

६—यदि वादी का कोई ऐसा स्वत्व बिना स्वीकार किये अनुमान भी कर लिया जावे तो वह स्वत्व वादी के बालिग होने के बाद प्रायः २ साल तक प्रतिवादी के साथ पत्नी की तरह रहने से जाता रहा।

(२) नालिश पद ३३ नं० ९ का बयान तहरीरी जब 'महर' की संख्या और उसके अदा न होने का उज्र हो।

१—प्रतिवादी का देन महर मुबलिग १७०००) रुपया था। वादी का यह बयान कि वह २५००) रुपया था, सही नहीं है।

२—आमदनी जायदाद मतरुका जो देन महर के बदले में प्रतिवादी के अधिकार में है मुबलिग २००) रुपया माहवार है, जो महर के रुपये का सूद अदा करने के लिये भी काफी नहीं होती।

३—हिसाब से, देन मेहर और उसका सूद ६) रुपया सैकड़ा सालाना की दर से मुबलिग......रुपया होता है जो अभी तक बाकी है।

४—वादी को देन महर और उसका सूद अदा किये बिना कब्जा माँगने का कोई अधिकार नहीं है।

(३) नालिश पद ३३ न० १३ का उत्तर जब रिश्तेदारी से इनकार हो और कब्ज़ा मुखालिफ़ाना होने का उज्र हो

बयान तहरीरी मुद्दायलहम फरीक अव्वल (खरीदार जायदाद) नीचे लिखे प्रकार है—

१ –धारा १ अर्जीदावे में काज़ी लताफत हुसेन का वादी का पिता होना स्वीकार नहीं है बाकी स्वीकार है।

२—धारा २ स्वीकार है।

३—धारा ३ में क़ाजी लताफत हुसेन की मृत्यु की तारीख ठीक नहीं मालूम और वादी का उनकी लड़की और वारिस होना स्वीकार नहीं है बाकी स्वीकार है।

४ –धारा ४ स्वीकार नहीं है।

५ – धारा ५ में बैनामा लेना और काबिज होना स्वीकार है बाकी से इनकार है।

६—धारा ६ से लेकर ६ तक मय दादरसी कुल से और हर एक से इनकार है।

विशेष प्रतिवाद

७—वादी लड़की काजी लताफत हुसेन की नहीं है और न उसका उनकी मतरूका जायदाद में कोई स्वत्व है।

८—काजी लताफत हुसेन को मरे २५ साल हुये। तारीख दायर होने नालिश से पहिले १२ साल के अन्दर वादी का कब्जा झगड़े वाली जायदाद पर या किसी दूसरी जायदाद मतरुका काजी लताफत हुसेन पर नहीं रहा। पद १४४ परिशिष्ट १ अवधिविधान सन् १६०८ के अनुसार दावे में अवधि समाप्त हो गई है।

६—काज़ी लताफतहुसेन की मृत्यु पर उनकी मृत संपति के मालिक और काबिज़ मुसम्मात शरीफन विधवा; मुसम्मात अलीमन उनकी लड़की, और अब्दुलमजीद उनका लड़का, हुये और इन्हीं का नाम जमीदारी संपत्ति पर माल के कागजों में दर्ज हुआ।

१०—मुसम्मात शरीफन व मुसम्मात अलीमन ने दस्तावेज सन् १६३३ के ज़रिये से अपने हक़ विरासत से अब्दुलमजीद के हक़ में दस्तबरदारी कर दी। उस समय से अब्दुल मजीद कुल जायदाद मतरूका काजी लताफत हुसेन पर मय झगड़े वाली जायदाद के काबिज़ रहा।

११—उत्तरदाता प्रतिवादी ने उचित अन्वेषण और सरकारी कागजों का निरीक्षण करने के बाद नेक नीयती से झगड़े वाली जायदाद को अब्दुलमजीद से उचित मूल्य देकर खरीद किया और अदालत में ३०००) रुपया दाखिल करके जायदाद को रहन से छुटाकर कब्जा हासिल किया। वादी का दावा धारा ४१ सम्पत्ति हस्तान्तर विधान से वर्जित है।

१२—उत्तरदाता प्रतिवादी जायदाद पर सन् १६२२ ई० से काबिज है। उसने अपने आपको जायदाद का पूरा मालिक विश्वास करके करीब ४०००) रुपया जायदाद की मरम्मत और दुरुस्ती में खर्च किये और वादी और उसका पति जो उसी जायदाद के समीप रहते हैं प्रतिवादी के इस कार्य्य को देखते रहे और इस समय तक चुप रहे और अपनी अकार्यता (तर्कफेल) से प्रतिवादियों को यह विश्वास दिलाया कि वादी का उसमें कोई हक़ नहीं है। धारा ११५ साक्ष्य विधान (Evidence Act) के अनुसार वादी का दावा रोकवाद (Estoppel) के नियम से वर्जित है।

३४—अग्रक्रयाधिकार (हक़ शफ़ा)

(१) वादपत्र पद ३४ न० २ का प्रतिउत्तर जब रिवाज से इनकार हो

प्रतिउत्तर खरीदार सम्पत्ति की ओर से।

१—धारा १ स्वीकार है।

२—धारा २ में रिवाज से इनकार है वाजिबुलअर्ज में इन्दराज होना स्वीकार है।

३—धारा ३ में विक्रय पत्र कराना स्वीकार है परन्तु उसके सम्बन्ध में जो बयान किये गये हैं वह स्वीकार नहीं है।

४ धारा ४ से लेकर ६ तक प्रत्येक और कुल स्वीकार नहीं है।

विशेष कथन

५—मौजा नूरपुर में कोई प्रथा शफा की नहीं है।

६—पहिले की वाजिबुलअर्ज में इन्दराज प्रतिज्ञा के रूप में था जो बन्दोबस्त की अवधि समाप्त होने पर समाप्त हो गया। हाल के बन्दोबस्त की वाजबुलअर्ज में कोई शर्त शफे का नहीं है वादी को पुरानी वाजिबुलअर्ज के आधार पर दावा करने का अधिकार नहीं है।

७—उत्तरदाता प्रतिवादी और वादी एक थोक में हिस्सेदार हैं। प्रतिवादी अजनबी नहीं है और उसके विरुद्ध वादी को अग्रमान स्वत्व शफा की प्रथा होने की दशा में भी नहीं है।

८—वादी ऋणी है और उसको जायदाद खरीदने की सत्ता नहीं है। क्रय का मामला स्वयं वादी ने कराया और यह बैनामा उसकी अनुमति और सूचना से हुआ।

६—बैनामे में बदल का रुपया जो लिखा है वह सही है उसका कोई भाग कल्पित नहीं है।

(२) वादपत्र-नद ३४ न० ४ का प्रतिउत्तर जब रिवाज और तलब से इनकार हो

क्रेता का प्रतिवाद पत्र

१—धारा १ अर्जीदावे में वादी का प्रतिवादी द्वितीयपक्ष के साथ मिला हुआ हिस्सेदार होना स्वीकार नहीं है।

२—धारा २ से इनकार है। झगड़े वाले मौजों में कोई रिवाज शफा नहीं है। पहिली वाजिबुलअर्ज़ प्रतिज्ञा के रूप में थी जो बन्दोबस्त के बाद मसूख और बेकार हो गई।

३—धारा ३ स्वीकार नहीं है। पहिली वाजिबुलअर्ज प्रचलित नहीं है और उसके आधार पर दावा अनुचित है। हाल की वाजिबुलअर्ज में शफा की कोई प्रथा दर्ज नहीं है।

४—धारा ४ में बैनामा (विक्रय-पत्र) होना स्वीकार है परन्तु यह बयान गलत है कि वह बैनामा वादी की बिना सूचना और ज्ञान के हुआ। वह वादी की अनुमति और ज्ञान से हुआ। वादी पर बहुत ऋण है और उसको जायदाद खरीद करने की क़ाबलियत नहीं है वह खरीदारी पर तत्पर नहीं हुआ अब उसको शफा का दावा करने का स्वत्व नहीं है।

५—वादी का यह बयान कि बैनामे के रुपये का कुछ भाग कल्पित था असत्य है। ७१४६ ≶) रु० ८ पाई नक़द रजिस्ट्री के समय दिया गया और २३५३॥) ४ पाई, अमानत में छोड़ा गया।

६—धारा ५ से इनकार है। मुसलिम शास्त्रानुसार वादी को शफा का अधिकार नहीं है और वादी ने 'तलब मुवास्बत' और 'तलब इश्तशहाद' अदा नहीं कीं।

७—धारा नम्बर ६ व ७ व ८ कुल और प्रत्येक स्वीकार नहीं हैं।

८—धारा ६ में यह स्वीकार है कि अमानत का रुपया अभी अदा नहीं हुआ। वादी कोई प्रतिकार पाने का अधिकारी नहीं है।

३६—दखल और पूर्वलाभ (वासलात)

(१) वादपत्र पद ३६ न० ६ का प्रतिवाद पत्र जब आपत्ति विमुखाधिकार होने की हो

१—धारा १ व २ इस परिवर्तन के साथ स्वीकार है कि प्रतिवादी का अधिकार २५ साल से अधिक से स्वामी के रूप में वादी के विमुख रहा है।

२ - धारा ३ स्वीकार नहीं है। नन्हें को लापता हुये ५० साल से अधिक हो गये। इस समय में वह कभी ग्राम में नहीं आया और न उसकी किसी आदमी को खबर मिली।

३—नन्हें की मृत्यु को कानून के विचार से १२ साल से अधिक बीत गये। अब उसकी सम्पत्ति किसी उत्तराधिकारी को नहीं मिल सकती दावे में अवधि समाप्त हो चुकी है।

४—धारा ४ में वंशावली अशुद्ध है नन्हें के पुरखा गुलाब का कोई लड़का सीताराम वादी का दादा नहीं था।

५—धारा ५ से इनकार है वादी नन्हें का उत्तराधिकारी नहीं है।

६—धारा ६ स्वीकार नहीं है। वादी की दी हुई वंशावली से प्रतिवादी नन्हें का उत्तराधिकारी है।

७—धारा ७ स्वीकार है।

८—धारा ८ से इनकार है और वादी का दखल व पूर्व लाभ पाने का अधिकारी होना स्वीकार नहीं है।

(२) वादपत्र ३६ न० ९ का प्रतिवाद पत्र जब अनुचित दखल करने से इनकार हो

१—प्रतिवादी ने अपना मकान नये सिरे से बनाने में वादी की कोई खाली भूमि अपने मकान में नहीं सम्मिलित की।

२—प्रतिवादी का मकान पुरानी नीव पर बना है और उसकी पैमाइश अब भी मौके पर उतनी ही मौजूद है जो विक्रयपत्र ता०......महीना......सन् ...... में दी हुई है, जिसके द्वारा प्रतिवादी ने मकान क्रय किया।

३—प्रतिवादी अपने मकान को साधारण रूप से तामीर कर रहा है। वादी सब शिकायतें, उसकी जमीन दबाने और जल्दी से तामीर करने की बाबत अनुचित और असत्य हैं।

(३) वादपत्र पद ३६ न० १० का प्रतिवादपत्र बहुत सी आपत्तियों से

प्रतिवाद पत्र ठाकुर कल्यानसिंह प्रतिवादी न० २—

१—धारा १ वादपत्र स्वीकार है।

२—धारा २ में ठाकुर रामप्रसादसिंह का २ अप्रैल सन् १९१३ को देहान्त होना स्वीकार है और यह भी स्वीकार हैं कि उन्होंने वादिनी को गोद लेने की अनुमति दी थी लेकिन किसी इकरारनामे के होने से इनकार है।

३—धारा ३ में ता० २१ मार्च सन् १९१७ को गोविन्दपाल सिंह का गोद लिया जाना स्वीकार है शेष स्वीकार नहीं है। गोविन्दपाल सिंह किसी शर्त के साथ गोद नहीं लिये गये, वह रियासत हसनगढ़ के स्थायी मालिक थे और इन्तिकाल करने का अधिकार रखते थे। किसी इकरारनामे के लिखे जाने और उसकी पाबन्दी से इनकार है।

४—धारा ४ से बिल्कुल इनकार है। गोविन्दपाल सिंह एक बुद्धिमान, समझदार, चतुर और दूरदर्शी व्यक्ति थे और उनको पूरी होशियारी और योग्यता जायदाद के प्रबन्ध की थी, वह उर्दू, हिन्दी और कुछ अंग्रेजी पढ़े हुए थे। वह न शराब पीते थे और न कोई दूसरा नशा करते थे और न उनका स्वास्थ्य ही खराब था।

५—धारा ५ में प्रतिवादी की बेवती का विवाह गोविन्दपाल सिंह से होना और गोविन्दपाल सिंह का ठेका ७ साल की अवधि का लिखाना स्वीकार है शेष बातें असत्य हैं और दुश्मनी और द्वेष से वर्णन की गई हैं।

६—धारा ६ में लिखी सब बातें झूठ है, उन सब से और प्रत्येक से इनकार है।

७—धारा ७ में गोविन्दपाल सिंह की स्त्री का उनसे पहिले मरना स्वीकार है बाकी से इनकार है। उनकी स्त्री कुछ दिनों साधारण रूप से बीमार रह कर मरी।

८—धारा ८ में मृत्यु लेख का लिखा जाना स्वीकार है। उसके सम्बन्ध में जो बातें बयान की गई हैं वह झूठ है, उनसे प्रतिवादी इनकार करता है।

९—धारा ९ के कुल और प्रत्येक बयान से प्रतिवादी को इनकार है।

१०—गोविन्दपाल सिंह ने ता० १७ अगस्त सन् १९३९ को तन्दुरुस्ती की दशा में जब उनके होश हवास ठीक थे अपनी राजी और इच्छा से मृत्युलेख को उसके समाविष्ट विषय और क़ानूनी प्रभाव को अपने स्वत्वों पर सोच समझ कर इस विचार से दृगपाल सिंह के नाम लिखवाया कि रियासत हसनगढ़ कायम रहे और ता० १९ अगस्त सन् १९३९ को उसकी रजिस्ट्री करा दी।

११—निष्ठा-पत्र (मृत्युलेख) सच्चा और वास्तविक है और उस पर साक्षी सम्मानित और विनामेल वाले लोगों की हैं। उस मृत्युलेख से गोविन्दपालसिंह की अन्तिम इच्छा और चाहना प्रकट होती है। वादिनी ने जो बयान इसके विरुद्ध किये हैं वह सत्य नहीं हैं।

१२—गोविन्दपाल सिंह विना किसी बन्धन या शर्त के गोद लिये गये थे और वह सम्पत्ति के पूर्ण स्वामी और मालिक थे और उनको हर तरह से रियासत के हस्तान्तर करने का अधिकार था।

१३—मुक़द्दमा नम्बरी २५४ सन् १६२३ गोविन्दपाल सिंह को रियासत हसनगढ़ का दखल प्राप्त करने के लिये वादिनी के मुकाबले में सबजजी अलीगढ में दायर करना पड़ा और वह हाईकोर्ट तक लडा और गोविन्दपाल सिह रियासत के पूरे और स्थायी मालिक निर्णित हुये और वादिनी को केवल १८००) रु० साल निर्वाह और हसनगढ़ की गढी में रहने का अधिकार दिया गया। उस मुकद्दमे के निर्णय के अनुसार अब वादिनी गोविन्दपाल सिह का अधिकार पूर्ण और स्थिर होने से इनकार नहीं कर सकती और न वह मृत्युलेख को इस आधार पर अवैध कह सकती है। पूर्व न्याय (Res Judicata) का नियम उसको वर्जित करता है।

१४—धारा १० स्वीकार नही है। गोविन्दपाल सिह का दखल का दावा दायर करने और उसको हाईकोर्ट तक लड़ने में बहुत खर्च पड़ा और वादिनी उन दिनों सम्पत्ति पर काबिज़ रह उसकी आय अपने खर्च में लाती रही। इसके अतिरिक्त गोविन्दपाल सिंह कुछ दिनों तक बीमार रहे और उनके इलाज में खर्च पड़ा और गोविन्दपाल सिह के लड़की पैदा हुई थी उसकी खुशी में खर्च हुआ, इन सब कारणों से उन पर लगभग २००००) रु० कर्ज हो गया था। उसके चुकाने के लिये उन्होंने रियासत के एक भाग का ठेका दे दिया था।

१५—मृत्युलेख लिखते समय ठेके की अवधि समाप्त नहीं हुई थी और लगभग ११०००) रु० ऋण का शेष था। उन्होंने प्रतिवादी की अनुमति से ठेका मंसूख करके एक लेख लिख दिया और ऋण बेबाक करने का प्रबन्ध मृत्युलेख के कार्यकर्ता के उत्तरदायित्व पर रक्खा।

१६—धारा ११ में गोविन्दपाल सिंह के मरने पर वादिनी का नाम चढ़ाने का प्रार्थना पत्र देना स्वीकार है, शेष से इनकार है।

१७—धारा १२, १३, १४ व १५ और उपशमन कुल और प्रत्येक स्वीकार नहीं है।

१८—मृत्युलेख की मसूखी के दावे म पद-परिशिष्ट १ अवधि विधान १६०८ के अनुसार अवधि समाप्त हो गई है।

१६—मृत्युलेख के वाद, वादिनी का कोई अधिकार रियासत हसनगढ़ में शेष नहीं रहा है।

३७—स्वत्व घोषणा (इस्तकरार)

(१) वाद-पत्र पद ३७ न० का प्रतिवाद पत्र, जब कि ऋणी के मालिक होने से इनकार हो।

१—वादपत्र की धारा १ व २ व ३ स्वीकार हैं।

२—धारा ४ व ५ व ६ और दादरसी प्रत्येक से और सब से इनकार है।

विशेष बयान

३—झगड़े वाली सम्पत्ति का मालिक व काबिज़ प्रतिवादी है, वादी का उसमें कोई स्वत्व या अधिकार नहीं है।

४—उक्त सम्पत्ति का आधा हिस्सा प्रतिवादी का पैतृक है और शेष आधा हिस्सा उसने (अ—ब) से ता०......को विक्रय से खरीद किया और खरीदने के दिन से जिसको कि १२ साल से अधिक हो गये, वह मालकाना और मुखालिफाना कुल सम्पत्ति पर काबिज़ है।

५—डिग्री ऋणी का इस सम्पत्ति पर १२ साल के अन्दर कभी कब्ज़ा नहीं रहा और उसका कोई अधिकार माना भी जावे तो उसमें अवधि समाप्त हो चुकी है।

(२) वादपत्र पद ३७ न० ६ का प्रतिवाद-पत्र जब कि इन्तिकाल जायज़ होने की आपत्ति हो

१—वादपत्र की धारा १ व २ स्वीकार नहीं हैं।

२—धारा ३ में विक्रयपत्र का लिखा जाना स्वीकार है अन्य बातों से इनकार है।

३—धारा ४ वादी ने जैसे बयान की है स्वीकार नहीं है वास्तविक घटनाएँ विशेष बयान में लिखी हैं।

४—धारा ५, ६, ७, ८ व ६ सब से और प्रत्येक से इनकार है।

विशेष बयान

५—प्रतिवादिनी का निकाह प्रतिवादी न० २ से सन् १६ में हुआ और देन मेहर २५०००) रु० का क़रार पाया और उसके विषय में प्रतिवादी न० २ ने प्रतिवादिनी के नाम ता०......को काबीन नामा (Dower deed) लिख दिया।

६—देन मेहर के २५०००) रु० में से १५०००) रु० के बदले प्रतिवादी न० २ ने लगभग ६ साल हुये अपनी सम्पत्ति जमींदारी प्रतिवादिनी को बै कर दी जिस पर प्रतिवादिनी काबिज है और उसका नाम माल के क़ागज़ों में दर्ज है।

७—देनमहर के शेष १००००) रु० में प्रतिवादी न० २ ने अपनी दूसरी सम्पत्ति प्रतिवादिनी के हाथ बेंच दी और उसी रोज से प्रतिवादिनी उस पर काबिज़ है और उसका नाम माल के कागजों में दर्ज है।

८—इस जायदाद की लगान की तहसील वसूल प्रतिवादिनी के कारिन्दे करते हैं और मुसन्ना वही से रसीद देते हैं और सरकारी मालगुजारी अदा करते हैं और कुल सम्पत्ति की प्रतिवादिनी नम्बरदार है।

९—प्रतिवादी न० २ का सम्पत्ति से कोई सम्बंन्ध नहीं है और न कोई उसका हक़ है।

१०—वाद पत्र के यह बयान कि दिखावटी देन मेहर के बदले में विक्रयपत्र लिखा गया और प्रतिवादी न० २ सम्पत्ति पर काबिज है और लगान वसूल करता है ग़लत और झूँठ है।

(३) वादपत्र पद ३७ न० ११ का प्रतिवाद जब कि विक्रय पत्र के जायज़ होने का उज्र हो।

प्रतिवादी न० १ (सम्पत्ति के क्रेता) का प्रतिवाद पत्र—

१—वादपत्र की धारा १ व २ व ३ स्वीकार हैं।

२—धारा ४ में वादी का अवयस्क होना और प्रतिवादी न० २ का उत्तरदाता प्रतिवादी के नाम विक्रय पत्र लिखना स्वीकार है, अन्य बातों से इनकार है।

३—झगड़े वाली सम्पत्ति और दूसरी सम्पत्ति के साथ ता०......के लिखे हुए प्रमाण पत्र (दस्तावेज) के द्वारा २०००) रु० में एक आदमी हरगूलाल के पास हरलाल की ओर से आड़ थी। दस्तावेज में १।) रु० सैकड़े मासिक सूद की दर थी और सूद दर सूद छः माही था और कुल सम्पत्ति के डूब जाने का भय था।

४—प्रतिवादिनी न० २ वादी की प्राकृतिक संरक्षक (अभिभावक) है उसने वादी के अन्य सम्बन्धियों से विचार परामर्श करके सम्पत्ति पर ।≈) सै० मासिक सूद का हिसाब लगा कर ३०००) रु० में प्रतिवादी के हाथ विक्रय किया और हरगूलाल का आड़ का रुपया बेबाक करके दूसरी जायदाद आड़ से ऋण-रहित करा ली।

५—प्रतिवादिनी न० २ एक समझदार और चतुर स्त्री है और उसने जायदाद को वादी के प्राकृतिक संरक्षक की हैसियत से उचित मूल्य पर उसके लाभ के लिये बेची। प्रतिवादी ने न उसको बहकाया और न कोई धोखा दिया और विक्रय पत्र में लिखी हुई सब बातें सच हैं।

६—धारा ५ से इनकार है। झगड़े वाली सम्पत्ति का बाज़ारी मूल्य ३०००) रु० से किसी प्रकार अधिक नहीं है और मूल्य का कुल रुपया ऋण की अदायगी में, जिसका देनदार वादी था, व्यय हुआ और उससे वादी का लाभ हुआ।

७—धारा ७ से बिल्कुल इनकार है।

८—धारा ८ स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी का नाम अदालत माल में दाखिल हुए एक साल हो गया और वह सन्......फसली का लगान भी ठेकेदार से वसूल कर चुका है। अब ठेकेदार का अधिकार प्रतिवादी की ओर से है।

९—केवल इस्तक्रार का दावा धारा ४२ विशेष उपशमन विधान (Sec. 42 Specific Relief Act.) के अनुसार क़ायम रहने योग्य नहीं है।

१०—धारा ९ व १० से, कुल से व प्रत्येक से इनकार है।

३८—लिमीटेड कम्पनी

(१) वादपत्र पद ३८ नम्बर १ का प्रतिवाद पत्र बहुत सी आपत्तियों से

१—वाद पत्र की धारा १, २ व ३ स्वीकार है।

२—धारा ४ स्वीकार नहीं है प्रतिवादी को कोई हिस्सा एलाट (Allot दिया) नहीं किया गया और न कोई सूचना एलाटमेंट की प्रतिवादी को दी गई।

३—धारा ५ स्वीकार नहीं है। जो माँगें वादी प्रगट करता है वह नहीं की गईं और न उनका कोई उचित नोटिस प्रतिवादी को दिया गया।

४—धारा ६ व ७ और वादरवां कुल और प्रत्येक, प्रतिवादी को स्वीकार नहीं है।

५—वादी कम्पनी के मेनेजिंग डायरेक्टर ने प्रतिवादी को धोखा देकर और झूठा प्रासपेक्टस दिखला कर हिस्से खरीदने के लिये प्रार्थना-पत्र प्रतिवादी से ले लिया था इसके बाद जब वास्तविक बात प्रतिवादी को मालूम हुई और उसने धोखा देने का अभियोग (फौजदारी दावे की अर्जी) मिनेजिंग डायरेक्टर और कम्पनी के दूसरे डायरेक्टरों पर करना चाहा तो उन लोगों ने यह कह दिया कि प्रतिवादी को कोई हिस्से एलाट नहीं किये जावेंगे और दरख्वास्त का रुपया (Application Money) वापिस कर दिया जावेगा और इसकी बाबत एक लेख प्रतिवादी के हवाले कर दिया जो नत्थी किया जाता है।

६—प्रतिवादी कम्पनी का हिस्सेदार नहीं है।

७—प्रतिवादी के जुम्मे किसी एलाटमेंट या माँग के रुपये नहीं निकलते हैं।

(२) प्रतिवाद पत्र, वाद पद ३८ न० ५ का जब उत्तरदायित्व से इनकार है।

१—धारा १, २ व ३ स्वीकार हैं।

२—धारा ४ स्वीकार नहीं है। वादी ने कोई साधारण अधिवेशन हिस्सेदारो का ता०......मा०......सन्......को या किसी अन्य तारीख पर नहीं किया। और न उक्त अधिवेशन या किसी दूसरे अधिवेशन की सूचना प्रतिवादी को दी।

३—कोई ऋण अदा करने की कार्य प्रणाली और बाकीदार हिस्सेदारो की सूची प्रतिवादी के ज्ञान और सूचना में प्रस्तुत नहीं हुई और किसी स्कीम (कार्य प्रणाली) और सूची का नियम के अनुसार तैयार होना प्रतिवादी को स्वीकार नहीं है।

४—धारा ५ से लेकर ८ तक प्रत्येक से और कुल से प्रतिवादी को इनकार है।

५—प्रतिवादी के जुम्मे किसी माँग का रुपया वाजिब नहीं है।

६—कम्पनी का बहुत अधिक रुपया डायरेक्टरो और मेनेजिंग डायरेक्टर के जुम्मे बाकी हैं जब तक वह रुपये अदा न करें दूसरे हिस्सेदारो से माँग करना अनुचित है।

३६—बीमा

(१) वाद-पत्र पद ३९ न० ३ का प्रतिवाद पत्र जब असत्य वर्णन और आत्म हत्या का उज्र है।

१—वादी ने बीमा कराने के समय प्रतिवादी से यह प्रकट नहीं किया था कि ज—द को साल भर में या उसके कुछ दिन आगे पीछे एक विशेष पीड़ा का दौरा होता है जिससे वह बहुत कमज़ोर और मृततुल्य हो जाता है और जीवन की आशा कम रह जाती है।

२—यह बात बड़ी आवश्यक थी जिसको वादी जानता था परन्तु उसने प्रपंच से प्रतिवादी को प्रकट नहीं किया और प्रतिवादी को इसका ज्ञान नहीं था।

३—प्रतिवादी को ज्ञात हुआ है कि (ज — द) ने ऐसी पीड़ा की दशा में जीवन से तग आकर आत्म हत्या की और ऐसी दशा में पालसी की धारा ६ के अनुसार बीमा मंसूख और बेकार हो गया और प्रतिवादी अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो गया।

४०—प्राकृतिक स्वत्व व सुखाधिकार

*(१) कष्ट दायक कार्य्य को हटाने के वाद का प्रतिउत्तर

१—यह कि वादी की रोशनी प्राचीन काल से नहीं है (या उसके दूसरे बयान किये हुये अधिकार प्राप्त होने से इनकार किया जावे)।

२—वादी की रोशनी में प्रतिवादी के भवन से कोई हरजा नहीं होगा।

३—प्रतिवादी इनकार करता है कि वह या उसके नौकर पानी को अपवित्र करते हैं।

(या वह कार्य करते हैं जिनकी शिकायत है)।

(यदि प्रतिवादी दावा करता हो कि उसको वह काम करने का अधिकार, जिसकी शिकायत की जाती है बहुत दिनों के उपयोग से या किसी अन्य प्रकार से प्राप्त हो गया है तो उसको ऐसा कहना चाहिये और अपने दावे की प्रतिवाद के कारण भी लिखने चाहिये)।

४—वादी ढील का दोषी है जिसका विवरण निम्नलिखित है—

सन् १९१० ई० को कारखाना आरम्भ हुआ।

सन् १९११ ई० में वादी ने आविष्कार किया।

सन् १९१३ ई० में वादी की शिकायत हुई परन्तु दावा सन् १९३८ में आरम्भ किया गया।

५—वादी के हरजे के दावे के जवाब में प्रतिवादी ऊपर लिखे कारणों पर भरोसा करता है और निवेदन करता है कि उन कार्यों से जिनकी शिकायत की जाती है वादी की कोई हानि नहीं हुई (यदि अन्य कारणों पर भरोसा हो तो वह भी लिखे जावे जैसे गुजरे हुये हरजे की रकम बतादी)।

(२) वादपत्र पद ४० न० २ का प्रतिवादपत्र जब सुखाधिकार प्राप्त हो जाने की आपत्ति हो

१—रंग साजी का कारखाना जिसका प्रतिवादी मालिक है २५ साल से पहिले से चला आता है।

२—कारखाने के मालिक २५ साल से बराबर बिना किसी रोक टोक के कारखाने में आया हुआ पानी जमुना नदी में अधिकार युक्त होने से बहाते रहे हैं उनको ऐसा करने का 'सुखाधिकार विधान' एक्ट ५ सन् १८८२ की धारा १५ के अनुसार अधिकार प्राप्त हो चुका है।

---

* यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह की परिशिष्ट १ अपेन्डिक्स (अ) पद ४ का नमूना नम्बर १० है।

३—प्रतिवादी को इनकार है कि कारखाने के पानी से नदी का पानी बदबूदार और काम में लाने के योग्य नहीं रहता और जानवर और आबपाशी और घर के कामों में नहीं आ सकता।

४—प्रतिवादी को इनकार है कि वादी का बयान किया हुआ हरजा या कोई हानि हुई।

(३) वादपत्र पद ४० न० ११ का प्रतिवाद-पत्र
जब रास्ते के हक़ से इनकार हो

१—धारा १ स्वीकार है।

२—धारा २ से इनकार है झगड़े वाले खेत का मालिक प्रतिवादी है। वादी उस खेत को अधिकार पूर्ण खुले तौर पर बिना रोक टोक के २० साल तक लगातार रास्ते की तरह इस्तेमाल नहीं करता रहा। उसको धारा १५ एक्ट ५ सन् १८८२ ई० के अनुसार रास्ते का सुखाधिकार खेत में प्राप्त नहीं हुआ।

३—वादी का वास्तविक रास्ता, आम सड़क को, एक दूसरी गली में होकर कुछ फेर से है। उक्त खेत कुछ दिनों से बिना जुता हुआ बंजर पड़ा था और वादी और उसके नौकर उसमें होकर प्रतिवादियों की मौखिक अनुमति से निकल जाते थे। इस प्रकार का उपयोग भी सन् १९३७ और सन् १९४१ ई० में जब उक्त खेत जोता गया बन्द हो गया था।

४—धारा ३ और उपशमन स्वीकार नहीं है।

(४) वादपत्र पद ४० न० २२ का प्रतिवादपत्र
बहुत सी आपत्तियों पर निर्भर

१—धारा १ स्वीकार है।

२—धारा २ में जंगलों का होना स्वीकार है परन्तु पहिली मजिल के जंगले तीन चार साल के निकाले हुये हैं। उनके विषय में धारा १५ एक्ट ५ सन् १८८२ के अनुसार वादी को कोई सुखाधिकार प्राप्त नहीं हुआ। उनको कायम रखने का वादी को अधिकार नहीं है।

३—धारा ३ में प्रतिवादी का मकान बनवाना आरम्भ करना स्वीकार है परन्तु प्रतिवादी की तामीर से दूसरी मजिल के जगले बिल्कुल बन्द नहीं होंगे। केवल पहिली मजिल के रसोई घर के १ जगले कुछ बन्द होंगे। बन्द करने का अधिकार प्रतिवादी को प्राप्त है।

४—रसोई घर में दो अन्य जगले पूरब को सड़क की ओर, हवा और प्रकाश आने और धुआँ निकलने के लिये लगे हुये हैं झगड़े वाले जंगलों का कुछ भाग बन्द हो जाने से कोई विशेष और आवश्यक हानि वादी की नहीं होगी।

५—धारा ४, ५, व ६ व उपशमन कुल से और प्रत्येक से इनकार है।

सरसोल स्टेशनों के बीच रात में चलती हुई मालगाड़ी से चोरी चली गई। रेलवे के नौकरों की कोई उपेक्षा या लापरवाही नहीं थी।

३—बोरी कम किराये पर भेजने वाले की जुम्मेवारी पर, (Risknote Form B) के द्वारा रवाना हुई थीं और उसकी शर्तों के अनुसार रेलवे कम्पनी हानि की उत्तरदायी नहीं है।

४—हर्जे की संख्या और उसकी जुम्मेवारी से प्रतिवादी को इनकार है।

५—धारा ३, ४ व ५ कुल और प्रत्येक स्वीकार नहीं हैं।

(४) वादपत्र पद ४१ न० ९ का प्रतिवाद-पत्र जब कि भूल (गफलत) से इनकार हो

१—प्रतिवादी को इनकार है कि उसके नौकरों ने वादी की बयान की हुई भूल या कोई और दूसरी भूल की।

२ रेलवे फाटक रामघाट पर मशीन से ऐसा प्रबन्ध है कि जिस समय रेलगाड़ी फाटक की ओर आती है फाटक अपने आप बंद हो जाता है और लेम्प की लाल रोशनी सड़क की तरफ हो जाती है।

३—वादी उस समय जब कि फाटक बंद होना और लाल रोशनी सड़क की तरफ घूमना शुरू हुई, बेतहाशा दौड़ाते हुये टमटम अन्दर ले गया जो फाटक की तरफ आती हुई मालगाड़ी से टकरा गई।

४ -टमटम के केवल पिछले भाग में मालगाड़ी का धक्का लगा। उससे कोई नुकसान टमटम का नहीं हुआ और न वादी को कोई चोट या धक्का लगा।

५—प्रतिवादी को इनकार है कि वादी की बयान की हुई चोट या कोई और चोट वादी ने सहन की या वादी की बयान की हुई या और कोई हानि हुई।

६—प्रतिवादी बयान करता है कि यदि कोई चोट वादी ने सहन की या कोई हानि उसकी हुई तो यह उसकी ही भूल और असावधानी का फल था।

४२—पेटेन्ट (Patent)

(१) साधारण घटनाग्रस्त प्रतिवाद पत्र

१— प्रतिवादी ने वादी के पेटेन्ट में कोई अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया न वह काम किये जिनकी वादी शिकायत करता है (हर एक शिकायती काम में क्रमानुसार इनकार किया जावे)।

२—वादी ने कोई पेटेन्ट जायज तरह से प्राप्त नहीं किया।

या कि वह पेटेन्ट मंसूख हो गया।

या कि वह विधानानुसार अवैध है (जिस कारण से आपत्ति की जाती हो वह कारण लिखा जावे)।

३—वादी का पेटेन्ट कोई नया आविष्कार नहीं है या वादी उसका प्रथम और वास्तविक आविष्कार करने वाला नहीं है।

४—वादी का बयान किया हुआ आविष्कार ऐसा आविष्कार नहीं है जिसकी बाबत पेटेन्ट विधानानुसार मिल सकता हो।

(२) वादपत्र पद ४२ नं० १ का प्रतिवाद पत्र जब पेटेन्ट और उस पर अनुचित हस्तक्षेप करने से इनकार हो

१—धारा १ से इनकार है। वादी असली और प्रथम आविष्कारक "जेबलाक" ताले की बनावट और कारीगरी का नहीं है। उस कारीगरी और बनावट के ताले बहुत दिनों से " शर्मा ब्रादर्स, " " हाफिज़ एन्ड को " और कई दूसरे कारखानों में बनते थे और अब भी बनते हैं और प्रतिवादी भी उनको वादी के प्रकट किये हुये पेटेन्ट के कई साल पहिले से बनाता और बेचता है।

२—धारा २ स्वीकार नहीं है। किसी पेटेन्ट का जो कानूनन जायज़ हो और जायज़ रूप से प्राप्त किया हो, होना प्रतिवादी को स्वीकार नहीं है। जो पेटेन्ट वादी प्रकट करता है विधानानुसार नहीं है और न वादी का बयान किया हुआ आविष्कार ऐसा है जिसका पेटेन्ट मिल सकता हो।

३—धारा ३ से बिल्कुल इनकार है। प्रतिवादी लगभग १५ साल से इस तरह के ताले बनाता और बाज़ार में विक्रय करता है। वह ताले " जेबलाक " ताले के साथ एक सी और मिलती हुई शकल के नहीं हैं और दोनों के चिन्ह अलग २ हैं।

४—धारा ४ से इनकार है। कोई धोखा किसी क्रेता को होना सम्भव नहीं है और न वास्तव में किसी क्रेता को धोखा हुआ।

५—धारा ५ में प्रतिवादी के ताले ३ रुपये प्रति ताले के हिसाब से बिकना स्वीकार है। वादी की कोई हानि ऐसी बिक्री से होना स्वीकार नहीं है।

६—धारा ६ व ७ स्वीकार नहीं हैं। अभियोग कारण वादी ने अनुचित स्थित किया है।

४३–कापीराइट (Copyright)

*(१) साधारण प्रतिवादपत्र

१—वादी रचयिता (Author) अथवा अन्य अधिकार युक्त पुरुष नहीं है।

२—पुस्तक की रजिस्ट्री नहीं हुई।

३—प्रतिवादी ने कोई अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया।

(२) वादपत्र पद ४३ न० १ का प्रतिवाद पत्र जब कापीराइट से इनकार हो

१—धारा १ वादपत्र से इनकार है। वादी पुस्तक का लेखक नहीं है और न कापीराइट का मालिक है।

२—उक्त पुस्तक कई मुद्रालयों से बहुत बार छप चुकी है और जहाँ तक प्रतिवादी को मालूम हुआ है उसका लेखक एक पुरुष मोतीलाल था और उसको मोतीलाल ने पहिली बार नवलकिशोर प्रेस लखनऊ में सन् १६३१ में छपवाया था।

३—धारा २ में पुस्तक का छपवाना और वेचना स्वीकार है, परन्तु वादी की किसी पुस्तक से निबन्ध लेने से इनकार है। प्रतिवादी ने कुछ निबन्ध अपनी किताब में मोतीलाल की पुस्तक से लिये हैं जिनमें अब किसी का कापीराइट नहीं है। प्रतिवादी ने वादी के किसी कापीराइट में विघ्न नहीं डाला।

४—धारा ४ में निबन्धो का विवरण स्वीकार है परन्तु वह सब मोतीलाल की पुस्तक से लिये गये हैं। उनसे कोई अनुचित हस्तक्षेप कापीराइट में, यदि कोई हो, नहीं होता।

५—धारा ४ में प्रतिवादी की पुस्तक का मूल्य एक रुपया होना स्वीकार है बाक़ी ज्ञात नहीं है।

६—धारा १ से लेकर ८ तक कुल और प्रत्येक से इनकार है।

---

* यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह के परिशिष्ट १ अपेन्डिक्स (अ) पद ४ का नमूना न० ८ है।

४४—ट्रेडमार्क (Trademark)

*(१) साधारण प्रतिवाद पत्र

१—यह कि व्यापार चिन्ह (ट्रेडमार्क) वादी का नहीं है।

२—यह कि वादी का बयान किया हुआ व्यापार चिन्ह कोई व्यापार चिन्ह नहीं है।

३—प्रतिवादी ने ट्रेडमार्क में कोई अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया।

(२) वादपत्र पद ४४ नं० २ का प्रतिवाद पत्र जब कि छाप में अन्तर और वादी को अधिकार न होने की आपत्ति हो

१—धारा १ से ३ तक कुल और हर एक प्रतिवादी को स्वीकार नहीं है। वादी का बयान किया हुआ व्यापार चिन्ह कोई व्यापार चिन्ह नहीं है और न वह वादी का व्यापार चिन्ह है।

२—धारा ४ में प्रतिवादी का मक्खन की तैयारी का काम करना और छाप लगाना स्वीकार है। इससे इनकार है कि प्रतिवादी का चिन्ह वादी के किसी चिन्ह के साथ एक प्रकार का है या कि प्रतिवादी ने अपना चिन्ह वादी को हानि पहुँचाने के लिये लगाया है। प्रतिवादी ने वादी के किसी व्यापार चिन्ह में अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया।

३—धारा ५ से बिल्कुल इनकार है। दोनों चिन्ह एक दूसरे से पृथक है और कोई धोखा किसी खरीदार को नहीं हो सकता और न वादी के किसी ट्रेडमार्क में अनुचित हस्तक्षेप होता है।

४—धारा ६ से लेकर ६ तक और उपशमन कुल से और प्रत्येक से इनकार है। वादी की कोई हानि प्रतिवादी के किसी कार्य्य से नहीं हुई और हानि की संख्या मनमानी और ग़लत है।

---

* यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह के परिशिष्ट १ अपेन्डिक्स (अ) पद ४ का नमूना नं० ६ है।

४५—गुड्विल (Goodwill)

(१) वादपत्र पद ४५ न० १ का प्रतिवादपत्र बहुत सी आपत्तियों का

१—धारा-१ व २ स्वीकार हैं।

२—धारा ३ इस अन्तर के साथ स्वीकार है कि जो कारोबार वादी को बेचा गया उसकी कोई व्यापारिक नेकनामी नहीं थी और न वह वादी के हाथ बिकी।

३—धारा ४ स्वीकार है।

४—धारा ५ में कारोबार पसरहट्टे का मंगनीराम साधूराम के नाम से करना स्वीकार है शेष से इनकार है। मगनीराम साधूराम प्रतिवादी के पूर्वजों के नाम हैं। इस नाम से प्रतिवादी पिदरुन गज में काम करता है और इसी नाम से मियाँ गज में काम करना शुरू किया है। वादी की दुकान प्रतिवादी की दुकान से बहुत दूर है और कोई धोखा किसी खरीदार को किसी तरह का नहीं होता। प्रतिवादी को अपने पुरखों के नाम से व्यापार करने का अधिकार है।

५—धारा ६ व ७ से,'कुल से और प्रत्येक से इनकार है। प्रतिवादी ने कभी अपनी मियाँगज की दुकान को वादी की दुकान की शाखा नहीं बतलाया और न किसी खरीदार को ऐसा कह कर प्रेरित किया।

६—धारा ८ में कारोबार करना और जारी रखना स्वीकार है, बाक़ी से इनकार है।

७—शेष धारायें तथा उपशमन स्वीकार नहीं हैं।

४६—शारीरिक और सम्पत्ति सम्बन्धी अन्य अधिकार

(१) मानहानि के हर्जे के दावों में साधारण प्रतिवादपत्र

१—प्रतिवादी ने वह शब्द जिनकी वादी शिकायत करता है नहीं कहे, या नहीं लिखे और न छापे।

२—शब्दों का अर्थ जो वादी लगाता है वह प्रतिवादी का अभिप्राय नहीं था और न वह अर्थ उनका समझा जा सकता है।

३—वह शब्द साधारण बोलचाल में अपमान या मान हानि के नहीं हैं और न किसी अपमान या मान हानि का अर्थ उनका लगाया जा सकता है।

४—जो शब्द प्रतिवादी ने कहे हैं वह वास्तव में सच हैं और प्रतिवादी ने उनको उचित अधिकार से लिखा या छापा (जिन घटनाओं से अधिकार प्रकट होता हो, उनका क्रमानुसार विवरण लिखा जावे)।

५—प्रतिवादी ने उक्त शब्दों को नेक नीयती से वादी के सार्वजनिक कार्य्यों की आलोचना करते हुये लिखा और वह आलोचना उचित और ठीक थी और बिना किसी दुश्मनी या द्वेष के, जनता के उपकारार्थ थी।

६—वादी की कोई विशेष हानि उन शब्दों से नहीं हुई।

७—प्रतिवादी ने क्षमा माँग ली या माफी छाप दी या वास्तविक घटनाएँ छाप दीं।

८—वादी ने प्रतिवादी को क्षमा कर दिया या .....रुपये हर्जा लेकर क्षमा कर दिया।

९—हर्जे की संख्या ग़लत और अधिक है।

१०—प्रतिवादी... ..रुपये हर्जा देने और क्षमा माँगने को तैयार है और हर्जे का रुपया अदालत में दाखिल कर दिया है।

(२) वादपत्र पद ४६ न० ४ का प्रतिवाद पत्र
जब आपत्ति बयान सच होने की हो

१—धारा १ और २ स्वीकार हैं।

२—धारा ३ स्वीकार नहीं है। (अ—ब) और (क—ख) बाप बेटे हैं और प्रतिवादी के सम्बन्धी हैं। (क—ख—) की युवती स्त्री जापे के रोग से बीमार थी। उन्होंने प्रतिवादी से उसका इलाज वादी से कराने के विषय में पूछा। प्रतिवादी ने बिना किसी द्वेष या ईर्षा से जो कुछ सूचना प्रतिवादी को वादी के विषय में थी, उसको सच विश्वास करते हुये नेक नीयती से (अ—ब) और (क—ख) से कह दिया।

३—वादी के सम्बन्ध में सर्व साधारण में यह चर्चा है कि उसका अनुचित सम्बन्ध श्रीमती (ग—घ) वेश्या से है और वह शराब पीता है और अस्पताल (चिकित्सालय) में बीमारों के देखने के समय नशे की दशा में बहुधा निकलता है।

४—वादी के शराब पीने के विषय में प्रतिवादी को मुख्य करके सूचना रामलाल और सोनी राम से मिली जिनके यहाँ वादी इलाज करने गया और नशे की दशा में रोगी के विपरीत नुसखे लिख दिये जिनके सेवन करने से रोगियों को बहुत दुःख पहुँचा और वाद को दूसरे डाक्टरों के इलाज से अच्छे हुये।

५—धारा ४ से बिल्कुल इनकार है। वादी की कोई नेकनामी और नामवरी नही थी जिसको प्रतिवादी के शब्दों से हानि पहुँची हो। वादी की कोई हानि उन शब्दों से नहीं हुई।

(३) साधारण प्रतिवाद हरजे की नालिशों में जो शत्रुता से फौजदारी का झूठा मुकदमा चलाने के विषय में हों

१—प्रतिवादी ने कोई दडाभियोग (इस्तगासा) नहीं किया या वारन्ट जारी नहीं कराया या कोई दूसरी कार्य्यवाही अदालत की नहीं की।

२—प्रतिवादी को दडाभियोग (Complaint) झूठा होने से इनकार है।

३—दंडाभियोग सच्चा था।

४—प्रतिवादी को दडाभियोग के, द्वेष के या बिना उचित कारण और विश्वास विरुद्ध होने से इनकार है या अभियोग बिना किसी द्वेष के नेक नीयती से उचित कारण और विश्वास से दायर किया गया था।

५—प्रतिवादी को फ़ौजदारी की कारवाई वादी के अनुकूल निर्णीत होने से इनकार है या वादी अदालत फौजदारी से मुक्त नहीं हुआ या सन्देह में (Benefit of doubt) मुक्त हुआ।

६—वादी की हानि नहीं हुई या हानि की संख्या असत्य है।

(४) वादपत्र पद ४६ न० ७ का प्रतिवाद पत्र जब अभियोग सच्चा होने की आपत्ति हो

१—धारा १ में वादी का व्योपार का कारोबार करना स्वीकार है। शेष ज्ञात नहीं है।

२—धारा २ से इनकार है प्रतिवादी की कोई शत्रुता वादी से नहीं थी और न वह उनकी निन्दा और अपमान करना चाहता था।

३—धारा ३ स्वीकार है।

४—धारा ४ में बयानात बढ़ा कर किये गये हैं। मुकदमे की केवल दो पेशी दौरे में और एक स्थान अलीगढ़ में हुई और वादी के दो गवाह केवल एक तारीख पर स्थान अलीगढ़ में उपस्थित हुये।

५ धारा ५ में अभियोग ता० ६ अगस्त १६४१ ई० के डिसमिस और वादी का वारी होना स्वीकार है परन्तु वादी के सन्देह का लाभ (Benefit of doubt) दिया गया।

६—धारा ६ से बिल्कुल इनकार है। प्रतिवादी के इनकार है कि अभियोग झूँठा था और प्रतिवादी उसके झूँठा जानता था और कोई उचित कारण उसके दायर करने का न था और प्रतिवादी ने द्वेप से वादी के कष्ट और हानि पहुँचाने के लिये दायर किया था।

७—धारा ७ स्वीकार नहीं है प्रतिवादी के इनकार है कि वह किसी हानि का वादी के देनदार है।

८—धारा ८ स्वीकार नहीं है। हानि की संख्या मनमानी और ग़लत है।

४७—अदालत माल की नालिशें

(१) वादपत्र पद ४७ न० ३ का प्रतिवाद पत्र जब कि दत्तक पुत्र (गोद) से इनकार हो

१—वादी दत्तक पुत्र (अ—ब) का जो चिरस्थायी कृषक (दखीलकार काश्तकार) झगड़े वाले खाते का था, नहीं है और न उसका उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि है।

२—वादी शिकमी (जैली) काश्तकार झगड़े वाले खाते का मृतक (अ—ब) के जीवन में था। उसके मरने की तारीख से वह काश्तकार साल बसाल (गैरदखीलकार) हो गया और बेदखल होना चाहिये।

३—वादी को किसी इस्तकरार कराने का स्वत्व नहीं है।

(२) वादपत्र पद ४७ न० ५ का प्रतिवाद पत्र जब ज़मींदार और कृषक का सम्बन्ध होने से इनकार हो

१—वादी प्रतिवादी से लगान वसूल नहीं करता और न उसको नम्बरदार की हैसियत से प्रतिवादी को बेदखल करने का अधिकार है।

२ – प्रतिवादी सदा से लगान (क—ख) हिस्सेदार को अदा करता है और प्रतिवादी उसी का कृषक है।

३—प्रतिवादी की खेत जोतने की अवधि १४ साल की हो गई और उसको चिरस्थाई स्वत्व हो गया। वह कृषक साल बसाल नहीं है और न बेदखली के योग्य है।

(३) वादपत्र पद ४७ न० ८ का प्रतिवाद पत्र बहुत सी आपत्तियों का

१—धारा १ वादपत्र इस अन्तर के साथ स्वीकार है कि सन् १३४६ फसली में वादी का भाग केवल ½ था बाकी ½ (क ख) का था जिसका मालिक वादी विक्रय के द्वारा सन् १३४६ फसली का मुनाफा वाजिब हो जाने के बाद हुआ।

२—धारा २ वादी के कहने के अनुसार स्वीकार नहीं है वादी का लाभ हिसाब से मुबलिग......रु० होता था वह प्रतिवादी ने वादी को देना चाहा और वादी के न लेने पर मनीआर्डर से उसके पास भेजा। वादी ने मनीआर्डर भी वापस कर दिया अब प्रतिवादी ने उस धन को वादी के दिये जाने के लिये अदालत में दाखिल कर दिया है।

३—धारा ३ में कुछ हिस्सेदारों और प्रतिवादी की ख़ुदकाश्त होना स्वीकार है परन्तु उसका लगान वादी ने गलत और अधिक नियत किया है।

४—धारा ४ से प्रतिवादी को इनकार है। प्रतिवादी ने, जिन आसामियों से लगान वसूल होने की आशा थी उन पर पचरोज़ा लगाया और नालिशें की और बेदखली कराई और उचित प्रयत्न लगान वसूल करने का किया। ज़मीन पड़ुवा और आसामी असमर्थ होने के कारण कुल लगान कभी वसूल नहीं होता था और न इन वर्षों में हुआ। कुछ आसामी भाग गये और कुछ ज़मीन जोतने वाले न मिलने के कारण खाली पड़ी रही। लाभ का हिसाब रक़म वसूल पर होना चाहिये।

५—धारा ५ में जो हिसाब वादी ने क़ायम किया है वह ग़लत है। पट्टेबंदी ग़लत और बढ़ा कर लिखी है। आय इसके अतिरिक्त कोई नहीं है। खुदकाश्त और आसामियों का लगान ज्यादा लगाया है और गाँव व्यय कम स्थित किया है और मुक़दमों का व्यय नहीं लगाया।

६—गाँव व्यय वार्षिक मुबलिग......रु० होता है और मुबलिग......रु० बेदखली और शेष लगान के मुक़दमों और पचरोज़े में व्यय हुए हैं जिनका विवरण यह है।

(कुल व्यय का विवरण यहाँ पर या प्रतिवाद-पत्र के साथ दाखिल किया जावे)

७—लाभ का सही हिसाब बयान तहरीरी के साथ नत्थी किया जाता है। उसके अनुसार मुबलिग......रु० लाभ के वादी के निकलते हैं जो उसके पास भेजे गये और अब दाख़िल अदालत कर दिये गये हैं।

द्वितीय भाग

द्वितीय अध्याय

शपथ-पत्र, प्रार्थना-पत्र इत्यादि

१—शपथ-पत्र

(१) प्रमाण-पत्र सम्बन्धी शपथ-पत्र

(आर्डर ११ नियम १३ व्यवहार-विधि संग्रह)

(सिरनामा)

मैं (क—ख) उपरोक्त प्रतिवादी शपथ लेता हूँ (या इक़रार सालह करता हूँ) और निम्नलिखित निवेदन करता हूँ—

१—मेरे क़ब्जे या अधिकार में इस मुक़दमे के झगड़े वाले व्यवहारों के सम्बन्धी काग़ज-पत्र हैं जो इस शपथ-पत्र की परिशिष्ट १ के पहिले व दूसरे भाग में दिये हुए हैं।

२—मैं उन कागज़ों को जो परिशिष्ट १ के दूसरे भाग में दिये हुए हैं पेश करने पर आपत्ति करता हूँ (आपत्ति के कारण लिखे जावे)।

३—मेरे क़ब्जे या अधिकार में इस मुक़दमे के झगड़े के मामलों के सम्बन्धी कागज़ जो परिशिष्ट २ में दिये हुए हैं, थे परन्तु अब नहीं है।

४—यह कागज़ मेरे क़ब्जे या अधिकार में अन्तिम बार (लिखो कब और उनका क्या हुआ और अब वह किसके अधिकार में हैं)।

५—जहाँ तक मेरा ज्ञान, सूचना और विश्वास है मेरे क़ब्जे, रक्षा या अधिकार या मेरे वकील या ऐजेन्ट के क़ब्ज़े, रक्षा या अधिकार में या मेरी ओर से किसी अन्य पुरुष के क़ब्जे रक्षा या अधिकार में कोई हिसाब, हिसाब बही, वौचर, रसीद, चिठ्ठी, याददाश्त, कागज़ या तहरीर या और कोई नक़ल या इन्तिखाब किसी ऐसे कागज का या किसी दूसरे कागज़ का जिसका सम्बन्ध इस मुक़दमे के झगड़े वाले मामलों, या उनमें से किसी से हो, न अब है और न कभी था, सिवाय उन कागज़ों से जो परिशिष्ट १ और २ में दिये हुए हैं।

*(२) किसी पक्षकार के मरजाने पर उसके उत्तराधिकारियों के नाम स्थित कराने के लिये शपथ-पत्र

(आर्डर २२ नियम ३ व्यवहार विधि संग्रह)

(वाद-शीर्षक)

शपथ-पत्र......पुत्र......जाति......व्यवसाय......निवासस्थान...... ।

मैं शपथ लेता हूँ (या हलफ़ उठाता हूँ या सत्य कहने की प्रतिज्ञा करता हूँ) और बयान करता हूँ—

१—यह कि मैं वादी का मुख़तारआम (या मुख़तार ख़ास या पैरोकार मुक़द्दमा) हूँ और पैरवी मुक़दमा करता हूँ और उसके सम्बन्धी व्यवहारों (या हालात मुन्दर्जा इस बयान हलफ़ी) को जानता हूँ।

२—यह कि......प्रतिवादी की ता०.........महीना......सन्.... को मृत्यु हुई।

३—यह कि (अ—ब) और (क—ख) (मृतक के कुल उत्तराधिकारियों के नाम उनकी रिश्तेदारी और पते सहित लिखे जावें) उसके उत्तराधिकारी हैं।

(यदि एक या एक से अधिक उत्तराधिकारी अवयस्क हों और अवयस्कों का नाम उनके प्राप्त सार्टीफिकट संरक्षक सहित स्थित कराना हो तो :—

४—यह कि (अ—ब) अवयस्क है और उसका संरक्षक सार्टीफिकट प्राप्त (च—छ) है।

(यदि कोई सार्टीफिकट प्राप्त संरक्षक न हो और किसी अन्य पुरुष को संरक्षक नियत कराना हो तो न० ४ की जगह निम्नलिखित दो धाराएँ लिखनी चाहिये ।

५- यह कि (अ—ब) अवयस्क है और उसका कोई संरक्षक सार्टीफ़िकट प्राप्त नहीं है वह (ज—झ) अपने भाई (चचा या दूसरे सम्बन्धी) के साथ या उसकी रक्षा में रहता है।

६—यह कि (ज—झ) संरक्षक की योग्यता रखता है और उक्त अवयस्क के विरुद्ध उसका कोई स्वत्व नहीं है।

---

* यह नमूना व्यवहार विधि-संग्रह के परिशिष्ट १ अपेन्डिक्स (क) का नमूना न० ५ है।

(२) अदालत अपील में इजराय डिगरी स्थगित कराने की दर्ख्वास्त की पुष्टि के लिये शपथ-पत्र

(सिरनामा)

नाम, व पूरा पता बयान हल्फी दाखिल करने वाले का।

मैं शपथ लेता हूँ और बयान करता हूँ कि :—

१—(फारम नं० २ के अनुसार)।

२—वादी ने दावा नं० ...सन्... अदालत......में प्रतिवादी के मुकाबले में इस बयान से दायर किया कि प्रतिवादी ने अपना नया मकान बनाने में वादी की......गज जमीन अपने मकान में शामिल कर ली, उसका उतना प्रतिवादी का मकान तुड़वा कर दिलाया जावे।

३—प्रतिवादी का बचाव यह था कि उसने मकान पुरानी बुनियाद पर बनाया है और कोई जमीन उसमें वादी की शामिल नहीं की।

४—प्रारम्भिक अदालत ने ता०......महीना......सन्......को वादी के हक़ में डिग्री किया। उस निर्णय के विरुद्ध ऊपर लिखा अपील इस अदालत में प्रतिवादी ने दायर किया है जो विचाराधीन है।

५—वादी ने इस विचाराधीन अवस्था में दरख्वास्त डिग्री जारी कराने की प्रारम्भिक अदालत में बाबत तुड़वाने मकान प्रतिवादी और दिलाये जाने उतनी जमीन के पेश कर दी है और अमल के वास्ते परवाना जारी हो गया है परन्तु उसका निर्वाह नहीं हुआ। (या प्रतिवादी की दर्ख्वास्त पर अदालत ने उसको मुहलत......दिन की अदालत अपील से हुक्म स्थगित लाने के लिये दे दी है, जैसी परिस्थिति हो बयान की जावे)।

फारम नं० २ - नोट—यह शपथ-पत्र का नमूना प्रारम्भिक मुकदमे के सम्बन्ध में है। यदि दरख्वास्त अपील में देना हो तो बयान हल्फी इसी नमूने से बन सकता है "वादी" की जगह 'वादी अपीलाँट' या "प्रतिवादी अपीलाँट" और प्रतिवादी की जगह "प्रतिवादी रेस्पान्डेंट" या "वादी रेस्पान्डेंट" जैसी परिस्थिति हो लिखा जावे। यदि वादी या अपीलाँट मर जावे और उसके उत्तराधिकारी अपना नाम मृतक की जगह दर्ज कराना चाहें तो बयान हल्फी इसी प्रकार का होगा लेकिन उन उत्तराधिकारियों में यदि कोई अवयस्क (नाबालिग) हो तो उसके विषय में धारा ४ में केवल यह लिखने की आवश्यकता होती है कि (अ—ब) अवयस्क है और (स—द) उसका व्यवहार प्रतिनिधि (Next Friend) है। धारा ५ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती और न अदालत कोई हुक्म व्यवहार-प्रतिनिधि बनाने का देती है। इस पर भी यदि धारा नं० ४ व ५ लिख दिये जावें तो कोई हर्ज नहीं है।

६—प्रतिवादी का मकान टूट जाने से अपील निरर्थक हो जावेगी और प्रतिवादी को बड़ी हानि पहुँचेगी जो अपील सफल होने पर किसी तरह पूरी न हो सकेगी या पूरा करना बड़ा कठिन होगा।

७—झगड़े वाली तामीर को बने हुये ६ महीने (जो कुछ समय हो लिखा जावे) हो गये और वादी की कोई हानि या हर्जा डिगरी की इजरा स्थगित होने से नहीं है।

८—प्रतिवादी डिगरी के निर्वाहण के लिये जो अन्त में मुक़दमे में सादिर हो, जमानत देने को तत्पर है।

६—प्रतिवादी ने मुबलिग......रु० खर्च का जो अदालत की डिगरी के अनुसार वादी को चाहिये, अधीनस्थ अदालत में दाखिल कर दिया है (या उसकी भी ज़मानत दाखिल करता है)।

(४) इसी प्रकार का दूसरा शपथ-पत्र

(सिरनामा)

१—(धारा १ नमूना न० २ के अनुसार)।

२—यह कि वादी रस्पान्डन्ट मुफ़लिस (निर्धन) है और उसने मुफ़लिसी में दावा न० ....सन् ...अदालत .....में प्रतिवादी के मुक़ाबले में जायदाद ज़मीदारी के दखल के वास्ते (जो कुछ हो) इस बयान से दायर किया कि सम्पति (अ—ब) की है और वादी उसका गोद लिया हुआ लड़का है और प्रतिवादी (अ—ब) का भानजा है, और वादी का स्वत्व उसके मुकाबले में बढ़ कर है।

३—यह कि प्रतिवादी ने उस दावे में इस बयान से जवाबदही की कि वादी (अ—ब) का गोद लिया हुआ लड़का नहीं है और, वह स्वयं भानजा होने के कारण उसका उत्तराधिकारी और सम्पत्ति पर उचित रूप से अधिकृत है।

४—यह कि अधीनस्थ अदालत ने दावे को डिगरी किया और उपरोक्त अपील उस फ़ैसले के विरुद्ध से इस अदालत में दायर किया है जो विचाराधीन है।

५—यह कि वादी ने इस विचाराधीन अवस्था में डिगरी को दखल प्राप्त करने व खर्चा वसूल करने के वास्ते जारी करा दिया है और कारवाई इजराय प्रतिवादी की दरख्वास्त पर अदालत इब्तदाई ने एक महीने के लिये मुलतवी कर दी है और प्रतिवादी को अवसर दिया है कि वह अदालत अपील से स्थगित कराने की आज्ञा ला सके।

६—यह कि (अ—ब) को मरे ६ वर्ष हो गये। उस समय से प्रतिवादी सम्पत्ति पर क़ाबिज़ है। (यदि उसने कोई और कार्य्य उसके सम्बन्ध में किये हों जिन पर दखल बदलने का प्रभाव पड़ता हो तो वह भी लिखे जा सकते हैं)।

७—यह कि वादी अति-निर्धन है और अपील सफल होने की दशा में उससे उस लाभ के वापिस होने की जो वह क़ब्ज़ा प्राप्त कर लेने पर वसूल करेगा और खर्चे के मतालबे की वापसी की, कोई आशा नहीं है और जायदाद को उससे हानि पहुँचने का भय है।

८—यह कि प्रतिवादी मुब्लिग रु०......की ज़मानत बाबत लाभ जायदाद दौरान अपील की व खर्चे की दाखिल करता है। रजिस्ट्री किया हुआ ज़मानतनामा इस दर्ख्वास्त के साथ नत्थी है।

(५) शपथ-पत्र खर्चा या ज़मानत अपीलांट से लिये जाने के लिये

(सिरनामा)

१—(धारा १ नमूना न० २ के अनुसार)।

२ यह कि वादी अपीलांट ने दावा नम्बरी.... सन्......अदालत ...में प्रतिवादी के विरुद्ध में इस बयान से दायर किया कि वह (अ—ब) मृतक का पश्चात् उत्तराधिकारी (वारिस माबाद) उस वंशावली के अनुसार है जो अर्जीदावे में लिखी है और प्रतिवादी के मुक़ाबले में, जिसका कोई हक़ नहीं है, उसको दखल दिलाया जावे।

३—यह कि प्रतिवादी ने उस मुक़दमे में इस बयान से जवाबदही की कि वादी की बयान की हुई वंशावली बनावटी और झूँठी है, वादी (अ—ब) का पश्चात् उत्तराधिकारी नहीं है और प्रतिवादी उसका उत्तराधिकारी प्रतिवाद-पत्र में दी हुई वंशावली के अनुसार है।

४—यह कि प्रथम अदालत में मुक़दमा डेढ़ साल तक चलता रहा और दोनों पक्षों ने अपनी २ बयान की हुई वंशावली के समर्थन में बहुत से साक्षी उपस्थित किये और लिखित प्रमाण दिये।

५—यह कि प्रथम अदालत ने कुल प्रमाणों की जाँच करके दावा तारीख . . .. को डिसमिस किया और सिरनामे में लिखा हुआ अपील उस निर्णय के विरुद्ध है, जो विचाराधीन है।

६—वादी अपीलांट के पास कोई जायदाद भारतसंघ (इंडियन यूनियन) में नहीं है जिससे खर्चा प्रतिवादी प्रारम्भिक अदालत और अदालत अपील का वसूल हो सके (या कि इतने मालियत की सम्पत्ति है और उस पर इतना भार है और केवल प्रतिवादी के दोनों अदालतों के खर्चे के लिये भी यथेष्ट नहीं है ।

७—अधीनस्थ अदालत के खर्चे की संख्या मुब्लिग .....रु० है और लगभग ......रु० प्रतिवादी का अपील की जवाबदही के खर्चे का है (मुक़दमे की मालियत

और प्रमाण की संख्या के विचार से खर्चे का अनुमान जहाँ तक हो सके ठीक किया जावे) ।

८—वादी ने दावा . . . .की मदद से दायर किया है और वही उसकी तरफ से मुक़दमे में खर्चा लगाता है ।

या कि वादी ने (क—ख) के हक में इकरारनामा लिख दिया है कि मुक़दमा सफल हेा जाने पर उसको जायदाद का चौथाई हिस्सा दे देगा और (क—ख) वादी की ओर से मुक़दमे में खर्चा करता है (जैसी कुछ परिस्थत हो लिखी जावे यदि अपीलाट अवयस्क हो या कोई परदा नशीन औरत हो और लड़ाने वाले कोई दूसरे आदमी हों तो वह भी लिखा जा सकता है) ।

९—प्रतिवादी ने अपनी खर्चे की डिगरी केा प्रारम्भिक अदालत से जारी कराया और वादी केा गिरफ्तार कराया या उसकी कुरकी कराई परन्तु कुछ वसूल नहीं हुआ ।

२—प्रार्थना-पत्र

(१) कार्यवाही स्थगित कराने के लिये

(धारा १० व्यवहार विधि संग्रह सन् १९०८)

(मुक़दमे का सिरनामा)

प्रतिवादी प्रार्थी है—

प्रार्थना पत्र धारा १० व्यवहार विधिसंग्रह के अनुसार दाखिल करता है और इस प्रकार निवेदन करता है :—

१—प्रार्थी बाज़ार चौहट्टी शहर कलकत्ता में दूकान कच्ची आढत की, रामसहाय गोकलचन्द के नाम से करता है ।

२—विरुद्ध पक्ष की गल्ले की दूकान रामस्वरूप जोतीप्रसाद के नाम से स्थान बरेली में है ।

३—विरुद्ध पक्ष अपनी दूकान बरेली से ग़ल्ला और दूसरा सामान वेचने के लिये प्रार्थी की कलकत्ते की दूकान पर भेजा करता था और माल के मुक़ाबले में हुन्डियाँ उसकी क़ीमत से १०) रु० सैकड़ा कम की प्रार्थी की दूकान के ऊपर कर लेता था जिनको, प्रार्थी की दूकान माल पहुँच जाने पर सिकार देती थी ।

४—इस प्रकार व्यवहार दोनों पक्षों के बीच कुछ समय तक चलता रहा । उसकी बाबत मुबलिग २०००) रु० बहीखाता दूकान प्रार्थी के अनुसार विरुद्ध पक्ष के जुम्मे चाहिये थे ।

५—प्रार्थी ने अदालत खफ़ीफ़ा कलकत्ते में ता० १५ जून सन् १६......को नालिश नम्बरी ११११ सन १६......विरुद्ध पक्ष के नाम उक्त रुपया और उसका सूद दिलाये जाने की दायर की।

६—नालिश में ता० ६ सितम्बर सन् १६......को प्रतिवाद-पत्र दाखिल हो कर तनकीहात क़ायम हो गई और ता० ६ दिसम्बर १६ . ...मुक़दमा सुने जाने के वास्ते नियत हुई।

७—उक्त नालिश दायर होने के बाद विरुद्ध पक्ष ने ता० ११ अगस्त सन् १६... को यह नालिश ऊपर के सिरनामे की प्रार्थी के विरुद्ध में इस अदालत में दायर की और ता० २५ नवम्बर सन् १६ .. .को तनकीहात कायम होकर ता० १६ जनवरी सन् १६... ..अन्तिम सुनवाई के वास्ते नियत हुई है।

८—दोनों नालिशें एक ही व्यवहार के बारे में हैं और दोनों में झगड़े वाली बातें एक हैं और कुल हिसाब दोनों पक्षों के बीच खफीफे की अदालत कलकत्ते में तय होगा।

६—दावा नम्बरी ११११ सन् १६......इस नालिश से पहिले अदालत खफीफा कलकत्ते में दायर हुआ और उसकी सुनवाई की तारीख भी पहिले की है।

इस लिये प्रार्थना है कि ऊपर सिरनामे में लिखे मुक़दमे की कार्रवाई स्थगित की जावे।*

---

*नोट १—दरख्वास्त इलतवा मुकदमें की पुष्टि (ताईद) में बयान हलफी देने की आवश्यकता होती है जो घटनाएं दरख्वास्त में लिखी जाती हैं वह बयान हलफी में लिखनी होती हैं। इस तरह करने से एक ही घटनाएँ दो बार लिखनी पड़ता हैं। इस लिये बहुधा यह किया जाता है कि कुल घटनाएँ शपथ पत्र में लिख देते हैं और प्रार्थना पत्र में केवल यह कह देते हैं —

"उन घटनाओं के विचार से या उन हालात को निगाह में रखते हुए जो नत्थी किये हुए शपथ-पत्र में दर्ज हैं प्रार्थी निवेदन करता है कि......" दोनों रूप-इच्छानुसार काम में लाये जा सकते हैं।"

नोट २—शपथ-पत्र बनाने के नियम और कुछ नमूने पहिले ही दिये जा चुके हैं।

*३–निवेदन-पत्र हस्तान्तर वाद (इन्तिक़ाल मुक़दमा)

(धारा २४ व्यवहार-विधि संग्रह—सन् १६०८)

(१) दरख़्वास्त इन्तिक़ाल मुक़दमा जब पक्षों के बीच दो मुक़दमों में झगड़े वाली बातें एक हों

(वाद शीर्षक)

(अ—ब) उक्त प्रार्थी।

दरख़्वास्त धारा २४ व्यवहार विधि संग्रह सन् १६०८ के अनुसार दाखिल करता है और निवेदन करता है कि :—

१—प्रार्थी (सायल , ने एक दावा हिसाब समझाने का विरुद्ध पक्ष के मुक़ाबले में मुन्सफ़ी हाथरस में ता० ५ मार्च सन् १६... ..को दायर किया जिसका नम्बर २५६ सन् १६......है।

२—उक्त दावा उस लेन देन की बाबत है जो दोनों पक्षों के बीच प्रिन्सिपेल और ऐजेन्ट की हैसियत से हुआ।

३—उक्त दावे में ता० ११ अप्रैल सन् १६......को तनक़ीहात क़ायम हुई और ता० १७ मई सन् १६......अन्तिम सुनवाई के वास्ते नियत है।

४—विरुद्ध पक्ष ने उक्त नालिश दायर होने के पश्चात एक दूसरा दावा नम्बरी २११ सन् १६......अदालत मुनसफ़ी जलेसर में, प्रार्थी के विरुद्ध कुछ रक़में दिलाये जाने का दायर किया।

५—मुक़दमा नम्बरी २११ सन् १६......में अदालत मुन्सफ़ी जलेसर ने वाद-ग्रस्त विषय स्थित करके ता० १७ जून सन् १६......अन्तिम सुनवाई के वास्ते नियत की है।

६—वह सब रक़में जिनका मुक़दमा नम्बरी २११ सन् १६......में झगड़ा है उस हिसाब के भाग हैं जिनकी मुक़दमा नम्बरी २५६ सन् १६...में मुन्सफ़ी हाथरस में बहस

---

* नोट—जो घटनायें दरख़्वास्त इन्तिक़ाल मुक़दमें में लिखी जाती हैं उनकी पुष्टि में भी शपथ-पत्र देना होता है। इसलिये शपथ-पत्र में कुल घटनायें लिख कर प्रार्थना-पत्र में केवल यह लिखा जा सकता है—

"उन घटनाओं के लिहाज़ से जो नत्थी किये हुए शपथ-पत्र में प्रकट या बयान की गई हैं यह प्रार्थना की जाती है कि मुक़दमा अदालत .....से अदालत......को वास्ते फ़ैसले के मुन्तकिल फ़रमाया जावे"।

ऐसा करने से घटनायें दो बार नहीं लिखनी पड़तीं और बहुधा यही रीति उत्तम समझी जाती है।

है और दोनों मुक़दमों के विषय में एक सी तनक़ीह क़ायम हुई हैं। (या कि मुक़दमा नम्बरी २११ में तनक़ीह न० १, २, ३ व ४ उन्हीं रक़मों के विषय में हैं जिनके सम्बन्ध में मुक़दमा न० २५६ में तनक़ीह न० ३, ५, ६ व ७ हैं)।

७—इन बातों के विचार से दोनों मुक़दमों का एक ही अदालत से निर्णीत होना न्याय और दोनों पक्षों की सुविधा के लिये आवश्यक है।

८—वह मामले जिनका झगड़ा दोनों मुक़दमों में है स्थान हाथरस में हुए और उनके विषय में मौखिक और लिखित प्रमाण हाथरस के दूकानदारों के बहीखाते साक्षी में तलब और पेश होंगे।

९—दोनों मुक़दमें हाथरस में सुने जाने से दोनों पक्षों को सुविधा रहेगी और शहादत तलब कराने में व्यय कम होगा।

इस लिये प्रार्थना है कि मुक़दमा नम्बरी २११ सन् १९ अदालत मुन्सफी जलेसर से अदालत मुन्सफी हाथरस को प्रेषण किया जावे।

(२) अन्य न्यायालय में वाद प्रेषणार्थ निवेदन-पत्र जब न्यायाधीश प्रार्थी के विरुद्ध अपनी सम्मति प्रकट कर चुके हों

(सिरनामा)

१—एक पुरुष बुद्धसेन ने एक दावा एक दूकान स्थित बाज़ार चौहट्टी क़सबा रसरा की बाबत, प्रार्थी के विरुद्ध इस बयान से दायर किया था कि वह उस दूकान का मालिक है और प्रार्थी का क़ब्ज़ा उस पर बिना किसी अधिकार के और अनुचित है।

२—दावे का नम्बर २०३ सन् १९. . .था जिसको श्री गोकुल प्रसाद साहिब ने जो उस समय मुन्सिफ बलिया थे इस तजवीज़ से डिसमिस किया कि बुद्धसेन उसका मालिक नहीं है और प्रार्थी भी उसका मालिक नहीं है। वास्तव में एक आदमी रामविलास उसका मालिक है और प्रार्थी उस पर बिना अधिकार के काबिज़ है।

३—ता० १७ अगस्त सन् १९......को रामविलास ने दावा नम्बरी ३११ सन् १९... अदालत सिविलजजी गाज़ीपुर में उक्त दूकान के विषय में प्रार्थी के विरुद्ध इस बयान से दायर किया है कि वह उसका मालिक है और प्रार्थी उस पर अनुचित अधिकार किये हुए है।

४—संयोग से बा० गोकुल प्रसाद जो मुक़दमा नम्बरी २०० सन् १९......के निर्णय के समय मुन्सिफ बलिया थे अब वह सिविलजज गाज़ीपुर हैं और मुक़दमा न० ३११ सन् १९......उन्हीं के इजलास में पेशी के लिये है।

५—जो राय बा० गोकुल प्रसाद साहिब की प्रार्थी के क़ब्जे और अधिकार के बारे में मुक़दमा नम्बरी २०३ सन् १९... ..में प्रकट हो चुकी है उससे प्रार्थी को पूरा डर है कि वह मुक़दमा नम्बरी ३११ सन् १९ की सुनवाई और उसका फैसला स्वतंत्र राय और निश्चय विचार के साथ नहीं कर सकेंगे और उनके दिल पर अनजाने प्रभाव उन की पहिली तजवीज़ का पड़ेगा।

६—प्रार्थी को ऊपर लिखे हालात के विचार से बा० गोकुल प्रसाद साहिब के इजलास से पूर्ण न्याय की आशा नहीं है।

इसलिये निवेदन है कि मुक़दमा नम्बरी ३११ सन् १९......फैसले के वास्ते अदालत सिविलजजी गाजीपुर से किसी अन्य अदालत में भेज दिया जावे।

(३) वाद प्रेषणार्थ निवेदन पत्र प्रमाण की सुविधा के आधार पर

१—फ़र्म (अ—ब) पर, जो मंडी नजयाई शहर हाथरस में हैं, कमीशन एजेन्सी का काम होता है।

२ –उक्त फर्म पर एक समय तक विरुद्ध पक्ष का माल आता रहा और वह उसको कमीशन ऐजेन्ट की हैसियत से बेचती और उसका हिसाब विरुद्ध पक्ष के पास समय २ पर भेजती रही। जो कुछ रुपया मूल्य का हुआ वह हुन्डियों के द्वारा से जाता रहा।

३ – विरुद्ध पक्ष ने दावा नम्बरी ३११ सन् १९ . अदालत मुन्सफी एटा उक्त माल की बिक्री के विषय में प्रार्थी फर्म के मुकाबले में इस बयान से दायर किया है कि माल वास्तव में अधिक मूल्य पर बेचा गया और उसका कम मूल्य हिसाब में लिखा गया और व्यय अधिक लिखा गया और तोल में कमी है।

४—प्रतिवादी को, प्रार्थी के माल का आना स्वीकार है और वह एजेन्ट की हैसियत से हिसाब समझाने का उत्तरदाता (जुम्मेवार) है और शहादत उसी की ओर से तलब और पेश होगी।

५ – कुल माल प्रार्थी फर्म ने हाथरस में वहाँ के दुकानदारों के हाथ बेचा। और उनके बहीखातों में बिक्री का इन्दराज है और उनके हस्ताक्षर युक्त बिक्री के पर्चे मिसल में दाखिल हैं।

६—एजेन्सी का काम जिसका झगड़ा है तीन साल का है। इस समय में बहुत सा माल आया और बिका जिसकी वजह से प्रतिवादी की ओर से बहुत शहादत पेश होगी।

७—यह सब शहादत हाथरस की होगी।

८—मुकदमे की मालियत केवल ५००) रु० है। बहुत सी शहादत हाथरस से ऐटा ले जाने में बड़ा खर्चा पड़ेगा जो मुक़दमें की मालियत के विचार से उचित न होगा।

साक्षियों को बहुत कष्ट एटा जाने और अपने बहीखाते वहाँ ले जाने और वहाँ से वापिस लाने में होगा।

६—मुक़दमे में स्थान एटा में अभी केवल तनक़ीह क़ायम हुई है और ता० २३ नवम्बर सन् १६.. ...अन्तिम सुनवाई के वास्ते नियत है। दोनों पक्षों की जानिब से कोई शहादत तलब नहीं हुई।

इस लिये प्रार्थना है कि मुकदमा नम्बरी ३११ सन् १६......अदालत मुन्सफी ऐटा से अदालत मुन्सफी हाथरस को प्रेषण कर दिया जावे।

४—वाद पत्रकार (फ़रीक़ मुकदमा)

(१) ज़रूरी फ़रीक़ का नाम बढ़ाये जाने के लिये दरख्वास्त

(आर्डर १ नियम १० व्यवहार-विधि-संग्रह)

(सिरनामा मुक़दमा)

(अ—ब) उक्त प्रार्थी—

दरख्वास्त आर्डर १ नियम १० व्यवहार विधि संग्रह के अनुसार दाख़िल करता है और निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी ने दावा वसूलयाबी किराये का एक दूकान के विषय में प्रतिवादी के विरुद्ध में इस बयान से दायर किया है कि वादी उक्त दूकान का स्वामी है और प्रतिवादी उसका किरायेदार है।

२—प्रतिवादी ने उक्त दावे में जवाबदही की है और उसकी आपत्ति यह है कि उक्त दूकान एक पुरुष नाथूराम वल्द चन्द्र सेन जात वैश्य अग्रवाल अनूपशहर की मिलकियत है और प्रतिवादी उक्त नाथूराम की ओर से किरायेदार है और नेकनीयती से उसको किराया अदा करता है।

३—मुक़दमे की कुल झगड़े की बातों का पूर्ण और अन्तिम निर्णय होने के लिये यह आवश्यक है कि उक्त नाथूराम फ़रीक़ मुक़दमा हो।

इसलिये दरख्वास्त है कि उक्त नाथूराम प्रतिवादी की हैसियत से फ़रीक़ मुक़दमा किया जावे।

(२) अनावश्यक फ़रीक़ का नाम पृथक किये जाने के लिये प्रार्थना

(आर्डर १ नियम १० व्यवहार विधि संग्रह)

(वाद शीर्षक)

१—ऊपर के सिरनामे के मुक़दमे में वादी नम्बर १, अपने आप को मृतक रामसिंह का उत्तराधिकारी प्रकट करता है और उसी अधिकार से उसने दावा दायर किया है।

२—वादिनी नम्बर २, मृतक रामसिंह की विधवा है वह भी अपने आपको मृतक रामसिंह की उत्तराधिकारिणी बयान करके दावा करती है।

३—वादी न० १ और वादिनी न० १ के स्वत्व एक दूसरे के विरुद्ध हैं और वह दोनो एक दावे में सम्मिलित नहीं हो सकते।

४—प्रतिवादी को वादियों का स्वत्व अनिश्चित होने के कारण प्रतिवाद और शहादत में बड़ी कठिनाई का सामना करना होगा और बहुत परेशानी होगी।

५—वादी नम्बर ३ का वादपत्र के बयानो से कोई हक़ झगड़े वाली जायदाद में प्रकट नहीं होता। वह बिल्कुल अनावश्यक फरीक़ है।

इसलिये प्रार्थना है कि वादियो न० १ व २ में से एक का नाम और वादी न० ३ का नाम वादियो की सूची से निष्कासित (खारिज) कर दिया जावे।

---

*५—स्थानी तामील (Substituted Service)

(१) स्थानी तामील के लिये प्रार्थना-पत्र

(व्यवहार विधि संग्रह आर्डर ५ नियम २०)

(सिरनामा)

१—ऊपर लिखे मुक़दमे में प्रतिवादी का सम्मन तीन बार बिना तामील वापिस हो चुका है।

---

* नोट १—यदि प्रतिवादी कोई पर्दानशीन स्त्री हो या कोई ऐसा पुरुष हो जिसकी तामील साधारण रूप से हाथों हाथ न हो सकती हो उसके सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र इसी नमूने से आसानी से तैयार हो सकता है।

नोट २ ऐसी दरख्वास्त की पुष्टि के लिये शपथ-पत्र देना आवश्यक होता है और शपथ-पत्र में दरख्वास्त की घटनायें दर्ज होनी चाहिये या वह रूप स्वीकार किया जावे जो दरख्वास्त इन्तकाल मुक़दमे में प्रकट किया जा चुका है यानी, घटनाये शपथ-पत्र में लिख दी जावें और उसके हवाले से दरख्वास्त स्थानी तामील के लिये दी जावे।

२—प्रतिवादी का साधारण निवासस्थान मौज़ा रामपुर परगना अहार ज़िला बुलन्दशहर में है।

३—पहिली बार सम्मन इसी पते से जारी हुआ और इस रिपोर्ट से वापिस आया कि प्रतिवादी अपनी ससुराल में स्थान दानपुर ज़िला मेरठ गया हुआ है, नहीं मालूम कब तक वापिस आवेगा और मकान में ताला पड़ा हुआ है।

४—वादी ने दूसरी बार सम्मन दानपुर के पते से जारी कराये और वहाँ से बिना तामील इस रिपोर्ट से वापिस हुए कि प्रतिवादी वहाँ नहीं रहता और न वहाँ मौजूद है।

५—वादी ने फिर तीसरी बार सम्मन रामपुर के पते से जारी कराये और साधारण रूप से और डाक के द्वारा दोनों से प्रतिवादी के पास भेजे गये।

६—लिफाफा रजिस्ट्री इन्कारी होकर वापिस आया और चपरासी ने यह रिपोर्ट की कि प्रतिवादी मकान पर नहीं है और मकान बन्द है।

७—प्रतिवादी जान बूझ कर तामील सम्मन नहीं करता और उससे जान बूझ कर बचता है। मामूली तरह से उस पर तामील होना सम्भव नहीं है।

इसलिये प्रार्थना है कि आर्डर ५ नियम २० व्यवहार विधि संग्रह के अनुसार प्रतिवादी पर स्थानी तामील किये जाने की आज्ञा दी जावे।

६—वाद पत्र का संशोधन (Amendment)

(निवेदन-पत्र आर्डर ६ नियम १ व्यवहार विधि संग्रह के अनुसार)

(वाद शीर्षक)

१—वादी ने दावा दखल जायदाद का इस बयान से दायर किया है कि उक्त जायदाद सोहन लाल की थी और वादी अब उसके गोद लिये हुए पुत्र की हैसियत से उसका मालिक है।

२—प्रतिवादी जायदाद का सोहन लाल की होना स्वीकार करता है परन्तु वादी के मुतबन्ना होने से इनकार करता है और एक वंशावली के आधार पर अपने को सोहन लाल का उत्तराधिकारी बयान करता है।

३—वादी सोहन लाल के सगे चाचा नाथूराम का नाती है और दत्तक पुत्र न होने की दशा में भी वह सोहन लाल का निकट उत्तराधिकारी प्रतिवादी के विरुद्ध में है।

४—कुल झगड़ा दोनो के मध्य में निर्णय होने के लिये यह आवश्यक है कि उत्तराधिकार स्वत्व की तनकीह भी स्थित कर के दोनो के बीच इसी मुक़द्दमे में फैसिल हो जावे।

इस लिये प्रार्थना है कि वाद पत्र में निम्नलिखित वाक्य धारा न० ४ के अन्त मे बढ़ाने की अनुमति वादी को दी जावे और वाद पत्र का संशोधन (तरमीम) किया जावे—

" वादी मृतक सोहन लाल के सगे चचा नाथू राम का नाती है और प्रतिवादी के मुकाबले में नज़दीकी उत्तराधिकारी मृतक सोहन लाल का है और बिना गोद (तबनियत) के भी वह जायदाद का उत्तराधिकारी और मालिक, प्रतिवादी के मुक़ाबले में है " ।

७—नम्बर पर मुकदमा क़ायम कराने के लिये (Restoration)

(१) वादी के अनुपस्थित होने पर

(आर्डर ६ नियम ४ व्यवहार-विधि-संग्रह)

(सिरनामा)

१—ऊपर लिखे मुक़दमे में ता०......सुनवाई के वास्ते नियत थी ।

२—वादी ने उस तारीख के लिये गवाह तलब कराये थे ।

३—वादी का गाँव स्थान अदालत से १० मील के दूरी पर है ।

४—उक्त तारीख़ पर वादी अपने गवाहों के साथ गाड़ी में सवेरे रवाना हुआ और साधारणतया नौ बजे के लगभग कचहरी पर पहुँच जाता ।

५—गाँव से ४ मील चल कर एक ऊँची चढ़ाई पर गाड़ी का पहिया टूट गया और बहुत प्रयत्न करने पर भी चलने के योग्य नहीं हुआ ।

६—विवश होकर वादी अपने गाँव को वापिस गया और वहाँ से दूसरे पहिये का प्रबन्ध करके लाया और इस अड़चन के हो जाने के कारण वादी और उसके गवाह कचहरी पर १२ बजे पहुँचे ।

७—पहुँचने पर मालूम हुआ कि मुक़दमा वादी की अनुपस्थिति में डिसमिस हो गया ।

८—गाँव से चलते समय गाड़ी के पहियो की दशा बहुत अच्छी मालूम होती थी । वादी की अनुपस्थिति एक अचानक घटना के कारण हुई ।

इस लिये प्रार्थना है कि मुकदमा फिर से नम्बर पर क़ायम किया जावे ।

(२) दूसरा नमूना रेल दुर्घटना के आधार पर

(सिरनामा)

१—उपरोक्त मुक़दमे में ता०......महीना.. ......सन्........ पेशी के वास्ते नियत थी ।

२—मुक़दमा लगभग ११ बजे पेश हुआ और वादी की अनुपस्थिति में डिसमिस हो गया।

३—वादी स्थान......का रहने वाला है जो......कचहरी अदालत से रेल के रास्ते से १५ मील की दूरी पर है।

४—वादी के रहने के स्थान से रेल गाड़ी सवेरे ७ बजे चलती है जो कचहरी पर ८ बजे पहुँचा देती है।

५—वादी और उनके गवाह पेशी की तारीख के रोज सवेरे ७ बजे की गाड़ी से रवाना हुये।

६—संयोग से उक्त गाड़ी लाइन पर एक दुर्घटना हो जाने के कारण दूसरे स्टेशन, स्थान......पर लगभग ३ घंटे खड़ी रही और लाइन साफ हो जाने के बाद लगभग १०½ बजे रवाना हो कर ११½ बजे यहाँ पहुँची।

७—वादी और उसके गवाह ११½ बजे कचहरी पहुँचे और आने पर मालूम हुआ कि मुकदमा अनुपस्थिति में खारिज हो गया।

८—वादी की अनुपस्थिति दुर्घटना के कारण बिना उसके किसी दोष के हुई।

इस लिये प्रार्थना है कि मुकदमा फिर से नम्बर पर क़ायम किया जावे।

८—एकतरफा डिगरी की मंसूखी के लिये

(आर्डर ९ नियम १३ व्यवहार-विधि-संग्रह)

(१) समन की तामील और नालिश की सूचना न होने के कारण

(सिरनामा)

१—प्रतिवादी प्रार्थी लगभग ३ साल से बम्बई रहता है और वहाँ पर मेवा वेचने का काम करता है।

२—प्रार्थी प्रतिवादी पर तामील समन की नहीं हुई और न उसको नालिश दायर होना ज्ञात हुआ।

३—वादी ने नालिश का समन प्रार्थी प्रतिवादी के पहिले निवासस्थान फैजाबाद के पते से जारी कराकर न मालूम किस तरह तामील ऊपरी करा ली।

४—मुकदमा ता०......को प्रतिवादी की अनुपस्थिति में पेश हो कर एकतरफा डिगरी हो गया।

५—प्रतिवादी ता०......को फैजाबाद वापिस आया उस समय उसको......गाँव वालों से एकतरफा डिगरी सादिर होने का हाल मालूम हुआ।

६—डिगरी एकतरफा क़ायम रहने से प्रतिवादी की हानि है।

७—प्रार्थना-पत्र देने का अधिकार ता० . .. को एकतरफा डिगरी का ज्ञान होने से हुआ।

इस लिये प्रार्थी दरख्वास्त करता है कि डिगरी एकतरफा मसूख हो कर मुक़दमा नम्बर साबिक़ पर क़ायम किया जावे।

(२) संरक्षिका के परदानशीन होने और उसके कारिन्दा के बीमार हो जाने के आधार पर

(सिरनामा)

१—(नाम-प्रार्थी) सायल पागल है और उसकी संरक्षिका मुसम्मात शर्फुननिसा एक परदानशीन औरत है।

२—उक्त मुसम्मात की ओर से एक आदमी माशूक़ अली मुक़दमे का पैरोकार था।

३—ता०... ..माह......सन्......मुक़दमे में पेशी के लिये नियत थी और उक्त पैरोकार ने पेशी की तारीख़ के लिये साक्षी तलब कराये थे।

४—संयोग से उस तारीख पर उक्त पैरोकार.. ..बीमारी (जो कुछ हुई हो, लिखी जावे) में घिर गया और अदालत में नहीं उपस्थित हो सका।

५—उक्त कारिन्दा दूसरे गाँव में रहता है सायल की संरक्षिका को उसका हाल मालूम नहीं हुआ।

६—साक्षी जो तलब कराये थे वह भी समन तामील न होने के कारण से उपस्थित नहीं हुये।

७—अदालत ने मुक़दमे को एकतरफा सुन कर डिगरी कर दिया।

८—प्रतिवादी की ओर से अनुपस्थिति ऊपर लिखे कारणों से हुई इस लिये प्रार्थना है कि डिगरी एकतरफा मसूख हो कर मुक़दमा फिर से नम्बर साबिक़ क़ायम किया जावे।

६—दरख्वास्त, वहियों के मुआइने के लिये

(आर्डर ११ नियम १८ व्यवहार-विधि-संग्रह)

(वाद शीर्षक)

१—उपर्युक्त दावा वादी ने इस बयान से दायर किया है कि उसने सम्वत् ..... से संवत्......तक कमीशन एजेन्ट की हैसियत से प्रतिवादी की ओर से बहुत से सौदे खरीदे और बेचे और उनके विषय में घाटे के रुपये बहुत से दूकानदारों को दिये जिनका उसने दावा किया है।

२—प्रतिवादी ने ऊपर लिखे सम्वतों की वादी की बही, जिनकी तफसील नीचे दर्ज है मुआइना करना चाही और नोटिस आर्डर ११ नियम १५ व्यवहार विधि संग्रह के अनुसार वादी को दिया।

(बही या बहियों की तफ़सील यहाँ दी जावे)

३—वादी ने तामील नोटिस हो जाने पर भी उक्त बहीखातों का मुआइना प्रतिवादी को नहीं कराया और न अवधि के अन्दर कोई स्थान मुआइने के लिये नियत किया।

(यदि वादी ने कुछ बही दिखलाई हो और कुछ न दिखलाई हो तो लिखा जा सकता है कि "वादी ने बही १, २, व ३ प्रतिवादी को मुआइना कराई और ४, ५, ६ मुआइना नहीं कराई जिनमें सौदे सब से पहिले लिखे जाते हैं या और जो कुछ कारण हो")

४—जब तक प्रतिवादी को पूर्ण ज्ञान उन सौदों के विषय में न हो जिनके घाटे का वादी दावा करता है प्रतिवादी दावे की जवाबदही नहीं कर सकता और न उचित रीति से वादी के बयानों की काट कर सकता है।

इसलिये दरख्वास्त है कि वादी को हुक्म दिया जावे कि वह उक्त बही (या बहियों नं० ४, ५, और ६) का मुआइना प्रतिवादी को करा देवे।

१०—दर्ख्वास्त, मिसिल ब करने के लिये

(आर्डर १३ रूल ४० व्यवहार-विधि-संग्रह)

(सिरनामा)

१—ऊपर लिखा मुक़दमा प्रामेसरी नोट के आधार पर प्रचलित हुआ है जो कुल प्रतिवादी के हाथ का लिखा हुआ और उसका हस्ताक्षरित है।

२—प्रतिवादी को प्रामेसरी नोट के लिखने और हस्ताक्षर से इन्कार है।

३—नीचे निम्न लिखित मिसलों में से न० १ और २ में प्रतिवादी के लिखे हुये पत्र (ख़त) मौजूद हैं जिनका अदालत के सामने प्रतिवादी के लेख और उसका ढग मिलाने के लिये होना आवश्यक है।

४—निम्नलिखित मिसिल न० ३ में प्रतिवादी का दाखिल किया हुआ प्रतिवाद पत्र है जिसमें उसने उक्त प्रामेसरी नोट के लिखे जाने और उसका रुपया निकलना स्वीकार किया है।

५—मिसिल नम्बरी १ और २ में अन्य पुरुषों के पत्र दाखिल किये हुये हैं जो वादी को वापिस नहीं मिल सकते।

६—मिसिल नम्बरी ३ के बयान तहरीरी की प्रमाणित प्रतिलिपि वादी ने सबूत में दाखिल कर दी है परन्तु प्रतिवादी ने उसको स्वीकार नहीं किया और असल का समर्थन कराने के लिये मिसिल का आना आवश्यक है।

इस लिये निवेदन है कि मिसिल नम्बरी १ व २ व ३ तलब की जावें।*

(यहाँ पर मिसलों का विवरण और उनका पूरा पता, नाम अदालत, नाम पक्षकार व तारीख दाखिल और फैसिल होने की लिखी जावें)।

---

* नोट १—ऐसे निवेदन पत्र की पुष्टि में शपथ-पत्र देना आवश्यक होता है और शपथ-पत्र में वह घटनाएँ लिखी होनी चाहिये जो धारा १ से लेकर ६ में दर्ज हैं और मिसिलों का पता लिखा जावे।

११—दरख्वास्त, निर्णय से पूर्व गिरफ़तारी के लिये

(आर्डर ३८ रूल १ व्यवहार-विधि-संग्रह)

(सिरनामा)

१—प्रतिवादी किनारी बाज़ार शहर आगरे में दूकान पसरट्टे की करता था और फर्म वादी से ऋण लेकर कारोबार में लगाता था।

२—उक्त प्रतिवादी असली रहने वाला एक मौज़े का है जो रियासत भावलपुर में भारत संघ (Indian union) के बाहर है।

३—वादी ने तारीख १० मार्च सन् १९ .. ई० को अपने नौकर रहीमदाद को तकाज़े के लिये प्रतिवादी की दूकान पर भेजा, उसने दूकान बन्द पाई और प्रतिवादी का, तलाश करने पर भी कोई पता नहीं मिला।

४—प्रतिवादी के जुम्मे फर्म वादी का मुबलिग... रु० असल और सूद का बाकी है।

५—रतनलाल व प्यारेलाल जो प्रतिवादी की दूकान के समीप के दूकानदार हैं उनसे पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि प्रतिवादी ने दूकान का माल पृथक करके दो तीन रोज़ से कारोबार बन्द कर दिया है और बहुत जल्द उसका इरादा अपने गाँव को चले जाने का है।

६—प्रतिवादी अपने रहायशी मकान स्थित मुहल्ला नवाबगंज में छिपा हुआ है।

७—वादी ने आज ऊपर लिखी नालिश बाबत दिलाये जाने अपने मतालबे के इस अदालत में दायर कर दी है।

८—प्रतिवादी के पास कोई अचल सम्पत्ति भारतसंघ में नहीं है।

९—वादी को विश्वास है कि प्रतिवादी नालिश की खबर पाकर भारत संघ से बाहर चला जायगा और वादी को नालिश का रुपया वसूल करने में बड़ी कठिनाई होगी।

इसलिये दरख्वास्त है कि प्रतिवादी फैसले से पहिले गिरफ्तार कर लिया जावे और उससे वादी के मतालबे की जमानत लेली जावे।

१२-निर्णय से पूर्व कुर्की के लिये निवेदन-पत्र

(आर्डर ३८ रूल ५ जाब्ता दीवानी संग्रह)

(सिरनामा)

१—प्रतिवादी के जुम्मे वादी का ऋण ४०००) रु०, प्रामेसरी नोट द्वारा है।

२—वादी ने कई बार प्रतिवादी से तक़ाजा किया और अन्तिम बार तारीख़ २१ मई सन् १९४६ ई० को दावा करने की इच्छा प्रकट की।

३—प्रतिवादी टालटूल करता रहा और उसने इसी बीच तारीख़ २ जून सन् १९४६ ई० को एक सम्पत्ति ६०००) रु० नक़द में विक्रय कर दी और वादी का रुपया अदा नहीं किया।

४—वादी ने विवशतः ५ जून सन् १९४६ को इस अदालत में दावा दायर किया और तामील समन की ११ जून सन् १९४६ को प्रतिवादी पर हो गई।

५—प्रतिवादी के पास केवल एक मकान और है जिसकी मालियत ६०००) या ७०००) रुपये से अधिक नहीं है।

६—वादी को नत्थीमल दलाल से मालूम हुआ है कि प्रतिवादी उस मकान के विक्रय करने की भी बात चीत और लोगों से कर रहा है।

७—उक्त मकान बिक जाने से वादी का रुपया वसूल होना असम्भव हो जायगा।

८—प्रतिवादी उक्त मकान को इस विचार से बेंच रहा है कि वादी का रुपया वसूल न हो और वह इस विचार को उक्त नत्थीमल से प्रकट कर चुका है।

अतएव प्रार्थना है प्रतिवादी को आज्ञा हो कि वह वादी के रुपये के लिये ज़मानत दाखिल करे और ज़मानत दाखिल होने तक निम्नलिखित सम्पत्ति फैसले के पहिले कुर्क करली जावे।

१३—निषेधाज्ञा के लिये निवेदन-पत्र

(आर्डर ४० रूल १ व्यवहार विधि संग्रह)

(सिरनामा)

१—वादी ने ऊपर लिखा दावा एक मकान के दखल दिलाये जाने के वास्ते प्रतिवादी के विरुद्ध दायर किया है।

२—उक्त मकान में प्रतिवादी की रहायश है।

३—उक्त प्रतिवादी मकान की चौखट और किवाड़ निकाल कर उसको नष्ट करता है और कई दीवारों की ईंटें निकाल कर बेचता है।

४—प्रतिवादी ने मकान में पूरब की कोठी के चौखट और किवाड़ निकाल ली हैं और द्वार की दीवार की ईंटें नाथूराम माली के हाथ बेंच दी हैं।

इसलिये प्रार्थना है कि निषेधात्मक आज्ञा (हुक्म इमतनाई) प्रतिवादी के नाम जारी की जावे कि वह उक्त मकान की चौखट और किवाड़ या और कोई सामान पृथक न करे और न कोई ईंट इत्यादि को बेंचे और न मकान को किसी प्रकार की हानि पहुँचावे।

१४—दर्ख्वास्त, रिसीवर नियत किये जाने के लिये

(आर्डर ३१ रूल १ व्यवहार विधि संग्रह)

(सिरनामा)

१—ऊपर लिखा दावा साझा तोड़ने और हिसाब समझाने का है।

२—साझे के कारोबार में रुपया वादी का लगता था और उसका मैनेजर प्रतिवादी था।

३—साझे का कुल सामान और सारे काग़ज़ और बही खाता प्रतिवादी के अधिकार में हैं और उसी के अधिकार में साझे की नक़दी है।

४—वादी का अब तक लगभग २५०००) रुपया साझे के कारोबार में लगा हुआ है जिसका हिसाब २॥ साल से प्रतिवादी ने नहीं दिया।

५—प्रतिवादी ने नैनसुख और हरभजन दो मनुष्यों की डिग्री शिराकत के ऊपर करा ली है जिनकी इजराय में कोठी, जिसमें शराकत का काम होता है, १० अप्रैल सन् १९......ई० को कुर्क हो गई है।

६—प्रतिवादी ने मुकदमें में साझे का कोई हिसाब अब तक पेश नहीं किया। मुकदमें को दायर हुये ६ महीने और प्रतिवाद पत्र दाखिल किये हुये ४ महीने हो गये।

७—वादी को पूरा विश्वास है कि प्रतिवादी ने बहुत सा रुपया साझे का अलग कर लिया है और वादी को ठीक हिसाब देना नहीं चाहता।

८ प्रतिवादी के हाथ में साझे का बही खाता और कारोबार रहने से कोठी नीलाम हो जाने और वादी को हानि पहुँचने का भय है।

इसलिये प्रार्थना है कि कोई रिसीवर शराकत की जायदाद के लिये नियत किया जावे और प्रतिवादी को आज्ञा हो कि वह साझे का कुल माल, रुपया बही खाता हिसाब और जायदाद रिसीवर के सुपुर्द कर देवे।

---

* १५—प्रार्थना पत्र, उत्तराधिकारी का नाम चढ़ाने के लिये

(आर्डर २२ रूल ४ व्यवहार विधि संग्रह)

(सिरनामा)

१—रामसहाय प्रतिवादी का ६ नवम्बर सन् १९   ई० को देहाँत हुआ।

२—जय देव और सुखदेव उसके पुत्र और उत्तराधिकारी हैं।

इसलिये प्रार्थना है कि जय देव और सुखदेव का नाम मृतक रामसहाय के स्थान पर प्रतिवादियो की सूची में चढाया जावे।

---

* नोट १—इस प्रकार के प्रार्थना पत्र की पुष्टि (ताईद) में जो बयान हलफी दाखिल होता है उसका एक नमूना शपथ पत्र के अध्याय में दिया हुआ है। उससे अन्य प्रकार की दर्ख्वास्त भी बन सकती हैं।

नोट २—उत्तराधिकारी क़ायम किये जाने की अवधि ९० दिन की है अगर इस अवधि के अन्दर उत्तराधिकारी कायम न कराये जावें तो अभियोग (मुक़दमा साक़ित) हो जाता है और आर्डर २२ रूल ९ के अनुसार साक़ित होने का हुक्म मसूख कराने की दरख्वास्त देनी होती है।

उस दर्ख्वास्त की पुष्टि के लिये शपथ-पत्र भी नमूना नम्बर २ बयान हलफी से बन सकता है। उक्त नमूने के अन्त में यह लिखना आवश्यक होता कि अवधि के अन्दर दर्ख्वास्त क्यो नहीं दी गई और देहान्त की तारीख की सूचना प्रार्थी को कब हुई और पहले सूचना न होने के क्या कारण थे।

१६—निवेदन-पत्र, वादी से ज़मानत खर्चा लिये जाने का

(आर्डर २५ नियम १, व्यवहार विधि संग्रह)

(सिरनामा)

१—वादी का असली निवास स्थान पाकिस्तान के एक गाँव में, भारत संघ के बाहर है।

२—वादी देहली में गोटे की फेरी का काम करता था और एक किराये के मकान में बाल बच्चों सहित रहता था।

३—वादी के पास कोई जायदाद भारत संघ में नहीं है।

४ वादी ने कारोबार करना देहली में बन्द कर दिया है और अपने बाल बच्चों को अपने निवास स्थान को भेज दिया है और मालिक मकान को इस महीने की अन्तिम तारीख से मकान छोड़ने का नोटिस दे दिया है।

५—दावा खारिज होने पर प्रतिवादी का खर्चा वादी से वसूल होने का कोई उपाय नहीं है।

इसलिये प्रार्थना है कि वादी से प्रतिवादी के खर्चे की ज़मानत ले ली जावे।

१७—दरख्वास्त, अन्तिम डिगरी की तैयारी के लिये

(१) दरख्वास्त, तैयारी डिगरी क़तई नीलाम जायदाद

(आर्डर ३४ रूल ५ व्यवहार विधि संग्रह)

(सिरनामा)

१—ऊपर लिखे मुक़दमे में प्रारम्भिक (इब्तदाई) डिगरी, नीलाम जायदाद की ता० .. . महीना . ...सन् ...को सादिर हुई।

२—छः महीने की मियाद जो मदयून डिगरी को मतालबा अदा करने के लिये दी गई थी, ता०......महीना .....सन्......को समाप्त हो गई।

३—मदयून ने मतालबा डिगरी अभी तक अदा नहीं किया।

४—मतालबा डिगरी का, अब तक का हिसाब नीचे दिया हुआ है, इसलिये प्रार्थना है कि डिगरी क़तई नीलाम जायदाद की आर्डर ३४ नियम ५ ज़ाब्ता दीवानी के अनुसार मुबलिग... ..रुपये की वसूलयाबी के वास्ते मय खर्चा व सूद आयन्दा तारीख वसूल तक, सादिर की जावे।

(हिसाब का विवरण इस जगह दिया जावे)

(२) दरख्वास्त जब कि डिगरीदार को एक अवधि के अन्दर रुपया दाखिल करने का हुक्म हुआ हो

(सिरनामा)

१—ता०......महीना..... सन्......को डिगरी इबतदाई नीलाम जायदाद की प्रार्थी डिगरीदार के हक्क में सादिर हुई और मदयून को मतालबा के अदा करने के वास्ते ता०......महीना......सन्......तक की मियाद दी गई।

२—डिगरी में यह हुक्म है कि यदि मदयून इस उक्त अवधि के अन्दर डिगरी का रुपया अदा न करे तो डिगरीदार ता०......महीना... सन्......तक मुबलिग ......रुपये मुख्य रहन के सम्बन्ध में दाखिल करे और जायदाद, मतालबा डिगरी और उक्त मतालबे दोनों की वसूलयाबी के वास्ते नीलाम की जावे।

३—मदयून ने मतालबा डिगरी उस अवधि के अन्दर जो उसको दी गई थी अदा नहीं किया और डिगरीदार ने मुबलिग .....रुपये ता०......महीना......सन्.. ...को अन्दर मियाद मुख्य रहन के सम्बन्ध में अदालत में दाखिल कर दिये।

४—डिगरीदार के, नीचे लिखे हिसाब के अनुसार ... . रुपये निकलते हैं।

मतालबा डिगरी ता०......तक ......रु०।
सूद ता०......से आज तक ......रु०।
मुख्य रहन का मतालबा ......रु०।
सूद ता०...... से आज तक ......रु०।
खर्चा ....रु०।
(पहिले फारम के अनुसार प्रार्थना)।

१८—दरख्वास्त, ख़ातो डिगरी की तैयारी के लिये

(आर्डर ३४ नियम ६ व्यवहार विधि संग्रह)

(सिरनामा)

१—उपरोक्त मुक़दमे में नीलाम की डिगरी ता०......महीना......सन्...... को सादिर हुई।

२—आधी-जायदाद का आधा भाग एक तीसरे आदमी की नालिश में जो फरीकैन के मुक़ाबले में डिगरी हो गई है, उसकी मिलकियत और इस डिगरी में नीलाम के अयोग्य क़रार पाया, शेष आधा भाग नीलाम हो गया।

३—नीलाम का रुपया अदा हो जाने . . . पर रुपया मतालबा डिगरी बाकी है।

४—रहननामा जिसकी बिनाय पर डिगरी नीलाम सादिर हुई थी ता०... ..महीना ......सन् ...का था और उसमें .. रु० ता०.... माह ... सन्......को सूद मे वसूल हुये थे और वसूलयाबी सूद की वजह से दावा ६ साल की मियाद के अन्दर था।

५—बाकी मतालबा डिगरी मदयून की जात और दूसरी जायदाद से वसूल होने के काबिल है।

इसलिये प्रार्थना है कि डिगरी वास्ते दिलाये जाने मुबलिग़... ...रुपये, मयसूद आयन्दा तारीख नीलाम से तारीख वसूल तक, व खर्चा हाल बमुकाबले जात मदयून विरुद्ध पक्ष सादिर फरमाई जावे।

(२) दूसरा नमूना ऐसी दरख्वास्त का, ऋणी की जायदाद के विरुद्ध

(आर्डर ३४ नियम ६ व्यवहार विधि संग्रह)

(सिरनामा)

१—ऊपर लिखे मुकदमे में प्रारम्भिक डिगरी की ता०.. .. माह ..... सन्......को और अन्तिम डिगरी ता०......माह... ..सन् . ..को सादिर हुई।

२—कुल आड़ी जायदाद नीलाम हो गई।

३—नीलाम के रुपये मुजरा करने के बाद मुबलिग़ . रु० नीचे लिखे हिसाब के अनुसार मतालबा डिगरी अभी बाकी हैं।

(यहाँ पर हिसाब दिया जावे)

४—दस्तावेज़ जिसकी बिनाय पर प्रारम्भिक डिगरी सादिर हुई ता०......महीना . . . सन् . का लिखा था और नालिश ६ साल के अन्दर ता० . ...माह ..... सन् का दायर हुई थी।

५—असल मदयून (रामसहाय) मर गया विरुद्ध पक्ष उसके वारिस हैं और उसके मतरूका पर काबिज हैं।

इसलिये दरख्वास्त प्रार्थना है कि डिगरी वास्ते दिलवाने मुबलिग़... . रु० मयसूद तारीख नीलाम से तारीख वसूल तक और खर्चा के, बमुकाबले जायदाद मतरूका मदयून जो कि विरुद्ध पक्ष के कब्जे मे है सादिर की जावे।

१६—दर्ख्वास्त इजराय डि री

(आर्डर २१ नियम ११ व्यवहार विधि संग्रह)

प्रत्येक डिगरी जारी कराने की दरख्वास्त लिखित होनी चाहिये और उस पर प्रार्थी या किसी ऐसे पुरुष के, जो मुक़दमे की सब बातों से अदालत के इतमीनान में से परिचित सिद्ध हो, हस्ताक्षर तथा पुष्टि होगी और उसमे नीचे लिखी हुई बातें नक़शे या सूची के रूप मे लिखी जावेंगी।

(अ) नम्बर मुक़दमा—
(ब) नाम पक्षाकार—
(क) तारीख़ डिगरी—
(ख) डिगरी के विरुद्ध कोई अपील हुआ है या नहीं।
(ग) क्या डिगरी होने के बाद कोई अदायगी या झगड़े का निपटारा दोनों पक्षों में हुआ है, और हुआ है तो क्या ?
(घ) क्या डिगरी के जारी कराने के लिये पहिले कोई दरख्वास्तें दी गईं और दी गईं तो उनकी तारीख़ और उनका परिणाम ?
(च) कुल रुपया मय सूद [यदि सूद दिलाया गया हो] जो डिगरी से निकलता हो वा और कोई उपशमन जो डिगरी से दिलाया हो, किसी ऐसी क्रास (Cross-Decree) डिगरी के विवरण सहित जो कि जारी की हुई डिगरी के पहिले या बाद को सादिर हुई हो।
(छ) खर्चे का रुपया (यदि कुछ हो) जो दिलाया गया हो।
(ज) नाम उस व्यक्ति का जिसके विरुद्ध मे डिगरी जारी करानी हो।
(झ) वह रीति (या ढग) जिसमे अदालत की सहायता दरकार हो।

(१) किसी विशेष वस्तु के जिसकी डिगरी हुई हो, दिलाये जाने में।
(२) किसी अन्य नालिश के द्वारा या नीलाम मय या बिना कुर्की किसी जायदाद के।
(३ किसी पुरुष की गिरफ्तारी और जेलखाने में क़ैद से।
(४) रिसीवर नियत किये जाने से।
(५) या किसी अन्य रीति से जो प्रेरित उपशमन के प्रकार से आवश्यक हो।

दरख्वास्त इजराय डिगरी

(आर्डर २१ नियम ११ व्यवहार-विधि संग्रह)

अदालत का नाम ...; नम्बर इजराय .....सन्......

मैं.........डिग्रीदार नीचे लिखी हुई डिग्री के निर्वाहण के लिये यह प्रार्थना-पत्र पेश करता हूँ।

नम्बर मुक़दमा	न० ११० सन् १९४४
नाम दोनों पक्ष	(अ—ब) वादी बनाम (ज —द) प्रतिवादी
तारीख डिग्री	११ अक्तूबर १९४४
डिग्री की नाराज़ी से कोई अपील हुई अथवा नहीं	नहीं
डिग्री के बाद अदायगी या तसफिया	कुछ नहीं
इजराय के लिये यदि कोई पहिली दरख्वास्त दी हो तो उसकी ता० और परिणाम	मु० ७०) रु० ४ मार्च सन् १९४५ ई० की दरख्वास्त से वसूल हुआ
कुल मतालबा मय सूद जो डिग्री से दिलाया गया हो या और कोई दादरसी	मु० ३१४ रु० ८ आ० १ पा० असल (ब्याज ६ रु० सै० वार्षिक)
खर्चा यदि दिलाया हो	खर्चा डिग्री ४७ रु० १० आ० ४ पा०
किसके मुक़ाबले में इजराय किया जावेगा	बमुक़ाबले (ज —द)
किस प्रकार से अदालत की सहायता की प्रार्थना है	जब चल सम्पत्ति (जायदाद मनकूला) की कुर्की व नीलाम की प्रार्थना हो [मैं दरख्वास्त देकर आशा करता हूँ कि कुल मतालबा, मु० रु० (मय ब्याकज वसूल होने के दिन तक) और खर्चा डिग्री का, कुर्की व नीलाम चल सम्पत्ति के द्वारा प्रतिवादी की सूची के अनुसार वसूल कराया जावे]। जब अचल सम्पत्ति (जायदाद गैर मनकूला) हो तब, " मैं दरख्वास्त देकर आशा करता हूँ कि कुल मतालबा मय ब्याज वसूल होने के दिन तक का, अचल सम्पत्ति की कुर्की व नीलाम के द्वारा, वसूल करा दिया जावे।

मैं पुष्टि करता हूँ कि इस प्रार्थना पत्र का कुल बयान सच है।

हस्ताक्षर...... ......

दिनाक...............

(जब अचल सम्पत्ति की कुर्की व नीलाम की दर्ख्वास्त हो)।

(जायदाद का विवरण)

मैं .. तसदीक़ करता हूँ कि ऊपर दर्ज किया हुआ विवरण सच है।*

२०—दर्ख्वास्त, उज़रदारी

(१) ऋणी की ओर से डिगरी जारी कराने पर

(धारा ४७, व्यवहार-विधि-संग्रह)

(सिरनामा)

१—दर्ख्वास्त इजराय पहिली दर्ख्वास्त से तीन साल के बाद दाखिल की गई है और डिगरी की अवधि समाप्त हो चुकी है।

२—डिग्रीदार को पहिली इजराय में २५३) रु० मदयून उज्रदार की जायदाद के नीलाम से वसूल हुए थे, वह उसने मुजरा नहीं दिये।

३—डिग्री से सूद नहीं दिलाया गया था। डिगरीदार ने हिसाब में रु० .....सूद अनुचित लगाया है।

(२) इसी प्रकार का अन्य विरोध

१—जायदाद जो डिगरी में ग्रसित है वह जायदाद मदयून उज्रदार की पैतृक सपत्ति है। डिगरीदार ने उसको गैरमौरूसी बेजा बयान किया है। उसका नीलाम कलक्टरी से होना चाहिये।

२—डिगरीदार ने डिगरी के अनुसार... ..रु० श्रीमती रेनकाकुँअर को दिये जाने के वास्ते दाखिल अदालत नहीं किये। जब तक यह मतालबा डिगरीदार दाखिल न करे डिगरी जारी कराने का अधिकारी नहीं है।

(३) तीसरा नमूना उज्रदारी उत्तराधिकारी की ओर से

१—वह जायदाद जिसकी कुर्की के लिये प्रार्थना पत्र डिगरीदार ने दिया है वह मदयून डिगरी की नहीं थी।

२—मदयून डिगरी और उजरदार सगे भाई और एक अविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य थे और उक्त जायदाद मौरूसी खानदानी है जिसका मालिक मदयून के मर जाने पर शेषाधिकारी की हैसियत से उज़रदार हुआ।

---

* नोट—यह ज़ाब्ता दीवानी के अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नम्बर न० ६ है।

३—डिगरीदार ने ऋणी के जीवन में कोई कुर्की नहीं कराई अब वह उसको ऋणी की संपत्ति कह कर कुर्क नहीं करा सकता।

(४) वेजा कुर्की होने पर अन्य व्यक्ति की ओर से उज़रदारी

(आर्डर २१ नियम ५८ व्यवहार-विधि संग्रह)

१ डिगरीदार ने नीचे लिखे खेतों की पैदावार खुशीराम मदयून की मिलकियत क़रार देकर कुर्क कराई है।

२—उक्त खेतों का पट्टेदार एक आदमी इनायत बेग है और उसकी ओर से उज्रदार काश्तकार शिकमी ता० १२ नवम्बर सन् १९.. ..की क़बूलियत के द्वारा है।

३—उक्त खेतों की पैदावार जोती बोई उजरदार की है और उसी के क़ब्ज़े से कुर्की हुई है।

४—उक्त पैदावार में खुशीराम मदयून का कोई स्वत्व नहीं है इसलिये प्रार्थना है कि कुर्क की हुई पैदावार प्रार्थी के हक़ में छोड़ दी जावे।

(५) इसी प्रकार का अन्य नमूना

१ यह कि उज्रदार दूकान आढ़त गुड़, शक्कर, चावल इत्यादि की बाज़ार गुड़पाई शहर हाथरस में करता है और उसकी दूकान पर नाम हेमराज प्रभूलाल पड़ता है।

२—डिगरीदार ने नीचे लिखे माल को मदयून का माल क़रार देकर कुर्क कराया है।

३—मदयून बाज़ार तोपखाना शहर हाथरस में दूकान करता है और उसकी दूकान पर मेवालाल नरायण दास नाम पड़ता है। उसका कोई सम्बन्ध कुर्क किये हुये माल या उज्रदार की दूकान से नहीं है।

४—कुर्क किये हुए माल का मालिक उज्रदार है और उसकी कुर्की दूकान हेमराज प्रभूलाल पर उज्रदार के क़ब्ज़े से हुई है।

इसलिये प्रार्थना है कि कुर्क किया हुआ माल उज्रदार के हक़ में छोड़ दिया जावे।

(६) इसी प्रकार का तीसरा नमूना

१—डिगरीदार विरुद्ध पक्ष (फरीक़सानी) ने एक मंज़िल मकान पुख्ता स्थित मुहल्ला नवाबगंज शहर कानपुर नम्बरी ५२३ अहमद बख्श अपने मदयून डिगरी की मिलकियत मानकर कुर्क कराया है।

२—उक्त मकान मुहम्मद बख्श का था। उसके दो लड़के पीरबख्श और अहमद बख्श और लड़की वज़ीरन उत्तराधिकारी हुये और सब उत्तराधिकारी कुर्क किये हुए मकान पर क़ाबिज हैं।

३—उक्त मकान में अहमद बख्श मदयून का भाग केवल २/५ है शेष ३/५ के मालिक और क़ाबिज़ उज़्रदार हैं। ३/५ हिस्से की बाबत कुर्की बेजा है।

इस लिये प्रार्थना है कि ३/५ हिस्सा मकान का उज़्रदारों के हक में कुर्की से बरी किया जावे।

२१—दर्ख्वास्त मंसूखी नीलाम

(आर्डर २१ नियम ९० व्यवहार-विधि-संग्रह)

(सिरनामा)

१—उपर्युक्त मुक़दमे में प्रार्थी की सम्पत्ति ता०......महीना......सन् . . .को मुबलिग़......रु० में नीलाम हुई।

२—नीलाम का विज्ञापन नियमानुसार प्रकाशित व मनादी नहीं हुआ और ख़रीदारों को नीलाम की सूचना नहीं हुई।

३—सूचना नीलाम के विज्ञापन में जायदाद पर किफालत का भार ५०००) रु० का दिखलाया गया। वह भार वास्तव में ३०००) रु० का था। इस गलती से ख़रीदारों को धोखा हुआ।

४—नीलाम शाम के ५ बजे बहुत अनुचित समय पर हुआ और केवल डिग्रीदार के और उसके दो तीन साथियों के, ख़रीदार एकत्रित नहीं हुए।

५—नीलाम के विज्ञापन अनुसार जायदाद तीन लाटों में अलग २ नीलाम होने को थी। अमीन नीलाम ने उसको एक लाट में नीलाम कर दिया और जायदाद की तफसील ख़रीदारों को नहीं बतलाया।

६—नीलाम की हुई जायदाद का बाज़ारी मूल्य .... रु० से कम किसी दशा में नहीं है।

७—यह कि ऊपर लिखी अनियमितता और बेक़ायदगी के कारण जायदाद बहुत कम क़ीमत में नीलाम हुई और उससे प्रार्थी की हानि हुई।

इस लिये प्रार्थना है कि नीलाम मंसूख फर्माया जावे।

(२) इसी प्रकार का दूसरा नमूना

१—प्रार्थी की सम्पत्ति का नीलाम तारीख २० नवम्बर सन् १९..... ई० को ३५००) रु० में हुआ।

२—नीलाम की हुई जायदाद की पण्य मूल्य (बाज़ारी क़ीमत) किसी दशा में ६०००) रु० से कम नहीं है।

३—इतनी बड़ी मालियत की जायदाद इतने कम मूल्य में नीलाम निम्नलिखित कारणों से हुई।

(अ) नीलाम के विज्ञापन का प्रकाशन और मनादी गाँव में नहीं कराई गई और न कोई नीलाम का विज्ञापन जायदाद पर लटकाया गया।

(ब) नीलाम के विज्ञापन में २५००) रु० का बार एक रहननामे दखली का प्रकट किया गया। वास्तव में वह रहन बहुत दिन हुए बेबाक़ हो चुका था।

(क) नीलाम की तारीख के दो दिन पहिले से डिगरीदार ने यह प्रसिद्ध कर दिया था कि नीलाम स्थगित हो गया और किसी दूसरी तारीख को होगा।

(ख) ऊपर लिखे कारणों से बहुत से खरीदार जो जायदाद को खरीदना चाहते थे नीलाम के मौके पर नहीं पहुँचे और जो कुछ पहुँचे वह भार की वजह से पूरी बोली नहीं बोल सके और जायदाद बहुत कम क़ीमत में नीलाम हो गई।

इस लिए प्रार्थना है कि तारीख २० नवम्बर सन् १६......ई० का नीलाम मंसूख किया जावे।

२२—विवादाधार अपील

(Grounds or Memorandum of Appeal)

(१) (आर्डर ४१ रूल १, व्यवहार-विधि-संग्रह)

नाम अदालत...... ....।
नम्बर मुक़दमा . अपील सन् ....।

......वादी (या प्र० विवादी) अपीलान्ट (विवादी)।

बनाम

......प्रतिवादी (या वादी) रैस्पान्डेन्ट (प्रतिविवादी)।

उपर्युक्त विवादी (अपीलान्ट)
अदालत......स्थान......की डिगरी.........मुक़दमा नम्बरी सन्...... ता० ......के विरुद्ध अपील दाखिल करता है और उस पर नीचे लिखी आपत्ति करता है।

१—प्रमाण से यह सिद्ध है कि जीवाराम ने वादी को शास्त्रानुसार रसम अदा करके गोद लिया और वह बिरादरी में जीवाराम का पुत्र माना जाता है।

२—साक्ष्य से यह भी सिद्ध है कि माड़वारियों में लड़की का लड़का गोद लेने का चलन है और जीवाराम के कुल में यह प्रथा सदा से चली आती थी।

३—अधीनस्थ अदालत ने जीवाराम के वसीयतनामे (मृत्यु लेख) को प्रमाण से अनुचित रूप से पृथक् कर दिया है। वह कानून से शहादत में लेने योग्य है।

४—रिवाज के सम्बन्ध में वाजिब-उल-अर्ज़ के इन्दराज बड़े अच्छे प्रमाण होते हैं। उन पर यथेष्ट विचार अदालत ने नहीं किया।

५—वादी की उम्र दावा दायर करते समय २१ साल से अधिक नहीं थी और दावे में अवधि समाप्त नहीं हुई है।

*(२) इसी प्रकार का अन्य नमूना

(सिरनामा पहिले फारम के अनुसार)

१—उपस्थित प्रमाण से वाद में सिद्ध है कि रघुनाथ के लड़के अविभक्त थे और झगड़े वाली जायदाद उनकी पैतृक अविभक्त कुल की सम्पत्ति है।

२—शहादत से प्रमाणित हुआ है कि झगड़े वाली सम्पत्ति अविभक्त कुल के रुपये से खरीदी गई थी और रघुनाथ के सब लड़कों की मिलकियत थी।

३—वादीगण यह सिद्ध नहीं कर सके कि रघुनाथ के लड़कों में कोई बटवारा हुआ।

४—पंचायती फैसला एक फर्ज़ी कागज़ था उस पर कभी अमल नहीं हुआ।

५—सम्पत्ति में अपीलान्ट का भाग ½ है।

६—अधीनस्थ अदालत ने अविभक्त कुल प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी पर अनुचित डाला है।

(३) द्वितीय विवाद (अपील दोयम)

(सिरनामा)

१—यह कि वास्तविक वाद-विषय यह था कि झगड़े वाली गली आम है या निजी (Private) और इसका अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं किया।

२—यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस मिथ्यानुमान से मुक़दमे को आरम्भ किया कि झगड़े वाली गली उन लोगों की मिल.कियत है जिनके मकानों के दरवाज़े उसमें खुलते हैं और वाद का निर्णय अनुचित रूप से किया।

---

* नोट—जो विपक्ष-विवाद (Cross-objections) प्रति-विवादी (रैस्पान्डेन्ट) की ओर से आर्डर ४१ रूल २२ के अनुसार होते हैं उनकी विवादाधार (मूजबात) वैसी ही बनाई जाती है जैसे अपील की।

३—घटनाओं के आधार पर जो स्वामित्व के विषय में अदालत ने फल निकाला है वह विधानुकूल नहीं है।

४—धारा १५ और धारा १८ उप धारा (ब) सुखाधिकार विधान (एक्ट ५ सन् १८८१ (Easements Act) के अनुसार प्रतिवादी को खिड़की बन्द करने का अधिकार था।

२३—आवेदन-पत्र, इजराय डिगरी स्थगित कराने के लिये

(आर्डर ४१ रूल ५, जाब्ता दीवानी)

[जो नमूने शपथपत्र (बयान हलफी) के प्रकरण में नम्बर ३ व ४ पर दिये हुए हैं उनके हवाले से निवेदनपत्र बनाया जा सकता है।]

२४—अपीलान्ट से खर्चे की ज़मानत लिये जाने के लिये आवेदन-पत्र

(आर्डर ४१ रूल १०, व्यवहार विधि संग्रह)

[जो नमूना बयान हलफी के प्रकरण में नं० ५ पर दिया हुआ है उसके हवाले से दरख्वास्त बनाई जा सकती है।]

२५—दरख्वास्त वापसी रुपया

(धारा १४४ व्यवहार विधि संग्रह)

(१) डिगरी मंसूख हो जाने पर अदा किये हुए रुपये की वापसी के लिये

(सिरनामा)

उपर्युक्त प्रार्थी के अनुसार दरख्वास्त धारा १४४ व्यवहार विधि संग्रह के अनुसार दाखिल करता है और निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—ता० . . महीना . .सन् . ...को अदालत मुसफी गाजियाबाद से डिगरी विरुद्ध पक्ष के हक़ में जो मुक़दमे में वादी था ३५४।=) रु० खर्चा मुक़दमा दिलाये जाने के लिये प्रार्थी प्रतिवादी के विरुद्ध सादिर हुई।

२—उक्त डिगरी को विरुद्ध पक्ष ने इजरा कराके उसका मतालबा प्रार्थी से ता० ......महीना......सन्......को वसूल कर लिया।

३—प्रार्थी प्रतिवादी ने उक्त डिग्री की नाराज़ी से अपील दायर कर रक्खा था। अदालत अपील ने ता०......महीना......सन्......को प्रारम्भिक अदालत की डिगरी का संशोधन कर दिया और १७६) रुपया मय खर्चा रसदी दावे से कम होने का हुक्म दिया।

४—नीचे लिखे हिसाब के अनुसार......रुपये प्रतिवादी प्रार्थी को विपक्षी वादी पक्ष से वापिस मिलना चाहिये।

(यहाँ पर हिसाब का विवरण लिखा जावे)

इसलिये प्रार्थना है कि गिरफ्तारी के द्वारा विपक्षी से प्रार्थी को यह रुपया और खर्चा इजराय दिलाये जाने का हुक्म किया जावे।

(२) वापसी दखल और पूर्व लाभ व खर्चा के लिये डिगरी मंसूखी पर हो जाने।

(सिरनामा इत्यादि)

१—ता० १६ फरवरी सन् १६......ई० को अदालत सिविल जजी मेरठ से डिगरी नम्बरी १२३ सन् १६—, विरुद्ध पक्ष के हक में निम्नलिखित सम्पत्ति का दखल और मुकदमा के वासिलात और खर्चा मु० ३२७५) रु० दिलाये जाने के वास्ते, प्रार्थी के ऊपर सादिर हुई।

२—उक्त डिगरी के विरुद्ध प्रार्थी ने अपील नम्बरी ३२५ सन् १६—, अदालत साहब जज बहादुर मेरठ में की।

३—अपील विचाराधीन अवस्था में विरुद्ध पक्ष ने डिगरी को अदालत सिविल जज मेरठ से जारी करा कर नीचे लिखी जायदाद पर दखल ४ मार्च सन् १६—को प्राप्त कर लिया और वासलात व खर्चे का मतालबा मय खर्चे इजराय, ३३३५।≈) रुपये ता० २३ मार्च सन् १६—, को कुर्की हो जाने की वजह से प्रार्थी ने विरुद्ध पक्ष को अदा कर दिया।

४—अपील नम्बरी ३२५ सन् १६—अदालत जज साहब बहादुर मेरठ से ता० २७ अपरैल सन् १६—को प्रार्थी के अनुकूल निर्णीत हुई और अधीनस्थ अदालत की डिगरी मँसूख होकर कुल दावा वादी मय खर्चा के डिसमिस हुआ और २२५) रुपये खर्चा प्रारम्भिक अदालत और ४२७) रुपये खर्चा अदालत अपील, प्रार्थी को विरुद्ध पक्ष से दिलाये गये।

५—प्रार्थी जायदाद पर दखल और अपने अदा किये हुए मतालबे को विरुद्ध पक्ष से वापिस चाहता है। इसके अतिरिक्त वह जायदाद का अन्तर्गत लाभ ता० ४ मार्च सन्

१६—से तारीख वापसी दखल तक और अदा किये हुए मतालबे का सूद २३ मार्च सन् १६—ई० से अदा की तारीख तक और दोनों अदालतों का खर्चा विरुद्ध पक्ष से चाहता है।

६—इस रुपये का हिसाब निम्नलिखित है—

मतालबा जो प्रार्थी ने ता० २३ मार्च सन् १६—को विरुद्ध पक्ष को अदा किया	३३३५।≋)
खर्चा प्रारम्भिक अदालत	२३५)
खर्चा अदालत अपील	४२१)
सूद ३३३५।≡) पर ता० २३ मार्च सन् १६—से अब तक १) रु० सैकड़ा मासिक से	५००)
मुनाफा जायदाद ४ मार्च सन् १६—से अब तक २ साल की	११३१।=)
उक्त रुपये का सूद १) सैकड़ा मासिक के हिसाब से	१८३≋)
वर्तमान इजराय का खर्चा	१५॥)
कुल जोड़	५८२१॥)

७—जायदाद जिस पर दखल वापिस मिलना चाहिये उसकी तफसील यह है।

(पूर्ण विवरण दिया जावे)

इसलिये प्रार्थी की प्रार्थना है कि उसको जायदाद पर जिसका विवरण धारा नम्बर ७ में दर्ज है दखल वापिस दिलाया जावे और मतालबा जो धारा ६ में दर्ज है विरुद्ध पक्ष की सम्पत्ति (जिसका विवरण इस निवेदन पत्र के साथ नत्थी है) को कुर्क व नीलाम कराकर वसूल कराया जावे।

(३) प्रार्थना-पत्र, दखल की वापिसी और वासलात व हर्जा के लिये

(सिरनामा इत्यादि)

१—ता० . महीना.....सन् . .. को मुक़दमा नम्बरी . सन् १६—मुंसफी सहसवान से वादी का नीचे लिखी जायदाद पर दखल के लिये दावा, प्रार्थी प्रतिवादी के ऊपर डिगरी हुआ।

२—डिगरी प्रतिवादी प्रार्थी के अपील करने पर अदालत जज साहब बहादुर शाहजहाँपुर से अपील नम्बरी . सन् . में तारीख .महीना .. सन् .. . को मंसूख हुई और वादी विरुद्ध पक्ष का दावा प्रतिवादी प्रार्थी के मुक़ाबले में डिसमिस हुआ।

३—अपील के दौरान में वादी विरुद्ध पक्ष ने अदालत के द्वारा झगड़े वाली जायदाद पर तारीख . . महीना .. ..सन् .....को दखल प्राप्त कर लिया और अपने

कब्ज़े के दिनों में २०० पेड़ बबूल और ५० पेड़ शीशम के एक जंगल से, जो उस हक़ीयत में नम्बर... ..रकबी ८० बीघा में है काट लिये और उनकी लकड़ी अनुमानतः २०००) रुपये क़ीमत की अपने काम में ले ली और लगान वसूल करने के अतिरिक्त मुबलिग़ ३००) रुपये कई असामियों से नज़राना लेकर आबादी की खाली ज़मीन पर उनके मकानात बनवा दिये।

४—वादी विरुद्ध पक्ष ने अपने क़ब्ज़े के दिनों में लगान वसूल करने का उचित प्रयत्न नहीं किया जिसके कारण से लगभग २००) रुपये के लगान में तमादी आ गई और उसकी लापरवाही की वजह से ६ असामी गैर दखीलकार वेदखल न कराने के कारण दखीलकार काश्तकार हो गये।

इसलिये प्रार्थी निम्नलिखित उपशमन की प्रार्थना करता है--

(अ) जायदाद पर जिसकी तफसील नीचे दी है उसका दखल वापिस दिलाया जावे।

(ब) २०००) रुपये क़ीमत लकड़ी बबूल और शीशम के प्रार्थी को विरुद्ध पक्ष से दिलाये जावें।

(क) मुबलिग ३००) रु० नजराने के दिलाये जावें।

(ख) असामियों का दखीलकार हो जाने का हर्जा जिसकी सख्या प्रार्थी ४००) रु० स्थित करता है विरुद्ध पक्ष से दिलाया जावे।

(ग) जायदाद का अन्तर्गत लाभ .. रु० बाबत सन् विरुद्ध पक्ष से मय सूद दिलाये जावें।

(घ) मुबलिग .. रु० प्रारम्भिक अदालत और अपील का खर्चा फरीकसानी से दिलाया जावें।

(च) धारा (ब) (क) (ख) (घ) का रुपया मय खर्चे कुर्की व नीलाम जायदाद ज़िमीदारी मदयून फरीक़सानी (जिसका विवरण इस दरख्वास्त के साथ नत्थी है) द्वारा वसूल कराया जावे।

(यहाँ पर या पृथक् से जायदाद का विवरण दिया जावे)

(ख) नाम और रहने का स्थान उस व्यक्ति का जिसकी सुपुर्दगी या रक्षा में अनयस्क या उसकी सम्पत्ति हो।

(ग) अवयस्क के निकट सम्बन्धी कौन हैं और वह कहाँ रहते हैं।

(१) . ...(नाम व पता)......।

(२)......(..."... ..)......।

(३)......(..."......)......।

इत्यादि।

(घ) क्या अवयस्क की व्यक्तिगत या सम्पत्ति या दोनों का कोई सरक्षक ऐसे आदमी की ओर से नियत हुआ है या नहीं, जो उस क़ानून के अनुसार जिसका अवयस्क पाबन्द है, सरक्षक नियत करने का अधिकार रखता हो या अधिकार रखने का दावा करता हो?

(च) क्या कभी इस अदालत में या किसी दूसरी अदालत में अवयस्क की ज़ात या जायदाद या दोनों का सरक्षक नियत करने की दरख्वास्त गुजरी है या नहीं? यदि गुज़री है तो किस अदालत में, और कब, और उसका क्या परिणाम हुआ।

(छ) क्या दरख्वास्त संरक्षक नियत करने या घोषित करने अवयस्क की ज़ात, या सम्पत्ति, या दोनों के लिये है।

(ज) जब दरख्वास्त सरक्षक नियत करने के वास्ते हो तो निर्धारित सरक्षक की योग्यता।

(झ) जब दरख्वास्त संरक्षक का इस्तक़रार करने की हो तो वह कारण जिन पर वह सरक्षक होने का दावेदार हो।

(ट) वह कारण जिनकी वजह से दरख्वास्त देने की आवश्यकता पड़ी हो।

(ठ) और अन्य ऐसी बातें यदि कुछ हों जो नियत की गई हैं या आवेदन पत्र के प्रकार के विचार से जिनका लिखना आवश्यक हो .

दरख्वास्त के साथ निर्धारित सरक्षक की अनुमति पेश करना आवश्यक होता है और उस पर उस सरक्षक के हस्ताक्षर और दो व्यक्तियों की गवाही होना ज़रूरी है।

दरख्वास्त की तसदीक़ और उस पर पेश करने वाले के हस्ताक्षर उसी प्रकार होते हैं जैसे वादपत्र पर।

(२) अवयस्क के पिता की ओर से संरक्षक बनने की दरख्वास्त

(अ) अवयस्क का नाम नित्यानन्द है, वह पुरुष है, उसका धर्म हिन्दू है।

जन्म होने की तारीख १८ दिसम्बर सन् १९..... है और उसका साधारण निवास स्थान शाहजहाँपुर है -

१३—निषेधाज्ञा के लिये निवेदन-पत्र

(आर्डर ४० रूल १ व्यवहार विधि संग्रह)

(सिरनामा)

१—वादी ने ऊपर लिखा दावा एक मकान के दखल दिलाये जाने के वास्ते प्रतिवादी के विरुद्ध दायर किया है।

२—उक्त मकान में प्रतिवादी की रहायश है।

३—उक्त प्रतिवादी मकान की चौखट और किवाड़ निकाल कर उसको नष्ट करता है और कई दीवारों की ईंटें निकाल कर बेचता है।

४—प्रतिवादी ने मकान में पूरब की कोठी के चौखट और किवाड़ निकाल ली हैं और द्वार की दीवार की ईंटें नाथूराम माली के हाथ बेंच दी हैं।

इसलिये प्रार्थना है कि निषेधात्मक आज्ञा (हुक्म इमतनाई) प्रतिवादी के नाम जारी की जावे कि वह उक्त मकान की चौखट और किवाड़ या और कोई सामान पृथक न करे और न कोई ईंट इत्यादि को बेंचे और न मकान को किसी प्रकार की हानि पहुँचावे।

१४—दरख्वास्त, रिसीवर नियत किये जाने के लिये

(आर्डर ३९ रूल १ व्यवहार विधि संग्रह)

(सिरनामा)

१—ऊपर लिखा दावा साझा तोड़ने और हिसाब समझाने का है।

२—साझे के कारोबार में रुपया वादी का लगता था और उसका मैनेजर प्रतिवादी था।

३—साझे का कुल सामान और सारे कागज़ और बही खाता प्रतिवादी के अधिकार में हैं और उसी के अधिकार में साझे की नक़दी है।

४—वादी का अब तक लगभग २५०००) रुपया साझे के कारोबार में लगा हुआ है जिसका हिसाब २॥ साल से प्रतिवादी ने नहीं दिया।

५—प्रतिवादी ने नैनसुख और हरभजन दो मनुष्यों की डिग्री शिराकत के ऊपर करा ली है जिनकी इजराय में कोठी, जिसमें शराकत का काम होता है, १० अपरैल सन् १९......ई० को कुर्क हो गई है।

६—प्रतिवादी ने मुकदमें में साझे का कोई हिसाब अब तक पेश नहीं किया। मुकदमें को दायर हुये ६ महीने और प्रतिवाद पत्र दाखिल किये हुये ४ महीने हो गये।

७—वादी को पूरा विश्वास है कि प्रतिवादी ने बहुत सा रुपया साझे का अलग कर लिया है और वादी को ठीक हिसाब देना नहीं चाहता।

८ प्रतिवादी के हाथ में साझे का बही खाता और कारोबार रहने से कोठी नीलाम हो जाने और वादी को हानि पहुँचने का भय है।

इसलिये प्रार्थना है कि कोई रिसीवर शराकत की जायदाद के लिये नियत किया जावे और प्रतिवादी को आज्ञा हो कि वह साझे का कुल माल, रुपया बही खाता हिसाब और जायदाद रिसीवर के सुपुर्द कर देवे।

---

* १५—प्रार्थना पत्र, उत्तराधिकारी का नाम चढ़ाने के लिये

(आर्डर २२ रूल ४ व्यवहार विधि संग्रह)

(सिरनामा)

१—रामसहाय प्रतिवादी का ६ नवम्बर सन् १६ ई० को देहाँत हुआ।

२—जय देव और सुखदेव उसके पुत्र और उत्तराधिकारी हैं।

इसलिये प्रार्थना है कि जय देव और सुखदेव का नाम मृतक रामसहाय के स्थान पर प्रतिवादियों की सूची में चढ़ाया जावे।

---

* नोट १—इस प्रकार के प्रार्थना पत्र की पुष्टि (ताईद) में जो बयान हलफी दाखिल होता है उसका एक नमूना शपथ पत्र के अध्याय में दिया हुआ है। उससे अन्य प्रकार की दरख्वास्त भी बन सकती हैं।

नोट २—उत्तराधिकारी क़ायम किये जाने की अवधि ६० दिन की है अगर इस अवधि के अन्दर उत्तराधिकारी कायम न कराये जावें तो अभियोग (मुक़दमा साक़ित) हो जाता है और आर्डर २२ रूल ६ के अनुसार साक़ित होने का हुक्म मंसूख कराने की दरख्वास्त देनी होती है।

उस दरख्वास्त की पुष्टि के लिये शपथ-पत्र भी नमूना नम्बर २ बयान हलफी से बन सकता है। उक्त नमूने के अन्त में यह लिखना आवश्यक होता कि अवधि के अन्दर दरख्वास्त क्यों नहीं दी गई और देहान्त की तारीख की सूचना प्रार्थी को कब हुई और पहले सूचना न होने के क्या कारण थे।

१६—निवेदन-पत्र, वादी से ज़मानत ख़र्चा लिये जाने का

(आर्डर २५ नियम १, व्यवहार विधि संग्रह)

(सिरनामा)

१—वादी का असली निवास स्थान पाकिस्तान के एक गाँव में, भारत संघ के बाहर है।

२—वादी देहली में गोटे की फेरी का काम करता था और एक किराये के मकान में बाल बच्चों सहित रहता था।

३—वादी के पास कोई जायदाद भारत संघ में नहीं है।

४ वादी ने कारोबार करना देहली में बन्द कर दिया है और अपने बाल बच्चों को अपने निवास स्थान को भेज दिया है और मालिक मकान को इस महीने की अन्तिम तारीख से मकान छोड़ने का नोटिस दे दिया है।

५—दावा खारिज होने पर प्रतिवादी का ख़र्चा वादी से वसूल होने का कोई उपाय नहीं है।

इसलिये प्रार्थना है कि वादी से प्रतिवादी के ख़र्चे की ज़मानत ले ली जावे।

१७—दरख़्वास्त, अन्तिम डिगरी की तैयारी के लिये

(१) दरख़्वास्त, तैयारी डिगरी क़तई नीलाम जायदाद

(आर्डर ३४ रूल ५ व्यवहार विधि संग्रह)

(सिरनामा)

१—ऊपर लिखे मुक़दमे में प्रारम्भिक (इब्तदाई) डिगरी, नीलाम जायदाद की ता० .. ..महीना ... सन् ...को सादिर हुई।

२—छः महीने की मियाद जो मदयून डिगरी को मतालबा अदा करने के लिये दी गई थी, ता०.. ...महीना . . सन्......को समाप्त हो गई।

३—मदयून ने मतालबा डिगरी अभी तक अदा नहीं किया।

४—मतालबा डिगरी का, अब तक का हिसाब नीचे दिया हुआ है, इसलिये प्रार्थना है कि डिगरी क़तई नीलाम जायदाद की आर्डर ३४ नियम ५ ज़ाब्ता दीवानी के अनुसार मुबलिग .....रुपये की वसूलयाबी के वास्ते मय ख़र्चा व सूद आयन्दा तारीख़ वसूल तक, सादिर की जावे।

(हिसाब का विवरण इस जगह दिया जावे)

(२) दरख्वास्त जब कि डिगरीदार को एक अवधि के अन्दर रुपया दाखिल करने का हुक्म हुआ हो

(सिरनामा)

१—ता०......महीना..... सन्.. ...को डिगरी इबतदाई नीलाम जायदाद की प्रार्थी डिगरीदार के हक़ में सादिर हुई और मदयून को मतालबा के अदा करने के वास्ते ता०......महीना......सन्..... तक की मियाद दी गई।

२—डिगरी में यह हुक्म है कि यदि मदयून इस उक्त अवधि के अन्दर डिगरी का रुपया अदा न करे तो डिगरीदार ता०......महीना... . सन्......तक मुबलिग़ ......रुपये मुख्य रहन के सम्बन्ध में दाखिल करे और जायदाद, मतालबा डिगरी और उक्त मतालबे दोनों की वसूलयाबी के वास्ते नीलाम की जावे।

३—मदयून ने मतालबा डिगरी उस अवधि के अन्दर जो उसको दी गई थी अदा नहीं किया और डिगरीदार ने मुबलिग़......रुपये ता०......महीना.. ...सन्......को अन्दर मियाद मुख्य रहन के सम्बन्ध में अदालत में दाखिल कर दिये।

४—डिगरीदार के, नीचे लिखे हिसाब के अनुसार ... . रुपये निकलते हैं।

मतालबा डिगरी ता०......तक ......रु०।
सूद ता०......से आज तक ......रु०।
मुख्य रहन का मतालबा ......रु०।
सूद ता०...... से आज तक ......रु०।
खर्चा ....रु०।
(पहिले फारम के अनुसार प्रार्थना)।

१८—दरख्वास्त, ज़ाती डिगरी की तैयारी के लिये

(आर्डर ३४ नियम ६ व्यवहार विधि संग्रह)

(सिरनामा)

१—उपरोक्त मुक़दमे में नीलाम की डिगरी ता०......महीना......सन्...... को सादिर हुई।

२—आढ़ी जायदाद का आधा भाग एक तीसरे आदमी की नालिश में जो फरीकैन के मुक़ाबले में डिगरी हो गई है, उसकी मिलकियत और इस डिगरी में नीलाम के अयोग्य क़रार पाया, शेष आधा भाग नीलाम हो गया।

३—नीलाम का रुपया अदा हो जाने .. पर रुपया मतालबा डिगरी बाकी है।

४—रहननामा जिसकी बिनाय पर डिगरी नीलाम सादिर हुई थी ता० .....महीना ......सन् ...का था और उसमें... रु० ता० .. . माह .. . सन् .. . को सूद में वसूल हुये थे और वसूलयाबी सूद की वजह से दावा ६ साल की मियाद के अन्दर था।

५—बाकी मतालबा डिगरी मदयून की ज़ात और दूसरी जायदाद से वसूल होने के काबिल हैं।

इसलिये प्रार्थना है कि डिगरी वास्ते दिलाये जाने मुबलिग... ..रुपये, मयसूद आयन्दा तारीख नीलाम से तारीख वसूल तक, व खर्चा हाल बमुकाबले ज़ात मदयून विरुद्ध पक्ष सादिर फरमाई जावे।

(२) दूसरा नमूना ऐसी दरख्वास्त का, ऋणी की जायदाद के विरुद्ध

(आर्डर ३४ नियम ६ व्यवहार विधि सग्रह)

(सिरनामा)

१—ऊपर लिखे मुकदमे में प्रारम्भिक डिगरी की ता० ...माह .. .. सन्.. ...को और अन्तिम डिगरी ता० .. ..माह .. सन् .को सादिर हुई।

२—कुल आड़ी जायदाद नीलाम हो गई।

३—नीलाम के रुपये मुजरा करने के बाद मुबलिग़ .. ..रु० नीचे लिखे हिसाब के अनुसार मतालबा डिगरी अभी बाकी हैं।

(यहाँ पर हिसाब दिया जावे)

४—दस्तावेज़ जिसकी बिनाय पर प्रारम्भिक डिगरी सादिर हुई ता० .. ..महीना . ... सन् . का लिखा था और नालिश ६ साल के अन्दर ता० . ..माह ..... सन् का दायर हुई थी।

५—असल मदयून (रामसहाय) मर गया विरुद्ध पक्ष उसके वारिस हैं और उसके मतरूका पर काबिज हैं।

इसलिये दरख्वास्त प्रार्थना है कि डिगरी वास्ते दिलवाने मुबलिग़ .. . रु० मयसूद तारीख नीलाम से तारीख वसूल तक और खर्चा के, बमुकाबले जायदाद मतरूका मदयून जो कि विरुद्ध पक्ष के कब्जे में है सादिर की जावे।

१६—दर्ख़्वास्त इजराय डिगरी

(आर्डर २१ नियम ११ व्यवहार विधि संग्रह)

प्रत्येक डिगरी जारी कराने की दरखवास्त लिखित होनी चाहिये और उस पर प्रार्थी या किसी ऐसे पुरुष के, जो मुक़द्दमे की सब बातों से अदालत के इतमीनान में से परिचित सिद्ध हो, हस्ताक्षर तथा पुष्टि होगी और उसमे नीचे लिखी हुई बातें नक़शे या सूची के रूप मे लिखी जावेंगी।

(अ) नम्बर मुक़दमा—

(ब) नाम पक्षाकार—

(क) तारीख़ डिगरी—

(ख) डिगरी के विरुद्ध कोई अपील हुआ है या नहीं।

(ग) क्या डिगरी होने के बाद कोई अदायगी या झगड़े का निपटारा दोनों पक्षों में हुआ है, और हुआ है तो क्या ?

(घ) क्या डिगरी के जारी कराने के लिये पहिले कोई दरख्वास्ते दी गई और दी गई तो उनकी तारीख और उनका परिणाम ?

(च) कुल रुपया मय सूद [यदि सूद दिलाया गया हो] जो डिगरी से निकलता हो वा और कोई उपशमन जो डिगरी से दिलाया हो, किसी ऐसी क्रास (Cross-Decree) डिगरी के विवरण सहित जो कि जारी की हुई डिगरी के पहिले या बाद को सादिर हुई हो।

(छ) खर्चे का रुपया (यदि कुछ हो) जो दिलाया गया हो।

(ज) नाम उस व्यक्ति का जिसके विरुद्ध मे डिगरी जारी करानी हो।

(झ) वह रीति (या ढग) जिसमे अदालत की सहायता दरकार हो।

(१) किसी विशेष वस्तु के जिसकी डिगरी हुई हो, दिलाये जाने में।

(२) किसी अन्य नालिश के द्वारा या नीलाम मय या बिना कुर्की किसी जायदाद के।

(३ किसी पुरुष की गिरफ्तारी और जेलखाने में क़ैद से।

(४) रिसीवर नियत किये जाने से।

(५) या किसी अन्य रीति से जो प्रेरित उपशमन के प्रकार से आवश्यक हो।

दरख्वास्त इजराय डिगरी

(आर्डर २१ नियम ११ व्यवहार-विधि संग्रह)

अदालत का नाम ..., नम्बर इजराय .....सन्......

मैं.........डिग्रीदार नीचे लिखी हुई डिग्री के निर्वाहण के लिये यह प्रार्थना-पत्र पेश करता हूँ।

नम्बर मुकदमा	न० ११० सन् १९४४
नाम दोनों पक्ष	(अ—ब) वादी बनाम (ज —द) प्रतिवादी
तारीख डिग्री	११ अक्टूबर १९४४
डिग्री की नाराजी से कोई अपील हुई अथवा नहीं	नहीं
डिग्री के बाद अदायगी या तसफिया	कुछ नहीं
इजराय के लिये यदि कोई पहिली दरखास्त दी हो तो उसकी ता० और परिणाम	मु० ७०) रु० ४ मार्च सन् १९४५ ई० की दरख्वास्त से वसूल हुआ
कुल मतालबा मय सूद जो डिग्री से दिलाया गया हो या और कोई दादरसी	मु० ३१४ रु० ८ आ० ६ पा० असल (ब्याज ६ रु० सै० वार्षिक)
खर्चा यदि दिलाया हो	खर्चा डिग्री ४७ रु० १० आ० ४ पा०
किसके मुकाबले में इजराय किया जावेगा	बमुकाबले (ज —द)
किस प्रकार से अदालत की सहायता की प्रार्थना है	जब चल सम्पत्ति (जायदाद मनकूला) की कुर्की व नीलाम की प्रार्थना हो [मैं दरख्वास्त देकर आशा करता हूँ कि कुल मतालबा, मु० रु० (मय ब्याकज वसूल होने के दिन तक) और खर्चा डिग्री का, कुर्की व नीलाम चल सम्पत्ति के द्वारा प्रतिवादी की सूची के अनुसार वसूल कराया जावे]। जब अचल सम्पत्ति (जायदाद गैर मनकूला) हो तब, " मैं दरख्वास्त देकर आशा करता हूँ कि कुल मतालबा मय ब्याज वसूल होने के दिन तक का, अचल सम्पत्ति की कुर्की व नीलाम के द्वारा, वसूल करा दिया जावे।

मैं पुष्टि करता हूँ कि इस प्रार्थना पत्र का कुल बयान सच है।

हस्ताक्षर..... ....

दिनाक.............

(जब अचल सम्पत्ति की कुर्की व नीलाम की दर्ख्वास्त हो) ।

(जायदाद का विवरण)

मैं .. तसदीक़ करता हूँ कि ऊपर दर्ज किया हुआ विवरण सच है ।*

२०—दर्ख्वास्त, उज़रदारी

(१) ऋणी की ओर से डिगरी जारी कराने पर

(धारा ४७, व्यवहार-विधि-सग्रह)

(सिरनामा)

१—दर्ख्वास्त इजराय पहिली दर्ख्वास्त से तीन साल के बाद दाखिल की गई है और डिगरी की अवधि समाप्त हो चुकी है ।

२—डिग्रीदार को पहिली इजराय में २५३) रु० मदयून उज्रदार की जायदाद के नीलाम से वसूल हुए थे, वह उसने मुजरा नहीं दिये ।

३—डिग्री से सूद नहीं दिलाया गया था । डिगरीदार ने हिसाब में रु० .....सूद अनुचित लगाया है ।

(२) इसी प्रकार का अन्य विरोध

१—जायदाद जो डिगरी में ग्रसित है वह जायदाद मदयून उज्रदार की पैतृक सपत्ति है । डिगरीदार ने उसको गैरमौरूसी बेजा बयान किया है । उसका नीलाम कलक्टरी से होना चाहिये ।

२—डिगरीदार ने डिगरी के अनुसार......रु० श्रीमती रेनकाकुँअर को दिये जाने के वास्ते दाखिल अदालत नहीं किये । जब तक यह मतालबा डिगरीदार दाखिल न करे डिगरी जारी कराने का अधिकारी नहीं है ।

(३) तीसरा नमूना उज्रदारी उत्तराधिकारी की ओर से

१—वह जायदाद जिसकी कुर्की के लिये प्रार्थना पत्र डिगरीदार ने दिया है वह मदयून डिगरी की नहीं थी ।

२—मदयून डिगरी और उज़रदार सगे भाई और एक अविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य थे और उक्त जायदाद मौरूसी खानदानी है जिसका मालिक मदयून के मर जाने पर शेषाधिकारी की हैसियत से उज़रदार हुआ ।

---

* नोट—यह ज़ाब्ता दीवानी के अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नम्बर न० ६ है ।

३—डिगरीदार ने ऋणी के जीवन में कोई कुर्की नहीं कराई अब वह उसको ऋणी की संपत्ति कह कर कुर्क नहीं करा सकता।

(४) बेजा कुर्की होने पर अन्य व्यक्ति की ओर से उज्रदारी

(आर्डर २१ नियम ५८ व्यवहार-विधि संग्रह)

१ डिगरीदार ने नीचे लिखे खेतों की पैदावार खुशीराम मदयून की मिलकियत क़रार देकर कुर्क कराई है।

२—उक्त खेतों का पट्टेदार एक आदमी इनायत बेग है और उसकी ओर से उज्रदार काश्तकार शिकमी ता० १२ नवम्बर सन् १६ .. ..की कुबूलियत के द्वारा है।

३—उक्त खेतों की पैदावार जोती बोई उजरदार की है और उसी के कब्ज़े से कुर्की हुई है।

४—उक्त पैदावार में खुशीराम मदयून का कोई स्वत्व नहीं है इसलिये प्रार्थना है कि कुर्क की हुई पैदावार प्रार्थी के हक़ में छोड़ दी जावे।

(५) इसी प्रकार का अन्य नमूना

१ यह कि उज्रदार दूकान आढत गुड़, शकर, चावल इत्यादि की बाज़ार गुड़पाई शहर हाथरस में करता है और उसकी दूकान पर नाम हेमराज प्रभूलाल पड़ता है।

२—डिगरीदार ने नीचे लिखे माल को मदयून का माल क़रार देकर कुर्क कराया है।

३—मदयून बाज़ार तोपखाना शहर हाथरस में दूकान करता है और उसकी दूकान पर मेवालाल नरायण दास नाम पड़ता है। उसका कोई सम्बन्ध कुर्क किये हुये माल या उज्रदार की दूकान से नहीं है।

४—कुर्क किये हुए माल का मालिक उज्रदार है और उसकी कुर्की दूकान हेमराज प्रभूलाल पर उज्रदार के कब्ज़े से हुई है।

इसलिये प्रार्थना है कि कुर्क किया हुआ माल उज्रदार के हक़ में छोड़ दिया जावे।

(६) इसी प्रकार का तीसरा नमूना

१—डिगरीदार विरुद्ध पक्ष (फरीक़सानी) ने एक मंज़िल मकान पुख्ता स्थित मुहल्ला नवाबगंज शहर कानपुर नम्बरी ५२३ अहमद बख्श अपने मदयून डिगरी की मिलकियत मानकर कुर्क कराया है।

२—उक्त मकान मुहम्मद बख्श का था। उसके दो लड़के पीरबख्श और अहमद बख्श और लड़की वज़ीरन उत्तराधिकारी हुये और सब उत्तराधिकारी कुर्क किये हुए मकान पर क़ाबिज़ हैं।

३—उक्त मकान में अहमद बख्श मदयून का भाग केवल २/५ है शेष ३/५ के मालिक और क़ाबिज़ उज्रदार हैं। ३/५ हिस्से की बाबत कुर्की बेजा है।

इस लिये प्रार्थना है कि ३/५ हिस्सा मकान का उज्रदारों के हक़ में कुर्की से बरी किया जावे।

२१—दरख्वास्त मंसूखी नीलाम

(आर्डर २१ नियम ९० व्यवहार-विधि-संग्रह)

(सिरनामा)

१—उपर्युक्त मुक़दमे में प्रार्थी की सम्पत्ति ता० ....महीना .....सन् ..को मुबलिग़ ......रु० में नीलाम हुई।

२—नीलाम का विज्ञापन नियमानुसार प्रकाशित व मनादी नहीं हुआ और खरीदारों को नीलाम की सूचना नहीं हुई।

३—सूचना नीलाम के विज्ञापन में जायदाद पर किफालत का भार ५०००) रु० का दिखलाया गया। वह भार वास्तव में ३०००) रु० का था। इस गलती से खरीदारों को धोखा हुआ।

४—नीलाम शाम के ५ बजे बहुत अनुचित समय पर हुआ और केवल डिग्रीदार के और उसके दो तीन साथियों के, खरीदार एकत्रित नहीं हुए।

५—नीलाम के विज्ञापन अनुसार जायदाद तीन लाटों में अलग २ नीलाम होने को थी। अमीन नीलाम ने उसको एक लाट में नीलाम कर दिया और जायदाद की तफ़सील खरीदारों को नहीं बतलाया।

६—नीलाम की हुई जायदाद का बाज़ारी मूल्य......रु० से कम किसी दशा में नहीं है।

७—यह कि ऊपर लिखी अनियमितता और बेक़ायदगी के कारण जायदाद बहुत कम क़ीमत में नीलाम हुई और उससे प्रार्थी की हानि हुई।

इस लिये प्रार्थना है कि नीलाम मंसूख फर्माया जावे।

(२) इसी प्रकार का दूसरा नमूना

१—प्रार्थी की सम्पत्ति का नीलाम तारीख २० नवम्बर सन् १९.... ई० को ३५००) रु० में हुआ।

२—नीलाम की हुई जायदाद की पराय मूल्य (बाजारी क़ीमत) किसी दशा में ६०००) रु० से कम नहीं है।

३—इतनी बड़ी मालियत की जायदाद इतने कम मूल्य मे नीलाम निम्नलिखित कारणों से हुई।

(अ) नीलाम के विज्ञापन का प्रकाशन और मनादी गाँव मे नहीं कराई गई और न कोई नीलाम का विज्ञापन जायदाद पर लटकाया गया।

(ब) नीलाम के विज्ञापन में २५००) रु० का भार एक रहननामे दखली का प्रकट किया गया। वास्तव में वह रहन बहुत दिन हुए बेबाक़ हो चुका था।

(क) नीलाम की तारीख के दो दिन पहिले से डिगरीदार ने यह प्रसिद्ध कर दिया था कि नीलाम स्थगित हो गया और किसी दूसरी तारीख को होगा।

(ख) ऊपर लिखे कारणों से बहुत से खरीदार जो जायदाद को खरीदना चाहते थे नीलाम के मौके पर नहीं पहुँचे और जो कुछ पहुँचे वह भार की वजह से पूरी बोली नहीं बोल सके और जायदाद बहुत कम क़ीमत में नीलाम हो गई।

इस लिए प्रार्थना है कि तारीख २० नवम्बर सन् १६..... ई० का नीलाम मसूख किया जावे।

२२—विवादाधार अपील

(Grounds or Memorandum of Appeal)

(१) (आर्डर ४१ रूल १, व्यवहार-विधि-संग्रह)

नाम अदालत .. .. ।

नम्बर मुकदमा .. अपील सन्............ ।

.. ..वादी (या प्रतिवादी) अपीलान्ट (विवादी) ।

बनाम

......प्रतिवादी (या वादी) रैस्पान्डेन्ट (प्रतिविवादी) ।

उपर्युक्त विवादी (अपीलान्ट)

अदालत......स्थान .....की डिगरी...... ..मुक़दमा नम्बरी सन्...... ता० ..... के विरुद्ध अपील दाखिल करता है और उस पर नीचे लिखी आपत्ति करता है।

१—प्रमाण से यह सिद्ध है कि जीवाराम ने वादी को शास्त्रानुसार रसम अदा करके गोद लिया और वह बिरादरी में जीवाराम का पुत्र माना जाता है।

२—अब्द से यह भी सिद्ध है कि न्याइवादियों ने लड़को का लड़का गोद लेने का चलन है और जीवाराम के कुल में यह प्रथा उस से चली आती थी।

३—अधीनस्थ अदालत ने जीवाराम के वसीयतनामे (मृत्यु लेख) को प्रमाण से अनुचित रूप से पृथक् कर दिया है। वह क़ानून से शहादत में लेने योग्य है।

४—रिवाज के सम्बन्ध में वाजिब-उल-अर्ज़ के इन्दराज बड़े अच्छे प्रमाण होते हैं। उन पर यथेष्ट विचार अदालत ने नहीं किया।

५—वादी की उम्र दावा दायर करते समय २१ साल से अधिक नहीं थी और दावे में अवधि समाप्त नहीं हुई है।

*(२) इसी प्रकार का अन्य नमूना

(सिरनामा पहिले फारम के अनुसार)

१—उपस्थित प्रमाण से वाद में सिद्ध है कि रघुनाथ के लड़के अविभक्त थे और झगड़े वाली जायदाद उनकी पैतृक अविभक्त कुल की सम्पत्ति है।

२—शहादत से प्रमाणित हुआ है कि झगड़े वाली सम्पत्ति अविभक्त कुल के रुपये से खरीदी गई थी और रघुनाथ के सब लड़कों की मिलकियत थी।

३—वादीगण यह सिद्ध नहीं कर सके कि रघुनाथ के लड़कों में कोई बटवारा हुआ।

४—पचायती फैसला एक फर्ज़ी कागज़ था उस पर कभी अमल नहीं हुआ।

५—सम्पत्ति में अपीलान्ट का भाग ½ है।

६—अधीनस्थ अदालत ने अविभक्त कुल प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी पर अनुचित डाला है।

(३) द्वितीय विवाद (अपील दोयम)

(सिरनामा)

१—यह कि वास्तविक वाद-विषय
(Private) और इसका अधीनस्थ न्याय

२—यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने
कि झगड़े वाली गली उन लोगों की मिल
है और वाद का निर्णय अनुचित रूप से कि

---

* नोट—जो विपक्ष-विवाद
की ओर से आर्डर ४१ रूल २२ के
ही बनाई जाती है जैसे अपील की।

३—घटनाओं के आधार पर जो स्वामित्व के विषय में अदालत ने फल निकाला है वह विधानुकूल नहीं है।

४—धारा १५ और धारा १८ उप धारा (ज) सुखाधिकार विधान (एक्ट ५ सन् १८८१ (Easements Act) के अनुसार प्रतिवादी को खिड़की बन्द करने का अधिकार था।

२३—आवेदन-पत्र, इजराय डिगरी स्थगित कराने के लिये

(आर्डर ४१ रूल ५, जाब्ता दीवानी)

[जो नमूने शपथपत्र (बयान हलफी) के प्रकरण में नम्बर ३ व ४ पर दिये हुए हैं उनके हवाले से निवेदनपत्र बनाया जा सकता है।]

२४—अपीलान्ट से खर्चे की ज़मानत लिये जाने के लिये आवेदन-पत्र

(आर्डर ४१ रूल १०, व्यवहार विधि संग्रह)

[जो नमूना बयान हलफी के प्रकरण में नं० ५ पर दिया हुआ है उसके हवाले से दरख्वास्त बनाई जा सकती है।]

२५—दरख़्वास्त वापसी रुपया

(धारा १४४ व्यवहार विधि संग्रह)

(१) डिगरी मंसूख हो जाने पर अदा किये हुए रुपये की वापसी के लिये

(सिरनामा)

उपर्युक्त प्रार्थी के अनुसार दरख्वास्त धारा १४४ व्यवहार विधि संग्रह के अनुसार दाखिल करता है और निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—ता० . . . महीना . . सन् . . . को अदालत मुन्सफी गाज़ियाबाद से डिगरी विरुद्ध पक्ष के हक में जो मुक़दमे में वादी था ३५४।=) रु० खर्चा मुकदमा दिलाये जाने के लिये प्रार्थी प्रतिवादी के विरुद्ध सादिर हुई।

२—उक्त डिगरी को विरुद्ध पक्ष ने इजरा कराके उसका मतालबा प्रार्थी से ता० ......महीना......सन्......को वसूल कर लिया।

३—प्रार्थी प्रतिवादी ने उक्त डिग्री की नाराज़ी से अपील दायर कर रक्खा था। अदालत अपील ने ता०......महीना......सन्......को प्रारम्भिक अदालत की डिगरी का संशोधन कर दिया और १७६) रुपया मय खर्चा रसदी दावे से कम होने का हुक्म दिया।

४—नीचे लिखे हिसाव के अनुसार......रुपये प्रतिवादी प्रार्थी को विपक्षी वादी पक्ष से वापिस मिलना चाहिये।

(यहाँ पर हिसाब का विवरण लिखा जावे)

इसलिये प्रार्थना है कि गिरफ्तारी के द्वारा विपक्षी से प्रार्थी को यह रुपया और खर्चा इजराय दिलाये जाने का हुक्म किया जावे।

(२) वापसी दखल और पूर्वलाभ व खर्चा के लिये डिगरी मंसूखी पर हो जाने।

(सिरनामा इत्यादि)

१—ता० १६ फरवरी सन् १६......ई० को अदालत सिविल जजी मेरठ से डिगरी नम्बरी १२३ सन् १६—, विरुद्ध पक्ष के हक में निम्नलिखित सम्पत्ति का दखल और मुक़दमा के वासिलात और खर्चा मु० ३२७५) रु० दिलाये जाने के वास्ते, प्रार्थी के ऊपर सादिर हुई।

२—उक्त डिगरी के विरुद्ध प्रार्थी ने अपील नम्बरी ३२५ सन् १६—, अदालत साहब जज बहादुर मेरठ में की।

३—अपील विचाराधीन अवस्था में विरुद्ध पक्ष ने डिगरी को अदालत सिविल जज मेरठ से जारी करा कर नीचे लिखी जायदाद पर दखल ४ मार्च सन् १६—को प्राप्त कर लिया और वासलात व खर्चे का मतालबा मय खर्चे इजराय, ३३३५।≋) रुपये ता० २३ मार्च सन् १६—, को कुर्की हो जाने की वजह से प्रार्थी ने विरुद्ध पक्ष को अदा कर दिया।

४—अपील नम्बरी ३२५ सन् १६—अदालत जज साहब बहादुर मेरठ से ता० २७ अपरैल सन् १६—को प्रार्थी के अनुकूल निर्णीत हुई और अधीनस्थ अदालत की डिगरी मँसूख होकर कुल दावा वादी मय खर्चा के डिसमिस हुआ और २३५) रुपये खर्चा प्रारम्भिक अदालत और ४२७) रुपये खर्चा अदालत अपील, प्रार्थी को विरुद्ध पक्ष से दिलाये गये।

५—प्रार्थी जायदाद पर दखल और अपने अदा किये हुए मतालबे को विरुद्ध पक्ष से वापिस चाहता है। इसके अतिरिक्त वह जायदाद का अन्तर्गत लाभ ता० ४ मार्च सन्

१९—से तारीख़ वापसी दखल तक और अदा किये हुए मतालबे का सूद २३ मार्च सन् १९—ई० से अदा की तारीख़ तक और दोनों अदालतों का खर्चा विरुद्ध पक्ष से चाहता है।

६—इस रुपये का हिसाब निम्नलिखित है—

मतालबा जो प्रार्थी ने ता० २३ मार्च सन् १९—को विरुद्ध पक्ष को अदा किया	३३३५।≶)
खर्चा प्रारम्भिक अदालत	२३५)
खर्चा अदालत अपील	४२१)
सूद ३३३५।≡) पर ता० २३ मार्च सन् १९—से अब तक १) रु० सैकड़ा मासिक से	५००)
मुनाफ़ा जायदाद ४ मार्च सन् १९—से अब तक २ साल की	११३१।≈)
उक्त रुपये का सूद १) सैकड़ा मासिक के हिसाब से	१८३≶)
वर्तमान इजराय का खर्चा	१५॥)
कुल जोड़	५८२१॥)

७—जायदाद जिस पर दखल वापिस मिलना चाहिये उसकी तफ़सील यह है।

(पूर्ण विवरण दिया जावे)

इसलिये प्रार्थी की प्रार्थना है कि उसको जायदाद पर जिसका विवरण धारा नम्बर ७ में दर्ज है दखल वापिस दिलाया जावे और मतालबा जो धारा ६ में दर्ज है विरुद्ध पक्ष की सम्पत्ति (जिसका विवरण इस निवेदन पत्र के साथ नत्थी है) को कुर्क व नीलाम कराकर वसूल कराया जावे।

(३) प्रार्थना-पत्र, दखल की वापिसी और वासलात व हर्जा के लिये

(सिरनामा इत्यादि)

१—ता० महीना..... सन् . .. को मुक़दमा नम्बरी . सन् १९—मुंसफ़ी सहसवान से वादी का नीचे लिखी जायदाद पर दखल के लिये दावा, प्रार्थी प्रतिवादी के ऊपर डिगरी हुआ।

२—डिगरी प्रतिवादी प्रार्थी के अपील करने पर अदालत जज साहब बहादुर शाहजहाँपुर से अपील नम्बरी.. सन् . में तारीख .महीना .. सन् ... को मंसूख हुई और वादी विरुद्ध पक्ष का दावा प्रतिवादी प्रार्थी के मुक़ाबले में डिसमिस हुआ।

३—अपील के दौरान में वादी विरुद्ध पक्ष ने अदालत के द्वारा झगड़े वाली जायदाद पर तारीख .. . महीना .....सन् .... को दखल प्राप्त कर लिया और अपने

कब्ज़े के दिनों में २०० पेड़ बबूल और ५० पेड़ शीशम के एक जंगल से, जो उस हक़ीयत में नम्बर... ..रकबी ८० बीघा में है काट लिये और उनकी लकड़ी अनुमानतः २०००) रुपये क़ीमत की अपने काम में ले ली और लगान वसूल करने के अतिरिक्त मुबलिग़ ३००) रुपये कई असामियों से नज़राना लेकर आबादी की खाली ज़मीन पर उनके मकानात बनवा दिये।

४—वादी विरुद्ध पक्ष ने अपने क़ब्ज़े के दिनों में लगान वसूल करने का उचित प्रयत्न नहीं किया जिसके कारण से लगभग २००) रुपये के लगान में तमादी आ गई और उसकी लापरवाही की वजह से ६ असामी गैर दखीलकार वेदखल न कराने के कारण दखीलकार काश्तकार हो गये।

इसलिये प्रार्थी निम्नलिखित उपशमन की प्रार्थना करता है--

(अ) जायदाद पर जिसकी तफ़सील नीचे दी है उसका दख़ल वापिस दिलाया जावे।

(ब) २०००) रुपये क़ीमत लकड़ी बबूल और शीशम के प्रार्थी को विरुद्ध पक्ष से दिलाये जावें।

(क) मुबलिग ३००) रु० नजराने के दिलाये जावें।

(ख) असामियों का दखीलकार हो जाने का हर्जा जिसकी सख्या प्रार्थी ४००) रु० स्थित करता है विरुद्ध पक्ष से दिलाया जावे।

(ग) जायदाद का अन्तर्गत लाभ . रु० बाबत सन् विरुद्ध पक्ष से मय सूद दिलाये जावें।

(घ) मुबलिग .. रु० प्रारम्भिक अदालत और अपील का खर्चा फरीक़सानी से दिलाया जावें।

(च) धारा (ब) (क) (ख) (घ) का रुपया मय खर्चे कुर्की व नीलाम जायदाद ज़िमीदारी मदयून फरीक़सानी (जिसका विवरण इस दर्ख्वास्त के साथ नत्थी है) द्वारा वसूल कराया जावे।

(यहाँ पर या पृथक् से जायदाद का विवरण दिया जावे)

२६–दरख़्वास्त, डिगरी और अर्ज़ीदावा के संशोधन के लिये

(धारा १५२ व्यवहार-विधि-संग्रह)

(शिरनामा)

१—वादी ने उपर्युक्त दावा जायदाद ज़िमींदारी मौज़ा रामनगर मोहाल मोहन लाल पट्टी रामसहाय का दखल दिलाये जाने के वास्ते इस अदालत में दायर किया।

२—मुहाल मोहन लाल पट्टी रामसहाय का खाता खेवट नम्बर ३ है और उसके सम्बन्धित, शामिलात देह का खाता खेवट नम्बर ११ है जिसमें सब पट्टी वालों का भाग है और शामिलात देह का खाता पट्टी के खातों का भाग है।

३—ग़लती से जो सम्पत्ति का विवरण वादपत्र में दिया गया उसमें शामिलात देह की खेवट का नम्बर दर्ज होने से रह गया।

४—दावा अदालत से ता०......महीना ...सन्.....को डिगरी हुआ और जो सम्पत्ति का विवरण वाद-पत्र में दिया हुआ था वही डिगरी में दर्ज हुआ।

५—वादी ने डिगरी जारी करा कर तारीख .को अदालत के द्वारा दखल लिया और तारीख .. . को दरख़्वास्त नाम चढ़ाने के लिये अदालत माल में पेश की।

यह ग़लती दाखिल खारिज की दरख़्वास्त देने के समय मालूम हुई। इसलिये प्रार्थना है कि वादपत्र और डिगरी का संशोधन किया जावे और उनमें सम्पत्ति के विवरण में निम्नलिखित शब्द बढ़ाये जावें " हिस्सा रसदी शामिलात देह खाता खेवट नम्बर ११ के सहित है "।

२७–दरख़्वास्त, संरक्षता के सार्टीफिकेट के लिये

(१) साधारण नमूना (एक्ट ८ सन् १८९०)

अवयस्क के संरक्षक (वली) बनने की दरख़्वास्त में एक्ट ८ सन् १८९० की धारा १० के अनुसार निम्नलिखित बातें लिखनी होती हैं।

(अ) अवयस्क का नाम .. पुरुष है या स्त्री............।
धर्म (मत)......पैदा होने की तारीख.........।
साधारण निवास स्थान.................।

(ब) यदि अवयस्क स्त्री हो तो उसका विवाह हुआ है या नहीं, और यदि विवाह हो गया हो तो उसके पति का नाम और उसकी अवस्था।

(क) अवयस्क की सम्पत्ति, यदि कुछ हो तो किस प्रकार की है और कहाँ स्थित है और अनुमानतः उसका मूल्य।

(ख) नाम और रहने का स्थान उस व्यक्ति का जिसकी सुपुर्दगी या रक्षा में अवयस्क या उसकी सम्पत्ति हो।

(ग) अवयस्क के निकट सम्बन्धी कौन हैं और वह कहाँ रहते हैं।

(१) .....(नाम व पता)......।

(२)......(..".... ..)......।

(३)......(..."......)......।

इत्यादि।

(घ) क्या अवयस्क की व्यक्तिगत या सम्पत्ति या दोनों का कोई संरक्षक ऐसे आदमी की ओर से नियत हुआ है या नहीं, जो उस क़ानून के अनुसार जिसका अवयस्क पाबन्द है, सरक्षक नियत करने का अधिकार रखता हो या अधिकार रखने का दावा करता हो ?

(च) क्या कभी इस अदालत में या किसी दूसरी अदालत में अवयस्क की ज़ात या जायदाद या दोनों का सरक्षक नियत करने की दरख्वास्त गुज़री है या नहीं ? यदि गुज़री है तो किस अदालत में, और कब, और उसका क्या परिणाम हुआ।

(छ) क्या दरख्वास्त संरक्षक नियत करने या घोषित करने अवयस्क की ज़ात, या सम्पत्ति, या दोनों के लिये है।

(ज) जब दरख्वास्त सरक्षक नियत करने के वास्ते हो तो निर्धारित सरक्षक की योग्यता।

(झ) जब दरख्वास्त सरक्षक का इस्तक़रार करने की हो तो वह कारण जिन पर वह सरक्षक होने का दावेदार हो।

(ट) वह कारण जिनकी वजह से दरख्वास्त देने की आवश्यक्ता पड़ी हो।

(ठ) और अन्य ऐसी बातें यदि कुछ हों जो नियत की गई हों या आवेदन पत्र के प्रकार के विचार से जिनका लिखना आवश्यक हो।

दरख्वास्त के साथ निर्धारित सरक्षक की अनुमति पेश करना आवश्यक होता है और उस पर उस सरक्षक के हस्ताक्षर और दो व्यक्तियों की गवाही होना जरूरी है।

दरख्वास्त की तसदीक़ और उस पर पेश करने वाले के हस्ताक्षर उसी प्रकार होते हैं जैसे वादपत्र पर।

(२) अवयस्क के पिता की ओर से संरक्षक बनने की दरख्वास्त

(अ) अवयस्क का नाम नित्यानन्द है, वह पुरुष है, उसका धर्म हिन्दू है।

जन्म होने की तारीख १८ दिसम्बर सन् १६..... है और उसका साधारण निवास स्थान शाहजहाँपुर है -

(ब) अवयस्क की सम्पत्ति का विवरण नीचे लिखे अनुसार है —

हक्क मकान .. स्थान शाहजहाँपुर मूल्य ४०००) रु० सम्पत्ति ज़मींदारी नूरपुर तहसीलबदायूँ १००००) रु० (सारी सम्पत्ति क्रमानुसार दी जावे और उसकी क़ीमत लिखी जावे) ।

अवयस्क के ऊपर इस प्रकार ऋण है —

(यहाँ पर ऋण और उसका पूर्ण विवरण लिखना चाहिये) ।

(क) प्रार्थी शाहजहाँपुर में रहता है और अवयस्क की ज़ात और जायदाद दोनों की रक्षा करता है और उसकी सम्पत्ति पर काबिज़ है ।

(ख) प्रार्थी अवयस्क का पिता है । दूसरे निकट सम्बन्धी यह है —

(१) श्रीमती चम्पा विधवा अचलानन्द जाति ब्राह्मण निवासी शाहजहाँपुर मुहल्ला बनिया पाड़ा—अवयस्क की मा ।

(२) रामसहाय पुत्र पूरनमल ब्राह्मण साकिन मेरठ मुहल्ला कम्बोह दरवाज़ा —मामा अवयस्क ।

(ग) अवयस्क की जात या जायदाद या दोनों का सरक्षक किसी ऐसे आदमी की ओर से नियत नहीं हुआ जो उस क़ानून के अनुसार जिसका नाबालिग पाबन्द है सरक्षक नियत करने का अधिकार रखता हो या अधिकार रखने का दावा करता हो ।

(घ) किसी समय इस अदालत में या किसी और अदालत में उक्त अवयस्क की जात या जायदाद या दोनों का सरक्षक बनाने की दरख्वास्त नहीं गुज़री ।

(च) यह दरखवास्त अवयस्क की सम्पत्ति का संरक्षक नियत कराने के लिये है ।

(छ) प्रार्थी संरक्षक होने की योग्यता रखता है और उसके ऊपर किसी का ऋण नहीं है ।

(ज) यह दरख्वास्त इसलिए दी जाती है कि अवयस्क के ऊपर ऋण है जो उसके नाना पर था और सम्पत्ति भी अवयस्क को उसके नाना से पहुँची है । एक ऋण की डिगरी न० ११६ सन् १६३१ अदालत जजी शाहजहाँपुर) में जो उसके नाना के मतरूके पर अवयस्क के मुक़ाबले में सादिर हुई है जायदाद ज़मींदारी नूरपुर की नीलाम पर चढ़ी हुई है । ऋण की अदायगी का प्रबन्ध, बिना सरक्षक के नहीं हो सकता ।

(झ) अवयस्क किसी के साथ हिन्दू अभिवक्त कुल का सदस्य नहीं है ।

इस लिये प्रार्थना है कि प्रार्थी संरक्षक सम्पत्ति नित्यानन्द अवयस्क का नियत किया जावे ।

हस्ताक्षर .. .. ।

तसदीक का लेख .. ।

स्थान ... ।

दिनांक .. . . ।

(३) आवेदन पत्र संरक्षक नियत किये जाने के लिये, अवयस्क की बहिन की ओर से

(सिरनामा)

(अ) अवयस्क का नाम······गंगाप्रसाद, बाप का नाम··· हीरा लाल, जाति तेली, निवासी अमरोहा उम्र लगभग १० वर्ष। तिथि पैदा होने की, बैसाख बदी १० सम्वत् १९९४ तदनुसार ५ मई सन् १९३७।

(ब) अवयस्क हिन्दू धर्म का अनुयायी है और पुरुष है।

(क) नाबालिग की सम्पत्ति का विवरण यह है—

(यहाँ पर अवयस्क की जायदाद का विवरण लिखा जावे)

(ख) प्रार्थिनी अवयस्क की बहिन है और अमरोहे में रहती है। उसको संरक्षक होने की योग्यता है उस पर किसी का ऋण नहीं है। अवयस्क प्रार्थिनी के साथ रहता है और प्रार्थिनी ही उसका पालन पोषण करती है।

(ग) अवयस्क के अन्य सम्बन्धी प्रार्थिनी के अतिरिक्त यह हैं—

(१) श्रीमती महताबो (पूरा पता लिखो) अवयस्क की दूसरी बहिन।

(२) परशादीलाल (पूरा पता लिखो) अवयस्क का ममेरा भाई।

(घ) अवयस्क की ज़ात, जायदाद या दोनों का संरक्षक किसी ऐसे आदमी की ओर से नियत नहीं हुआ जो संरक्षक नियत करने का अधिकार या दावा रखता हो।

(च) इससे पहिले एक दरख्वास्त सरक्षक नियत कराने की एक पुरुष परशादी लाल ने इस अदालत में दी थी (नम्बर मुतफर्रका ३६ सन् १९४५) जो ता० १६ फर्वरी सन् १९४५ को इस हुक्म से फैसल हुई कि यदि उक्त परशादी लाल ५०००) रु० की ज़मानत तीन महीने के अन्दर दाखिल कर दे तो वह अवयस्क का संरक्षक नियत हो। वह ज़मानत दाखिल नहीं कर सका और उसकी दरख्वास्त खारिज हो गई।

(छ) यह दरख्वास्त किसी वली के इस्तकरार के वास्ते नहीं है।

(ज) यह दरख्वास्त इस लिये पेश की गयी है कि अवयस्क की जायदाद का प्रबन्ध करना है और असामियों से लगान वसूल करना है। बिना सार्टीफिटक संरक्षक के सम्पत्ति का उचित प्रबन्ध नहीं हो सकता और न लगान वसूल होता है जिससे अवयस्क का पालन पोषण अच्छी तरह हो सके।

(झ) यह प्रार्थना पत्र जात व जायदाद दोनों का संरक्षक नियत करने के वास्ते है। यदि किसी कारण से सायला को जायदाद का संरक्षक नियत करना उचित न

समझा जावे तो प्रार्थिनी को केवल उसकी ज़ात का सरक्षक नियत कर दिया जावे और जायदाद से नाबालिग के खान पान और उसकी पढ़ाई के वास्ते, उचित खर्चा सम्पत्ति की आय से दिलाने की आज्ञा दी जावे।*

(ट) अवयस्क के पिता का १५ जुलाई सन् १६४१ को देहात हुआ उसके दो साल के बाद अवयस्क की माँ मर गई। अवयस्क की सम्पत्ति का प्रबन्ध कई आदमियों के हाथ में रहा जो तहसील से सरबराकार नियत होते रहे। चार पाँच साल हुए श्रीमती मेहताबो नाबालिग की दूसरी बहन तहसील से उसकी सरबराकार नियत हुई। उसने इस समय में बहुत कुछ रुपया अवयस्क का खर्च और बर्बाद कर दिया इस लिये दरखवास्त है कि प्रार्थिनी को सार्टिफिकट सरक्षकना जात और जायदाद उक्त नाबालिग का दिया जावे।

२८—जायदाद हस्तान्तर करने की आज्ञा के लिये आवेदनपत्र

(१) रहन सादा के लिये आज्ञा प्राप्त करने को

(धारा २६ व ३१ एक्ट ८ सन् १८६०)

(सिरनामा)

१—यह कि प्रार्थी (सायल) ने तारीख ३ सितम्बर सन् १६. . ई० को सरक्षकता का प्रमाणपत्र (सार्टिफिकट) प्राप्त किया है।

२—अवयस्क के पिता भोजराज की २६ अपरैल सन् १६ . . . ई० को मृत्यु हो गई।

३—सम्पत्ति का विवरण जो नाबालिग को अपने पिता से मिली और उसका अनुमानतः मूल्य यह है।

(यहाँ पर सम्पत्ति का विवरण और अनुमानतः मूल्य लिखा जावे)।

४—ऋण जो नाबालिग के बाप ने छोड़ा उसका विवरण यह है—

(यहाँ पर ऋण का विवरण मय सूद लिखना चाहिये)।

५—सम्पत्ति की आय .. रु० वार्षिक है।

---

* नोट—यदि दरख्वास्त किसी सरक्षक के इस्तक़रार के वास्ते हो जो मृत्यु लेख (वसीयतनामे) या किसी दूसरे दस्तावेज़ के द्वारा नियत किया गया हो तो धारा (झ) इस प्रकार लिखनी चाहिये।

" यह दरख्वास्त वास्ते इस्तक़रार वली जात व जायदाद उक्त नाबालिग यानी दोनों के है। प्रार्थी को नाबालिग के बाप ने अपनी अन्तिम वसीयत के द्वारा उसका वली करार दिया है और उसकी कुल सम्पत्ति का प्रबन्ध प्रार्थी के सिपुर्द किया है। तहसील वसूल, किराया और सम्पत्ति का अन्य प्रबन्ध करने के लिये इस्तक़रार संरक्षकता की आवश्यकता है "।

६—कुल ऋण मय सूद के मुबलिग़ रु० अदा करना है जिसका वार्षिक सूद २०००) रु० होता है और कुल सम्पत्ति नष्ट हो जाने का भय है।

७—निम्नलिखित सम्पत्ति मुबलिग . . रु० में रहन सादा करने का विचार है जिससे कुल ऋण अदा हो जायगा और वार्षिक सूद केवल ८०) रु० साल होगा।

(यहाँ पर उस सम्पत्ति का जो रहन करना मजूर हो विवरण दिया जावे)

८—अवयस्क की हक़ीयत के ऊपर एक ऋण की डिग्री जायदाद नीलाम होने के लिये हो चुकी है और उसमें तीन महीने की अवधि रुपया अदा करने के लिये मिली है यदि डिगरी अदा न होगी तो अधिक मूल्य की जायदाद नीलाम हो जाने से नाबालिग की हानि होगी।

९—सादा रहन की कच्ची लिपि इस दरख्वास्त के साथ दाखिल की जाती है।

इस लिये प्रार्थना है कि जायदाद की (जो धारा न० ७ में दी गई है) रहन सादा करने की अनुमति दी जावे।

(२) विक्रयपत्र (बैनामे) के द्वारा

(सिरनामा)

१—सायल ने तारीख २५ मार्च सन् १९४१ ई० को अवयस्कों की सरक्षकता का प्रमाण पत्र (सार्टिफिकट) प्राप्त किया।

२—मेहताब सिंह, अवयस्कों के पिता का १२ फ़रवरी सन् १९३१ ई० को देहात हुआ।

३—मेहताबसिंह ने निम्नलिखित सम्पत्ति छोड़ी—

(यहाँ पर सम्पत्ति का विवरण अनुमानतः मूल्य सहित लिखा जावे)।

४—मेहताबसिंह ने निम्नलिखित ऋण छोड़े—

(यहाँ पर ऋणों की तफ़सील दी जावे और उसमें यह भी दिखलाया जावे कि उनका सूद क्या होता था और यदि उनके आधार पर डिगरी इत्यादि हुई हों तो उनमें क्या कार्रवाई हो रही हैं)।

५—वार्षिक आय और व्यय का हिसाब यह है—

६—सम्पत्ति का विवरण जो इस समय अधिकार में हो और हर जायदाद की आमदनी—

७.—तफ़सील ऋण की जो अब अदा करने को हो और उसका वार्षिक सूद—

८—सम्पत्ति का विवरण जिसके विक्रय (बै) करने की दरख्वास्त हो उसकी आय और नियत मूल्य के सहित—

९—विक्रय करने से लाभ जो अवयस्कों का हो लिखा जावे—(जैसे थोड़ी जायदाद विक्रय करने से बाक़ी जायदाद बच जाती हो और अवयस्कों के पालन पोषण के लिये पर्याप्त आय रह जाती हो) ।

१०—बैनामा की कच्ची लिपि आवेदन पत्र के साथ दाखिल की जाती है।

११—ऋण के दस्तावेजों की नकल यदि कोई हों, दाखिल की जावे ।

इस लिए प्रार्थना है कि ऊपर लिखी जायदाद के विक्रय करने की अनुमति दी जावे ।

२६—दरख़्वास्त, संरक्षक के हटाए जाने के लिये

(धारा ३९ एक्ट ८ सन् १८९०)*

(सिरनामा)

१—प्रार्थी भोजराम नाबालिग़ का सगा मामा है और विरुद्ध पक्ष उक्त नाबालिग़ का सार्टिफिकट प्राप्त संरक्षक है और अदालत से उसके हक में संरक्षकता का प्रमाण पत्र तारीख......को सादिर हुआ था ।

२—विरुद्ध पक्ष की उम्र अब ६० साल से ऊपर है वह बहुत कमज़ोर है और आंखों से कम दिखाई पड़ता है जिसके कारण वह अब संरक्षक का काम करने योग्य नहीं है।

३—विरुद्ध पक्ष उक्त जायदाद के इन्तज़ाम में बहुत भूल और ढील करता है जिसके कारण से अवयस्क की जायदाद के असामियों पर लगान की बाक़ी बढ़ गई है और कुछ में अवधि समाप्त हो चुकी हैं।

४—उक्त संरक्षक उक्त अवयस्क के पढ़ने लिखने का उचित प्रबंध नहीं करता। अवयस्क की उम्र १५ साल के लगभग है और वह अब तक मामूली पढ़ना लिखना नहीं सीख सका ।

नोट *—वह कारण जिनके आधार पर संरक्षक हटाए जाने की, दरख्वास्त दी जा सकती है एक्ट ८ सन् १८९० ई० की धारा ३९ में दिये हुए हैं। जिस वजह पर आवेदन पत्र देना मंजूर हो वही वजह ऊपर के नमूने में लिखी जा सकती है। प्रार्थना पत्र का रूप ऊपर लिखे हुए के अनुसार होगा।

३०—उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (सार्टिफिकट विरा)

(Succession Certificate)

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र धारा २१२ एक्ट ३६ सन् १६२५ के अनुसार जिला जज की अदालत में पेश होता है और उसमें हस्ताक्षर और तसदीक उसी प्रकार होती है जैसे कि व्यवहार विधि संग्रह के अनुसार वाद पत्र पर और उसमें निम्नलिखित बातें लिखी होनी चाहिये—

(अ) मृतक के मरने की तारीख।

(ब) मरने के समय मृतक का साधारण निवासस्थान और यदि ऐसा निवास स्थान उस अदालत के अधिकार की भूमि सीमा के अन्दर न हो जिसमें कि आवेदन पत्र दिया जावे, तो मृतक की वह जायदाद जो उस सीमा के अन्दर स्थित हो।

(ज) मृतक के कुटुम्बी और दूसरे निकट सम्बन्धी और उनके पृथक् २ निवास स्थान।

(द) वह स्वत्व जिसके द्वारा प्रार्थी दावेदार हो।

(ह) किसी ऐसी रुकावट का उपस्थित न होना, जो धारा ३७० एक्ट के अनुसार उक्त या किसी और क़ानून के, सार्टिफिकट दिये जाने को वर्जित करती हो या दिये जाने पर उसको अवैध बनाती हो।

(व) ऋण व किफालत जिनकी निसबत सार्टिफिकट की दरख्वास्त हो।

(ऋण का विवरण)

उक्त एक्ट की धारा ३८३ में वह सब कारण लिखे हैं जिनके आधार पर दिया हुआ सार्टिफिकट वापिस हो सकता है और वह यह हैं—

(अ) यह कि कार्रवाई प्राप्त करने सार्टिफिकट की वास्तव में दूषित थी।

(ब) यह कि सार्टिफिकट गलत बयानों से या अदालत से विशेष घटनाओं को छिपा कर धोखे से प्राप्त किया गया।

(ज) यह कि सार्टिफिकट एक असत्य घटना बयान करके जो सार्टिफिकट के दिये जाने के लिये आवश्यक हो प्राप्त किया गया चाहे ऐसा बयान अज्ञानता या लापरवाही से किया गया हो।

(द) यह कि अन्य घटनाओं के कारण सार्टिफिकट बेकार और निकम्मा हो गया है।

(ह) यह कि किसी अधिकार युक्त अदालत की डिगरी या हुक्म के विचार से जो किसी मुक़दमे या अन्य कार्रवाही में, उस जायदाद के सम्बन्ध में जिसमें कर्ज़ व किफालत मुन्दर्जे सार्टिफिकट, सादिर हो चुकी है, उचित यह है कि सार्टिफिकट मसूख कर दिया जावे।

जो आवेदन पत्र सार्टिफिकट की मंसूखी का दिया जावे वह ऊपर लिखे कारणों में से एक या एक से अधिक के आधार पर होना चाहिये।

(१) उत्तराधिकार के सार्टिफिकट के लिये आवेदन-पत्र

(सिरनामा)

१—प्रार्थी के पिता मल्हू ने तारीख १ जून सन् १९२८ ई० को देहान्त किया।

२—मरते समय मृतक का निवास स्थान मौजा पला जिला बुलन्द शहर में था।

३—उमराव, मुहम्मद अमीर, अताउल्ला सगे भाई और मुसम्मात महबूबन सगी बहन प्रार्थी की हैं और वह पला जिला बुलन्दशहर में रहते हैं सिवाय उनके और कोई क़रीबी रिश्तेदार मृतक का नहीं है।

४—प्रार्थी मृतक मल्हु का बेटा है और अपने बहन भाइयों के साथ उसका उत्तराधिकारी है।

५—इन कर्जों के निस्बत कोई हक़ प्रोबेट या प्रबन्धक पत्रों से भारतीय उत्तराधिकार विधान सन् १९२५ ई० के अनुसार साबित नहीं किया गया और कोई रुकावट उक्त एक्ट के अनुसार या किसी दूसरे क़ानून के अनुसार सार्टिफिकट दिये जाने या उसके जायज़ होने में है।

६—प्रार्थी के तीनों भाई और बहन जिनके नाम धारा ३ में दर्ज हैं अकेले प्रार्थी के नाम सार्टिफिकट दिये जाने में सहमत हैं।

७—उन कर्जों का विवरण, जिनके सम्बन्ध में दरख्वास्त की जाती है यह है—

(यहाँ पर कर्जे का विवरण दिया जावे और उसमें कर्ज़दारों का नाम और दस्तावेज़ इत्यादि का पूरा २ पता दिया जावे)।

(२) दरख्वास्त वापसी या मंसूखी सार्टीफिकट विरासत

(सिरनामा)

१—ता०. . महीना . सन्......को विरुद्ध पक्ष ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (सार्टिफिकट) मृतक चुन्नी लाल की छोड़ी हुई सम्पत्ति का प्राप्त किया।

२—सार्टिफिकट प्राप्त करने की दरख्वास्त में विरुद्ध पक्ष ने यह बयान किया कि मृतक चुन्नीलाल अविभक्त कुल का सदस्य नहीं था और वह सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में प्रमाण पत्र मिला चुन्नीलाल की पैदा की हुई है और वह चुन्नीलाल के सगे भाई, मंसुख का लड़का है और मृतक का भतीजा होने की हैसियत से उसका उत्तराधिकारी है।

३—वास्तव में मृतक चुन्नीलाल हिन्दू अविभक्त कुल का सदस्य था जिसके दोनों र च सदस्य हैं और सार्टिफिकट में वर्णित सम्पत्ति, अविभक्त कुल की सम्पत्ति है।

४—यह कि प्रमाण पत्र के लिये आवेदन-पत्र में विरुद्ध पक्ष ने प्रार्थी का नाम सम्बन्धियों की सूची में नहीं दिखलाया। प्रार्थी चुन्नीलाल का सगा भतीजा है और सदस्य अविभक्त कुल होते हुए उसके साथ रहता था।

५—यह कि प्रार्थी अवयस्क है। उसको या उसकी संरक्षिका को कोई सूचना प्रमाण पत्र या उसके दिये जाने की नहीं हुई और विरुद्ध पक्ष ने फरेब से प्रार्थी की रिश्तेदारी और स्वत्व को छिपा कर सॉर्टिफिकट अकेले प्राप्त कर लिया।

इस लिये प्रार्थना है कि उक्त प्रमाणपत्र रद्द और मसूख कर दिया जावे।

३१—रुपया दाख़िल करने के लिये दरख़्वास्त

(धारा ८३ सम्पत्ति परिवर्तन विधान, एक्ट ४ सन् १८८२)

(१) राहिन की ओर से

(सिरनामा)

१—प्रार्थी ने आड़ पत्र रहननामा) २५ फरवरी सन् १६१६ ई० के द्वारा अपनी हक़ीयत ज़मींदारी मौजा वहलूलपुर परगना सोरों ज़िला ऐटा की, मुबलिग़ २०००) रुपये के बदले में पास हनूमान सिंह विरुद्ध पक्ष के पिता के नाम रहन दखली की और सूद व लाभ बराबर ठहरा।

२—तारीख रहन से हनूमानसिंह और उसके मरने के बाद से विरुद्ध पक्ष हक़ीयत पर रहन ग्रहीता (मुरतहिन) की हैसियत से काबिज़ हैं।

३—रहननामे की शर्त के अनुसार रहन का रुपया अखीर माह जेष्ठ में विरुद्ध पक्ष को दिया जाने के लिये रहन छुड़ाने के वास्ते अदालत में दाखिल किया गया है।

इस लिये प्रार्थना है कि उक्त मतालबा विरुद्ध पक्ष को रहननामा २५ फरवरी सन् १६१६ ई० की बेबाक़ी में दे दिया जावे और उक्त दस्तावेज उस पर बेबाक़ी के लिखाये जाने के बाद प्रार्थी को दिला दिया जावे।

(२) जायदाद के ख़रीदार की ओर से

(रहननामा)

१—विरुद्ध पक्ष के पास सादा रहननामा तारीख ११ माह जून सन् १६३१ ई० के द्वारा हक़ीयत ज़मींदारी मौजा अशरी परगना अहार, मिर्जा शहबाज़ बेग की ओर से २०००) रुपये में रहन सादा है।

२—उक्त दस्तावेज के रुपये में से २५) रुपये ता० १३ जून सन् १९३७ और ४०) रुपये ता० २४ मई सन् १९३३ को अदा हो चुके हैं।

३ मिर्जा शहबाज वेग ने उक्त हकीयत को अपनी और दूसरी हकीयत के साथ प्रार्थी के हाथ बैनामे के द्वारा मुवरिखां २१ जून सन् १९३६ को बेच दिया है और २८५८) रुपये प्रार्थी के पास ११ जून १९३१ के रहननामे के बाकी मतालबे के अदा करने के वास्ते अमानत छोड़ा है।

४—मतालबा रहननामा ११ जून १९३१ ई० का मय सूद आज की तारीख तक मुबलिग २२५२) रुपये होता है। वह इस आवेदन पत्र के साथ दाखिल किया जाता है।

इसलिये प्रार्थना है कि उक्त मतालबा विपक्षी को रहननामा ११ जून सन् १९३१ की बेबाकी में दे दिया जावे और उक्त दस्तावेज बाद तहरीर बेबाकी प्रार्थी को दिला या जावे।

(३) रहनकर्ता की ओर से, स्वयं अपने और अन्य रहनकर्ताओं के उत्तराधिकारी होने पर

(सिरनामा)

१—रहननामा १३ जून सन् १९३७ के द्वारा प्रार्थी और उसके दो सगे भाई हरदेव व नेतराम ने अपनी जमींदारी २५००) रुपये में सूद लाभ बराबर पर, विरुद्ध पक्ष के पिता के पास रहन दखली की।

२—रहन के दौरान में १५ बीघा जमीन बञ्जर जिससे कुछ लाभ रहन-ग्रहीताओं को नहीं होता या सड़क रेल में आ गई और उसके बदले में १२५०) रुपये रहन-ग्रहीताओं को मिल गये। अब केवल १२५०) रुपये रहन के बाकी हैं।

३—हरदेव व नेतराम का देहाँत हिन्दू अविभक्त कुल में हो गया, उनकी कोई सतान नहीं है। प्रार्थी बचे हुए सदस्य कुटुम्ब की हैसियत से कुल हकीयत का मालिक है।

४—प्रार्थी १२५०) रुपये विरुद्ध पक्ष को १३ नवम्बर सन् १९३७ के रहननामें की बेबाकी के सम्बन्ध में दिये जाने के वास्ते दाखिल अदालत करता है।

३२—आवेदन-पत्र, प्रोबेट व   न्धक पत्रों के लिये

प्रोबेट या प्रबन्धक पत्रों (Letters of Administration) प्राप्त करने का आवेदन पत्र नत्थी किये हुये मृत्युलेख के साथ धारा २७६ एक्ट ३६ सन् १६२५ के अनुसार अब पेश होते हैं और इस प्रकार के आवेदन पत्र अंग्रेजी भाषा में या अन्य भाषा में जो अदालत में प्रचलित हो पेश होना चाहिये और उसके साथ असल मृत्युलेख (वसीयतनामा) पेश होना चाहिये। यदि वास्तविक मृत्युलेख मृतक के बाद गुम हो गया हो या कहीं रख जाने की वजह से न मिलता हो या किसी अनुचित कार्य या इत्तफाक से जो वसीयत करने वाले का फेल न हो, नष्ट हो गया हो तो मृत्युलेख की नकल या उसकी कच्चीलिपि यदि मौजूद हो तो पेश की जा सकती है। यदि नक़ल या कच्चीलिपि मौजूद न हो तो मृत्युलेख के समाविष्ट विषय (मजमून)की तहरीर पेश की जा सकती है।

आवेदनपत्र में नीचे लिखी बातें दर्ज होंगी।

(अ) वसीयत करने वाले के मरने की तारीख।

(ब) यह कि नत्थी की हुई उसकी अन्तिम वसीयत है।

(क) यह कि वह नियमानुसार लिखी गई।

(ख) तर्के की मालियत जो अनुमान से प्रार्थी के हाथ में आवेगा।

(ग) जब निवेदन-पत्र प्रोबेट के वास्ते हो तो यह कि प्रार्थी मृत्युलेख में लिखा हुआ प्रबन्धक। (Executor) है।

इन बातों के अतिरिक्त आवेदन पत्र में यह भी लिखा जावेगा—

(अ) जब आवेदनपत्र डिसट्रिक्ट जज के यहाँ दिया जावे तो, यह कि मृतक मरते समय जज के भूमि सीमा अधिकार के अन्दर स्थाई निवास स्थान या कोई जायदाद रखता था।

(ब) जब आवेदनपत्र किसी डिसट्रिक्ट डेलीगेट के यहाँ दी जावे, तो यह कि मृतक मरते समय ऐसे डेलीगेट की भूमि सीमा अधिकार के अन्दर स्थाई निवास स्थान रखता था।

जब आवेदनपत्र डिसट्रिक्ट जज के यहाँ दिया जावे और कोई भाग जायदाद का, जो अनुमान से प्रार्थी के कब्जे में आने को हो दूसरे प्रान्त में हो तो आवेदनपत्र में यह भी लिखना होगा कि हर एक प्रान्त की जायदाद की संख्या क्या है और कौन कौन से डिसट्रिक्ट जजों के भूमि सीमा अधिकार के अन्दर वह जायदाद है।

यदि प्रोबेट का प्रचार कुल भारत संघ (Indian Union) में कराना मंजूर हो तो धारा १६६ के अनुसार निवेदन पत्र में यह भी लिखना आवश्यक है कि प्रार्थी को जहाँ तक विश्वास है कोई दूसरी दरख्वास्त किसी दूसरी अदालत में प्रोबेट के वास्ते नहीं दी गई और यदि कोई ऐसी दरख्वास्त दी गई तो किस अदालत में और किस व्यक्ति या व्यक्तियों ने और उस पर क्या कार्रवाई हुई।

(१) प्रोबेट के लिये दरख्वास्त मृत्युलेख (वसीयतनामा) सहित

न्यायालय..... (नाम)......... ।

नं० मुक़दमा......सन्...... ।

रामलाल पुत्र श्यामलाल ब्राह्मण सा० मौज़ा डिबाई जिला बुलन्द शहर ..... प्रार्थी ।

धारा २७६ एक्ट ३९ सन् १९२५ के अनुसार उक्त रामलाल यह दरख्वास्त दाखिल करके निवेदन करता है कि—

१—प्रार्थी के चचा मोहनलाल की १७ मई सन् १९३१ ई० को मृत्यु हुई ।

२—मृत्युलेख वसीयतनामा जो इस दरख्वास्त के साथ पेश किया जाता है वह मृतक मोहनलाल की अन्तिम वसीयत है ।

३—इस मृत्युलेख को मृतक ने नियमानुसार लिखा और पूरा किया और उसकी रजिस्ट्री कराई ।

४—उसकी मृत सम्पत्ति (मतरुका) लगभग १५०००) रु० की मालियत की है जो कि प्रार्थी के हाथ में आवेगी ।

५—प्रार्थी प्रबन्ध कर्ता (Executor) मुन्दर्जा वसीयतनामा है ।

६—मृतक की साधारण रहने का स्थान डिबाई में था और वहीं उसकी मृत सम्पत्ति स्थित है जो कि अदालत के भूमि सीमा अधिकार के अन्दर है ।

७—इससे पहिले प्रोबेट के लिये कोई निवेदन पत्र किसी अदालत में किसी आदमी की ओर से जहाँ तक प्रार्थी को विश्वास है नहीं उपस्थित किया गया ।

इसलिए प्रार्थना है कि प्रार्थी को उक्त वसीयतनामे का प्रोबेट प्रदान किया जावे ।

(२) इसी प्रकार की दूसरी दरख्वास्त जब मृत्यु लेख की प्रमाणित प्रति लिपि दाखिल की जावे

अदालत जिला जज बनारस ।

नं० मुक़दमा .. . सन् .. ई० ।

श्रीमती रामदेवी विधवा पंडित हरविलास ब्राह्मण साकिन मुहल्ला रामपुरा शहर बनारस—प्रार्थिनी ।

१—पंडित हरविलास की ता० २ जून सन् १९४० ई० को वर्दवान बँगाल प्रान्त में मृत्यु हुई ।

२—मृत्यु के समय मृतक का साधारण निवास स्थान नं० १४४ मुहल्ला रामपुरा बनारस था जहाँ पर वह सरकारी नौकरी से पेंशन लेने के बाद स्थायी रूप से रहने लगे थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने बनारस में सम्पत्ति छोड़ी जो अदालत की भूमि सीमा के अन्दर है ।

३—लेख-पत्र जो इस आवेदन पत्र के साथ नत्थी है वह मृतक के अन्तिम वसीयत की प्रमाणित प्रतिलिपि (नक़ल) है जो उसने जूलाई सन् १६३१ ई० को नियम पूर्वक लिखी और ३ जूलाई सन् १६३१ ई० को रजिस्ट्री कराई।

४—प्रार्थिनी मृतक की विधवा है और मृत्युलेख में प्रबन्धक नियत की गई है उसके अतिरिक्त मृतक ने निम्नलिखित संबन्धी छोड़े हैं—

(अ) पं० रामविलास मृतक का सगा भाई सब इंस्पेक्टर पुलिस जैसवार (बंगाल)।

(ब) पं० मोहनी विलास पुत्र, पं० धनविलास मृतक का भतीजा क्लर्क टेलीग्राफ आफिस बनारस।

५—मृतक की सम्पत्ति जो अनुमान से प्रार्थिनी के हाथ में आवेगी उसका मूल्य लगभग ३६७३) रु० है इसमें से ५००) रु० की जायदाद प्रान्त बंगाल मे डिस्ट्रिक्ट जैसोर के इलाके के अन्दर है। कुल सम्पत्ति का विवरण नीचे दिया हुआ है।

६—मृतक प्रार्थिनी के साथ सितम्बर सन् १६३६ ई० में कलकत्ते इलाज कराने गया था और वसीयतनामे व और दूसरे कागजों को अपने साथ लेता गया था। वापिसी के समय बनारस में प्लेग होने के कारण अपने भाई रामविलास के मकान पर बर्दवान में ठहर गया और वहीं उसकी मृत्यु हुई। प्रार्थिनी क्रियाकर्म के लिये बनारस आई और जब क्रिया कर्म करने के पश्चात् सामान और कागज लेने को बर्दवान गई तो बहुत ढूँढ़ने पर भी कागज पत्र और वसीयतनामा नहीं मिले। इसलिये प्रार्थिनी ने ज़ाब्ते की नक़ल प्राप्त करली है जो इस आवेदन पत्र के साथ पेश की जाती है।

७—जहाँ तक प्रार्थिनी को विश्वास है इससे पहिले कोई आवेदन पत्र मृतक की सम्पत्ति के प्रोबेट या प्रबन्धक-पत्र के वास्ते इस अदालत में या किसी दूसरी अदालत में नहीं उपस्थित किया गया।

इसलिये प्रार्थना है कि प्रोबेट मय नत्थी की हुई नक़ल जाब्ता वसीयतनामे के, जिसका प्रचार सारे भारत संघ में हो, मृतक की जायदाद के प्रबन्ध के लिये प्रार्थिनी को दिया जावे।

(२) दरख्वास्त प्रबन्धक पत्रों के लिये (चिट्ठियात एहतमाम)*

(धारा २७८ एक्ट ३६ सन् १६२५)

(सिरनामा)

१—इस प्रकार की दरख्वास्त में निम्नलिखित बातें दर्ज करनी होती है।

---

* नोट १—जब कि दरख्वास्त डिसट्रिक्ट जज के यहाँ हो और कोई भाग जायदाद का जो प्रार्थी के हाथ में अनुमान से आने को हो दूसरे प्रान्त में हो तो दरख्वास्त में यह बात लिखी जावेगी कि ऐसी जायदाद की कितनी संख्या प्रत्येक प्रान्त में है और कौन २ डिसट्रिक्ट जजों की भूमि सीमा अधिकार के अन्दर वह जायदाद स्थित है।

(अ) समय और स्थान मृतक के मरने का—

(ब) मृतक के कुटुम्बी और अन्य सम्बन्धी और उनके निवास स्थान।

(ज) वह स्वत्व जिसके द्वारा प्रार्थी दावेदार हो।

(द) यह कि मृतक ने कुछ जायदाद डिसट्रिक्ट जज (या डिसट्रिक्ट डेलीगेट) की भूमि सीमा अधिकार के अन्दर जिसके यहाँ दरख्वास्त पेश की जावेगी छोड़ी।

(इ) और जायदाद की मूल्य संख्या जो अनुमान से प्रार्थी के हाथ में आने को हो (और जब कि निवेदन पत्र डिसट्रिक्ट डेलीगेट के यहाँ हो तो निवेदन पत्र में यह भी लिखा जावेगा की मृतक मरते समय ऐसे डेलीगेट के भूमि सीमा अधिकार के अन्दर निवास स्थान रखता था।) *

(४) प्रबन्धक पत्र प्राप्त करने के वास्ते आवेदन पत्र

(सिरनामा)

१—प्यारे लाल प्रार्थी के चचेरे भाई ने इटावा में तारीख ५ अगस्त सन् १९३७ को देहात किया। मृतक के कुटुम्बी और दूसरे सम्बन्धी और उनके निवास स्थान नीचे लिखे हैं :—

(अ) मानसिंह पुत्र चेतसिंह जाति जाट साकिन नगले मोजा, तहसील खैर, ज़िला बदायूँ—मृतक का चचेरा भाई।

(ब) रामसहाय वल्द इन्दरमन जाति जाट साकिन रामनगर परगना जलेसर ज़िला एटा—मृतक का कुटुम्बी भतीजा।

२—प्रार्थी मृतक का उत्तराधिकारी निम्नलिखित वंशावली के अनुसार है और उसका अधिकार दूसरे रिश्ते-दारों के मुक़ाबले में अधिक है।

(यहाँ पर वंशावली दी जावे)

३—सपत्ति (तर्का) जो अनुमान से प्रार्थी के हाथ में आने को है, उसकी मालियत प्राय ......रुपये हैं और उसका विवरण नीचे दिया हुआ है।

४—मृतक का साधारण निवास स्थान एटा में था और वहीं पर उसकी जायदाद ज़मींदारी और मकानात भी हैं जो इस अदालत के भूमि सीमा अधिकार के अन्दर है।

---

* नोट २- यदि प्रबन्धक-पत्रों का प्रचार कुल भारत संघ में कराना मंजूर हो तो उक्त एक्ट की धारा २७९ के अनुसार यह भी लिखना आवश्यक है कि जहाँ तक प्रार्थी को विश्वास है कोई दूसरा आवेदन-पत्र किसी दूसरी अदालत में प्रबन्धक पत्र प्राप्त करने के वास्ते नहीं उपस्थित किया गया और यदि किया गया तो किस अदालत में और किस व्यक्ति या व्यक्तियों की ओर से और उस पर क्या कार्रवाई हुई।

५—इससे पहिले कोई निवेदन पत्र प्रोबेट या प्रबन्धक पत्रों के वास्ते किसी अदालत में उपस्थित नहीं किया गया।

इस लिये प्रार्थना है कि प्रार्थी को मृतक प्यारे लाल की सम्पत्ति के प्रबन्धक पत्र दिये जावें।

(जायदाद का विवरण)

३३—इन्साल्वेन्सी (देवालियापन)

(एक्ट ५ सन् १९२०)

देवालिया (Insolvent) क़रार दिये जाने की दरख्वास्त धारा १३ एक्ट ५ सन् १९२० के अनुसार ऋणी और महाजन (मदयून और दायन) दोनों की ओर से लग सकती है। ऋणी के निवेदन पत्र में नीचे लिखी बातें लिखनी होती हैं।

(अ) यह बयान कि ऋणी अपना ऋण अदा करने के योग्य नहीं है।

(ब) वह स्थान जहाँ वह साधारण रूप से रहता हो या कारोबार करता हो या लाभ के लिये स्वय काम करता हो या यदि वह गिरफतार या क़ैद हो गया हो तो वह जगह जहाँ वह हिरासत में हो।

(ज) न्यायालय (यदि कोई हो) जिसकी आज्ञा से गिरफतार या क़ैद हुआ हो या जिसने उसकी सम्पत्ति की कुर्की का हुक्म दिया हो उस डिगरी के विवरण सहित जिसके सम्बन्ध में ऐसा हुक्म हुआ हो।

(द) कुल ऋणों की सख्या और विवरण जो उसके जुम्मे हों, लेनदारो के निवास स्थान समेत जहाँ तक मालूम हों या उचित सावधानी काम में लाने से मालूम हो सकते हों।

(इ) संख्या और विवरण उसकी कुल सम्पत्ति का जिसमें—

(१) अनुमानतः मूल्य ऐसी जायदाद का जो नक़दी रूप में न हो दिया जावे।

(२) उस स्थान या स्थानो के सहित, जहाँ वह जायदाद मिल सकती हो।

(३) अपनी सहमत का लेख कि वह ऐसी कुल जायदाद को अदालत के अधिकार में देने को तत्पर है सिवाय ऐसी चीज़ों के (वही खाते को छोड़ कर) जो व्यवहार विधि संग्रह सन् १९०८ या किसी अन्य विधान के अनुसार जो उस समय प्रचलित हो इजराय डिगरी में कुर्की और नीलाम से छुटा हो. लिखी जावे।

(व) यह बयान कि मदयून ने पहिले किसी समय कोई दरख्वास्त इन्सालवेन्ट करार दिये जाने की दी है या नहीं और (जहाँ ऐसी दरख्वास्त गुज़र चुकी हो) तो—

(१) यदि वह दरख्वास्त खारिज हो चुकी हो तो खारिज होने का कारण।

(२) यदि ऋणी इन्सालवेन्ट क़रार दिया जा चुका हो तो इन्सालवेन्सी का संक्षिप्त विवरण और यदि इन्सालवेन्सी मनसूख करदी गई हो तो उसका कारण।

प्रत्येक पत्र इन्सालवेन्सी के हेतु आवेदन पत्र में, जो एक या कई लेनदारो की ओर से दिया जावे वह सब बातें दर्ज होंगी जो ऊपर धारा (ब) में लिखी हैं और नीचे लिखी बातें भी दर्ज होंगी।

(१) वह इन्सालवेन्सी का काम जो ऋणी ने किया हो और उसके करने की तारीख।

(२) सख्या और विवरण उन दावो का जो ऐसे ऋणी के विरुद्ध हों।

धारा १० एक्ट ५ सन् १९२० के अनुसार किसी ऋणी को इन्सालवेन्सी की दरख्वास्त पेश करने का अधिकार नहीं होता जब तक कि वह अपना ऋण चुकाने के अयोग्य न हो और उसका ऋण ५००) रु० से कम न हो या वह किसी अदालत की डिगरी की इजराय में जो अदायगी रुपये के वास्ते हो गिरफतार या क़ैद किया गया हो या ऐसी डिगरी के इजराय में कुर्की का हुक्म हो गया हो और वह हुक्म उसकी जायदाद के ऊपर स्थित हो। इस लिये जो आवेदन-पत्र ऋणी की ओर से दिया जावे उसमें यह ऊपर लिखी बातें भी लिखनी होती हैं।

धारा ९ एक्ट ५ सन् १९२० के अनुसार किसी लेनदार को अपने देनदार की बाबत इन्सालवेन्सी की दरख्वास्त देने का अधिकार नहीं होता जब तक कि... ..

(अ) ऋण लेनदार का देनदार के ऊपर या यदि दो या दो से अधिक लेनदार दरख्वास्त में शामिल हों तो उन सब का लेना ऋण ५००) रु० से कम न हो। और

(ब) ऋण की सख्याँ नियत हो और वह उस समय या किसी अगले नियत समय पर देने योग्य होता हो।

(ज) इन्सालवेन्सी का अन्य कार्य्य जिसके आधार पर दरख्वास्त दी जाती हो, दरख्वास्त देने की तारीख से ३ महीने के अन्दर हुआ हो।

इस लिये जो दरख्वास्त लेनदार की ओर से दी जावे उसमें ऊपर लिखी बातें भी लिखना चाहिये।

एक्ट ५ सन् १९२० की धारा ६ में वह कार्य्य लिखे हैं जिनका करना इन्सालवेन्सी का काम कहा जाता है। लेनदार की दरख्वास्तों में उनमें से जो काम देनदार ने किये हों वह लिखना चाहिये।

(१) ऋणी की ओर से आवेदन-पत्र

अदालत जज खफीफा बरेली।

रामलाल पुत्र सोहनलाल जाति खत्री निवासी रामपुर ज़िला बरेली।.................प्रार्थी।

उक्त प्रार्थी दरख्वास्त धारा १० एक्ट ५, १६२० के अनुसार पेश करता है और आवेदन करता है कि—

१—प्रार्थी मौज़ा रामपुर ज़िला बरेली में इस अदालत के अधिकार की भूमि सीमा के अन्दर आढ़त और रुई खरीदने व वेचने का काम करता था।

२—प्रार्थी को व्यापार में हानि हुई और उसके ऊपर २४००) रु० का ऋण हो गया।

३—ऋण की संख्या और तफसील जो प्रार्थी को देना है लेनदारों के नाम और पते सहित जहाँ तक प्रार्थी को मालूम हैं (या उचित सावधानी और खोज से निश्चय हो सके हैं) परिशिष्ट (अ मे जो इस दरख्वास्त के साथ नत्थी है दिये हुए हैं।

४—प्रार्थी अपने ज़ुम्मे का ऋण चुकाने के योग्य नहीं हैं।

५—जो सम्पत्ति प्रार्थी के पास सिवाय नक़दी के है उसकी संख्या व तफसील और अनुमानतः मूल्य और उस ज़गह का पता जहाँ उक्त जायदाद मिल सकती है परिशिष्ट (ब) में जो इस दरख्वास्त के साथ नत्थी है दर्ज है।

६—प्रार्थी उस कुल जायदाद को अदालत की सुपुर्दगी और अधिकार में देने को तैयार है। प्रार्थी निवेदन करता है कि देवालिया क़रार दिया जावे।

परिशिष्ट (अ)

परिशिष्ट (ब)

स्थान व हस्ताक्षर	}	हस्ताक्षर प्रार्थी
व प्रमाण लेख		तारीख

(२) आवेदन पत्र जब गिरफ़्तारी या क़ैद हो चुकी हो या क़ुर्की का हुक्म हो गया हो

(शीर्षक नमूना न० १ के अनुसार)

१ प्रार्थी अपने ज़िम्में का कर्ज़ा चुकाने के योग्य नहीं है।

२—प्रार्थी का साधारण निवास स्थान क़स्बे देवबन्द में है और उसी जगह वह कारोबार दुकानदारी करता है।

३—प्रार्थी का सामान दूकानदारी डिगरी नम्बरी......सन् .. . अदालत...... की इजराय में अदालत..... मे मुक़दमा इजराय नम्बरी..... सन्......कुर्क हो गया है और हुक्म कुर्की क़ायम है।

(यदि गिरफ़तारी या क़ैद हो तो लिखना चाहिये कि) प्रार्थी डिगरी नम्बर...... सन् .....अदालत ....के इजराय में अदालत.... .ने बमुक़दमा इजराय डिगरी नम्बरी ......सन् ..गिरफ़तार या क़ैद हुआ है और मुक़ाम ...जेलखाने में मौजूद है।

४—तादाद और तफ़सील कर्जे की जो प्रार्थी को देना है लेन दारों के नाम और पते के सहित जहाँ तक उसको मालूम हैं या खोज और उचित तलाश से मालूम हो सके हैं दरख्वास्त के नीचे परिशिष्ट (अ) में दिया गया है और उनका जोड़ ५००) रु० से ऊपर है।

५—संख्या व विवरण कुल जायदाद की जो प्रार्थी के पास है और उसका अनुमानित मूल्य और स्थान जहाँ वह मौजूद है नीचे दिये हुए परिशिष्ट (ब) में दर्ज है और सायल उस जायदाद को अदालत की सुपुर्दगी और अधिकार में देने को तत्पर है।

६—प्रार्थी ने इससे पहिले कोई दरख्वास्त देवालिया करार दिये जाने की नहीं दी। इस लिये प्रार्थना है कि प्रार्थी इन्सालवेंट करार दिया जावे।

(३) दरख्वास्त लेनदारों की ओर से

(सिरनामा)

१—रामभरोस पुत्र तिरवेनी सहाय जाति ब्राह्मण निवासी मैनपुरी कारोबार व्यापार कपड़े का शहर मैनपुरी में तिरवेनी सहाय रामभरोस के नाम से करता था। उक्त रामभरोस इजराय डिगरी नम्बरी २०३ सन् १९३९ ई० अदालत सिविलजजी मैनपुरी भोलानाथ डिगरीदार बनाम रामभरोस मदयून में गिरफ़तार हो कर जेलखाने मैनपुरी में क़ैद है।

२—उक्त रामभरोस ने दो महीने के लगभग हुए अपनी कपड़े की दूकान उठा दी और अपने लेनदारों को कर्जा अदा करना बन्द कर दिया और तारीख १५ नवम्बर सन् १९-४१ ई० को गिरफ़तार हो कर क़ैद हो गया। यह दरख्वास्त उस तारीख से तीन महीने के अन्दर है।

३—भोलानाथ की डिगरी नम्बरी २०३ सन् १९३९ ई० का मतालबा ३४७।।=) है और रामदयाल की डिगरी का मतालिबा ३७२।=) है और दोनों की तादाद ५००) रु० से ज्यादा है।

४—उक्त रामभरोस के ऊपर और कर्जे भी हैं जिनका ठीक पता प्रार्थी को नहीं है।

५—उक्त रामभरोस की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है और वह अपना कर्जा चुकाने के योग्य नहीं है।

इस लिये प्रार्थना है की उक्त रामभरोस इन्सालवेंट घोषित किया जावे।

॥ इति शुभम् ॥

पर्यायवाची शब्द सूची

ENGLISH	HINDI	URDU
	A	
Abandonment	स्वत्व विसर्जन	तर्क हक
Abatement	नष्ट हो जाना	सकूत, रफा करना
Abduction	हरण	जबरदस्ती ले भागना
Abetment	अपराधार्थ प्रोत्साहन	तरगीब जुर्म
Abetter / Abettor	प्रोत्साहक	तरगीब कुनिन्दा
Absconder	पलायित, भगोड़ा	फरार, फरार हुआ
Absolute decree	पूर्ण या अन्तिम डिगरी	कतई डिगरी
Abstract	सार	इन्तखाब, खुलासा
Acceptance	स्वीकारी, स्वीकृत अंगीकारी, हुन्डी सिकारना	क़बूल करना, मंजूर करना
Accessory	सहायक, अपराध सहकारी	शरीक जुर्म
Accident	दुर्घटना	हादसा, वाक़या
Accomplice	सह अपराधी	शरीक जुर्म
Account, Action of	हिसाब देने का आवेदन	नालिश हिसाब फहमी
„ Rendition of	हिसाब देना	„
Accused	अभियुक्त	मुलजिम
Acknowledgment	स्वीकृति	इक़बाल
Acquiescence	सहमति, मौन सम्मति	तसलीम बिल सकूत रज़ा
Acquit	मुक्त करना	रिहा करना, बरी करना
Act of indemnity	न्याय विरुद्ध कार्य	इफ़आल खिलाफ कानून
„ of bankruptcy	देवालिया होने का कार्य	इफ़आल जिनसे देवालिया होने का सबूत हो
Actionable	अभियोग्य, वाद-योग्य	काबिल इजराये नालिश
„ claim	अभियोग्य, वाद, वादयोग्य स्वत्व	दावा काबिल नालिश
Adhesive	चिपकाने वाला	चस्पादनी
Adjective Law	पूरक नियम	कानून ज़ाब्ता

Adjourned hearing	स्थगित सुनवाई	मुलतवी शुदा पेशी
Adjudication	निर्णय	फ़ैसला, तजवीज़
Administer-oath	शपथ देना	हलफ़ देना
Administration, Letters of—	प्रबन्धक पत्र	चिट्ठियात एहतमाम
Admission	स्वीकारी, अंगीकारी, स्वीकृति	इक़बाल, इक़रार
Admission of guilt	अपराध स्वीकृति या स्वीकारी अपराध	इक़बाल जुर्म
Adoption	दत्तक ग्रहण, दत्तक विधि	तबनियत
Adult	वयस्क	बालिग़
Adulteration	मिश्रण, मिलावट	मिलावट
Adultery	व्यभिचार	ज़िना, ताल्लुक नाजायज़
Advalorem	मूल्यानुसार	मुताबिक़ मालियत
Adverse possession	विपरीत अधिकार विमुखाधिकार	कब्ज़ा मुख़ालिफ़ाना
Advocate	वकील, बैरिस्टर, अभिभाषक	वकील
Affidavit	शपथ पत्र	बयान हल्फ़ी
Agnate	पितृ सम्बन्धी, कुटुम्बी	यकजद्दी
Agreement	प्रतिज्ञा, ठहराव, समझौता	मुआहिदा इक़रार
Agriculturist	कृषक, किसान	काश्तकार
Aid in execution	प्रवर्तन में सहायता	इमदाद कार्रवाई इजरा
Alias	उपनाम	उर्फ़, उर्फ़ियत
Alibi	अनुपस्थिति	उज्र अदम मौजूदगी
Alien	विदेशी	ग़ैर मुल्क का
Alimony	पति की आय या सम्पत्ति का भाग जो विवाह विच्छेद होने पर पत्नी को दिलाया जावे	
Aliunde	अन्य प्रकार से	दूसरी तरह से
Allege	आरोपण करना	बयान या इज़हार करना
Allegations of fact	घटना सम्बन्धी आरोपण या वर्णन	बयानात मुताल्लिक़ वाक़ा
Allowance	भत्ता, वृत्ति	वज़ीफ़ा, भत्ता
Alternative plea	विकल्प विरोध	उज्र बतौर बदल
Ambiguity	अस्पष्टता	इबहाम, इश्तबा
Amendment	संशोधन	तरमीम इस्लाह
Ancesto-	पूर्वज	मूरिस

Ancestral property	पैत्रिक सम्पत्ति	जायदाद मौरूसी
Annuity	वार्षिक वृति	सालाना वजीफा
Anomolous	अनियमित, असगत	मोहमिल बेजाता
,, mortgage	अनियमित आड़	रहन बेजाता
Antecedent debts	पूर्ववर्ती ऋण	कर्जा माक़ब्ल
Aposteriori	वह घटनायें जिनसे भविष्य का फल निकाला जा सके	वाक़यात मअनी नतीजा आइन्दा
Appeal	विवाद, अपील, प्रेरणा	इल्तज़ा, दरख्वास्त इन्साफ
,, Cross	प्रति प्रेरणा	अपील मुखालिफाना
,, Grounds of	विवादाधार अपील	मूज़बात-ए-अपील
Appellant	विवादी, अपीलान्ट	अपील करने वाला
Appendix	परिशिष्ट	ज़मीमा, तितम्मा
Application	प्रार्थना पत्र, आवेदन	दरख्वास्त, अर्ज़ी
Apportionment	यथा योग्य विभाजन	तकसीम ब-हिस्सा मुनासिब
Approver	साक्षी भेदी	गवाह सरकारी
Appurtenance	भूमि सम्बन्धित स्वत्व	आराज़ी मुताल्लिका
Apriori	घटित घटनाओं से फल निकालना	नतीज़ा वाक्यात मफ़रूत
Arbiter / Arbitrator	पंच, मध्यस्थ	सालिस
Arbitration	पचायत	सालिसी
Area	क्षेत्र	रक़बा
Argument	तर्क, प्रति पादन	दलील, बहस, हुज्जत
Arrest	गिरफ्तारी	हिरासत,
Arson	गृहदाह, आग लगाना	आतिशज़नी
Article	धारा, पद	मद, दफा
,, of Association	संघ या कम्पनी के नियम	क़वायद कायम होने कम्पनी
Ascendants	पूर्वज गण	आबो अजदाद
Assault	आक्रमण, मारपीट	हमला, मारपीट
Assets	सम्पत्ति, पूंजी	सरमाया, तर्का
,, personal	निजी सामान	असबाब, जायदाद मनकूला
,, real	अचल संपत्ति	जायदाद गैर मनकूला

Assign	अर्पित करना	मुन्तकिल या सुपुर्द करना
Assumpsit	प्रतिज्ञा भंग होने पर हानि का दावा	नालिश हर्जा विनाय मुआहिदा
Attachment	आसेध, कुर्की	कुर्की या गिरफ्तारी
,, Liable to	आसेध योग्य	काबिल ए-कुर्की
,, under	आसेध युक्त	जेर कुर्की
Attest	प्रमाणित करना, पुष्टि करना	तसदीक करना, गवाही
Attester } Attestor }	प्रमाणितकर्ता पुष्टि ,,	तसदीक कुनिन्दा
Auction	नीलाम, घोष विक्रय	नीलाम
,, purchaser	घोष क्रेता	खरीदार नीलाम
Award	(१) पंच निर्णय (२) दंड देना, निर्णय करना	(१) तसफिया या फैसला सालिसी (२) हुक्म सजा तजवीज

B

Bail	प्रतिरक्षण	जमानत
,, Admit to	प्रतिरक्षण स्वीकार करना	जमानत पर रिहा करना जमानत होना
Bail bond	प्रतिरक्षण पत्र, प्रतिभूपत्र	जमानतनामा
Bailable offence	प्रतिरक्षण योग्य अपराध	जुर्म काबिल जमानत
Balance-sheet	चिट्ठा, वार्षिक हिसाब	वासिल वाकी
Bankruptcy,	देवालिया पन	देवालिया होना
Barred by limitation	अवधि वाधित	तमादी पजीर
Beneficiary	लाभ स्वत्वाधिकारी पुरुष	शख्स मुस्तहक इस्तफ़ादा
Bequest	दान, निष्ठा, उत्तर दान	वसीयत, हिबा
,, conditional	प्रतिबन्ध दान	हिबा शर्तिया
Bigamy	स्त्री या पुरुष के होते हुये दूसरा विवाह कर लेना, द्विविवाह-प्रथा	शौहर या बीबी के जीते होते हुए दूसरी शादी करना
Bill of exchange	हुन्डी	हुन्डी या दस्तावेज़ तहरीरी वएवज़ रुपया

Bill To accept a	हुन्डी सिकारना	हुन्डवी कबूल करना
,, payable to bearer	धनी जोग हुन्डी	हुन्डवी वाजिबुल अदा हासिल
,, payable to banker	शाह जोग हुन्डी	हुन्डवी काबिल अदायगी महाजन
,, payable after date	मिति पूजे की हुन्डी	मियादी हुन्डवी
,, payable at sight or demand	दर्शनी हुन्डी	पहुँचे दाम की हुन्डी
,, Duplicate	दोपरती हुन्डी	दो परत वाली हुन्डवी
Board of Revenue	उच्चतम राजस्व न्यायालय माल की प्रमुख अदालत	हुक्काम आली सीगा माल
Bodily injury	शारीरिक क्षति, आघात	ज़रर जिस्मानी
Bonafide	सद्भाव	हक़ीकी; ठीक नीयत से
Bond	टीप, तमस्सुक	दस्तावेज़, वसीका
Breach of contract ,, of covenant	प्रतिज्ञा भंग, अनुबन्ध भंग	खिलाफ वर्जी मुआहिदा
Brief	(१) संक्षिप्त, सक्षेप (२) मुकदमें की मिसिल	(१) मुख़तसर (२) याददाश्त मुकदमा
Burden of Proof	प्रमाण भार	बार सबूत
By-law	उपनियम	कानून जैली कवायद

C

Calumny	मिथ्या आरोपण	झूठा इतहाम
Cancellation	खडन, निरसन	तन्सीख़ इनफ़िसाक़
Capital punishment	मृत्युदंड	सज़ाये मौत
Cart Blanche	हस्ताक्षरयुक्त कोरा काग़ज़	दस्तखती सादा कागज
Case, Cause	अभियोग, दावा, वाद	मुकदमा निजा नालिश
Cause mortes	मृत्यु का कारण	मर्ज-उल मौत बिनाय दावा,
Cause of action	व्यवहार कारण, वाद उत्पन्न होने का कारण	बिनाय मुखासमत
Cause title	वाद शीर्षक, सिरनामा	सिरनामा मुकदमा
Cause list	अभियोग सूची, वाद सूची	फेहरिस्त मुकदमा

Certificate	प्रमाण पत्र	सनद, सर्टीफिकेट
Cestui qui trust	हिताधिकारी	जिसके लिये अमानत की गई हो
Chapter	अध्याय	बाब
Charge	दोष	इलजाम
Charitable endowments	पुण्यार्थदान	वक्फ
Chronological order	कालानुक्रम	बतरतीब तारीख
Circumstantial evidence	वृत्तान्त घटित प्रमाण, स्थिति विषय में प्रमाण	शहादत करायन बदालात
Claim	वाद, स्वत्व प्रतिपादन	दावा
Clerical error	लिपि दोष, लेखन दोष	लिखने की गलती
Client	आसामी, व्यवहरिया	मुवक्किल
Clog on the equity of redemption	बधक मोचक में प्रतिबंध	फक्क करने में रुकावट
Code, Civil Procedure	व्यवहार विधि-संग्रह अर्थ-विधान-सग्रह	मजमुआ जाता दीवानी
Code, Cr. Procedure	दंड विधि सग्रह	मज़मूआ ज़ाब्ता फौजदारी
Codicil	उत्तरदानपत्र का परिशिष्ट	तितम्मा वसीयत नामा
Cognizable offence	हस्तक्षेप योग्य अपराध	जुर्म काबिल दस्तन्दाज़ी
Collateral	सगोत्र	एक ही वंश की सन्तान
Commensality	सह भोजित्व	एक में खाने पीने के ज़रिये साझा
Committing Magistrate	प्रेषक दडाधिकारी	मजिस्ट्रेट सुपुर्द कुनिन्दा
Composition-deed	सधिपत्र	तस्फ़ियानामा
Compromise	समझौता	सुलहनामा
Condonation	क्षमा	मुआफी
Confession	अपराध स्वीकृति	इकबाल जुर्म
Confidential	गुप्त	पोशीदा
Conjugal rights	दाम्पत्य अधिकार	शोहर व जौजा के हक़ूक़
Consanguity	सगोत्रता	करावत
Consideration	पलटा, प्रतिफल	बदल, मुआवज़ा
Consignee	प्राप्तकर्ता	जिसको माल भेजा जाय

Consignor	प्रेषक	भेजने वाला
Conspiracy	षड्यन्त्र	साजिश

D

Damages	क्षति	हर्जा
Dangerous weapon	सङ्कटकारी शस्त्र अपायकारक शस्त्र	खतरनाक आला
Days of grace	अनुग्रहीत अवधि	अय्याम रियायती
Deadly weapon	घातक शस्त्र	मोह्लिक आला
Death illness	प्राण नाशक रोग	मर्जु़ल मौत
Death sentence	प्राण दंड	सजाय मौत
Debutter property	देवस्थानी सम्पत्ति	जायदाद जो किसी देवता को वक्फ हो
Deceased	मृत व्यक्ति	मुतफ्फी
Decision	निर्णय	फैसला
Declaratory Suit	अधिकार स्थापक-अभियोग	दावा इस्तकरारिया
Decree	स्वत्व निर्णय, न्याय पत्र	बाजाब्ता इजहार फैसले का
Decree holder	न्यायपत्र धारी	डिगरीदार
Dedication	पुण्यार्थदान	वक्फ
Deed	प्रमाणपत्र, लेख्यपत्र	दस्तावेज
De facto guardian	वास्तविक अभिभावक	सरपरस्त वाकई
Defamation	मान हानि	तौहीन
Default	त्रुटि	कसूर
Defence	उत्तर, प्रतिवाद	जवाब देही
Defendant	प्रति वादी	मुद्दाअलेह
Deferred dower	अप्रस्तुत स्त्री शुल्क	महर मुवज्जल
Definitive judgement	अंतिम निर्णय	नातिक फैसला
Delivery of possession	अधिकारार्पण	हवालगी कब्ज़ा
Demarcation	सीमा निर्धारण	हद कायम करना
De novo	पुनः आरम्भ से	अजसरे नौ
Departmental inquiry	वैभागिक अनुसन्धान	जाँच अज जानिब महकमा
Deposition	कथन, साक्ष्य	इजहार
Descendant	वंशज	औलाद

Desertion	पलायन, त्याग	फरारी
Devolve	हस्तान्तरित होना	एक से दूसरे के पास पहुँचना
Dilatory plea	अभियोग निर्णय में विलम्ब वाला कारणोत्तर, विलम्बकारी कारणोत्तर	उज्र जो बायस तवक्कुफ मुकदमा हो
Disclaimer	अधिकार अस्वीकृति	इनकार दावे से
Discontinuous easement	अनविरत सुखाधिकार	हक इस्तेफादा गैर मुसलसल
Discretionary power	विवेकाधीन अधिकार	इख्तियार तमीज़
Dishonest misappropriation of property	बेजा कुटिलता से सम्पत्ति का दुरुपयोग	बददयानती से माल का तसर्रुफ
Dishonour	अपमानित करना	बेइज्जत करना
Dismiss	निरसन करना, विसर्जित करना	बरखास्त करना, खारिज करना
Dismissal for default	अनुपस्थिति या अवहेलना के कारण निरसन	इखराजी बअदम हाज़िरी
Dispauper	निर्धनता अस्वीकार करना	मुफलिसी ना मंजूर करना
Dispossession	अधिकार हरण	बेदखली
Disprove	असत्य सिद्ध करना	तरदीद करना
Dissolution of marriage	विवाह विच्छेद	इनफिसाख, तलाक़
Dissolution of partnership	सहकारिता भङ्ग, साझा टूटना	इनफिसाख शिरकत
Distant-kindered	दूरस्थ सम्बन्धी, बान्धव	रिश्तेदारान
District Judge's court.	मंडल न्यायाधिकारी का न्यायालय	ज़िला जज की अदालत
District Magistrate	दंड मण्डलाधिकारी	मजिस्ट्रेट ज़िला
Division bench	न्याय उपमंडल	चन्द हाकिमों की बैंच
Divorce Act	विवाह विच्छेद विधान	क़ानून तलाक़
Document	लेख्य पत्र	दस्तावेज़
Documentary evidence	लेख्य साक्ष्य	शहादत तहरीरी
Dominant heritage	प्रमुख अधिपत्य	हक़ीयत ग़ालिब

Donee	दान गृहीता, आदाता	जिसको हिबा किया जाय
Donor	दाता	हिबा करने वाला
Dower	स्त्रीधन	महर, दहेज
Dowry	स्त्रीधन	दहेज
Draft	प्राथमिक लेख, पाडुलिपि	मुसव्विदा, खाका
Duly stamped	उचित शुल्क युक्त	बाज़ाब्ता स्टाम्प शुदा
Duplicate	द्वितीय प्रति	मुसन्ना
Duress	बन्धन	कैद
Dying declaration	मृत्यु कालीन कथन	शख्स करीबुलमर्ग का बयान

E

Earnest money	सत्यकार, अग्रिम द्रव्य	जेर बयाना, जरे पेशगी साई
Earnings	उपार्जन, आय	आमदनी, कमाई
Easement	सुखाधिकार, व्यवहार-स्वत्व	हक आसायश
Easement of necessity	आवश्यक सुखाधिकार	हक आसायश ज़रूरी
Easement Act	सुखाधिकार विधान	कानून हक आसायश
Egress	निर्गमन, बहिर्गमन	बरामद, निकास
Eject	अधिकारच्युत करना, निष्कासन करना	बेदखल करना, निकाल देना
Ejectment	निष्कासन	बेदखली, कब्जा हटाया जाना,
Election	निर्वाचन	इन्तखाब, चुनाव
Election petition	निर्वाचन-अभियेाग	दरख्वास्त शिकायत मुतअल्लिक इन्तखाब
Electorate	निर्वाचक जन	इन्तखाब कुनिन्दगान
Elopement	विवाहिता स्त्री का पर पुरुष के साथ भाग जाना, गुप्त पलायन	विवाहित औरत का दूसरे आदमी के साथ राजी हेा कर छिप कर भाग जाना
Embezzlement	प्रमन्नण, धरोहर को अनुचित रूप से अपने काम में लाना, न्यास-ग्रसन	ख्यानत, गबन,

Empanel	पचों की सूची में नाम चढ़ाना	जूरी का नाम फेहरिस्त में दर्ज करना
Empower	अधिकार देना	इख्त्यार देना
Enactment	विधान, व्यवस्थापन	आईन, क़ानून, ऐक्ट बनाना
Encroach	अतिक्रमण करना, अनधिकार प्रवेश करना	मदाखलत करना, दस्त-दराज़ी करना, दूसरे का हक़ दबा लेना
Encroachment	अनधिकार प्रवेश, अति-क्रमण, अनधिकार हस्तक्षेप	मदाखलत, दस्तदराज़ी
Encumbrance	भार	मुवाखज़ा, बार
Endorsement	पृष्ठ पर हस्ताक्षर या लेख, उत्तरोपरि लेख	इबारत ज़ुहरी, तहरीर ज़ुहरी
Endowment	विशेष कार्यार्थ नियोजित सम्पत्ति, दान	खास गरज़ के लिये दी हुई जायदाद, वक़्फ़
Enforce	प्रचलित करना, प्रवर्तित	नाफ़िज़ या जारी करना
English mortgage	आंग्ल बन्धक	रहन इंग्लिशिया, रहन अंग्रेज़ी
Enhancement	बढ़ोतरी, वृद्धि	इज़ाफ़ा
Entice	प्रलोभन देना, पथ भ्रष्ट करना	तरगीब देना, फुसलाना, बहकाना
Equitable mortgage	स्वत्व-लेखाधान द्वारा बन्धक	रहन बज़रिये दास्तावेज़ात हक़्क़ियत
Equity	स्वाभाविक न्याय, प्राकृतिक न्याय, न्याय नीति	अदल, इन्साफ़
Equity, justice and good conscience	न्यायधर्म तथा सदाचार (के अनुकूल)	(मुताबिक उसूल) अदल इन्साफ व नेकनियती
Equity of redemption	बन्धक मोचनाधिकार	हक़ इनफिकाक, रहन की हुई जायदाद को छुड़ाने का हक़
Estate with limited interest	परिमिताधिकार युक्त सम्पत्ति	जायदाद बइस्तहक़ाक़ महदूद
Estoppel	पूर्व कथन के विरुद्ध कहने की रोक, प्रतिबन्ध	माने तक़रीर मुखालिफ़

Evidence	साक्ष्य, प्रमाण	शहादत, सबूत
Evidence Act	साक्ष्य विधान	क़ानून शहादत
Examination in chief.	साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले पक्ष के प्रश्न, साक्ष्यार्थी प्रश्न	सवाल फरीक़ अव्वल, शहादत पेश करने वाले के सवाल
Exception	छूट, अपवाद	मुस्तसना, इस्तसना
Excise	१—मादक-द्रव्य-शुल्क २—मादक-द्रव्य-विभाग	१—मुनश्शी अशियाय का महसूल, २—महकमा जानकारी
Excommunication	जाति से बाहर करना, बहिष्कार, समाज च्युति	जात से खारिज करना
Execute	१—निर्वाह, सम्पादन करना २—फासी देना	तक़मील करना, बजा लाना
Execution	१—निर्वाह, सम्पादन २—प्राण-दण्ड	१—इजरा, तकमील, २—फासी
Exhibit	१—प्रदर्शित वस्तु, प्रादश्य २—प्रदर्शित करना, प्रकट करना	१—दस्तावेज या कोई शय जो अदालत में पेश हो २—निशान, निशानी
Exile	देश निकाला, निर्वासन	ज़लावतन
Ex-officio	अधिकारतः, अधिकार जन्य	ब ऐतबार ओहदा
Ex-parte	एक पक्षीय	यकतरफ़ा
Exparte decree	एक पक्षीय स्वत्व निर्णय	यकतरफा डिक्री
Expert evidence	विशेषज्ञ का साक्ष्य	माहिर की शहादत
Explanation	१—व्याख्या २—उत्तर	१—तौज़ीह, तशरीह, २—जवाब
Exproprietory	स्वामित्व-च्युत	साक़ितुल्मिल्कियत
Exproprietary tenant	स्वामित्व-च्युत कृषक	आसामी साक़िुल्मिल्कियत
Extention of time	काल वृद्धि	तौसीह मियाद
Extortion	बलात ग्रहण	इस्तैहसाल बिलजब्र
Extra judicial	विधि बाह्य, अधिकार बहिर्भूत, व्यवस्था विरुद्ध	खारिज़ अज़ जाब्ता. बेक़ायदा
Eye-witness	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी	गवाह चश्मदीद

F

Fabricating false evidence	कूट प्रमाण निर्माण करना, कपट साक्षी करण	झूठी शहादत बनाना
Fact	घटना, विषय	अम्र, वाक्या, बात
Fact in issue	वाद ग्रस्त विषय, वाद विषय, वाद हेतु विषय	वाक़आ तनक़ीह तलब
Factum Valet	असगत कार्य प्रतिवादन	जवाब अम्र मौक़ूआ
False accusation	मिथ्या दोषारोपण,	झूठा इलज़ाम लगाना
False evidence	परोक्ष दोष, मिथ्या साक्ष	झूठी गवाही
False imprisonment	अवैध कारावन्द	कैद बिला अख्त्यार क़ानूनी के
False personation	कपट रूप धारण करना	गैर शख्स बनना
Falsification of account	झूठा लेख बनाना	झूठा हिसाब बनाना
Federal government	संयुक्त राज्य, सघ शासन	सल्तनत मुत्तहिदा
Felony	गुरु तर अपराध, भारी अपराध	जुर्म कबीरा
Fictitious	काल्पनिक,	फर्ज़ी
Fiduciary relation	न्याय सम्बन्ध	ताल्लुक अमानती
Final decree	अन्तिम स्वत्व निर्णय	डिक्री क़तई
Foreclosure	बन्धक-मोचनाधिकार-लोपन	सकूत इस्तहक़ाक इनफिकाक रहन, रहन छुडाने का हक ज़ायल होना
Foreign judgment	परराष्ट्र निर्णय	तजवीज़ रियासत गैर
Forfeiture	अधिकार हरण, अपहार, राज्य द्वारा अपहरण	जब्ती
Forged document	कूट लेख	जाली दस्तावेज़
Forgery	कूट रचना, कपट परिवर्तन	जालसाज़ी
Frame of suit	वाद-रचना	तरतीब नालिश
Framing of charge	दोषपत्र निर्माण करना	फर्दक़रारदादजुर्म लगाना
Framing of Issues	वाद विषय निर्णय, निर्णय योग्य विषय विभाजन	तनकीहात कायम करना
Fraud	प्रतारण, कपट	फरेब, चालबाज़ी

Freehold	करहीन भूमि, निष्कर भूमि	जागीर, मुआफी
Frivolous and Vexatious complaint	मिथ्या तथा असहेतु अभियोग	नालिश बगरज़ ईजा रसानी
Full bench	पूर्ण न्याय मंडल	इजलास कामिल

G

Gamb'ing Act	द्यूत विधान,	क़ानून किमार बाज़ी
Garnishee	ऋणी का ऋणी	मदयून का मदयून
Gema'ogy	वंशावली, वंश वृक्ष	शिजराउल नसब, पुश्तनामा
General Clauses Act	बहु प्रयुक्त वाक्य विधान, साधारण वाक्यांश विधान	कानून इबारत आला
General power of attorney	अनेक विषयाधिकार पत्र सर्वाधिकार पत्र	मुख्तार नामा आम
Generation	वंश, पीढ़ी	पुश्त
Gift	दान	शयमौहूबा, हिबा
Giving false evidence	मिथ्या साक्ष्य देना	झूठी गवाही देना
Goodbehaviour	सदाचार, सद्व्यवहार	नेकचलनी
Good consideration	योग्य प्रतिफल	बदल जायज़
Good faith	सद्भावना,	नेकनियती
Goodwill	ख्याति	नेकनामी, साख
Government of India Act	भारतीय शासन विधान	कानून हुकूमत हिन्द
Government plader	राजकीय अभिभाषक	सरकारी वकील
Grant	१—वृत्ति २—दान-पत्र, ३—प्रदान करना	१—अतीया, इमदाद नकदी २—सनद ३—देना
Gratuity	अवसर-काल-प्राप्त-पारितोषिक	इनाम
Grave and sudden provocation	अत्यन्त आकस्मिक क्रोधावेश	सख्त बनागहानी इश्तआल तबा
Grievous hurt	कठोराघात	ज़रब शदीद
Gross negligence	घोर असावधानी, भारी प्रमाद	गफ़लत शदीद

Grounds of appeal	विवादाधार	मूजबात अपील
Grove-holder	उपवनाधिकारी	काबिज बाग, बागदार
Guarantee, Guaranty	प्रतिभू	जमानत
Guardian ad litem	अभियोगार्थ अभिभावक वादार्थ अभिभावक	वली दौरान मुक़दमा
Guilty	दोषी, अपराधी	मुजरिम, कसूरवार

H

Harbouring offenders	अपराधी को आश्रय देना	पनाहदिही मुजरिमान
Hearsay evidence	जनश्रुति-साक्ष्य	शहादत-समाई
Heirs-at-law	विधिविहित उत्तराधिकारी	वारिस क़ानूनी
Hereditary	पैतृक, आनुवंशिक, परम्परागत	मौरूसी
Heresy	१—धार्मिक मतभेद, २—मतविरुद्धता	१—मजहब की उसूली गलती २—दीन से गुमराही
High Court	सर्वोच्च न्यायालय	सदर अदालत, हाईकोर्ट
Hire-purchase-system	निश्चित अंशों में मूल्य लेकर विक्रय-रीति	तरीका फरोख्तगी माल बज़रिये किराया
Homicide	नर हत्या, मनुष्य वध	क़त्ल इन्सान
Honorary Magistrate	अवैतनिक दंड-न्यायाधीश	आनरेरी मजिस्ट्रेट
Hostile witness	विरुद्ध साक्षी	मुखालिफ गवाह
House search	गृह अन्वेषण	खाना तलाशी
House trespass	अनधिकार गृहप्रवेश	मदाखिलत बेजा बखाना
Hypothecation	गिरवी, बन्धक	इस्तगराक़

I

Identification	अभेद-प्रतिपादन, चिन्हत-करण	शिनाख्त, पहिचान
Ignorance of law	विधान-अज्ञता	उज्र नावाक़फियत क़ानूनी
Illegal	न्याय विरुद्ध, अवैध	नाजायज, खिलाफ क़ानून
Illegitimate	१—जारज, २—अवैध	गैर सहीउल नस्ल, नाजायज़
Illicit intercourse	अवैध संसर्ग, अगम्यागमन	जिमाअ नाज़ायज

Immaterial	अनावश्यक, महत्वहीन	गैर अहम
Immemorial usage	स्मरणातीत आचार	रिवाज कदीम
Immoral purpose	अनैतिक हेतु, अशिष्ट उद्देश्य	गरज खिलाफ तहज़ीब
Immovable property	स्थावर सम्पत्ति	जायदाद गैर मनकूला
Implead	अभियोग चलाना	इस्तगासा या नालिश करना
Implied	मानवी, उपलक्षित, गर्भित	मतलब
Impound a document	संशयात्मक लेख का न्यायालय में निरुद्ध रखना	दस्तावेज का अदालत की तहवील में रखना
Imprisonment	कारागार, कारावास	कैद, हब्स, जेल-खाना
Impugn	प्रतिवाद करना विरोध करना	तरदीद करना
Incapacity	असामर्थ्य, अक्षमता	नाकाबलियत
Income-Tax	आयकर	महसूल आमदनी
Indefeasible	जो मिटाया न जा सके, अलोपनीय	नाकाबिल इनफिसाख व ज़वाल
Indemnity bond	क्षतिपूर्तिपत्र, पारिहीणिकपत्र	अबरानामा, जोखम-नामा
Indian Penal Code	भारतीय दंड संग्रह, भारतीय दंड विधान	मजमुआ ताजीरात हिन्द
Inequitable	न्यायविरुद्ध	खिलाफ मादलत, खिलाफ इन्साफ
Infringement of right	स्वत्व या अधिकार में हस्तक्षेप करना	किसी के हक में दस्तन्दाज़ी करना
Ingress	पैठ, प्रवेश	रसाई, बारयाबी, दाखिल होना
Inherent powers	स्वाभाविक अधिकार, अन्तवर्ती अधिकार	इख्त्यारात लाहक़
Inheritable	उत्तराधिकारोपभोग्य	क़ाबिल इर्स
Inequity	अन्याय	बेइन्साफी
Injunction	निषेधाज्ञा	हुक्म इम्तनाई
Injustice	अन्याय	बेइन्साफी
Innuendo	वक्रोक्ति	फिकरा तौहीनी
Inquest	अन्वेषण	तहकीकात अदालती
Inquiry	अन्वेषण, निरूपण, समीक्षा	तहकीकात

Insolvency Act	ऋण परिशोध-विधान	कानून देवालिया
Instigator	उकसाने वाला, उत्तेजक	तरगीब देने वाला, बहकाने वाला
Intercourse	१—संसर्ग, समागम, २—सम्मिलन, पारस्परिक सम्बन्ध, ३—पत्र व्यवहार	१ हमबिस्तरी २—राहरस्म, मुलाकात, मेलजोल, ३—मरासलत बाहमी
Interim order	मध्यवर्ती आज्ञा	हुक्म दरमयानी
Interpleader suit	अनेक प्रतिवादियों के पारस्परिक विरोध-निर्णय सम्बन्धी वाद	नालिश तरिफया बैन उल मुतनाज़ईन
Investigate	खोजना, अनुसंधान करना	तफ्तीश करना, जाँचना
Ipso facto	स्वभाव सिद्ध, स्वयमेव	बनफ्सही, अपने आप
Irrelevant facts	असम्बध बातें, अप्रासंगिक विषय	वक़आत गैर मुताल्लका
Irrevocable	अपरिवर्तन, अखंडनीय वाद	नाकाबिल तनसीख़ या तरदीद
Issue	विषय, वादग्रस्त विषय, विचार्य्य विषय	तनकीह अस्रतनकीह तलब,

J

Joinder of causes	अनेक अभियोग, वाद योग्य विषयों को सम्मिलित करना	इस्तमाल बिनाय दाय
Joinder of charges	दोष-एकत्रीकरण	इल्जामात का शमूल
Joint family property	संयुक्त कुटुम्ब सम्पत्ति	जायदाद खानदान मुश्तरका
Joint ownership	संयुक्त स्वामित्व	मिलकियत मुश्तरका
Judge	न्यायाधीश, निर्णायक	जज, मुंसिफ, हाकिम अदालत
Judgment	निर्णय	तजवीज, फैसला
Judgment-creditor	न्याय-पत्रधारक, स्वत्व निर्णय-प्राप्त कर्ता	डिक्रीदार
Judgment debtor	निर्णीत ऋणी	मदयून डिक्री
Judicial enquiry	न्यायालय सम्बन्धी अन्वेषण	तहकीकात अदालती
Judicial proceeding	न्यायालय कार्यवाही	कार्रवाई अदालती

Jurisdiction	अधिकार क्षेत्र, अधिकार सीमा	इलाका अख्त्यार समात, अख्त्यार समात
Jury	पञ्च, पञ्चमंडल, न्यायाधीश के परामर्शदाता, न्याय सभ्य	मुशीर
Justice, equity and good conscience	न्यायधर्म तथा सदाचार (के अनुकूल)	(मुताबिक उसूल) अदल इन्साफ व नेकनीयती

K

Keeping the peace	शान्ति रखना	अमन कायम रखना
Kidnapping	मनुष्यापहरण, मनुष्यापनयन	इन्सान को ले भागना
Kindered	सम्बन्धी, सगोत्र, आत्मीय	रिश्तेदार, नातेदार

L

Laches	अनुचित विलम्ब, असावधानी अवहेलना, उपेक्षा	तसाहुल, गफलत, बेपरवाही
Land Acquisition Act	भूप्राप्ति विधान	कानून हुसूल आराज़ी
Landholder, Landlord	क्षेत्रपति, भूस्वामी	ज़मीदार
Land tenure	जोत-स्वत्व-पद्धति, कर्षण अधिकार	तरीक़ा कब्जा जायदाद
Larceny	चोरी स्तेय	सिरक़ा
Latent ambiguity	निगूढ संदिग्धार्थ	इबहाम खफी
Law	नियम, विधान, राजनियम	आईन, कानून
Law report	न्याय समाचार-पत्र, न्यायोदाहरण पत्रिका	नज़ायर क़ानूनी
Lawful	न्याय संगत, वैध, विधिविहित, शास्त्रविहित	जायज कानून के मुताबिक
Lawyer	न्यायज्ञ, अभिभाषक, न्यायशास्त्रज, विधिवक्ता	कानूनदाँ. वकील, कानून जानने वाला
Leading question	उत्तर सूचक प्रश्न, सांकेतिक प्रश्न	सवाल मवस्सुल मक़सूद, इशारा आमेज़ सवाल
Lease	ठेका, पट्टा	इजारा
Legal disability	वैधानिक अक्षमता, अयोग्यता	कानूनी नाक़ाबलियत
Legal necessity	वैधानिक आवश्यकता, न्यायोचित आवश्यकता	जरूरत कानूनी

Legal Practitioner's Act	अभिभाषक विधान	कानून अशखास-क़ानून-पेशा
Legal representative	न्यायोक्त प्रतिनिधि	क़ायम मुक़ाम कानूनी
Legatee	मृत्युपत्र हिताधिकारी, उत्तराधिकारी	मोहूबइलेह वसीयती
Legislation	नीतिस्थापन, व्यवस्था निर्माण	कानूनसाजी, कानून बनाना
Legislature	व्यवस्थापिका सभा	मजलिस वाज आन कानून कानून बनाने वाली जमात
Legitimate	१-न्याय्य, विधि-अनुसार,	१-मुताबिक उसूल कानून, जायज
	२-उचित,	२-वाजिब, मुनासिब
	३-औरस वास्तविक	३-सदी उलनस्ब,
Lessee	पट्टाधारी, अधिकारवाहक	इजारेदार, ठेकेदार, पट्टादार
Lessor	पट्टादाता, अधिकारदाता	इजारादेहिन्दा, ठेका देहिन्दा
Letters of administration	मृतक-सम्पत्ति प्रबन्ध, प्रबन्धक पत्र	चिट्ठियात एहतमामतर्का
Letters patent	राजकीय लेख, राजकीय आज्ञापत्र	फरमानशाही, सनद
Liability	दायित्व, उत्तरदायित्व	जिम्मेदारी
Libel	१-निन्दात्मकलेख, २-निन्दा	१-तौहीन तहरीरी २-तौहीन
License, Licence	१-अनुमतिपत्र	१-इजाजत, सनद २-इजाज़त नामा, सनद
Lien	विशेष अधिकार, वाञ्छित स्वत्वपूर्ण होने तक अधिकार	हककिफालत
Life estate	आजीवन स्वामित्व	मिल्कियत जो किसी के जिन्दगी तक रहे
Limitation	समयावधि, मर्य्यादा, सीमा, प्रतिबन्ध	मियाद, कैद
Limitation Act	अवधि विधान	कानून मियाद
Limited Company	संघ जिसमें उत्तरदायित्व परिमित हों	महदूद ज़िम्मेदारी की कम्पनी
Limited interest	सीमित स्वत्व	इस्तहक़ाक महदूद

Limited owner	परिमित अधिकार युक्त स्वामी, परिमित स्वामी	मालिक बहक़ूक़ महदूद
Liquidator	ऋणपरिशोध प्रबन्धक, परिसमापक पदाधिकारी	वह ओहदेदार जो हिसाब तय करने के लिये मुकर्रर हो, क़र्ज़ा चुकाने वाला ओहदेदार
Litigation	अभियोग, वाद विवाद	मुक़दमाबाज़ी
Local custom	स्थानीय रीति, देशाचार	रिवाज मुक़ामी
Local Government	स्थानीय शासन	मुक़ामी गवर्नमेन्ट
Local usage	देशाचार	रिवाज मुक़ामी
Locus standi	हस्तक्षेप अधिकार,	ऐतराज़ करने का हक़
Lower Court	निम्नस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय	अदालत मातहत
Lunatic	उन्मत्त, विक्षिप्त	दीवाना, पागल
Lurking house trespass	गुप्तरीति से अनुचित गृहप्रवेश चौर्य प्रवेश	मख़फ़ी मदाख़लतबेजा ख़ाना

M

Magistrate	दण्डन्यायाधीश, दंडनायक पुरशासक	मजिस्ट्रेट
Maintenance	१—भरण पोषण, अभियोग प्रतिपादन २—असम्बद्ध	१—परवरिश, वज़ीफ़ा, नाननफ़क़ा का गुज़ारा २—गैर ताल्लुक मुक़दमे को चलाना
Major	युवा, पूर्ण वयस्क, सज्ञान	बालिग
Majority	१—सज्ञानता, पूर्ण वयस्कता युवावस्था २—बहुमत	१—सिने बलूग़, २—कसरत राय
Maladministration	कुशासन	बदनज़मी, बदइन्तज़ामी
Malafide	दुर्भावपूर्वक प्रवञ्चना-पूर्वक	बदनियती से
Malice	द्वेष, वैमनस्य,	हसद अदावत, कीना, डाह
Malicious prosecution	द्वेषमूलक अभियोग, अभिशासन	इस्तग़ासा बग़रज़ ईज़ारसानी
Manager	प्रबन्धक, कर्ता, व्यवस्थापक	मोहतमिम, मुन्तज़िम
Mandamus	उच्च न्यायालय का आदेश, नियोग	हुक्म नामा

Mortgagee	गिरो रखने वाला, बन्धक ग्रहीता	मुर्तहिन जिसके पास गिरवी रखा जाय
Mortgagor	बन्धक करने वाला, बन्धक दाता	राहिन, गिरौ करने वाला
Movable property	अस्थावर सम्पत्ति, जंगम सम्पत्ति, चल सम्पत्ति,	जायदाद मनक़ूला
Movables	जंगम सम्पत्ति, चल सम्पत्ति	माल मनक़ूला
Multifariousness	अयुक्त सम्मिश्रण, अमित सम्मिश्रण	इस्तमाल बेजा
Murder	हत्या, घात, वध	क़त्ल, अमद, खून
Mutation of names	नामपरिवर्तन, नामान्तर	दाखिल खारिज, तब्दील नाम
Mutual account	पारस्परिक लेखा	हिसाब बाहमी

N

Necessary party	आवश्यक पक्षकार, आवश्यक पक्षव्यक्ति	फरीक लाजमी
Necessity	आवश्यकता	ज़रूरत
Negligence	असावधानी, उपेक्षा, प्रमाद	गफलत, बेपरवाही
Negotiable instrument	क्रय-विक्रय-योग्य पत्र	दस्तावेज़ क़ाबिल बै व शरा ,, ,, खरीद व फरोख्त
Negotiable Instrument Act	क्रय विक्रय योग्य लेखा विधान	कानून दस्तावेज़ात क़ाबिल बै व
Net profit	शुद्ध लाभ	मुनाफा खालिस
Next friend	इष्टमित्र, व्यवहार-प्रतिनिधि	रफ़ीक
Nonapparent easement	अव्यक्त सुखाधिकार, अप्रकट सुखाधिकार	हक इस्तफादाये बातनी
Non appealable	विवाद अयोग्य, अविवादनीय	नाक़ाबिल अपील
Nonbailable offence	अप्रतिभाव्य अपराध	जुर्म नाकाबिल ज़मानत
Noncognizable offence	रक्षक अग्राह्य अपराध हस्तक्षेप-अयोग्य अपराध	जुर्म नाक़ाबिल दस्तन्दाज़ी पुलिस
Nonjoinder of parties	पक्षकार ऐकत्र भाव	अदम इस्तमाल फरीकैन
Not guilty	निर्दोष	बेजुर्म

Notice	१—विज्ञप्ति, सूचनापत्र, विज्ञापन	१—नोटिस, इत्तला, इत्तला नामा
	२—ध्यान	२—तवज्जुह
Nucleus	१—केन्द्र, अन्तर्गर्भ	१—मरकज़, बीच
	२—असली पूंजी मूलांश	२—इन्तदाई सरमाया
Nuisance	दुखदाई, हानिकारक, उपद्रव	अम्र बाइस तकलीफ
Nullity of marriage	विवाह निरर्थकता	इज्दवाज़ कलदम होना

O

Oath	सौगन्ध, शपथ	हलफ, क़सम
Oaths Act	शपथ विधान	क़ानून हलफ
Obiter dictum	विचारक का आप्रासंगिक गत, मरणोत्तर समीक्षा	राय जज निस्बत किसी अम्र के जो मुताल्लिक फैसला मुकदमा न हो
Objection	आक्षेप, आपत्ति	उज्र, एतराज़
Oblation to the dead	पिंडदान	
Obsolete	अप्रचलित, अप्रयुक्त	गैर मुरव्विज
Occupancy right	भोगाधिकार स्वत्व, स्थाई भोगाधिकार	हक़ दखीलकारी
Octroi	नगर प्रवेश-कर, नगर शुल्क	चुंगी
Offence	अपराध	जुर्म
Official assignee	ऋणपरिशोध-प्रबन्धक नियुक्तऋण-शोधक	ओहदेदार सरकारी वास्ते एहतमाम जायदाद दीवालिया
Official liquidator	नियुक्तऋण-शोधक	मुसरिम सरकार
Officiating	स्थानापन्न	कायम मुकाम, ऐवज़ी
Offspring	१—सन्तान	१—औलाद, बालबच्चे
	२—परिणाम, फल	२—नतीजा
Omission	१—भूल, चूक, त्रुटि	१—फरो गुज़ाश्त
	२—तर्क, त्याग	
Onerous bequest	उत्तरदान, जिसमें लाभ की उपेक्षा दायित्व अधिक हो	वसीअत जिसमें जिम्मेदारिया बमुकाबले नफा के ज्यादा हों
Onerous gift	भारात्मक दान, दुर्वहदान	जेरबार करने वाला हिबा
Onus	भार, दायित्व	बार
Opposite party	विपक्षी, उत्तरपक्ष	फरीक़ सानी

	वाचिक, मौखिक	तक़रीरी, ज़ुबानी
Order of adjudication	ऋणशोधन-क्षमता की निर्णय आज्ञा, ऋण-मोचना-शक्ति की आज्ञा.	हुक्म करारदाद देवालिया-दिवाले का हुक्म
Ordinance	समय-विशेष-आवश्यक विधान, सामयिक विधान कल्प, समयादेश	आर्डीनेन्स, कानून मुख्त-सुल वक्त
Ordinary jurisdiction	साधारण अधिकार क्षेत्र	इख्त्यार समात मामूली
Original jurisdiction	मूल-वाद श्रवणाधिकार	इख्त्यार समात इब्तदाई
Ostensible owner	प्रकट स्वामी	मालिके ज़ाहिर
Out law	१—विधान-रक्षण-बाह्य	१—वह शख्स जो कानून की हिफाज़त से खारिज हो
	२—बटमार	२—रहज़न, लुटेरा
Over rule	प्रत्यादेश करना	मुस्तरद करना, मंसूख करना, उलट देना
Overt act	प्रकट कर्म	ज़ाहिरा फेल
Ownership	अधिकार, स्वामित्व	मिल्कियत
Owner's risk	स्वामी की जोखम पर	मालिक की ज़िम्मेदारी पर

P

Panel	पंचसूची, तालिका	फेहरिस्त जूरी
Paragraph	लेखांश, चरण, धारा	फिकरा
Parliament	प्रतिनिध सभा, व्यवस्था-पिका सभा	पार्लयामेन्ट
Parol, Parole	मौखिक प्रतिज्ञा	इक़रार ज़बानी
Parol evidence	मौखिक साक्ष्य	शहादत ज़बानी
Part heard case	श्रुतांश अभियोग	जुज़न समाअत शुदा मुकदमा
Part performance	आंशिक सम्पादन	जुज़न तामील
Partible	विभाज्य	क़ाबिल तक़सीम
Parties to the suit	वाद पक्षकार	फरीकैन मुक़दमा
Partition	बटवारा, विभाजन	तक़सीम
Partner	साझी, सहभागी	हिस्सेदार
Partnership Act	साझा विधान	क़ानून शराकत
Party	पक्षकार, दल	फरीक़

Plea	तर्क, प्रत्युत्तर	उज्र
Pleadings	उत्तर प्रत्युत्तर, पक्ष निवेदन	बयानात फरीकैन
Pledge	बंधक, उपनिधि	गिरवी
Policy	क्षेमपत्र नीति	बीमा
Poll-tax	प्रति व्यक्ति कर	जज़िया, महसूल फी रास
Polyandry	बहुपतित्व	औरत का चन्द शौहर रखना
Polygamy	बहु पत्नीत्व	मर्द का चन्द बीबियाँ रखना
Possession	अधिकार, आधिपत्य	दखल
Post mortem examination	शवपरीक्षा, मृतदेह-परीक्षा	मरने के बाद लाश का मुआयना
Posthumous child	पितृ मरणोत्तर-जात शिशु	बच्चा जो बाप के मरने के बाद पैदा हो
Power of attorney	प्रतिनिधि-पत्र	मुखतारनामा
Prayer for relief	प्रतिकार हेतु प्रार्थना	इस्तदुआ वास्ते दादरसी
Precept	आदेश	फरमान
Pre-emption	पूर्व क्रयाधिकार	हक़ शुफा
Pre-emptor	पूर्व क्रयाधिकारी	शफी
Preliminary decree	प्रारम्भिक न्यायपत्र	डिग्री इब्तिदाई
Preliminary enquiry	प्राथमिक अन्वेषण	तहक़ीकात इब्तिदाई
Preliminary objection	प्राथमिक आपत्ति	इब्तिदाई उज्र
Premature	अकालज, कच्चा	क़ब्ल अज़ वक्त
Prescriptive right	बहुकाल भोग जनित स्वत्वाधिकार	हक़ जो बवजह क़दामत या शुदामद के हासिल हो
Presumption	अनुमान, धारणा	क़यास
Preventive relief	निषेधात्मक प्रतिकार	दादरसी इम्तनाई
Prima facie	प्रत्यक्ष रूपेण, देखने में	बज़ाहिर
Primogeniture	ज्येष्ठाधिकार	जिठान्सी
Principal	प्रधान, मूलधन	ख़ास, ज़र असल
Prisoner	बंदी	क़ैदी
Privacy	एकान्त	पोशीदगी
Privy Council	परमोच्च न्यायालय	प्रिवी कौंसिल
Procedure	विधि, रीति	जाब्ता
Process	आज्ञा, कार्यप्रणाली	हुक्म नामा

Proclamation	उद्-घोषणा	ऐलान
Pro forma	क्रमिक	तरतीबी
Prohibited degrees of relationship	विवाह वर्जित सम्बन्ध	रिश्तेदारी जिससे शादी ममनुअ है
Promissory Note	ऋण वचन पत्र	प्रोमिसरी नोट, रुक्का
Promoters	सचालक, सहायक	बानी, इम्दाद करने वाले
Prompt dower	प्रस्तुत स्त्रीधन	महर मअज्जल
Promulgation	प्रचार, प्रकाशन	मुश्तहरी
Proof	प्रमाण	सबूत
Proposal	प्रस्ताव	तजवीज़
Proprietor	स्वामी	मालिक
Prosecution	अभियोग	इस्तगासा
Prospectus	कार्यक्रम सूची	खुलासा हाल वास्ते इत्तिला
Prove	प्रमाणित करना, सिद्ध करना	साबित करना
Proviso	छोड़, नियम	शर्त
Proxy	प्रतिनिधि	कायम मुकाम
Puberty	यौवन	सिने बलूग
Public	सार्वजनिक, जनता	आम
Public documents	राजकीय लेख्यपत्र	दस्तावेज़ सरकारी
Public notice	सार्वजनिक विज्ञप्ति	इश्तहार आम
Public nuisance	सार्वजनिक अपकारक कृत्य	अम्रबायस तकलीफ आम
Public policy	राजनीति, जननीति	मसलहत आम्मा
Publication	प्रकाशन	शाया करना
Punishment	दण्ड	सजा

Q

Quash	खडन करना	मंसूख करना
Quasi contract	प्रतिज्ञा भास	मुआहिदा इस्तबाती
Quasi easement	आभाषित सुखाधिकार	हक़ आसायश कयासी
Question of fact	घटना सम्बन्धी प्रश्न या तथ्य	वाक़आती सवाल
Question of law	न्याय विषयक प्रश्न, वैधानिक प्रश्न	अम्र मुतअल्लिक क़ानून सवाल कानूनी,

R

Rape	बलात् भोग, बलात्कार	ज़िना बिलजब्र
Rateable distribution	समानुपातिक विभाजन	तकसीम बहिस्सा रसदी

Ratification of contract	प्रतिज्ञा स्वीकृति या अनुमोदन	मुआहिदे का मजूर करना
Ratio	अनुपात	तनासुब
Real property	स्थावर सम्पत्ति	जायदाद गैरमनकूला
Reasonable apprehension	उपयुक्त आशंका	माकूल शक
Reasonable and probable cause	यथोचित तथा सम्भाव्य कारण	माकूल व मुमकिन वजह
Rebuttal	खंडन, प्रतिक्षेप	तरदीद
Receiver	उगाहने वाला, ग्रहणकारी	वसूल करने वाला
Reciprocal	पारस्परिक	बाहमी, आपस का
Record of rights	स्वत्व सूची	काग़जात हकूक, खेवट
Rectification of instrument	लेख्य संशोधन	इसलाह दस्तावेज़
Redemption	बंधक मोचन	इन्फिकाक रहन
Re-examination	पुन: प्रश्न	सवालात मुकर्रर
Reference	व्यवस्था हेतु प्रार्थना	इस्तसवाब
Refund	प्रतिदान	वापिसी, लौटा देना
Refund of fee	शुल्क प्रतिदान	वापिसी फीस
Registration	प्रमाणीकरण, पंजीयन	रजिस्ट्री करना
Rejoinder	प्रत्युत्तर	जबाबुल जवाब
Relevant facts	सम्बन्धित घटनायें	वाकआत मुत्तल्लिका
Religious endowments	धार्मिक दान	औकाफ मज़हबी
Remand	पुनः प्रेषण	वापिसी
Rendition of account	लेखा देना	हिसाब देना
Rent	भाड़ा, कर	किराया, लगान
Repeal	खंडन, निरसन	मंसूखी
Representative	प्रतिनिधि	क़ायम मुक़ाम
Rescission of contract	अनुबन्ध निरसन	मंसूखी ठेका
Res judicata	पूर्वन्याय, निर्णीत विषय	निज़ा फैसल शुदा
Resolution	प्रस्ताव	तजवीज
Respondent	प्रति-विवादी, उत्तरवादी	जवाबदेह

Restitution of conjugal rights	वैवाहिक अधिकार की माग	मनालत्रा हुकूक जनोशोई
Restoration of suit	पूर्वावस्था में लाना	मुकद्दमा वाज़ व नम्बर
Retrospective effect	भूतकाल दर्शी प्रभाव अनुदर्शी प्रभाव	साबिका अमूर पर पड़ने वाला असर
Reverse	उलट देना	मंसूख करना
Reversioner	उत्तराधिकारी, उत्तर भोगी	वारिसे मावाद
Review	पुनरावलोकन	तजवीज़सानी
Revision	पुनर्निरीक्षण, पुनर्विचार	निगरानी
Revocation	खंडन, निरसन	इनफिसाख
Right of private defence	निजरक्षाधिकार, आत्मरक्षाधिकार	इस्तहक़ाक हिफाज़त खुद इख्तियारी
Right of way	गमनागमन-अधिकार	हक ए-आमदरफ्त
Rigorous imprisonment	कठोर कारावास	कैद सख्त
Risk note	जोखम मोचन पत्र	दस्तावेज़ इस्तरान खतरा
Rule	नियम	कायदा

S

Sale	बिक्री, विक्रय	फरोख्त
Sale-deed	विक्रय पत्र	बयनामा
Sanction	स्वीकृति	मंजूरी
Satisfaction	निपटारा, परिशोध, संतोष	अदायगी, चुकाना
Schedule	परिशिष्ट, सूची	ज़मीमा
Scribe	लेखक, लिपिक	कातिब दस्तावेज़
Seal	छाप, मुद्रा	मुहर
Search warrant	अनुसंधानाज्ञा	वारन्ट तलाशी
Second appeal	द्वितीय विवाद	अपील दोयम
Secondary evidence	गौण साद्य	शहादत मनकूली
Secured creditor	सप्रतिभू धनिक	कफील कर्जख्वाह
Security	प्रतिभूति	ज़मानत
Security bond	प्रतिभूतिपत्र	ज़मानतनामा
Sedition	राजद्रोह	बगावत
Self acquired property	स्वोपार्जित सम्पत्ति	खुद की पैदा कर्दा जायदाद
Self defence	आत्मरक्षा	हिफाज़त खुद इख्तियारी

Sentence	दंडाज्ञा	सजा
Sentence of death	मृत्युदंड	सजाय मौत
Service of summons	आवाहनपत्र पालन	तामील समन
Servient	अधीनस्थ	तावे
Sessions	सत्र-दड-न्यायालय	अदालत सेशन
Set off	प्रतिपक्ष-देय-संतुलन	मुजराई
Share-holder	भागधारक, अश, भोगी	हिस्सेदार
Sharer	भागीदार (भागी)	हिस्सेदार
Signature	हस्ताक्षर	दस्तखत
Simple imprisonment	सरल कारावास	कैद सादा
Simple mortgage	साधारण बंधक	रहन सादा
Sine die	अनिश्चित तिथि	बिला रोज़ मुकर्रंरा के
Single bench	एक न्यायाधीश का न्यायालय	इजलास हाकिमे वाहिद
Sittings	बैठक, अधिवेशन	इजलास
Slander	अपमान जनक शब्द	तौहीन ज़बानी
Small causes court	लघुव्यवहारी न्यायालय लघुवाद न्यायालय	अदालत मतालबा खफीफा
Solemn affirmation	सच बोलने की प्रतिज्ञा	इक़रार सालेह
Solitary confinement	एकान्त कारावास	कैद तनहाई
Sound mind	स्थिर बुद्धि	सही-उल-अक्ल
Special law	विशेष विधान	क़ानून खास
Special relief	विशेष उपशमन	दादरसी खास
Specific performance	निर्दिष्ट सम्पादन, विशिष्ट कार्य्य पूर्ति	तामील मुखतस
Specific relief	निर्दिष्ट उपशमन	दादरसी खास
Specific Relief Act	निर्दिष्ट उपशमन विधान	क़ानून दादरसी खास
Spiritual benefit	आध्यात्मिक लाभ	रूहानी फवायद
Stamp duties	मुद्रापत्र द्वारा न्याय शुल्क	रसूम स्टाम्प
Standing-order	स्थायी आज्ञा	मुस्तकिल हुक्म
Statement	कथन, वक्तव्य	इज़हार
Statute	विधान	क़ानून
Stay of execution	निर्वाह स्थगन	इलतवाय इजराय
Step in aid of execution	निर्वाह सहायक उद्योग	कारवाई मुआविन इजराय

Stricture	प्रतिकूल समालोचना	नुक्ताचीनी
Sub judice	विचाराधीन	ज़ेर तजवीज़
Subpoena	आवाहन पत्र	सफीना
Sub-section	उपधारा	तहती दफा, ज़िमन
Sub tenant	उपपट्टाधारी, उपकृषक	आसामी शिकमी
Subsequent mortgage	परवर्ती बन्धक	रहन मावाद
Subsistence allowance	निर्वाह व्यय	खर्चनान नफका
Substituted Service	अपरीक्ष रीति से आवाहन पत्र निर्वाह	तामील बतरीक़ गैरमामूली
Succession Act	उत्तराधिकार विधान	कानून जानशीनी
Succession Certificate	उत्तराधिकार प्रमाण पत्र	सार्टीफिकट जानशीनी
Suit in forma pauperis	निः शुल्क अभियोग	नालिश बसीगा मुफलिसी
Summary procedure	संक्षिप्त विधि	सरसरी ज़ाब्ता
Summary trial	संक्षिप्त अभियोग निरीक्षण	तहकीकात सरसरी
Supreme court	सर्वोच्च न्यायालय	अदालत आला
Surety	प्रतिभू	ज़ामिन
Surety-bond	प्रतिभू पत्र	ज़मानत नामा
Survivor	उत्तर जीवी	प्रसमाया
Symbolical delivery	लाक्षणिक समर्पण	हवालगी अलामती

T

Table	पत्रक, सूची	नकशा, शजरा
Tacking	बंधक संयोजन	इजतमाअ किफालत
Tamper with a document	लेख दूषित करना	दस्तावेज़ में जाल बनाना
Temporary injunction	अल्प कालीन निषेधाज्ञा	हुकमइम्तिनाई चंद रोज़ा
Tenancy	क्षेत्राधिकार	किरायेदारी
Tenant for life	आजीवनधारक	आसामी हीन हयाती
Territorial jurisdiction	प्रादेशिक श्रवणाधिकार	

Testament	शेषसाक्ष्यपत्र, मृत्युपत्र	वसीयतनामा
Testator	उत्तरदान कर्ता	वसीयत करने वाला
Testimony	साक्ष्य	गवाही
Thumb impression	अंगुष्ठ छाप	निशानी अँगूठा
Title	अधिकार उपाधि	इस्तहकाक, खिताब
Toll	पथ शुल्क	महसूल राहदारी
Tort	अपकृत्य, हानि	फेल बेजा
Tout	अभियोग–मध्यवर्ती	दलाल मुकद्दमात
Trade Mark	व्यापार चिन्ह	निशान तिजारत
Trade usage	व्यापार–परिपाटी	दस्तूर तिजारत
Transaction	व्यवहार, कारोबार	मुआमला
Transfer application	अन्य न्यायालय में वाद-प्रेषणार्थ निवेदनपत्र	दरख्वास्त इन्तकालमुकदमा
Transfer of property Act	सम्पत्ति-हस्तान्तर-विधान	कानून इन्तकाल जायदाद
Transferee	हस्तान्तरित वस्तु प्राप्तकर्त्ता	मुन्तकिलइलेह
Translation	अनुवाद	तरजुमा
Transportation for life	आजन्म देश निकाला, निर्वासन	हब्स दवाम
Travelling allowance	भ्रमण व्यय	सफर खर्च
Treasure-trove	भूमि–गत द्रव्य	दफीना
Trespass	अनधिकार प्रवेश	मदाखलत बेजा
Trial	विचार परीक्षण	तहकीकात व तजवीज़
Tribunal	अदालत, विचारालय	इजलास
True copy	प्रमाणित प्रतिलिपि	नकल मुताबिक असल
Trust	धरोहर, न्याय	अमानत
Trust Act	न्यास-विधान	कानून अमानत
Trustee	न्यासधारक	अमीन, ट्रस्टी

U

Ultra vires	अधिकार के बाहर	खारिज अज़ इख्तियार
Uncertain event	अनिश्चित घटना	इत्तिफाकिया घटना
Unchastity	अपवित्रता, असतीत्व	बे असमती
Unconditional	प्रतिबंधहीन	बिलाशर्त
Unconsionable bargain	अपर्याप्त प्रतिफल प्रतिज्ञा	मुआहिदा जो बिला बदल काफी के किया जाय

Undervaluation	न्यून मूल्य-निर्धारण	कम तखमीना मालियत
Undisturbed possession	अखण्डितयोग	कब्ज़ा बिला मज़ाहमत
Undivided family	अविभक्त परिवार	खान्दान गैर मुनकसिमा
Undue influence	अनुचित प्रभाव	दाब नाजायज
Unencumbered	भाररहित	बिलाबार
Unilateral contract	एक पक्षीय प्रतिज्ञा	मुआहिदा यकतर्फा
Universal legatee	पूर्ण उत्तरदाताधिकारी	कुल जायदाद का मूसी इलेह
Unlawful	अवैध	खिलाफ कानून
Unlawful assembly	अवैध जन समूह	मजमा खिलाफ कानून
Unlawful purpose	अवैध उद्देश्य	गरज नाजायज
Unliquidated damages	अपरिशोधितक्षति	हर्जा गैर मुशख्खसा
Unnatural offences	अप्राकृतिक अपराध	जरायम खिलाफ वजे फितरी
Unobstructed heritage	अप्रतिबंध दाय	विरासत बिलारोक
Unprofessional conduct	वृत्ति विरुद्ध व्यवहार	अमल खिलाफ पेशा
Unsound mind	विकृत मस्तिष्क	फातिरुल अक्ल
Unstamped instrument	अशुल्क लेख्यपत्र	दस्तावेज़ बिला रसूम
Usage	व्यवहार	अमलदरामद
Usuer	भोग	इस्तैमाल
Usufruct	फल भोगाधिकार, दूसरे की सम्पत्ति का उपभोग प्राप्त करने का अधिकार	हक़ इस्तैमाल व तसर्रुफ पैदावार या मुनाफा किसी जायदाद का बिलाहक मिलकियत के
Usufructuary mortgage	भोग बंधक	रहन इस्तफाई
Uterine	वैपित्रेय सहोदर या सहोदरा	अखयाफी, जो एक माँ व दूसरे बाप से पैदा हो

V

Vacations	अवकाश	तातीलात
Valuable consideration	उचित प्रतिफल	बदल कीमती

Valuation of suits	वाद मूल्य	मालियत दावा
Vendee	क्रेता, खरीदार	मुश्तरी
Vendor	विक्रेता	बाया
Verbal order	मौखिक आज्ञा	हुक्म जुबानी
Verbatim	शब्दशः, अक्षरशः	लफ्ज बलफज
Verdict	पचनिर्णय सन्निर्णय	राय सालिसान
Verification of plaint	वाद प्रमाणी करण	तस्दीक अर्जीदावा
Versus	विरुद्ध	बनाम
Vested inheritance	प्राप्त उत्तराधिकार	हासिल शुदा हक्क
Vexations suit	क्लेश हेतु अभियेाग, उद्वेगकारी अभियोग	नालिश बगरज ईजार सानी
Vice versa	इसके विपरीत, विपर्ययेण	इसके बर अ ल
Voi l alb initio	मूलतः निरर्थक, निषिद्ध	कल अदम अज इब्तिदा
Void agreement	निरर्थक प्रतिज्ञा, निषिद्ध समझौता	मुआमला कलअदम
Voidable contract	खडनीय अनुबंध	मुआहिदा मुमकिन उल इनफिसाख
Voluntarily causing grievious hurt	इच्छा पूर्वक मर्मान्तक आघात करना	बिल इरादा ज़रब शदीद पहुँचाना
Vote	मत	राय
Vow	शपथ, त्रिवाचा	कसम

W

Wager	होड़, पण, बाजी	शर्त
Waiver	तर्क, त्याग	छोड़ना
Want of consideration	प्रतिफलाभाव	बदला का न होना
Warranty	प्रतिभू, प्रतिभूपत्र	जामिन, ज़मानत नामा
Weight of evidence	प्रमाण महत्त्व	वक अतै शहादत
Whipping	बेंत मारना, कोड़े मारना	ताजियाना लगाना
Widow's estate	विधवाधन	बेवा की जायदाद
Wilful neglect	स्वेच्छागत उपेक्षा	लापरवाही दीदो दानिश्ता
Will	शेष इच्छा	वसीयत
Winding up	सहव्यवसाय समाप्ति	तसफिया हिसाब किताब बखत्म शिराकत

With costs	व्यय सहित	मय खर्चा
Withdrawal of claim	अभियोग प्रत्यावर्तन, वाद प्रत्यावर्तन	किसी दावे को वापिस लेना
Without consideration	बिना प्रतिफल	बिलाबदल
Witness	साक्षी	गवाह
Writ	आज्ञापत्र, समादेश	हुक्मनामा
Write off	निरसन करना	बट्टे खाते डालना खर्चे में डालना
Writer	लेखक	कातिब
Written statement	उत्तर पत्र	बयान तहरीरी
Wrongful confinement	अवैध बंधन	हब्स बेजा

हिन्दी में कानूनी पुस्तकें

(ACTS IN HINDI)

1. भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act) ऐक्ट नं० ६ सन् १८७२ (कानून मुआहिदा) ... १)
2. भारतीय अवधि-सीमन-अधिनियम (Indian Limitation Act) सन् १६०८ (कानून मियाद) श्री राधाकृष्ण ऐडवोकेट ॥=)
3. वाणिज्य एवं औद्योगिक सन्नियम (Indian Mercantile Law including Industrial Law) प्रो० एस० सी० दिवाकर ४॥)
4. पुलिस ऐक्ट (Police Act) नं० ५ सन् १८६१ तथा पुलिस ऐक्ट, १८८८, १६२२ और १६४६ ... .. ॥)
5. भारत गुप्त-निधि ऐक्ट (Indian Treasure Trove Act) ऐक्ट न० ६ सन् १८७८ (कानून दफ़ीना) ... ।)
6. घोड़ा गाड़ी अधिनियम, १८६१ (Stage Carriages Act, 1861) अधि० सं० १६ सन् १८६१ ... ।)
7. भयानक औषधिक पदार्थ अधिनियम (Dangerous Drugs Act) अधि० स० २ सन् १६३० .. ॥)
8. भारतीय विस्फोट अधिनियम १८८४ तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम १६०८ (Indian Explosives Act and Indian Explosive Substances Act) .. ।)
9. व्यावहारिक रजिस्ट्री तथा स्टाम्पविधान (Synopsis of Indian Registration and Stamp) श्री मथुरा सिंह २)
10. कानून कर आमदनी भारत ऐक्ट (Indian Income-Tax Act) नं० १० सन् १६२२ तथा ऐक्ट ७ सन् १८६१ सहित १)
11. शारदा बाल विवाह निग्रह ऐक्ट (Child Marriage Restraint Act) नं० १६ सन् १६२६ तथा ऐक्ट ७ व १६ सन् १६३८ संशोधन सहित ... ... =)
12. हिन्दू धर्मशास्त्र (Hindu Law) ले० चन्द्रमनोहर मिश्र ... १)
13. हिन्दी प्लीडिंग्स (Pleadings) श्री पन्नालाल ऐडवोकेट तथा हरिपाल वार्ष्णेय सन् १६४६ ... ... १०)
14. प्रलेख-शास्त्र अथवा नीति-पत्र लेखक (Legal Document Writer) ले० पन्ना लाल व हरीपाल वार्ष्णेय सन् १६५१ ६।)
15. कानून कब्जा आराज़ी उत्तर प्रदेश ऐक्ट (U.P Tenancy Act) नं० १७ सन् १६३६ संशोधन सहित ऐक्ट नं० १० सन् १६४७ १)
16. उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, No I of 1951) ऐक्ट नं० १ सन् १६५१ तथा उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १६, १६५२ श्री बद्री विशाल त्रिपाठी ऐडवोकेट ... ... २)